पंचदश माला, खंड 29, अंक 1

गुरुवार, 22 नवम्बर, 2012
1 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 87
Dated 21 Sept. 2015

(खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

' 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 29, बारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 1, गुरूवार, 22 नवम्बर, 2012/1 अग्रहायण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	V–XII
लोक सभा के पदाधिकारी	XIII
मंत्रिपरिषद्	XV–XVII
राष्ट्रगान	1
आइसलैंड के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	2
निधन संबंधी उल्लेख	2–6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	8–1006
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	8–117
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	117–1007
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	1006
164वां प्रतिवेदन	1006
नियम 377 के अधीन मामले	1007–1018
(एक) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाए जाने और उनकी नियुक्ति को भी नियमित किए जाने की आवश्यकता	
श्री हर्ष वर्धन	1007–1008
(दो) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के लिए यथाप्रस्तावित विभिन्न संयंत्रों की बजाय एक बड़ा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	1008–1009
(तीन) केरल में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) से संबधित मुद्दों का निपटान किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.पी. धनपालन	1009–1010

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः इन तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न माना गया।

विषय **कॉलम**

(चार) कर्नाटक में बांदीपुर जंगल, गुंडलूपेट टाउन लिमिट और नंजनगुड से मैसूर तक होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 के खंड के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण 1010-1011

(पांच) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र में संतरों का उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री दत्ता मेघे 1011

(छह) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने, पिछड़े वर्गों के लिए विद्यमान सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर 1011-1012

(सात) महाराष्ट्र के दादर से अमृतसर तक चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 11057/11058 के उद्गम और समाप्त होने वले स्टेशन को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील 1012-1013

(आठ) राजस्थान के जालौर जिले में सांचोर के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 1013

(नौ) देश में सिविल सेवकों की तुलना में अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों के निमित्त पेंशन योजना एवं अन्य वित्तीय नियमावली में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 1014

(दस) उत्तर प्रदेश के कौशांबी क्षेत्र में विद्युत की समुचित आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 1014

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पहाड़पुर और अन्य पिछड़े क्षेत्रों को विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 1014-1015

(बारह) पश्चिम बंगाल के तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री सुवेन्दु अधिकारी 1015-1016

(तेरह) भारतीय नागरिकों के वीजा आवेदनों की त्वरित प्रोसेसिंग के लिए अमृतसर में पाकिस्तान के महावाणिज्यिक दूतावास और लाहौर में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय की स्थापना करने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 1016

(चौदह) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 पर मुरूमपल्ली चेक-पोस्ट, कोडुरू, पेलीसमुद्रम गोरेन्टला और सोमंदापल्ली में उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. कृष्टप्प 1016-1017

विषय **कॉलम**

(पंद्रह) तमिलनाडु में तिरूचिरापल्ली एयरपोर्ट के विस्तार हेतु 164.68 एकड़ रक्षा भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमार 1017

(सोलह) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को रसोई गैस के कम से कम 12 सिलेंडर की आपूर्ति किए जाने तथा गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को राजसहायता प्राप्त दरों पर मूल रूप से प्रस्तावित संख्या में रसोई गैस के सिलेंडर दिए जाने को बनाए रखे जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि 1017-1018

कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 2012. 1018-1021

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी 1021

स्थगन प्रस्ताव की सूचना 1022

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में. 1022-1026

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1029

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1030-1038

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1039-1040

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1039-1042

पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अंगड़ी श्री सुरेश	(बेलगाम)
अग्रवाल श्री जयप्रकाश	(उत्तर-पूर्व-दिल्ली)
अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	(मेरठ)
अजनाला, डॉ. रतन सिंह	(खडूर साहिब)
अजमल, श्री बदरुद्दीन	(धुबरी)
अजहरुद्दीन, मोहम्मद	(मुरादाबाद)
अडसुल, श्री आनन्दराव	(अमरावती)
अधिकारी, श्री शिशिर	(कांथी)
अधिकारी, श्री सुवेन्दु	(तामलुक)
अनन्त कुमार, श्री	(बंगलौर-दक्षिण)
अनुरागी, श्री घनश्याम	(जालौन)
अब्दुल्ला, डॉ. फारुख	(श्रीनगर)
अमलाबे, श्री नारायण सिंह	(राजगढ़)
अर्गल, श्री अशोक	(भिण्ड)
अलागिरी, श्री एम.के.	(मदुरै)
अलागिरी, श्री एस.	(कुड्डालोर)
अहमद, श्री ई.	(मालापुरम)
अहमद, श्री सुल्तान	(उलूबेरिया)
अहीर, श्री हंसराज गं.	(चन्द्रपुर)
आचार्य, श्री बसुदेव	(बांकुरा)
आजाद, श्री कीर्ति	(दरभंगा)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण	(गांधीनगर)
आदित्यनाथ, योगी	(गोरखपुर)
आधि शंकर, श्री	(कल्लाकुरिची)
आनदंन, श्री एम.	(विलुपुरम)
आरुन रशीद, श्री जे.एम.	(थेनी)
आवले, श्री जयवंत गंगाराम	(लातूर)
इंगती, श्री बिरेन सिंह	(स्वशासी जिला-असम)
इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.	(चेन्नई उत्तर)
इस्लाम, शेख नूरुल	(बसीरहाट)
ईरींग, श्री निनोंग	(अरुणाचल पूर्व)
उदासी, श्री शिवकुमार	(हावेरी)
उपाध्याय, श्रीमती सीमा	(फतेहपुर सीकरी)
एंटोनी, श्री एंटो	(पथमथीट्टा)
ऐरन, श्री प्रवीण सिंह	(बरेली)
ओला, श्री शीश राम	(झुंझुनू)
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	(हैदराबाद)
कछाड़िया, श्री नारनभाई	(अमरेली)
कटारिया, श्री लालचन्द	(जयपुर ग्रामीण)
कटील, श्री नलिन कुमार	(दक्षिण कन्नड़)
कमलनाथ, श्री	(छिंदवाड़ा)
कमांडो, श्री कमल किशोर	(बहराइच)
करवारिया, श्री कपिल मुनि	(फूलपुर)
करुणाकरन, श्री पी.	(कासरगोड)
कलमाडी, श्री सुरेश	(पुणे)
कश्यप, श्री दिनेश	(बस्तर)
कश्यप, श्री वीरेन्द्र	(शिमला)
कस्वां, श्री राम सिंह	(चुरू)
कामत, श्री गुरुदास	(मुम्बई उत्तर पश्चिम)
किल्ली, डॉ. कृपारानी	(श्रीकाकुलम)
कुमार, श्री अजय	(जमशेदपुर)
कुमार, श्री कौशलेन्द्र	(नालंदा)
कुमार, श्री पी.	(तिरुचिरापल्ली)
कुमार, श्री मिथिलेश	(शाहजहांपुर)
कुमार, श्री रमेश	(दक्षिण दिल्ली)
कुमार, श्री विश्व मोहन	(सुपौल)
कुमार, श्री वीरेन्द्र	(टीकमगढ़)
कुमार, श्री शैलेन्द्र	(कौशाम्बी)
कुमार, श्रीमती मीरा	(सासाराम)
कुमारास्वामी, श्री एच.डी.	(बंगलौर ग्रामीण)
कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश	(जोधपुर)
कुमारी, श्रीमती पुतुल	(बांका)
कुरूप, श्री एन. पीताम्बर	(कोल्लम)
कृष्णास्वामी, श्री एम.	(अरानी)

कृष्टप्प, श्री एन.	(हिन्दुपुर)
केपी, श्री महिन्दर सिंह	(जालंधर)
कोड़ा, श्री मधु	(सिंहभूम)
कोवासे, श्री मरोतराव सैनुजी	(गडचिरौली-चिमुर)
कौर, श्रीमती परनीत	(पटियाला)
खंडेला, श्री महादेव सिंह	(सीकर)
खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	(नांदेड़)
खत्री, डॉ. निर्मल	(फैजाबाद)
खरगे, श्री मल्लिकार्जुन	(गुलबर्गा)
खान, श्री हसन	(लद्दाख)
खुर्शीद, श्री सलमान	(फर्रूखाबाद)
खैरे, श्री चन्द्रकांत	(औरंगाबाद)
गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	(बनासकांठा)
गणेशमूर्ति, श्री ए.	(इरोड)
गद्दीगौदर, श्री पी.सी.	(बागलकोट)
गवली, श्रीमती भावना पाटील	(यवतमाल वाशिम)
गांधी, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल	(अहमदनगर)
गांधी, श्री राहुल	(अमेठी)
गांधी, श्री वरुण	(पीलीभीत)
गांधी, श्रीमती मेनका	(आंवला)
गांधी, श्रीमती सोनिया	(रायबरेली)
गांधी सेलवन, श्री एस.	(नामाक्कल)
गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	(मुम्बई दक्षिण-मध्य)
गावित, श्री माणिकराव होडल्या	(नन्दुरबार)
गीते, श्री अनन्त गंगाराम	(रायगढ़)
गुड्डू, श्री प्रेमचन्द	(उज्जैन)
गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	(फरीदकोट)
गोगोई, श्री दीप	(कलियाबोर)
गोहैन, श्री राजेन	(नोगोंग)
गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	(बंगलौर उत्तर)
गौडा, श्री शिवराम	(कोप्पल)
घाटोवार, श्री पबन सिंह	(डिब्रूगढ़)
घुबाया, श्री शेर सिंह	(फिरोजपुर)
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया	(गुवाहाटी)
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	(दिंडोरी)
चांग, श्री सी.एम.	(नागालैंड)
चाको, श्री पी.सी.	(थ्रिसूर)
चित्तन, श्री एन.एस.वी.	(डिंडीगुल)
चिदम्बरम, श्री पी.	(शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डॉ.	(तिरुपति)
चौधरी, डॉ. तुषार	(बारडोली)
चौधरी, श्री अधीर	(बहरामपुर)
चौधरी, श्री अबू हशीम खां	(मालदा दक्षिण)
चौधरी, श्री अरविन्द कुमार	(बस्ती)
चौधरी, श्री जयन्त	(मथुरा)
चौधरी, श्री निखिल कुमार	(कटिहार)
चौधरी, बंस गोपाल	(आसनसोल)
चौधरी, श्री भूदेव	(जमुई)
चौधरी, श्री हरीश	(बाड़मेर)
चौधरी, श्रीमती श्रुति	(भिवानी महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्रीमती सन्तोष	(होशियारपुर)
चौहान, श्री दारा सिंह	(घोसी)
चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	(पंचमहल)
चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	(साबरकांठा)
चौहान, श्री संजय सिंह	(बिजनौर)
चौहान, श्रीमती राजकुमारी	(अलीगढ़)
जगतरक्षकन, डॉ. एस.	(अराकोनम)
जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	(नागरकुरनूल)
जतुआ, श्री चौधरी मोहन	(मथुरापुर)
जेयदुरई, श्री एस.आर.	(थूथुकुडी)
जयाप्रदा, श्रीमती	(रामपुर)
जरदोश, श्रीमती दर्शना	(सूरत)
जहां, श्रीमती कैसर	(सीतापुर)
जाखड़, श्री बद्री राम	(पाली)
जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई	(कच्छ)
जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव	(बुलढाणा)
जाधव, श्री बलीराम	(पालघर)
जायसवाल, डॉ. संजय	(पश्चिम चम्पारण)
जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	(देवरिया)
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश	(कानपुर)
जावले, श्री हरिभाऊ	(रावेर)

जिन्दल, श्री नवीन	(कुरूक्षेत्र)
जिगजिणगी, श्री रमेश	(बीजापुर)
जूदेव, श्री दिलीप सिंह	(बिलासपुर)
जेना, श्री मोहन	(जाजपुर)
जेना, श्री श्रीकांत	(बालासोर)
जैन, श्री प्रदीप	(झांसी)
जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	(वाराणसी)
जोशी, डॉ. सी.पी.	(भीलवाड़ा)
जोशी, श्री कैलाश	(भोपाल)
जोशी, श्री प्रहलाद	(धारवाड़)
जोशी, श्री महेश	(जयपुर)
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	(विजयनगरम)
टन्डन, श्रीमती अन्नू	(उन्नाव)
टन्डन, श्री लालजी	(लखनऊ)
टम्टा, श्री प्रदीप	(अल्मोड़ा)
टुडु, श्री लक्ष्मण	(मयूरभंज)
टैगोर, श्री मानिक	(विरूद्धनगर)
टोप्पो, श्री जोसेफ	(तेजपुर)
ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	(हमीरपुर, हि.प्र.)
ठाकोर, श्री जगदीश	(पाटन)
डिएस, श्री चार्ल्स	(नामनिर्देशित)
डे, डॉ. रत्ना	(हुगली)
डेका, श्री रमेन	(मंगलदोई)
डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन	(कन्याकुमारी)
डोम, डॉ. रामचन्द्र	(बोलपुर)
तम्बिदुरई, डॉ. एम.	(करूर)
तंवर, श्री अशोक	(सिरसा)
तकाम, श्री संजय	(अरुणाचल पश्चिम)
तराई, श्री बिभु प्रसाद	(जगतसिंहपुर)
तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ	(भिवंडी)
ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर	(दाहोद)
तिरकी, श्री मनोहर	(अलीपुरद्वार)
तिरुमावलावन, श्री थोल	(चिदम्बरम)
तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल	(संत कबीर नगर)
तिवारी, श्री मनीष	(लुधियाना)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा	(उत्तर पश्चिम दिल्ली)
तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	(मुरैना)
त्रिवेदी, श्री दिनेश	(बैरकपुर)
थरूर, डॉ. शशी	(तिरुवनंतपुरम)
थामराईसेलवन, श्री आर.	(धर्मापुरी)
थॉमस, प्रो. के.वी.	(एर्नाकुलम)
थॉमस, श्री पी.टी.	(इदुक्की)
दत्त, श्रीमती प्रिया	(मुम्बई उत्तर-मध्य)
दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष	(बारासात)
दास, श्री खगेन	(त्रिपुरा पश्चिम)
दास, श्री भक्त चरण	(कालाहांडी)
दास, श्री राम सुन्दर	(हाजीपुर)
दासगुप्त, श्री गुरुदास	(घाटल)
दासमुंशी, श्रीमती दीपा	(रायगंज)
दीक्षित, श्री सन्दीप	(पूर्वी दिल्ली)
दुबे, श्री निशिकांत	(गोड्डा)
दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	(परभणी)
देव, श्री वी. किशोर चन्द्र	(आरूकु)
देवरा, श्री मिलिंद	(मुम्बई-दक्षिण)
देवी, श्रीमती अश्वमेध	(उजियारपुर)
देवी, श्रीमती रमा	(शिवहर)
देवेगौड़ा, श्री एच.डी.	(हसन)
देशमुख, श्री के.डी.	(बालाघाट)
धनपालन, श्री के.पी.	(चालाकुडी)
धुर्वे, श्रीमती ज्योति	(बेतूल)
धोत्रे, श्री संजय	(अकोला)
ध्रुवनारायण, श्री आर.	(चामराजनगर)
नकवी, श्री जफर अली	(खीरी)
नटराजन, कुमारी मीनाक्षी	(मंदसौर)
नटराजन, श्री पी.आर.	(कोयम्बटूर)
नरह, श्रीमती रानी	(लखीमपुर)
नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्र	(बनगांव)
नाईक, डॉ. संजीव गणेश	(ठाणे)
नाईक, श्री श्रीपाद येसो	(उत्तर गोवा)

नागपाल, श्री देवेन्द्र	(अमरोहा)
नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह	(गौतम बुद्ध नगर)
नामधारी, श्री इन्दर सिंह	(चतरा)
नायक, बलराम श्री पी.	(महबूबाबाद)
नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	(धुले)
नारायणसामी, श्री वी.	(पुडुचेरी)
निरूपम, श्री संजय	(मुम्बई-उत्तर)
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद	(मुजफ्फरपुर)
नूर, कुमारी मौसम	(मालदा उत्तर)
नैपोलियन, श्री डी.	(पेरम्बलूर)
पक्कीरप्पा, श्री एस.	(रायचूर)
पटले, श्रीमती कमला देवी	(जांजगीर-चम्पा)
पटेल, श्री आर.के. सिंह	(बांदा)
पटेल, श्री किसनभाई वी.	(वलसाड़)
पटेल, श्री दिनशा	(खेडा)
पटेल, श्री देवजी एम.	(जालौर)
पटेल, श्री देवराज सिंह	(रीवा)
पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई	(दादरा और नगर हवेली)
पटेल, श्री प्रफुल	(भन्डारा गोंदिया)
पटेल, श्री बाल कुमार	(मिर्जापुर)
पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई	(दमन और दीव)
पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली	(सुरेन्द्रनगर)
पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	(महेसाणा)
परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	(कल्याण)
पलानीमनिकम, श्री एस.एस.	(तंजावूर)
पवार, श्री शरद	(माधा)
पांगी, श्री जयराम	(कोरापुट)
पांडा, श्री वैजयन्त	(केन्द्रपाड़ा)
पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	(भुवनेश्वर)
पाटील डॉ. पद्मसिंह बाजीराव	(उस्मानाबाद)
पाटील, श्री ए.टी. नाना	(जलगांव)
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	(जालना)
पाटील, श्री प्रतीक	(सांगली)
पाटील, श्री संजय दिना	(मुम्बई उत्तर पूर्व)
पाटील, श्री सी.आर.	(नवसारी)
पाठक, श्री हरिन	(अहमदाबाद पूर्व)
पाण्डा, श्री प्रबोध	(मिदनापुर)
पाण्डेय, कुमारी सरोज	(दुर्ग)
पाण्डेय, श्री गोरखनाथ	(भदोही)
पाण्डेय, श्री राकेश	(अम्बेडकर नगर)
पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	(गिरिडीह)
पायलट, श्री सचिन	(अजमेर)
पाल, श्री जगदम्बिका	(डुमरियागंज)
पाल, श्री राजाराम	(अकबरपुर)
पाला, श्री विन्सेंट एच.	(शिलांग)
पासवान, श्री कमलेश	(बांसगांव)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र	(सिल्चर)
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	(विशाखापटनम)
पुनिया, श्री पन्ना लाल	(बाराबंकी)
पॉल, श्री तापस	(कृष्णानगर)
पोटाई, श्री सोहन	(कांकेर)
प्रभाकर, श्री पोन्नम	(करीमनगर)
प्रधान, श्री अमरनाथ	(सम्बलपुर)
प्रधान, श्री नित्यानंद	(अस्का)
प्रसाद, श्री जितिन	(धौरहरा)
प्रेमदास, श्री	(इटावा)
बंदोपाध्याय, श्री सुदीप	(कोलकाता उत्तर)
बंसल, श्री पवन कुमार	(चण्डीगढ़)
बक्शी, श्री सुब्रत	(कोलकाता दक्षिण)
बब्बर, श्री राज	(फिरोजाबाद)
बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह	(हाथरस)
बनर्जी, श्री अम्बिका	(हावड़ा)
बनर्जी, श्री कल्याण	(श्रीरामपुर)
बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान	(संभल)
बलीराम, डॉ.	(लालगंज)
बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	(पोन्नानी)
बासवराज, श्री जी,एस.	(टुमकुर)
बाइते, श्री थांगसो	(बाह्य मणिपुर)
बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	(विष्णुपुर)
बाजवा, श्री प्रताप सिंह	(गुरुदासपुर)

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर	(भटिंडा)
बापीराजू, श्री के.	(नरसापुरम)
बाबर, श्री गजानन ध.	(मावल)
बाबा, श्री के.सी. सिंह	(नैनीताल-ऊधमसिंह नगर)
बालू, श्री टी.आर.	(श्रीपेरूम्बुदुर)
बाल्मीकि, श्री कमलेश	(बुलन्दशहर)
बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	(राजकोट)
बासके, श्री पुलीन बिहारी	(झाड़ग्राम)
बिश्नोई, श्री कुलदीप	(हिसार)
बिसवाल, श्री हेमानन्द	(सुन्दरगढ़)
बीजू, श्री पी.के.	(अलथूर)
बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह	(खजुराहो)
बेग, डॉ. मिर्जा महबूब	(अनन्तनाग)
बेसरा, श्री देवीधन	(राजमहल)
बैठा, श्री कामेश्वर	(पलामू)
बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल	(करौली, धौलपुर)
बैस, श्री रमेश	(रायपुर)
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	(कोकराझार)
भगत, श्री सुदर्शन	(लोहरदगा)
भगोरा, श्री ताराचन्द्र	(बांसवाड़ा)
भडाना, श्री अवतार सिंह	(फरीदाबाद)
भुजबल, श्री समीर	(नासिक)
भूरिया, श्री कांति लाल	(रतलाम)
भैया, श्री शिवराज	(दमोह)
भोंसले, श्री उदयनराजे	(सतारा)
भोई, श्री संजय	(बारगढ़)
मंडल डॉ., तरुण	(जयनगर)
मंडल, श्री मंगनी लाल	(झंझारपुर)
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	(कोल्हापुर)
मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	(बलूरघाट)
मणि, श्री जोस के.	(कोट्टायम)
मणियन, श्री ओ.एस.	(मयिलादुतुरई)
मरांडी, श्री बाबू लाल	(कोडरमा)
मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह	(सोनीपत)
मलिक, श्री शक्ति मोहन	(आरामबाग)
मसराम, श्री बसोरी सिंह	(मंडला)
महन्त, डॉ. चरण दास	(कोरबा)
महताब, श्री भर्तृहरि	(कटक)
महतो, श्री नरहरि	(पुरूलिया)
महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद	(वाल्मीकिनगर)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा	(इन्दौर)
महापात्र, श्री सिद्धान्त	(बहरामपुर)
महाराज, श्री सतपाल	(गढ़वाल)
माकन, श्री अजय	(नई दिल्ली)
माझी, श्री प्रदीप	(नवरंगपुर)
मांझी, श्री हरि	(गया)
मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	(जामनगर)
मारन, श्री दयानिधि	(चेन्नई मध्य)
मित्रा, श्री सोमेन	(डायमंड हार्बर)
मिर्धा, डॉ. ज्योति	(नागौर)
मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद	(सीधी)
मिश्रा, श्री पिनाकी	(पुरी)
मिश्रा, श्री महाबल	(पश्चिम दिल्ली)
मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	(दौसा)
मीणा, श्री नमोनारायण	(टौंक-सवाई-माधोपुर)
मीणा, श्री रघुवीर सिंह	(उदयपुर)
मुंडे, श्री गोपीनाथ	(बीड)
मुखर्जी, श्री अभिजीत	(जंगीपुर)
मुण्डा, श्री कड़िया	(खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास	(नागपुर)
मुनियप्पा, श्री के.एच.	(कोलार)
मेघवाल, श्री अर्जुन राम	(बीकानेर)
मेघवाल, श्री भरत राम	(श्रीगंगानगर)
मेघे, श्री दत्ता	(वर्धा)
मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड	(नामनिर्देशित)
मैन्या, डॉ. थोकचोम	(आंतरिक मणिपुर)
मोइली, श्री एम. वीरप्पा	(चिकबल्लापुर)
मोहन, श्री पी.पी.	(बंगलौर मध्य)
यादव, श्री अंजनकुमार एम.	(सिकन्दराबाद)

यादव, श्री अरूण	(खंडवा)
यादव, श्री ओम प्रकाश	(सीवान)
यादव, श्रीमती डिम्पल	(कन्नौज)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र	(खगड़िया)
यादव, श्री धर्मेन्द्र	(बदायूं)
यादव, श्री मधुसूदन	(राजनंदगांव)
यादव, श्री मुलायम सिंह	(मैनपुरी)
यादव, प्रो. रंजन यादव	(पाटलिपुत्र)
यादव, श्री रमाकान्त	(आजमगढ़)
यादव, श्री शरद	(मधेपुरा)
यादव, श्री हुकुमदेव नारायण	(मधुबनी)
यास्खी, श्री मधु गौड	(निजामाबाद)
रहमान, श्री अब्दुल	(वेल्लोर)
राघवन, श्री एम.के.	(कोझिकोड)
राघवेन्द्र, श्री बी. वाई	(शिमोगा)
राजगोपाल, श्री एल.	(विजयवाड़ा)
राजभर, श्री रमाशंकर	(सलेमपुर)
राजा, श्री ए.	(नीलगिरि)
राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह	(धार)
राजू, श्री एम.एम. पल्लम	(काकीनाडा)
राजेन्द्रन, श्री सी.	(चेन्नई दक्षिण)
राजेश, श्री एम.बी.	(पालक्काड़)
राठवा, श्री रामसिंह	(छोटा उदयपुर)
राठौर, श्री रमेश	(अदीलाबाद)
राणा, श्री कादिर	(मुजफ्फरनगर)
राणा, श्री जगदीश सिंह	(सहारनपुर)
राणा, श्री राजेन्द्र सिंह	(भावनगर)
राणे, श्री निलेश नारायण	(रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग)
रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	(पोरबन्दर)
राम, श्री पूर्णमासी	(गोपालगंज)
रामकिशुन, श्री	(चन्दौली)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली	(वडकरा)
रामशंकर, प्रो.	(आगरा)
रामासुब्बू, श्री एस.एस.	(तिरुनेलवेली)
राय, श्री अर्जुन	(सीतामढ़ी)
राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	(कूचबिहार)
राय, श्री प्रेम दास	(सिक्किम)
राय, श्री महेन्द्र कुमार	(जलपाईगुड़ी)
राय, श्री रुद्रमाधव	(कंधमाल)
राय, श्री विष्णु पद	(अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
राय, प्रो. सौगत	(दमदम)
राय, श्रीमती शताब्दी	(बीरभूम)
राव, श्री के. नारायण	(मछलीपट्टनम)
राव, डॉ. के.एस.	(एलूरू)
राव, श्री के. चन्द्रशेखर	(महबूबनगर)
राव, श्री नामा नागेश्वर	(खम्माम)
राव, श्री रायापति सांबासिवा	(गुंटूर)
रावत, श्री अशोक कुमार	(मिसरिख)
रावत, श्री हरीश	(हरिद्वार)
रियान, श्री बाजू बन	(त्रिपुरा पूर्व)
रुआला, श्री सी.एल.	(मिजोरम)
रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	(अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	(नेल्लोर)
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	(ओंगोले)
रेड्डी, श्री एस. जयपाल	(चेवेल्ला)
रेड्डी, श्री एस.पी. वाई.	(नांदयाल)
रेड्डी, श्री के.आर.जी.	(भोंगीर)
रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	(कुरनूल)
रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र	(नलगोंडा)
रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल	(नरसारावपेट)
रेड्डी, श्री वाई.एस. जगन मोहन	(कडापा)
लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका	(बापतला)
लागुरी, श्री यशवंत	(क्योंझर)
लाल, श्री पकौड़ी	(रॉबर्ट्सगंज)
लालू प्रसाद, श्री	(सारण)
लिंगम, श्री पी.	(तेनकासी)
वर्धन, श्री हर्ष	(महाराजगंज, उ.प्र.)
वर्मा, श्री बेनी प्रसाद	(गोंडा)
वर्मा, श्री सज्जन	(देवास)
वर्मा, श्रीमती ऊषा	(हरदोई)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	(भरूच)	सचान, श्री राकेश	(फतेहपुर)
वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	(शिरडी)	सत्पथी, श्री तथागत	(ढेंकानाल)
वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	(हिंगोली)	सत्यनारायण, श्री सर्वे	(मल्काजगिरी)
वासनिक, श्री मुकुल	(रामटेक)	सम्पत, श्री ए.	(अटिंगल)
विजय शान्ति श्रीमती एम.	(मेडक)	सरोज, श्री तूफानी	(मछलीशहर)
विजयन, श्री ए.के.एस.	(नागापट्टिनम)	सरोज, श्रीमती सुशीला	(मोहनलाल गंज)
विवेकानन्द, डॉ. जी.	(पेड्डापल्ली)	सहाय, श्री सुबोध कान्त	(रांची)
विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.	(मैसूर)	साई प्रताप, श्री ए.	(राजमपेट)
विश्वनाथ कात्ती, श्री रमेश	(चिक्कोडी)	साय, श्री विष्णु देव	(रायगढ़)
विश्वनाथन, श्री पी.	(कांचीपुरम)	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	(दक्षिण गोवा)
वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार	(राजामुन्दरी)	साहा, डॉ. अनूप कुमार	(वर्धमान पूर्व)
वेणुगोपाल, श्री के.सी.	(अलप्पुझा)	साहू, श्री चन्दुलाल	(महासमुन्द)
वेणुगोपाल, श्री डी.	(तिरूवन्नामलाई)	सिंगला, श्री विजय इन्दर सिंह	(संगरूर)
वेणुगोपाल, डॉ. पी.	(तिरुवल्लूर)	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	(गुना)
व्यास, डॉ. गिरिजा	(चित्तौड़गढ़)	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	(ग्वालियर)
शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार	(करनाल)	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	(बोलनगिर)
शर्मा, श्री जगदीश	(जहानाबाद)	सिंह, श्री आर.पी.एन.	(कुशीनगर)
शर्मा, श्री मदन लाल	(जम्मू)	सिंह, चौधरी लाल	(उधमपुर)
शानवास, श्री एम.आई.	(वयनाड)	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	(वैशाली)
शांता, श्रीमती जे.	(बेल्लारी)	सिंह, डॉ. संजय	(सुल्तानपुर)
शाह, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी	(टिहरी गढ़वाल)	सिंह, राजकुमारी रत्ना	(प्रतापगढ़)
शारिक, श्री शरीफुद्दीन	(बारामूला)	सिंह, राव इन्द्रजीत	(गुड़गांव)
शिन्दे, श्री सुशील कुमार	(शोलापुर)	सिंह, श्री अजित	(बागपत)
शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश	(रामनाथपुरम)	सिंह, श्री इज्यराज	(कोटा)
शिवप्रसाद, डॉ. एन.	(चित्तूर)	सिंह, श्री उदय	(पूर्णिया)
शिवाजी, अधलराव पाटील	(शिरूर)	सिंह, श्री उदय प्रताप	(होशंगाबाद)
शिवासामी, श्री सी.	(तिरूपुर)	सिंह, श्री उमाशंकर	(महाराजगंज, बिहार)
शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	(करीमगंज)	सिंह, श्री एन. धरम	(बीदर)
शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव	(वडोदरा)	सिंह, श्री कल्याण	(एटा)
शेखर, श्री नीरज	(बलिया)	सिंह, श्री गणेश	(सतना)
शेखावत, श्री गोपाल सिंह	(राजसमंद)	सिंह, श्री जगदानन्द	(बक्सर)
शेटकर, श्री सुरेश कुमार	(जहीराबाद)	सिंह, श्री जसवंत	(दार्जिलिंग)
शेट्टी, श्री राजू	(हातकंगले)	सिंह, श्री जितेन्द्र	(अलवर)
संगमा, कुमारी अगाथा	(तुरा)	सिंह, श्री दुष्यंत	(झालावाड़)
सईद, श्री हमदुल्लाह	(लक्षद्वीप)	सिंह, श्री धनंजय	(जौनपुर)

सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)
सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)
सिंह, श्री बृजभूषण शरण (कैसरगंज)
सिंह, श्री भूपेन्द्र (सागर)
सिंह, डॉ. भोला (नवादा)
सिंह, श्री महाबली (काराकाट)
सिंह, श्री मुरारीलाल (सरगुजा)
सिंह, श्री यशवीर (नगीना)
सिंह, श्री रतन (भरतपुर)
सिंह, श्री रवनीत (आनन्दपुर साहिब)
सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)
सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)
सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन (मुंगेर)
सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारन)
सिंह, श्री राधे मोहन (गाजीपुर)
सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)
सिंह, श्री विजय बहादुर (हमीरपुर, उ.प्र.)
सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)
सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)
सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)
सिंह, श्रीमती मीना (आरा)
सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)
सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)
सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)
सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)
सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)
सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)
सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल)
सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)
सुगुमार, श्री के. (पोल्लाची)
सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)
सुमन, श्री कबीर (जादवपुर)
सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मवेलीकारा)
सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)
सुशान्त, डॉ. राजन (कांगड़ा)
सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
सेम्मलई, श्री एस. (सलेम)
सैलजा, कुमारी (अम्बाला)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई (अहमदाबाद पश्चिम)
सोलंकी, श्री दीनूभाई (जूनागढ़)
सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)
सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)
स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)
स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)
स्वामी, श्री एन. चेलुवरया (मांडया)
हक, श्री मोहम्मद असरारूल (किशनगंज)
हक, शेख सैदुल (बर्धमान-दुर्गापुर)
हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)
हरि, श्री सब्बम (अनाकापल्ली)
हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)
हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन (रणघाट)
हसन, डॉ. मोनाजिर (बेगूसराय)
हसन, श्रीमती तबस्सुम (कैराना)
हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)
हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)
हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)
हेगड़े, श्री अनन्त कुमार (उत्तर कन्नड)
हेगड़े, श्री के. जयप्रकाश (उदूपी चिकमंगलूर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

मंत्रिपरिषद्

कैबिनेट मंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी, जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किये गये हैं, जैसे: 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; 2. योजना मंत्रालय; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; और 4. अंतरिक्ष विभाग
श्री ए.के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री सुशील कुमार शिंदे	गृह मंत्री
श्री एम. वीरप्पा मोइली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
डॉ. फारूख अब्दुल्ला	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
श्री कमल नाथ	शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री
श्री अजित सिंह	नागर विमानन मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री मल्लिकार्जुन खरगे	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री
डॉ. सी.पी. जोशी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
कुमारी सैलजा	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री जी.के. वासन	पोत परिवहन मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	रेल मंत्री
श्री एम.के. अलागिरी	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	कोयला मंत्री
श्री सलमान खुर्शीद	विदेश मंत्री
श्री वी. किशोर चन्द्र देव	जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री

श्री बेनी प्रसाद वर्मा	इस्पात मंत्री
श्री जयराम रमेश	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री के. रहमान खान	अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	खान मंत्री
श्री अजय माकन	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
श्री एम.एम. पल्लमराजू	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री अश्विनी कुमार	विधि और न्याय मंत्री
श्री हरीश रावत	जल संसाधन मंत्री
श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	संस्कृति मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्रीमती कृष्णा तीरथ	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
प्रो. के.वी. थामस	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री श्रीकांत जेना	साख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयंती नटराजन	पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री पबन सिंह घाटोवार	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री भरत सिंह सोलंकी	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री सचिन पायलट	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री जितेन्द्र सिंह	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मनीष तिवारी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री
डॉ. के. चिरंजीवी	पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. नारायणसामी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमो नारायन मीण	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानी मनिकम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री जितिन प्रसाद	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती परनीत कौर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री डी. नैपोलियन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. एस. जगतरक्षकन	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. गांधीसेलवन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. तुषार चौधरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रतीक पाटील	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर.पी.एन. सिंह	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. शशी थरुर	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रदीप जैन	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.सी. वेणुगोपाल	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. चरण दास महंत	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मिलिन्द देवरा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री राजीव शुक्ला	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा येजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	श्रम और रोजगार मंत्रालय में मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री तारिक अनवर	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती रानी नरह	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अधीर चौधरी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अबू हशीम खां चौधरी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सर्वे सत्यनारायण	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री निनोंग ईरींग	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती दीपादास मुंशी	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पी. बलराम नायक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. क्रुपारानी किल्ली	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री लाल चन्द कटारिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

गुरूवार, 22 नवम्बर 2012/1 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

आइसलैंड के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे सभा के माननीय सदस्यों की ओर से अपनी ओर से तथा महामहिम सुश्री आस्टा आर. जोहानसडोटिर, प्रेसीडेंट (स्पीकर), अलथिनजी, पार्लियामेंट ऑफ आइसलैंड तथा आईसलैंड के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का, जो हमारे सम्माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वे मंगलवार 20 नवम्बर, 2012 को भारत पहुंचे। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और उपयोगी प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से आइसलैंड की सरकार और वहां की मित्र जनता का अभिनंदन करते हैं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण के लिये उनके नाम महासचिव द्वारा पुकारे जायेंगे।

महासचिव: श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह

1. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड)
2. श्री अभिजीत मुखर्जी (जंगीपुर, पश्चिम बंगाल)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने दस पूर्व सहयोगियों सर्वश्री राम सेवक चौधरी, भरत भूषण, सत महाजन, राज कुजार राय, लुर्दसामी अडईक्कलराज, नवल किशोर शर्मा, हरिहर स्वाई, राम सेवक हजारी, किंजरप्पु येरननायडु और कृष्ण चन्द्र पंत के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री राम सेवक चौधरी 1962 से 1977 तक तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1980 से 1992 तक राज्य सभा के भी सदस्य रहे। एक सुयोग्य सांसद, श्री चौधरी विभिन्न समितियों के सदस्य रहे और उन्होंने 1967 से 1969 तक इस्पात, खान और धातु मंत्रालय तथा 1969 से 1971 तक विदेश व्यापार मंत्रालय में केन्द्रीय उपमंत्री भी रहे।

श्री राम सेवक चौधरी का निधन 85 वर्ष की आयु में 28 जुलाई, 2012 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री भरत भूषण 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तराखंड के नैनीताल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, श्री भरत भूषण अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के संस्थापक सदस्य रहे।

श्री भरत भूषण का निधन 82 वर्ष की आयु में 9 अगस्त, 2012 को नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री सत महाजन 1996 से 1997 तक ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सत महाजन पांच बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे। वे 10 वर्ष तक राज्य सरकार में मंत्री रहे। वे विधान सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष भी रहे।

एक प्रतिष्ठित सांसद, श्री महाजन ने अनेक देशों की यात्राएं कीं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में देश के विभिन्न शिष्टमंडलों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सत महाजन का निधन 85 वर्ष की आयु में 1 सितम्बर, 2012 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री राज कुमार राय 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री राय 1980 से 1984 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे। 1983 से 1987 तक वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे।

श्री राज कुमार का निधन 73 वर्ष की आयु में 24 सितम्बर, 2012 को लखनऊ में हुआ।

श्री लुर्दसामी अडईक्कलराज 1984 से 1997 तक आठवीं से ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक प्रतिष्ठित सांसद, श्री अडईक्कलराज 1991-1996 के दौरान याचिका समिति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की परामर्शदात्री समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री अडईक्कलराज का निधन 76 वर्ष की आयु में 27 सितम्बर, 2012 को तिरुचिरापल्ली में हुआ।

श्री नवल किशोर शर्मा चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने राजस्थान के दौसा, जयपुर और अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

एक प्रतिष्ठित सांसद, श्री शर्मा 1984 में वित्त मंत्रालय तथा 1984 से 1986 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। वह 1972 से 1973 तक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और कंपनी (संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के सभापति भी रहे।

श्री शर्मा 1980-86 के दौरान नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा 1995-96 के दौरान अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन रहे।

श्री शर्मा ने वर्ष 2004 से 2009 तक गुजरात के राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया।

श्री नवल किशोर शर्मा का निधन 87 वर्ष की आयु में 8 अक्तूबर, 2012 को जयपुर में हुआ।

श्री हरिहर स्वाई 2004 से 2008 तक चौदहवी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने ओडिशा के अस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री स्वाई 1977 से 1986 तथा 1995 से 2000 तक ओडिशा विधान सभा के सदस्य भी रहे। वे ओडिशा सरकार में वाणिज्य और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री; 1977 से 1980 के दौरान गृह (जेल) और पर्यटन; और 1995 से 1999 के दौरान निर्माण मंत्री रहे।

एक प्रतिष्ठित सांसद, श्री स्वाई कृषि संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे।

श्री हरिहर स्वाई का निधन 72 वर्ष की आयु में 13 अक्तूबर, 2012 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री राम सेवक हजारी 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने बिहार के रोसेड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह छह बार बिहार विधान सभा के सदस्य भी रहे।

एक प्रतिष्ठित संसदविद्, श्री हजारी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री राम सेवक हजारी का निधन 76 वर्ष की आयु में 27 अक्तूबर, 2012 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री किंजरप्पु येरननायडु 1996 से 2009 तक ग्यारहवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के

श्रीकाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री येरननायडु 1982 से 1996 तक चार बार आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे।

एक प्रतिष्ठित संसदविद् श्री येरननायडु 1996 से 1998 तक केन्द्रीय ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के मंत्री रहे थे। वे कृषि संबंधी समिति तथा रेल संबंधी समिति के सभापति रहे। श्री येरननायडु लोक सभा की सभापति तालिका के भी सदस्य रहे और उन्होंने अनेक संसदीय समितियों में कार्य किया।

श्री येरननायडु ने अनेक स्थानों की यात्रा की और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व किया।

श्री किंजरप्पु येरननायडु का निधन 55 वर्ष की आयु में 2 नवम्बर, 2012 को श्रीकाकुलम के निकट एक सड़क दुर्घटना में हुआ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत ने तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा में नैनीताल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और आठवीं लोक सभा में नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे 1978 से 1984 तक राज्य सभा के सदस्य और 1979 से 1980 तक राज्य सभा में सदन के नेता रहे।

एक प्रतिष्ठित सांसद, श्री पंत 1973 से 1974 तक केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री, 1979 से 1980 तक ऊर्जा मंत्री, 1984 से 1985 तक शिक्षा मंत्री, 1985 से 1987 तक इस्पात और खान मंत्री तथा 1987 से 1989 तक रक्षा मंत्री रहे। वे कई मंत्रालयों में केन्द्रीय राज्य मंत्री भी रहे। वे तीसरी लोक सभा के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के भी सदस्य रहे थे।

श्री पन्त 1995 से 2000 तक दसवें वित्त आयोग के अध्यक्ष और 1999 से 2004 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त का निधन 81 वर्ष की आयु में 15 नवम्बर, 2012 को नई दिल्ली में हुआ।

माननीय सदस्यों, मुझे सभा को **श्री बाल केशव ठाकरे** के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

'बाला साहब ठाकरे' के नाम से लोकप्रिय वे एक जाने-माने राजनैतिक कार्टूनिस्ट और साप्ताहिक राजनैतिक पत्रिका 'मार्मिक' तथा मराठी दैनिक समाचार पत्र 'सामना' के सम्पादक थे। श्री ठाकरे ने 1966 में शिव सेना का गठन किया। श्री ठाकरे का निधन 85 वर्ष की आयु में 17 नवम्बर, 2012 को मुंबई में हुआ।

हम अपने भूतपूर्व सहयोगियों और श्री ठाकरे के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। मैं अपनी और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं।

माननीय सदस्यों, आपको मालूम होगा कि 31 अक्तूबर, 2012 को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर आए चक्रवाती तूफान "लीलम" के कारण 25 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। इस चक्रवात के बाद आयी बाढ़ में सैकड़ों गांव पानी में डूब गए, हजारों मकानों की क्षति पहुंची और खड़ी फसलें नष्ट हो गईं।

माननीय सदस्यों, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर आए तूफान "हुरीकेन सैंडी" से हुई जान और माल की व्यापक हानि के समाचार से दु:खी हैं, जिसमें 113 लोग मारे गए। हम इस प्राकृतिक त्रासदी से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं।

भारत और भारत की जनता प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और प्रभावित क्षेत्रों में पूर्ण रूप से सामान्य स्थिति बहाल करने के कार्य में जुटे संयुक्त राज्य अमेरिका और वहां की जनता के साथ है।

एक अन्य दु:खद घटना में 19 नवम्बर, 2012 को पटना के निकट बांकीपुर में बांस के एक पुल के ढह जाने से 8 महिलाओं और 6 बच्चों सहित 17 लोगों के मारे जाने और 40 अन्य के घायल होने की सूचना मिली है।

यह सभा इन त्रासदियों के कारण जिन शोक संतप्त परिवारों और प्रभावित व्यक्तियों को पीड़ा और कष्ट पहुंचा है, उस पर अपना गहरा दु:ख प्रकट करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद, अब प्रश्न काल को लेते हैं प्रश्न संख्या 1।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैंने आज प्रश्न काल निलंबित करने का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.20 बजे

इस समय डॉ. बलीराम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.20$^1/_4$

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: यह क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं करिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: लीडर ऑफ अपोज़ीशन खड़ी हैं, उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.20$^1/_2$ बजे

इस समय शेख सैदुल हक आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप वापस जाइए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

इस समय शेख सैदुल हक अपने स्थान पर वापस चले गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह क्या है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी सीट पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, इससे पहले कि आप प्रश्न काल चलाएं, मैं संसद के मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के बीच घटी संसद की घोर अवमानना के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कापार्ट के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

*1. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को निधियां प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार यह अनुदान कितने संगठनों को प्रदान किए गए हैं तथा उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार को उनमें से कुछ संगठनों द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु जिला सतर्कता और निगरानी समितियों को शक्तियां प्रदान करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां। कपार्ट ने स्वैच्छिक संगठनों को निधियां प्रदान की हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु जिला सतर्कता और निगरानी समितियों को शक्तियां प्रदान करने का ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन संगठनों को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा

राज्य	सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	मंजूर की गई राशि (रु.)	रिलीज की गई राशि (रु.)
1	2	3	4
2009-10			
आंध्र प्रदेश	4	7877430	3738350
असम	7	7362176	1461856
बिहार	6	4141582	2116762
चंडीगढ़	1	1599950	1439955
दिल्ली	2	1300000	1200000
गुजरात	21	5830362	632500
हिमाचल प्रदेश	3	3576788	2924420
कर्नाटक	3	2310440	1762840

1	2	3	4
केरल	3	1687160	1687160
महाराष्ट्र	8	1896500	194930
मणिपुर	4	4359580	1054130
मिजोरम	1	214775	0
ओडिशा	8	12097606	6102008
तमिलनाडु	1	136350	122715
त्रिपुरा	3	623250	0
उत्तर प्रदेश	4	6333322	1160720
उत्तराखंड	1	2790000	0
पश्चिम बंगाल	8	12407717	4906673
कुल	88	76544988	30505019
2010-2011			
आंध्र प्रदेश	8	7065950	1722750
बिहार	1	1495175	0
दिल्ली	6	8842500	0
गुजरात	4	2395000	0
त्रिपुरा	1	167300	77100
केरल	2	900000	0
राजस्थान	2	878000	329250
तमिलनाडु	2	5204000	2452000

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	13	7980967	0
पश्चिम बंगाल	1	915838	0
उत्तराखंड	1	450000	0
झारखण्ड	1	449000	336750
कुल	42	36743730	4917850

2011-12-शून्य, क्योंकि कपार्ट का पुनर्गठन शुरू किया गया था।

2012-13 (19.11.2012 तक) शून्य, क्योंकि कपार्ट का पुनर्गठन शुरू किया गया था।

[अनुवाद]

भू-जल का संदूषण

***2. डॉ. रत्ना डे.:**
श्री यशवीर सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में भू-जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई;

(ख) क्या सरकार को गंगा-क्षेत्र के भू-जल में भारी धातुओं और घातक रसायनों के मौजूद होने के संबंध में राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम की हाल ही की रिपोर्ट की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति के लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सहित अनेक राज्य भू-जल में आर्सेनिक और अन्य नुकसानदायक तत्वों की मौजूदगी से बुरी तरह प्रभावित हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकार्य मानकों की तुलना में इन क्षेत्रों में संदूषण का स्तर कितना है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत आवंटित निधि का 20% जल गुणवत्ता समस्यओं के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया गया है कि राज्य, भूजल एवं सतही जल की जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत जारी की गई निधि के 67% तक हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आवंटन, जारी की गई राशि और व्यय का पिछले तीन वर्ष एवं चालू वर्ष का राज्यवार ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग सूचना एवं अनुसंधान केन्द्र ने सूचित यिका है कि गंगा क्षेत्र में भूजल में भारी धातुओं एवं खतरनाक रसायनों की उपस्थिति के संबंध में राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम द्वारा आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) जी, हां। कुछ राज्य भूजल में आर्सेनिक और अन्य हानिकारक तत्वों की उपस्थिति से प्रभावित हैं। तथापि, महाराष्ट्र आर्सेनिक के अतिरिक्त अन्य हानिकारक तत्वों की अधिकता से प्रभावित है।

(घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के निष्कर्षों के अनुसार आठ राज्यों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 0.01 मि.ग्राम/ लीटर के मानक से अधिक आर्सेनिक सांद्रता है। इसके अतिरिक्त 19 राज्यों में फ्लोराइड की उच्च सांद्रता, 20 राज्यों में नाइट्रेट की उच्च सांद्रता और 23 राज्यों में लौह की उच्च सांद्रता

पाई गई है। 13 राज्यों में अलग-अलग क्षेत्रों में भूजल में भारती धातुओं जैसे सीसा, क्रोमियम, कैडमियम और मैगनीज की उपस्थिति के संबंध में रिपोर्टें भी हैं। आर्सेनिक, फ्लोराइट और लौह अधिकतर प्राकृतिक भूविज्ञानीय घटनाओं के कारण होते हैं। नाइट्रेट और भारी धातुएं प्राकृतिक घटनाओं एवं मानवीय क्रियाकलापों जैसे खनन, उद्योग तथा अपशिष्ट निस्तारण से होती हैं।

(ङ) चूंकि प्रदूषित जलभृतों का स्वस्थाने उपचार मुश्किल होता है, इसलिए अधिकतर सुधारात्मक उपाय जल आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करने के लिए किये जा रहे हैं सीजीडब्ल्यूबी ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और हरियाणा राज्यों में उन जलभृतों को अभिज्ञात करने में सहयोग किया है जो संदूषण मुक्त हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आवंटन, जारी की गई राशि और व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		आवंटन	जारी की गई	व्यय*	आवंटन	जारी की गई	व्यय*	आवंटन	जारी की गई	व्यय*	आवंटन	जारी की गई	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	437.09	537.37	394.45	491.02	558.74	423.38	546.32	462.47	446.37	563.39	238.03	262.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	180.00	178.20	193.80	123.35	199.99	176.46	120.56	184.83	214.31	143.51	66.18	34.31
3.	असम	301.60	323.50	269.34	449.64	487.48	480.55	435.58	522.44	468.61	510.96	226.72	267.74
4.	बिहार	372.21	186.11	279.36	341.46	170.73	425.91	374.98	330.02	367.30	449.36	120.39	166.42
5.	छत्तीसगढ़	116.01	128.22	104.06	130.27	122.01	97.77	143.57	139.06	141.12	145.01	64.50	59.24
6.	गोवा	5.64	3.32	0.50	5.34	0.00	1.16	5.20	5.01	1.16	6.07	0.03	
7.	गुजरात	482.75	482.75	511.83	542.67	609.10	527.29	478.89	571.05	467.70	537.10	381.62	399.06
8.	हरियाणा	207.89	206.89	132.35	233.69	276.90	201.57	210.51	237.74	344.71	245.78	230.95	115.21
9.	हिमाचल प्रदेश	138.52	182.85	160.03	133.71	194.37	165.59	131.47	146.03	145.97	152.04	25.93	43.99
10.	जम्मू और कश्मीर	447.74	402.51	383.49	449.22	468.91	506.52	436.21	420.42	507.07	510.76	233.82	203.15
11.	झारखंड	149.29	111.34	86.04	165.93	129.95	128.19	162.52	148.17	169.84	189.51	85.66	52.08
12.	कर्नाटक	573.67	627.86	473.71	644.92	703.80	573.93	687.11	667.78	782.85	681.57	587.24	136.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	152.77	151.89	150.56	144.28	159.83	137.97	144.43	113.39	126.98	168.89	82.05	40.78
14.	मध्य प्रदेश	367.66	379.66	354.30	399.04	388.33	324.94	371.97	292.78	379.30	438.41	202.90	154.94
15.	महाराष्ट्र	652.43	647.81	625.59	733.27	718.42	713.79	728.35	718.35	642.20	783.66	474.42	179.31
16.	मणिपुर	61.60	38.57	30.17	54.61	52.77	69.27	53.39	47.60	47.03	63.72	27.33	1.03
17.	मेघालय	70.40	79.40	68.57	63.48	84.88	70.47	61.67	95.89	85.44	73.35	33.61	28.03
18.	मिजोरम	50.40	55.26	51.11	46.00	61.58	58.02	39.67	38.83	54.03	41.66	19.26	17.95
19.	नागालैंड	52.00	47.06	71.58	79.51	77.52	80.63	81.68	80.91	81.82	60.42	28.35	23.44
20.	ओडिशा	187.13	226.66	198.87	204.88	294.76	211.11	206.55	171.05	239.60	238.58	104.35	70.09
21.	पंजाब	81.17	88.81	110.15	82.21	106.59	108.93	88.02	123.44	122.32	90.33	83.36	30.56
22.	राजस्थान	1036.46	1012.16	671.29	1165.44	1099.48	852.82	1083.57	1153.76	1429.18	1340.44	626.96	281.14
23.	सिक्किम	21.60	20.60	28.94	26.24	23.20	19.27	28.10	69.19	24.49	18.03	8.38	8.34
24.	तमिलनाडु	320.43	317.95	370.44	316.91	393.53	303.41	330.04	429.55	287.60	294.33	144.60	279.47
25.	त्रिपुरा	62.40	77.40	77.35	57.17	74.66	67.20	56.20	83.86	108.39	64.28	28.90	28.29
26.	उत्तर प्रदेश	959.12	956.36	967.38	899.12	848.68	933.28	843.30	802.32	754.20	878.77	390.94	282.00
27.	उत्तराखंड	126.16	124.90	67.24	139.39	136.41	55.44	136.54	75.57	118.65	158.40	3.78	58.93
28.	पश्चिम बंगाल	372.29	394.30	87.76	418.03	499.19	363.31	343.60	342.51	521.41	462.27	143.96	179.64
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	1.01	• 0.00		0.00	0.00		1.15	0.58	
30.	दादरा और नगर हेवली	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	4.31	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	024	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
34.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00		0.00	0.00		1.75	0.00	
35.	चंडीगढ़				0.40			0.00	0.00		0.00	0.00	
	कुल	7986.43	7989.72	6920.26	8550.00	8941.81	8078.18	8330.00	8474.02	9079.65	9313.50	4664.80	3404.73

*आईएमआईएस के संबंध में 15.11.2012 की स्थिति के अनुसार।

सलाहकार समितियाँ

***3. श्री अर्जुन चरण सेठी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा विभिन्न जोनों/मंडलों के अंतर्गत सलाहकार/परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान गठित ऐसी समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत जोनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 2009 से कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो अब तक ऐसी कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं तथा उनके क्या परिणाम रहे तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सलाहकार समितियों द्वारा दिए गए सुझावों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाएं गए हैं?

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान गठित उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	समिति/परिषद का नाम	अवधि, जिसके लिए गठन किया गया
(i)	राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद (एनआरयूसीसी)	16.09.2009 से 15.09.2011
(ii)	क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (जेडआरयूसीसी)	16.09.2009 से 15.09.2011 और 01.12.2011 से 30.11.2013
(iii)	कोंकण रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री (केआरयूसीसी)	16.09.2009 से 15.09.2011 और 01.12.2011 से 30.11.2013
(iv)	मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (डीआरयूसीसी)	16.09.2009 से 15.09.2011 और 01.10.2011 से 30.09.2013
(v)	मेट्रो रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (एमआरयूसीसी)	27.10.2010 से 26.10.2012

रेलों द्वारा महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर स्थानीय स्तर पर स्टेशन परामर्शदात्री समितियों का गठन किया जाता है। मध्य, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों द्वारा उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों (एसआरयूसीसी) का भी गठन किया जाता है।

(ग) और (घ) दक्षिण पूर्व रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की 2009 से दिनांक 17.02.2010 और 06.07.2012 को दो बैठकें आयोजित की गई हैं। एक बैठक, जो 23.03.2011 को होनी तय हुई थी, को 2011 में पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनावों को देखते हुए रद्द करना पड़ा था। इन दो बैठकों के दौरान, दिए गए सुझावों की जांच की गई थी और 74 सुझाव, जो व्यावहारिक पाए गए थे, पर कार्रवाई भी की गई थी। ये सुझाव गाड़ियों के संवर्धन, अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने, यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने, समयपालन आदि से संबंधित थे।

(ङ) उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों की बैठकें विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाती हैं। बैठक के दौरान समय-सारणी, यात्री सेवाओं/सुविधाओं में सुधार और आम जनता के हित से जुड़े विषयों पर दिए गए सुझाव क्षेत्रीय रेलों/मंडल द्वारा नोट किए जाते हैं। बैठकों के दौरान दिए गए सुझावों की जांच की जाती है और जो व्यावहारिक पाए जाते हैं, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, सुझावों की व्यावहारिकता की जांच करने एवं उन सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आंतरिक बैठकें आयोजित करने हेतु क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विकास

***4. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास और इनकी वृद्धि दर की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अन्य देशों विशेषकर चीन, जहाँ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वैश्विक बाजार पर कब्जा करने में सक्षम हैं, की तुलना में देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत पुरानी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय निरंतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास और वृद्धि की समीक्षा करता है।

(ख) और (ग) मंत्रालय कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के समय-समय पर तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराने के अलावा नियमित अंत:मंत्रालयी और अंतर-मंत्रालयी बैठकों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, उद्योग संघों, वैयक्तिक उद्यमियों, आदि के साथ बैठकों के माध्यम से सुधारात्मक कदमों के साथ क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा करता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर दाखिल हुए उद्यमी ज्ञापनों (ईएम) की संख्या में लगातार वृद्धि, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, एमएसएमई की वृद्धि को प्रतिबिंबित करती है।

वर्ष	दाखिल किए गए उद्यमी ज्ञापनों (भाग II) की संख्या	वृद्धि का प्रतिशत
2007-08	1,74,319	-
2008-09	1,93,077	10.76
2009-10	2,13,894	10.78
2010-11	2,37,263	10.93
2011-12	2,82,496	19.06

(घ) कई क्षेत्रों में, भारतीय एमएसएमई भारतीय स्थितियों में व्यावहारिक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), ऑटोमोटिव कंपोनेंट, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिल्स, आदि जैसे क्षेत्रों में प्रगति की है और एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी, देश के रूप में उभरा है।

(ङ) सूक्ष्म, और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण में सहायता देने के लिए, मंत्रालय क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में भारतीय एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय प्रौद्योगिकी और डिजाइन आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/उन्नयन

***5.** **श्री सी. राजेन्द्रनः**
श्री एम.बी. राजेशः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण/उन्नयन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु जोन-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई/कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) ओडिशा और झारखंड राज्यों में उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनका उन्नयन किया गया है/उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ चयनित शेष स्टेशनों का उन्नयन कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी हां।

(ख) आधुनिकीकरण की विभिन्न योजनाओं तथा मॉडल स्टेशन योजना, मॉडर्न स्टेशन योजना और आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों का उन्नयन शुरू किया गया है। 'मॉडल स्टेशन योजना' (जून, 1999 से नवंबर, 2008 तक) और 'मॉडर्न स्टेशन योजना' (2006-07 और 2007-08) बंद कर दी गई हैं। इस समय, स्टेशनों का उन्नयन 'आदर्श स्टेशन योजना', जो वर्ष, 2009 में शुरु की गई है, के अंतर्गत किया जा रहा है।

(ग) आवंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा स्टेशन-वार नहीं रखा जाता है। इन कार्यों पर होने वाले व्यय का वित्तपोषण 'यात्री सुविधाएं' योजना शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 'यात्री सुविधाएं' योजना शीर्ष के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे-वार आवंटन/व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ओडिशा और झारखंड में मॉडल, मॉडर्न और आदर्श स्टेशन योजनाओं के अंतर्गत पहचाने गए और विकसित किए जा चुके स्टेशन निम्नानुसार हैं:–

ओडिशा

मॉडल स्टेशन योजना	योजना के अंतर्गत पहचाने गए स्टेशन (23)	बडाखंडिता, बालासोर, बालुगांव, ब्रह्मपुर, भद्रक, भुवनेश्वर, बाईरी, कटक, ढेंकानाल, गोलंथरा, जाजपुर-क्योंझर रोड, झारसुगुडा, कपिलास रोड, कशिंगा, खुर्दा रोड, पुरी, रहमा, रायगडा, राउरकेला, संबलपुर, संबलपुर रोड, सुरला रोड और टिटलागढ़।
	योजना के अंतर्गत पहले से विकसित किए जा चुके स्टेशन (22)	बडाखंडिता, बालासोर, बालुगांव, ब्रह्मपुर, भद्रक, भुवनेश्वर, बाईरी, कटक, ढेंकानाल, गोलंथरा, जाजपुर-क्योंझर रोड, झारसुगुडा, कपिलास रोड, कशिंगा, खुर्दा रोड, पुरी, रहमा, रायगडा, राउरकेला, संबलपुर, सुरला रोड और टिअलागढ़।

मॉडर्न स्टेशन योजना	योजना के अंतर्गत पहचाने गए स्टेशन (25)	बालासोर, बालुगांव, बारबिल, बरगढ़ रोड, भद्रक, भुवनेश्वर, बोलनगीर, ब्रह्मपुर, कटक, जाजपुर, क्योंझर रोड, जलेस्वर, झारसुगुडा, कंटाबंजी, कशिंगा, खुर्दा रोड, कोरापुट, खरियार रोड, मुनिगुडा, पुरी, राजगंगपुर, रायगडा, राउरकेला, संबलपुर, तालचर और टिटलागढ़।
	योजना के अंतर्गत पहले से विकसित किए जा चुके स्टेशन (25)	बालासोर, बालुगांव, बारबिल, बरगढ़ रोड, भद्रक, भुवनेश्वर, बोलनगीर, ब्रह्मपुर, कटक, जाजपुर, क्योंझर रोड, जलेस्वर, झारसुगुडा, कंटाबंजी, कशिंगा, खुर्दा रोड, कोरापुट, खरियार रोड, मुनिगुडा, पुरी, राजगंगपुर, रायगडा, राउरकेला, संबलपुर, तालचर और टिटलागढ़।
आदर्श स्टेशन योजना	योजना के अंतर्गत पहचाने गए स्टेशन (36)	अंगल, बखराबाद, बलांगीर, बालासोर, बालुगांव, बांसपानी, बरगढ़ रोड, बारीपदा, बेलपहाड़, भद्रक, ढेंकानाल, दोईकल्लू, हिजली, जाजपुर-क्योंझर रोड, जखोपुरा, जलेस्वर, झारसुगुडा, कंटाबंजी, कशिंगा, खरियार रोड, खुर्दा रोड, कोरापुट, लांझीगढ़ रोड, लापंगा, मेरामंडली, मुनीगुडा, नारायणगढ़, नेकुरसेनी, पारादीप, रघुनाथपुर, रायगडा, रेंगाली, राउरकेला, सोरो, तालचर ओर टिटलागढ़ जंक्शन।
	योजना के अंतर्गत पहले से विकसित किए जा चुके स्टेशन (21)	बलांगीर, बालासोर, बालुगांव, बांसपानी, बरगढ़ रोड, बेलपहाड़, ढेंकानाल, हिजली, जाजपुर-क्योंझर रोड, जलेस्वर, झारसुगुडा, कंटाबंजी, कशिंगा, खरियार रोड, खुर्दा रोड, कोरापुट, मुनीगुडा, पारादीप, रायगडा, राउरकेला और टिटलागढ़ जंक्शन।

झारखंड

मॉडल स्टेशन योजना	योजना के अंतर्गत पहचाने गए स्टेशन (16)	बैद्यनाथधाम, बोकारो स्टील सिटी, चक्रधरपुर, डाल्टनगंज, धनबाद, हटिया, जसीडीह, कोडरमा, मधुपुर, पारसनाथ, रांची, टाटानगर, साहिबगंज, बरहरवा, बरकाकाना और गढ़वा रोड।
	योजना के अंतर्गत पहले से विकसित किए जा चुके स्टेशन (16)	बैद्यनाथधाम, बोकारो स्टील सिटी, चक्रधरपुर, डाल्टनगंज, धनबाद, हटिया, जसीडीह, कोडरमा, मधुपुर, पारसनाथ, रांची, टाटानगर, साहिबगंज, बरहरवा, बरकाकाना और गढ़वा रोड।
मॉडल स्टेशन योजना	योजना के अंतर्गत पहचाने गए स्टेशन (32)	बैद्यनाथधाम, बरहरवा, बानो, बरकाकाना, बोकारो स्टील सिटी, चाईबासा, चक्रधरपुर, चंद्रपुर, डाल्टनगंज, धनबाद, गढ़वा टाउन, घाटशिला, गिरिडीह, गोमो, हैदरनगर, हजारीबाग रोड, हटिया, जपला, जसीडीह, कोडरमा, कुमारधूबी, लोहरदगा, मधुपुर, मनोहरपुर, मूरी, पाकुर, पारसनाथ, रामगढ़, रांची, साहिबगंज, सिनी और टाटानगर।
	योजना के अंतर्गत पहले से विकसित किए जा चुके स्टेशन (26)	बैद्यनाथधाम, बरहरवा, बानो, बोकारो स्टील सिटी, चाईबासा, चक्रधरपुर, डाल्टनगंज, धनबाद, घाटशिला, गिरिडीह, गोमो, हजारीबाग, हटिया, जसीडीह, कुमारधूबी, लोहरदगा, मधुपुर, मनोहरपुर, मूरी, पाकुर, पारसनाथ, रामगढ़, रांची, साहिबगंज, सिनी और टाटानगर।

आदर्श स्टेशन योजना	योजना के अंतर्गत पहचाने गए स्टेशन (20)	बोकारो, चक्रधरपुर, चंद्रपुर, चित्तरंजन, डाल्टनगंज, देवधर, धनबाद, दुमका, गढ़वा रोड़ जंक्शन, गोमो जंक्शन, जगदीशपुर, लोहरदगा, मधुपुर, पाकुर, पारसनाथ, फुसरो, रांची, साहिबगंज, सिल्ली और टाटानगर।
	योजना के अंतर्गत पहले से विकसित किए जा चुके स्टेशन (10)	बोकारो, चक्रधरपुर, चंद्रपुर, चित्तरंजन, गोमो जं., जगदीशपुर, मधुपुर, पारसनाथ, साहिबगंज और टाटानगर।

(ङ) पहचाने गए आदर्श रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के उन्नयन और तत्संबंधी प्रगति पर विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जाती है। इन कार्यों की प्रगति संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अंदर सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

रेलवे	2009-10		2010-11		2011-12			2012-13		
	संशोधित अनुमान	व्यय	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट-अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुदान 2	अक्तूबर, 12 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य	73.05	82.80	72.42	65.00	60.46	47.55	54.77	48.42	32.83	23.55
पूर्व	150.15	122.71	184.22	157.71	141.39	103.69	130.26	150.53	150.53	84.10
पूर्व मध्य	24.04	31.26	57.61	38.72	83.92	39.02	35.82	49.07	31.92	21.61
पूर्व तट	32.89	31.14	23.09	25.72	30.88	18.48	18.52	44.30	32.12	11.51
उत्तर	87.25	80.46	128.45	121.52	85.25	69.94	72.09	59.82	53.03	39.59
उत्तर मध्य	39.02	37.70	44.52	32.68	81.68	46.02	50.44	90.34	58.10	34.15
पूर्वोत्तर	24.25	25.58	21.42	23.78	25.12	17.63	17.24	25.54	16.62	10.19
पूर्वोत्तर सीमा	37.11	35.84	55.68	59.13	50.21	47.11	53.90	77.50	67.15	40.50
उत्तर पश्चिम	20.62	20.23	23.53	18.40	22.07	13.96	15.94	37.77	25.14	8.78
दक्षिण	71.08	80.73	80.78	61.90	54.90	58.98	58.71	71.56	50.41	46.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दक्षिण मध्य	160.76	155.57	106.18	110.46	124.17	81.46	94.76	124.71	85.85	64.35
दक्षिण पूर्व	37.20	33.54	67.12	66.20	71.79	40.00	43.15	69.62	70.07	29.92
दक्षिण पूर्व मध्य	18.09	15.75	19.54	22.60	81.29	44.13	49.65	79.25	50.04	29.87
दक्षिण पश्चिम	36.02	36.37	20.04	12.56	41.87	32.98	36.07	41.48	30.01	25.77
पश्चिम	80.20	90.10	53.97	60.69	79.41	61.98	64.69	61.09	44.41	30.77
पश्चिम मध्य	25.42	23.83	27.05	26.81	38.99	26.98	27.18	52.17	39.25	17.94
मेट्रो	5.75	2.77	11.68	6.94	25.10	12.50	11.24	18.78	11.96	1.58
जोड़	922.90	906.38	997.30	910.82	1100.50	762.41	834.43	1101.95	849.44	521.11

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण/घाटे में चल रहे उद्यम

***6. श्री सुरेश अंगड़ी:**
श्री एम. आनंदन:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पहचान किए गए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों का ब्यौरा क्या है, जो रुग्ण हैं/घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन रुग्ण उद्यमों को लाभ अर्जित करने वाले उद्यम बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बंद होने अथवा रुग्ण होने के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए अथवा अन्यथा प्रभावित हुए; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारत सरकार के दिनांक 6 दिसंबर, 2004 के संकल्प द्वारा गठित लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के अनुसार किसी केन्द्रीय सरकारी उद्यम को रुग्ण माना जाता है यदि इसने किसी वित्तीय वर्ष में उस वित्तीय वर्ष से पिछले के 04 वर्षों के दौरान अपने औसतन निवल मूल्य के 50% के बराबर या इससे अधिक की संचयी हानि की हो और/अथवा कोई केन्द्रीय सरकारी उद्यम, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की परिभाषा के अनुसार रुग्ण हो। लोक उद्यम सर्वेक्षण 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 जिसे क्रमिक वर्षों में संसद में प्रस्तुत किया गया था में उपलब्ध सूचना के अनुसार तथा उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार वर्ष 2008-09 में 73 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यम 2009-10 में 69 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यम तथा 2010-11 में 63 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यम थे। इसके अलावा भारतीय होटल निगम लि. दिनांक 31.3. 2011 तक पिछले तीन वर्षों से लगातार घाटे में चल रहा है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का संबंधित मंत्रालय/विभाग इस केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय

उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय पुनर्संरचना, व्यवसायिक पुनर्संरचना, विस्तार/आधुनिकीकरण/श्रम शक्ति को संगत बनाने के लिए धन लगाने, देयताओं के भुगतान सहित विभिन्न उपाय करता है। इसके अलावा, भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण पुनरुद्धार तथा पुनर्संरचना के लिए सरकार को सलाह देने के लिए दिसंबर, 2004 में लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड का गठन किया था। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंधित मंत्रालय/विभाग मामला दर मामला आधार पर रुग्ण कंपनियों को पुनर्जीवित करने/पुनर्स्थापना करने के लिए प्रस्ताव तैयार करते हैं और लोक उद्यम विभाग के जरिए बीआरपीएसई को उनकी सिफारिशों के लिए तथा बाद में सरकार को उनके अनुमोदन हेतु भेजते हैं।

बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर 31.3.2011 के अनुसार 64 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से सरकार ने 27 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार को अनुमोदित किया जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 19910 करोड़ रुपये की कुल सहायता (4166 करोड़ रुपये की नकद सहायता राशियां देने के रूप में और 15744 करोड़ रुपये की गैर नकद सहायता ब्याज/ऋण समाप्ति/छूट, ऋणों को इक्विटी आदि में परिवर्तन द्वारा) की गई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इन 27 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के रुग्ण होने/बंद होने के कारण बेरोजगार होने या प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता।

विवरण

बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदित 27 रुग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन

		सरकार के अनुमोदन की तिथि	लाभ/घाटा (लाख रुपये में)		
			2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5	6
	फार्मास्युटिकल्स विभाग				
1.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	21.12.2006	-916	-1054	-352
2.	हिंदुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि.	9.3.2006	-4242	-4985	-2209
	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग				
3.	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	9.3.2006	2572	-8308	-2528
	फर्टिलाइजर विभाग				
4.	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	30.3.2006	-4933	-10384	4295
	कोयला मंत्रालय				
5.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	5.10.2006	10657	33340	-210909
	रक्षा उत्पादन विभाग				
6.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.	24.12.2009/23.3.2011	5500	232	-14001

1	2	3	4	5	6
	भारी उद्योग विभाग				
7.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसेल्स लि.	26.11.2007	878	-860	9636
8.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि.	4.5.2005	-49	3	64
9.	एचएमटी बीयरिंग्स लि.	3.11.2005	-2132	-1531	-1107
10.	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	1.2.2007	-9306	-4580	-3717
11.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	11.2.2009	-3656	33362	28259
12.	नेपा लि.	23.8.2007/6.9.2012	-7040	-5533	-4608
13.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.	9.3.2006	-2155	-2738	-3030
14.	स्कूटर्स इंडिया लि.	19.5.2011	-1711	-2801	-2765
15.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	2.6.2006	-2612	-2577	-1844
16.	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	19.4.2007/6.11.2008	-1323	-1467	54115
	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
17.	नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉर्पो. लि.	16.9.2010	169	-713	-1113
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
18.	बीको लारी एंड कंपनी लि.	25.4.2011	375	173	223
	रेल मंत्रालय				
19.	भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि.	26.6.2008/7.2.2008/ 2.7.2009	-999	-908	-863
20.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि.	4.12.2008	183	1163	-8010
21.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.	10.6.2010	116568	-13636	-15759
	पोत परिवहन मंत्रालय				
22.	सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पो. लि.	1.12.2005	-468	-182	-11481
23.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	13.10.2011	-1050	-5442	-5272
	वस्त्र मंत्रालय				
24.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि.	9.6.2011	-5082	-4263	-4403

1	2	3	4	5	6
25.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लि.	19.3.2010/25.11.2010	-12944	678431	-58367
26.	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पो. लि.	2.5.2005	130424	10314	417944
	जल संसाधन मंत्रालय				
27.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.	26.12.2008	2970	3129	-2870

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय मंजूरी

***7. श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण अनेक विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) से पर्यावरण मंजूरी न मिलने के कारण छ: जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) का निर्माण कार्य रुका हुआ है। इन जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से परिभाषित निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की जाती है। सीपीएसयू द्वारा, समय पर पर्यावरणीय मंजूरी नहीं प्राप्त होने के संबंध में कई बार चिंता व्यक्त की गयी है। विद्युत परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी की स्थिति की विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। मंजूरियों को जल्दी दिए जाने के संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा पर्यावरण एवं मंत्रालय के साथ नियमित रूप से बातचीत भी की जाती है। सीपीएसयू तथा अन्य परियोजना विकासकर्ता भी मंजूरियां जल्दी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्तर पर मामले को उठा रहे हैं। पर्यावरण मंजूरियों से संबंधित विशिष्ट मामलों को समाधान के लिए विभिन्न मंचों पर भी उठाया जाता है।

विवरण

पर्यावरण मंजूरी न मिलने के कारण लंबित जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम/स्थिति	राज्य	एजेंसी	पर्यावरण और वन मंत्रालय में स्थिति
1	2	3	4	5
1.	कोलोडाइन-II एचईपीपी (4 × 155 मेगावाट)	मिजोरम	एनटीपीसी	एमओईएफ से विचारार्थ विषय की वैधता को एक वर्ष लिए अर्थात 10.7.2013 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
2.	धौलासिद्ध एचईपी (66 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश	एसजेवीएन	पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रतीक्षित

1	2	3	4	5
3.	लूहरी एचईपी (775 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश	एसजेवीएन	पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रतिक्षित
4.	लोकटक डाउनस्ट्रीम एचईपी परियोजना (66 मेगावाट)	मणिपुर	एनएचपीसी	-वहीं-
5.	तीस्ता-IV परियोजना (520 मेगावाट)	सिक्किम	एनएचपीसी	-वहीं-
6.	गुंडिया चरण-। (200 मेगावाट)	कर्नाटक	केपीसीएल	-वही-

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

***8. श्री बिभू प्रसाद तराई:**
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2011-12 के दौरान देश के विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप प्रभावित ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान देश के विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की मांग और आपूर्ति की संयंत्र-वार और राज्य-वार स्थिति क्या रही;

(ग) क्या सरकार को वर्ष 2012-13 के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए कोयले के आयात के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई पेश आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया गया है; और

(ङ) देश के विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) विद्युत यूटिलिटियों ने रिपोर्ट दी है कि वर्ष 2011-12 के दौरान कोयले की कमी के कारण 11.63 बिलियन यूनिट की उत्पादन हानि हुई है। विद्युत यूटिलिटियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, कोयले की कमी के कारण हुई स्टेशनवार उत्पादन हानि संलग्न विवरण-I में दी गई है। संयंत्र तथा राज्यवार कोयला आवश्यकता और उसकी प्राप्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) विद्युत यूटिलिटियां (केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) आयात लक्ष्य के स्तर तक कोयले का आयात करने में समर्थ नहीं हुई हैं।

अप्रैल-अक्तूबर, 2012 के दौरान, विद्युत यूटिलिटियों द्वारा आयातित कोयले के साथ मिश्रित किए जाने के लिए, 46 मिलियन टन के वार्षिक आयात लक्ष्य की तुलना में 16.287 मिलियन टन कोयले का आयात किया गया है।

(ङ) देश में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम निम्नलिखित हैं—

(i) सीआईएल द्वारा विद्युत यूटिलिटियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार पर शीघ्र हस्ताक्षर करने के लिए कोयला मंत्रालय के साथ नियमित रूप से बातचीत।

(ii) कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया जा रहा है।

(iii) कैप्टिव कोयला ब्लॉक आबंटियों से मौजूदा खानों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने पर बल देना और नए कोयला ब्लॉकों को शीघ्रता से चालू करना।

(iv) कोयले की आवश्यकता तथा घरेलू स्रोतों से इसकी उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए, तकनीकी रूप से संभाव्य सीमा तक कोयले का आयात।

विवरण-I

2011-12 में कोयले की कमी के कारण विद्युत यूटिलिटी द्वारा सूचित उत्पादन हानि

क्र.सं.	विद्युत यूटिलिटी	ताप विद्युत केंद्र	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन हानि (मिलियन यूनिट)
1	2	3	4	5
1.	एनटीपीसी	उंचाहार	1,050	132.1
		दादरी (एनसीपीपी)	1,820	191.5
		कहलगांव एसटीपीएस	1,340	4,820.5
		सिंगरौली एसटीपीएस	2,000	187.6
		रिहंद एसटीपीएस	2,000	152.1
		फरक्का एसटीपीएस	1,600	195.1
		विंध्याचल एसटीपीएस	3,260	749.0
		तलचर एसटीपीएस	3,000	383.6
		रामागुंडम	2,600	546.2
		सिम्हाद्री	1,500	498.6
		बदरपुर	705	13.6
2.	आरबीएनएल	छाबरा	500	138.5
3.	एपीपीजीसीएल	सतपुरा	1,143	216.7
		संजय गांधी	1,340	94.0
4.	एमएसपीजीसीएल	खापड़खेडा II	1,340	36.5
		पार्ली	1,130	594.4
		पारस	500	109.8
5.	एपीजेनको	रायलसीमा	1,050	17.0
		काकतीया	500	28.0
		कोथागुडेम	1,720	53.0
6.	डीवीसी	मेजिया	1,340	950.9
		चंद्रपुर	890	96.0
7.	बीएसइबी	बरौनी	210	51.1

1	2	3	4	5
8.	केपीपीएल	रायचुर	1,720	52.2
9.	एपीसीपीएल	इंदिरा गांधी	1,000	2.0
10.	जीएसइसीएल	वानकबोरी	1,470	9.3
		गांधीनगर	870	1.6
11.	सीएलपी	महात्मा गांधी	1,320	11.9
12.	लैंको	अनपारा	1,200	1,023.8
13.	टीवीएनएल	तेनुघाट	420	275.0
	कुल			11,631.6

आरवीएनएल राजस्थान विद्युत उत्पादन निगन लिमिटेड

एमपीपीजीसीएल मध्य प्रदेश पावर जेनेरेशन कं. लि.

एमएसपीजीसीएल महाराष्ट्र राज्य पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लि.

एपीजेनको आंध्र प्रदेश पावर जेन. कॉर्पो. लि.

डीबीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन

बीएसइबी बिहार राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

केपीसीएल कर्नाटक पावर कॉर्पो. लि.

एपीसीपीएल अरावली पावर कं. प्रा. लि.

जीएसइसीएल गुजरात स्टेट इले. कॉर्पो. लि.

सीएलपी चीन लाईट एंड पावर

टीवीएनएल तेनुघाट विद्युत निगम लि.

विवरण-II

2011-12 के दौरान कोयला आवश्यकता एवं प्राप्ति का संयंत्रवार एवं राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/विद्युत संयंत्र	क्षमता (मेगावाट)	आवश्यकता	प्राप्ति (घरेलू)	प्राप्ति (आयात)	कुल प्राप्ति
			आंकड़ें हजार टन में			
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
दिल्ली						
1.	राजघाट टीपीएस	135.0	813	679	0	679
2.	बदरपुर टीपीएस	705.0	4,398	4,061	23	4,084
	उप जोड़	840.0	5,211	4,740	23	4,763

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा						
3.	पानीपत टीपीएस	1,360.0	7,500	7,822	475	8,297
4.	यमुना नगर टीपीएस	600.0	2,802	1,958	201	2,159
5.	राजीव गांधी टीपीएस	1,200.0	5,544	3,898	600	4,498
6.	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1,000.0	2,976	1,967	364	2,331
7.	महात्मा गांधी टीपीएस	1,320.0	433	239	0	239
	उप जोड़	5,480.0	19,255	15,884	1,640	17,524
पंजाब						
8.	जीएच टीपीएस (लेहरा मो.)	920.0	4,500	4,559	0	4,559
9.	रोपर टीपीएस	1,260.0	7,002	6,108	0	6,108
10.	जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	440.0	1,800	1,407	0	1,407
	उप जोड़	2,620.0	13,302	12,074	0	12,074
राजस्थान						
11.	कोटा टीपीएस	1,240.0	6,999	6,025	497	6,522
12.	सुरतगढ़ टीपीएस	1,500.0	7,200	6,539	451	6,990
13.	छाबड़ा टीपीपी	500.0	2,202	1,338	91	1,429
	उप जोड़	3,240.0	16,401	13,902	1,039	14,941
उत्तर प्रदेश						
14.	अनपारा टीपीएस	1,630.0	8,802	8,379	0	8,379
15.	हरदुआगंज टीपीएस	665.0	957	466	0	466
16.	ओबरा टीपीएस	1,278.0	4,800	3,716	0	3,716
17.	पनकी टीपीएस	210.0	1,200	798	0	798
18.	परीछा टीपीएस	890.0	3,198	2,451	0	2,451
19.	दादरी (एनसीटीपीपी)	1,820.0	9,198	7,121	1,684	8,805
20.	रिहंद एसटीपीएस	2,500.0	11,100	10,377	423	10,800
21.	सिंगरौली एसटीपीएस	2,000.0	11,298	10,923	167	11,090
22.	टांडा टीपीएस	440.0	2,700	2,793	69	2,862
23.	उंचाहार टीपीएस	1,050.0	6,102	5,194	264	5,458

1	2	3	4	5	6	7
24.	रोजा टीपीएस फेज-I	1,200.0	3,000	1,925	569	2,494
25.	अनपारा सी टीपीएस	1,200.0	2,260	543	43	586
26.	बारखेरा टीपीएस	90.0	120	88	0	88
27.	मकसूदपूर टीपीएस	90.0	120	70	0	70
28.	खांबरखेड़ा टीपीएस	90.0	120	89	0	89
29.	कुंडारकी टीपीएस	90.0	120	34	0	34
30.	उतरौला टीपीएस	90.0	120	10	0	10
	उप जोड़	15,333.0	65,215	54,977	3,219	58,196
	कुल उत्तरी क्षेत्र	27,513.0	119,384	101,577	5,921	107,498
पश्चिमी क्षेत्र						
छत्तीसगढ़						
31.	डीएसपीएम टीपीएस	500.0	3,000	2,378	0	2,378
32.	कोरबा-II	440.0	3,000	2,924	0	2,924
33.	कोरबा वेस्ट टीपीएस	840.0	4,998	5,018	0	5,018
34.	कोरबा एसटीपीएस	2,600.0	13,002	12,428	232	12,660
35.	सिपत एसटीपीएस	2,980.0	6,000	7,424	83	7,507
36.	पथाडी टीपीपी	600.0	3,000	2,444	23	2,467
37.	भिलाई टीपीएस	500.0	2,700	2,421	178	2,599
38.	ओपी जिंदल टीपीएस	1,000.0	5,074	4,661	0	4,661
	उप जोड़	9,460.0	40,774	39,698	516	40,214
गुजरात						
39.	मुंद्रा टीपीएस	4,620.0	6,561	48	7,289	7,337
40.	गांधी नगर टीपीएस	870.0	4,902	3,345	474	3,819
41.	उकाईटीपीएस	850.0	4,200	3,941	110	4,051
42.	सिक्का टीपीएस	240.0	1,308	840	0	840
43.	वानकबारी टीपीएस	1,470.0	7,800	7,425	68	7,493

1	2	3	4	5	6	7
44.	साबरमती (सी स्टेशन)	400.0	2,202	1,308	576	1,884
	उप जोड़	8,450.0	26,973	16,907	8,517	25,424
मध्य प्रदेश						
45.	अमरकंटक एक्स टीपीएस	450.0	1,800	2,024	0	2,024
46.	संजय गांधी टीपीएस	1,340.0	6,402	6,089	104	6,193
47.	सतपुरा टीपीएस	1,142.5	6,198	5,807	282	6,089
48.	विंध्याचल एसटीपीएस	3,760.0	18,702	17,397	779	18,176
	उप जोड़	6,692.5	33,102	31,317	1,165	32,482
महाराष्ट्र						
49.	ट्रांबे टीपीएस	1,250.0	2,595	0	2,571	2,571
50.	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरि टीपीपी	1,200.0	3,630	0	3,889	3,889
51.	भुसावल टीपीएस	1,420.0	2,598	2,409	305	2,714
52.	चंद्रपुर एसटीपीएस	2,340.0	13,800	9,395	588	9,983
53.	खापड़खेड़ा टीपीएस	1,340.0	5,400	4,806	435	5,241
54.	कोराडीटीपीएस	1,040.0	4,852	4,686	19	4,705
55.	नासिक टीपीएस	630.0	4,698	3,687	607	4,294
56.	पार्ली टीपीएस	1,130.0	5,940	4,621	449	5,070
57.	पारस टीपीएस	500.0	2,182	2,569	0	2,569
58.	दहानु टीपीएस	500.0	3,195	2,053	778	2,831
59.	वर्धा वरोरा टीपीएस	540.0	2,248	2,003	175	2,178
	उप जोड़	11,890.0	51,138	36,229	9,816	46,045
	कुल पश्चिमी क्षेत्र	36,492.5	151,987	124,151	20,014	144,165
दक्षिणी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश						
60.	डॉ. एन टाटा राओ टीपीएस	1,760.0	9,000	8,556	1,278	9,834
61.	कोथागुडेम टीपीएस	1,720.0	7,215	8,240	200	8,440
62.	रामागुंडम बी टीपीएस	62.5	348	337	0	337

1	2	3	4	5	6	7
63.	रायलसीमा टीपीएस	1,050.0	5,700	5,127	320	5,447
64.	रामागुंडम एसटीपीएस	2,600.0	13,200	12,479	426	12,905
65.	सिम्हाद्री एसटीपीएस	2,000.0	7,998	6,561	1,124	7,685
66.	काकतीया टीपीएस	500.0	1,998	1,636	0	1,636
	उप जोड़	9,692.5	45,459	42,936	3,348	46,284
कर्नाटक						
67.	उडुपी टीपीएस	1,200.0	3,618	0	1,543	1,543
68.	तोरांगुलु टीपीएस (एसबीयू-1)	860.0	2,361	0	2,102	2,102
69.	रायचुर टीपीएस	1,720.0	8,625	6,444	1,217	7,661
70.	बेल्लारी टीपीएस	1,000.0	3,000	2,096	32	2,128
	उप जोड़	4,780.0	17,604	8,540	4,894	13,434
तमिलनाडु						
71.	इन्नौर टीपीएस	450.0	2,798	1,120	0	1,120
72.	मेट्टूर टीपीएस	840.0	4,698	4,037	1,066	5,103
73.	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	630.0	3,600	2,440	669	3,109
74.	तूतीकोरिन टीपीएस	1,050.0	6,407	4,665	1,394	6,059
	उप जोड़	2,970.0	17,503	12,262	3,129	15,391
	कुल दक्षिणी क्षेत्र	17,442.5	80,566	63,738	11,371	75,109
पूर्वी						
बिहार						
75.	बरौनी टीपीएस	210.0	402	163	0	163
76.	मुजफ्फरपुर टीपीएस	220.0	600	187	0	187
77.	कहलगांव टीपीएस	2,340.0	13,998	9,887	1,664	11,551
	उप जोड़	2,770.0	15,000	10,237	1,664	11,901
झारखंड						
78.	पतरातू टीपीएस	770.0	1,002	415	0	415
79.	तेनुघाट टीपीएस	420.0	1,596	1,720	0	1,720

1	2	3	4	5	6	7
80.	बोकारो बी टीपीएस	630.0	3,102	2,809	0	2,809
81.	चंद्रपुरा टीपीएस	890.0	2,802	2,991	0	2,991
82.	मैथन आरबी टीपीएस	1,050.0	1,461	889	0	889
83.	कोडरमा टीपीएस	500.0	630	0	0	0
	उप जोड़	4,260.0	10,593	8,824	0	8,824
ओडिशा						
84.	आईबी वैली टीपीएस	420.0	2,700	2,611	3	2,614
85.	तलचर (ओल्ड) टीपीएस	470.0	3,000	3,042	7	3,049
86.	तलचर एसटीपीएस	3,000.0	18,180	13,478	3,128	16,606
87.	स्टर्लाइट टीपीएस	2,400.0	6,000	5,022	0	5,022
	उप जोड़	6,290.0	29,880	24,153	3,138	27,291
प. बंगाल						
88.	दुर्गापुर टीपीएस	340.0	1,563	1,520	0	1,520
89.	मेजिया टीपीएस	2,340.0	10,005	7,398	0	7,398
90.	बकरेश्वर टीपीएस	1,050.0	6,210	4,860	286	5,146
91.	बंडेल टीपीएस	450.0	1,698	1,470	131	1,601
92.	डीपीएल टीपीएस	630.0	2,668	1,627	0	1,627
93.	कोलाघाट टीपीएस	1,260.0	6,300	5,875	365	6,240
94.	सागरदीघी टीपीएस	600.0	2,700	2,769	181	2,950
95.	संतालडीह टीपीएस	980.0	2,202	1,687	77	1,764
96.	बज-बज टीपीएस	750.0	3,300	3,209	414	3,623
97.	नई कोसीपुर टीपीएस	160.0	450	271	0	271
98.	सदर्न रिप्लेसमेंट टीपीएस	135.0	798	685	0	685
99.	टीटागढ़ टीपीएस	240.0	1,302	1,066	0	1,066
100.	फरक्का एसटीपीएस	2,100.0	10,998	5,645	1,666	7,311
101.	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1,000.0	630	0	0	0
	उप जोड़	12,035.0	50,824	38,082	3,120	41,202
	उप जोड़ पूर्वी क्षेत्र	25,355.0	106,297	81,296	7,922	89,218
	कुल अखिल भारतीय	106,803.0	458,234	370,762	45,228	415,990

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

***9. श्री मंगनी लाल मंडलः**
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में बड़ी संख्या में गांवों का अब तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो देश में उन गांवों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शेष परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विद्युतीकृत न किए गए सभी गांवों का विद्युतीकरण करने तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को, बिजली का कनेक्शन प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवई) के अंतर्गत, आरजीजीवीवाई के चरण-1 में 1,10,886 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों (यूईवी) के विद्युतीकरण, 3,42,831 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों (पीईवी) के गहन विद्युतीकरण तथा 2,29,39,511 गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) घरों को विद्युत कनैक्शन जारी किये जाने को शामिल करते हुए 576 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इनमें से 31.10.2012 तक, 1,05,948 यूईवी तथा 2,72,140 पीईवी में विद्युतीकरण कार्य पूरे किये जा चुके हैं तथा 2,01,99,292 बीपीएल घरों को विद्युत कनैक्शन जारी किये जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त, आरजीजीवीवाई के चरण-2 में 2011-12 के दौरान भी, 1909 यूईवी, 53,505 पीईवी 53,505 पीईवी के विद्युतीकरण तथा 45,59,141 बीपीएल घरों को विद्युत कनैक्शन जारी किये जाने को शामिल करते हुए 72 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। यूईवी पीईवी तथा बीपीएल घरों के विद्युतीकरण के राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I पर संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्यों द्वारा आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्रस्तुत तथा क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या 1,12,795 है तथा इनमें से 1,05,948 गांवों में कार्य पूरे किये जा चुके हैं। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों में पूरे किये गये तथा शेष बचे कार्यों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-II पर संलग्न हैं।

(घ) 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार, देश में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 26253.36 करोड़ रुपये की पूंजीगत राजसहायता जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राजसहायता जारी किये जाने के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-III पर संलग्न हैं।

(ङ) 12वीं योजना में शेष बचे सभी गांवों/आवासों/बीपीएल घरों को शामिल किये जाने के लिए आरजीजीवीवाई को जारी रखे जाने का मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है।

विवरण-I

31.10.2012 तक

क्र.सं.	राज्य	गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण		आंशिक विद्युतीकृत गांवों की सघन विद्युतीकरण		बीपीएल कनेक्शन जारी करना	
		कवरेज**	संचित उपलब्धि	कवरेज**	संचित उपलब्धि	कवरेज**	संचित उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश*	0	0	27477	26324	2484665	2702911

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	2106	1479	1760	881	40726	24056
3.	असम	8326	7955	12984	12037	1150597	866273
4.	बिहार	23850	22503	19244	4898	5659338	2271263
5.	छत्तीसगढ़	1594	926	17291	11515	987834	941977
6.	गुजरात*	0	0	17667	16291	742094	821568
7.	हरियाणा*	0	0	6511	4687	257273	194442
8.	हिमाचल प्रदेश	95	79	10650	1059	13196	14339
9.	जम्मू और कश्मीर	239	169	4442	2710	81217	49769
10.	झारखंड	19071	18073	7106	5709	1803377	1282205
11.	कर्नाटक	61	61	28119	24653	978219	853295
12.	केरल*	0	0	1272	181	74571	52159
13.	मध्य प्रदेश	843	549	49537	21716	1816898	890837
14.	महाराष्ट्र*	0	0	41739	36713	1202882	1175086
15.	मणिपुर	882	616	1378	534	107369	28814
16.	मेघालय	1866	1385	3239	1967	109696	75403
17.	मिजोरम	137	94	570	346	27417	15144
18.	नागालैंड	105	84	1140	1040	69899	34231
19.	ओडिशा	14715	14285	29324	23296	3045979	2780762
20.	पंजाब*	0	0	11840	0	148860	64051
21.	राजस्थान	4339	4064	34783	31805	1224417	1102915
22.	सिक्किम	25	25	418	382	11458	9695
23.	तमिलनाडु*	0	0	10738	9673	527234	501202
24.	त्रिपुरा	148	143	658	569	107506	90749

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	उत्तर प्रदेश	28439	27762	22980	2982	1907419	1042593
26.	उत्तराखंड	1512	1511	9160	9028	238522	230558
27.	पश्चिम बंगाल	4442	4185	24309	21144	2679989	2082995
	कुल	112795	105948	396336	272140	27498652	20199292

*आंध्र प्रदेश, गुजरात हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में इन राज्यों द्वारा डीपीआरएस में किसी भी गैर-विद्युतीकृत गांव का प्रस्ताव नहीं किया गया।

**आरजीजीवीवाई योजना के चरण-II के अंतर्गत संस्वीकृत 1909 गैर/निर्विद्युतीकृत गांव और 53505 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव और 72 परियोजनाओं के 45, 59, 141 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल है।

विवरण-II

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संशोधित कवरेज एवं विद्युतीकरण की उपलब्धि

31.10.2012 तक

क्र.सं.	राज्य का नाम	अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण		
		संशोधित कवरेज**	संचित उपलब्धि	बकाया
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश*	0	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	2106	1479	627
3.	असम	8326	7955	371
4.	बिहार	23850	22503	1347
5.	छत्तीसगढ़	1594	926	668
6.	गुजरात*	0	0	0
7.	हरियाणा*	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	95	79	16
9.	जम्मू और कश्मीर	239	169	70
10.	झारखंड	19071	18073	998
11.	कर्नाटक	61	61	0
12.	केरल*	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	843	549	294

1	2	3	4	5
14.	महाराष्ट्र*	0	0	0
15.	मणिपुर	882	616	266
16.	मेघालय	1866	1385	481
17.	मिजोराम	137	94	43
18.	नागालैंड	105	84	21
19.	ओडिशा	14715	14285	430
20.	पंजाब*	0	0	0
21.	राजस्थान	4339	4064	275
22.	सिक्किम	25	25	0
23.	तमिलनाडु*	0	0	0
24.	त्रिपुरा	148	143	5
25.	उत्तर प्रदेश	28439	27762	677
26.	उत्तराखंड	1512	1511	1
27.	पश्चिम बंगाल	4442	4185	257
	कुल	112795	105948	6847

*आंध्र प्रदेश, गुजरात हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में इन राज्यों द्वारा डीपीआरएस में किसी भी गैर-विद्युतीकृत गांव का प्रस्ताव नहीं किया गया तथापि इन राज्यों में पहले से ही विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है।

**आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत संस्वीकृत 72 परियोजनाओं में 1909 गैर/निर्विद्युतीकृत गांव शामिल हैं।

विवरण-II

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में जारी सब्सिडी का राज्यवार विवरण

क्र.सं	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31 अक्टू. 2012 तक)	कुल जारी सब्सिडी 2009-10 में जारी सब्सिडी सहित
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश*	153.22	141.90	25.68	6.37	721.31
2.	अरूणाचल प्रदेश	223.24	165.54	40.01	24.65	700.71
3.	असम	450.17	628.65	491.36	50.47	2140.48

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	622.05	520.05	260.70	0.00	3489.07
5.	छत्तीसगढ़	333.55	163.65	119.84	17.82	838.99
6.	गुजरात*	86.24	72.07	27.10	1.26	259.17
7.	हरियाणा*	53.94	18.40	19.15	0.00	158.95
8.	हिमाचल प्रदेश	110.14	53.83	19.10	0.00	261.35
9.	जम्मू और कश्मीर	327.72	60.57	68.41	36.76	700.05
10.	झारखंड	688.65	144.62	111.57	69.03	2747.06
11.	कर्नाटक	63.16	55.85	43.16	5.95	656.08
12.	केरल*	9.38	28.88	0.00	22.84	81.55
13.	मध्य प्रदेश	383.30	255.79	384.30	139.48	1566.13
14.	महाराष्ट्र*	181.50	147.31	49.43	10.36	527.44
15.	मणिपुर	57.11	85.97	71.48	0.00	266.48
16.	मेघालय	116.83	77.83	94.06	27.03	344.62
17.	मिजोरम	73.03	70.28	0.00	0.00	214.26
18.	नागालैंड	53.46	55.36	25.49	11.57	203.38
19.	ओडिशा	889.48	542.98	360.33	55.22	2963.04
20.	पंजाब*	0.00	0.00	0.00	0.00	54.44
21.	राजस्थान	140.97	74.30	200.11	27.20	992.11
22.	सिक्किम	40.46	39.19	36.64	0.00	155.58
23.	तमिलनाडु*	106.01	38.66	36.31	0.00	285.22
24.	त्रिपुरा	47.49	29.26	48.30	10.60	157.64
25.	उत्तर प्रदेश	172.97	68.32	85.95	27.75	3060.37
26.	उत्तराखंड	92.28	9.69	0.00	16.69	614.81
27.	पश्चिम बंगाल	520.35	448.89	154.30	7.68	2093.07
	सकल योग	5996.70	3997.83	2772.81	568.73	26253.36

उर्वरकों की उपलब्धता

***10. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न उर्वरकों की मांग, उत्पादन, आपूर्ति, आयात और खपत कितनी-कितनी है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों के आयात पर राज्य और उर्वरक-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या देश के विभिन्न राज्यों में उर्वरकों की आपूर्ति कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से उर्वरकों की अतिरिक्त आपूर्ति की मांग की है/अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को उनकी मांग/अनुरोध के अनुरूप उर्वरकों की समय पर आपूर्ति करने और उर्वरकों का आयात कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) देश में पिछले तीन वर्षों और अप्रैल 2012 से अक्तूबर 2012 तक मौजूदा वर्ष के दौरान यूरिया, डीएपी, एनपीके और एमओपी की आवश्यकता (मांग) और उपलब्धता (आपूर्ति) इस प्रकार है:

आंकड़े लाख मी.टन.में (एलएमटी)

वर्ष		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर 2012 तक)
यूरिया	आवश्यकता	281.90	290.79	303.50	179.97
	उपलब्धता	265.97	284.62	296.64	165.87
	बिक्री	264.48	282.23	292.74	162.36
डीएपी	आवश्यकता	106.98	120.92	125'.75	87.17
	उपलब्धता	104.09	113.09	116.02	63.77
	बिक्री	103.92	112.87	111.87	52.40
एनपीके	आवश्यकता	87.73	92.00	106.90	67.34
	उपलब्धता	83.38	104.39	124.14	52.28
	बिक्री	82.03	102.98	113.75	45.17
एमओपी	आवश्यकता	43.85	47.80	47.92	27.30
	उपलब्धता	47.60	39.83	31.60	15.94
	बिक्री	46.74	38.91	29.79	12.74

आवश्यकता (मांग) और उपलब्धता (आपूर्ति) का राज्यवार और उर्वरक-वार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

सरकारी खाते से यूरिया के आयात और इन पर खर्च की गयी राशि का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	एसटीई* के द्वारा		ओमिफ्को** से	
	मात्रा (लाख मी. टन)	मूल्य (लगभग मिलियन डॉलर में)	मात्रा (लाख मी. टन)	मूल्य (लगभग मिलियन डॉलर में)
2009-10	31.48	872.45	20.62	340.20
2010-11	45.46	1488.27	20.64	344.23
2011-12	57.65	2777.40	20.69	445.08
2012-13 (अक्तूबर 2012 तक)	29.62	1290.84	10.52	285.29

*एसटीई - राज्य व्यापार उद्यम ,नामत: राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) धातु एवं खनिज व्यापार निगम (एमएमटीसी) और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आइपीएल)

**ओमिफ्को - ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी, सुर, ओमान

चूंकि पीएंडके उर्वरकों की खरीद विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों द्वारा की जाती है, अत: सरकार उनके आयात पर कोई राशि खर्च नहीं करती है। तथापि, सरकार प्रति मी. टन उर्वरक की नियत प्रदान करती है।

यूरिया के अलावा, उर्वरक अर्थात् पीएंडके उर्वरकों को खुले सामान्य लाइसेन्स (ओजीएल) के अंतर्गत आयात किया जाता है और इस प्रकार आयात की गयी मात्राओं को उनके वितरण नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न राज्यों में वितरित किया जाता है पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयातित पीएंडके उर्वरकों की गुणवत्ता की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	डीएपी	एमएपी	टीएसपी	एनपीके	एमओपी
2009-10	58.89	1.93	0.87	-	40.77
2010-11	74.11	1.88	0.98	9.81	45.00
2011-12	69.05	4.94	1.60	36.73	26.94
2012-13 (अक्तूबर 2012 तक)	50.62	1.52	0.00	4.05	17.93

देश में विभिन्न उर्वरकों के उत्पादन का राज्य-वार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण II, III, और IV में दिया गया है।

(ख) और (ग) जैसाकि उपर्युक्त तालिका और अनुलग्नकों से देखा जा सकता है, यूरिया, डीएपी और एनपीके की उपलब्धता पर्याप्त थी। जहां तक एमओपी की उपलब्धता और बिक्री का संबंध है, वर्ष 2010-11 की तुलना में यह वर्ष 2011-12 के दौरान एमओपी व्यापारियों द्वारा सारणीबद्ध होने के कारण यह कम थी। इसके परिणामस्वरूप, आयातकों द्वारा अगस्त, 2011 तक एमओपी के लिए संविदा नहीं की जा सकी थी। तत्पश्चात्, सितम्बर 2011 माह में एमओपी के लिए अनुबंध किया गया था। इसके बाद वर्ष 2012-13 के दौरान एमओपी के मूल्यों में वृद्धि हुई जिसके कारण मांग में कमी हुई है।

(घ) कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) प्रत्येक उर्वरक की राज्य-वार आवश्यकता प्रदान करता है और तदनुसार इसकी आपूर्ति की जाती है। डीएसी उर्वरक विभाग (डीओएफ), रेल मंत्रालय तथा राज्य अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित वीडियो सम्मेलन का आयोजन करता है तथा उर्वरकों की किसी अतिरिक्त आपूर्ति के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुसार उपचारी कार्रवाई की जाती है।

(ङ) सरकार देश में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यूरिया के उत्पादन को हमेशा बढ़ावा देती रही है। सरकार ने नया निवेश आकर्षित करने के लिए 4 सितंबर, 2008 को यूरिया हेतु एक नई नीति घोषित की थी। यह नीति उपयुक्त न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों सहित आयात सममूल्य बैंचमार्क (आईपीपी) पर आधारित है जिसका उद्देश्य मौजूदा यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार, विस्तार, पुनरुत्थान करना और ग्रीनफील्ड परियोजनाएं लगाना है। इस नीति में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। देश फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। सरकार ने स्वेदशी उत्पादकों को आयात सम-मूल्य की अनुमति देकर पीएण्डके क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने की पहल की है। सरकार ने फॉस्फोरिक एसिड पर सीमा शुल्क को भी कम करके 5% से 2% कर दिया है ताकि पीएण्डके उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादक इस महत्वपूर्ण आदान का युक्तिसंगत मूल्य पर प्राप्त कर सकें। सरकार विदेश में संयुक्त उद्यम की संभावनाओं की तलाश करने के लिए भी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा दे रही है ताकि पीएण्डके क्षेत्र को उर्वरक आदानों की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 से 2012-13 (अक्टूबर 2012 तक) यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की राज्य-वार बिक्री

(आंकड़े लाख मी. टन में)

राज्य का नाम		यूरिया			डीएपी			एमओपी			मिश्रित		
	वर्ष	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	2009-10	27.50	26.16	25.95	9.75	8.89	8.85	6.60	6.07	6.01	20.50	18.69	18.15
	2010-11	28.50	31.73	31.30	11.00	10.40	10.30	6.60	6.09	6.04	20.50	22.12	21.88
	2011-12	31.00	29.87	29.34	12.30	10.89	10.39	6.60	4.44	3.82	22.30	25.73	23.58
	2012-13	19.50	17.95	17.51	8.30	4.73	3.73	4.00	2.24	1.78	13.00	11.90	10.18
कर्नाटक	2009-10	13.15	13.77	13.77	8.20	8.46	8.46	5.15	6.12	6.08	11.20	10.95	10.76
	2010-11	14.00	14.28	14.28	8.60	8.46	8.42	5.65	4.24	4.14	11.20	13.78	13.51
	2011-12	14.60	14.53	14.45	8.75	9.39	9.06	5.65	3.82	3.64	13.10	17.34	16.40
	2012-13	9.40	8.80	8.59	6.75	2.64	1.95	3.47	2.15	1.65	8.65	6.06	4.92
	2009-10	1.63	1.53	1.53	0.35	0.30	0.30	1.54	1.57	1.54	1.90	2.12	2.05
केरल	2010-11	1.90	1.44	1.44	0.35	0.42	0.41	1.55	1.58	1.56	2.50	2.28	2.22
	2011-12	1.90	1.50	1.49	0.47	0.44	0.41	1.80	1.51	1.42	2.55	2.20	1.99
	2012-13	1.26	0.82	0.81	0.32	0.21	0.17	1.15	0.66	0.55	1.70	1.16	1.05
	2009-10	11.50	9.98	9.98	4.25	2.94	2.94	5.84	5.14	5.12	4.00	6.18	6.13
तमिलनाडु	2010-11	11.50	10.23	10.15	4.25	3.20	3.19	5.84	4.74	4.72	4.25	6.91	6.83
	2011-12	11.50	10.47	10.45	4.30	3.84	3.71	5.31	4.27	4.16	6.61	8.75	7.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2012-13	6.23	4.89	4.87	2.95	1.77	1.52	2.95	1.34	1.25	3.97	3.77	3.46
	2009-10	18.75	18.21	18.12	8.00	7.64	7.62	2.30	2.86	2.69	4.72	4.20	4.01
गुजरात	2010-11	19.50	21.26	21.19	8.40	8.11	8.09	2.30	2.02	2.02	4.83	6.62	6.55
	2011-12	22.75	21.26	21.18	8.80	6.96	6.80	2.30	1.75	1.72	5.10	7.32	7.08
	2012-13	14.20	11.16	10.74	5.90	1.81	1.51	1.18	0.49	0.43	3.49	2.52	2.10
	2009-10	15.25	16.00	15.93	8.50	9.52	9.47	1.20	1.67	1.43	3.55	2.48	2.43
मध्य प्रदेश	2010-11	16.75	17.05	16.92	10.00	10.94	10.92	1.45	1.36	1.33	3.69	3.55	3.52
	2011-12	17.50	18.13	17.81	10.95	11.00	10.57	1.65	0.93	0.75	4.05	5.33	4.66
	2012-13	9.91	9.31	9.03	8.74	8.74	6.88	1.12	0.85	0.65	3.09	2.04	1.74
	2009-10	5.48	5.27	5.27	1.77	2.65	2.65	0.84	0.96	0.90	1.42	1.04	1.04
छत्तीसगढ़	2010-11	5.70	5.56	5.54	2.84	2.41	2.41	1.06	0.96	0.94	1.40	1.32	1.32
	2011-12	6.25	6.20	6.20	2.90	2.71	2.58	1.15	0.85	0.83	1.54	2.21	197.00
	2012-13	5.20	4.45	4.37	2.32	1.52	1.16	0.89	0.59	0.43	1.30	0.92	0.87
	2009-10	24.75	22.87	22.87	12.50	13.83	13.82	5.60	7.07	7.06	14.00	11.25	11.13
महाराष्ट्र	2010-11	25.25	25.52	25.51	16.70	14.35	14.31	6.75	6.52	6.37	14.80	17.98	17.92
	2011-12	27.50	25.67	25.43	17.25	12.52	12.22	6.40	4.26	3.99	18.30	20.86	19.74
	2012-13	17.45	15.19	14.83	10.86	4.26	3.30	3.73	2.74	1.81	11.55	8.63	7.47
	2009-10	15.10	13.37	13.15	6.50	5.86	5.85	0.35	0.55	0.42	1.37	0.78	0.78
राजस्थान	2010-11	15.60	15.73	15.70	7.00	7.20	7.16	0.55	0.35	0.28	1.18	1.40	1.37
	2011-12	16.25	17.58	16.90	7.30	7.17	7.07	0.50	0.25	0.23	1.76	1.54	1.40
	2012-13	8.52	8.21	8.20	4.92	4.27	3.81	0.37	0.15	0.10	1.24	0.69	0.66
	2009-10	19.65	18.05	17.95	7.00	6.66	6.66	0.52	0.90	0.90	0.45	0.48	0.48
हरियाणा	2010-11	19.65	18.75	18.38	7.20	7.40	7.37	0.70	0.66	0.66	0.55	0.69	0.69
	2011-1 2	19.75	19.19	18.88	7.20	8.45	8.32	0.75	0.48	0.46	0.85	0.79	0.71
	2012-13	11.25	10.02	9.84	5.45	4.40	3.76	0.45	0.21	0.18	0.65	0.21	0.16
पंजाब	2009-10	25.50	24.65	24.46	8.50	8.08	8.06	0.91	1.00	1.08	0.55	0.57	0.55
	2010-11	26.00	27.61	27.17	9.25	9.04	9.01	1.06	1.06	0.96	0.70	1.05	1.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2011-12	26.00	28.32	28.07	10.15	10.10	9.66	1.06	0.73	0.69	1.00	1.30	1.19
	2012-13	16.25	15.24	15.20	7.05	6.86	6.08	0.71	0.35	0.26	0.85	0.31	0.30
उत्तर प्रदेश	2009-10	55.00	53.64	53.08	17.00	16.51	16.49	2.85	3.47	3.43	8.50	9.47	9.40
	2010-11	57.60	55.08	54.51	19.60	17.71	17.64	3.70	2.17	1.92	9.45	10.61	10.30
	2011-12	58.00	58.59	57.52	19.65	18.69	18.15	4.00	1.82	1.80	11.25	12.86	11.26
	2012-13	31.00	32.43	31.70	13.00	14.11	11.72	1.65	1.18	1.09	7.50	5.53	4.79
उत्तराखंड	2009-10	2.15	2.33	2.33	0.40	0.38	0.38	0.13	0.04	0.04	0.45	0.41	0.40
	2010-11	2.20	2.24	2.23	0.40	0.28	0.28	0.09	0.05	0.05	0.50	0.57	0.57
	2011-12	2.40	2.49	2.47	0.33	0.39	0.38	0.09	0.04	0.04	071	0.53	0.50
	2012-13	1.40	1.48	1.45	0.21	0.18	0.17	0.05	0.03	0.03	0.31	0.25	0.23
जम्मू और कश्मीर	2009-10	1.40	1.22	1.22	0.78	0.48	0.48	0.26	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00
	2010-11	1.50	1.28	1.27	0.85	0.81	0.81	0.36	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
	2011-12	1.45	1.20	1.19	0.85	0.67	0.65	0.35	0.09	0.08	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.81	0.65	0.61	0.48	0.28	0.23	0.14	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00
बिहार	2009-10	19.00	17.04	17.03	4.50	3.98	3.97	2.10	2.26	2.26	3.10	2.68	2.68
	2010-11	19.50	16.96	16.94	4.75	4.60	4.59	2.30	2.00	1.97	3.35	3.14	3.11
	2011-12	20.75	18.11	18.06	5.00	4.72	4.41	2.45	1.29	1.26	3.75	4.03	3.56
	2012-13	11.80	11.14	10.95	3.05	4.13	3.18	1.20	0.61	0.58	2.15	1.73	1.46
झारखंड	2009-10	1.05	150	1.50	1.15	0.82	0.82	0.15	0.17	0.17	0.50	0.69	0.68
	2010-11	2.10	1.36	1.35	1.10	0.66	0.65	0.15	0.08	0.06	0.85	0.36	0.36
	2011-12	2.60	2.19	2.16	1.25	0.71	0.68	0.34	0.06	0.06	1.08	0.52	0.47
	2012-13	1.91	1.41	1.34	0.92	0.42	0.30	0.23	0.03	0.02	0.60	0.25	0.21
उड़ीसा	2009-10	5.75	4.61	4.59	2.25	2.24	2.21	1.70	1.31	1.27	3.00	2.28	2.24
	2010-11	5.75	4.74	4.57	2.50	2.20	2.19	1.90	1.36	1.32	3.00	2.33	2.31
	2011-12	6.40	5.28	5.10	2.60	1.90	1.73	2.05	0.92	0.83	3.14	3.46	3.12
	2012-13	4.90	4.20	3.99	1.85	0.91	0.82	1.25	0.62	0.51	2.14	1.45	1.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पश्चिम बंगाल	2009-10	13.00	11.71	11.71	4.80	4.56	4.55	4.15	4.97	4.97	7.50	8.39	8.39
	2010-11	13.00	11.26	11.26	5.10	4.64	4.62	4.00	3.29	3.23	8.25	8.95	8.76
	2011-12	13.25	12.76	12.74	5.10	5.05	4.76	4.00	3.08	3.01	9.00	8.96	8.13
	2012-13	5.78	6.23	6.02	2.75	2.25	1.87	1.75	1.24	1.14	4.57	4.60	4.18
असम	2009-10	2.60	2.56	2.56	0.35	0.22	0.22	1.26	0.97	0.97	0.06	0.06	0.06
	2010-11	2.60	2.50	2.50	0.60	0.29	0.27	1.30	0.96	0.96	0.05	0.11	0.11
	2011-12	3.00	2.68	2.68	0.60	0.37	0.28	1.40	0.94	0.91	0.27	0.07	0.05
	2012-13	1.58	1.42	1.41	0.29	0.22	0.18	0.68	0.30	0.15	0.09	0.05	0.03
अखिल भारत	2009-10	281.90	265.97	264.48	106.98	104.09	103.92	43.85	47.60	46.74	87.73	83.38	82.03
	2010-11	290.79	284.62	282.23	120.92	113.09	112.87	47.80	39.83	38.91	92.00	104.39	102.98
	2011-12	303.50	296.64	292.74	125.75	116.02	111.87	47.92	31.60	29.79	106.90	124.14	113.75
	2012-13	179.97	165.87	162.36	87.17	63.77	52.40	27.30	15.94	12.74	67.34	52.28	45.17

विवरण-II

वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक और अप्रैल से अक्तूबर 2012 तक यूरिया उर्वरकों के लिए राज्य-वार उत्पादन

('000 मी. टन)

क्षेत्र/राज्य का नाम	उत्पादन			
	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल से अक्तूबर 2012
1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	1480.1	1655.6	1561.6	908.9
केरल	0.0	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	379.5	379.4	379.4	227.6
तमिलनाडु	435.9	778.8	1108.4	522.9
योग (दक्षिणी क्षेत्र)	2295.5	2813.8	3049.4	1659.4
पश्चिमी क्षेत्र				
गोवा	387.5	396.8	365.4	220.1
मध्य प्रदेश	1828.1	1878.1	1913.8	987.8

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	2089.1	2124.5	2108.5	1277.7
गुजरात	3264.0	3329.1	3020.8	2180.2
राजस्थान	2413.0	2503.6	2531.9	1394.9
योग (पश्चिमी क्षेत्र)	9981.7	10232.1	9940.4	6060.7
पूर्वी क्षेत्र				
झारखंड	0.0	0.0	0.0	0.0
बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0
उड़ीसा	0.0	0.0	0.0	0.0
पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	0.0	0.0
असम	309.6	285.0	278.8	219.6
योग (पूर्वी क्षेत्र)	309.6	285.0	278.8	219.6
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	512.9	470.0	500.3	319.4
पंजाब	988.7	1031.5	986.3	564.0
उत्तर प्रदेश	7023.9	7048.1	7229.2	4010.7
योग (उत्तरी क्षेत्र)	8525.5	8549.6	8715.8	4894.1
सकल योग	21112.3	21880.5	21984.4	12833.8

विवरण-III

वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक और अप्रैल से अक्तूबर 2012 तक डीएपी उर्वरकों के लिए राज्य-वार उत्पादन

('000 मी. टन)

क्षेत्र/राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल से अक्तूबर 12
1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	520.6	434.3	366.6	67.6
केरल	0.0	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	198.1	177.8	128.2	81.8
तमिलनाडु	0.0	30.4	180.5	104..2
योग (दक्षिणी क्षेत्र)	718.7	642.5	675.3	253.6

1	2	3	4	5
पश्चिमी क्षेत्र				
गोवा	351.8	151.6	180.2	56.3
गुजरात	1826.3	980.4	1240.4	814.5
योग (पश्चिमी क्षेत्र)	2178.1	1132.0	1420.6	870.8
पूर्वी क्षेत्र				
ओडिशा	1166.0	1572.1	1597.4	826.4
पश्चिम बंगाल	183.7	190.3	269.3	45.6
योग (पूर्वी क्षेत्र)	1349.7	1762.4	1866.7	872.0
सकल योग	4246.5	3536.9	3962.6	1996.4

विवरण-IV

वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक और अप्रैल से अक्तूबर 2012 तक एनपीके मिश्रित उर्वरकों के लिए राज्य-वार उत्पादन

('000 मी. टन)

क्षेत्र/राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल से अक्तूबर 2012
1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	1789.0	1817.6	1719.8	956.0
केरल	758.1	643.8	616.4	339.6
कर्नाटक	84.1	45.7	44.0	24.8
तमिलनाडु	387.0	436.2	500.1	329.7
योग (दक्षिणी क्षेत्र)	3018.2	2943.3	2880.3	1650.1
पश्चिमी क्षेत्र				
गोवा	366.2	509.5	370.6	159.4
महराष्ट्र	603.9	727.4	825.0	490.8
गुजरात	2111.1	2902.8	2110.5	924.8
योग (पश्चिमी क्षेत्र)	3081.2	4139.7	3306.1	1575.0
पूर्वी क्षेत्र				
ओडिशा	1544.9	1282.8	1271.9	560.8

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	394.0	361.2	311.9	159.7
योग (पूर्वी क्षेत्र)	1938.9	1644.0	1583.8	720.5
सकल योग	8038.3	8727.0	7770.2	3945.6

[अनुवाद]

लघु सिंचाई योजनाएं

***11. श्री शिवराम गौडा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विशेष रूप से सूखा प्रवण जिलों/जनजातीय क्षेत्रों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत लघु सिंचाई योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में ऐसी योजनाओं के प्रभाव का कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं से लाभान्वित हुए किसानों की संख्या और इस प्रयोजनार्थ जारी और उपयोग में लाई गई निधियों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) सूखा प्रवण तथा जनजातीय क्षेत्र सहित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत शामिल की गई सतही लघु सिंचाई स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा किया गया अंतिम आकलन वर्ष 2005 में था। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में एआईबीपी के तहत लघु सिंचाई स्कीमों के अंतर्गत लाभान्वित हुए किसानों, जारी की गई निधियों और प्रयुक्त निधियों का विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

अभी (19.11.12) तक एआईबीपी के तहत शामिल की गई सतही लघु सिंचाई स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	शामिल की गई स्कीमों की कुल संख्या
1	2	3
क. विशेष श्रेणी राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	2052
2.	असम	1376
3.	मणिपुर	843
4.	मेघालय	263
5.	मिजोरम	317
6.	नागालैंड	1524
7.	सिक्किम	658
8.	त्रिपुरा	1221
9.	हिमाचल प्रदेश	428
10.	जम्मू और कश्मीर	749
11.	ओडिशा (केबीके)	78
12.	उत्तराखंड	2519
	(क) कुल	12028
ख. गैर विशेष श्रेणी राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	100

1	2	3
2.	छत्तीसगढ़	274
3.	मध्य प्रदेश	365
4.	महाराष्ट्र	186
5.	बिहार	221
6.	पश्चिम बंगाल	57

1	2	3
7.	राजस्थान	7
8.	कर्नाटक	493
9.	झारखंड	456
	(ख) कुल	2159
	कुल योग	14187

विवरण-II

गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (19.11.2012 तक) एआईबीपी के तहत लघु सिंचाई स्कीमों से लाभान्वित हुए किसानों, जारी की गई निधियों और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

		2009-10			2010-11			2011-12			2012-13 (19.1 1.2012 तक)		
क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभान्वित किसानों की सं.	जारी निधि	प्रयुक्त निधि	लाभान्वित किसानों की सं.	जारी निधि	प्रयुक्त निधि	लाभान्वित किसानों की सं.	जारी निधि	प्रयुक्त निधि	लाभान्वित किसानों की सं.**	जारी निधि	प्रयुक्त निधि**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरुणाचल प्रदेश	3000	30.780	30.780	4932	48.6350	48.6350	2250	33.7883	33.7883		11.1600	
2.	असम	13480	577.9694	577.9694	42532	356.9030	356.9030	4790	377.7456	377.7456		109.4745	
3.	मणिपुर	375	42.5403	42.5403	33	40.5000	40.5000	161	44.5500	44.5500		जारी नहीं की गई	
4.	मेघालय	1091	22.5018	22.5018	2473	110.1951	110.1951	1740	81.3011	81.3011		28.4000	
5.	मिजोरम	890	36.4500	36.4500	1120	51.0921	51.0921	1144	42.1101	42.1101		जारी नहीं की गई	
6.	नागालैंड	1368	57.2860	57.2860	486	70.0000	70.0000	378	72.6525	72.6525		31.0000	
7.	सिक्किम	91	2.6049	2.6049	157	14.3639	14.3639	96	33.7144	33.7144		जारी नहीं की गई	
8.	त्रिपुरा	1389	31.3488	31.3488	640	0.0000	0.0000	1294	34.8751	34.8751		17.7500	
9.	हिमाचल प्रदेश	0	37.8195	37.8195	0	32.4000	32.4000	3180	47.1152	47.1152		जारी नहीं की गई	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	जम्मू और कश्मीर	0	158.0534	158.0534	300	110.7215	110.7215	600	163.4678	163.4678		जारी नहीं की गई	
11.	ओडिशा (केबीके)	2412	40.5000	40.5000	3462	27.8538	27.8538	0	जारी नहीं की गई	अप्रयुक्त		जारी नहीं की गई	
12.	उत्तराखंड	0	127.0063	127.0063	3787	160.0600	160.0600	0	232.7513	232.7513		जारी नहीं की गई	
13.	आंध्र प्रदेश	2531	0.00	0.00	956	0.00	0.00	4581	141.75	141.75		जारी नहीं की गई	
14.	*छत्तीसगढ़	7272	16.0383	16.0383	4731	131.7986	131.7986	25685	179.1856	179.1856		जारी नहीं की गई	
15.	मध्य प्रदेश	1553	173.3724	173.3724	6903	202.5023	202.5023	9933	211.2880	211.2880		338.6000	
16.	महाराष्ट्र	7226	जारी नहीं की गई	अप्रयुक्त	4361	256.1439	256.1439	3403	77.2109	77.2109		178.8416	
17.	बिहार	5258	जारी नहीं की गई	अप्रयुक्त	17525	32.3535	32.3535	0	15.5303	15.5303		9.7200	
18.	*पश्चिम बंगाल	13800	0.00	0.00	0	8.10	8.10	11410	4.46	4.46		जारी नहीं की गई	
19.	*राजस्थान	0	14.170	14.170	112	0.000	0.000	0	जारी नहीं की गई	अप्रयुक्त		जारी नहीं की गई	
20.	कर्नाटक	71	48.5066	48.5066	461	34.6388	34.6388	2050	59.1674	59.1674		113.0000	
21.	झारखंड	0	जारी नहीं की गई	अप्रयुक्त	0	231.6474	231.6474	1782	224.4158	224.4158		जारी नहीं की गई	
	कुल	61807	1416.9477	1416.9477	94971	1919.9089	1919.9089	74477	2077.0755	2077.0755		837.9461	

*राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन राज्यों में एआईबीपी के तहत प्रत्येक किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि के औसत मापन तथा लघु सिंचाई स्कीमों से सृजित की गई क्षमता को ध्यान में रखते हुए लाभान्वित किसानों की संख्या का आकलन किया गया है।

**सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र

***12. श्री महेश जोशी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, जिन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत दी गई धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ख) जिन राज्यों ने पहले जारी की गई धनराशि के संबंध में उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें मनरेगा के अंतर्गत धनराशि जारी करने संबंधी मानदंड क्या हैं; और

(ग) मनरेगा के अंतर्गत राज्यों को उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु राजी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को रिलीज की गई निधियों के संबंध में उनसे वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के उपयोग प्रमाण-पत्र मिल चुके हैं। 12 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् असम, गोवा, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर व नगर हवेली के अलावा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने वित्तीय वर्ष 2011-12 (31.03.2012 तक) के दौरान मनरेगा के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है। इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आगे की धनराशि 31.03.2012 तक रिलीज की गई निधियों का उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही रिलीज की जाएगी।

(ख) और (ग) विगत में रिलीज की गई निधियों का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना दूसरी किस्त की धनराशि रिलीज किए जाने की पूर्व शर्तों में से एक है। उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न किए जाने सहित निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा न करने के मामले में, केन्द्रीय निधियां तदर्थ आधार पर रिलीज की जाती हैं ताकि आकस्मिक जरूरतों और निधियों की अस्थायी कमी को पूरा किया जा सके। मनरेगा के अंतर्गत सभी निर्धारित औपचारिकताओं के पूरा होने पर निधियों की नियमित रिलीज बहाल कर दी जाती है। इसके अलावा, मनरेगा के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों की रिलीज को नियमित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/जिलों से समय-समय पर उपयोग प्रमाण-पत्र और अन्य जानकारियां भेजने का आग्रह किया जाता है (केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठकों और पत्रों के जरिए)।

स्वच्छ पेयजल

*13. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:**
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में भू-जल में फ्लोराइड, आर्सेनिक और अन्य रसायन पाये गये हैं जो पेयजल को संदूषित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्यों द्वारा किए गये प्रयासों को समर्थन देने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) जी, हां।

(ख) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर 1.04.2012 को दी गई जानकारी के अनुसार ऐसी कुल 1,04,160 बसावटें हैं जिनके एक या एक से अधिक पेयजल स्रोत अत्यधिक आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, खारापन या नाइट्रेट से संदूषित हैं और इन बसावटों में अभी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इन बसावटों और प्रभावित आबादी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार एवं संदूषण वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उनके प्रयासों में मदद करता है। वर्ष 2012-13 में एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 10,500 करोड़ रु. का बजट आबंटन किया गया है। केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के वित्त पोषण आधार पर (पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर के लिए 90:10) राज्यों को आबंटित की गई एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों की 67% तक की राशि का उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे राज्यों, जहां पेयजल स्रोतों में रासायनिक संदूषण की समस्या या जापानी इनसेफलाइटिस या एक्यूट इनसेफालाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले थे, के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के वित्त पोषण आधार पर (पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर के लिए 90:10) 5% एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का निर्धारण एवं आबंटन किया जाता है। सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, बैठकों, पुस्तिकाओं तथा तकनीकी अधिकारियों के दौरों में संदूषित जल के शोधन की प्रौद्योगिकियों से संबंधित जानकारी देकर राज्यों को तकनीकी सहायता दी जाती है। मंत्रालय ने राज्यों को दो-सूत्री कार्यनीति अर्थात् विशिष्ट संदूषकों को दूर करने के लिए स्व-स्थाने प्रौद्योगिकियां लागू करने के लिए अल्पावधिक कार्यनीति और वैकल्पिक सुरक्षित सतही/भू-जल

स्त्रोतों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्थायी समाधान वाली दीर्घावधिक कार्यनीति अपनाने की सलाह दी है।

इसके अलावा, भारत सरकार शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता आधार पर राज्यों को जल गुणवत्ता निगरानी और जाँच, जिसमें अन्य के साथ-साथ नई जिला/उप-जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाने या उनका उन्नयन करने संबंधी कार्य शुरू करना, प्रयोगशालाओं को रसायन और अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराना, प्रयोगशालाओं के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की सेवाएं लेना और ग्राम पंचायतों को पेयजल गुणवत्ता परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट/रिफिल मुहैया कराना शामिल है, के लिए 3% एनआरडीडब्ल्यूपी निधियां प्रदान करती है। इसके अलावा, राज्यों को आबंटित की गई 10% तक की एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का उपयोग भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण और अन्य तरीकों जिनमें अन्य के साथ-साथ एक्विफरों में संदूषण के स्तर को कम करना भी शामिल हो सकता है, के जरिए पेयजल स्त्रोतों के स्थायित्व के लिए किया जा सकता है।

विवरण

गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं संदूषण वार ब्यौरा

वित्त वर्ष: 2012-13 राज्य: सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	प्रभावित बसावटों और आबादी की संदूषण-वार संख्या											
		कुल		फ्लोराइड		आर्सेनिक		लौह		खारापन		नाइट्रेट	
		बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी	बसावट	आबादी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	396	274196	332	208063	0	0	0	0	64	66133	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	115	32571	0	0	0	0	115	32571	0	0	0	0
4.	असम	15979	5406054	80	28373	1157	362402	14742	5015279	0	0	0	0
5.	बिहार	14580	7493434	2698	1276813	1004	710566	10877	5505582	0	0	1	473
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	8815	2282080	313	106040	0	0	8339	2057252	163	118788	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	गुजरात	274	451577	57	108190	0	0	0	0	64	50675	153	292712
12.	हरियाणा	17	44414	12	29381	0	0	0	0	5	15033	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	जम्मू और कश्मीर	30	44536	2	1142	0	0	22	28894	6	14500	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	झारखंड	412	103050	41	13639	1	233	369	88194	0	0	1	984
16.	कर्नाटक	5875	5908830	2806	2998369	19	26612	938	769408	734	769068	1378	1345373
17.	केरल	934	1960190	106	214630	0	0	585	1275489	186	342460	57	127611
18.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	2789	1245486	2485	1059822	0	0	156	67973	148	117691	0	0
20.	महाराष्ट्र	1671	3533765	483	1178100	0	0	337	486161	342	602432	509	1267072
21.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	मेघालय	97	40643	0	0	0	0	97	40643	0	0	0	0
23.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	नागालैंड	130	122941	0	0	0	0	130	122941	0	0	0	0
25.	ओडिशा	12465	3969410	398	105567	0	0	11051	3453687	991	387924	25	22232
26.	पुदुचेरी	9	16705	0	0	0	0	8	15048	1	1657	0	0
27.	पंजाब	33	41001	19	23026	0	0	1	758	13	17217	0	0
28.	राजस्थान	26729	8004920	7130	3001331	5	9108	46	16732	18924	4744864	624	232885
29.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	तमिलनाडु	528	238964	5	1969	0	0	405	180143	111	52647	7	42065
31.	त्रिपुरा	5935	1838804	0	0	0	0	5935	1838804	0	0	0	0
32.	उत्तर प्रदेश	882	889032	144	97395	9	7073	23	37054	705	746924	1	586
33.	उत्तराखंड	17	38984	2	8213	0	0	13	25173	0	0	2	5598
34.	पश्चिम बंगाल	5448	6548227	873	710656	2119	3526452	1955	1742254	501	568865	0	0
	कुल	1,04,160	5,05,29,814	17,986	1,11,70,719	4,314	46,42,446	56,144	2,28,00,040	22,958	86,16,878	2,758	32,99,731

[अनुवाद]

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम

***14. श्री रूद्रमाधव राय:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को स्वीकृत निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा ओडिशा, जहां विद्युत वितरण का निजीकरण कर दिया गया है, सहित राज्यों को पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता/लाभ प्रदान करने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत सरकार ने जुलाई, 2008 में केन्द्रीय क्षेत्र

स्कीम के रूप में पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) अनुमोदित किया है। आर-एपीडीआरपी में मुख्य बल यूटिलिटियों द्वारा परियोजना क्षेत्रों में सतत् रूप से ए.टी. एंड सी. हानि में कमी के संदर्भ में किए गये वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर केन्द्रित किया गया है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं 2001 की जनगणना के अनुसार, 30,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10,000) से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में दो भागों में शुरू की गई हैं। स्कीम का भाग-क 4 लाख की जनसंख्या वाले तथा 350 एमयू के वार्षिक ऊर्जा निवेश वाले शहरों में ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा, ग्राहक सेवा, कंप्यूटरीकृत बिलिंग तथा संग्रहण इत्यादि के लिए आई.टी. समर्थ प्रणाली पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा संग्रहण (स्काडा) की स्थापना करने के लिए तथा भाग-ख की परियोजनाएं परियोजना शहरों में विद्युतीय अवसंरचना के उन्नयन, संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण के लिए हैं।

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, राज्यों को कोई निधियां जारी नहीं की जाती हैं, किन्तु यह संस्वीकृत परियोजनाओं को परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर तथा पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर किश्तों में ऋण के रूप में जारी की जाती है। अब तक, आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, 32323.70 करोड़ रुपये की परियोजनाएं (भाग-क) 1402 नगरों तथा 63 नगरों में 63 स्काडा परियोजनाओं को शामिल करते हुए 6638.79 करोड़ रुपए; भाग-ख 1134 नगरों में 25684.91 करोड़ रुपए) स्वीकृत की गई हैं। आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 6304.96 करोड़ रुपये की संचयी राशि वितरित की जा चुकी है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य विद्युत यूटिलिटियों को स्वीकृत तथा संवितरित केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कुल राशि का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) आर-एपीडीआरपी को 11वीं योजना के लिए राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में प्रारंभ किया गया था। अनुमोदित स्कीम के अनुसार, ओडिशा सहित निजी यूटिलिटियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। निजी यूटिलिटियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को आर-एपीडीआरपी में शामिल करवाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

विवरण

आरपीडीआरपी में वर्षवार अनुमोदन एवं वितरण

(सभी राशि करोड़ रु. में) 17.11.2012 तक

राज्य	यूटिलिटी	संस्वीकृत					वितरण				
		संस्वीकृत 2009-10	संस्वीकृत 2010-11	संस्वीकृत 2011-12	संस्वीकृत 2012-13	संचित संस्वीकृत	वितरण 2009-10	वितरण 2010-11	वितरण 2011-12	वितरण 2012-13	संचित वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	0.00	230.69	257.79	0.00	563.64	1.07	0.00	0.00	0.00	22.54
	डीएचबीवीएनएल	19.59	0.00	185.10	0.00	275.57	6.90	0.00	0.00	0.00	27.14
	कुल	19.59	230.69	442.89	0.00	839.21	7.97	0.00	0.00	0.00	49.68
एचपी	एचपीएसईबी	81.06	337.52	16.79	0.00	435.37	24.32	101.25	0.00	5.03	130.60
जे एंड के	जे एंड के पीडी डी	134.49	17.50	1718.16	0.00	1870.15	40.35	5.25	515.45	0.00	561.04
पंजाब	पीएसईबी	784.68	0.00	1050.26	0.00	1834.94	150.40	0.00	207.41	10.26	368.07
चंडीगढ़	ईडी	0.00	33.34	0.00	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राजस्थान	एवीवीएनएल	155.01	255.63	0.00	0.00	462.67	18.89	46.39	0.00	0.00	80.14
	जेएवीवीएनएल	63.78	476.06	0.00	0.00	703.37	7.87	86.18	0.00	0.67	141.22
	जेओवीवीएनएल	23.96	716.93	0.00	0.00	841.27	1.43	119.64	0.00	0.00	149.76
	कुल	242.75	1448.62	0.00	0.00	2007.31	28.19	252.21	0.00	0.67	371.13
यूपी	एमवीवीएनएल	228.36	470.93	642.29	0.00	1344.08	69.26	70.64	60.33	103.44	303.67
	पूर्वा वीवीएनएल	108.97	350.85	74.11	0.00	533.93	32.69	52.63	0.00	22.23	107.55
	पश्चिम वीवीएनएल	203.01	474.11	453.66	0.00	1130.78	60.90	71.12	0.00	84.99	217.01
	डीवीवीएनएल	93.69	535.81	562.53	0.00	1192.03	27.37	80.37	0.00	91.34	199.08
	कुल	634.03	1831.70	1732.59	0.00	4200.82	190.22	274.76	60.33	302.00	827.31
उत्तराखंड	यूपीसीएल	117.27	0.00	409.18	0.00	535.00	35.31	0.00	33.59	117.79	189.13
कुल यूटिलिटी		2013.87	3899.37	5369.87	0.00	11756.14	476.76	633.48	816.78	435.75	2496.97
एमपी	एमपीपीकेवीवीएलइ(ई)	0.00	679.81	0.00	0.00	766.31	22.14	97.97	30.92	1.66	152.69
	एमपीपीकेवीवीसीएल (सी)	23.02	862.64	0.00	0.00	977.70	34.85	134.69	2.55	0.00	172.09
	एमपीपीकेवीवीसीएल (डब्ल्यू)	338.03	166.64	70.03	0.00	624.25	65.58	21.58	8.15	10.90	106.20
	कुल	361.05	1709.09	70.03	0.00	2368.26	122.56	254.24	41.62	12.56	430.98
गुजरात	पीजीवीसीएल	637.57	166.93	-0.15	0.00	804.35	22.58	118.95	0.00	19.57	161.09
	डीजीवीसीएल	206.60	32.18	7.43	0.00	246.21	7.01	34.53	0.00	0.00	41.55
	एमजीवीसीएल	149.41	26.18	-4.26	0.00	218.70	14.59	23.30	0.00	25.57	77.00
	यूजीवीसीएल	57.59	33.82	2.34	0.00	93.75	9.89	13.84	0.00	0.70	24.43
	कुल	1051.17	259.11	5.36	0.00	1363.01	54.07	190.62	0.00	45.84	304.07
छत्तीसगढ़	सीएसईबी	122.45	0.00	751.30	0.00	873.75	36.74	0.00	0.00	118.85	155.59
महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	162.24	1793.51	1682.31	154.54	3954.78	50.99	197.09	344.02	0.00	638.43
	बेस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	गोवा	5.84	0.00	0.00	0.00	110.73	31.47	0.00	0.00	0.00	31.47
दमन और दीव	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (पश्चिम)	कुल (पश्चिम)	1702.75	3761.71	2509.00	154.54	8670.53	295.83	641.95	385.63	177.25	1560.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एपी	एपीसीपीडीसीएल	0.00	823.91	65.15	0.00	1064.09	2.49	123.59	19.55	0.00	195.65
	एपीईपीडीसीएल	3.31	0.79	0.00	0.00	64.76	0.82	0.73	0.00	0.00	18.93
	एपीएनपीडीसीएल	160.94	12.47	0.00	0.00	217.91	24.72	0.00	3.74	0.00	41.21
	एपीएसपीडीसीएल	68.43	39.19	0.00	0.00	215.45	11.78	0.00	11.76	0.00	54.38
	कुल	232.68	876.36	65.15	0.00	1562.21	39.81	124.32	35.05	0.00	310.17
कर्नाटक	बेस्कॉम	291.07	0.00	0.00	0.00	551.64	78.17	43.78	0.00	0.00	121.95
	सेस्कॉम	103.14	76.42	0.00	0.00	207.29	8.32	26.93	0.00	0.00	35.25
	गेस्कॉम	207.84	0.00	0.00	0.00	238.16	11.21	30.12	0.00	0.00	41.33
	हेस्कॉम	205.48	72.88	0.00	0.00	330.98	15.78	0.00	41.75	0.00	57.54
	मेस्कॉम	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	3.62	0.00	0.00	0.00	3.62
	कुल	807.53	149.30	0.00	0.00	1340.14	117.11	100.83	41.75	0.00	259.68
केरल	केएसईबी	214.40	926.33	28.99	206.13	1375.85	64.31	75.51	80.25	0.00	220.07
तमिलनाडु	टीएनईबी	450.87	3357.82	0.00	0.00	3878.73	120.76	526.23	4.77	0.00	671.69
पुदुचेरी	पीडी	27.53	0.00	0.00	0.00	27.53	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50
कुल (दक्षिण)		1733.01	5309.81	94.14	206.13	8184.46	341.99	826.89	166.31	0.00	1466.12
बिहार	बीएसईबी	113.40	0.00	647.18	531.24	1371.84	58.37	0.00	0.00	82.53	140.90
झारखंड	जेएसईबी	151.78	0.00	0.00	0.00	160.60	30.00	0.00	18.18	0.00	48.18
पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	159.98	551.41	161.15	0.00	872.54	47.99	82.05	45.87	29.11	205.02
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पीडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (पूर्व)		425.16	551.41	808.33	531.24	2406.14	136.37	82.05	64.05	111.64	394.11
असम	एपीडीसीएल	173.18	0.60	665.87	0.00	839.65	51.95	0.00	124.15	75.79	251.89
अरुणाचल	पीडी	0.00	37.68	0.00	0.00	37.68	0.00	11.30	0.00	0.00	11.30
नागालैंड	पीडी	0.00	34.58	0.00	0.00	34.58	0.00	10.37	0.00	0.00	10.37
मणिपुर	पीडी	31.55	0.00	0.00	0.00	31.55	0.00	9.47	0.00	0.00	9.47
मेघालय	एमईएसईबी	33.97	0.00	0.00	0.00	33.97	0.00	10.19	0.00	0.00	10.19
मिजोरम	पीडी	34.26	0.86	0.00	0.00	35.12	0.00	10.54	0.00	0.00	10.54
सिक्किम	पीडी	26.30	68.46	0.00	0.00	94.76	7.89	20.54	0.00	0.00	28.43
त्रिपुरा	पीडी	34.37	0.82	148.26	16.83	200.28	10.31	0.00	43.07	1.66	55.04
कुल (एनई)		333.63	143.00	814.13	16.83	1307.59	70.14	72.41	167.22	77.45	387.23
कुल		6208.42	13665.30	9595.47	908.74	32323.70	1321.08	2256.78	1600.00	802.09	6304.96

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना

***15. श्री वैजयंत पांडा:**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का विचार देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पांच विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए पहचान किए गए स्थानों और उन पर अनुमानित व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार भी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए केन्द्रीय विद्यालय जैसी अवसंरचना निर्मित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पांच विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ख) ब्यौरों और स्थानों की पहचान की जा रही है और तीन विश्वविद्यालयों अर्थात् बंगलुरु, कर्नाटक में टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी; अजमेर, राजस्थान में ख्वाजा गरीब नवाज़ प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजूकेशन; तथा किशनगंज, बिहार में रफी अहमद किदवई यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ एंड मेडिकल साइंसेज़ की स्थापना करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

(ग) अपनाए जाने वाले मानदंड तैयार किए जा रहे हैं।

(घ) सच्चर समिति की सिफारिशों के मद्देनज़र, सरकार अल्पसंख्यक बहुल जिलों में केन्द्रीय विद्यालय (केवी) सरीखे संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव कर रही है।

(ङ) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

लागत-भागीदारी आधार पर रेल परियोजनाएं

***16. श्री मानिक टैगोर:**
श्री हर्ष वर्धन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्य सरकारों के साथ लागत-भागीदारी समझौतों के अंतर्गत निष्पादित की जा रही रेल परियोजनाओं का राज्य तथा परियोजनावार ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त लागत-भागीदारी आधार पर निष्पादन हेतु परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों, जो रेलवे के पास लंबित हैं, का राज्य-वार ब्यौरा और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने नई रेल परियोजनाओं को अनुमोदित करने के लिए भूमि अधिग्रहण और लागत-भागीदारी के संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई पूर्व शर्त रखी है अथवा रखने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों/राज्यों में रेल अवसंरचना के विकास पर ऐसे निर्णय का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) विभिन्न राज्य सकरारों के साथ लागत-भागीदारी आधार पर निष्पादित की जा रही परियोजनाओं का उनकी स्थिति सहित राज्यवार, परियोजनावार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	राज्य सरकार द्वारा लागत-भागीदारी का %	परियोजना का नाम (किमी)	नवीनतम लागत (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
नई लाइन					
1.	आंध्र प्रदेश	25	कोटापल्ली-नरसापुर (57.21 किमी)	1047.00	प्रारंभिक कार्य शुरू।
2.	-वही-	33	मनेहराबाद-कोटापल्ली (148.9 किमी)	791.59	प्रारंभिक कार्य शुरू।

1	2	3	4	5	6
3.	-वही-	25	काकीनाडा-पीथापुरम (21.5 किमी)	125.68	परियोजना अभी शुरू की जानी है।
4.	-वही-	50	कुड्डपाह-बैंगलोर (बंगारपेट) (255.4 किमी)	2050.00	निर्माण 5 चरणों में। 3 चरणों में शुरू।
5.	-वही-	50	नाडीकुडे-श्रीकलाहस्ती (309 किमी)	1313.99	परियोजना स्वीकृत।
6.	-वही-	50	भद्रालचम-कोव्वुर (151 किमी)	923.23	रेल बजट 2012-13 में शामिल।
7.	-वही-	50	अक्कनापेट-मेडक (17.20 किमी)	114.37	रेल बजट 2012-13 में शामिल।
8.	-वही-	*	दल्लीराजहरा-जगदलपुर (235 किमी)	1105.23	दो चरणों में निर्माण और सुरक्षा मुद्दों के कारण रोक दिया गया।
9.	हरियाणा	50	जींद-सोनीपत (88.9 किमी)	500.00	27% कार्य पूरा।
10.	-वही-	50	रोहतक-मेहम-हांसी (68.8 किमी)	287.00	रेल बजट 2012-13 में स्वीकृत।
11.	हिमाचल प्रदेश	25	भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63.1 किमी)	2966.99	प्रारंभिक कार्य शुरू।
12.	झारखंड	66.67	दुमका के रास्ते रामपुरहाट-मंदारहिल (130 किमी) एवं रामपुरहाट-मुरारै (29.48 किमी)	900.05	40% कार्य पूरा।
13.	-वही-	66.67	गिरडीह-कोडरमा (102.5 किमी)	768.88	74% कार्य पूरा।
14.	-वही-	66.67	कोडरमा-रांची (189 किमी)	2957.21	77% कार्य पूरा।
15.	-वही-	66.67	कोडरमा-तिलैया (68 किमी)	418.17	34% कार्य पूरा।
16.	-वही-	50	हंसीडाह-गोड्डा (30 किमी)	267.09	रेल बजट 2011-12 में शामिल।
17	कर्नाटक	50	श्रवणबेलगोला के रास्ते हासन-बैंगलोर (166 किमी)	944.95	70% कार्य पूरा।
18.	-वही-	50	कडुर-चिकमगलूर-सकलेशपुर (93 किमी)	595.32	74% कार्य पूरा।
19.	-वही-	50	मुनीराबाद-महबूबनगर (246 किमी)	1290.00	28% कार्य पूरा।
20.	-वही-	50	गुलबर्गा-बीदर (140 किमी)	776.00	3 चरणों में कार्य शुरू। समग्र प्रगति 55%।
21.	-वही-	50	बगलकोट-कुडची (142 किमी)	895.00	प्रारंभिक कार्य शुरू।
22.	-वही-	50	कल्याणदुर्ग के रास्ते रायदुर्ग-तुमकुर (213 किमी)	1027.89	12% कार्य पूरा।
23.	-वही-	50	तुमकुर-चित्रदुर्ग-दावनगेरे (199.7 किमी)	913.00	2011-12 के बजट में स्वीकृत।

1	2	3	4	5	6
24.	-वही-	50	शिमोगा-हरिहर (78.66 किमी)	562.74	2011-12 के बजट में स्वीकृत।
25.	-वही-	50	व्हाइटफील्ड-कोलार (52.9 किमी)	341.05	2011-12 के बजट में स्वीकृत।
26.	महाराष्ट्र	40	वर्धा-नांदेड (यवतमाल-पुसूद के रास्ते (270 किमी)	1604.94	प्रारंभिक कार्य शुरू।
27.	-वही-	50	अहमदनगर-बीड-पर्ली वैजनाथ (250 किमी)	1010.00	अहमदनगर-नारायणदोह कार्य पूरा। शेष कार्य प्रगति पर।
28.	-वही-	50	बांसवाड़ा के रास्ते रतलाम-डुंगरपुर (176.47 किमी)	2082.75	समग्र प्रगति 12%।
29.	उत्तराखंड	50	देवबंद (मुजफ्फरनगर)-रूड़की (27.45 किमी)	336.91	समग्र प्रगति 20%।
30.	-वही-	भूमि	किच्छा-खटिमा (57.7 किमी)	208.40	अभी तक राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है।
आमान परिवर्तन					
31.	झारखंड	66.67	टोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहारडागा (113 किमी)	456.45	55% कार्य पूरा।
32.	कर्नाटक	50	कोलार-चिकबल्लापुर (96.5 किमी)	287.99	75% कार्य पूरा।
33.	पश्चिम बंगाल	50	कटवा-बाजारसौ (30.59 किमी) सहित वर्धमान-कटवां (51.52 किमी)-दोहरीकरण, कटवा (दैनहाट)-माटेस्वर (34.4 किमी), नेगुन-मंगलकोट (8.60 किमी) एवं माटेस्वर-मेमरी (35.6 किमी)-नई लाइन	1106.62	मुख्य परियोजना की समग्र प्रगति 50%
दोहरीकरण					
34.	आंध्र प्रदेश	50	विजयवाड़ा-गुडिवाडा-भीमावरम-नरसपुर, गुडिवडा-मछलीपटनम और भीमाराव-निदादावोलु (221 किमी)-विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण	1009.82	सर्वेक्षण प्रगति पर।

1	2	3	4	5	6
35.	कर्नाटक	66.67	केंगरी-मैसूर के विद्युतीकरण सहित रामनगरम-मैसूर (91.5 किमी)	743.22	75% कार्य पूरा।

*राज्य सरकार सरकारी भूमि नि:शुल्क मुहैया कराएगी, भूमि अधिग्रहण की लागत वहन करेगी और इस लाइन के निर्माण के लिए अपेक्षित खनिजों और सामग्रियों पर रॉयल्टी तथा राज्य करों से छूट देगी।

(ख) राज्य सरकारें अपने राज्यों में कुछ और परियोजनाओं की लागत में भागीदारी करने के लिए आगे आई हैं। इनमें कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारंखड और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारें शामिल हैं। बहरहाल, तमिलनाडु राज्य सरकार अभी रेल परियोजनाओं की लागत में भागीदारी के लिए आगे नहीं आई है।

1.04.2012 तक, राज्य सरकार द्वारा लागत में भागीदारी वाली निम्नलिखित नई लाइन परियोजनाएं मूल्यांकन और 'सिद्धांतत:' अनुमोदन तथा अपेक्षित स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु योजना आयोग को भेजी गई हैं:

(1) गदग-हावेरी

(2) गदग-वाडी

(3) कांद्रा-नामकोम (रांची)

(4) कोंडापल्ली-कथागुदेम

(5) मालेगांव एवं धूले के रास्ते मनमाड-इंदौर

(6) मनुगुर-रामगुंडम स्टेशन

(7) पीरपैंती-जसीडीह

(8) पुणे-नासिक

(9) तियात-पुट्टापर्थी

(10) कदीरी-पुट्टापर्थी

(11) चिकबल्लापुर-पुट्टापर्थी

(12) श्रीनिवासपुरा-मदनपल्ली

(ग) और (घ) जी हां। योजना आयोग इन परियोजनाओं को 'सिद्धांतत:' अनुमोदन देते समय रेल मंत्रालय को यह निर्देश दिया है कि अलाभप्रद नई लाइनों के लिए सामाजिक-आर्थिक आधार पर स्वीकृति की प्रक्रिया तभी शुरू की जानी चाहिए जब राज्य सरकारें नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाने और परियोजना के निर्माण की 50 प्रतिशत लागत में भागीदारी करने के लिए सहमत हों।

राष्ट्रीय जल नीति

*17. **श्री मनोहर तिरकी:**
श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल वितरण को बेहतर बनाने और साथ ही इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय जल नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है;

(ग) गत वर्ष 1987, 2002 और 2012 की जल नीतियों का क्षेत्र-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नई जल नीति लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) केन्द्र एवं राज्य सरकारें जल के बेहतर वितरण को सुकर बनाने की दृष्टि से और साथ ही, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय जल नीति, 2002 का कार्यान्वयन कर रही हैं। नीति की सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

(ग) 1987 और 2002 की राष्ट्रीय जल नीतियों का क्षेत्र-वार तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 अभी भी मसौदा चरण पर है। मसौदे में जल में हो रही अत्यधिक कमी, जागरूकता में कमी, असमान वितरण और एकसमान परिदृश्य की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करने की संकल्पना की गई है।

(घ) राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे को अंगीकार करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (एनडब्ल्यूआरसी) द्वारा विचार किया जाना है। तत्पश्चात् सभी राज्यों को राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन के लिए सिफारिश की जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का विवरण	राष्ट्रीय जल नीति (1987)	राष्ट्रीय जल नीति (2002)
1	2	3	4
1.	जल संसाधन आयोजना के प्रति दृष्टिकोण	राष्ट्रीय दृष्टिकोण।	राष्ट्रीय दृष्टिकोण।
2.	सूचना प्रणाली	मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली।	मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली।
3.	जल संसाधन आयोजना	जलवैज्ञानिक इकाई जैसे एक जलनिकास बेसिन एक इकाई के रूप में अथवा एक उपबेसिन।	जलवैज्ञानिक इकाई जैसे एक जलनिकास बेसिन एक इकाई के रूप में अथवा एक उप-बेसिन।
4.	संस्थागत तंत्र	एक नदी बेसिन के एक इकाई के रूप में नियोजित विकास एवं प्रबंधन के लिए उपयुक्त संगठन स्थापित किए जाने चाहिए।	एक नदी बेसिन के एक इकाई के रूप में अथवा जहां आवश्यक हो वहां उप-बेसिनों के नियोजित विकास एवं प्रबंधन के लिए उपयुक्त नदी बेसिन संगठन स्थापित किए जाने चाहिए।
5.	जल आवंटन प्राथमिकताएं	पेयजल को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है जिसके बाद सिंचाई, जल-विद्युत, नौवहन, उद्योगों, आदि को प्राथमिकता दी गई है।	पेयजल को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है जिसके बाद सिंचाई, पारिस्थितिकी, नौवहन, उद्योगों, आदि को प्राथमिकता दी गई है।
6.	परियोजना की आयोजना	जल संसाधन विकास परियोजनाओं की आयोजना एवं विकास जहां तक संभव हो, बहुउद्देशीय परि-योजनाओं के रूप में किया जाना चाहिए।	जल संसाधन विकास परियोजनाओं की आयोजना एवं विकास जहां तक संभव हो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में किया जाना चाहिए।
7.	नदियों में पर्यावरणीय प्रवाह	पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने और पारिस्थितिकीय संतुलन के प्रावधान के अतिरिक्त कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है।	पारिस्थितिकी को बनाए रखने और सामाजिक दृष्टिकोण से बारहमासी जलधाराओं में न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
8.	भूजल विकास	भूजल संसाधनों का दोहन इतना विनियमित होना चाहिए कि यह पुनर्भरण की संभावित क्षमता से अधिक न हो और सामाजिक समानता भी सुनिश्चित की जा सके।	भूजल संसाधनों का दोहन इतना विनियमित होना चाहिए कि यह पुनर्भरण की संभावित क्षमता से अधिक न हो और सामाजिक समानता भी सुनिश्चित की जा सके।

1	2	3	4
9.	पेयजल	1991 तक शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में संपूर्ण जनसंख्या को पर्याप्त पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में संपूर्ण जनसंख्या को पर्याप्त सुरक्षित पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
10.	अंतरबेसिन अंतरण	एक राष्ट्रीय परिदृश्य के आधार पर क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नदी बेसिन से दूसरे में अंतरण सहित अन्य क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में अंतरण करके उन्हें जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	एक राष्ट्रीय परिदृश्य के आधार पर क्षेत्रों /बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नदी बेसिन से दूसरे में अंतरण सहित अन्य क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में अंतरण करके उन्हें जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
11.	जल उपयोग दक्षता	जल के सभी विविध उपयोगों में उपयोग की दक्षता में सुधार किया जाना चाहिए और जल के एक घटते संसाधन के रूप में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए।	जल के सभी विविध उपयोगों में उपयोग की दक्षता को इष्टतम बनाया जाना चाहिए और जल के एक घटते संसाधन के रूप में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए
12.	जल का मूल्यन	जल की दर पर्याप्त होनी चाहिए जिसमें वार्षिक अनुरक्षण एवं प्रचालन शुल्क और निर्धारित शुल्क का एक भाग शामिल है।	जल शुल्क में कम से कम प्रारंभ में सेवा प्रदान करने के प्रचालन एवं अनुरक्षण शुल्क और उसके बाद पूंजीगत लागत का एक भाग शामिल किया जाना चाहिए।
13.	सहभागिता जल प्रबंधन	सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर जल वितरण एवं जल शुल्क को एकत्र करने में किसानों को अधिकाधिक शामिल किए जाने के प्रयास किये जाने चाहिए।	जल अवसंरचना/सुविधाओं के प्रचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन में अंत में प्रयोक्ता समूहों/स्थानीय निकायों को ऐसी सुविधाएं देने की दृष्टि से उपयुक्त स्तर पर जल प्रयोक्ता संघों और स्थानीय निकायों को अधिकाधिक शामिल किया जाना चाहिए।
14.	बाढ़ प्रबंधन	बाढ़ राहत पर बारंबार व्यय को कम करने के लिए गैर-संरचनात्मक उपायों जैसे बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी तथा बाढ़ मैदानी जोनिंग पर जोर दिया जाना।	बाढ़ राहत पर बारंबार व्यय को कम करने के लिए गैर-संरचनात्मक उपायों जैसे बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी तथा बाढ़ मैदानी जोनिंग और बाढ़ प्रूफिंग पर जोर दिया जाना।

1	2	3	4
15.	सृजित एवं उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर	सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाना और सृजित क्षमता एवं इसके उपयोग के बीच अंतर को कम करना सुनिश्चित करने के लिए कमान क्षेत्र विकास जैसे भरसक प्रयास किए जाने चाहिए।	सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य से सभी सिंचाई परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

समर्पित मालभाड़ा और उच्च गति रेलगाड़ी गलियारा

*18. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:**
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में समर्पित मालभाड़ा और उच्च गति रेलगाड़ी गलियारा का गलियारा-वारा ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं संबंधी पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन रेलवे को प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और रेलवे द्वारा इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे को इन परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन हेतु किन्हीं वित्तीय अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में तथा इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना और हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर से संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

(*i*) **डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना** : दो कॉरिडोर यथा पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर को स्वीकृति दी गई है और इनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। पूर्वी डीएफसी की लंबाई 1839 किलोमीटर है और यह कोलकाता के नजदीक दानकुनी से लेकर पंजाब में लुधियाना तक फैला हुआ है और पश्चिमी डीएफसी की लंबाई 1499 किलोमीटर है और यह मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर दिल्ली के नजदीक तुगलकाबाद/दादरी तक फैला हुआ है।

इसके अलावा, उत्तर-दक्षिण डीएफसी (दिल्ली-चेन्नै), पूर्व-पश्चिम डीएफसी (हावड़ा-मुम्बई), दक्षिण डीएफसी (चेन्नै-गोवा) और पूर्व-तट डीएफसी (खड़गपुर-विजयवाड़ा) के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और इन चार कॉरिडोरों के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य शुरु कर दिया गया है। चेन्नै-बैंगलोर डीएफसी के लिए भी पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने का विनिश्चय किया गया है।

पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी परियोजनाओं को विश्व बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के ऋण, बजटीय सहायता और सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना को मार्च, 2017 तक पूरा करके चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

(*ii*) **हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर:** पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सात कॉरिडोरों की पहचान की गई है। ये कॉरिडोर हैं: पुणे-मुम्बई-अहमदाबाद, दिल्ली-आगरा-लखनऊ-वाराणसी-पटना, हावड़ा-हल्दिया, हैदराबाद-द्रोणकल-वियजवाड़ा-चेन्नै, चेन्नै-बैंगलोर-कोयम्बटूर-एर्णाकुलम-तिरूवनंतपुरम, दिल्ली-जयपुर-अजमेर-जोधपुर, दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर। इन सात कॉरिडारों में से तीन कॉरिडोरों यथा (*i*) पुणे-मुम्बई-अहमदाबाद, (ii) दिल्ली-आगरा-लखनऊ-वाराणसी-पटना और (iii) हावड़ा-हल्दिया कॉरिडोरों की अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इन परियोजनाओं के निर्माण और परिचालन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी।

मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की जांच करने और कार्यान्वयन प्रणाली का सुझाव देने के लिए एक अंतर-मंत्रालय परियोजना संचालन दल का गठन किया गया है। हाई स्पीड परियोजनाओं के लिए सरकार के पर्याप्त समर्थन, सुलभ ऋण (सॉफ्ट लोन) और अभिनव वित्तपोषण तंत्र की आवश्यकता होगी। अभी तक, वित्तीय विकल्प और परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब

***19. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में गत कुछ महीनों के दौरान परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब को समाप्त करने के लिए किए गए प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे विलंब को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और इसके लिए कुल कितने अधिकारी जिम्मेवार पाए गए हैं;

(ग) क्या सितम्बर, 2012 में विलम्बित परियोजनाओं की संख्या सितम्बर, 2011 के दौरान विलम्बित परियोजनाओं से कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) हाल ही में, सरकार ने आधारी संरचना परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निवेश निगरानी प्रणाली स्थापित करने का अनुमोदन किया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद् 1000 करोड़ रुपए तथा अधिक के निवेश वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सभी परियोजनाओं की निगरानी करेगी तथा वित्तीय सेवा विभाग 1000 करोड़ रुपए तथा अधिक निवेश वाली निजी क्षेत्रों की परियोजनाओं की निगरानी करेगा।

(ख) परियोजनाओं का समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिन अन्य मुख्य कदमों की पहल की गई, उनमें शामिल हैं—परियोजना का वास्तविक मूल्यांकन तथा द्विस्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया, सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते परियोजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण, बेहतर निगरानी के लिए ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत मॉनीटरिंग प्रणाली (ओसीएमएस) की स्थापना करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में पीएसयू द्वारा परियोजना कार्यान्वयन को अधिक महत्त्व देना एवं परियोजना कार्यान्वयन में व्याप्त अड़चनों और रुकावटों को समाप्त करने के लिए राज्यों में संबंधित मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति (सीएसपीसीसी) का गठन करना। समय तथा लागत वृद्धि हेतु जवाबदेही निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक स्थायी समिति गठित की गई है। तथापि, यह पाया गया है कि पर्यावरण संबंधी अनुमति, सांविधिक अनुमति, भूमि संबंधी मामले, निधि संबंधी बाधाएं, सुरक्षा संबंधी स्वीकृति, आदि जैसी व्यवस्थाजन्य बाधाएं, परियोजनाओं में होने वाले विलंब के मुख्य कारण हैं जिनके लिए किसी अधिकारी (अधिकारियों) की जवाबदेही निर्धारित करना कठिन है।

(ग) और (घ) 1 सितम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा रही 150 करोड़ रुपए तथा अधिक लागत वाली आधारी संरचना परियोजनाओं की कुल संख्या 560 थी जिनमें से 272 विलंबित रहीं। जबकि, गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान इस मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा रही आधारी संरचना परियोजनाओं की कुल सं. 553 थी जिनमें से 243 विलंबित रहीं।

[अनुवाद]

न्यायाधीशों के रिक्त पद

***20. श्री एस.एस. रामासुब्बू:**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्याा देश में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लगभग 25 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत के उच्चतम न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायालय-वार न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद कितने हैं और उनकी वर्तमान संख्या कितनी है तथा रिक्त पदों को भरने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रिक्त पदों को भरने तथा लम्बित मामलों की संख्या कम करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) तारीख 01.11.2012 को अनुमोदित पद संख्या, कार्यरत पद संख्या तथा उनके रिक्त पदों के ब्यौरे को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर, 1998 की उनकी सलाहकारी राय के साथ पठित तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसरण में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होती है। उच्चतर न्यायपालिका के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए सांविधानिक प्राधिकारियों में से उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना एक सतत मंत्रणात्मक प्रक्रिया है। यह एक समय लगने वाली प्रक्रिया है क्योंकि इसमें विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है। जबकि विद्यमान रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास शीघ्रता से किया जाता है, निवृति, पदत्याग या न्यायाधीशों की उन्नति के कारण रिक्त पद उत्पन्न होते रहते हैं।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है। तथापि, लंबित मामलों की समस्या से निपटने के लिए न्यायपालिका की सहायता की दृष्टि से, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की है। प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों में कमी करके, संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही में अभिवृद्धि करके तथा निष्पादक मानकों और क्षमताओं को सुनिश्चित करके पहुंच में वृद्धि करने के द्वि उद्देश्य हैं। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिनिर्धारण के लिए समन्वयित दृष्टिकोण का अनुसरण करेगा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए ऐसी बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी से ग्रस्त क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनर्निर्माण करना तथा मानव संसाधन विकास पर बल देना है। राष्ट्रीय मिशन के पास इन पहलों का अनुसरण करने के लिए पांच वर्ष (2011-16) की समय-सीमा है।

मिशन ने अपने अस्तित्व की लघु अवधि के दौरान, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में रणनीतिक क्षेत्रों में अनेक उपाय किए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के समक्ष है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है। चैक बाउंस के मामलों से संबंधित बढ़ती हुई मुकदमेबाजी की जांच करने के लिए अन्य नीति तथा प्रशासनिक उपायों के साथ परक्राम्य लिखत अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के सुझाव के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है।

न्यायिक सुधारों का एक महत्त्वपूर्ण पहलू, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय आदेशिकाओं के पुनर्निर्माण तथा न्यायालय प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देश में न्यायालयों के निष्पादन के लिए मामला प्रबंधन, न्यायालय प्रबंधन, मापीय मानक निर्धारण और राष्ट्रीय न्यायिक सांख्यिकी प्रणाली के मुद्दों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को अधिसूचित किया गया है। बेहतर दांडिक न्याय प्रणाली के लिए न्यायालय आदेशिकाओं और न्यायालय प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए एक उप-समूह को, इस संबंध में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए अध्यक्ष, विधि आयोग के अधीन गठित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचना विकास, राष्ट्रीय मिशन के लिए मुख्य प्रतिबल क्षेत्र है। राज्य सरकारों के संसाधनों में अभिवृद्धि करने की दृष्टि से, सरकार ने वर्ष 2011-12 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपांतरित केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन वित्तपोषण पैटर्न को पुनरीक्षित करके केंद्रीय अंश को 50:50 से बढ़ाकर 75:25 (पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न राज्यों के लिए) किया है। तथापि, 2010-11 से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वित्तपोषण पैटर्न को 90:10 रखा गया है।

वर्ष 2011-12 में अधीनस्थ न्यायपालिका के अवसंरचना विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 595 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 660 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। इसमें से 31 अक्तबूर, 2012 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 492 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

जुलाई, 2011 से दिसंबर, 2011 तक, जिसमें कुल 6 लाख से अधिक लंबित मामले कम हुए थे, लंबित मामलों में कमी करने के अभियान के आधार पर इस वर्ष भी जुलाई से दिसंबर, 2012 तक इसी तरह का अभियान चलाया गया है। इस वर्ष लंबित मामलों

में कमी के अभियान का मुख्य बिन्दु न्याय प्रणाली को पांच (5) वर्ष से अधिक पुराने मामलों से मुक्त करना है। इसके साथ ही, विद्यमान रिक्त पदों को भरकर तथा अतिरिक्त पदों को सृजित करके अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे मामलों के निपटान शीघ्र किए जा सकें तथा संपूर्ण लंबित मामलों की संख्या में कमी हो सके।

विवरण

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुमोदित पद संख्या, कार्यरत पद संख्या तथा न्यायाधीशों के रिक्त पद

(01.11.2012 की स्थिति)

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	अनुमोदित पद संख्या के अनुसार रिक्त पद
1	2	3	4	5
क.	भारत का उच्चतम न्यायालय	31	26	5
ख.	उच्च न्यायालय			
1.	इलाहाबाद	160	87	73
2.	आंध्र प्रदेश	49	32	17
3.	बंबई	75	55	20
4.	कलकत्ता	58	41	17
5.	छत्तीसगढ़	18	12	06
6.	दिल्ली	48	35	13
7.	गुवाहाटी	24	23	01
8.	गुजरात	42	27	15
9.	हिमाचल प्रदेश	11	11	-
10.	जम्मू और कश्मीर	14	07	07
11.	झारखंड	20	11	09
12.	कर्नाटक	50	37	13
13.	केरल	38	30	08
14.	मध्य प्रदेश	43	32	11
15.	मद्रास	60	50	10
16.	ओडिशा	22	13	09

1	2	3	4	5
17.	पटना	43	36	07
18.	पंजाब और हरियाणा	68	42	26
19.	राजस्थान	40	23	17
20.	सिक्किम	03	02	01
21.	उत्तराखंड	09	08	01
	कुल योग	895	614	281

अतिरिक्त राज्य लेवी के पुराने मुद्दे के निपटान बकायों का समाधान

1. **श्रीमती दर्शन जरदोश:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करने के पश्चात् उर्वरक इकाइयों की अतिरिक्त राज्य लेवी के पुराने मुद्दे में निपटान बकायों के समाधान हेतु अन्य विकल्पों पर विचार नहीं कर रहा है, जबकि राज्य सरकारें इस स्थिति में नहीं हैं कि वे इस अतिरिक्त लेवी को वापस कर सकें और उर्वरक इकाइयों को भारी वित्तीय हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को इस संबंध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) से कुछ संसूचनाएं प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई की गयी; और

(ङ) सरकार द्वारा काफी समय से लंबित उक्त मामले के समाधान हेतु कितना एसमय किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि वह गुजरात और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से 1.10.2006 से 31.3.2011 के दौरान लगाए गए अतिरिक्त वैट के रिफंड के बारे में उनकी राय सुनिश्चित करे। उर्वरक विभाग ने एसीटीएन के बैकलॉग बकाया का रिफंड करने के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है परंतु राज्य सरकारों से अभी उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) जी, नहीं

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शीघ्र निपटान की संभावना है।

[हिन्दी]

सवारी डिब्बों में परिवर्तन

2. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सवारी डिब्बों में कुछ परिवर्तन/संशोधन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को इसके परिणामस्वरूप यात्रियों द्वारा असुविधाओं का सामना किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ङ) जी हां।, रेल मंत्रालय ने साइड मिडिल बर्थ के प्रावधान को शामिल करके मौजूदा डब्ल्यूजीएससीएन डिब्बे की ढुलाई क्षमता क्रमश: 64 यात्रियों से 72 यात्रियों तक और डब्ल्यूजीएससीएन डिब्बे की ढुलाई क्षमता क्रमश: 72 यात्रियों से 81 यात्रियों तक बढ़ाने का विनिश्चय किया था। बहरहाल, अभ्यावेदनों

की प्राप्ति पर, इन रेट्रोफिटिड शायिकाओं को बाद में हटा दिया गया था और सभी डिब्बों में बैठने की मूल क्षमता बहाल की गई थी।

सीसीआई को कोयला आपूर्ति

3. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सीमेंट निगम (सीसीआई) को पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या कोयला आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की गई;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2011-12 में उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई;

(घ) यदि नहीं, तो संयंत्र को उसकी पूर्ण क्षमता के साथ चलाने के लिए और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए; और

(ङ) इनका क्या परिणाम रहा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सरकार द्वारा किए गए प्रयास के परिणामस्वरूप सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) और कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा इसकी विभिन्न सहायक कंपनियों के बीच ईंधन आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ।

(ख) कोयला आपूर्तिकर्ताओं ने सीसीआई की बोकाजन इकाई को पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति की थी, लेकिन वे तंदूर और राजबन इकाइयों के मामले में ऐसा नहीं कर सके।

(ग) सीसीआई वर्ष 2011-12 में उत्पादन में वृद्धि दर्ज नहीं कर सकी।

(घ) सरकार ने सीसीआई को उन विभिन्न एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से मामले को उठाने के लिए कहा जिनके साथ सीसीआई ने एफएसए हस्ताक्षर किया था तथा जिसके परिणामस्वरूप सीसीआई ने समय-समय पर संबंधित कोयला खानों तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ मामले को उठाया था। राजबन और तंदूर इकाइयों में कोयले की कमी को पूरा करने के लिए ई-ऑक्शन/आयात के जरिए कोयला अधिप्राप्त करने का भी उपाय किया गया है।

(ङ) इन प्रयासों से कोयले की कमी के कारण इकाइयों के बंद होने की स्थिति को कुछ हद तक दूर किया जा सका।

[अनुवाद]

नदी के प्रवाह को बनाये रखना

4. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की बड़ी नदियां जीवन वाहक हैं और यदि हां, तो उनके शोधन के लिए पिछले पांच वर्षों में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या कतिपय नदियों में जल का प्रवाह घटकर एक-तिहाई रह गया है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में वनों को काटे जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां। नदियों और झीलों का संरक्षण केन्द्र और राज्य सरकारों का जारी और सामूहिक प्रयास है। केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नदियों और झीलों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है।

(ख) विभिन्न नदियों जहां से पीने और सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल का डायवर्जन किया जाता है उनके भंडारणों के अनुप्रवाह में जल के प्रवाह में कुछ गिरावट पाई गई है। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा विश्लेषित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1985 से 15 वर्ष पहले तथा 1985 के बाद बड़ी नदियों में औसत जल उपलब्धता के प्रेक्षित आंकड़ों से औसत जल उपलब्धता में गिरावट होने की प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है।

(ग) भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के हिस्से के रूप में हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बारहवीं और तेरहवीं पंचवर्षीय योजना की संयुक्त अवधि के अगले दस वर्षों में 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनों/वृक्षों का क्षेत्र बढ़ाने तथा और 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनों की गुणवत्ता को बढ़ाना शामिल है।

कोंकण रेलवे

5. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोंकण रेलवे को वर्ष-वार कुल कितना बजटीय आबंटन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र क्षेत्र सहित कोंकण रेलवे के अंतर्गत कुल कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई और कुल कितनी परियोजनाएं शुरू की गईं;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर आबंटित खर्च की गई निधियों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड को कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों के अधीन, पूंजी बजट प्रस्तावों के अंतर्गत रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा परियोजनाओं की स्थिति और इन परियोजनाओं पर किया गया खर्च निम्नानुसार है:

क्र.सं.	स्वीकृत किया गया कार्य	खर्च/आबंटित की गई निधियां (लाखों में)	कार्य की स्थिति
1	2	3	4
स्वीकृति वर्ष 2009-10			
1.	रत्नागिरी और करवार क्षेत्र में ढलान को समतल करने, जल निकासी प्रणाली में सुधार लाने और सुरक्षा संबंधी अन्य कार्य	974.00/974.0	कार्य पूरा हो गया।
2.	रत्नागिरी क्षेत्र में सिंथेटिक पॉलीस्टर फाइबर के साथ शोटक्रीटिंग और रॉक बोल्टिंग	1078.00/1078.00	कार्य पूरा हो गया।
3.	08 स्टेशनों पर आईपीएस द्वारा परंपरागत पॉवर सप्लाई उपकरणों (चार्जर, बैटरी आदि) का बलदाव—रत्नागिरी क्षेत्र के 04 और करवार क्षेत्र के 04	83.41/83.41	कार्य पूरा हो गया।
4.	16 स्टेशनों पर 15 केवीए डीजी सेट के साथ गतायु डीजल जेनरेटरों का बदलाव—रत्नागिरी क्षेत्र के 9 स्टेशन करवार क्षेत्र के 7 स्टेशन	71.22/71.22	कार्य पूरा हो गया।
स्वीकृति वर्ष 2010-11			
1.	निवसर, करमाली और बल्ली पर अतिरिक्त लूप लाइनों की व्यवस्था और मडगांव-बल्ली तथा मडगांव-चांदोर सेक्शन के बीच बाइपास लाइन का निर्माण।	7.00/3370.00	निवसर और बल्ली पर अतिरिक्त लूप लाइन का कार्य पूरा हो गया है करमाली पर अतिरिक्त लूप लाइन का कार्य प्रगति पर है। मडगांव-बल्ली के बीच बाइपास लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
2.	न्यू गवर्नमेंट इलैक्ट्रिक्स फैक्टरी लिमिटेड (एनजीईएफ) से भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) से ड्राइविंग पॉवर कोच (डीपीसी) का कन्वर्जन (दो अदद डीजल इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के लिए)	90.00/174.00	एक कार्य पूरा हो गया। एक कार्य प्रक्रियाधीन है।
3.	ट्रैक मशीन यूनीमेट 8271 का बदलाव	0.00/1518	खरीद आदेश प्रस्तुत किया गया।
4.	रत्नागिरी और करवार क्षेत्र के अंतर्गत पुलों और इनके पहुंच मार्गों तथा कर्व के आऊटर रेल पर वैल्डिंग की सुरक्षा के लिए जोंगल फिश प्लेटों और सी क्लैम्पों की व्यवस्था	165.00/165.00	कार्य पूरा हो गया।
5.	रत्नागिरी क्षेत्र के अंतर्गत थ्रू फिटिंग नवीकरण	137.00/196.40	कार्य प्रगति पर है।
6.	रत्नागिरी क्षेत्र में नीलिके, अश्टी, कोंडावली अरावली, बानेवाडी, अंजानारी, अडावली-1 तथा बारेवाडी-2 सुरंगों में रॉक बोल्टिंग और शॉटक्रीटिंग कार्य	90.00/790.00	कार्य प्रगति पर है।
7.	208/800-209/200 किमी. के बीच पोमेंडी कटिंग पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण, पाइल्स का निर्माण और अन्य सुरक्षात्मक कार्य	594.00/594.00	कार्य पूरा हो गया।
8.	करवार क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण उपाय जिनमें एचपीएसवी और ओपन प्लेटफार्मों की एफटीएल फिटिंग का 24 वाट की एलईडी लाइट फिटिंग से बदलाव शामिल है	0.00/34.73	कार्य प्रगति पर है।
स्वीकृति वर्ष 2011-12			
1.	डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजरों की खरीद	0.00/668.60	खरीद आदेश प्रस्तुत किया गया।
2.	कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन द्वारा चार्टिंग सिस्टम का बदलाव	0.00/149.30	कार्य प्रगति पर है।
3.	रत्नागिरी और करवार क्षेत्र के अंतर्गत ढलान को समतल करने, जल निकासी प्रणाली में सुधार लाने और कटिंग के लिए अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य	1145.00/1145.00	कार्य पूरा हो गया।

1	2	3	4
4.	रत्नागिरी और करवार क्षेत्र के अंतर्गत ढलान को समतल करने, जल निकासी प्रणाली में सुधार लाने और कटिंग के लिए अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य	150.00/1364.00	कार्य प्रगति पर है।
5.	नातूवाडी के बाकी बचे हुए हिस्से और रत्नागिरी क्षेत्र में करबुडे तथा बरडेवाडी सुरंगों में रॉक बोल्टिंग और शॉटक्रीटिंग कार्य	500.00/1036.00	कार्य प्रगति पर है।

बांधों की सुरक्षा

6. श्री जगदीश ठाकोर:
श्री के.पी. धनपालन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सभी बांध सुरक्षित हैं यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार ने बांधों का निरीक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार पुराने बांधों के पुनरुद्धार हेतु कोई विशेष सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ चिन्हित बांधों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक बांध के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बांध भूकंपरोधी हैं, क्या कदम उठाए गए और उनका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) बांधों के सुरक्षा संबंधी निरीक्षण की जिम्मेदारी परियोजना स्वामियों की होती है, जो अधिकतर राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होते हैं। इस संबंध में राज्यों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(ख) केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से 'बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी)' के अंतर्गत कुछ राज्यों में पुराने बांधों के पुनर्वास के लिए प्रयास किए हैं।

(ग) चार राज्यों नामत: केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में लगभग 223 बड़े बांधों को डीआरआईपी के अंतर्गत पुनर्वास के लिए अभिज्ञात किया गया है। परियोजना कार्यान्वयन के बाद के चरण में कुछ और राज्य परियोजना में शामिल हो सकते हैं। परियोजना का समय पर्यवेक्षण एवं समन्वय, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया जा रहा है। डीआरआईपी बांधों और अनुमानित लागत का ब्यौरा संक्षेप में निम्नानुसार है:–

	डीआरआईपी बांधों की संख्या	परियोजना की लागत (करोड़ रुपये में)
केरल	31	279.99
मध्य प्रदेश	50	314.54
ओडिशा	38	147.74
तमिलनाडु	104	745.49
केन्द्रीय जल आयोग	.	132.00
अनावंटित (नए राज्यों के लिए)		480.24
कुल	.	2100.00

डीआरआईपी के अंतर्गत बांधों की राज्यवार सूची और उनके लागत के आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) देश में प्रस्तावित किसी बांध के निर्माण से पहले संबंधित दिशानिर्देशों/भारतीय मानक कोड के अनुसार एक विस्तृत विश्लेषण एवं डिजाइन तैयार किया जाता है। भूकंप संबंधी घटना से बचने के लिए स्थल विशिष्ट डिजाइन भूकंप प्राचल निर्धारित करने हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे आईआईटी रूड़की, सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे आदि के माध्यम से भूकंपविज्ञानीय अध्ययन किये जाते हैं। उसके

बाद डिजाइन भूकंप प्राचल राष्ट्रीय भूकंपविज्ञानीय डिजाइन प्राचल समिति (एनसीएसडीपी) द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं जिसमें राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। देश में भूकंपविज्ञानीय आंकड़े/भूकंप का पूर्व का इतिहास भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा रखा जाता है और उनके आंकड़ों का उपयोग इन अध्ययनों के लिए किया जाता है। डिजाइन में पर्याप्त सुरक्षा घटक (एफओएस) रखते हुए बांधों और आनुषंगिक संरचनाओं की भूकंप से सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है।

विवरण

बांधों और उनके लिए किये गये आवंटन की राज्यवार सूची

बांध का विवरण	रुपये (करोड़ में)	बांध का विवरण	रुपये (करोड़ में)
1	2	3	4
	मध्य प्रदेश		
संजय सरोवर	32.624	मरकोदा	1.54
अरि	13.732	लासुदिया कंगर	3.211
तवा	18.881	कंकरखेडा	5.112
जिरभर	0.65	भगवानपुरा	3.168
कुंवर चैन सागर	4.406	मंझिखेडी	0.833
चनपथा	65.14	लक्ष्मीखेडा	0.584
बर्ना	5.867	चन्दरकेशर	0.822
संजय सागर	2.216	मेहगांव टैंक	1.094
गोपी कृष्ण सागर	1.541	बरनू	1.265
बिशोनिया टैंक	0.74	मंदई	1.296
नलाजिनी टैंक	0.95	सागरनंदी	0.864
धबलामता टैंक	1.721	खरादी	1.441
गुरदिया सुरदास	2.876	मूरमनाला	1.362
बिरपुर	0.838	चवरपनी	1.312
सुन्दरेल	1.063	गंगुलपारा	1.363
संपना	1.06	धुती वियर	3.701
कोलर	20.124	बदेरा	0.936
बुंदाला	1.498	मंदवझीरी	1.211
देवगांव	0.864	डोंगरबोदी	0.707
थंवर	1.471	करही	0.368
सरथी	5.042	सुखीपोंदी	0.462

1	2	3	4
नेहलेसारा	0.612	शेहर	0.792
बम्होदी	0.684	उमरार	0.806
हरई	0.605	कमेरा	0.295
बिरनई	0.792	मरहि	2.304
		ओडिशा	
बलिमेला	5.205	सतीगुडा (यूकेपी)	3.56
रेंगाली	5.3	सतीगुडा (मल्कनगिर)	0.75
सालंदी	2.6	अरदेई	0.7
उपरी कोलाब	4.7	तलसरा	0.872
बुधबुधियानी	1.61	अशोकनाला	0.2
दादराघाटी	1.12	बगिहरन	0.4
दहा	1.2	बलासकुंपा	0.4
दरजंग	3.05	बैंकसल	1.104
धनेई	1.331	देवझरन	0.28
कलो	3.635	जगादला	1
नेसा	0.77	झुमुका	0.6
पिलास्लकी	2.95	कलाकला	0.9
पितामहल	0.97	खसबहल	0.15
सलिया	1.95	लेगम	1
सराफागढ़	1.46	लियार्ड	0.2
मथनपल	1.198	संमाचकंदना	0.919
पदमपुरनाल्हा	1.5	हीराकुंड	14.606
पिपलनाल्हा	0.8	कनेहीनाला	0.6
रामागुडा	0.24	रुनुगांव	0.24
		केरल	
सिरूवनी (सिंचाई)	3.78	चितुरपुझा	1.92
कंजीरापुझा	3.04	मुवातुपुझा	4.194
चिमोनी	2.97	इदुकी (केएसईबी)	31.463
कुटियाडी	21.6	सबरिगिरी/बी	24.144
मलमपुझा	17.82	इदामल्या	6.636
मूलाथारा	1.074	पालीवसल	3.327

1	2	3	4
पुथुंदी	4.244	सेनगुलाम	2.712
नेयार	5.64	पेनियार	1.994
वझानी	3.026	निलमनगलाम	1.383
पीची	5.4	पोरिंगलकुथु	2.641
पेरिया	7.2	सोलायर	4.14
पंबा	3.6	कुटियादी	2.16
चुलियार	1.406	निचली पेरियार	3.595
मीनकरा	2.017	ककड़	3.378
वल्यार	3.186	कलादा	12.888
पझासी	9.232		
		तमिलनाडु	
कृष्णागिरी	21.39	परंबीकुलम	3.997
वेनियर	3.593	सोलायर	4.249
सथानुर	12.988	अलियर	7.733
विदुर	2.916	थिरूमूर्थि	3.876
मूरधाना	3.468	थम्बालहेली	2.419
गोमुकीनधी	2.568	पंबर	1.958
वेगई	8.772	शूलागिरीचिनार	1.855
मंजलर	2.544	केलावरपल्ली	5.594
कुलारसंधई	4.536	चिनार	10.282
गोलवरपट्टी	4.788	केसारीगुलाहाला	2.46
गटना	2.462	नगावथी	0.882
गुंदर	1.056	रजथोपकनार	0.925
अदवीनईनरकोली	1.789	थोपियर	1.436
नंबियार	1.638	मनिमक्शानधि	11.928
चितार I	1.489	वीरानम	3.402
चितार II	1.716	सोथूपरई	1.015
पोईगेईयार	0.947	पिलवुखई पेरियार	2.836
मेतूर	11.201	पेरावुखई कोवियर	2.232
सिधामाली	6.468	मनिमूथर	16.972
वराथूपलम	2.33	रामानधि	2.328

1	2	3	4
अमरावथी	7.332	करूपानदी	2.722
पोरनदलार	4.356	कोदुमुदियार	1.576
वटामलईकरईओदई	2.292	मरूधानदी	3.113
नोयलअथूपलयम	3.205	पीचीपरई	41.894
उपरी निरार वियर	1.198	पेरूनचनी	55.49
निचली निरार विचार	1.824	अनेमदावु	3.948
शुनाकदावू	2.51	करईकोइल	2.52
वेम्बाकोथई	2.797	पोनेनिइर	2.722
अनईकुट्टम	4.133	भवानीसागर	7.302
उपरी (त्रिची)	3.005	गुदरीपलम	3.175
वदाखुपाचयर	2.016	पेरूपलम	3.276
पपनसम डायवर्जन वियर	28.8	उपरी उरोड	2.458
पईकरा नयी फोरबे	7.505	पैरापलर	1.284
सरवालर	7.296	कुथिरयर	3.1
उपरी भवानी (पंपिंग वियर)	0.343	कोदनगर	4.536
वंदल	1.224	निरालापलम	0.348
पश्चिमी वरहापलम	0.626	पईकरा	22.234
पिलूर	70.536	अवलंचे	1.056
चिनारकुटियार	3.852	एमराल्ड	0.302
कोदयार 1	2.436	इरावंगलूर	3.156
थम्बाराबरानी	0.564	गलेमोरीन (करिअप्पा)	0.811
उपरी अलियर	1.944	हाईवेव्स	2.21
उपरी भवानी	12.175	कदमपरई	3.168
बंगिहाला	0.151	कोदयर 2	5.088
वेनिरर	0.336	कुटियर	0.768
पूर्वी वरहापलम	0.232	मनालर	4.159
पश्चिमी कैचमेंट वियर I	0.149	करवाकंडी	4.392
पश्चिमी कैचमेंट वियर II	0.605	मोयेर फोरबे	3.204
पश्चिमी कैचमेंट वियर III	0.108	मुर्कुर्थी	2.028
पेरियार फोरबे	2.316	परसनस वैली	0.302
कुदहापलम	24.358	पेगुमबहाला फोरबे	2.292
संदयानाला	0.583	पोर्थीमुंड	2.922

यूरोपीय संघ जल परियोजना प्रस्ताव

7. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ (ईयू) ने जल परियेजना प्रस्तावों के लिए भारत के अपना समर्थन प्रदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार यूरोपीय संघ के साथ किन शर्तों पर सहमत हुई है;

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) यूरोपीय संघ ने राजस्थान राज्य के लिए राज्य भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान के रूप में 80 मिलियन यूरो की सहायता दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण द्वारा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देता है। वित्तपोषण समझौता, भारत सरकार और यूरोपीय संघ के बीच अगस्त, 2006 में हस्ताक्षरित किया गया था तथा यह दिसंबर, 2015 तक मान्य है। 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार निर्धारित 80 मिलियन यूरो में से राज्य भागीदारी कार्यक्रम, राजस्थान के लिए 23.8 मिलियन यूरो (अथवा 142.23 करोड़ रुपए) वितरित किए गए हैं।

भारत यूरोपीय संघ एस एवं टी सहयोग द्वारा ढांचे के अंतर्गत, हल ही में निधि के समान संयुक्त निवेश वाली चार भारत-यूरोपीय जल अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। ये चार परियोजनाएं (i) भारत में शहरीकृत क्षेत्रों में जल की कमी से निपटने हेतु प्राकृतिक जल प्रणाली एवं परिशोधन प्रौद्योगिकियां (एनडब्ल्यूएटीईसीएच) (ii) भारत में पुनर्प्रयेग प्रौद्योकियें में सहायक समेकन अनुकरण और निरंतर अपशिष्ट जल परिशोधन का उन्नयन (एसएआरएएसडब्ल्यू एटीआई); (iii) हरित एवं स्थयी प्रौद्योगिकी सहित भारत में जल अनुसंधान सुरक्षा (एसडब्ल्यूआइएनजीएस) और (iv) भारत में उर्जा दक्ष, समुदाय आधारित जल एवं अपशिष्ट जल परिशोधन प्रणाली की अवस्थापना (ईको इंडिया) हैं।

यूरोपीय संघ के 7वें ढांचागत कार्यक्रम अह्वान (ईपी 7-ईएनवी-2011) के प्रत्युत्तर में, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की ने आठ देशों के 20 संगठनों (11 भारतीय और 9 विदेशी) के संघ में शामिल होकर ''भारत में माफ पानी-स्वच्छ एवं स्थायी जलापूर्ति हेतु प्राकृतिक जल प्रणालियों और परिशोधन विधियों का उन्नयन'' नमक एक सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तुत की तथा यूरोपीय संघ से अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक तकनीकी मूल्यांकन के जरिए योग्यता हासिल की। परियोजना की कुल लागत 47,81,255 यूरो है जिसमें यूरोपीय संघ का अंशदान 34,99,620 यूरो है जिसमें से राष्ट्रीय जल विज्ञान के लिए एक अक्तूबर 2011 से 36 महीने के लिए आबंटन 2,42,044 यूरो है। परियोजना विभिन्न अध्ययन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करके अपने विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के साथ 1 अक्तूबर, 2011 से चल रही है। इस सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए यूरोपीय संघ का निधियन प्रत्येक भागीदार के लिए, वैज्ञानिक परियोजनाओं के विषय में लागू विभिन्न ''शीर्षों'' के अंतर्गत परियोजना में परिकल्पित प्रत्येक भागीदार के लिए विशिष्ट आवंटन वाले अनुदान के रूप में है। निर्धारित शर्ते यह है कि अनुदान का लगभग 50% परियोजना प्रारंभ होने के समय, लगभग 40% कार्य पैकेज की प्रगति के आधार पर और शेष 10% अंतिम परियोजना रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद दिया जाएगा।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनगणना

8. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछली बार कब गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों (बी.पी.एल.) की जनगणना संपूर्ण देश में तथा राज्य स्तर पर की गयी थी;

(ख) वर्तमान बी.पी.एल. संबंधी जनगणना का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा संचालित बी.पी.एल. जनगणना के आधार पर केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही भिन्न-भिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या घोस्ट कार्ड्स गलत पहचान इत्यादि संबंधी कतिपय समस्याएं सामने आयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उन परिवारों की पहचान करने के लिए बीपीएल जनगणना कराने हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिन्हें मंत्रालय के कार्यक्रमों का लक्ष्य बनाया जा सकता है। पिछली बीपीएल जनगणना वर्ष 2002 में की गई थी।

(ख) केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देशभर में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की पहचान करने और जाति आधारित जनगणना करने के लिए 29 जून, 2011 को सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी 2011) शुरू कर दी है, जो कि भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कराई जा रही है। सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना, 2011 में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना, शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के संबंध में शहरी क्षेत्रों में जनगणना और देश भर में जाति आधारित जनगणना शामिल हैं। जाति आधारित जनगणना का विषय भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के कार्यक्षेत्र में आता है और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की पहचान का कार्य आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एचयूपीए) के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जैसी योजनाएं चला रहा है, जिनसे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला ग्रामीण जन समुदाय लाभान्वित होता है।

(घ) सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना अब भी चल रही है और अभी तक ऐसी कोई सूचना मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) में दर्शाई गई स्थिति के मद्देनजर कोई टिप्पणी नहीं है।

रेल कोच फैक्ट्री

9. **श्री आर. ध्रुवनारायण:**
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को देश में रेल सवारी डिब्बा कारखानों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी;

(ग) क्या रेलवे का देश में स्थित विभिन्न उत्पादन इकाइयों और कार्यशालाओं के निजीकरण का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में संबंधित पणधारियों से परामर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जब कभी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उनकी रेलवे की आवश्यकताओं के संदर्भ में जांच की जाती है, मौजूदा तथा पहले से ही नियोजित की गई रेल कोच फैक्ट्रियां फिलहाल रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

निधियों का आबंटन

10. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सिंचाई हेतु निधियों के वर्ष-वार और राज्य-वार आबंटन और इसके उपयोग का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सिंचाई हेतु गुजरात राज्य सरकार को कितनी निधियां आबंटित की गई और कितनी निधियों का उपयोग गुजरात राज्य सरकार द्वारा किया गया?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा सिंचाई हेतु जारी निधि का वर्षवार आवंटन और ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान गुजरात राज्य सरकार सहित उनका राज्यवार उपयोग संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

11वीं योजना अवधि के दौरान राज्यवार एवं वर्षवार आवंटन एवं व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य एवं संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	*अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	12973.61	12215.95	16471.51	9001.44	15453.19	11739.38	14864.6	9678.02	14969.64	14969.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	79.18	67.49	48.62	119.24	44.5	106.66	100.91	186.41	117.55	117.55
3.	असम	135.66	120.83	325.58	331.32	331.42	605.45	371.02	710.56	1012.24	1036.32
4.	बिहार	1335.48	1335.42	2251.79	1297.23	1829.5	1070.93	2064.03	1411.55	2314.2	1726.32
5.	छत्तीसगढ़	978.13	978.13	937.46	916.15	968.68	1031.53	859.18	1109	2041.6	2041.6
6.	गोवा	212.41	171.53	245.69	198.72	212.59	205.77	243.37	247.95	266.59	266.59
7.	गुजरात	4754.48	4814.53	5070.2	7872.41	5639.35	5428.97	5670.21	6185.09	9327.57	9327.57
8.	हरियाणा	718	759.37	790	818.5	806	798.11	789.4	732.03	790	985
9.	हिमाचल प्रदेश	259.82	209.38	296.15	247.97	270.74	286.49	310.48	310.98	366.19	366.19
10.	जम्मू और कश्मीर	135.63	135.63	208.85	209.45	350.75	350.75	302.395	359.73	450.3	450.3
11.	झारखंड	529	801.21	600	402.31	550	291.79	475	326.67	1555	705
12.	कर्नाटक	3145.77	2504.42	3468.74	2695.28	3983.82	3578.33	4428.92	4507.94	6843.41	6843.41
13.	केरल	215.27	196.31	257.62	179.97	350.65	216.27	332.86	223.82	551.03	551.03
14.	मध्य प्रदेश	1796.95	2089.56	2184.81	2247.98	2285.91	2295.07	2754.35	3494.21	3046.64	3046.64
15.	महाराष्ट्र	4144.16	3132.85	5954.84	6699.96	4637.02	7183.11	7854.34	8440.89	7385.98	7385.98
16.	मणिपुर	199.04	189.3	267.2	79.47	288.07	207.56	382.17	293.76	439.89	453.86
17.	मेघालय	25.15	14.29	41	43.9111	51	45.644	89.2	88.88	128.4	128.4
18.	मिजोरम	34.74	33.31	27.66	66.541	58.21	48.17	62.66	59.57	78.56	53.76
19.	नागालैंड	50.16	52.82	66.71	54.17	100.78	81.86	144.52	144.52	147.63	148.63
20.	ओडिशा	784.6	1541.57	1380.71	1572.86	1787.992	1603.11	2111.09	1641.81	2248.4	1842.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	पंजाब	650	213.4	350.19	418.7	521.31	476.5	645.27	345.79	1030.36	1030.36
22.	राजस्थान	1219.93	877.07	1082.94	836.83	949.15	783.94	853.07	683.52	970.88	970.88
23.	सिक्किम	14.35	12.16	17.84	32.73	53.0883	37.62	109.11	47.24	143.92	143.92
24.	तमिलनाडु	565.97	325.25	726.87	488.23	789.13	683.55	833.93	523.32	752.19	632.33
25.	त्रिपुरा	63.26	41.26	74.89	42.6	101.9928	44.8	181.65	45.41	174.88	60.92
26.	उत्तर प्रदेश	2362.1849	2354.23	2739.6	2705.4	3214.57	2357.41	3603.82	2773.66	3368.79	2406.99
27.	उत्तराखंड	135.87	375.59	613.68	511.64	690.38	690.38	614.17	357.12	535.97	535.97
28.	पश्चिम बंगाल	374.06	314.86	566.69	404.76	557.889	504.34	604.73	306.96	1902.73	1902.73
	कुल राज्य	37892.86	35877.72	47067.84	40495.721	46877.68	42753.49	51656.46	45236.41	62960.54	60130.08
	संघ राज्यक्षेत्र										
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.2	69.44	5.09	4.99	6.6	6.9	11.8	5.78	17.62	17.62
30.	चंडीगढ़	0.65	0.35	1.4	0.5	0.5	0.49	0.49	0.37	0.2	0.39
31.	दादरा और नगर हवेली	6.41	6.41	1.3	1.27	3.1	3.39	11.1	16.16	15.36	15.36
32.	दमन और दीव	0.64	0.86	0.7	0.37	0.6	3.06	1.6	1.51	5.44	5.44
33.	दिल्ली	69	28.21	86.6	43.73	37.4	59.62	38	38.55	60	60
34.	लक्षद्वीप	6.03	4.65	6	4	6	5.02	4	3.99	3	3
35.	पांडिचेरी	39.46	40.65	25.86	26.39	85.72	47.12	70.83	36.06	80.15	33.22
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	137.39	150.57	126.95	81.25	139.92	125.6	137.82	102.42	181.77	135.03
	कुल राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र	38030.25	36028.29	47194.79	40577.02	47017.60	42879.09	51794.28	45338.83	63142.31	60265.11

*संबंधित एजी से अंतिम व्यय के आंकड़े 2013-14 के दौरान ही उपलब्ध हो पाएंगे।

डीएफबीओटी ढांचे के संबंध में आपत्तियां

11. श्री के. सुगुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोशिएटिड विद्युत उत्पादकों ने नए विद्युत खरीद समझौतों में प्रस्तावित डिजाइन फाइनांस बिल्ड आपरेट एंड ट्रांसफर (डीएफबीओटी) ढांचे के संबंध में आपत्तियां उठायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का डीएफबीओटी में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। विद्युत मंत्रालय ने निजी

विकासकर्ताओं, वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकारों, डिस्काम और संबंधित मंत्रालयों/विभागों सहित स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए 7 सितम्बर, 2012 को मामला-2 के लिए प्रारूप मॉडल विद्युत क्रय करार (एमपीपीए) परिचालित किया था। यह दस्तावेज विद्युत उत्पादक संगठन (एपीपी) सहित पणधारियों के साथ विभिन्न बैठकों और विचार-विमर्शों के आधार पर तैयार किया गया था।

एमपीपीए पर अपनी टिप्पणियां देते समय, विद्युत उत्पादक संगठन (एपीपी) ने यह बताया है कि "डिजाइन फाइनेंस बिल्ड ओपरेट ट्रांसफर (डीएफबीओटी) मॉडल से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के संदर्भ में व्यापक निवेश, विकास तथा वित्तीय चुनौतियां उत्पन्न होंगी।

(ग) और (घ) पणधारियों की टिप्पणियां अंतर-मंत्रालयी समूह के पास परीक्षणाधीन हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भेषज कंपनियों की स्थापना

12. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कितनी भेषज कंपनियों की स्थापना की गई है और उन पर कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कितनी स्वदेशी भेषज कंपनियों का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) स्वदेशी भेषज कंपनियों के अधिग्रहण के बाद औषधियों के मूल्यों में किस सीमा तक वृद्धि की गई है और ऐसी मूल्य वृद्धि का औचित्य क्या है;

(घ) क्या सरकार का स्वदेशी भेषज उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने का विचार है ताकि स्वदेशी भेषज उद्योग को बचाया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) मांगी गई सूचना इस विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) से (च) औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिनांक 08.11.2011 के प्रेस नोट संख्या 3(2011) के अंतर्गत भेषजीय क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति नीचे लिखे अनुसार निर्धारित की गई है:-

(i) भेषजीय क्षेत्र में ग्रीनफील्ड निवेशों के लिए ऑटोमैटिक रूट के अधीन 100% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति दी जाती रहेगी।

(ii) भेषजीय क्षेत्र में ब्राउनफील्ड निवेश (अर्थात् मौजूदा कंपनियों में निवेश) के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित रूट के अधीन 100% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति दी जाएगी।

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का नोडल विभाग है, ने यह सूचित किया है कि सरकार द्वारा अनुमोदित रूट के अधीन भेषजीय क्षेत्र के अंतर्गत मौजूदा कंपनियों में 100% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी नीति को दिनांक 8.11.2011 के प्रेस नेट संख्या 3/2011 के तहत लागू किया गया था। इस प्रावधान को अब 10.4.2012 से प्रभावी "2011 के परिपत्र 2-समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति" के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

विद्युत क्षेत्र में निधियों की आवश्यकता

13. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2007 से 2012 के लिए विद्युत क्षेत्र में निधियों की आवश्यकता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विद्युत क्षेत्र में निवेश करने के लिए विदेश से निवेशकों को आमंत्रित किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को इस संबंध में क्या प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) 11वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत क्षेत्र के लिए 11वीं योजना (2007-12) के वास्ते 10,31,600 करोड़ रुपए की निधि की आवश्यकता थी। इसमें 4.1 लाख करोड़ रुपए उत्पादन में, 1.4 लाख करोड़ रुपए पारेषण में और 2.87 लाख करोड़ रुपए की निधि वितरण क्षेत्र में शामिल थी।

(ग) और (घ) सरकार ने विद्युत क्षेत्र में विदेश से निवेश लाने जैसे, विद्युत क्षेत्र में (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए नीतिगत उपायों की पहल की है। इसमें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण तथा साथ ही साथ विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत व्यापार शामिल है। भारत सरकार ने अगले वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2013 तक 30 प्रतिशत की तुलना में 15 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर भारतीय कंपनियों की विदेशी सहायक संस्थाओं से भारत में लाभांशों के देश प्रत्यावर्तण को भी अनुमति प्रदान की है।

[अनुवाद]

पंजाब टर्मीनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट

14. **श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब और हरियाणा द्वारा राजस्थान को मनमाने तरीके से जल छोड़ा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्थान को टेक्नीकल कमेटी द्वारा यथा निर्धारित जल का अपना हिस्सा प्राप्त हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पंजाब टर्मीनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, 2004 के पारित होने से पूर्व और बाद में हरियाणा राज्य द्वारा रावी-ब्यास के जल का कितनी मात्रा में उपयोग किया गया; और

(ङ) क्या उपर्युक्त अधिनियम में हरियाणा द्वारा उपयोग किए जाने वाले रावी-ब्यास के जल की मात्रा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अनुसार संबंधित राज्यों को जल, उनके द्वारा लगाए गए आवश्यकता के अनुमान/तकनीकी समिति की मासिक बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक राज्य के हिस्से के आधार पर जारी किया जाता है।

(ख) और (ग) बीबीएमबी, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल हैं, स्वयं ही जल छोड़ने के विषय में निर्णय लेने हेतु सक्षम निकाय है।

(घ) पंजाब और हरियाणा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 से पहले और बाद में हरियाणा द्वारा रावी-ब्यास के जल के उपयोग की औसत मात्रा 1. 62 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) है।

(ङ) पंजाब द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 में हरियाणा द्वारा रावी-ब्यास के जल का उपयोग 1.62 एमएएफ उल्लिखित है।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में रिक्तियां

15. **श्रीमती सुशीला सरोज:**
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्र सरकार के अधीन चलाई जा रही अल्पसंख्यक संस्थाओं में बड़े पैमाने पर पद रिक्त पड़े हैं जिसके कारण अल्पसंख्यक संस्थाओं के कार्य बाधित हो रहे हैं और उन्हें पूरी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थाओं में पड़े रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और ये रिक्तियां कब से लंबित पड़ी हैं;

(ग) इस रिक्तियों को न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) और (ख) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन अल्पसंख्यक संस्थानों में उनकी स्वीकृत क्षमता की तुलना में निम्नलिखित रिक्तियां दर्शायी गई हैं:

(i) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एम ए एन यू यू) में 284 स्वीकृत पदों में से 148 रिक्तियां;

(ii) जामिया मिलिया इस्लामिया में 824 स्वीकृत पदों में से 134 रिक्तियां; तथा

(iii) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1887 स्वीकृत पदों में से 378 रिक्तियां केवल अल्पसंख्यक संस्थानों में ही नहीं अपितु समूचे तौर पर अन्य संस्थानों में लगभग 30% तक स्टाफ की कमी है।

(ग) इन रिक्तियों को न भरे जा सकने के मुख्य कारणों की वजह यह है कि बहुत ही कम अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, विभिन्न कारणों यथा (i) निम्नतर वेतनमान (ii) विश्वविद्यालय तथा कॉलेज स्तरीय शिक्षण पदों हेतु स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल अध्ययन की अर्हता प्राप्त करने सरीखी संकाय पदों के लिए उच्चतर अर्हता प्राप्त करने में ज्यादा समय लगने के कारण शिक्षण पदों का चुनाव कर रहे थे।

(घ) केन्द्र सरकार ने शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभा को आकर्षित करने व रोके रखने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीन महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन किया था। केन्द्र सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, उन राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना जारी रखने का निर्णय लिया था जो विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन की योजना को अपनाना तथा लागू करना चाहते हैं।

रेल पथ पर होने वाली मौतें

16. **श्री भूदेव चौधरी:**
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में रेलमार्ग के साथ-साथ 5-6 फीट ऊंची दीवार बनाने का प्रस्ताव है ताकि रेल पथ पर होने वाली मौतों को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस पहलू पर क्या अद्यतन प्रगति हासिल की गई है और इस संबंध में कुल कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) रेल पथ को पार करते समय होने वाली मौतों को नियंत्रित करने के लिए रेलवे द्वारा व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली रीजन में रेल पथ को पार करते समय कितने लोगों की मृत्यु हुई है; और

(ङ) ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) दीवारों के निर्माण की योजना आवश्यकता विशेष पर की जाती है। अतिक्रमण से बचने के लिए दिल्ली-पलवल खण्ड पर लगभग 13.96 किलोमीटर चार दीवारों का निर्माण किया गया है। इन चार-दीवारों के निर्माण पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। दिल्ली क्षेत्र में, विशेष रूप से अतिक्रमण से बचने के लिए रेलपथ के विस्तार के साथ लंबी सीमा दीवार के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं है।

(घ)

वर्ष	2010	2011	2012 (सितम्बर तक)
सं.	545	401	411

(ङ) रेल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जा रहा है और रेलपथों पर अतिक्रमण से बचने के लिए सिविल पुलिस, राजकीय रेल पुलिस और सिविल प्रशासन के साथ निकट समन्वय बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

जल का बंटवारा

17. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जल की आपूर्ति के संबंध में राज्यों द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जल के बंटवारे संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए सभी राज्य सरकारों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को विगत समय में किए गए समझौतों का पालन करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार बातचीत के माध्यम से राज्य सरकारों के बीच जल की हिस्सेदारी से संबंधित मतभेदों के सौहार्द्रपूर्ण समाधान हेतु लगातार प्रयास कर रही है। अत: समय-समय पर जब भी आवश्यकता होती है, बैठकें बुलाई जाती हैं।

(ग) और (घ) जल की हिस्सेदारी से संबंधित अंतर-राज्यीय समझौते किए गए हैं और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं।

[हिन्दी]

निर्मल ग्राम पुरस्कार-2009 की सत्यापन रिपोर्ट

18. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को निर्मल ग्राम पुरस्कार-2009 के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सत्यापन रिपोर्ट के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार और जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में केन्द्र सरकार को गत एक वर्ष के दौरान और आज तक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और राज्य में वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) जी, हां। वर्ष 2009-10 में अभ्यावेदन मिले थे।

(ख) विगत एक वर्ष से आज तक केन्द्र सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ग) और (घ) वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की गई थी और यह जानकारी देकर इस मामले का निपटान किया गया था कि निर्मल ग्राम पुरस्कार, 2009 देने के ऐसे मामलों की समीक्षा कर पाना संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

एनटीपीसी का कर्ज

19. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (एनटीपीसी) का कर्ज विगत कुछ वर्षों में बढ़ता रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्ज के भार को कम करने और इसके व्यापरावर्त और लाभदेयता में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एनटीपीसी बोर्ड द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार, कंपनी अपनी पूंजी व्यय (कैपेक्स) की वित्तयोजना 70:30 की इक्विटी अनुपात में करती है। दिनांक 31.03.2012 के तुलनपत्र के अनुसार, ऋण-इक्विटी अनुपात 0.69:1 के स्तर पर था जोकि, एनटीपीसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपात के भीतर है। इसलिए एनटीपीसी में अत्यंत निम्न गियरिंग अनुपात है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान लगाए गये डेब्ट की तुलना में कुल कैपेक्स इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कैपेक्स	ऋण	इक्विटी
2009-10	10467.13	5086.73	5380.40
2010-11	12955.63	8668.68	4286.95
2011-12	15993.52	9784.05	6209.47

(ग) चूंकि कैपेक्स में लगाया गया ऋण अपेक्षित अनुपात के भीतर है इसलिए ऋण को कम करने के लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र हेतु विनियामक

20. **श्री सी. शिवासामी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र के लिए एक सशक्त और सजग विनियामक की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के विनियामकों को उन मुद्दों के मामले में और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का जो विद्युत क्षेत्र के विकास को बाधित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के साथ चर्चा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 में केंद्र और राज्यों में विनियामक आयोगों के सृजन की व्यवस्था की गई है। ईआरसी अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ईआरसी अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत सृजित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियाम आयोग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसी प्रकार से, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) की स्थापना की गई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों, उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने कार्यों के निर्वहन में विद्युत विनियामक आयोगों (ईआरसी) को स्वायत्ता देने की व्यवस्था की गई है।

(ग) विद्युत क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाले मामलों को निपटाने में राज्य विनियामकों को व्यापक स्वायत्ता प्रदान करने के सम्बन्ध, में, यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिन्हें इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है और जो उपयुक्त सरकार है।

(घ) से (च) उपरोक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एनएमडीएफसी द्वारा तकनीकी और उद्यम संबंधी कौशल का स्तरोन्नयन

21. श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने उत्पादन इकाइयों के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए अल्पसंख्यकों के तकनीकी और उद्यम संबंधी कौशल का स्तरोन्नयन करने में सहायता करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनएमडीएफसी द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में किए गए विकासात्मक कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के तकनीकी और उद्यम संबंधी कौशलों को उन्नत बनाने के लिए उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु एक संवर्धनात्मक योजना कार्यान्वित करता है। इस योजना के अंतर्गत, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। एनएमडीएफसी अपने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन करता है और सरकारी स्वामित्वाधीन/मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के अनुसार, एनएमडीएफसी द्वारा 6 महीने से अनाधिक अवधि वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 1000 रु. प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। एनएमडीएफसी प्रशिक्षण शुल्क का 85% अनुदान देता है और उक्त प्रशिक्षण लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को 500 रु. प्रतिमाह वजीफा भी प्रदान किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के लिए एनएमडीएफसी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

विकासात्मक कार्यकलाप	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (01.10.2012 तक)
वितरित की गई ऋण राशि (करोड़ रु. में)	197.74	233.27	271.37	133.25
ऋण से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	1,04,594	1,58,510	1,05,874	32,374
कौशल प्रशिक्षण दिए गए लाभर्थियों की संख्या	3,218	3,369	5,410	3,309
विपणन सहायता उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों की संख्या	3,871	4,795	4,600	1,800

राजस्थान को यमुना का जल

22. श्री रतन सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के भरतपुर जिले को यमुना से अपने हिस्से की तुलना में कम जल प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भरतपुर जिले को यमुना का जल प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जल की चोरी को रोकने के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) ओखला से छोड़ा गया राजस्थान के हिस्से का जल भरतपुर जिले में प्राप्त होता है। राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ओखला से राजस्थान की सीमा को प्राप्त जल का वर्षवार ब्यौरा इसके हिस्से की प्रतिशतता के रूप में निम्नानुसार है:-

वर्ष	2001	2002	2003	2004	2005	2006
हिस्से की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त जल	51.25	47.58	58.55	58.97	51.39	38.98
वर्ष	2007	2008	2009	2010	2011	
हिस्से की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त होने वाला जल	47.39	48.99	43.19	47.07	33.39	

(ग) ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) ने सूचित किया है कि राजस्थान द्वारा ओखला से अपने हिस्से का जल न पाए जाने की शिकायत किए जाने पर सदस्य सचिव, यूवाईआरबी ने 6.3.2010 को गुडगांव नहर से राजस्थान सीमा तक निरीक्षण किया तथा 22.6.2010 को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य अभियंताओं के साथ एक बैठक की आयोजना की थी। इसमें निम्नलिखित कार्रवाई बिन्दुओं को अभिज्ञात किया गया था:-

1. ओखला में यमुना के जल के समुचित हिसाब के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा ओखला में छोड़े जाने वाले गंगा के जल की निवल मात्रा का आकलन किए जाने की आवश्यकता है।
2. नहरों की संवहन क्षमता को इनकी निर्धारित क्षमता तक लाने के लिए गुडगांव फीडर नहर और गुडगांव नहर से गाद हटायी जानी चाहिए तथा क्षतिग्रस्त नहर-संरेखन की मरम्मत की जानी चाहिए।
3. हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में से नहर के जल को गैर-कानूनी रूप से प्राप्त करने को स्थायी रूप से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(घ) से (च) यूवाईआरबी ने सूचित किया है कि हरियाणा सरकार ने नहर के जल की चोरी/अनधिकृत प्राप्ति को रोकने के लिए विशेष पुलिस थानों की स्थापना की हैं। यूवाईआरबी ने हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों को आवधिक रूप से संयुक्त निरीक्षण प्रारंभ करने का अनुरोध किया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्ताव

23. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत और अनुमति हेतु अभी भी लंबित पड़े प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्यों को निधियां जारी की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के चरण-II के अंतर्गत 72 परियोजनाओं (33 नई परियोजनाओं और 39 पूरक परियोजनाओं) को संस्वीकृत किया गया है जिसमें 8103.80 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से 1909

गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण, 53,505 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण और 45.59 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के कनेक्शनों को निःशुल्क विद्युत के कनैक्शन जारी करना शामिल है। इन 72 परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। 17 परियोजनाएं आरईसी के पास लंबित हैं और इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) से (घ) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, निधि की पहली किस्त ठेका देते समय और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/डिस्कॉमों से प्राप्त दावे की प्राप्ति पर जारी की जाती है। आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को 31755.37 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत 72 परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	आईए का नाम	गांवों और बसावट वालों की कवरेज							
			यूई/डीई गांव	पीई गांव	कुल गांव	यूई वास स्थलों	पीई वास स्थलों	कुल वास स्थलों	बीपीएल परिवार	परियोजना लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	छत्तीसगढ़									
1.	कोरिया	सीएसपीडीसीएल	82	441	523	855	0	855	23571	8132.31
2.	जशपुर नगर	सीएसपीडीसीएल	44	636	680	1750	0	1750	60763	9370.86
	कुल छत्तीसगढ़		126	1077	1203	2605	0	2605	84334	17503.17
	हरियाणा									
3.	गुड़गांव	डीएचबीवीएनएल	0	202	202	0	0	0	8325	424.04
4.	फरीदाबाद	डीएचबीवीएनएल	0	145	145	0	0	0	3944	443.95
5.	पलवल	डीएचबीबीएनएल	0	278	278	0	0	0	9163	833.54
	कुल हरियाणा		0	625	625	0	0	0	21432	1701.53
	कर्नाटक									
6.	दक्षिण कन्नड़	मेस्कॉम	0	356	356	98	0	98	22121	5947.19
7.	उडिपी	मेस्कॉम	0	231	231	50	0	50	5661	2157.06
	कुल कर्नाटक		0	587	587	148	0	148	27782	8104.25
	केरल									
8.	अलपुजा	केएसईबी	0	77	77	0	183	183	5486	1366.81
9.	एर्नाकुलम	केएसईबी	0	90	90	0	210	210	3828	2471.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कोल्लम	केएसईबी	0	92	92	0	123	123	718	328.05
11.	कोट्टायम	केएसईबी	0	84	84	0	84	84	1118	796.51
12.	पाथनमथिट्टा	केएसईबी	0	65	65	0	74	74	1977	575.65
13.	तिरुवनंतपुरम	केएसईबी	0	91	91	0	211	211	3034	2182.13
14.	त्रिसूर	केएसईबी	0	144	144	0	199	199	2678	1262.70
	कुल केरल		0	643	643	0	1084	1084	18839	8983.09
	मध्य प्रदेश									
15.	भिंड	एमपीएमकेबीसीसीएल	5	884	889	0	400	400	35509	5215.48
16.	भोपाल	एमपीएमकेबीसीसीएल	0	499	499	210	0	210	15989	2449.26
17.	ग्वालियर	एमपीएमकेबीसीसीएल	0	583	583	0	11	11	20067	3066.27
18.	होशंगाबाद	एमपीएमकेबीसीसीएल	0	896	896	0	106	106	28649	5182.19
19.	रायसेन	एमपीएमकेबीसीसीएल	3	1376	1379	0	181	181	29389	6541.56
20.	राजगढ़	एमपीएमकेबीसीसीएल	6	1671	1677	0	79	79	51418	9187.11
21.	सिहोर	एमपीएमकेबीसीसीएल	2	1011	1013	0	123	123	16600	4986.17
22.	विदिशा	एमपीएमकेबीसीसीएल	19	1501	1520	0	90	90	33972	7939.31
23.	बरवानी	एमपीपीएसकेवीसीसीएल	0	647	647	154	0	154	21975	5327.82
24.	बरहानपुर	एमपीपीएसकेवीसीसीएल	0	260	260	146	0	146	26213	2352.65
25.	देवास	एमपीपीएसकेवीसीसीएल	0	1055	1055	188	0	188	27156	5801.26
26.	खंडवा	एमपीपीएसकेवीसीसीएल	0	510	510	147	0	147	21568	4188.1
27.	खरगौन	एमपीपीएसकेवीसीसीएल	6	1169	1175	0	85	85	44471	8994.26
28.	मंदसौर	एमपीपीएसकेवीसीसीएल	0	906	906	0	0	0	20580	4598.38
29.	नीमच	एमपीपीएसकेवीसीसीएल	0	451	451	0	0	0	8558	2332.11
30.	शाजापुर	एमपीपीएसकेवीसीसीएल	0	1068	1068	0	7	7	37935	5883.61
	कुल मध्य प्रदेश		41	14487	14528	845	1082	1927	440049	84045.51
	तमिलनाडु									
31.	धर्मापुरी	टेनजेडको	0	251	251	4	0	4	6002	1072.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	तिरूनावेली	टेनजेडको	0	425	425	370	0	370	9477	1891.02
33.	नीलगिरि	टेनजेडको	0	53	53	79	0	79	8890	763.87
			0	729	729	453	0	453	24369	3727.37
			167	18148	18315	4051	2166	6217	616805	124064.91
	बिहार									
1.	अररिया	बीएसईबी	109	590	699	1337	934	2271	267352	23409.76
2.	बांका	बीएसईबी	91	1567	1658	516	2150	2666	160300	19912.31
3.	भोजपुर	बीएसईबी	115	884	999	136	1195	1331	236433	16909.34
4.	गया	बीएसईबी	402	2283	2685	1253	3788	5041	275296	49841.20
5.	नवादा	बीएसईबी	22	947	969	1743	408	2151	161658	24093.49
6.	पूर्णिया	बीएसईबी	190	906	1096	1107	3043	4150	365941	30753.80
7.	रोहतास	बीएसईबी	70	1640	1710	277	1547	1824	247396	21839.70
8.	सिवान	बीएसईबी	17	1421	1438	292	3838	4130	279374	32007.69
9.	किशनगंज	बीएसईबी	184	438	622	2493	722	3215	221900	17362.60
10.	पटना	बीएसईबी	96	1158	1254	1444	1279	2723	378569	42062.88
11.	नालंदा	बीएसईबी	42	956	998	834	1898	2732	304109	34811.30
	कुल बिहार		1338	12790	14128	11432	20802	32234	2898328	313004.07
	मध्य प्रदेश									
12.	बालाघाट	एमपीपीओकेबीबीसीएल	115	0	115	0	115	115	3648	3445.07
13.	सीधी	एमपीपीओकेबीबीसीएल	5	296	301	0	518	518	13776	2926.95
14.	छतरपुर	एमपीपीओकेबीबीसीएल	16	526	542	226	0	226	30547	4750.08
15.	सतना	एमपीपीओकेबीबीसीएल	6	326	332	31	680	711	8694	3152.43
	कुल मध्य प्रदेश		142	1148	1290	257	1313	1570	56665	14274.53
	महाराष्ट्र									
16.	सोलापुर	एमएसईडीसीएल	0	1139	1139	0	686	686	19279	3364.20
	कुल महाराष्ट्र		0	1139	1139		686	686	19279	3364.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उत्तर प्रदेश									
17.	एटा	डीबीएनएल	0	269	269	520	0	520	17764	4341.84
18.	कन्नौज	डीबीएनएल	54	321	375	822	0	822	20110	7722.53
19.	मैनपुरी	डीबीएनएल	31	244	275	614	0	614	20743	6072.23
20.	इलाहाबाद	पूर्वबीबीएनएल	0	737	737	1351	0	1351	48780	12402.67
21.	प्रतापगढ़	पूर्वबीबीएनएल	0	639	639	1081	0	1081	20526	11512.41
22.	बलिया	पूर्वबीबीएनएल	0	603	603	984	0	984	72491	9918.02
23.	बिजनौर	पीएसवीवीएनएल	87	1655	1742	29	0	29	17681	13545.29
24.	मुजफ्फरनगर	पीएसवीवीएनएल	0	820	820	2	0	2	33384	9777.18
25.	अम्बेडकर नगर	एमबीबीएनएल	0	1231	1231	2233	0	2233	44660	22000.26
26.	बाराबंकी	एमबीबीएनएल	0	1583	1583	2770	0	2770	55400	30991.03
27.	बहराइच	एमबीबीएनएल	0	627	627	1318	0	1318	26360	13050.13
28.	फैजाबाद	एमबीबीएनएल	0	840	840	1349	0	1349	26980	14288.04
29.	गोंडा	एमबीबीएनएल	0	796	796	1725	0	1725	36225	17592.45
30.	हरदोई	एमबीबीएनएल	0	761	761	1567	0	1567	32251	15551.93
31.	लखीमपुर	एमबीबीएनएल	0	1505	1505	3027	0	3027	54486	30268.19
32.	शाहजहांपुर	एमबीबीएनएल	0	1709	1709	1994	0	1994	39880	20703.27
33.	उन्नाव	एमबीबीएनएल	0	1552	1552	3323	0	3323	66500	30725.77
34.	बुलन्दशहर	पीएसबीबीएनएल	73	1134	1207	551	0	551	46722	12399.12
35.	सिद्धार्थनगर	पूर्वबीबीएनएल	0	283	283	503	0	503	18568	5516.73
36.	देवरिया	पूर्वबीबीएनएल	0	302	302	584	0	584	26253	7042.36
37.	जौनपुर	पूर्वबीबीएनएल	0	930	930	2311	0	2311	159358	28613.47
38.	गोरखपुर	पूर्ववीवीएनएल	0	1450	1450	2011	0	2011	58519	21299.94
	कुल उत्तर प्रदेश 22 परियोजनाएं		245	19991	20236	30669	0	30669	943641	345334.86
	पश्चिम बंगाल									
39.	दार्जिलिंग	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	17	289	306	82	1095	1177	24423	10338.41
	कुल पश्चिम बंगाल		17	289	306	82	1095	1177	24423	10338.41
	कुल (सप्लीमेंट्री डीपीआर)		1742	35357	37099	42440	23896	66336	3942336	686316.07
	कुल योग (72 परियोजनाएं)		1909	53505	55414	46491	26062	72553	4559141	810380.98

विवरण-II

आरईसी में 31.10.2012 के अनुसार लंबित 17 परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	बिहार	9
2.	असम	2
3.	कर्नाटक	1
4.	केरल	1
5.	उत्तर प्रदेश	3
6.	छत्तीसगढ़	1
	कुल	17

विवरण-III

आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा

31.10.2012 के अनुसार

क्र.सं.	जिले का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	प्रभावी स्वीकृति लागत (लाख रुपये में)	जारी संचयी निधियां (लाख रुपये में)		
				ऋण1	सब्सिडी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
	छत्तीसगढ़					
1.	कोरिया	सीएसपीडीसीएल	8132.31	0.00	1845.49	1845.49
2.	जशपुर नगर	सीएसपीडीसीएल	9370.86	0.00	1147.23	1147.23
	कुल		17503.17		2992.72	2992.72
	मध्य प्रदेश					
1.	भिंड	एमपीएमकेवीसीसीएल	5215.48	156.46	1563.42	1719.88
2.	भोपाल	एमपीएमकेवीसीसीएल	2449.26	73.48	731.45	804.93
3.	ग्वालियर	एमपीएमकेवीसीसीएल	3066.24	91.99	915.71	1007.70
4.	होशंगाबाद	एमपीएमकेवीसीसीएल	5182.19	155.47	1524.66	1680.12
5.	रायसेन	एमपीएमकेवीसीसीएल	6541.56	196.25	1894.99	2091.24
6.	राजगढ़	एमपीएमकेवीसीसीएल	9187.11	275.61	2705.76	2981.38
7.	सिहोर	एमपीएमकेवीसीसीएल	4986.17	149.59	1418.74	1568.33
8.	विदिशा	एमपीएमकेवीसीसीएल	7939.31	238.18	2278.95	2517.13
9.	बरवानी	एमपीएसकेवीसीसीएल	5327.82	124.86	1220.22	1345.08

1	2	3	4	5	6	7
10.	बुरहानपुर	एमपीएसकेवीसीसीएल	2352.65	57.35	631.17	688.52
11.	देवास	एमपीएसकेवीसीसीएल	5801.26	151.15	1479.41	1630.56
12.	खंडवा	एमपीएसकेवीसीसीएल	4188.10	100.48	761.69	862.17
13.	खरगौन	एमपीएसकेवीसीसीएल	8994.26	212.94	2111.48	2324.41
14.	मंदसौर	एमपीएसकेवीसीसीएल	4598.38	122.29	1190.71	1313.00
15.	नीमच	एमपीएसकेवीसीसीएल	2332.11	60.95	586.04	646.99
16.	शाजापुर	एमपीएसकेवीसीसीएल	5883.61	156.93	1578.70	1735.63
17.	छत्तरपुर (एस)	एमपीपीओकेवीवीसीएल	4750.08	112.85	813.40	926.25
18.	सतना (एस)	एमपीपीओकेवीवीसीएल	3152.43	72.43	594.41	666.84
19.	बालाघाट (एस)	एमपीपीओकेवीवीसीएल	3445.07	64.32	554.81	619.13
20.	सीधी (एस)	एमपीपीओकेवीवीसीएल	2926.95	63.30	478.62	541.93
	कुल		98320.04	2636.88	25034.33	27671.21
	महाराष्ट्र					
1.	सोलापुर (एस.)	एमएसडीसीएल	3364.20	100.93	990.51	1091.43
	कुल		3364.20	100.93	990.51	1091.43
	कुल योग		119187.41	2737.81	29017.56	31755.37

[अनुवाद]

भेषज क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति

24. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भेषज क्षेत्र में विदेशी निवेश के 333 मिलियन अमरीकी डालर राशि के विदेशी निवेश के आठ प्रस्तावों को अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की दिनांक 24 अगस्त, 2012 को हुई बैठक में ब्राउन फील्ड औषधि क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित 1842.55 करोड़ रुपए की राशि वाले निम्नलिखित 8 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था:—

क्र.सं.	आवेदक का नाम	एफडीआई/एनआरआई अंत:प्रवाह (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	मैसर्स ऑरडेन हैल्थ केयर ग्लोबल प्रा.लि., चेन्नै	58.85
2.	मैसर्स सुतुरेस इंडिया प्रा.लि., बंगलौर	200.00

1	2	3
3.	मैसर्स आर्क फार्मालेब्स लि., मुंबई	372.36
4.	मैसर्स बी ब्राउन सिंगापुर पीटीई लि., सिंगापुर	248.40 (लगभग)
5.	मैसर्स स्टेलैंस फार्मा साइंस प्रा.लि., बंगलौर	100.00
6.	मैसर्स फाइज़र लि., मुंबई	800
7.	मैसर्स व्योम बायोसाइंस प्रा.लि., दिल्ली	12.50
8.	मैसर्स जीम लेबोरेट्रीज लि., नागपुर	50.44

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और दक्षिणी राज्यों के बीच रेलगाड़ियां

25. **श्री भूपेन्द्र सिंहः**
श्री जयराम पांगीः
श्री यशवंत लागुरीः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और दक्षिणी राज्यों के बीच बरास्ता सागर और नागपुर एक भी रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का प्रस्ताव सागर को दक्षिणी राज्यों से जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या रेलवे में भुवनेश्वर से दिल्ली बरास्ता क्योंझर कोई एक्सप्रेस/मेल गाड़ी चलाने का कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) भारतीय रेलवे राज्य-वार आधार पर गाड़ियां नहीं चलाती क्योंकि भारतीय रेलवे पर गाड़ियां विभिन्न राज्यों की सीमाओं से गुजरती हैं। फिलहाल, नागपुर दक्षिण राज्यों के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों से जुड़ा हुआ है, जबकि सोंगोर सीधी रेल सेवाओं से दक्षिण राज्यों से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, बहरहाल, भारतीय रेलवे पर नई गाड़ियां चलाना एक सतत् प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात औचित्य और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) जी नहीं। फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जल को शोधित करना

26. **श्री रामसिंह राठवाः** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के एक तिहाई जिलों में पेयजल में काफी अधिक मात्रा में फ्लोराइड मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के एक चौथाई जिलों में पेयजल में लवण्यता और नाइट्रेट काफी अधिक मात्रा में मौजूद है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप लाखों लोग फ्लूरोसिस का शिकार हैं; और

(घ) यदि हां, तो जल के उपभोग हेतु आपूर्ति किए जाने से पूर्व शोधन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार 650 जिलों में से 184 जिले फ्लोराइड से, 154 जिले लवणता से और 80 जिले नाइट्रेट से प्रभावित हैं।

(ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 14 वर्ष से कम आयु के 6 मिलियन बच्चों समेत 25 मिलियन लोग फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। तथापि, स्थानिकमारी क्षेत्र में रहने वाले 66 मिलियन लोगों को जोखिम है क्योंकि उनके पेयजल में फ्लोराइड का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक है।

(घ) राज्यों की समुचित परिशोधित प्रौद्योगिकियों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जल प्रबंधन उपाय करने होते हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण नीति

27. **श्रीमती कमला देवी पटले:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय में कुल मंजूर कर्मचारियों की संख्या का समूह-वार अर्थात् समूह "क" से समूह "ख" तक का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कुल कर्मचारी संख्या में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद आज की तिथि के अनुसार रिक्त है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष भर्ती अभियान शुरू करके इन रिक्त पदों को भरने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) मंत्रालय में स्वीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

		समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	कुल
(i)	भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)	50	87	57	56	250
(ii)	लोक उद्यम विभाग (डीपीई)	30	32	31	33	126
(iii)	भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	21427	13081	37168	17373	89049
	कुल	21507	13200	37256	17462	89425

(ख) आज की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कर्मचारियों की कुल संख्या में से रिक्त पड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार हैं:

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
397	461	858

(ग) भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जाते हैं।

(घ) और (ङ) यथोपरि।

[अनुवाद]

एनआरएलएम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियां

28. **श्री ए.के.एस. विजयन:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के मानदंड क्या हैं;

(ख) एनआरएलएम के अंतर्गत स्कीमों के चयन और कार्यान्वयन में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की क्या भूमिका है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार एनआरएलएम के अंतर्गत स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु ठेके प्रदान किए जाने और राज्य सरकारों को शामिल किए बिना कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से निधियां अंतरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए फ्रेमवर्क के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) राज्य में एनआरएलएम से संबंधित क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की देख-रेख करेंगे। एसआरएलएम सोसायटी, ट्रस्ट या कम्पनी के रूप में संस्थापित किया गया एक स्वायत निकाय होगा। ऐसे राज्यों में, जहां राज्य सरकार मौजूदा सोसायटी का इस्तेमाल एसआरएलएम के रूप में करना चाहती है, वहां एनआरएलएम के उद्देश्यों को समाविष्ट करने के लिए इसके संगम ज्ञापन/उप-नियमों में संशोधन किए जाने की जरूरत होगी। एनआरएलएम परस्पर लाभकारी कामकाजी संबंध बनाने, परामर्श करने और पंचायतों एवं निर्धनों की संस्थाओं के बीच संसाधनों के वितरण के लिए कतिपय व्यवस्थाएं बनाने का समर्थन करता है। एनआरएलएम के अंतर्गत, राज्यों को गरीबी उपशमन के लिए उनकी खुद की कार्य योजनाएं बनानी होती हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ एनआरएलएम के कार्यान्वयन में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की भूमिका शामिल होगी। पीआरआई को शामिल/तैनात किए जाने के निर्देशात्मक क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) प्रारंभ में अत्यंत निर्धनों और उनमें लाभ से सबसे अधिक वंचित व्यक्तियों को वरीयता देते हुए बीपीएल परिवारों का निर्धारण करना और उन्हें स्व-सहायता समूहों में एकजुट करना;

(ii) विभिन्न स्तरों पर एसएचजी संघों की मदद करना और उनके प्रभावी कामकाज के लिए उन्हें स्थान और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना;

(iii) पीआरआई की वार्षिक योजनाओं/क्रियाकलापों में एसएचजी और उनके संघों की जरूरी मांगों को शामिल करना तथा उपयुक्त वित्तीय आबंटन करना; और

(iv) एसएचजी नेटवर्क की ओर से विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

(ग) और (घ) एसजीएसवाई को एनआरएलएम में बदलने के लिए राज्यों को कतिपय प्रारंभिक उपाय करने होंगे। जब तक राज्य एसजीएसवाई को एनआरएलएम में परिवर्तित नहीं कर लेते तब तक निधियां उपलब्ध कराने की प्रक्रिया एसजीएसवाई की प्रक्रिया की तरह ही रहेगी अर्थात् निधियां सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को रिलीज की जाएंगी। ऐसे राज्यों, जिन्होंने एनआरएलएम में परिवर्तित होने की शर्तों का अनुपालन किया है, ने निधियां एसआरएलएम के जरिए उपलब्ध कराई जाएंगी। एनआरएलएम के दो उप-घटक अर्थात् नियोजन से जुड़ी कौशल विकास योजना और महिला सशक्तिकरण परियोजना के मामले में ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित परियोजना प्रस्तावों पर भी विचार करेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत यदि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी एक गैर सरकारी निकाय है तो उन्हें निधियों का अंतरण एनआईआरडी हैदराबाद, नैबकॉन्स, इग्नू जैसी पदनामित सरकारी एजेंसी या राज्य सरकार के विभागों द्वारा किया जाता है।

विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

29. **श्री एस.आर. जेयदुरई:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश में विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के मामलों की जांच करने तथा वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति के सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग ने दिनांक 18.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।

(ग) से (ङ) इस समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने राज्यों के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों के वित्तीय कारोबार (टर्न-अराउंड) के लिए केन्द्र सरकार के परिवर्ती वित्त तंत्र के माध्यम से सहायता देते हुए उनके ऋणों की पुनर्संरचना द्वारा उनके वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम अनुमोदित कर दी है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में हैं।

यह योजना 05.10.2012 से लागू है तथा 31 दिसंबर, 2012 अथवा भारत सरकार द्वारा बढ़ाई गई तिथि तक खुली रहेगी। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा पुनर्गठन योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए है। इस प्रकार के पुनर्गठन का प्रभाव राज्यों के स्वामित्व वाले डिस्काम्स की दीर्घावधि वित्तीय व्यवहार्यता को अंततः सुनिश्चित करना है।

विवरण

योजना की मुख्य विशेषताएं

क (i) 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 50% बकाया लघु अवधि न्देयताओं को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा। इसे डिस्कॉम द्वारा प्रथमतः विनियमित कर बांड के रूप में साझेदार उधारदाता के पक्ष में जारी किया जाएगा। राज्य सरकार इस देयता को अगले 2-5 वर्षों के दौरान साझेदार उधारदाताओं के पक्ष में चरणबद्ध आधार पर विशेष प्रतिभूति जारी कर इस बात पर ध्यान रखते हुए समस्त ऋण लघु अवधि देयता का 50% (उपलब्ध राजकोषीय अवधि में) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मूल राशि की परिपक्वता अदायगी हर मामले में उसे 3-5 वर्षों के ऋण स्थगन अवधि के साथ 15 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(ii) राज्य सरकार इस अंश (भाग) के ब्याज तथा मूल की अदायगी में डिस्कॉम का भरपूर सहयोग करेगी।

(iii) राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि संबंधित राज्यों के एफआरबीएम अधिनियमों में निर्धारित लक्ष्यों तक ही विशेष प्रतिभूतियां जारी हो और एफआरवीएम लक्ष्यों के अंतरण डेब्ट-जीएसडीपी अनुपात सहित राजकोषीय अवधि विद्यमान है तो भी राज्य तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार उनसे संबंधित निवल उधार सीमा (प्रत्येक संगत वित्त वर्ष के मामले में) तक ही रहना आवश्यक है।

(ख) लघु अवधि देयताओं के शेष 50% के संबंध में उधारदाताओं द्वारा पुनःसारणीबद्ध किया जायेगा तथा मूल राशि के सामने में 3 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के साथ इसका लेखा-जोखा डिस्कॉम द्वारा रखा जायेगा। मूल तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार की पूरी गारंटी होगी। डिस्कॉम परिचालनों के सुधार के लिए ऋणों के पुनःसारणीबद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

(ग) वितरण यूटिलिटियों के प्रचालन निष्पादन में सुधार हेतु डिस्कॉम/राज्यों द्वारा ठोस तथा परिमाणात्मक कार्रवाई के साथ ऋण की पुनर्संरचना/पुनःसारणीबद्ध करना है और योजना के भाग (ग) में उल्लिखित कतिपय आवश्यक तथा अनुशंसात्मक शर्तों को निभाने के लिए राज्य सरकार/डिस्कॉम वचनबद्ध है।

(घ) पुनर्गठन प्रयासों के समर्थन में केन्द्र सरकार द्वारा परिवर्ती वित्त तंत्र (टीएफएम) उपलब्ध है बशर्ते की स्कीम के भाग (ग) में दी गयी अनिवार्य शर्तें पूरी हों। टीएफएम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं-

(i) आर-एपीडीआरपी (त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के अधीन विनिर्दिष्ट ट्रांजेक्ट्री हानि के परे-त्वरित एटीएंडसी हानि में कमी के जरिए बचाई गई अतिरिक्त ऊर्जा के बराबर अनुदान के माध्यम से लिक्विडिटी सहायता प्रदान करने हेतु

- अनुदान की पात्रता केवल तभी उत्पन्न होगी यदि वर्ष के दौरान एआरआर तथा एसीएस के बीच का अंतर में वर्ष 2010-11 के लिए बैंचमार्क की तुलना में वर्ष के दौरान व्यय से 25% की कमी आंकी गई है।
- यह स्कीम वर्ष 2012-13 में शुरू होकर केवल 3 वर्षों के लिए उपलब्ध रहेगी।

(ii) स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ली गई देयता पर राज्य सरकार द्वारा मूलधन अदायगी के 25% की पूंजी प्रतिपूर्ति सहायता के जरिए प्रोत्साहन दिया जाता है। राशि की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जाएगी जब राज्य सरकार 31.3.2012 को बकाया लघु अवधि देयताओं (संचित हानियों के तदनुरूप) के पूर्ण 50% राशि ले ले। परिवक्ता वित्त तंत्र के विस्तृत दिशा-निर्देश जैसा ऊपर बताया गया है को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

(ङ) ह्रासमान पैमाने पर प्रथम 3 वर्षों के लिए प्रचालन हानियों एवं ब्याज के वित्त पोषण के लिए सचिव वित्तीय सेवा विभाग द्वारा विद्युत मंत्रालय एवं संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र द्वारा उचित परामर्श के पश्चात् अलग व्यवस्था बनाई गई। प्रचालन हानियों का शेष भाग का वित्त पोषण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

शौचालयों का रख-रखाव

30. **श्रीमती रमादेवीः**
डॉ. संजय सिंहः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित शौचालयों/उपयोग में न लाए जा रहे शौचालयों के रख-रखाव हेतु सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त शौचालयों की संख्या का पता लगाने का प्रयास किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित शौचालयों/उपयोग में न लाए जा रहे शौचालयों के रख-रखाव हेतु सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है।

(ख) और (ग) एनबीए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, शौचालयों के रख-रखाव का कोई प्रावधान नहीं है। समुदाय, खासकर परिवार के सभी सदस्यों को सृजित की गई स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के उचित रख-रखाव के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक है। स्वच्छता सुविधाओं का रख-रखाव करने के संबंध में समुदाय को जानकारी दिया जाना सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) क्रियाकलापों में शामिल है। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के रख-रखाव का खर्च परिवारों द्वारा पूरा किया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य से बेकार पड़े शौचालयों सहित परियोजनाएं तैयार करने के लिए बेसलाइन सर्वे कराने का आग्रह किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

नये लघु उद्योग

31. **श्री कीर्ति आजाद:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बिहार सहित देश में पंजीकृत और अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इन उद्यमों द्वारा उत्पादित किए जा रहे विभिन्न उत्पादों का ब्यौरा क्या है और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम सहित देश में स्थापना हेतु प्रस्तावित लघु उद्योग इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) बिहार सहित देश में मौजूद ट्रेनिंग-कम-इन्कुबेशन केन्द्रों (टीआईसी) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टीआईसी की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) देश में पंजीकृत और अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या के बारे में सूचना समय-समय पर इस क्षेत्र की अखिल भारतीय गणना करके एकत्र की जाती है। नवीनतम गणना (चौथी गणना) संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें 2009 तक के आंकड़े एकत्र किए गए थे और इसके परिणाम 2011-12 में प्रकाशित किए गए थे। चौथी अखिल भारतीय गणना 2006-07 और चौथी अखिल भारतीय गणना 2006-07 से बाहर रखे गए कार्यकलापों नामत: थोक/खुदरा व्यापार, कानूनी, शैक्षणिक और सामाजिक सेवाएं होटल और रेस्तरां, परिवहन और भंडारण एवं वेयरहाउसिंग (कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर) के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई आर्थिक गणना 2005 के अनुसार देश में कार्यरत एमएसएमई का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना 2006-07 के अनुसार उद्यमों के सकल उत्पादन के आधार पर पहचान किए गए पंजीकृत और अपंजीकृत एमएसएमई क्षेत्रों के बीस अग्रणी उद्योगों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-II और संलग्न विवरण-III में दिया गया है। पंजीकृत और अपंजीकृत क्षेत्र के सकल उत्पादन का क्रमश: 73.49% और 82.21% हिस्सा इन 20 अग्रणी उद्योगों का है। विनिर्माण क्षमता के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत दायर उद्यमी ज्ञापनों (पार्ट II) की संख्या के बारे में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की

मिशनरियों/उद्योगों के निदेशालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार असम सहित देश में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-IV में दी गई है। विनिर्माण क्षमता के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) बिहार सहित देश में मौजूदा प्रशिक्षण सह इनक्यूबेशन केन्द्रों (टीआईसी) का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम देश भर में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण सह इनक्यूबेशन केन्द्र (टीआईसी) स्थापित करने के लिए निजी भागीदारों के साथ फ्रेंचाइजी व्यवस्था करता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले टीआईसी की संख्या इस अवधि के दौरान इसमें रुचि लेने वाले निजी भागीदारों जैसे संस्थानों/ट्रस्ट/सोसायटी आदि से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और उनकी गुणवत्ता के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

चौथी अखिल भारतीय एमएसएमई गणना, 2006-07 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का राज्य-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उद्यमों की संख्या (लाख में)		
		पंजीकृत	अपंजीकृत*	योग
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	0.15	2.86	3.01
2.	हिमाचल प्रदेश	0.12	2.75	2.87
3.	पंजाब	0.48	13.97	14.46
4.	चंडीगढ़	0.01	0.48	0.49
5.	उत्तराखंड	0.24	3.50	3.74
6.	हरियाणा	0.33	8.33	8.66
7.	दिल्ली	0.04	5.48	5.52
8.	राजस्थान	0.55	16.09	16.64
9.	उत्तर प्रदेश	1.88	42.16	44.03
10.	बिहार	0.50	14.20	14.70
11.	सिक्किम	0.00	0.16	0.17
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.40	0.41
13.	नागालैंड	0.01	0.37	0.39
14.	मणिपुर	0.04	0.87	0.91
15.	मिजोरम	0.04	0.26	0.29
16.	त्रिपुरा	0.01	0.97	0.98
17.	मेघालय	0.03	0.85	0.88

1	2	3	4	5
18.	असम	0.20	6.42	6.62
19.	पश्चिम बंगाल	0.43	34.21	34.64
20.	झारखंड	0.18	6.57	6.75
21.	ओडिशा	0.20	15.53	15.73
22.	छत्तीसगढ़	0.23	4.97	5.20
23.	मध्य प्रदेश	1.07	18.26	19.33
24.	गुजरात	2.30	19.48	21.78
25.	दमन और दीव	0.01	0.05	0.06
26.	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.07	0.09
27.	महाराष्ट्र	0.87	29.76	30.63
28.	आंध्र प्रदेश	0.46	25.50	25.96
29.	कर्नाटक	1.36	18.83	20.19
30.	गोवा	0.03	0.83	0.86
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.02	0.02
32.	केरल	1.50	20.63	22.13
33.	तमिलनाडु	2.34	30.79	33.13
34.	पुदुचेरी	0.01	0.34	0.35
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.13	0.14
	अखिल भारतीय	15.64	346.12	361.76

*इसमें अपंजीकृत क्षेत्र के नमूना सर्वेक्षण: चौथी अखिल भारतीय एमएसएमई की गणना, 2006-07 से बाहर रखे गए कार्यकलापों के संबंध में आर्थिक गणना, 2005 के उद्यम स्तर के आंकड़ों से लिए गए प्रासंगिक एमएसएमई उद्यमों की संख्या भी शामिल है।

विवरण-II

चौथी अखिल भारतीय एमएसएमई गणना, 2006-07 के अनुसार पंजीकृत क्षेत्र के 20 अग्रणी उद्योगों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उत्पादों के सकल उत्पादन का ब्यौरा

क्र.सं.	एनआईसी 3 अंक*	कार्यकलाप का विवरण	सकल उत्पादन की प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	153	अनाज मिल के उत्पादों, स्टार्च और स्टार्च उत्पादों तथा तैयार पशु आहार का विनिर्माण	8.44
2.	171	वस्त्र की कताई, बुनाई और इसे अंतिम रूप से तैयार करना	6.68

1	2	3	4
3.	289	फैब्रिटेड धातु उत्पादों का निर्माण: मेटल वर्किंग सर्विस कार्यकलाप	6.35
4.	271	बेसिक आयरन और स्टील का विनिर्माण	6.23
5.	242	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	5.16
6.	181	पहने जाने वाले पोशाक का विनिर्माण	4.61
7.	154	अन्य खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	4.36
8.	151	मांस, मछली, फल, सब्जी, तेल, वसा का उत्पादन, प्रसंस्करण और संरक्षण	4.33
9.	241	बेसिक केमिकल का विनिर्माण	3.24
10.	292	विशिष्ट प्रयोजन की मशीनरी का विनिर्माण	3.2
11.	252	प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	3.08
12.	269	गैर धात्विक उत्पादों एनईसी# का विनिर्माण	2.73
13.	359	परिवहन उपकरणों एनईसी# का विनिर्माण	2.59
14.	291	सामान्य प्रयोजन की मशीनरी का विनिर्माण	2.5
15.	210	कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण	2.33
16.	172	अन्य वस्त्रों का विनिर्माण	1.89
17.	272	बेसिक प्रीसिएस और अलौह धातुओं का विनिर्माण	1.69
18.	152	डेयरी उत्पादों का विनिर्माण	1.4
19.	361	फर्नीचर का विनिर्माण	1.36
20.	222	प्रिटिंग और सेवा कार्यकलाप का विनिर्माण	1.33
		उपर्युक्त 20 का कुल योग	73.49
		अन्य	26.51
		समस्त	100

*एनआईसी डिजिट: राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण-2004, 3 डिजिट ग्रुप, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

एन ई सी : अन्यत्र वर्गीकृत नहीं

विवरण-III

चौथी अखिल भारतीय एमएसएमई गणना, 2006-07 के अनुसार अपंजीकृत क्षेत्र के 20 अग्रणी उद्योगों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उत्पादों के सकल उत्पादन का ब्यौरा

क्र.सं.	एनआईसी 3 अंक	कार्यकलाप का विवरण	सकल उत्पादन की प्रतिशतता
1.	153	अनाज मिल के उत्पादों, स्टार्च और स्टार्च उत्पादों तथा तैयार पशु आहार का विनिर्माण	8.96
2.	251	रबर उत्पादों का विनिर्माण	7.77
3.	526	व्यक्तिगत और घरेलू सामानों की मरम्मत	7.65
4.	181	फर के पोशाकों को छोड़कर पहने जाने वाले पोशाकों का विनिर्माण	7.47
5.	749	व्यवसाय कार्यकलाप एनईसी#	5.50
6.	930	अन्य सेवा कार्यकलाप	5.26
7.	502	मोटर वाहनों की मरम्मत और रखरखाव	5.15
8.	361	फर्नीचर का विनिर्माण	4.71
9.	269	अ-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण एनईसी#	4.29
10.	289	अन्य फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण: मेटल वर्किंग सर्विस कार्यकलाप	3.89
11.	171	वस्त्रों की कताई, बुनाई व अंतिम रूप से तैयार करना	3.86
12.	154	अन्य खाद्य उत्पदों का विनिर्माण	3.13
13.	369	मैनुफैक्चरिंग एनईसी#	2.86
14.	172	अन्य वस्त्रों का विनिर्माण	2.30
15.	642	दूरसंचार	2.00
16.	242	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	1.87
17.	281	संरचनात्मक धातु उत्पादों, टैंक, रिजर्वायर और स्टीम जेनेरेटरों का विनिर्माण	1.55
18.	201	सा मिलिंग और प्लेनिंग ऑफ वुड	1.47
19.	292	विशेष प्रयोजन की मशीनरी का विनिर्माण	1.37
20.	725	आफिस, एकाउंटिंग और कंप्यूटिंग मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	1.15
		उपर्युक्त 20 का कुल योग	82.21
		अन्य	17.79
		समस्त	100.00

*एनआईसी डिजिट: राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण-2004, 3 डिजिट ग्रुप, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

#एन ई सी: अन्यत्र वर्गीकृत नहीं।

विवरण-IV

11वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, कमिश्नरी/उद्योग निदेशालय के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा दायर उद्यमी ज्ञापन (पार्ट-2) की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	जम्मू और कश्मीर	1,044	971	1,192	914	1,170
2.	हिमाचल प्रदेश	832	925	1,053	942	856
3.	पंजाब	932	1,272	2,189	2,988	3,087
4.	चंडीगढ़	32	161	255	174	259
5.	उत्तराखंड	1,500	1,346	1,871	1,973	2,121
6.	हरियाणा	2,489	2,599	2,357	2,707	2,759
7.	दिल्ली	131	70	165	199	345
8.	राजस्थान	13,873	14,609	14,630	14,904	14,678
9.	उत्तर प्रदेश	30,443	31,629	33,479	33,027	33,568(p)
10.	बिहार	2,855	3,134	4,010	4,302	4,108
11.	सिक्किम	14	71	18	40	30
12.	अरुणाचल प्रदेश	63	107	111	50	36(p)
13.	नागालैंड	687	2,498	1,445	141(p)	–
14.	मणिपुर	54	139	81	122	120
15.	मिजोरम	226	478	500	198	131
16.	त्रिपुरा	156	236	218	218	205
17.	मेघालय	403	397	1,040	748	573
18.	असम	1,811	1,711	1,678	1,506	1,218
19.	पश्चिम बंगाल	17,618	13,428	11,685	10,109	13,470
20.	झारखंड	940	1,051	669	690	939
21.	ओडिशा	1,515	1,588	1,758	1,657	2,155
22.	छत्तीसगढ़	1,335	1,291	1,089	1,206	1,741
23.	मध्य प्रदेश	12,319	14,183	19,748	19,704	20,104

1	2	3	4	5	6	7
24.	गुजरात	13,185	17,866	19,992	27,939	51,781
25.	दमन और दीव	164	247	107	126	83
26.	दादरा और नगर हवेली	307	143	104	74	106
27.	महाराष्ट्र	11,396	12,148	11,896	14,496	15,606
28.	आंध्र प्रदेश	4,478	4,726	9,144	9,204	9,260
29.	कर्नाटक	14,984	15,705	17,195	18,434	21,021
30.	गोवा	57	76	112	88	97
31.	लक्षद्वीप	5	14	23	24	8
32.	केरल	11,068	15,935	12,013	10,194	10,020
33.	तमिलनाडु	27,209	32,049	41,799	57,902	70,639
34.	पुडुचेरी	144	214	200	186	120
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50	60	68	77	82
	अखिल भारतीय	174,319	193,077	213,894	237,263	282,496

स्रोत: राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, कमिश्नरी/उद्योग निदेशालय

नोट: (पी)-अनंतिम: सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-V

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा स्थापित प्रशिक्षण सह इनकूबेशन केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	योग
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	5
2.	हिमाचल प्रदेश	2
3.	पंजाब	8
4.	उत्तराखंड	2
5.	हरियाणा	2
6.	उत्तर प्रदेश	16
7.	बिहार	–
8.	त्रिपुरा	1
9.	असम	1
10.	पश्चिम बंगाल	5
11.	उड़ीसा	2
12.	मध्य प्रदेश	3
13.	गुजरात	3
14.	महाराष्ट्र	1
15.	आंध्र प्रदेश	2
16.	कर्नाटक	2
17.	केरल	1
18.	बिहार	–
	योग	60

[अनुवाद]

किसानों को उर्वरक राजसहायता प्रत्यक्ष रूप से नकद राशि में अंतरित करना

32. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरिया के मूल्यों में वृद्धि की है और सरकार का किसानों को उर्वरक राजसहायता प्रत्यक्ष रूप से नकद राशि में अंतरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यूरिया के मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय का इस संबंध में योजना बनाने और मौजूदा नाफ्था आधारित यूरिया संयंत्रों को गैस आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने हेतु नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा प्रस्ताव अनुमोदन हेतु तैयार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान करने की संभावना है; और

(छ) उर्वरक राजसहायता के प्रत्यक्ष रूप से अंतरण के फलस्वरूप किसानों को क्या-क्या लाभ मिलने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां। सभी राज्यों में यूरिया की एमआरपी 01 अप्रैल 2010 से बढ़ाकर 5310/- रुपए प्रति मी. टन कर दी गई थी। निर्धारित एमआरपी में सीएसटी, बिक्री कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है। 01 नवंबर 2012 से यूरिया की एमआरपी को बढ़ाकर 5360/- रुपए प्रति मी. टन कर दिया गया है (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, प्रतिकारी शुल्क, राज्य कर और अन्य स्थानीय कर जहां भी लगाए जाते हैं, खुदरा बिक्री स्थल पर अथवा मध्यवर्ती स्तरों पर शामिल नहीं है।

सरकार निम्नलिखित पद्धति से किसानों को उर्वरक राजसहायता सीधे नकद रूप से अंतरित करने के कार्यान्वयन का प्रस्ताव करती है।

(i) **चरण I (खुदरा विक्रेताओं तक सूचना की दृश्यता)**–इस स्तर पर उर्वरक आपूर्ति शृंखला में सभी भागीदार दैनिक प्रेषण, प्राप्ति और स्टाक के अद्यतन की रिपोर्ट करते हैं। 01 नवंबर 2012 में उत्पादक/आयातक राजसहायता का एक अंश उर्वरक स्टाक की प्राप्ति के बारे में खुदरा विक्रेता द्वारा पुष्टि करने के बाद ही प्राप्त कर सकेंगे। इससे आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता में वृद्धि हो पाएगी। मोबाइल, उर्वरक निगरानी प्रणाली (एम-एफएमएस) में कुल 1,95,369 थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता पंजीकृत है।

(ii) चरणा III– इस चरण का परम उद्देश्य अंतिम खरीददार के खाते में उर्वरक राजसहायता जमा करके प्रत्यक्ष अंतरण हासिल करना है। चरण III को आगे तीन उप-चरणों में इस प्रकार विभक्त किया गया है:

- चरण III (क)–यह बिक्री बिंदु (पीओएस) यंत्र अथवा इंटरनेट के जरिए किसानों को खुदरा बिक्री की सूचना एकत्र करता है। किसान की पहचान आधार संख्या और कोर बैंक से जुड़े किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अथवा बैंक खाते के जरिए की जाएगी। प्रणाली के स्थिर हो जाने के बाद किसानों को की गई बिक्री के आधार पर उत्पादकों/आयातकों को राजसहायता के भाग का भुगतान किया जाएगा।
- चरण III (ख)–उर्वरक बिक्री के आधार पर खुदरा ग्राहकों को राजसहायता देना। चरण III (स्तर क) के स्थिर हो जाने के बाद इसके कार्यान्वयन पर विचार किया जाएगा।
- चरण III (ग)–किसानों* को उनकी की गई बिक्री के ब्यौरे के आधार पर राजसहायता देना। *किसान की पहचान का मानदंड सभी भागीदारों से भलीभांति परामर्श करने के बाद स्थापित और प्रख्यापित किया जाएगा और अंतिम प्रयोक्ता डाटाबेस पर विश्वसनीय सूचना उपलब्ध होगी।

(ख) यूरिया सहित सभी उर्वरकों के मूल्यों में 01 नवंबर 2012 से 50 रुपए प्रति मी. टन (2.50 रुपए प्रति 50 कि.ग्रा. बैग) की वृद्धि की गई ताकि किसानों को अंतिम बिक्री बिंदु पर एम-उर्वरक निगरानी प्रणाली (एम-एफएमएस) में इंटरनेट/एसएमएस के जरिए उर्वरकों की प्राप्ति की रसीद देने के लिए खुदरा विक्रेता को प्रोत्साहन दिया जा सके। इसका भुगतान केवल उन खुदरा विक्रेताओं को किया जाएगा जो उर्वरकों की प्राप्ति की सूचना देंगे। किसान

को अंतिम खुदरा बिक्री बिंदु पर उर्वरकों की उपलब्धता की वास्तविक समय पर सूचना उपलबध होने का लाभ मिलेगा।

(ग) से (च) वित्त मंत्रालय ने मौजूदा नेफ्था आधारित यूरिया इकाइयों को गैस आधारित इकाइयों में शीघ्र परिवर्तित करने की सिफारिश की है। तदुनसार, उर्वरक विभाग चरण-III के बाद मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारित योजना (एनपीएस) नीति पर विचार कर रहा है।

(छ) किसानों को राजसहायता का सीधा अंतरण लघु, सीमान्त तथा अन्य किसानों को लक्ष्य करने में सहायक होगी तथा राजसहायता संवितरण में और अधिक पारदर्शिता लाएगा। यह गैर कृषि प्रयोग के लिए राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के परिवर्तन से बचत भी करेगा और इस प्रकार यह किसानों को उर्वरकों की बेहतर उपलब्धता में सहायक होगा।

बुरामरा-खड़गपुर लाइन

33. **श्री लक्ष्मण टुडु:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का सामाजिक रूप से वांछित परियोजना के रूप में बुरामरा-खड़गपुर बरास्ता चन्दुआ-गोपीबल्लवपुर खंड पर नए 'ब्रॉड गेज' लाइन परियोजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत लेखापरीक्षा

34. **श्री राजू शेट्टी:**
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत खाते की लेखापरीक्षा के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सिर्फ कुछ राज्यों के मामले में ही भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा खातों की लेखापरीक्षा की जा रही है जबकि अन्य बिना लेखापरीक्षा के छोड़ दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विषमता के क्या कारण हैं;

(घ) जिन राज्यों में सीएजी ऐसी लेखापरीक्षा नहीं कर रहा है उनमें लेखापरीक्षा किस तरह से की जा रही है और कौन-सी एजेन्सियों को यह काम दिया गया है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों की लेखापरीक्षा का ब्यौरा क्या है और इनमें राज्य-वार कौन सी अनियमितताएं देखी गई हैं; और

(च) इस योजना के अंतर्गत जारी निधियों के प्रयोग में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 24(1) के अनुसार केन्द्र सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से सभी स्तरों पर योजनाओं के लेखे की लेखापरीक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के परामर्श से मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 दिनांक 30 जून, 2011 को अधिसूचित कर दी है। महात्मा गांधी नरेगा योजना की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

(i) इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले और राज्य रोजगार गारंटी निधि के संबंध में योजना के लेखे की लेखापरीक्षा हर वर्ष निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा या उनके समकक्ष प्राधिकारी या सनदी लेखाकारों द्वारा की जाएगी।

(ii) निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, या उनके समकक्ष प्राधिकारी या सनदी लेखाकार, यथास्थिति, योजना के लेखे और उन पर अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

(iii) प्रत्येक राज्य सरकार की योजनाओं के यथाप्रमाणित लेखे और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारत के

नियंत्रक और लेखा परीक्षक तथा केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा भेजी जाएगी। लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केन्द्र सरकार उस रिपोर्ट को यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करेगी।

(iv) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या इस विषय में उनके द्वारा नियुक्त अन्य किसी व्यक्ति को योजनाओं के लेखे की ऐसे अंतराल पर लेखापरीक्षा करने का अधिकार होगा, जिसे वे उपयुक्त समझें।

(v) राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत शुरू किए गए कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा कम-से-कम छः महीने में एक बार योजना की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 में यथानिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराएगी।

(vi) एक वित्तीय वर्ष के दौरान कराई गई ऐसी सामाजिक लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों का सार राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।

(vii) ग्राम सभाओं को सामाजिक लेखापरीक्षा में मदद करने के लिए राज्य सरकार एक स्वतंत्र संगठन की पहचान या स्थापना करेगी।

(viii) सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी तथा राज्य रोजगार गारंटी परिषद की गई कार्रवाई की निगरानी करेगी तथा राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में इसकी जानकारी देगी।

(ख) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक सभी राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा कर रहे हैं।

(ग) निष्पादन लेखापरीक्षा की रिपोर्ट अभी सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकारें हर वर्ष सनदी लेखाकारों/सनदी लेखाकार फर्मों से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जिला-स्तरीय लेखे की लेखापरीक्षा कराती हैं। उनके ध्यान में आई मुख्य अनियमितताएं इस प्रकार की हैं:

(i) प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का मिलान न होना।

(ii) कार्यक्रम की निधि से अर्जित की गई/तैयार की गई परिसम्पत्तियों के परिसम्पत्ति रजिस्टर में अद्यतन ब्यौरे दर्ज न किया जाना।

(iii) जिले के कार्यक्रम अधिकारियों के पास जॉब कार्ड नहीं हैं और इसीलिए संबंधित जॉब कार्डों में अद्यतन ब्यौरे की प्रविष्ट सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

(iv) संबंधित सरकारी एजेंसी/जिला विकास अधिकारी को विस्तृत उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें प्राप्त राशि, उपयोग में लाई गई राशि और शेष राशि के ब्यौरे दर्शाए गए हों। इस प्रमाणपत्र में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि अनुमोदित परियोजना के लिए ही राशि का उपयोग किया गया है और अन्य किसी प्रयोजन के लिए निधियों का उपयोग नहीं किया गया है।

(च) इस योजना के तहत रिलीज की गई निधियों के उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए किये गए उपाय इस प्रकार हैं:

(i) योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां योजना-स्थल पर बोर्ड लगाकर और महात्मा गांधी नरेगा की वेबसाइट पर अपलोड करके स्वत: दर्शाई जाती हैं। योजना की वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां, वार्षिक रिपोर्टें, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए परिपत्र/एडवाइजरी/दिशा-निर्देश, विभिन्न बैठकों/कार्यशालाओं के कार्यवृत्त इत्यादि इस वेबसाइट (www.mgnrega.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड के सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 में शामिल होने की घोषणा की गई है और ग्रामीण विकास मंत्रालय में इस प्रयोजनार्थ प्रधान सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक प्रधान सूचना अधिकारी (एपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी पदनामित कर दिए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अधिकांश जानकारी स्वत: दर्शाई जाती है।

(iii) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मजदूरी रोजगार मांगने वालों और आम नागरिकों के लाभार्थ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विषय में

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री/फिल्में तैयार की हैं और इनका प्रचार-प्रसार किया है।

(iv) योजना की लेखापरीक्षा नियमावली अधिसूचित कर दी गई है। इन नियमों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम पंचायत स्तर पर की जानी होती है।

(v) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता से संबंधित शिकायतों और अन्य शिकायतों के निपटान के लिए मंत्रालय ने उन सभी जिलों में ऑम्बड्समैन नियुक्त करने के आदेश जारी किये हैं, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है।

(vi) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, गोवा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने जानकारियों के आदान-प्रदान और शिकायतों के निपटान के लिए महात्मा गांधी नरेगा हेल्पलाइनें स्थापित कर दी हैं।

[अनुवाद]

पीएसयू के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

35. प्रो. सौगत राय: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्य की दृष्टि से चालू वर्ष के दौरान रसायन और उर्वरक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रसायन और उर्वरक क्षेत्रों में रुग्ण पीएसयू के पुनरुद्धार के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है और 2012-13 के लिए किन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो पीएसयू-वार कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग तथा उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों (पीएसयू) की नियमित तिमाही समीक्षा बैठक (क्यूआरएम) का आयोजन किया जाता है जिसके दौरान संबंधित पीएसयू से संबंधित समझौता-ज्ञापन (एमओयू) लक्ष्यों की तुलना में निष्पादन की निगरानी सहित सभी मामलों पर विचार किया जाता है तथा उनकी समीक्षा की जाती है। समीक्षा बैठकों के दौरान पिछले वर्ष के निष्पादन की भी समीक्षा की जाती है।

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में वर्तमान वर्ष के दौरान तिमाही समीक्षा बैठकें जून और अक्तूबर 2012 माह में तथा उर्वरक विभाग में मई, अगस्त और नवंबर 2012 माह में आयोजित की गई थीं।

(ग) और (घ) बंद पीएसयू, नामत: फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआइएल) तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल), जिन्हें समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई है, को छोड़कर रसायन और पेट्रोरसायन विभाग तथा उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी पीएसयू के साथ वर्ष 2012-13 के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रुग्ण/बंद/घाटे में चल रही पीएसयू के पुनरुद्धार के लिए कार्य-योजना निम्न प्रकार है:

रासायनिक खंड—हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड, जो हिंदुस्तान ओर्गेनिक केमिकल लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, बीएफआइआर के अधीन है। पुनर्वास पैकेज 3.12.2007 को अनुमोदित किया गया था। इसका कार्यान्वयन पूरा हो चुका है। कंपनी पिछले पांच वर्षों से लाभ अर्जित कर रही है।

उर्वरक खंड—एफसीआरएल और एचएफसीएल बंद पीएसयू हैं। एफसीआइए और एचएफसीएल के पुनरुद्धार की स्थिति निम्न प्रकार है—ईसीओएस की सिफारिश के आधार पर आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसने दिनांक 4.8.2011 को आयोजित अपनी बैठक में इसे इस शर्त के साथ अनुमोदन दिया था कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) की कार्यवाहियों में शीघ्रता लाई जाए और तत्पश्चात् मामले में परिवर्तन, यदि कोई हो, जिसके लिए बोली मानदंड की आवश्यकता हो, को अंतिम निर्णय के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार, एचएफसीएल और एफसीआईएल की पुनर्वास योजनाओं का प्रारूप बीआईएफआर को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। बीआईएफआर

ने एचएफसीएल और एफसीआईएल की डीआरएस की जांच करने के लिए प्रचालन एजेंसी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक को नियुक्त किया है। बीआईएफआर के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड—औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीएफआरआर) ने 2 अप्रैल 2009 को आयोजित अपनी सुनवाई में मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल) को एक रुग्ण कंपनी घोषित किया था और भारतीय स्टेट बैंक को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था जिसमें कंपनी के लिए पुनरुद्धार योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था। बीएफआइआर के समक्ष अब तक ग्यारह बार सुनवाई हो चुकी है। दिनांक 27.08.2012 को हुई पिछली सुनवाई में पीठ ने भारत सरकार और अन्य साम्या भागीदारी को कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित विकल्प के संबंध में निर्णय लेने के लिए निदेश दिया था, तथा तत्पश्चात् प्रचालन एजेंसी प्रस्ताव की जांच करेगी तथा बीआईएफआर को एक डीआरएस प्रस्तुत करेगी। तदनुसार, कंपनी से प्राप्त आदानों के आधार पर सरकार का दृष्टिकोण बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए एक संशोधित पुनर्वास प्रस्ताव परिचालित किया गया है। सरकार तथा अन्य साम्या भागीदारों के मत के आधार पर प्रचालन एजेंसी डीआरएस बनाएगी तथा उसे अनुमोदन के लिए बीएफआइआर को प्रस्तुत करेगी। बीआईएफआर की अगली सुनवाई 05.12.2012 को होनी है।

ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)—बीवीएफसीएल ने नामरूप में अत्याधुनिक उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी ऊर्जा दक्षता सहित बड़ी क्षमता का एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए उर्वरक विभाग ने उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने तथा सर्वाधिक उपलब्ध विकल्प की सिफारिश करने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए अनुमोदन दे दिया है।

ऋण पर सब्सिडी

36. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपनी मशीनों इत्यादि के आधुनिकीकरण के लिए दिए जा रहे ऋण के ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त सब्सिडी देश के सभी क्षेत्रों में स्थापित उपक्रमों को दी जाती है या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों और उत्पादों से संबंधित इकाइयों तक ही सीमित है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विनियामक तंत्र

37. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विनियामक तंत्र पर कार्य कर रही है जो सूक्ष्म इकाइयों को लघु और मध्यम उद्यम बनने में मदद करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों की सब्सिडी

38. श्री कादिर राणा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार किसानों को रसायनों तथा उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठा रही है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान बाजार में रसायनों तथा उर्वरकों की कितनी मात्रा उपलब्ध है; और

(ग) पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में रसायन और उर्वरक कितने रुपए महंगे हुए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) उर्वरक विभाग का अधिदेश यह है कि किसानों को उर्वरक वहनीय लागत पर उपलब्ध कराया जाए।

किसानों को उर्वरक अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाता है।

जहां तक रसायन और पेट्रो रसायन विभाग (डीसीपीसी) का संबंध है यह रसायनों की आपूर्ति पर किसानों को राजसहायता उपलब्ध नहीं कराता।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बाजार में उपलब्ध कराई गई उर्वरकों की मात्रा (अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2012 तक) नीचे दी गई है:

क्र.सं.	एफजी	लाख मी. टन में कुल उपलब्धता
01	डीएपी	74.46
02	एमओपी	21.66
03	एनपीके	56.65
04	एसएसपी	17.59
05	यूरिया	175.23

डीसीपीसी के मामले में यह उल्लेख किया जाता है कि क्योंकि रासायनिक क्षेत्र लाइसेन्समुक्त है, अतः कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर देश में रसायनों के उत्पादन के लिए किसी औद्योगिक लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है। लाइसेन्समुक्त क्षेत्र के कारण बाजार में रसायनों की उपलब्धता की निगरानी नहीं की जाती है।

(ग) पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यूरिया मूल्य नियंत्रित है और 2011-12 में 5310/- रुपए प्रति मी. टन पर निर्धारित किया गया था। दिनांक 01 नवंबर 2012 से यूरिया सहित सभी उर्वरकों की एमआरपी में 50/- रुपए प्रति मी. टन (50 कि.ग्रा. के बैग पर 2.50 रुपए) की वृद्धि की गई है, ताकि एमएफएमएस में उर्वरकों की प्राप्ति की सूचना देने के लिए खुदरा व्यापारियों को प्रोत्साहन मिले। तदनुसार, यूरिया की एमआरपी अब 5360/-रुपए प्रति मी. टन है।

डीसीपीसी के मामले में, यह देश में रसायनों के मूल्य की निगरानी नहीं करता क्योंकि बाजार ताकतें मांग और आपूर्ति तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर मूल्यों को तय करती हैं।

विवरण

2011-12 और 2012-13 के दौरान राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की तिमाही-वार उच्चतम एमआरपी

रुपए/मी./टन में

क्र.सं.	उर्वरकों के ग्रेड	2011-12 (तिमाही वार)				2012-13 (तिमाही वार)		
		I	II	III	IV	I	II	अक्टूबर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	डीएपी: 18-46-0-0	12500	18200	20297	20000	24800	26500	26500
2.	एमएपी : 11-52-0-0		18200	20000	20000	70000	24200	24200
3.	टीएसपी : 0-46-0-0	8057	8057	17000	17000	17000		
4.	एमओपी: 0-0-60-0	6064	11300	12.040	12040	16695	23100	18750
5.	16-20-0-13	9645	14400	15300	15300	15300	18200	18200
6.	20-20-0-13	11400	14800	15800	15800	19000	24800	19176
7.	23-23-0-0	7445	7445					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	10-26-26-0	10910	16000	16633	16386	21900	22225	22225
9.	12-32-16-0	11313	16400	16500	16400	22300	23300	22500
10.	14-28-14-0		14950	17029				
11.	14-35-14-0	11622	15148	17424	17600	17600	23300	23300
12.	15-15-15-0	8200	11000	11500	11500	13000	15600	15600
13.	एएस: 20.3-0-0-23	7600	11300	10306	10306	11013	11013	11013
14.	20-20-0-0	9861	14000	15500	18700	18700	24450	24450
15.	28-28-0-0	11810	15740	18512	18700	24720	24720	23905
16.	17-17-17-0				17710	20427	20522	20522
17.	19-19-19-0				18093	19470	19470	18093
18.	एसएसपी (0-16-0-11)*	3200	4000 से 6300 तक			6500 से 7500 तक		
19.	16-16-16-0	7100	7100	15200	15200	15200		
20.	डीएपी लाइट (16-44 0-0)	11760	17600	19500	19500	19500	24938	24938
21.	15-15-15-09	9300	12900	15750	14851	15000	15000	15000
22.	24-24-0-0	9000	115.50	14151	14297	14802	16223	16223
23.	13-13-0-6		16200	17400	11400	17400	17400	17400
24.	एमएपी लाइट (11-44-0-0)		16000	18000	18000	18000	21500	21500
25.	डीएपी लाइट-11 (14 46 0-0)		14900	18690	18300	18300	24800	24800
26.	यूरिया				5310			

*1.10.2009 से अप्रैल 2010 तक एमआरपी खुली थी।

एमआरपी में कर शामिल नहीं है।

क्र.सं. 7,23,24,25 में उल्लिखित उर्वरकों की ग्रेडें इस समय राजसहायता योजना में शामिल नहीं हैं।

[अनुवाद]

मुस्लिम समुदाय का कल्याण

39. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मुस्लिम समुदाय के कल्याण पर जोर देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) और (ख) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) ने "टूवर्ड्स इन्क्लूसिव डेवलपमेंट टू एम्पावर माइनारटीज" शीर्षकयुक्त अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशों के साथ प्रस्तुत की है:–

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)

(i) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) तथा प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु, अल्पसंख्यकों की उच्च बहुलता वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को योजना की इकाई बनाया जाना चाहिए और उन पर एकीकृत बाल विकास सेवाओं, स्वच्छ पेयजल, वैयक्तिक स्वच्छता, सीवरेज तथा निकास सरीखी मूलभूत सेवाओं की सुलभता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ii) मानीटरिंग और अनिवार्य सामाजिक लेखा-परीक्षाओं के लिए सभी अल्संख्यक बहुल जिलों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का औपचारिक नियोजन।

(iii) 12वीं योजना में एमएसडीपी के लिए आबंटन में पर्याप्त वृद्धि।

(iv) एमएसडीपी दिशा-निर्देशों का संशोधन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यकता आधारित प्रस्तावों का 15 सूत्री कार्यक्रम के साथ तालमेल हो न कि द्विरावृत्ति।

(v) मूल्यांकन और मानीटरिंग एजेंसी को चालू करने के लिए तत्काल आधार पर विश्वसनीय डाटा बैंक की स्थापना।

(vi) लघु एवं मध्यम उद्योगों, युवा मामलों, कृषि सरीखी योजनाओं को शामिल करने के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम का विस्तार।

छात्रवृत्ति योजनाएं

(vii) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों को 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना बनाना।

(viii) मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं को मांग चालित एवं व्यापक योजनायें बनाना।

(ix) विभिन्न श्रेणियों (10+2 आधारभूत डिग्री पाठ्यक्रमों, व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों) हेतु युक्तिसंगत एवं विशिष्ट छात्रवृत्ति संरचना सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की छात्रवृत्ति की रकम को बढ़ाना।

(x) मेरिट-सह-साधन एवं मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों की राशि और संख्या को बढ़ाना।

(xi) सभी स्तरों पर प्रक्रियाओं के आमूल सरलीकरण को सुनिश्चित करना ताकि उन लोगों के लिए योजनाओं को सुलभ बनाया जा सके जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

(ग) योजना आयोग ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 17,323 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। इसमें से एमएसडीपी तथा छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजनाओं के लिए क्रमश: 5,650 करोड़ रुपये तथा 9,860 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

जहां तक एमएसडीपी का संबंध है, मंत्रालय अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के बजाय अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों (एमसीबी) पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कार्यक्रम की पुनर्संरचना कर रहा है। प्रस्तावित नई योजनाओं अर्थात् (i) 100 अल्पसंख्यक बहुल कस्बों/शहरों में शिक्षा का संवर्धन, (ii) अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों (एमसीबी) द्वारा शामिल न किए गए गांवों के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम तथा (iii) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तर के संस्थान को सहायता 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वयन हेतु एमएसडीपी की प्रस्तावित पुनर्संरचना में शामिल किया गया है।

मंत्रालय एनएसी की सिफारिशों के आलोक में छात्रवृत्ति योजनाओं में भी संशोधन कर रहा है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अगली कार्रवाई की गई है-

(i) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले प्रवासी छात्रों के लिए ब्याज इमदाद योजना;

(ii) कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा संचालित प्राथमिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता;

(iii) रोजगार और आजीविकाओं में वृद्धि करने के लिए कौशल विकास पहलें।

[हिन्दी]

आईएवाई के अंतर्गत आवासों का निर्माण

40. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितने आवासों का निर्माण किया गया और प्रत्येक आवास के लिए आवंटित खुले तथा निर्मित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ आवंटियों के पास पहले से ही समुचित आवास सुविधा थी जिसके कारण वे आवंटित आवासों में नहीं गए;

(ग) यदि हां, तो कितने लोगों के पास आज भी आवासीय सुविधा नहीं है और ऐसे लोगों की उपेक्षा के कारण हैं;

(घ) क्या विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए हैण्डपम्प कई वर्षों से खराब पड़े हैं जिसके कारण लोगों को पेयजल के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में पिछड़े लोगों को पेयजल की सुविधा तथा पक्का आवास उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) योजना की शुरुआत अर्थात् वर्ष 1985-86 से लेकर अब तक 297.13 लाख मकान बनाए गए हैं। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि आईएवाई मकान का कुर्सी क्षेत्रफल (प्लींथ एरिया) 20 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(ख) और (ग) आईएवाई के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले (बीपीएल) परिवारों को मकान आबंटित किए जाते हैं। मकान का आबंटन स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची/बीपीएल सूची जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है, के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के कार्यालय द्वारा किए अनुमानों के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 148.25 लाख मकानों की कमी थी।

(घ) जल राज्य का विषय है। भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत हैंडपंप लगाने सहित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए मानदंड निर्धारित करने की शक्तियां राज्यों को प्रत्यायोजित की गई हैं और वे पिछड़े क्षेत्रों में भी हैंडपंप के रख-रखाव के लिए जिम्मेवार हैं।

(ङ) और (च) आईएवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आईएवाई परिवार को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआईडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत क्रियाकलापों के साथ आईएवाई के तालमेल के जरिए सुनिश्चित किया जाता है आईएवाई के अंतर्गत लक्ष्य निधियों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर आईएवाई के अंतर्गत सभी इच्छुक लाभर्थियों को यथाशीघ्र कवर करने के प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

असम में बाढ़ नियंत्रण

41. **श्री नारनभाई कछाडिया:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा असम में प्रभावी बाढ़ नियंत्रण के लिए पूर्वोत्तर जल संसाधन प्राधिकरण या ब्रह्मपुत्र घाटी प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अब तक कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। नवंबर, 2004 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर जल संसाधन प्राधिकरण (एनईडब्ल्यूआरए) के गठन के संबंध में घोषणा किए जाने के बाद जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधन के समग्र विकास के लिए एक बेसिन स्तरीय प्राधिकरण के रूप में एनईडब्ल्यूआरए का गठन करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए थे। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार को प्रस्तावित प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार, संरचना आदि के संबंध में कुछ आपत्तियां हैं।

केन्द्र सरकार ने समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाया है। एनईडब्ल्यूआरए के दिशानिर्देशों का मसौदा अरुणाचल प्रदेश सरकार को अप्रैल, 2011 में उनकी टिप्पणियां हेतु पुनः भेजे गए थे। गुवाहाटी में जनवरी, 2012 में जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई ब्रह्मपुत्र बोर्ड की छठी उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बोर्ड की बैठक के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधि से भी एनईडब्ल्यूआरए पर राज्य सरकार की टिप्पणियां शीघ्र भिजवाने का अनुरोध किया गया था। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार से नवंबर, 2012 में उनकी टिप्पणियां शीघ्र भेजने का पुनः अनुरोध किया गया है।

सिन्धु जल संधि

42. **श्री सी.आर. पाटिल:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिंधु जल संधि, 1960 की समीक्षा करना आवश्यक समझती है, क्योंकि देश बढ़ते जल संकट से जूझ रहा है और जिसके कारण इसके अधिकांश हिस्से सूखे और प्यासे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संधि ने इस जल प्रणाली में छह नदियों के पानी का 80.52 प्रतिशत पाकिस्तान के लिए आवंटित किया है और

भारत के लिए मात्र शेष 19.48 प्रतिशत जल का हिस्सा रखा है; और

(घ) यदि हां, तो नदी जल के अभाव के कारण उत्पन्न हो रही स्थिति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जल संसाधन मंत्रालय का ऐसा कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिंधु जल संधि 1960 ने कोई मात्रात्मक आवंटन नहीं किया था। पूर्वी नदियों का जल (रावी, व्यास और सतलज एवं उनकी वितरिकाएं) अनियंत्रित उपयोग के लिए भारत को उपलब्ध है। पश्चिमी नदियों का जल सामान्यत: भारत द्वारा कुछ विनिर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर पाकिस्तान के लिए उपलब्ध है। संधि पर विचार विमर्श के दौरान किए गए आकलन के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी नदियों का वार्षिक औसत बहाव क्रमश: लगभग 32.8 मिलियन एकड़ फीट और 135.6 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) था।

(घ) बढ़ती मांग को देखते हुए उपलब्ध जल संसाधनों का इष्टतम और न्यायोचित रूप से उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

उर्वरक उत्पादक कंपनियों को सब्सिडी

43. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रसायन और उर्वरक उत्पादक कंपनियों को दी गई सब्सिडी का ब्यौरा क्या है और जिन कंपनियों को सब्सिडी दी गई उनके नाम क्या हैं;

(ख) किन रसायनों और उर्वरकों पर सरकार सब्सिडी दे रही है;

(ग) क्या सरकार सब्सिडी वापस लेने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किन रसायनों तथा उर्वरकों पर सब्सिडी समाप्त करने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उर्वरक उत्पादन कंपनियों को दी गई राजसहायता तथा उन कंपनियों के नाम, जिन्हें राजसहायता दी गई थी। संलग्न विवरण-I और II में है। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा की गई पूंजी राजसहायता का ब्यौरा भी संलग्न विवरण-III में है।

(ख) सरकार जिन उर्वरकों पर राजसहायता दे रही है, उनका नाम संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं, सरकार उर्वरकों पर राजसहायता को वापस लेने की किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है।

विवरण-I

स्वदेशी पीएंडके उर्वरकों के संबंध में जारी कंपनी-वार भुगतान

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड	2929.14	3977.64	3269.52	1668.91
2.	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन	66.81	135.28	193.16	109.91
3.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	653.44	1185.37	1085.22	314.93
4.	ग्रीन स्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड			111.25	267.81

1	2	3	4	5	6
5.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड	160.24	180.37	247.70	137.57
6.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	1185.31	1943.43	1418.86	583.95
7.	हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	259.53	400.37	346.17	179.12
8.	इंडियन पोटाश लिमिटेड		34.44	13.43	
9.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड	5142.21	5935.22	5968.28	2470.48
10.	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	316.51	351.82	313.64	99.96
11.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड		0.00	35.16	16.00
12.	पारादीप फास्फेट लिमिटेड	1526.84	1860.77	1345.44	738.00
13.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	560.38	716.59	625.07	423.34
14.	सदर्न पेट्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	97.52	206.31	403.23	
15.	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	984.33	1024.35	994.23	350.97
16.	जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	993.9	1190.77	868.89	395.33
	योग	14876.16	19142.73	17239.24	7757.07
1.	एसएसपी का कुल भुगतान	1122.98	1498.95	1851.32	657.30
2.	अक्टूबर 2000 से पूर्व व्यय		8.32	73.58	0.11
3.	विशेष भाड़ा पर व्यय	0.86	0.00	778.54	764.62
	योग	1123.84	1507.27	2703.43	1422.02
	कुल योग	16000.00	20650.00	19942.67	9179.10

विवरण-II

स्वदेशी यूरिया पर दी गई क्षेत्रवार/इकाईवार राजसहायता दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (नवंबर 12 तक)
1	2	3	4	5	6
	(क) सार्वजनिक क्षेत्र				
1.	आरसीएफ-थाल	1227.65	705.35	708.51	913.63
2.	आरसीएफ-ट्रांबे	66.02	313.94	232.53	207.00

1	2	3	4	5	6
3.	एमएफएल	1147.82	1290.71	1768.74	938.72
4.	एनएफएल-भटिंडा	983.62	923.88	1107.87	1116.22
5.	एनएफएल-पानीपत	846.27	801.39	1213.97	1031.61
6.	एनएफएल-विजयपुर-I	255.68	289.41	408.54	342.43
7.	एनएफएल-विजयपुर-II	324.18	443.14	502.98	547.54
8.	एनएफएल-नांगल	930.77	748.96	1270.69	1041.29
9.	बीवीएफसीएल-नामरूप-III	26.37	114.13	59.22	83.76
10.	बीवीएफसीएल-नामरूप-II	21.81	56.10	119.06	49.92
11.	जीएसएफसी (राज्य सरकार)	181.13	88.85	196.83	50.77
12.	जीएनएफसी (राज्य सरकार)	964.59	489.55	878.30	803.88
	योग	6975.91	6265.41	8467.24	7126.77
	सहकारिता क्षेत्र				
1.	कृभको	649.61	460.80	591.75	630.42
2.	इफको-फूलपुर-II	1144.54	764.96	907.11	924.18
3.	इफको-फूलपुर-I	692.09	626.30	583.99	757.06
4.	इफको-कलोल	670.91	315.28	382.09	335.85
5.	इफको-आंवला-I	593.16	376.49	439.11	512.67
6.	इफको-आंवला-II	624.56	380.32	481.44	496.85
	योग	4374.87	2924.15	3385.49	3657.03
	निजी क्षेत्र				
1.	एनएफसीएल-I	208.78	260.16	397.75	290.35
2.	एनएफसीएल-II	666.14	393.47	387.33	330.29
3.	सीएफसीएल-I	441.77	545.59	689.51	657.41
4.	सीएफसीएल-II	769.33	753.72	751.38	847.71
5.	टाटा केमिकल्स	573.78	595.76	643.26	565.94
6.	जेडआईएल	1036.68	780.25	781.21	1063.24
7.	एसएफसी	466.76	223.40	277.47	262.69

1	2	3	4	5	6
8.	इंडोगल्फ	700.43	453.20	717.68	606.06
9.	एसपीआईसी	0.00	637.67	2164.66	1002.47
10.	केएसएफएल	448.82	410.32	452.42	589.43
11.	एमसीएफएल	916.98	837.63	1170.02	809.49
12.	डंकन	0.00	0.00	0.00	
	योग	6229.47	5891.17	8432.69	7025.08
	एसबीएफए ब्याज				
	कुल योग	17580.25	15080.73	20285.42	17808.88

विवरण-III

मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीपीसीएल) को दी गई पूंजीगत राजसहायता का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1.	2009-10	316.31
2.	2010-11	808.83
3.	2011-12	875.43
4.	2012-13 (आज की तारीख तक)	1552.00

विवरण-IV

उर्वरकों की तैयार वस्तुओं की सूची दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	एफ जी समूह
1	2
1.	डीएपी: 18-46-0-0
2.	एमएपी: 11-52-0-0
3.	टीएसपी: 0-46-0-0
4.	एमओपी: 0-0-60-0
5.	16-20-0-13
6.	20-20-0-13
7.	23-23-0-0
8.	10-26-26-0
9.	12-32-16
10.	14-28-14
11.	14-35-14
12.	15-15-15
13.	एएस: 20.6-0-0-23
14.	20-20-0-0
15.	28-28-0-0
16.	17-17-17
17.	19-19-19
18.	एसएसपी
19.	16-16-16-0
20.	डीएपी लाइट (16-44-0-0)
21.	15-15-15-09
22.	24-24-0-0
23.	एनपीके 13:33:0:6

1	2
24.	एमएपी लाइट
25.	डीएपी लाइट समूह II
26.	16-20-0-0
27.	20-20-0-13-0.3
28.	15-15-15-0.2
29.	यूरिया

[अनुवाद]

'एक्ट अप्रेन्टिस' के लिए प्रावधान

44. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 'एक्ट अप्रेन्टिस' की नियुक्ति के लिए निश्चित प्रावधान/अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे में सभी जोनों/सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा इन प्रावधानों/अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इसके उल्लंघन को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) जी हां, रेलवे को उम्मीदवारों को प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षण देने की सलाह दी गई है।

(ग) और (घ) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देना एक सांविधिक दायित्व है और रेलवे को पहले ही प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत 16772 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की सलाह दे दी गई है।

वक्फ सम्पत्तियों का अतिक्रमण

45. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार वक्फ सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विभिन्न भागों में वक्फ सम्पत्तियों की उपयुक्त देखभाल नहीं हो रही है और कुछ भागों में इन सम्पत्तियों का काफी अतिक्रमण हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए इन संपत्तियों के समुचित प्रयोग हेतु सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) से (ग) राज्य वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यू बी) की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-13 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार की जाती है। इस अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत, किसी राज्य के सभी वक्फों का सामान्य अधीक्षण स्थापित बोर्ड अथवा राज्य में निहित होता है; और यह देखना बोर्ड का दायित्व है कि वह अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके अधीक्षण के अंतर्गत आने वाले वक्फ का भली-भांति अनुरक्षण, नियंत्रण, संचालन हो तथा उसका अतिक्रमण न हो। अतएव, वक्फ संपत्तियों के अभिलेखों का रख-रखाव संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाता है न कि केंद्र सरकार द्वारा।

तथापि, भारत सरकार ने 15 नवंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार 30 राज्य वक्फ बोर्डों में से 24 में वक्फ अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की योजना क्रियान्वित की है। इस योजना का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का डाटाबेस तैयार करना, वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, वक्फ अभिलेखों के संरक्षण हेतु उनका डिजिटीकरण तथा विधिक मामलों की ट्रैकिंग करना है।

इसके अलावा, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 के अंतर्गत राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों की मदद से वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाते हैं।

एमपीएलएडी संबंधी आंकड़े

46. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्वाचन क्षेत्र-वार मासिक आधार पर धनराशि आवंटन तथा व्यय के बारे में एमपीएलएडी संबंधी आंकड़ों को अद्यतन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एमपीएलएडी आंकड़ों में रिकार्डों का मिलान न होने को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस आंकड़े को कब तक जांच लिया जाएगा और सुधार किया जाएगा?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) मंत्रालय द्वारा एमपीलैड्स निधि आबंटन के अद्यतन आंकड़े मंत्रालय की वेबसाइट पर हमेशा वास्तविक समय के आधार (रियल टाइम बेसिस) पर प्रदर्शित किए जाते हैं। जहां तक वास्तविक व्यय के आंकड़ों का संबंध है, इन्हें मासिक प्रगति रिपोर्टों में नोडल जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर अद्यतन किया जाता है। कुछ नोडल जिला प्राधिकारियों द्वारा नवीनतम मासिक प्रगति रिपोर्टों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण, ऐसे मामलों में जिला स्तर पर किए गए वास्तविक व्यय के अद्यतन आंकड़े मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों से हाल ही में अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नोडल जिला प्राधिकारियों को यह सलाह देने का अनुरोध किया गया है कि वे मासिक प्रगति रिपोर्टें अनुवर्ती माह के 10वें दिन तक मंत्रालय को निश्चित रूप से अग्रेषित करना सुनिश्चित करें। मंत्रालय एक एकीकृत एमपीलैड्स वेबसाइट भी तैयार कर रहा है। नई प्रणाली के तहत निधि जारी करने के वास्तविक समय के आधार पर आंकड़े अपलोड करना जिला प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा।

जल विद्युत उत्पादन

47. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**
श्री चार्ल्स डिएस:
प्रो. सौगत राय:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उत्पादित जल विद्युत साहित जल विद्युत उत्पादन क्षमता का मेगावाट-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चल रही जल विद्युत परियोजनाओं और इन्हें शुरू करने की निर्धारित तिथि का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश भर में विशेषकर दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार को राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन पर केंद्र सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वर्ष 1987 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा देश में किए गए जल विद्युत सम्भाव्यता के मूल्यांकन के अनुसार संस्थापित क्षमता के संबंध में देश में 148701 मेगावाट का अनुमान लगाया गया है जिसमें जल विद्युत परियोजनाओं की 145320 मेगावाट क्षमता शामिल है जिनकी स्थापित क्षमता 25 मेगावााट से अधिक है। देश में अभी ज्ञात की गई पंपड भंडारण योजनाओं को छोड़कर जल विद्युत क्षमता के ब्यौरे तथा उसके विकास की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। देश में पम्पड् स्टोरेज योजनाओं सहित उत्पादित जल विद्युत के राज्य-वार ब्यौरे मेगावाट संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं।

(ख) प्रारंभ होने की निर्धारित तारीख सहित चालू जल विद्युत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) विद्युत मंत्रालय ने देश में सुदूरवर्ती तथा पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं, जल विद्युत क्षमता की गति बढ़ाने की एक बहुआयामी नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शुरू किए गए कुछ नीतिगत उपायों में नई जल विद्युत नीति-2008 को अंतिम रूप देना, उदार राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्वासन नीति, 50,000 मेगावाट हाइड्रोलिक इनिशिएटिव इत्यादि शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र को समान अवसर देने तथा जल विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नयी जल विद्युत नीति जारी की गई है। जल विद्युत नीति-2008 में जल विद्युत परियोजनाओं को टैरिफ आधारित निविदा से छूट की व्यवस्था को दिनांक 8.7.2011 की अधिसूचना के अनुसार दिसंबर, 2015 तक बढ़ाया गया था।

इसके अलावा भविष्य में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना तथा उनके विकास की निगरानी के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है:—

(क) जल विद्युत के विकास के सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है जिसमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष, जल संसाधन मंत्री, न्यू एंड रिन्यूवल एनर्जी मंत्री, पर्यावरण तथा वन मंत्री तथा जल विद्युत प्रचुरता वाले राज्यों के विद्युत मंत्री शामिल किए गये हैं।

(ख) विभिन्न विकास एजेंसियों को आवंटित निजी विकासकर्ताओं को आवंटित जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, मंजूरियों की स्थिति आदेश जारी करने की संभावित तारीख इत्यादि के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष नियमित आधार पर पुनरीक्षा बैठकें करते हैं।

ये उपाय एक सतत प्रक्रिया हो। देश में जल विद्युत विकास का बढ़ावा देने के लिए नियमित तौर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) राज्य क्षेत्र की दो जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है। इनके विवरण नीचे दिए गए हैं–

क्र.सं.	योजना	राज्य	सेक्टर	एजेंसी	इकाई X मेगावाट	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	दागमारा एचईपी	बिहार	राज्य	बीएसएचपीसएल	17x7.65	130
2.	बोवाला नंद प्रयाग एचईपी	उत्तराखंड	राज्य	यूजेवीएनएल	4x75	300
	कुल					430

केरल राज्य का कोई प्रस्ताव सीईए में विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्षमता विकास का (25 मेगावाट से ऊपर के संदर्भ में)

15.11.2012 तक

क्षेत्र/राज्य	चिह्नित क्षमता पुनर्मूल्यांकन के बाद		क्षमता विकसित		*क्षमता निर्माणाधीन		क्षमता विकसित+ निर्माणाधीन		अब तक विकसित क्षमता	
	कुल (मेगावाट)	25 मेगावाट से अधिक (मेगावाट)	मेगावाट	%	मेगावाट	%	मेगावाट	%	मेगावाट	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तरी										
जम्मू और कश्मीर	14146	13543	2340.0	17.28	1109.0	8.19	3449.0	25.47	10094.0	74.53
हिमाचल प्रदेश	18820	18540	7293.0	39.34	3582.0	19.32	10875.0	58.66	7665.0	41.34
पंजाब	971	971	1206.3	100.00	0.0	0.00	1206.3	100.00	0.0	0.00
हरियाणा	64	64	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	64.0	100.00
राजस्थान	496	483	411.0	85.09	0.0	0.00	411.0	85.09	72.0	14.91
उत्तरांचल	18175	17998	3226.3	17.93	1225.0	6.81	4451.4	24.73	13546.6	75.27
उत्तर प्रदेश	723	664	501.6	75.54	0.0	0.00	501.6	75.54	162.4	24.46
उप जोड़ (एनआर)	53395	52263	14978.3	28.66	5916.0	11.32	20894.3	39.98	31368.8	60.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पश्चिमी										
मध्य प्रदेश	2243	1970	2395.0	100.00	400.0	20.30	2795.0	100.00	0.0	0.00
छत्तीसगढ़	2242	2202	120.0	5.45	0.0	0.00	120.0	5.45	2082.0	94.55
गुजरात	619	590	550.0	93.22	0.0	0.00	550.0	93.22	40.0	6.78
महाराष्ट्र	3769	3314	2487.0	75.05	0.0	0.00	2487.0	75.05	827.0	24.95
गोवा	55	55	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.0	100.00
उपजोड़ (डब्ल्यूआर)	8928	8131	5552.0	68.28	400.0	4.92	5952.0	73.20	2179.0	26.80
दक्षिणी										
आंध्र प्रदेश	4424	4360	2177.8	49.95	410.0	9.40	2587.8	59.35	1772.3	40.65
कर्नाटक	6602	6459	3585.4	55.51	0.0	0.00	3585.4	55.51	2873.6	44.49
केरल	3514	3378	1881.5	55.70	100.0	2.96	1981.5	58.66	1396.5	41.34
तमिलनाडु	1918	1693	1722.2	100.00	60.0	3.54	1782.2	100.00	0.0	0.00
उपजोड़	16458	15890	9366.9	58.95	570.0	3.59	9936.9	62.54	5953.2	37.46
पूर्वी										
झारखंड	753	582	233.2	40.07	0.0	0.00	233.2	40.07	348.8	59.93
बिहार	70	40	0.0		0.0	0.00	0.0		40.0	100.00
ओडिशा	2999	2981	2027.5	68.01	0.0	0.00	2027.5	68.01	953.8	31.99
पश्चिम बंगाल	2841	2829	77.0	2.72	292.0	10.32	369.0	13.04	2460.0	86.96
सिक्किम	4286	4248	570.0	13.42	2421.0	56.99	2991.0	70.41	1257.0	29.59
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.0						0.0	
उपजोड़	10949	10680	2907.7	27.23	2713.0	25.40	5620.7	52.63	5059.3	47.37
उत्तर पूर्वी										
मेघालय	2394	2298	240.0	10.44	82.0	3.57	322.0	14.01	1976.0	85.99
त्रिपुरा	15	0	0.0		0.0		0.0		0.0	
मणिपुर	1784	1761	105.0	5.96	0.0	0.00	105.0	5.96	1656.0	94.04
असम	680	650	375.0	57.69	0.0	0.00	375.0	57.69	275.0	42.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नागालैंड	1574	1452	75.0	5.17	0.0	0.00	75.0	5.17	1377.0	94.83
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	405.0	0.81	2710.0	5.41	3115.0	6.22	46949.0	93.78
मिजोरम	2196	2131	0.0	0.00	60.0	2.82	60.0	2.82	2071.0	97.18
उपजोड़	58971	58356	1200.0	2.06	2852.0	4.89	4052.0	6.94	54304.0	93.06
अखिल भारतीय	148701	145320	34527.8	23.76	12550.0	8.64	47077.8	32.40	98242.2	67.60

टिप्पणी: 2 पंप स्टोरेज स्कीम (पीएसएस) (1080 मेगावाट) के अतिरिक्त 4785.6 मेगावाट पीएसएस निर्माणाधीन है।

विवरण-II

देश में 25 मेगावाट से ऊपर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों की सूची

	क्षेत्र/सेक्टर यूटीलिटी/केंद्र	इकाई की सं. x आकार (मेगावाट)	केंद्रो की संख्या	इकाई की सं.	क्षमता (मेगावाट)
	1	2	3	4	5
I	**क्षेत्र**				
	उत्तरी	-	61	204	15501.25
	पश्चिमी	-	28	101	7392.00
	दक्षिणी	-	66	239	11372.45
	पूर्वी	.	15	55	3847.70
	उत्तर पूर्वी	.	10	28	1200.00
	अखिल भारतीय (कुल)	-	180	627	39313.40
II.	**सेक्टर**				
1.	केंद्रीय				
	बीबीएमबी	.	6	28	2866.30
	एनएचपीसी	-	15	46	4020.20
	एसजेवीएनएल	-	1	6	1500.00
	टीएचडीसी	-	2	8	1400.00
	एनएचडीसी	-	2	16	1520.00
	डीवीसी	-	2	5	143.20

1		2	3	4	5
	नीपको	–	4	13	755.00
	उपजोड़ केंद्रीय		32	122	12204.70
2.	**निजी**				
	एमपीसीएल (मलाना पावर कंपनी लिमिटेड)	–	1	2	86.00
	ईपीपीएल (एवरेस्ट पावर प्रा.लि.)		1	2	100.00
	जेएचपीएल	–	1	3	300.00
	जेके डब्ल्यूएचसीएल		1	4	1000.00
	करचम		1	2	192.00
	एडीएचपीएल	–	1	4	400.00
	जेपीवीएल	–	1	2	70.00
	एलपीजीपीएल	–	4	15	447.00
	टीपीसीएल		1	1	34.00
	उपजोड़	–	12	35	2629.00
3.	**स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड/डिपार्टमेंट**				
	एचपीएसईबी	–	4	12	366.00
	जेके एसपीडीसी	–	3	9	660.00
	पीएसपीसीएल	–	8	25	1051.00
	आरआरवीयूएनएल	.	4	11	411.00
	यूपीजेवीएनएल	–	4	15	501.60
	यूजेवीएनएल	–	10	34	1252.15
	जीएसईसीएल	–	2	8	540.00
	एसएसएनएल	–	2	11	1450.00
	एमपीपीजीसीएल	–	8	23	875.00
	सीएसपीजीसीए	–	1	3	120.00
	महाजेनेको	–	8	24	2406.00

1		2	3	4	5
	एपीजेनको	–	14	57	3783.35
	केपीसीएल	–	14	68	3585.40
	केएसईबी	–	13	48	1881.50
	टीएनईबी	–	25	66	2122.20
	जेएसईबी	–	2	2	130.00
	ओएचपीसी	–	6	31	2027.50
	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	–	3	11	977.00
	एपीजीसीएल	–	1	2	100.00
	एमईएससी	–	4	10	240.00
	उपजोड़	–	136	470	24479.70
	अखिल भारतीय	–	180	627	39313.40
	बीबीएमवी				
1.	भाखरा एल	5*108	1	5	540.00
2.	भाखरा आर	5*157	1	5	785.00
3.	गंगुवाल	1*29.25+2*24.2	1	3	77.65
4.	कोटला	1*29.25+2*24.2	1	3	77.65
	उपजोड़		4	16	1480.30
5.	देहार	6*165	1	6	990.00
6.	पोंग	6*66	1	6	396.00
	एनएचपीसी		6	28	2866.30
1.	बैरा सिउल	3*66	1	3	198.00
2.	सलाल-I	3*115	1	3	345.00
3.	सलाल-II	3*115	1	3	345.00
4.	टनकपुर	3*31.4	1	3	94.20
5.	चेमेरा-I	3*180	1	3	540.00
6.	चमेरा-II	3*100	1	3	300.00

1		2	3	4	5
7.	चमेरा-III	3*77	1	3	231.00
8.	उरी	4*120	1	4	480.00
9.	धौलीगंगा	4*70	1	4	280.00
10.	दुलहस्ती	3*130	1	3	390.00
11.	सेवा-II	3*40	1	3	120.00
12.	चुटक	2*11	1	2	22.00
	कुल एनएचपीसी		12	37	3345.20
	एसजेवीएनएल				
1.	नाथपा झाकरी	6*250	1	6	1500.00
	टीएचडीसी				
1.	टेहरी	4*250	1	4	1000.00
2.	कोटेश्वर	4*100	1	4	400.00
	कुल टीएचडीसी		2	8	1400.00
	कुल केंद्रीय		21	79	9111.50
	हिमाचल प्रदेश				
	एचपीएसईबीएल				
1.	गिरी बाटा	2*30	1	2	60.00
2.	बस्सी	4*15	1	4	60.00
3.	संजय	3*40	1	3	120.00
4.	जारजी	3*42	1	3	126.00
	कुल एचपीएसईबीएल		4	12	366.00
	मलाना पावर कं.लि.				
1.	मलाना	2*43	1	2	86.00
	एवरेस्ट पावर प्रा.लि.				
1.	मलाना-II	2*50	1	2	100.00
	जयप्रकाश हाइड्रो पावर लि.				
1.	बसपा-II	3*100	1	3	300.00

	1	2	3	4	5
	अलियान दुहांगन हाइड्रो पावर लि.				
1.	अलियान दुहांगन	2*96	1	2	192.00
	जेपी करचम हाइड्रो पावर लि.				
1.	करचम वांगटू	4*250	1	4	1000.00
	लैंको ग्रीन पावर प्रा.लि.				
1.	बुधील	2*35	1	2	70.00
	कुल प्रा.		6	15	1748.00
	कुल एचपी		10	27	2114.00
	जम्मू और कश्मीर				
	जेकेपीडीसी				
1.	लोअर झेलम	3*35	1	3	105.00
2.	अपर सिंध-II	3*35	1	3	105.00
3.	बगलिहार	3*150	1	3	450.00
	कुल जेकेपीडीसी		3	9	660.00
	पंजाब				
	पीसीपीसीएल				
1.	शानन	4*15+1*50	1	5	110.00
2.	मूकेरीन स्टे-I फेज-I	3*15	1	3	45.00
3.	मूकेरीन स्टे-I फेज-II	3*15	1	3	45.00
4.	मूकेरीन स्टे	3*19.5	1	3	58.50
5.	मूकेरीन स्टे	3*19.5	1	3	58.50
6.	एपी साहिब स्टे-I	2*33.5	1	2	67.00
7.	एपी साहिब स्टे-II	2*33.5	1	2	67.00
8.	रंजीत सागर डैम	4*150	1	4	600.00
	कुल पीएसपीसीएल		8	25	1051.00
	राजस्थान				
	आरआरजेवीयूएनएल				

	1	2	3	4	5
1.	आरपी सागर	4*43	1	4	172.00
2.	जे सागर	3*33	1	3	99.00
3.	माही बजाज-I	2*25	1	2	50.00
4.	माही बजाज-II	2*45	1	2	90.00
	कुल आरआरजेवीयूएनएल		4	11	411.00
	उत्तर प्रदेश				
	यूपीजेवीएनएल				
1.	रिहंद	6*50	1	6	300.00
2.	ओबरा	3*33	1	3	99.00
3.	माताटीला	3*10.2	1	3	30.60
4.	खरा	3*24	1	3	72.00
	कुल यूपीजेवीएनएल		4	15	501.60
	उत्तराखंड				
	यूजेवीएनएल				
1.	धकरानी	3*11.25	1	3	33.75
2.	धालीपुर	3*17	1	3	51.00
3.	कुलहाल	3*10	1	3	30.00
4.	चीब्रो	4*60	1	4	240.00
5.	खोदरी	4*30	1	4	120.00
6.	रामगंगा	3*66	1	3	198.00
7.	चिल्ला	4*36	1	4	144.00
8.	मनेरीभली	3*30	1	3	90.00
9.	मनेरीभली-II	4*76	1	4	304.00
10.	खातीमा	3*13.8	1	3	41.40
	कुल यूजेवीएनएल		10	34	1252.15
	जयप्रकाश पावर वेंचर लि				
1.	विष्णुप्रयाग	4*100	1	4	400.00

	1	2	3	4	5
	कुल जेपीपीवीएल		1	4	400.00
	कुल उत्तरांचल		11	38	1652.15
	कुल उत्तरी क्षेत्र		61	204	15501.25
	पश्चिमी क्षेत्र				
	पश्चिमी क्षेत्र				
	गुजरात				
1.	जीएसईसीएल	4*75	1	4	300.00
2.	उकाई	4*60	1	4	240.00
			2	8	540.00
1.	सरदार सरोवर	5*50	1	5	250.00
2.	सरदार सरोवर	6*200	1	6	1200.00
			2	11	1450.00
			4	19	1990.00
1.	इंदिरा सागर	8*125	1	8	1000.00
2.	ओमकारेश्वर	8*65	1	8	520.00
			2	16	1520.00
1.	गांधी सागर	5*23	1	5	115.00
2.	बारगी	2*45	1	2	90.00
3.	पेच	2*80	1	2	160.00
4.	वानसागर टोंस-I	3*105	1	3	315.00
5.	वानसागर टोंस-II	2*15	1	2	30.00
6.	वानसागर टोंस-IIII	3*20	1	3	60.00
7.	राजघाट	3*15	1	3	45.00
8.	माधीखेरा	3*20	1	3	60.00
			8	23	875.00
			10	39	2395.00

1		2	3	4	5
1.	हंसदेव बांगो	3*40	1	3	120.00
1.	कोयना-II	4*70+4*80	1	8	600.00
2.	कोयना-III	4*80	1	4	320.00
3.	कोयना-IV	4*250	1	4	1000.00
4.	कोयना डीपीएच	2*18	1	2	36.00
5.	वैतराना	1*60	1	1	60.00
6.	बीरा टेल रेस	2*40	1	2	80.00
7.	तील्लारी	1*60	1	1	60.00
8.	घाटघर	2*125	1	2	250.00
			8	24	2406.00
1.	भीरा	6*25	1	6	150.00
2.	भीवपुरा	3*24+2*1.5	1	5	75.00
3.	खोपोली	3*24	1	3	72.00
4.	भीरा पीएसएस	1*150	1	1	150.00
			4	15	447.00
1.	बंदारधारा-II	1*34	1	1	34.00
			1	1	34.00
			13	40	2887.00
			28	101	7392.00
1.	मचकुंड	3*17+3*21.25	1	6	114.75
2.	अपर सिलेरू स्टे-I	2*60	1	2	120.00
3.	अपर सिलेरू स्टे-II	2*60	1	2	120.00
4.	लोअर सिलेरू	4*115	1	4	460.00
5.	टीबी डैम	4*9	1	4	36.00

1		2	3	4	5
6.	हंपी	4*9	1	4	36.00
7.	एनजे सागर	1*110+7*100.8	1	8	815.60
8.	श्रीसेलम	7*110	1	7	770.00
9.	एनजेसागर आरबीसी	2*30	1	2	60.00
10.	एनजेसागर एक्स	1*30	1	1	30.00
11.	एनजेसागर आरबीसी	2*30	1	2	60.00
12.	पोचमपाड	3*9	1	3	27.00
13.	रीसेलम	6*150	1	6	900.0
14.	प्रियादर्शनी जुराला	6*39	1	6	234.00
			14	57	3783.35
			14	57	3783.35
1.	शरावती	10*103.5	1	10	1035.00
2.	लिंगनामक्की	2*27.5	1	2	55.00
3.	भद्रा	1*2+2*12+1*7.20+1*6	1	5	39.20
4.	कालीनदी	3*135+3*150	1	6	855.00
5.	सुपा डीपीएच	2*50	1	2	100.00
6.	वराही	4*115	1	4	460.00
7.	घाटप्रभा	2*16	1	2	32.00
8.	कद्रा	3*50	1	3	150.00
9.	कोडासली	3*40	1	3	120.00
10.	रेस	4*60	1	4	240.00
11.	अलमाटी डैम	1*15+5*55	1	6	290.00
12.	जोग	4*13.2+4*21.6	1	8	139.20
13.	शिवसमुंद्रम	6*3+4*6	1	10	42.00
14.	मुनीराबाद	2*9+1*10	1	3	28.00
			14	68	3585.40
			14	68	3585.40

1		2	3	4	5
1.	इडुक्की	6*130	1	6	780.00
2.	सबरागिरी	6*50	1	6	300.00
3.	कुटीयादी	3*25+1 *50	1	4	125.00
4.		2*50	1	2	100.00
5.	शालायर	3*18	1	3	54.00
6.	सिनगुलाम	4*12	1	4	48.00
7.	नरीमंगलम	3*15+1*25	1	4	70.00
8.	पल्लीवसल	3*5+3*7.5	1	6	37.50
9.	पोरिंगलकुटू	4*8	1	4	32.00
10.	पन्नीयार	2*15	1	2	30.00
11.	इदमलयार	2*37.5	1	2	75.00
12.	लोअर पेरियार	3*60	1	3	180.00
13.	ककड़	2*25	1	2	50.00
			13	48	1881.50
			13	48	1881.50
1.	कुंडा-I	3*20	1	3	60.00
2.	कुंडा-II	5*35	1	5	175.00
3.	कुंडा-III	3*60	1	3	180.00
4.	कुंडा-IV	2*50	1	2	100.00
5.	कुंडा-V	2*20	1	2	40.00
6.	पारसंस वैली	1*30	1	1	30.00
7.	मेटूर	4*12.5	1	4	50.00
8.	मेटूर	4*50	1	4	200.00
9.	परियार	4*35	1	4	140.00
10.	कोडयार-I	1*60	1	1	60.00
11.	कोडयार-II	1*40	1	1	40.00
12.	शोलायर	2*35+1*25	1	3	95.00

1		2	3	4	5
13.	पइकारा	3*7+1*11+2*13.6	1	6	59.20
14.	अलियार	1*60	1	1	60.00
15.	सरकारपथी	1*30	1	1	30.00
16.	पापनासम	4*8	1	4	32.00
17.	मोयर	3*12	1	3	36.00
18.	सुरूलियार	1*35	1	1	35.00
19.	एल मेट फे-1	2*15	1	2	30.00
20.	एल मेट फे-2	2*15	1	2	30.00
21.	एल मेट फे-3	2*15	1	2	30.00
22.	एल मेट फे-4	2*15	1	2	30.00
23.	कदमपराई	4*100	1	4	400.00
24.	पइकारा	3*50	1	3	150.00
25.	भवानी	2*15	1	2	30.00
			25	66	2122.20
			66	239	11372.45
1.	स्वर्णरेखा	1*65	1	1	65.00
2.	स्वर्णरेखा	1*65	1	1	65.00
			2	2	130.00
1.	मैथन	2*20+1*23.2	1	3	63.20
2.	पंचेत	2*40	1	2	80.00
			2	5	143.20
1.	हिराकुंड-I	2*49.5+2*32+3*37.5	1	7	275.50
2.	हिराकुंड-II	3*24	1	3	72.00
3.	बालीमेला	6*60+2*75	1	8	510.00
4.	रंगेली	5*50	1	5	250.00
5.	अपर कोलाब	4*80	1	4	320.00
6.	अपर इंद्रवती	4*150	1	4	600.00
			6	31	2027.50

	1	2	3	4	5
1.	जलढाका-I	3*9	1	3	27.00
2.	रम्माम-II	4*12.5	1	4	50.00
3.	पुरूलिया पीएसएस	4*225	1	4	900.00
			3	11	977.00
1.	रंगित-I/II	3*20	1	3	60.00
2.	तीस्ता	3*170	1	3	510.00
			2	6	570.00
			15	55	3847.70
1.	करबी लांगपी	2*50	1	2	100.00
1.	किरदेमकुलाई	2*30	1	2	60.00
2.	उमीयाम	4*9	1	4	36.00
3.	उमीयाम	2*30	1	2	60.00
4.	मिटडू	2*42	1	2	84.00
			4	10	240.00
1.	खानडोग	3*25	1	3	75.00
2.	कोपीली	4*50	1	4	200.00
3.	दोयांग	3*25	1	3	75.00
4.	रंगनदी	3*135	1	3	405.00
	कुल नीपको		4	13	755.00
	एनएचपीसी (एनईआर)				
1.	लोकटक	3*35	1	3	105.00
	उपजोड़ एनएचपीसी (एनईआर)		1	3	105.00
	उपजोड़ केंद्रीय (एनईआर)		5	16	860.00
	कुल एनईआर		10	28	1200.00
	कुल अखिल भारतीय		180	627	39313.40

टिप्पणी– (1) स्टेशन क्षमता 25 मेगावाट तक शामिल नहीं

(2) अपरेटेरेड/डिरेटेड इकाई सम्मिलित हैं।

विवरण-III

देश में कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाएं (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन परियोजनाओं को छोड़कर)

15.11.12 के अनुसार

क्र.सं.	योजना का नाम	क्षेत्र	आईसी (सं.×मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू अद्यतन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
	जम्मू व कश्मीर					
1	उरी-II	केंद्रीय	4×60	240.00	2012-13	
2	चुटक	केंद्रीय	4×11	22.00	2012-13	22 मेगावाट चालू
3	नीमू बाजगो	केंद्रीय	3×15	45.00	2013-14	
4.	किशनगंगा	केंद्रीय	3×110	330.00	2016-17	
5.	बगलीहार	राज्य	3×150	450.00	2016-17	
	हिमाचल प्रदेश					
6.	पार्वती चरण II	केंद्रीय	4×200	800.00	2016-17	
7.	पार्वती चरण III	केंद्रीय	4×130	520.00	2012-14	
8.	कोल डैम	केंद्रीय	4×200	800.00	2013-14	
9.	रामपुर	केंद्रीय	6×68.67	412.00	2013-14	
10.	उहल-III	राज्य	3×33.33	100.00	2014-15	
11.	स्वारा कुड्डु	राज्य	3×37	111.00	2014-15	
12.	कशांग-I	राज्य	1×65	65.00	2014-15	
13.	कशांग-I, II	राज्य	2×65	130.00	2015-16	
14.	सैंज	राज्य	100.00	100.00	2014-15	
15.	शोंगटोंग करचम	राज्य	3×150	450.00	2017-18	
16.	सोरांग	निजी	2×50	100.00	2013-14	
17.	टीडोंग-I	निजी	100.00	100.00	2015-16	
18.	टांगू रोमई	निजी	2×22	44.00	2015-16	
	उत्तराखंड					
19.	टेहरी	केंद्रीय	4×250	1000.00	2017-18	

1	2	3	4	5	6	7
20.	तपोवन विष्णुगाड	केंद्रीय	4×130	520.00	2015-16	
21.	लाता तपोवन	केंद्रीय	3×57	171.00	2017-18	
22.	श्रीनगर	निजी	4×82.5	330.00	2013-14	
23.	फाटा ब्योंग	निजी	2×38	76.00	2013-14	
24.	सिंगोली भटवारी	निजी	3×33	99.00	2015-16	
	मध्य प्रदेश					
25.	महेश्वर	निजी	10×40	400.00	2013-15	
	महाराष्ट्र					
26.	कोयना लेफ्ट बैंक	राज्य	2×40	80.00	2017-18	
	आंध्र प्रदेश					
27.	नागार्जुन सागर टीआर	राज्य	2×25	50.00	2014-15	
28.	पुलीचिंताला	राज्य	4×30	120.00	2015-17	
29.	लोअर जुराला	राज्य	6×40	240.00	2014-16	
31.	थाट्टीयार	राज्य	40.00	40.00	2015-16	
	तमिलनाडु					
32.	भवानी बैराज-II	राज्य	2×15	30.00	2012-13	
33.	भवानी बैराज-III	राज्य	2×15	30.00	2012-14	
	वेस्ट बंगाल					
34.	तीस्ता लो डैम-III	केंद्रीय	4×33	132.00	2013-14	
35.	तीस्ता लो डैम-IV	केंद्रीय	4×40	160.00	2014-15	
	सिक्किम					
36.	चुजाचेन	निजी	2×49.5	99.00	2013-14	
37.	तीस्ता-IV	निजी	6×200	1200.00	2014-15	
38.	तीस्ता-VI	निजी	4×125	500.00	2015-16	
39.	रंगित-IV	निजी	3×40	120.00	2014-15	
40.	जोस्थाग लूप	निजी	2×48	96.00	2014-15	
41.	भस्मे	निजी	2×25.5	51.00	2014-15	

1	2	3	4	5	6	7
42.	तसीडिंग	निजी	2×48.5	97.00	2017-18	
43.	डक्चु	निजी	3×32	96.00	2017-18	
44.	रंगित-II	निजी	2×33	66.00	2017-18	
45.	रोंगनीचु	निजी	2×48	96.00	2017-18	
	मेघालय					
46.	मिटडू	राज्य	2×42+1×42	42.00	2012-13	
47.	नई उमतरू	राज्य	2×20	40.00	2014-15	
	मिजोरम					
48.	तुरियल	केंद्रीय	2×30	60.00	2016-17	
	अरुणाचल प्रदेश					
49.	सुबंसिरी लोअर	केंद्रीय	8×250	2000.00	2016-17	
50.	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4×150	600.00	2016-17	
51.	पारे (नीपको)	केंद्रीय	2×55	110.00	2014-15	
	कुल			13630.00		

[हिन्दी]

किराया और मालभाड़ा से राजस्व

48. श्री गणेश सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्षवार और जोनवार सवारी किराया और मालभाड़ा से अर्जित राजस्व का प्रतिशत कितना है;

(ख) पश्चिम मध्य रेल (डब्ल्यू सी आर) के अंतर्गत जिन स्थानों से माल ढुलाई की जाती है उनका ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान वर्षवार इससे कितना राजस्व अर्जित हुआ;

(ग) डब्ल्यू सी आर के अंतर्गत स्टेशन-वार विभिन्न रेलवे स्टेशनों से प्रतिवर्ष यात्रा करने वाली सवारियों की औसत संख्या कितनी है; और

(घ) इलाहाबाद-जबलपुर मार्ग पर चलने वाली मालगाड़ियों और रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यात्री किरायों और माल भाड़ा किरायों से अर्जित राजस्व का प्रतिशत, वर्ष तथा जोनवार का ब्यौरा विवरण-I तथा II के रूप में संलग्न किया गया है।

(ख) स्थानों का ब्यौरा यथा पश्चिम मध्य रेलवे के माल शेड और साइडिंग जहां से माल का परिवहन किया जाता है और जिससे राजस्व अर्जित होता है, का ब्यौरा विवरण-III तथा IV के रूप में संलग्न किया गया है।

(ग) यात्रियों की औसत संख्या का स्टेशन वार ब्यौरा जिन्होंने वर्ष 2011-12 के दौरान पश्चिम मध्य रेलवे के स्टेशनों से यात्रा की है, जिसे विवरण-V के रूप में संलग्न किया गया है।

(घ) इलाहाबाद-जबलपुर मार्ग पर माल एवं यात्री गाड़ियों का ब्यौरा विवरण-VI के रूप में संलग्न किया गया है।

विवरण-I

जोन-वार अर्जित राजस्व का प्रतिशत

(करोड़ रुपये में)

जोन	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13 (अक्टूबर 2012 तक)		
	कुल आमदनी	यात्री आमदनी	%	कुल आमदनी	यात्री आमदनी	%	कुल आमदनी	यात्री आमदनी	%	कुल आमदनी	यात्री आमदनी	%
मध्य	6909.08	2824.76	40.88	7466.44	3079.25	41.24	8330.61	3348.00	40.19	5339.00	1978.18	37.05
पूर्व	3514.97	1156.024	32.89	3840.07	1245.33	32.43	4169.33	1355.30	32.51	2643.65	835.40	31.60
पूर्व मध्य	5133.90	1191.43	23.21	5449.70	1290.00	23.67	6219.10	1481.10	23.82	4425.97	926.11	20.92
पूर्व तट	7023.93	582.18	8.29	8887.81	648.40	7.30	9012.50	747.43	8.29	5919.01	460.31	7.78
उत्तर	8812.37	3104.87	35.23	9775.50	3516.29	35.97	10498.45	3764.81	35.86	6424.06	2376.86	37.00
उत्तर मध्य	7551.97	2323.24	30.76	7965.75	2532.46	31.79	9033.33	2741.63	30.35	6069.01	1744.22	28.74
उत्तर पूर्व	1464.77	762.63	52.06	1682.93	841.28	49.99	1919.28	916.87	47.77	1338.32	560.68	41.89
पूर्वोत्तर सीमा	2430.86	540.31	22.23	2616.06	586.74	22.43	2882.92	659.66	22.88	1528.02	429.65	28.12
उत्तर पश्चिम	3001.56	790.76	26.34	3379.72	862.07	25.51	3972.09	1015.72	25.57	2600.17	661.11	25.43
दक्षिण	4456.90	2154.61	48.34	4790.28	2317.69	48.38	5608.08	2565.97	45.75	3399.75	1609.02	47.33
दक्षिण मध्य	8392.51	2122.12	25.29	8531.91	2409.44	28.24	9440.14	2600.96	27.55	6556.27	1625.21	24.79
दक्षिण पूर्व	7214.80	775.78	10.75	7752.35	831.60	10.73	7859.01	899.16	11.44	5100.41	563.58	11.05
दक्षिण पूर्व मध्य	5378.67	519.26	9.65	5799.84	565.29	9.75	6548.77	627.79	9.59	4556.88	397.06	8.71
दक्षिण पश्चिम	2879.85	729.76	25.34	2866.59	809.53	28.24	2956.99	869.07	29.39	1966.74	531.26	27.01
पश्चिम	7381.29	2409.22	32.64	7820.84	2565.12	32.80	8911.61	2788.04	31.29	5768.37	1793.37	31.09
पश्चिम मध्य	5468.51	1427.47	26.10	5796.52	1605.16	27.69	6684.21	1773.56	26.53	4180.71	1143.73	27.36
मेट्रो	88.71	73.73	83.11	103.15	86.98	84.32	107.14	91.36	85.27	63.61	55.68	87.53
कुल	87104.65	23488.17	26.97	94525.46	25792.63	27.29	104153.55	28246.43	27.12	67879.95	17691.43	26.06

विवरण-II

वर्षवार गैर-जोनवार औसत राजस्व का प्रतिशत

(करोड़ में)

जोन	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13 (अक्टूबर 2012 तक)		
	कुल आमदनी	यात्री आमदनी	%	कुल आमदनी	यात्री आमदनी	%	कुल आमदनी	यात्री आमदनी	%	कुल आमदनी	यात्री आमदनी	%
मध्य	6909.08	3641.75	52.71	7466.44	3889.56	52.09	8330.61	4437.14	53.26	5339.00	3017.98	56.33
पूर्व	3514.97	2144.81	61.02		2364.77	#कीमत!	4169.33	2554.37	61.27	2643.65	1662.80	62.90
पूर्व मध्य	5133.90	3856.91	75.13	5449.70	4059.14	74.48	6219.10	4618.83	74.27	4425.97	3422.41	77.33
पूर्व तट	7023.93	6346.83	90.36	8887.81	8119.51	91.36	9012.50	8124.59	90.15	5919.01	5377.38	90.85
उत्तर	8812.37	4521.87	51.31	9775.50	4695.49	48.03	10498.45	5299.72	50.48	6424.06	3313.87	51.59
उत्तर मध्य	7551.97	5023.71	66.52	7965.75	5231.69	65.68	9033.33	6067.19	67.16	6069.01	4178.98	68.86
पूर्वोत्तर सीमा	1464.77	600.22	40.98	1682.93	720.68	42.82	1919.28	877.94	45.74	1338.32	703.77	52.59
पूर्वोत्तर सीमा	2430.86	1135.39	46.71	2616.06	1307.09	49.96	2882.92	1490.86	51.71	1528.02	819.28	53.62
उत्तर पश्चिम	3001.56	1975.50	65.82	3379.72	2317.35	68.57	3972.09	2630.24	66.22	2600.17	1806.07	69.46
दक्षिण	4456.90	1886.77	42.33	4790.28	1952.91	40.77	5608.08	2234.08	39.84	3399.75	1444.08	42.48
दक्षिण मध्य	8392.51	5978.09	71.23	8531.91	5764.51	67.56	9440.14	6437.43	68.19	6556.27	4692.92	71.58
दक्षिण पूर्व	7214.80	6224.20	86.27	7752.35	6643.74	85.70	7859.01	6727.33	85.60	5100.41	4390.71	86.09
दक्षिण पूर्व मध्य	5378.67	4791.58	89.08	5799.84	5159.18	88.95	6548.77	5831.91	89.05	4556.88	4109.11	90.17
दक्षिण पश्चिम	2879.85	1925.69	66.87	2866.59	1820.42	63.50	2956.99	1868.28	63.18	1966.74	1305.29	66.37
पश्चिम	7381.29	4527.20	61.33	7820.84	4716.62	60.31	8911.61	5547.40	62.25	5768.37	3613.56	62.64
पश्चिम मध्य	5468.51	3921.16	71.70	5796.52	4082.06	70.42	6684.21	4800.26	71.81	4180.71	2947.27	70.50
मेट्रो	88.71	0.00	0.00	103.15	0.00	0.00	107.14		0.00	63.61	0.00	0.00
कुल	87104.65	58501.68	67.16	90685.39	62844.72	69.30	104153.55	69547.59	66.77	67879.95	46805.48	68.95

विवरण-III

उन स्थानों का ब्यौरा जहां से माल परिवहन किया जाता है

(रु. इकाई में)

क्र.सं.	नाम	गुड्स शेड कोड	मंडल	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 अक्टूबर तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ब्योहरी	बीईएचआर	जेबीपी	369177237	280690595	405754741	9792852
2.	गदरवाड़ा	जीएआर	जेबीपी	91789813	176088974	300911028	203274697

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	कच्छपुरा	केईक्यू	जेबीपी	185855911	567777302	149500264	134556754
4.	कटनी मुरवारा	केएमजैड	जेबीपी	63186345	115960251	35630627	36917517
5.	मैहर	एमवाईआर	जेबीपी	120269901	86837676	22889889	12048079
6.	मेहगांव	एमईजीएन	जेबीपी	528439193	677014769	680301159	378295179
7.	नानवारा	एनएनवी	जेबीपी	109330853	129808567	291263908	130106774
8.	पिपरिया	पीपीआई	जेबीपी	264834570	189435999	310952480	177067895
9.	सौगोर	एसजीओ	जेबीपी	0	69828285	169136096	180073084
10.	जुकेही	जेकेई	जेबीपी	168015270	141576314	126861301	112032873
11.	सतना	एसटीए	जेबीपी	40188423	82215974	49221041	26108531
12.	कैमा	केएमए	जेबीपी	8811898	2668290	60688812	16298331
13.	गोसलपुर	जीएसपीआर	जेबीपी	712799606	1770511709	367929106	123163791
14.	दामोह	डीएमओ	जेबीपी	7488150	0	9014611	42358283
15.	दुंडी	डीडीसीई	जेबीपी	410335944	668834370	26165373	15705205
16.	बानखेड़ी	बीकेएच	जेबीपी	0	0	0	0
17.	नरसिंहपुर	एनयू	जेबीपी	26724558	88463773	136459477	56532409
18.	निवार	एनडब्ल्यूआर	जेबीपी	30351240	114974954	1254312662	52282536
19.	जैतवार	जेटीडब्ल्यू	जेबीपी	21083452	0	0	0
20.	मकरोनिया	एमकेआरएन	जेबीपी	0	0	0	0
21.	करेली	केवाई	जेबीपी	0	0	0	0
22.	पथारिया	पीएचए	जेबीपी	4275945	26452125	31403857	3320789
23.	रीवा	रीवा	जेबीपी	0	0	0	20981503
24.	गंगापुर सिटी	जीजीसी	कोटा	2611805	4241343	20948503	1681059
25.	बुंडी	बीयूडीआई	कोटा	33275475	130556403	382877553	194187004
26.	सवाई माधोपुर	एसडब्ल्यूएम	कोटा	864791	955870	15313740	26314890
27.	बरन	बीएजेड	कोटा	113570634	166578325	350677105	381560496

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	भरतपुर जंक्	बीटीई	कोटा	10989899	25050326	55629969	43952408
29.	हिंडॉन सिटी	एचएएन	कोटा	25230754	102935849	183236158	71575910
30.	कोटा	कोटा	कोटा	366951931	510357685	1126983494	729912613
31.	मेहीदपुर रोड	एमईपी	कोटा	16083898	19418234	22747175	26223198
32.	नीशतपुरा	एनएसजैड	बीपीएल	70275479	78557433	90261136	99353660
33.	विदिशा	बीएचएस	बीपीएल	37243589	61647222	154961185	134948888
34.	मंडीदीप	एमडीडीपी	बीपीएल	173220847	234165840	352519596	233300529
35.	इटारसी	ईटी	बीपीएल	349363028	410134460	547953959	208266573
36.	सलामतपुर	एसएमटी	बीपीएल	0	0	0	29871941
37.	हर्दा	एचडी	बीपीएल	109770941	211120347	308848824	180837102
38.	बनापुरा	बीपीएफ	बीपीएल	46563320	39129369	164419055	44655083
39.	टीमरानी	टीबीएन	बीपीएल	46059262	28081107	119644744	52408506
40.	शिवपुरी	एसवीपीआई	बीपीएल	30792582	65973284	117996803	23907062
41.	पानीहार	पीएनएचआर	बीपीएल	21353558	123981792	140149425	77426737
42.	बीना	बीना	बीपीएल	2065255	0	4034655	10280169
43.	गंजबसोड	बीएक्यू	बीपीएल	8203978	0	8150122	31141546
44.	अशोक नगर	एएसकेएन	बीपीएल	2425600	0	1029339	18442537
45.	गुना	गुना	बीपीएल	136215732	166670099	245937087	237043187
46.	शाजापुर	एसएफवाई	बीपीएल	26745284	37455476	79150785	80426609
47.	पचोर रोड	पीएफआर	बीपीएल	28620040	35115975	95445351	12808423
48.	सुखी सेवनिया	एसयूडब्ल्यू	बीपीएल	0	0	0	32842908
49.	बियवारा राजगढ़	बीआरआरजी	बीपीएल	11547484	46024416	79180833	84145473
	कुल			4833003475	7687290782	9096493028	4798431593

विवरण-IV

माल परिवहन से अर्जित राजस्व

(रु. इकाई में)

क्र.सं.	मंडल	कोड	साइडिंग का नाम	सेवारत स्टेशन	प्रभार्य दूरी	2009-10	2010-11	2011-12	अक्टूबर, 2012-13 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जेबीपी	बीसीएस डब्ल्यू	बिरला कॉरपो. लि. सतना सीमेंट वर्क्स	एसटीए	6	1075244804	1111948785	1512052696	1156699411
2.		बीजेसीएस	भिलाई जेपी सीमेंट लि. सकारिया	एसकेए आर	2.15	158035664	547614742	754634836	460284275
3.		डीडीएसजी	डायमंड सीमेंट साइडिंग, दमोह	डीएमओ	5	559275448	528402302	539344999	370214855
4.		जेबीआरटी	जेपी बेला साइडिंग	टीजेडआर	5.16	1683764072	1763179893	1683686219	1165934617
5.		जेबीआरजी	मैसर्स जेपी रेवा सीमेंट लि. सतना	एसटीए	3	392992306	186837387	100341071	7762579
6.		जेआर सीएस	जेपी रेवा सीमेंट लि. तुर्की रोड	टीजेडआर	2	1467254570	1343072419	1179239446	700163605
7.		जेक्यूएसजी	एसीसी लि. केमौर साइडिंग	एनएनवी	6.72	1539921845	1436332266	1527737703	1110932229
8.		एमएसएसजी	मेहार सीमेंट साइडिंग मेहार	एमवाईआर	10	1746126521	1832511890	2349409562	1595382081
9.		पीसीआईएच	प्रीज्म सीमेंट लि. साइडिंग एचएनएम	एचएनएम	5	881999450	1005288798	1797018575	1079260700
10.		एलएनएक्स	स्पेशल रेलवे साइडिंग लालनगर	एनएनवी	4	0	0	एनएनवी के राजस्व में शामिल है।	
11.		एलपीबीजी	एलपीजी बीपीसीएल साइडिंग भीटोनी	बीएचटीएन	2	0	0	0	0
12.		आईओएन आई	आईओसी साइडिंग नारिओली	एनओआई	2	0	0	0	0
13.		पीएलबीजी	मैसर्स बीपीसीएल के लिए पीओएल साइडिंग	बीएचटीएन	3	0	0	0	0
14.		बीएलएसजी	बोकारो स्टील लि. साइडिंग केएचबीजे	केएचबीजे	0	565724649	460740195	582531448	412318764
15.		एनएमडीजे	एनएम दुबास साइडिंग जुकेही	जेकेई	0	0	0	जेकेई के राजस्व में है	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.		एसएनएसएम	एसएन सुदर्शन एंड कं. साइडिंग	एमईजीएन	0	0	0	एमईजीएन के राजस्व में है।	
17.		एनएमडीएम	एनएम दुबास साइडिंग एमईजीएन	एमईजीएन	0	0	0	एमईजीएन के राजस्व में है।	
18.		केटीएसजी	कटनी सीमेंट साइडिंग	केएम जैड	0	0	0	78097899	52627899
19.		एएमएलजी	आलूवालिया माइनिंग प्रा.लि. साइडिंग	एसएजीएम	0	0	0	0	0
20.		पीओएनके	पीओएल साइडिंग न्यू कटनी जं.	केएम जैड	0	0	0	0	0
21.		एसईएस	आरपीजी ट्रांसमीशन लि. साइडिंग देओनी	डीओई	0	0	0	0	0
22.		एनक्यूएसजी	न्यू व्हीकल फैक्टरी साइडिंग	एडीटीएल	0	0	0	0	0
23.		जीआईएसजी	ग्रे आयरन फाउंड्री साइडिंग	एडीटीएल	0	0	0	0	0
24.		जीयूएसजी	गन शॉप साइडिंग जलबपुर	जेबीपी	0	0	0	0	0
25.		जेईएसजी	जबलपुर आर्सेनल डिपो साइडिंग	जेबीपी	0	0	6002751	5107385	0
26.		जेयूएसजी	जबलपुर आर्डीनेंस डिपो साइडिंग	जेबीपी	0	0	0	0	0
27.		केआईएसजी	कटनी आर्डिनेंस फैक्टरी साइडिंग कटनी	केएमजैड	0	0	0	0	0
28.		केएनएसजी	खमारिया आर्डिनेंस फैक्टरी साइडिंग	जेबीपी	0	18168189	14138644	17579513	12208268
29.	बीपीएल	एनएफएलजी	नेशनल फर्टिलाइजर लि. साइडिंग	वीजेपी	3	1121184173	1209586635	1367401704	905295242
30.		वीएसजी	एचपीसीएल, गेल/विजयपुर	वीजेपी	3.41	176339273	134861130	126706258	114718400
31.		एमबीपीसी	बीना डिस्पेच ट.: बीपीसीएल साइडिंग	एमडीवीके	4.25	0	801249	8086917254	1395253711
32.		बीआरएसएम	बीना रीफाइनरी प्लांट साइडिंग	एमडीवीके	6.47	0	0	59681135	143816057
33.		सीसीएमपी	कॉनकोर साइडिंग मंदिदीप	एमडीडीपी	1.26	34739145	61228839	51412777	23106777
34.		एफआईएसजी	फूट कॉपोरेशन आफ इंडिया साइडिंग ईटी	ईटी	2.87	0	9719587	20443814	53619662
35.		एचईजीएम	एचईजी साइडिंग मंडी दीप	एमडीडीपी	1.39	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.		जीजीएसजी	फूड कॉरपो. आफ इंडिया निशांतपुर	एनएसजैड	0	0	0	0	5727688
37.		एचईएसजी	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	एचबीजे	0	0	0	0	0
38.		आईओसीई	आईओसी जुहारपुर ईटी	ईटी	0	0	0	0	0
39.		एमएसजीए	साइडिंग फॉर प्रोपेलैंट आर्डिनेंस फैक्टरी ईटी	ईटी	0	0	0	0	0
40.		एसपीआरजी	सक्यूरिटी पेपर मिल्स साइडिंग, हौशंगाबाद	एचबीडी	0	0	0	0	0
41.		पीवीएसबी	वर्धमान फैब्रीक साइडिंग, बुधनी	बीएनआई	1.98	0	0	0	0
42.		सीएसआरआर	कॉनकोर डीपो साइडिंग, रवथा रोड	आरडीटी	1.129	111293333	170569201	131199718	79873108
43.		सीएफसीएस	चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमीकल्स लि.	बीओएन	4.75	1173425994	1292587546	1405918357	980040765
44.		एमसीटीएस	मंगलम सीमेंट लि. एमकेएक्स	एमकेएक्स	1.86	702145124	575156270	813468556	585021942
45.		पीसीएमसी	छाबरा थर्मल पावर स्टेशन साइडिंग	एमटीपीसी	2.99	382220	0	0	0
46.	कोटा	जीटीपीएस	राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थर्मल पावर हाउस साइडिंग	कोटा तथा जीक्यूएल	15.36 कोटा से और 14.78 जीक्यूएल से	0	0	0	0
47.		एलकेईएस	एसीसी लिमि. लाखेरी	एलकेई	0	482786094	491166896	577474209	335394564
48.		एसएफसीडी	डीडीवी, एसएफसी साइडिंग	डीडीवी	0	211061708	232073246	240319307	152965650
49.		एएनडीबी	एम्यूनिशन डिपो, भरतपुर	बीटीई	0	0	0	0	0
50		सीआईपीबी	सीआईएमएमसीओ साइडिंग, भरतपुर	बीटीई	0	0	0	0	0
51.		डीजेपीडी	धर्माउ जघीना पीओएल साइडिंग डीयूएम	डीयूएम	0	0	0	0	0
52.		एफसीएसएम	एफसीआई साइडिंग सवाई माधोपुर	एसडब्ल्यूएम	0	0	0	8273082	12572901
		कुल				14101864582	14421100671	17825997523	12911195750

विवरण-V

यात्रियों की औसत संख्या का स्टेशनवार ब्यौरा

(संख्या इकाइयों में)

क्र.सं.	स्टेशन	स्टेशन कोड	मंडल	राज्य	2006-07 की यात्री आमदनी के आधार पर स्टेशन की कोटी	2009-10 के दौरान बुक किए गए यात्रियों की सं. का प्रतिदिन औसत	2010-11 के दौरान बुक किए गए यात्रियों की सं. का प्रतिदिन औसत	2011-12 के दौरान बुक किए गए यात्रियों की सं. का प्रतिदिन औसत	2012-13 के दौरान बुक किए गए यात्रियों की सं. का प्रतिदिन औसत (अक्तूबर तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	बीपीएल	बीपीएल	एमपी	ए-1	21703	26855	30940	21535
2.	जबलपुर	जेबीपी	जेबीपी	एमपी	ए-1	17599	18722	24745	22507
3.	कोटा	कोटा	कोटा	राज	ए	18456	18939	19905	22435
4.	विदिशा	बीएचएस	बीपीएल	एमपी	ए	9998	11657	12114	12158
5.	बीना	बीना	बीपीएल	एमपी	ए	7748	9863	9618	8427
6.	इटारसी	ईटी	बीपीएल	एमपी	ए	8978	11343	12071	10513
7.	होशंगाबाद	एचबीडी	बीपीएल	एमपी	बी	4552	5669	6616	6935
8.	हबीबगंज	एचबीजे	बीपीएल	एमपी	ए	10251	10370	12411	9783
9.	दामोह	डीएमओ	जेबीपी	एमपी	ए	5122	5469	5773	6569
10.	कटनी	केटीई	जेबीपी	एमपी	ए	13772	15162	16521	16993
11.	मैहर	एमवाईआर	जेबीपी	एमपी	ए	6975	7317	8244	8872
12.	पिपरिया	पीपीआई	जेबीपी	एमपी	बी	4540	4676	4816	5127
13.	रीवा	रीवा	जेबीपी	एमपी	ए	3810	4439	4610	4985
14.	सौगर	एसजीओ	जेबीपी	एमपी	ए	7011	7632	7749	8799
15.	सतना	एसटीए	जेबीपी	एमपी	ए	9126	9785	11048	11236
16.	भरतपुर	बीटीई	कोटा	राज	ए	6388	6163	7610	8462
17.	सवाई माधोपुर	एमडब्ल्यूएम	कोटा	राज	ए	9519	9649	11001	11539
18.	गंज बसोदा	बीएक्यू	बीपीएल	एमपी	बी	6677	7186	7864	7797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	गुना	गुना	बीपीएल	एमपी	बी	4839	5623	6145	6418
20.	हर्दा	एचडी	बीपीएल	एमपी	डी	2476	2629	2790	2666
21.	नरसिंहपुर	एनयू	जेबीपी	एमपी	बी	4666	5536	5934	6169
22.	भवानी मंडी	बीडब्ल्यूएम	कोटा	राज	डी	3439	3403	3652	3975
23.	गंगापुर सिटी	जीजीसी	कोटा	राज	बी	5845	5429	6233	6793
24.	हिंडॉन सिटी	एचएएन	कोटा	राज	डी	3785	3978	4519	4661
25.	अशोक नगर	एएसकेएन	बीपीएल	एमपी	डी	4137	4515	5138	5498
26.	बनापुरा	बीपीएफ	बीपीएल	एमपी	डी	1237	1223	1325	1390
27.	बीउरा राजगढ़	बीआरआरजी	बीपीएल	एमपी	डी	525	557	815	1138
28.	छनेरा	सीएईआर	बीपीएल	एमपी	ई	753	962	1012	1095
29.	गुलाबगंज	जीएलजी	बीपीएल	एमपी	ई	1102	1128	1157	1197
30.	खिरकिया	केकेएन	बीपीएल	एमपी	डी	1220	1464	1548	1590
31.	मंडीबमोरा	एमएबीए	बीपीएल	एमपी	डी	2181	2473	2299	2459
32.	मंडीदीप	एमडीडीपी	बीपीएल	एमपी	ई	426	598	699	815
33.	मुंगौली	एमएनवी	बीपीएल	एमपी	डी	2120	2352	2336	2353
34.	रुथियाली	आरटीए	बीपीएल	एमपी	डी	1291	1336	1586	1815
35.	शिवपुरी	एमवीपीआई	बीपीएल	एमपी	डी	712	849	1076	1194
36.	तिमारनी	टीबीएन	बीपीएल	एमपी	डी	776	838	868	910
37.	तलवाडिया	टीएलवी	बीपीएल	एमपी	ई	741	1027	1093	1145
38.	बिउहरी	बीईएचआर	जेबीपी	एमपी	डी	989	990	1024	1197
39.	बानखेडी	बीकेएच	जेबीपी	एमपी	डी	1461	1768	1724	1811
40.	गदरवाड़ा	जीएआर	जेबीपी	एमपी	डी	4009	4454	4269	4536
41.	जैतवारा	जेटीडब्ल्यू	जेबीपी	एमपी	डी	1556	1777	1798	2116
42.	करेली	केवाई	जेबीपी	एमपी	डी	2797	3210	3545	4005
43.	खुराई	केवाईई	जेबीपी	एमपी	डी	2353	2482	2463	3033
44.	मदनमहल	एमएमएल	जेबीपी	एमपी	डी	4989	5049	3590	5119
45.	पथारिया	पीएचए	जेबीपी	एमपी	डी	2000	2309	2405	2762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	सोहागपुर	एसजीपी	जेबीपी	एमपी	डी	1452	1608	1573	1824
47.	सिहोर रोड	एसएचआररोड	जेबीपी	एमपी	डी	3212	3763	4148	4827
48.	श्रीधाम	एसआरआईडी	जेबीपी	एमपी	डी	3129	3403	3514	4053
49.	बरन	बीएजेड	कोटा	राज	डी	2520	2637	2551	3087
50.	बुंडी	बीयूडीआई	कोटा	राज	ई	340	415	517	588
51.	बयाना	बीएक्सएन	कोटा	राज	डी	3855	3799	4228	4367
52.	छाबड़ा गुगर	सीएजी	कोटा	राज	डी	1485	1502	1550	1863
53.	छउ महाला	सीएमयू	कोटा	राज	डी	1516	1653	1778	1977
54.	दकनिया तलाब	डीकेएनटी	कोटा	राज	डी	2482	2540	2804	3074
55.	इंद्रगढ़ सुमेरगढ़	आईडीजी	कोटा	राज	डी	1503	1538	1808	2161
56.	लखेरी	एलकेई	कोटा	राज	डी	921	907	941	1077
57.	रामगंज मंडी	आरएमए	कोटा	राज	डी	3015	3060	3329	3889
58.	शामगढ़	एसजीज़ेड	कोटा	एमपी	डी	1771	1890	1949	2087
59.	श्री महाबीरजी	एसएमबीजे	कोटा	राज	डी	1613	1559	1548	1496
60.	सुवश्रा	एसवीए	कोटा	एमपी	डी	1303	1457	1521	1606
61.	बिक्रमगढ़ अलोट	वीएमए	कोटा	एमपी	डी	1964	2071	2395	2673
62.	बदरवास	बीडीडब्ल्यूएस	बीपीएल	एमपी	ई	158	208	293	330
63.	बरेत	बीईटी	बीपीएल	एमपी	ई	375	426	40	412
64.	भैरोंपुर	बीआईएफ	बीपीएल	एमपी	ई	42	47	38	33
65.	बीर	बीआईआर	बीपीएल	एमपी	ई	613	612	661	790
66.	बारखेडा	बीकेएच	बीपीएल	एमपी	ई	32	41	53	50
67.	बुधनी	बीएनआई	बीपीएल	एमपी	ई	188	163	275	280
68.	भीरंगी	बीआरई	बीपीएल	एमपी	ई	63	67	68	69
69.	बरूद	बीआरयूडी	बीपीएल	एमपी	ई	111	107	146	158
70.	चचोडा बीनागंज	सीबीके	बीपीएल	एमपी	ई	224	252	413	650
71.	चरखेड़ा खुर्द	सीकेकेडी	बीपीएल	एमपी	ई	44	45	46	47
72.	चरखेड़ा खुर्द	सीआरके	बीपीएल	एमपी	ई	41	39	37	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.	धरमकुंडी	डीकेआई	बीपीएल	एमपी	ई	110	118	115	126
74.	डोलारिया	डीआरए	बीपीएल	एमपी	ई	99	106	118	121
75.	डागरखेडी	डीआरएचआई	बीपीएल	एमपी	ई	99	97	107	101
76.	दीवानगंज	डीडब्ल्यूजी	बीपीएल	एमपी	ई	194	171	164	173
77.	घाटीगांव	जीएचएआई	बीपीएल	एमपी	ई	13	28	27	26
78.	गुनेरूबमोरी	जीवीबी	बीपीएल	एमपी	ई	135	155	158	154
79.	कल्हर	केएएच	बीपीएल	एमपी	ई	371	428	382	407
80.	कुम्भराज	केएचआरजे	बीपीएल	एमपी	ई	147	182	263	427
81.	कुरवाईकैथोरा	केआईकेए	बीपीएल	एमपी	ई	145	159	143	136
82.	कोलारस	केएलआरएस	बीपीएल	एमपी	ई	90	157	171	247
83.	कनजिया	केएक्सबी	बीपीएल	एमपी	ई	214	281	247	244
84.	महादेवखेड़ी	एमडीवीके	बीपीएल	एमपी	ई	102	142	124	133
85.	मोहाना	एमओजे	बीपीएल	एमपी	ई	49	80	81	97
86.	मिश्रोड	एमएसओ	बीपीएल	एमपी	ई	37	61	67	70
87.	मथेला	एमटीए	बीपीएल	एमपी	ई	168	231	242	258
88.	महूगदा	एमयूजी	बीपीएल	एमपी	ई	98	106	113	128
89.	मसनगांव	एमयूओ	बीपीएल	एमपी	ई	71	101	67	72
90.	ओबैदुल्लागंज	ओडीजी	बीपीएल	एमपी	ई	451	457	558	553
91.	ओर्र	ओआरआर	बीपीएल	एमपी	ई	357	362	327	263
92.	पबई	पीएआई	बीपीएल	एमपी	ई	172	147	159	147
93.	पलासनेर	पीएएल	बीपीएल	एमपी	ई	57	54	46	51
94.	पचोर रोड	पीएफआर	बीपीएल	एमपी	ई	219	262	293	401
95.	पगरा	पीजीए	बीपीएल	एमपी	ई	224	247	301	314
96.	पगढल	पीजीएल	बीपीएल	एमपी	ई	75	84	80	86
97.	पीपराईगांव	पीआईए	बीपीएल	एमपी	ई	1309	1455	1362	1235
98.	पानीहर	पीएनएचआर	बीपीएल	एमपी	ई	34	48	52	65
99.	परानामउ	पीक्यूयू	बीपीएल	एमपी	ई	53	68	78	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.	पोवरखेडा	पीआरकेडी	बीपीएल	एमपी	ई	29	46	32	34
101.	रतिखेडा	आरटीके	बीपीएल	एमपी	ई	65	94	93	100
102.	सांची	एससीआई	बीपीएल	एमपी	ई	428	515	513	578
103.	सारंगपुर	एसएफडब्ल्यू	बीपीएल	एमपी	ई	222	256	333	518
104.	शाजापुर	एसएफवाई	बीपीएल	एमपी	डी	382	411	548	854
105.	सिंदुरिया कचरी	एसएफज़ेड	बीपीएल	एमपी	ई	40	44	45	51
106.	सुरगांव बनजारी	एसजीबीजे	बीपीएल	एमपी	ई	149	158	152	154
107.	शाहडोरा गांव	एसएचडीआर	बीपीएल	एमपी	ई	604	661	737	832
108.	सलामतपुर	एसएमटी	बीपीएल	एमपी	ई	356	418	382	425
109.	सेमरखेडी	एसआरकेआई	बीपीएल	एमपी	एफ	117	143	110	126
110.	सुमेर	एसयूएमआर	बीपीएल	एमपी	ई	110	134	128	117
111.	सूखीसेवनिया	एसयूडब्ल्यू	बीपीएल	एमपी	ई	32	40	44	48
112.	अधरताल	एडीटीएल	जेबीपी	एमपी	ई	316	307	324	378
113.	असलाना	एएनए	जेबीपी	एमपी	ई	323	352	344	411
114.	डुबरीकलां	बीएआरडी	जेबीपी	एमपी	ई	63	67	71	79
115.	बेल्डखेरा	बीईएलडी	जेबीपी	एमपी	ई	180	184	152	148
116.	बगहई रोड	बीजीएचआई	जेबीपी	एमपी	ई	90	103	94	96
117.	बगरतावा	बीजीटीए	जेबीपी	एमपी	ई	502	550	529	551
118.	भीटोनी	बीएचटीएन	जेबीपी	एमपी	ई	530	566	665	852
119.	भगोरा	बीजेक्यू	जेबीपी	एमपी	ई	153	160	139	136
120.	बिक्रमपुर	बीएमआर	जेबीपी	एमपी	ई	281	268	190	193
121.	बोहनी	बीएनई	जेबीपी	एमपी	ई	440	451	536	579
122.	बंदकपुर	बीएनयू	जेबीपी	एमपी	ई	682	794	827	948
123.	बखलेता	बीक्यूक्यू	जेबीपी	एमपी	ई	182	187	162	188
124.	भेराघाट	बीआरजीटी	जेबीपी	एमपी	ई	202	186	173	188
125.	बरगांवा	बीआरजीडब्ल्यू	जेबीपी	एमपी	ई	340	366	366	301
126.	भदनपुर	बीयूयू	जेबीपी	एमपी	ई	300	316	309	410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127.	चितेहरा	सीटीएचआर	जेबीपी	एमपी	ई	58	77	70	94
128.	छतेनी	सीटीजे	जेबीपी	एमपी	ई	50	45	43	42
129.	दुडी	डीडीसीई	जेबीपी	एमपी	ई	340	364	301	331
130.	देवरी	डीओई	जेबीपी	एमपी	ई	517	490	461	563
131.	देवराग्राम	डीआरजीएम	जेबीपी	एमपी	ई	102	124	80	84
132.	गणेशगंज	जीएजे	जेबीपी	एमपी	ई	785	896	929	967
133.	घटेरा	जीईए	जेबीपी	एमपी	ई	314	339	309	357
134.	गुरमखेडी	जीएमडी	जेबीपी	एमपी	ई	569	580	559	552
135.	घाटपिंडारी	जीपीसी	जेबीपी	एमपी	ई	57	55	45	50
136.	गुर्रा	जीआरओ	जेबीपी	एमपी	ई	301	376	291	321
137.	गोसलपुर	जीएसपीआर	जेबीपी	एमपी	ई	339	363	358	442
138.	गिरवार	जीडब्ल्यू	जेबीपी	एमपी	ई	404	469	483	558
139.	हरदुआ	एचडीयू	जेबीपी	एमपी	ई	105	112	101	62
140.	हिनौता-रामबान	एचएनएम	जेबीपी	एमपी	ई	36	35	32	33
141.	ईशरवारा	आईएसएच	जेबीपी	एमपी	ई	579	541	516	588
142.	जोबा	जेजेबी	जेबीपी	एमपी	ई	130	135	137	145
143.	जुकेही	जेकेई	जेबीपी	एमपी	ई	268	268	257	294
144.	जेरूआखेरा	जेआरके	जेबीपी	एमपी	ई	579	645	562	628
145.	खन्ना बंजारी	केएचबीजे	जेबीपी	एमपी	ई	545	586	543	637
146.	करकबेल	केकेबी	जेबीपी	एमपी	ई	616	828	709	697
147.	कैमा	केएमए	जेबीपी	एमपी	ई	69	75	68	69
148.	कटनी मुरवारा	केएमज़ेड	जेबीपी	एमपी	ई	791	1046	1425	1234
149.	कटंगी खुर्द	केटीडीडी	जेबीपी	एमपी	ई	57	68	43	61
150.	खुटाहा	केटीएचए	जेबीपी	एमपी	ई	235	269	233	291
151.	करल्याभडोली	केवाईएक्स	जेबीपी	एमपी	ई	91	100	99	108
152.	लिढोरा खुर्द	एलडीए	जेबीपी	एमपी	ई	245	266	289	331
153.	लगरगवन	एलजीसीई	जेबीपी	एमपी	ई	86	120	105	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154.	महरोई	एमएफक्यू	जेबीपी	एमपी	ई	330	341	287	350
155.	मझगांवा	एमजेजी	जेबीपी	एमपी	ई	327	376	415	715
156.	मरकुंडी	एमकेडी	जेबीपी	यूपी	ई	123	150	135	189
157.	मकरोनिया	एमकेआरएन	जेबीपी	एमपी	ई	1167	1403	1503	1794
158.	नरौली	एनओआई	जेबीपी	एमपी	ई	492	491	501	544
159.	निवास रोड	एमडब्ल्यूबी	जेबीपी	एमपी	ई	154	140	201	244
160.	निवार	एनडब्ल्यूआर	जेबीपी	एमपी	ई	728	790	650	652
161.	पकरिया रोड	पीकेआरडी	जेबीपी	एमपी	ई	100	119	108	134
162.	पटवारा	पीटीडब्ल्यूए	जेबीपी	एमपी	ई	79	93	81	93
163.	रेथी	आरईआई	जेबीपी	एमपी	ई	473	471	451	476
164.	सगोनी	एसएओ	जेबीपी	एमपी	ई	412	462	442	504
165.	स्लेम्नाबाद	एसबीडी	जेबीपी	एमपी	ई	793	887	905	900
166.	सलीचौका रोड	एससीकेआर	जेबीपी	एमपी	ई	1121	1378	1391	1535
167.	सराईग्राम	एसजीएएम	जेबीपी	एमपी	ई	278	315	328	320
168.	सगमा	एसजीएएम	जेबीपी	एमपी	ई	19	23	18	25
169.	सलहाना	एसएलएचए	जेबीपी	एमपी	ई	118	124	118	118
170.	सुमरेरी	एसएमआरआर	जेबीपी	एमपी	ई	218	228	197	222
171.	सोनतलाई	एसक्यूएल	जेबीपी	एमपी	ई	224	268	233	245
172.	सलैया	एसवाईए	जेबीपी	एमपी	ई	455	485	452	515
173.	टिकारिया	टीकेवाईआर	जेबीपी	यूपी	ई	111	140	108	143
174.	टर्की रोड	टीजेडआर	जेबीपी	एमपी	ई	152	159	148	148
175.	अमदारा	यूडीआर	जेबीपी	एमपी	ई	375	509	573	717
176.	उनचेरा	यूएचआर	जेबीपी	एमपी	ई	836	1096	1149	1234
177.	विजयसोता	वीएसटी	जेबीपी	एमपी	ई	513	535	541	599
178.	अलनिया	एएलएनआई	कोटा	राज	ई	21	20	23	21
179.	अमली	एएमएलआई	कोटा	राज	ई	355	365	355	367
180.	अरनेथा	एआरई	कोटा	राज	ई	59	58	62	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181.	अन्था	एटीएच	कोटा	राज	ई	570	568	648	868
182.	अत्रू	एटीआरयू	कोटा	राज	ई	896	853	816	887
183.	बीजोरा	बीजेके	कोटा	राज	ई	157	167	144	161
184.	भूलोन	बीएलओ	कोटा	राज	ई	225	229	209	236
185.	बरूदानी	बीएनडीआई	कोटा	राज	ई	107	113	119	130
186.	भोनरा	बीओएन	कोटा	राज	ई	150	150	149	161
187.	बस्सी बेरीसाल	बीएसएसएल	कोटा	राज	ई	109	118	124	137
188.	छजावा	सीजेडब्ल्यू	कोटा	राज	ई	107	106	102	113
189.	छोटी ओजाई	सीओओ	कोटा	राज	ई	67	66	76	82
190.	दारा	डीएआरए	कोटा	राज	ई	413	415	477	555
191.	दधदेवी	डीडीवी	कोटा	राज	ई	8	14	10	8
192.	धरनौदा	डीएचआर	कोटा	एमपी	ई	189	163	181	197
193.	धौनखेड़ी	डीकेआरए	कोटा	एमपी	ई	185	173	186	199
194.	धौरमुई जघीना	डीयूएम	कोटा	राज	ई	91	89	120	117
195.	दीगोद	डीएक्सडी	कोटा	राज	ई	82	82	87	82
196.	डूमरिया	डीवाई	कोटा	राज	ई	114	108	135	150
197.	फतेह सिंहपुरा	एफएसपी	कोटा	राज	ई	519	513	568	604
198.	घाटकवराना	जीकेबी	कोटा	राज	ई	81	74	73	80
199.	गरोत	जीओएच	कोटा	एमपी	ई	483	534	535	595
200.	गुरला	जीक्यूएल	कोटा	राज	ई	38	43	49	54
201.	हंसपुरा	एचएनयू	कोटा	एमपी	ई	21	27	30	35
202.	झालावार रोड	जेएचडब्ल्यू	कोटा	राज	ई	449	464	498	572
203.	जजन पत्ती	जेजेए	कोटा	यूपी	ई	251	244	307	367
204.	जलीन्द्री	जेएनआरआई	कोटा	राज	ई	11	10	11	13
205.	केला देवी	केईवी	कोटा	राज	ई	453	342	525	497
206.	कंवलपुरा	केआईडब्ल्यू	कोटा	राज	ई	54	58	68	74
207.	खानदीप	केएनडीपी	कोटा	राज	ई	548	563	658	704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208.	केशोराव पत्तन	केपीटीएन	कोटा	राज	ई	305	298	316	356
209.	कप्रेन	केपीज़ेड	कोटा	राज	ई	160	169	180	204
210.	कुरलासी	केआरएलएस	कोटा	एमपी	ई	180	196	184	197
211.	कुशताला	केटीए	कोटा	राज	ई	58	65	58	63
212.	लबन	एलबीएन	कोटा	राज	ई	110	109	108	122
213.	लूनी रिछा	एलएनआर	कोटा	एमपी	ई	271	310	258	251
214.	लालपुर उम्री	एलआरयू	कोटा	राज	ई	167	175	205	250
215.	मेहीदपुर रोड	एमईपी	कोटा	एमपी	ई	1071	1125	1277	1505
216.	मोरक	एमकेएक्स	कोटा	राज	ई	723	799	919	1049
217.	मंडलागढ़	एमएलजीएच	कोटा	राज	ई	338	344	377	407
218.	मलरना	एमएलजेड	कोटा	राज	ई	777	799	896	974
219.	मुरहेशी रामपुर	एमएसआरपी	कोटा	यूपी	ई	47	44	59	58
220.	मोतीपुरा चौकी	एमटीपीसी	कोटा	राज	ई	228	201	210	232
221.	मखोली	एमएक्सएल	कोटा	राज	ई	324	305	313	325
222.	नत्थू खेरी	एनकेएच	कोटा	एमपी	ई	32	39	39	44
223.	निमोडा	एनएमडी	कोटा	राज	ई	469	463	477	502
224.	नारायणपुर तत्वारा	एनएनडब्ल्यू	कोटा	राज	ई	1213	1373	1332	1513
225.	पिलोडा	पीडीज़ेड	कोटा	राज	ई	351	333	358	399
226.	पिनगोरा	पीएनजीआर	कोटा	राज	ई	221	319	253	273
227.	परसोली	पीएसएलआई	कोटा	राज	ई	132	150	168	204
228.	रवथा रोड	आरडीटी	कोटा	राज	ई	36	40	48	61
229.	रोहलखुर्द	आरएलके	कोटा	एमपी	ई	21	24	23	27
230.	रनथम्भौर	आरएनटी	कोटा	राज	ई	118	104	104	104
231.	रवंजा डुगर	आरडब्ल्यूजे	कोटा	राज	ई	342	349	374	366
232.	श्यामपुरा	एसएमपीए	कोटा	राज	ई	61	59	65	79
233.	श्रीनगर	एसएनएआर	कोटा	राज	ई	29	28	25	29
234.	सेवर	एसडब्ल्यूएआर	कोटा	राज	ई	205	202	241	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
235.	सलपुरा	एसवाईएल	कोटा	राज	ई	774	857	942	1138
236.	थलेरा	टीएचईए	कोटा	राज	ई	51	56	65	70
237.	थूरिया	टीएचयूआर	कोटा	एमपी	ई	235	214	204	217
238.	तलवली	टीएलजेड	कोटा	राज	ई	48	52	48	54
239.	उप्रामल	यूआरएमएल	कोटा	राज	ई	68	70	71	80
240.	हिनोतिया पीपलखेड	एचटीकेए	बीपीएल	एमपी	01.05.12 से प्रभावी			0	27
241.	पीलीघाट	पीआईजीटी	बीपीएल	एमपी	01.05.12 से प्रभावी			0	145
242.	मबन	एमएबीएन	बीपीएल	एमपी	01.05.12 से प्रभावी			0	50
243.	गोलापट्टी	जीपीटीवाई	जेबीपी	एमपी	01.05.12 से प्रभावी			0	58
244.	मझगांवा फाटक	एमजेजीपी	जेबीपी	एमपी	01.05.12 से प्रभावी			0	9
245.	भडभड़ाघाट(एच)	बीवीबी(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	31	41	38	32
246.	चौहानी(एच)	सीएजेड(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	79	50	63	63
247.	छिडगांव(एच)	सीजीओ(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	37	30	40	43
248.	खजूरी(एच)	केएडब्ल्यू(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	9	16	16	23
249.	खोंखर(एच)	केसीआर(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	13	25	19	19
250.	खायगांव(एच)	केएचए(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	105	129	171	168
251.	कुरावां(एच)	केआरओ(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	18	19	14	15
252.	खुटवासा(एच)	केटीजेड(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	20	23	22	16
253.	लूकवासा(एच)	एलडब्ल्यूएस (एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	41	61	76	89
254.	मियाना(एच)	एमवाईएन(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	53	80	97	147
255.	पराखेड़ा(एच)	पीएआरएच(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	90	128	129	111
256.	रेनहट(एच)	आरईएनएच(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	10	10	19	15
257.	राघोगढ़(एच)	आरजीजी(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	50	68	92	111
258.	रवसार जागीर (एच)	आरएसजे(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	9	15	8	16
259.	रेहतवास(एच)	आरटीडब्ल्यू(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	179	195	184	219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
260.	सिरोलिया(एच)	एसवाईओ(एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	65	50	46	44
261.	तारावता(एच)	टीआरडब्ल्यूटी (एच)	बीपीएल	एमपी	एफ	34	30	12	21
262.	बारा(एच)	बीएआरए(एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	61	53	52	57
263.	भरसेंडी(एच)	बीएसडीएल(एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	15	40	35	37
264.	डांगीधर(एच)	डीजीडी(एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	109	139	140	169
265.	दमोय(एच)	डीएमवाईए(एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	252	213	204	240
266.	गजरा बहरा(एच)	जीएजेबी(एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	128	149	120	135
267.	हाती(एच)	हाती(एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	64	69	64	85
268.	जुनेहटा(एच)	जेएनई(एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	218	225	214	196
269.	करपगांव(एच)	केएफवाई(एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	43	45	28	25
270.	कंचनपुर रोड (एच)	केएनसी(एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	32	39	30	35
271.	लचाखारी(एच)	एलईके(एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	51	61	62	58
272.	माधवनगर रोड (एच)	एमडीएचआर (एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	179	188	173	180
273.	मरवासग्राम(एच)	एमडब्ल्यूजे (एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	57	114	130	176
274.	मझोली(एच)	एमजेडएचएल (एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	21	35	35	36
275.	पीटीएचडी(एच)	पीटीएचडी(एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	66	64	55	62
276.	शंकुरपुर भदोरा (एच)	एसकेबीआर (एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	13	165	157	155
277.	संसारपुर रोड (एच)	एसएनआरआर (एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	195	236	213	234
278.	सुरसदीघाट झारा (एच)	एसएसजीजे (एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	60	43	57	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279.	शोभापुर(एच)	एसएक्सएफ (एच)	जेबीपी	एमपी	एफ	70	79	61	70
280.	चंद्रेसाल(एच)	सीडीएसएल (एच)	कोटा	राज	एफ	32	30	28	30
281.	चूडामन नगरी (एच)	सीआरजी(एच)	कोटा	यूपी	एफ	63	53	64	63
282.	चौरा खेरे(एच)	सीआरकेआर (एच)	कोटा	एमपी	एफ	30	27	23	27
283.	ढिढोरा हुकमी खेडा (एच)	डीएनएचके (एच)	कोटा	राज	एफ	197	196	202	196
284.	जयचोली(एच)	जेसीयू(एच)	कोटा	राज	एफ	56	59	63	65
285.	केशोली(एच)	केओएलआई (एच)	कोटा	राज	एफ	40	27	12	11
286.	पीप्लोड रोड (एच)	पीओआर (एच)	कोटा	राज	एफ	68	57	45	45
287.	रानीकुंड रार (एच)	आरकेआर (एच)	कोटा	यूपी	एफ	72	82	150	142
288.	सालाबाद(एच)	एसएबीडी(एच)	कोटा	राज	एफ	79	73	80	99
289.	सिकरोदमनिया (एच)	एसकेडीएम (एच)	कोटा	राज	एफ	78	81	90	91

विवरण-VI

माल गाड़ियां: (गाड़ियों की संख्या)

पश्चिम मध्य रेलवे	एएलडी-जेबीपी सेक्शन			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्टूबर-12 तक)
अप	11281	11128	10321	6142
डाउन	12476	12257	12361	7043
कुल	23757	23385	22682	13185

यात्री गाड़ियां:

एएलडी/सीओआई-जेबीपी मार्ग पर चल रही यात्री गाड़ियों की सूची

गाड़ी सं.	मार्ग
1	2
11037/11038	जीकेपी-पुणे एक्स
14259/14260	बीएसबी-आरएमएम एक्स.
16359/16360	पीएनबीई-ईआरएस एक्स.
11045/11046	दीक्षाभूमि एक्स.
12539/12540	एलकेओ-वाईपीआर सुपर एक्स
12577/12578	बागमती एक्स.
12295/12296	संघ मित्रा एक्स.
11065/11066	डीबीजी-एलटीटी एक्स.
11061/11062	एमएफपी-एलटीटी एक्स.
12669/12670	गंगा-कावेरी एक्स.
12149/12150	पीएनबीई-पुणे एक्स.
22013/22014	एफडी-एलटीटी सुपर एक्स.
11033/11034	डीबीजी-पुणे एक्स.
15267/15268	जनसाधारण एक्स.
22131/22132	पीए-एमयूवी एक्स.
12545/12546	कर्मभूमि एक्स.
13201/13202	आरजेपीबी-एलटीटी एक्स.
19057/19058	बीएसबी-यूडीएन एक्स.
12321/12322	एचडब्ल्यूएच-मुंबई मेल
18609/18610	आरएनसी-एलटीटी एक्स.
12167/12168	बीएसबी-डीआर सुपर एक्स.
11093/11094	महानगरी एक्स.
15017/15018	जीकेपी-एलटीटी एक्स.
11056/11060	सीपीआर-एलटीटी एक्स.
51189/51190	एएलडी-ईटी एक्स.
15647/15648	जीएचवाई-एलटीटी एक्स.
15645/15646	जीएचवाई-एलटीटी एक्स.
12335/12336	बीजीपी-एलटीटी एक्स.
12791/12792	पीएनबीई-एससी एक्स.
19047/19048	बीजीपी-एसटी एक्स.
19045/19046	ताप्ती गंगा एक्स.
11067/11068	साकेत एक्स.
12165/12166	बीएसबी-एलटीटी सुपर एक्स.

[अनुवाद]

औषधियों की खरीद

49. **श्री नवील जिन्दल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र ओर निजी क्षेत्र दोनों के फार्मास्यूटिकल्स से औषधियां खरीदती है;

(ख) यदि हां, तो खरीद-तंत्र और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्षवार, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र-वार फर्मास्यूटिकल्स सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा कुल उत्पादन तथा खरीदी गई औषधियों के कुल मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फार्मास्यूटिकल्स पीएसयू जेनरिक औषधियों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रही है क्योंकि सरकार जेनरिक औषधियों के लिखने तथा बिक्री को बढ़ावा दे रही है ताकि लोगों को सस्ती औषधियां उपलब्ध हों;

(घ) यदि हां, तो फार्मास्यूटिकल्स पीएसयू द्वारा जेनरिक औषधियों का कुल कितना उत्पादन किया गया और इनका मूल्य कितना है तथा उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार तथा पीएसयू-वार भारतीय जेनरिक बाजार में उनका हिस्सा कितना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकारी खरीद और भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बाजार में फार्मास्यूटिकल्स पीएसयू का हिस्सा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रोलिंग डिपोजिट स्कीम

50. श्री पी. कुमारः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लि. (आईआरसीटीसी) ने रोलिंग डिपोजिट स्कीम (आरडीएस) शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईआरसीटीसी की योजना आरडीएस खोलने के लिए पंजीकरण शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) वसूलने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर छह माह की अवधि के लिए पायलट परियोजना के रूप में वैयक्तिक उपयोगकर्ताओं के लिए 22.08.2012 को चल जमा योजना (आरडीएस) शुरू की है:–

(i) टिकट बुक करने में लगने वाले समय में कमी करना।

(ii) बैंकों की ओर से होने वाले विलंब/नेटवर्क में विफलता के कारण हुए असफल संव्यवहार की संख्याओं में कमी करना।

(iii) संव्यवहार लागत में कमी करना।

(iv) ग्राहक के खाते में धन वापसी में तेजी लाना।

(v) समग्र निष्पादन प्रणाली में सुधार करना।

(ग) और (घ) जी, हां। आरडीएस खोलने के लिए पंजीकरण फीस के रूप में 250/- रु. की राशि ली जाती है जिसे उपयोगकर्ता टिकट बुक करके भुना सकते हैं।

[हिन्दी]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आवंटन की वृद्धि

51. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2012 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निधियों के आवंटन की वृद्धि के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (ग) जी, नहीं। इस मंत्रालय को वर्ष 2012 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निधियों के आवंटन की वृद्धि के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि, कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, जब कभी भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निधियों की जरूरत के बारे में बताया जाता है तब स्वीकृत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों की क्षमता तथा उनके स्तर पर उपल्बध खर्च न की गई शेष राशि के आधार पर उन्हें निधियां रिलीज की जाती हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में पीएमजीएसवाई

52. कुमारी मौसम नूरः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मालदा जिला सहित पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं कौन-सी हैं;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में विद्यमान सड़कों के उन्नयन हेतु कोई राशि जारी की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में इस योजना के अंतर्गत विद्यमान सड़कों के उन्नयन और नई सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्तावित उपाय क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया): (क) विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान मालदा जिला सहित पश्चिम बंगाल राज्य में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4,472 कि.मी. लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है।

(ख) मंत्रालय ने तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 1329 करोड़ रु. की कुल लागत से 2753 कि.मी. लंबाई की 603 सड़कों का निर्माण करने वाले परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

(ग) और (घ) यह राशि राज्य को रिलीज की जाती है जिसमें मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत नई सड़कों तथा उन्नयन के लिए चरणवार मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए राज्य को एक इकाई माना जाता है। विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को 2019 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

(ङ) पीएमजीएसवाई एकबारगी विशेष केन्द्रीय पहल है जिसमें कोर नेटवर्क में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों (2001 की जनगणना के अनुसार) और इससे अधिक तथा पर्वतीय राज्यों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित) और गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत 9 राज्यों के चुनिंदा 82 जनजातीय एवं पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों और इससे अधिक की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क (वर्ष भर चलने वाले आवश्यक पुलियों और आर-पार निकासी नालों) से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। खेतों से लेकर बाजार तक पूरी तरह पहुंच मुहैया कराने के लिए चुनिंदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन भी इस योजना का एक उद्देश्य है, यद्यपि योजना में इसे प्रमुखता नहीं दी गई है और राज्य विशिष्ट लक्ष्यों के अनुसार इसे मंजूरी दी जाती है। उपर्युक्त कार्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

पूर्ण स्वच्छता अभियान

53. **श्री पी.टी. थॉमस:**
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वच्छता कवरेज का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कुल कितनी निधियां आवंटित तथा उपयोग की गईं;

(घ) इस समय कितने जिलों में टीएससी का कार्यान्वयन किया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार की मंशा इस योजना के अंतर्गत अगले दो वर्षों के दौरान अधिक जिलों को कवर करने का है और यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) देश में स्वच्छता सुविधाओं की कवरेज का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की प्रगति में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान में आमूल-चूल बदलाव किया है, जिसका नाम अब 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्मल भारत अभियान हो गया है। निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य संपूर्ण समुदायों में चरणबद्ध रूप से और सैचुरेशन मोड में स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान करके व्यवहार में स्थायी बदलाव लाना है, जिसका परिणाम 'निर्मल ग्रामों' के रूप में सामने आएगा। नई कार्य नीति का उद्देश्य समुदाय सैचुरेशन एप्रोच अपनाकर ग्रामीण भारत को 'निर्मल भारत' बनाना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के साथ-साथ गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांगों और महिला प्रमुखों के सभी परिवारों को शामिल करने के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन के प्रावधानों को व्यापक बनाया गया है। निर्मल भारत अभियान के तहत सभी पात्र लाभार्थियों हेतु शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 4600 रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अधिकतम 4500 रुपये भी दिए जाने की अनुमति है और लाभार्थी के 900 रुपए के योगदान से अर्थात् अब 1 शौचालय की कुल लागत 10,000 रुपए हो गई है। तैयसार की गई स्वच्छता सुविधाओं को स्थायी बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में पानी की उपलब्धता के मुद्दे का

समाधान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के साथ कन्जॉइन्ट एप्रोच अपनाई गई है। संशोधित कार्यनीति के तहत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और क्षेत्रीय स्तर कार्यान्वयन-कर्ताओं सहित सभी स्टेकहोल्डरों की क्षमता के विकास के लिए निधियां निर्धारित की गई हैं। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और पंचायती राज जैसे अन्य राज्य विभागों के साथ तालमेल पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 'आशा' (एएसएचए) कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य स्वसहायता समूहों, महिला समूहों, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को भी स्वच्छता को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब ग्राम सभाओं के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा और एनबीए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया मे लोगों की सक्रिय भागीदारी का प्रावधान भी है। विकल्पों का रोस्टर तैयार करके और संकेन्द्रित वित्तपोषण के जरिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान रिलीज की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) फिहाल निर्मल भारत अभियान देश के 607 ग्रामीण जिलों में चलाया जा रहा है।

(ङ) सरकार का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में सभी शेष ग्रामीण जिलों को निर्मल भारत अभियान में शामिल करना है। निर्मल भारत अभियान की परियोजनाओं में शामिल न हो पाए जिलों की सूची संलग्न विवरण-III में दर्शाई गई है।

विवरण-I

देश में स्वच्छता सुविधाओं की कवरेज का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण स्वच्छता की कवरेज (परिवारों का प्रतिशत)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	61.08
2.	आंध्र प्रदेश	34.88
3.	अरुणाचल प्रदेश	55.75
4.	असम	61.54
5.	बिहार	18.61
6.	चंडीगढ़	94.31
7.	छत्तीसगढ़	14.85
8.	दादर और नगर हवेली	29.28
9.	दमन और दीव	65.80
10.	गोवा	72.60
11.	गुजरात	34.24
12.	हरियाणा	57.71
13.	हिमाचल प्रदेश	67.45
14.	जम्मू और कश्मीर	41.71
15.	झारखंड	8.33
16.	कर्नाटक	31.89
17.	केरल	94.41
18.	लक्षद्वीप	98.34
19.	मध्य प्रदेश	13.58
20.	महाराष्ट्र	44.20
21.	मणिपुर	87.73
22.	मेघालय	56.94
23.	मिजोरम	87.10
24.	नागालैंड	77.69
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	86.50
26.	ओडिशा	15.32
27.	पुदुचेरी	40.41
28.	पंजाब	71.89

1	2	3
29.	राजस्थान	20.13
30.	सिक्किम	85.14
31.	तमिलनाडु	26.73
32.	त्रिपुरा	84.59
33.	उत्तर प्रदेश	22.87
34.	उत्तराखंड	54.96
35.	पश्चिम बंगाल	48.70
	ग्रामीण भारत	32.67

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान रिलीज और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यैरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (अक्तूबर 2012 तक)	
		रिलीज	खर्च	रिलीज	खर्च	रिलीज	खर्च	रिलीज	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11078.44	3915.05	14218.46	7177.90	9657.28	9151.88	15022.60	3109.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	404.97	659.28	119.26	610.28	204.88	511.09	227.15	67.75
3.	असम	6729.84	9436.95	9437.36	6712.08	12251.18	12227.67	2772.21	5449.07
4.	बिहार	9046.72	9014.63	11259.76	12421.48	17219.09	16761.4	29814.56	11361.35
5.	छत्तीसगढ़	5018.42	6437.99	5479.58	2530.57	2702.42	3286.35	0	771.21
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	3036.9	5154.34	4692.36	3332.98	4308.28	3525.46	3949.42	1785.05
9.	हरियाणा	718.15	1220.09	2361.49	1410.41	335.27	1542.35	0	395.47
10.	हिमाचल प्रदेश	1017.7	1312.38	2939.78	2130.20	469.57	1274.65	1666.96	645.44
11.	जम्मू और कश्मीर	332.9	1383.15	2792.51	1101.93	967.95	2463.42	3511.01	508.45
12.	झारखंड	3941.66	3871.91	5466.98	3653.66	7264.92	2334.84	4193.31	605.44
13.	कर्नाटक	5571	4816.9	4458.66	6240.93	8709.28	4115.18	8352.77	1507.23
14.	केरल	975.45	1346.2	2286.34	808.52	158.89	987.89	0	614.38
15.	मध्य प्रदेश	9987.48	12732.1	14402.60	12826.57	15076.00	16700.46	12922.98	5231.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	महाराष्ट्र	9894.05	11741.67	12911.7	7263.49	5799.94	8391.45	11872.8	1457.08
17.	मणिपुर	1177.54	409.58	80.30	861	1087.87	701.18	912.63	849.24
18.	मेघालय	1378.78	985.46	3105.23	1437.34	1115.72	3290.85	792	451.78
19.	मिजोरम	412.98	419.27	653.4	272.81	31.38	691.6	0	130.52
20.	नागालैंड	1059.27	971.60	1229.45	264.95	174.06	1371.36	396.37	241.92
21.	ओडिशा	5031.55	5258.97	6836.73	4928.22	11171.7	4652.38	0	2444.16
22.	पुदुचेरी	0	5.19	0	2.91	0	0	0	0
23.	पंजाब	116.02	326.41	1116.39	420.64	283.18	108.36	0	387.74
24.	राजस्थान	4352.6	3217.59	5670.74	3757.52	5424.41	3136.6	4877.2	5659.01
25.	सिक्किम	0	258.95	112.86	0	0	0	69.87	0
26.	तमिलनाडु	6166.18	5406.86	7794.35	5213.14	7662.06	10710.19	6239.19	1823.94
27.	त्रिपुरा	836.66	535.74	925.14	574.08	133.92	752.89	124.74	200.81
28.	उत्तर प्रदेश	11579.77	33657.29	22594	22738.91	16920.72	12056.46	12895.76	8253.65
29.	उत्तराखंड	773.98	1102.22	1707.61	1159.57	804.76	1312.67	1270.98	636.88
30.	पश्चिम बंगाल	3246.26	7809.32	8327.5	7654.57	14124.34	11514.02	15319.3	7767.07
	कुल	103885.36	133407.13	152980.54	117506.70	144059.07	133572.68	137203.95	62356.06

विवरण-III

निर्मल भारत अभियान (एनबीए) की परियोजनाओं में शामिल न हो पाए जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	निकोबार
3.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
4.	दमन व दीव	दमन
5.	दमन और दीव	दीव
6.	दिल्ली	पूर्वी (जिला)
7.	दिल्ली	उत्तरी (जिला)
8.	दिल्ली	उत्तर-पूर्व (जिला)
9.	दिल्ली	उत्तर-पश्चिम (जिला)
10.	दिल्ली	दक्षिणी (जिला)
11.	दिल्ली	दक्षिण-पश्चिम (जिला)
12.	दिल्ली	पश्चिमी (जिला)
13.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप

एनबीएस स्कीम का कार्यान्वयन

54. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत वर्षों के दौरान उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए पोषक आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नीति के कार्यान्वयन से पहले सभी संबंधित विभागों की सहमति ली गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए दूसरी योजना कार्यान्वित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर राजसहायता उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 1.4.2010 से पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन किया गया है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले प्रस्ताव को अंतर-मंत्रालयी परामर्श हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग, व्यय विभाग और योजना आयोग को भेजा गया था और मंत्रियों के मसूह (जीओएम) की बैठक में भी इस पर चर्चा की गई थी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत मानदंडों में छूट

55. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री मधुगौड यास्खी:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत मानकों तथा पात्रता से छूट देने हेतु सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने केन्द्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विधवा पेंशन हेतु पात्रता आयु को 40 वर्ष से घटकर 18 वर्ष करने और अविवाहित तथा तलाकशुदा महिला को विधवा पेंशन हेतु पात्र मानने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया): (क) जी हां। एनएसएपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के मानदंडों पर सिफारिश करने के लिए अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसमें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और चार राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने अक्तूबर, 2012 के अंतिम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) समिति ने राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की योजनाओं के अंतर्गत लाभ से वंचित विभिन्न श्रेणियों के लोगों की पेंशन राशि को बढ़ाने और कतिपय पात्रता मानदंड में छूट देने का सुझाव दिया है।

(ग) और (घ) पति से अलग रह रहीं, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए समिति ने विधवा पेंशन राशि की पात्रता आयु को 40 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का सुझाव दिया है क्योंकि महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। विधवा पेंशन योजना के तहत् 40 और उससे अधिक आयु की अकेली रहने वाली महिलाओं को शामिल करने का भी सुझाव दिया गया है क्योंकि हो सकता है कि इस आयु में कोई सहायता नहीं मिले और उसे इस सहायता की जरूरत हो।

(ङ) फिलहाल इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाएं

56. **श्री नलिन कुमार कटील:**
श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री प्रेमदास:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बारहवीं पंचवर्षीय योजना में देश में ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण हेतु विभिन्न उद्देश्यों वाली कोई नई योजनाएं लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ लागू मौजूदा योजनाओं की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याणार्थ अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

(क) से (घ) जी, नहीं।

(ङ) संपूर्ण आयोजना प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के जरिए अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम यथा—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) और राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, ग्रामीण संपर्क, बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराकर संपूर्ण विकास करना एवं सुधार लाना है।

झारखंड में सड़कों का निर्माण

57. श्री इन्दर सिंह नामधारी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत झारखंड में मनातु (पलामू जिला) से प्रतापपुर (चतरा जिला) वाया चक सड़क का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया): (क) से (ग) जैसाकि झारखंड राज्य द्वारा जानकारी दी गई है, झारखंड में मनातू (पलामू जिला) से प्रतापपुर (चतरा जिला) वाया चाक तक सड़क में तीन भाग शामिल हैं। सड़क के इन तीनों भागों की स्थिति निम्नानुसार है–

(i) मनातू से चाक (4.00 कि.मी. लगभग)

राज्य योजना के अंतर्गत आकलन तैयार किया गया है और स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है।

(ii) डूमरवार (चाक) से सिडकीमोड़ (13.30 कि.मी.)

वर्ष 2004-05 के दौरान पीएमजीएसवाई के चरण-IV के अंतर्गत सड़क स्वीकृत की गई। विकास की प्रगति शून्य है। ठेकेदार के कार्य निष्पादन न किए जाने के कारण कार्य को मई, 2010 में रद्द कर दिया गया है। राज्य द्वारा आकलन में संशोधन किया गया और निविदा के लिए रखा गया।

(iii) सिडकीमोड़ से प्रतापपुर (6.00 कि.मी.)

सड़क राज्य के आरसीडी (सड़क निर्माण विभाग) के तहत है।

यात्री और मालभाड़े पर सेवा शुल्क

58. श्री संजय भोई:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे ने प्रत्येक यात्री टिकट और मालभाड़े पर सेवा शुल्क लगा कर वातानुकूलित श्रेणी के किरायों में बढ़ोत्तरी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेवा शुल्क से प्राप्त राशि को रेल की सुरक्षा और विकास हेतु उपयोग में लाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) हालांकि, वित्त मंत्रालय की 2012 की अधिसूचना के अनुपालन में मूल यात्री किराया एवं माल भाड़ा नहीं बढ़ाया गया था, 01.10.2012 से निम्नलिखित श्रेणियों में यात्री टिकटों पर 3.708% की दर से सेवा कर की उगाही की जा रही है:

(i) एसी प्रथम श्रेणी।

(ii) एक्जीक्यूटिव श्रेणी।

(iii) एसी-2 टियर श्रेणी।

(iv) एसी-3 टियर श्रेणी।

(v) एसी कुर्सी यान श्रेणी।

(vi) एसी इकोनामी श्रेणी।

(vii) प्रथम श्रेणी।

वित्त मंत्रालय की 2012 की अधिसूचना सं. 25 द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई वस्तुओं को छोड़कर, रेल यातायात द्वारा ढुलाई किए जाने वाले सभी माल यातायात पर भी 01.10.2012 से 3.708% की दर से सेवा कर की उगाही की जा रही है।

(ग) और (घ) सेवा कर नियमों के अनुसार, एकत्रित किया गया कर केन्द्र सरकार के खाते में जमा किया जाएगा। सेवा कर की आमदनी का अंतिम उपयोग केन्द्र सरकार का विशेषाधिकार है।

विद्युत की उत्पादन और मांग

59. श्री एम.के. राघवन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य में विद्युत उत्पादन और इसकी मांग के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों तथा इनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राज्य में विद्युत की मांग की पूर्ति हेतु जल विद्युत के अतिरिक्त वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर बल देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आएगी तथा इन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) 18वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण के अनुसार 12वीं योजना अर्थात् 2016-17 के अंत तक केरल में ऊर्जा आवश्यकता एवं पीक मांग क्रमश: 26,584 मिलियन यूनिट एवं 4,669 मेगावाट आंकी गई है।

उत्पादन नियोजन अध्ययन अखिल भारतीय स्तर पर किए जाते हैं तथा कोई राज्य स्तर पर अध्ययन नहीं किए जाते हैं। प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन नियोजन राज्य/राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है।

जल स्रोतों का प्रबंधन

60. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पानी का भंडार, सिंचाई हेतु उपयेग में लाए जा रहे पानी की मात्रा और इनमें कितना और पानी भंडारित किया जा सकता है, के संदर्भ में जल निकायों के कुशल प्रबंधन के बारे में कोई कार्यक्रम लागू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) हेतु एक राज्य क्षेत्रीय स्कीम का अनुमोदन किया था जिसके दो घटक इस प्रकार हैं-(i) पहले में कार्यान्वयन हेतु 1500 करोड़ रुपए के परिव्यय की बाह्य सहायता (ii) दूसरे में 1250 करोड़ रुपए की घरेलू सहायता प्राप्त होना। घरेलू सहायता से जल निकायों की आरआरआर स्कीम के अंतर्गत 3341 जल निकायों का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसमें से 1546 जल निकायों का कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी दिनांक 20.11.2012 तक 852.289 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। बाह्य सहायता से जल निकायों की आरआरआर स्कीम के अंतर्गत प्रारंभ किए गए 10887 जल निकायों के कार्य में से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 3093 जल निकायों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियां

61. श्री पी. करूणाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल में आज की तारीख के अनुसार अ.ज./अ.ज.जा/अ.पि.व. श्रेणियों के तहत समूह और वर्ग-वार कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ख) रेल द्वारा इन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में उक्त श्रेणियों के तहत कुल कितने रिक्त पद भरे गए; और

(घ) रेल में विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में समूह 'घ' में अथवा इसके बदले की गई भर्ती का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) रेलवे में अब तक अनुसूचित जातियों (अजा), अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अधीन वर्ग 'ग' और 'घ' की कुल रिक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

ग्रुप	अजा	अजजा	अपिव
'ग'	527	1158	287
'घ'	321	1278	235

ग्रुप 'क' और 'ख' की कोई भी बैकलॉग रिक्तियां नहीं हैं।

(ख) मौजूदा अजा/अजजा/अपिव की आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए 01.11.2008 से एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरी गयी रिक्तियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	अजा	अजजा	अपिव
2009	617	537	853
2010	1603	1211	2543
2011	2346	1822	3859
2012	3231	4479	2644

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भर्ती के माध्यम से भरी गई वर्ग 'ग' (पूर्ववर्ती वर्ग 'घ') में डाईवर्टेड पदों सहित पदोन्नति श्रेणी की भर्ती का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	अजा	अजजा	अपिव
2009	300	215	370
2010	301	254	1003
2011	448	274	554
2012	1274	1643	1881

सुवर्ण रेखा बराज परियोजना

62. श्री प्रबोध पांडा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर जिलों के काफी बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने और रोजगार सृजन हेतु भी काफी समय पहले सुबर्णरेखा बराज परियोजना पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब के, जिनके चलते किसानों को कठिनाई हो रही है, कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना के काम में तेजी लाने और पूरा करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) सुबर्णरेखा बेसिन के जल संसाधनों की अपनी संबंधित हिस्सेदारी का उपयोग करने के क्रम में तीनों तटीय राज्य अर्थात् झारखंड (पहले बिहार), ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने दिनांक 07.08. 1978 को एक त्रिपक्षीय सहमति (टीपीए) पर हस्ताक्षर किए। बांया तटीय नहर के माध्यम से मिदनापुर जिले में वार्षिक 114.198 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई हेतु भोसरा घाट, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में एक बैराज का निर्माण प्रस्तावित है और टीपीए के तहत आबंटित जल के उपयोग हेतु इसकी वितरण प्रणाली 96.86 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के कृष्य कमान क्षेत्र को शामिल करती है।

(ग) से (ङ) परियोजना राज्य योजना निधि से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। विलम्ब के मुख्य कारण हैं–

(i) पश्चिम बंगाल भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण में विलंब।

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन स्वीकृति की कमी।

रासायनिक उर्वरक संयंत्र की स्थापना

63. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का झारखंड में प्राथमिकता के आधार पर रासायनिक उर्वरक फैक्टरी स्थापित करने का विचार है क्योंकि झारखंड चावल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के कारण यहां उर्वरकों की खपत भी अधिक होती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) मैसर्स फर्टिलाजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की कोरबा इकाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। सरकार ने कोरबा इकाई सहित एफसीआईएल की सभी इकाइयों को वर्ष 2002 में बंद करने का निर्णय लिया था, यद्यपि कोरबा इकाई कभी चालू ही नहीं हो पाई थी।

इसके अलावा, दिनांक 30.10.2008 के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में 7.11.2008 को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन किया गया था जिसके व्यय विभाग, विनिवेश विभाग, योजना आयोग, लोक उद्यम विभाग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव हैं जो प्रत्येक बंद इकाई के पुनरुद्धार हेतु सभी वित्तीय मॉडलों पर विचार करेंगे। ईसीओएस की सिफारशों के आधार पर आर्थिक मामलों सबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसने दिनांक 4.8.2011 को आयोजित अपनी बैठक में इसे इस शर्त के साथ अनुमोदन दिया था कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) की कार्यवाहियों में शीघ्रता लाई जाए और तत्पश्चात् मामले में परिवर्तन, यदि कोई हो, जिसके लिए बोली मानदंड की आवश्यकता हो, को अंतिम निर्णय के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कोरबा इकाई का पुनरुद्धार बोली प्रक्रिया के जरिए करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, एफसीआईएल की पुनरुद्धार योजना का प्रारूप (डीआरएस) बीआईएफआर को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

इस दौरान एफसीआईएल ने पूर्णतया प्रतिबद्ध डीआरएस प्रस्तुत करने के लिए प्रथम चरण की अनुमति हेतु बीआईएफआर के समक्ष एक विविध आवेदन प्रस्तुत किया है। बीआईएफआर ने दिनांक 13.7.2012 को हुई अपनी सुनवाई में विविध आवेदन पर विचार किया तथा विविध आवेदन में किए गए अनुरोध को अनुमति दी थी। कोरबा के संबंध में, बीआईएफआर की अनुमति के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद एफसीआईएल प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर उन कंपनियों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करेगा जो कोरबा इकाई का पुनरुद्धार करने में रुचि दिखाएंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विलंब से भुगतान

64. श्री एम.आई. शानवास: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बड़ी कंपनियों द्वारा देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान करने में विलंब संबंधी समस्या के बारे में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्थिति से एमएसएमई सेक्टर में संकट उत्पन्न हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के हितों की रक्षा हेतु इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। सूक्ष्म, लघु

एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंब से भुगतान करने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा की गई आपूर्ति के प्रति क्रेताओं द्वारा भुगतान में विलंब के परिणामस्वरूप रूग्णता आती है। इस प्रकार इसका देश में सूक्ष्म और लघु उद्यम के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ङ) उपर्युक्त समस्या और देश के सामाजिक आर्थिक परिवेश पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा "लघु एवं आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993" (1998 में यथासंशोधित) लागू किया गया था। बाद में इसे "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006' के अंतर्गत इन संशोधनों के साथ शामिल कर लिया गया:

- क्रेताओं द्वारा एमएसई को भुगतान की अवधि घटाकर पैंतालिस दिन कर दिया गया;
- मासिक शेष के साथ संयोजित बकाया राशि पर ब्याज दर को बढ़ाकर भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा ब्याज दर का तीन गुणा कर दिया गया;
- फेसिलिटेशन काउंसिल में एमएसई संघों के एक या अधिक प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया;
- एमएसई फेसिलिटेशन काउंसिल सुलह और वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाओं के लिए किसी संस्था अथवा केंद्र की सेवाओं का उपयोग कर सकती है;
- काउंसिल को भेजे गए मामलों पर निर्णय मामले भेजने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर किया जाना चाहिए;
- क्रेताओं के लिए अपने वार्षिक लेखा विवरणों में एमएसई आपूर्तिकर्त्ताओं के भुगतान की घोषणा करना अनिवार्य बना दिया गया;
- आयकर के प्रयोजनों के लिए (आपूर्तिकर्त्ता को दिए गए अथवा देय) ब्याज की कटौती को अस्वीकार कर दिया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार

65. **डॉ. एम. तम्बिदुरई:**
श्री प्रदीप मांझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री मुरारी लाल सिंह:
श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत चलाए जा रहे कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इसके तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण और अन्य कृषि कार्यों सहित और कार्यकलापों को शामिल करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष में राज्य-वार कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि नियत/जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने का और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित इसमें परिवर्तन/संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे कितने कामगारों के लाभान्वित होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के प्रावधान इस अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं के जरिए लागू किए जाते हैं। राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं में इस अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं का प्रावधान करना होता है जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। समय-समय पर यथासंशोधित एमजीएनआरईजीए की अनुसूची-I में उन कार्यों की श्रेणी का उल्लेख होता है जिन पर एमजीएनआरईजीए अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के तहत ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इस अधिनियम की अनुसूची-I में इस समय शामिल क्रियाकलापों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां। सरकार ने एमजीएनआरईजीए की अनुसूची-I में आंगनवाड़ी केन्द्र बनाने के कार्य को शामिल करने का निर्णय लिया है। विशेषकर छोटे एवं सीमांत किसानों के परिप्रेक्ष्य में एमजीएनआरईजीए एवं कृषि के बीच सकारात्मक समन्वय बढ़ाने

के उद्देश्य से मंत्रालय ने एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत एनडीईपी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एवं तरल-जैव-खाद बनाने, पशुधन से संबंधित कार्य, सिंचाई से संबंधित कार्य (माइनर, सब-माइनर एवं फिल्ड चैनल का पुनर्वास), आदि से संबंधित नये कार्यों की अनुमति दी है।

(ग) ग्राम सभा एवं वार्ड सभा की बैठकों में ग्राम पंचायतों को एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना होता है। एनजीएनआरईजीए एक मांग आधारित कार्यक्रम है एवं निधियों का निर्धारण नहीं किया जाता है। इस प्रकार एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र बनाने के लिए अलग से कोई निधियां रिलीज नहीं की जाती हैं। सभी राज्य मौजूद दिशा-निर्देशों के अंतर्गत इस अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित कार्य कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों से प्राप्त सुझावों एवं जानकारी के आधार पर अनुसूची एवं दिशा-निर्देशों में बदलाव एवं संशोधन किए जाते हैं और यह एक सतत् प्रक्रिया है। दिनांक 4.5.2012 की अधिसूचना के माध्यम से अनेक अतिरिक्त क्रियाकलापों को शामिल करने के लिए अनुसूची-I में व्यापक विस्तार किया गया है। यह एमजीएनआरईजीए के परिचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन के लिए डॉ. मिहिर शह, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर आधारित था। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित समेकित कार्य योजना वाले (आईएपी) जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पहले की गई हैं:

1. एमजीएनआरईजीए कामगारों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उन क्षेत्रों में जहां बैंक/डाकघर की संख्या पर्याप्त नहीं है, नकद भुगतान करने की अनुमति दी गई है।

2. एमजीएनआरईजीए को कार्यान्वित करने के लिए जिला और उप-जिला स्तरों पर पर्याप्त मानवीय एवं तकनीकी सहायता देने के लिए मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि राज्य वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रमुख पेशेवर स्टाफ यथा— पंचायत विकास अधिकारी और तकनीकी सहायक तैनात कर सकते हैं।

3. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जिला प्रशासन को प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए आईएपी जिलों में प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास फेलो नियुक्त किया गया है।

(च) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का मुख्य उद्देश्य अकुशल शारीरिक कार्य करने की मांग किए जाने पर प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों तक का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा का संवर्द्धन करना है। एमजीएनआरईजीए एक समय आधारित कार्यक्रम है इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। एमजीएनआरईजीए के प्रावधानों को राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एवं कार्यान्वित की जाने वाली मांग आधारित योजनाओं के रूप में लागू किया जाता है।

विवरण

(i) कंटूर ट्रेंच, कंटूर बांध, बोल्डर चेक, गेबियन स्ट्रक्चर, भूमिगत डाइक, मिट्टी के बांध, रोक बांध और स्प्रिंगशेड निर्माण सहित जल संरक्षण और जल संचयन;

(ii) सूखा-रोधन (वनरोपण एवं वृक्षारोपण सहित);

(iii) सूमक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें;

(iv) सिंचाई सुविधा, खेतों में खोदे गए तालाब, बागवानी, पौधरोपण, मेड़बंधी तथा भूमि विकास का प्रावधान;

(v) तालाबों से गाद निकालने सहित परंपरागत जल निकायों का नवीकरण;

(vi) भूमि विकास;

(vii) बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण कार्य, जिनके अंतर्गत फ्लड चैनलों को गहरा करने और उनकी मरम्मत करने, चौर का नवीकरण, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण सहित जल जमाव वाले क्षेत्रों में जल निकासी का कार्य भी शामिल है;

(viii) जरूरत के हिसाब से गांव में पुलिया और सड़कें सहित बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्कता;

(ix) ब्लॉक स्तर पर सूचना संसाधन केंद्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण;

(x) कृषि संबंधी कार्य, अर्थात् एनएडीईपी कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, तरल जैव खाद;

(xi) पशुधन संबंधी कार्य अर्थात् पोल्ट्रीय शेल्टर गोट शेल्टर, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और मवेशियों के लिए फॉडर ट्रफ और पशु भोजन सप्लीमेंट के रूप में अजोला;

(xii) मत्स्यपालन संबंधी कार्य अर्थात् निजी भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्यपालन;

(xiii) तटीय क्षेत्रों में कार्य अर्थात् फिश ड्राईंग यार्ड, बेल्ट वेजीटेशन;

(xiv) ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य अर्थात् सोख्ता गड्ढे, रिचार्ज पिट;

(xv) ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य अर्थात् वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, विद्यालय शौचालय इकाई, आंगनवाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन;

(xvi) राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया कोई अन्य कार्य।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों या भूमि सुधार के लाभार्थियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों या कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 में परिभाषित छोटे या सीमांत किसानों या अनुसूचित जाति या अन्य परंपरागत वनवासियों (वन्य अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की भूमि या वास भूमि पर मद सं. (iv), (x), (xi) और (xiii) से (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप किए जाने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

भेल की सौर ऊर्जा उपस्कर परियोजना

66. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन से आयातित सस्ते उपस्कर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. की सौर ऊर्जा उपस्कर परियोजना के लिए एक खतरा बन गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भारतीय सौर-ऊर्जा उपस्कर निर्माण उद्योग को बचाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां।

(ख) विश्व बाजार के विनिर्माणकारी क्षेत्र में चीनियों का वर्चस्व है और एक अनुमान के अनुसार क्रिस्टलाइन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बाजार में उनकी लगभग 57% की भागीदारी है। इससे विश्वभर के फोटो-वोल्टिक (पीवी) विनिर्माता प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान में यह अनुमान लगाया गया है कि सौर ऊर्जा मदों/उपस्करों का वैश्विक उत्पादन पूरे विश्व की मांग से अधिक है। चीन की यह अति उत्पादन क्षमता और उनके द्वारा विनिर्मित सेल और माड्यूलों की सस्ती दरें बीएचईल सहित भारतीय सौर ऊर्जा उपस्कर विनिर्माताओं के लिए खतरा बन गई है।

भारतीय सौर ऊर्जा उपस्कर विनिर्माण उद्योग को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने जवाहर लाल राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के तहत निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) जेएनएनएसएम के प्रथम चरण के रूप में क्रिस्टलाइन सिलिकॉन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले सभी सौर ऊर्जा विनिर्माताओं को भारत में विनिर्मित सेल और माड्यूलों की अधिप्राप्ति करनी होगी।

(ii) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं. 25/1999-कस्टम्स (जी.एस.आर 161(ई), दिनांक 28 फरवरी, 1999) के अनुसार सौर सेल और माड्यूलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट दे दी गई है।

इसके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना अथवा सुविधा की प्रारंभिक स्थापना करने के लिए आवश्यक मशीनरी की सभी मदों को दिनांक 27.02.2010 की अधिसूचना सं. 15/2010-सीई में उल्लिखित कुछ शर्तों को पूरा करने पर उत्पाद शुल्क में पूर्ण रूप से छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, ऐसी सामग्रियों पर सीमा शुल्क में 5% की रियायत दी गई है, देखें अधिसूचना सं. 1/2011-कस्टम्स, दिनांक 06.01.2011।

[अनुवाद]

दवा निर्माताओं द्वारा अधिक मूल्य वसूली

67. श्री जोस के. मणि: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय औषध विनियामक राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को जनवरी-अक्तूबर, 2012 में प्रमुख दवा निर्माता कंपनियों द्वारा अधिक मूल्य वसूलने का पता चला था;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी दवा निर्माण कंपनियों पर 130. 00 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के एक नई दवा मूल्य निर्धारण नीति बनाने संबंधी निदेश पर कार्य कर रही है जिसके तहत 340 से ज्यादा दवा फारर्मूलेशन्स को मूल्य नियंत्रण के तहत लाया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी, हां। कई औषधि कंपनियों के बारे में यह पाया गया है कि वे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा अधिसूचित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर अपनी कुछ दवाइयां उपभोक्ताओं को बेच रही हैं। वर्ष 2012 के दौरान (अक्तूबर, 2012 तक) एनपीपीए ने 12971.42 लाख रुपए (लभग 130.00 करोड़ रुपए) की अधिप्रभार की रकम की वसूली के लिए नई मांग जारी की है जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख औषधि निर्माता कंपनियां शामिल हैं:-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	फार्मूलेशन का नाम	ब्याज सहित मांगी गई अधिप्रभारित रकम (करोड़ रुपए)
1.	इन्टास फार्मास्युटिकल्स	कफरेस्ट सिरप	0.51
2.	इन्ड-स्विफ्ट लि.	प्रोविटा, न्यूरोविट	0.81
3.	अस्टालाइफ	डोक्सी-1 एलडीआर फोर्ट	7.83
4.	एवेंटिस फार्मा लि.	एविल 25 एमजी और 50 एमजी	5.19
5.	कॉम्ड केमिकल्स	ग्रिसोम्ड	0.51
6.	क्लेरिस लाइफ साइंस	आईवी फ्ल्युड	104.07
7.	एवेंटिस फर्मा लि.	कोम्बिफ्लाम	6.94
8.	नेक्स्ट वेव लि.	इबूकाइड प्लस टेब.	0.68
9.	आईपीसीए लेब	नॉरमेक्स टी जेड	0.55
10.	इंटरवेट इंडिया	एनलजिन वैट इंजेक्शन	1.27
	कुल		128.36

(घ) और (ङ) जी, हां। औषध विभाग ने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यथापरिकल्पित तात्विकता और आवश्यकता के मानदंडों के आधार पर प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) तैयार की थी जिसमें कैंसर रोधी औषधें भी शामिल थीं। प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) को संबंधित मंत्रालयों/संबंधित पक्षों के पास भेजा गया था। यह प्रारूप नीति 30.11.2011 तक विभाग की वेबसाइट www.pharmaceuticals.gov.in पर किसी भी अन्य इच्छुक व्यक्ति की टिप्पणियों के लिए भी उपलब्ध थी। प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) पर प्राप्त मतों/प्रतिक्रियाओं की जांच करके मामले को मंत्रियों के समूह (जीओएम) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसकी बैठक 25.4.2012 को हुई थी। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने दिनांक 27.09.2012 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची, 2011 के मूल्य निर्धारण के संबंध में अपनी अंतिम सिफारिशें दीं जिसके आधार पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2012 तैयार करके मंत्रिमंडल को उसके अनुमोदन हेतु दिनांक 15.10.2012 को भेजी गई।

[हिन्दी]

सिंचाई योजनाओं के कारण विस्थापन

68. **श्री हरीश चौधरी:**
डॉ. संजय सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई योजनाओं के कारण विस्थापित हुए परिवारों के लिए पुनर्वास और राहत कार्य किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विस्थापित परिवारों को पुनर्वास और राहत संबंधी लाभ प्राप्ति समुचित रूप से सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त तंत्र की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समीक्षा का निष्कर्ष क्या रहा और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

घटिया गुणवत्ता के मिश्रित उर्वरकों का आयात

69. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनियों द्वारा घटिया गुणवत्ता के मिश्रित उर्वरकों का आयात करने और उसे आंध्र प्रदेश के किसानों को बेचे जाने की घटना सरकार की जानकारी में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार विभिनन कंपनियों द्वारा देश में आयात किए जा रहे उर्वरकों की गुणवत्ता पर कोई निगरानी रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं अर्थात् केन्द्रीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएफक्यूसीएंडटीआई) फरीदाबाद और मुंबई, कल्याण तथा चेन्नई स्थित तीन क्षेत्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है, ने वर्ष 2010-2011 के दौरान डीएपी एवं मिश्रित उर्वरकों के 234 पोतों का निरीक्षण किया जिसमें से एक डीएपी पोत को अवमानक घोषित किया गया। इसी तरह वर्ष 2011-12 के दौरान डीएपी एवं मिश्रित उर्वरकों के 317 पोतों में से डीएपी/ मिश्रित के 2 पोत अवमानक घोषित किये गए। संघ सरकार को आंध्र प्रदेश में अवमानक मिश्रित उर्वरकों के विक्रय के संबंध में राज्य सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) किसानों को उर्वरकों की अच्छी गुणवत्ता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 प्रख्यापित किया है जिसके अंतर्गत विभिन्न उर्वरकों के विशिष्ट विवरण निर्दिष्ट किए गये हैं। आयातित उर्वरकों पर राजसहायता तभी दी जाती है यदि ये उर्वरक एफसीओ के अनुसार गुणवत्ता विशिष्ट विवरणों के अनुरूप होते हैं।

विद्युत का पारेषण और वितरण

70. **श्री डॉ. पी. वेणुगोपाल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पारेषण और वितरण सैक्टर को पंगु बना देने वाले साइबर हमले के आसान शिकार हैं जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर घातक असर पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या निवारात्मक उपाय किए जा रहे हैं अथवा प्रस्तावित हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2012 में ग्रिड गड़बड़ियों की जांच करने के लिए गठित की गई जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, साइबर हमले बाहरी अथवा अपने ही लोगों द्वारा हो सकते हैं और जिनका विद्युत प्रणाली नियंत्रणों पर दूरगामी एवं गंभीर प्रभाव पड़ सकता है जिसके कारण ऊर्जा क्षेत्र की आपूर्ति क्षमताओं में अस्थिरता आ सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा/अर्थव्यवस्था पर क्रमाप्रपाती प्रभाव पड़ सकता है।

सीईआरटी-इन (भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल) सूचना तकनीकी विभाग, संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सरकार की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र संसाधनों और सेवाओं की संवेदनशील सूचनाओं के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर बाधित होने से रोकने के लिए साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का सामना करने के लिए संकटकालीन प्रबंधन योजना (सीएमपी) तैयार की है। विद्युत मंत्रालय ने क्रमशः एनटीपीसी, एनएचपीसी और पावरग्रिड जैसी नोडल एजेंसियों के साथ, यूटिलिटियों पर साइबर हमलों को रोकने के लिए उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सीईआरटी-थर्मल, सीईआरटी-हाइड्रो, और सीईआरटी-पारेषण का गठन भी किया है।

बिजली का बंद हो जाना

71. **श्री सुशील कुमार सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 2012 में जब पूर्वी और पूर्वोत्तर ग्रिड बिजली की भारी कमी का सामना कर रहे थे तब भूटान ने अपने जलविद्युत प्लांटों से अतिरिक्त बिजली छोड़कर देश की सहायता की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि भविष्य में उनसे मदद ली जा सके, विदेश मंत्रालय की सहमति से क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जुलाई, 2012 में ग्रिड की गड़बड़ी के दौरान भूटान द्वारा कोई अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति नहीं की गई थी क्योंकि केवल मौजूदा करार के अनुसार भूटान द्वारा विद्युत आपूर्ति की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नहरों से गाद निकालना

72. **श्री इज्यराज सिंह:**
डॉ. संजय सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नहरों से समय-समय पर गाद निकाली जाती है ताकि इसके अन्तिम छोर तक पानी जा सके और नहर में पानी सही बह पाए;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ मौजूद तंत्र क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नहरों में पानी का निर्बाध बहाव सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर उनसे गाद निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण नहरों के अवसादन और अनुरक्षण सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और प्रचालन तथा अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा कार्य की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) के अंतर्गत नहरों के अवसादन पर विचार किया गया है। भारत सरकार राज्य सरकार के अनुरोध पर एआईबीपी दिशानिर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदडों के अनुसार वर्तमान सिंचाई नहर प्रणाली के पुनरुद्वार करने सहित सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का आकलन करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एआईबीपी से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की निगरानी भी की जाती है तथा राज्य सरकारों को परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं।

एनटीपीसी की विद्युत परियोजनाएं

73. **श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. (एनटीपीसी) द्वारा देश में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एनटीपीसी की निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रस्तावित परियोजनाओं पर परियोजना-वार और राज्य-वार कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उन्हें किस दर पर मुआवजा दिया गया है;

(घ) क्या एनटीपीसी का उन प्रभावित किसानों के परिवारों के सदस्यों को नौकरी देने का विचार है जिनकी जमीनें परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) देश में उत्तर प्रदेश सहित एनटीपीसी द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं जिनमें इसकी संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनियां शामिल हैं और जिनके लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) जारी की जा चुकी है, उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 16 नवंबर, 2012 तक की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी तथा उसके संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों की कुल क्षमता 16,309 मेगावाट है जो कि निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) एनटीपीसी द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एलए), 1894 राज्यों के विशेष अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहित की जानी होती है। भूमि के मुआवजे की दर भूमि अधिग्रहण के लिए भाग-4 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर अधिनियम के अनुसार, कलैक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, बाजार मूल्य पर 30 प्रतिशत की राशि सोलेटियम के रूप में अधिग्रहण की अनिवार्य प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराई जाती है और भूमि के बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर गणना की गई राशि भाग-4 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख की ओर से शुरू होने वाली अवधि से अवार्ड की तारीख/कब्जे की तारीख (जो भी पहले हो) तक के लिए भी उपलब्ध करवाई जाती है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति (एनआरआरपी), 2007 के प्रावधानों के अनुसार, एनटीपीसी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के सदस्यों को रिक्तियों की उपलब्धता तथा भर्ती के समय रोजगार के लिए उपयुक्तता के अधीन प्राथमिकता देती है।

एनटीपीसी परियोजनाएं पूंजी प्रधान होती हैं और इनमें अद्यतन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में कमी होती है। तथापि, एनटीपीसी इस संबंध में कंपनी की नीति/पद्धतियों के अनुसार, अपनी परियोजनाओं के निर्माण एवं प्रचालन चरणों के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों को ठेका एजेंसियों, छोटे ठेकों तथा अन्य स्वरोजगार अवसरों के माध्यम से प्रभावित परिवारों को व्यापक लाभदायक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर देती है।

विवरण-I

एनटीपीसी (उत्तर प्रदेश सहित) की विचाराधीन नयी विद्युत परियोजनाओं की सूची जिनके लिए एनआईटी जारी किया गया है

राज्य	परियोजना	ईंधन प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
बिहार	नबीनगर जेवी बीएसईएस के साथ	कोयला	1980 (3 × 660)
ओडिशा	दार्लीपल्ली-I	कोयला	1600 (2 × 800)
	गजमारा-I	कोयला	1600 (2 × 800)
उत्तर प्रदेश	उंचाहार-IV	कोयला	500 (1 × 500)
	टांडा-II	कोयला	1320 (2 × 660)
छत्तीसगढ़	लारा-I	कोयला	1600 (2 × 800)

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	स्याम-III (एनटीपीसी हाइड्रो लि. एनएचएल (एनटीपीसी की सहायक)	हाइड्रो	120 (3 × 40)
राजस्थान	अंता	सोलर	15
आंध्र प्रदेश	रामागुंडम पीवी	सोलर	10
उत्तर प्रदेश	उंचाहार	सोलर	10
ओडिशा	तलचर कनिहा	सोलर	10
मध्य प्रदेश	राजगढ़	सोलर	50
	कुल		8815 मेगावाट*

*एनटीपीसी एवं सहायक परियोजना-6740 मेगावाट

एनटीपीसी के जेवी परियोजना 1980 मेगावाट

एनटीपीसी द्वारा सोलार परियोजना-95 मेगावाट

विवरण-II

16.11.2012 तक की रिपोर्ट के अनुसार, एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा

	राज्य	परियोजनाएं	क्षमता (मेगावाट)	अनुमोदित लागत (करोड़ में) (आधार वर्ष)	वर्तमान स्थिति
	1	2	3	4	5
1.	अण्डमान एण्ड निकोबार	ए एण्ड एन सोलर पीवी प्रोजेक्ट	5	62.22 (III तिमाही 2011)	* निर्माण कार्य प्रगति में है।
2.	असम	बोनगैगांव	750 (3 x 250)	4375.35 (IV तिमाही 2007)	* यू-1, यू-2: बायलर लाइट रूप के लिए निर्माण एवं आरम्भिक कार्य प्रगति में है। * यू-3: ड्रम लिफ्टिंग के लिए बायलर निर्माण कार्य प्रगति में है।
3.	बिहार	बाढ़-I	1980 (3 x 660)	8692.97 (IV तिमाही 2004)	* यू-1: बायलर हाइड्रो जांच और टीजी निर्माण कार्य प्रगति में है। * यू-2: बायलर जल जांच के लिए निर्माण कार्य प्रगति में है। * यू-3: बायलर अवसंरचना निर्माण शुरू हो चुका है।
4.	बिहार	बाढ़-II	1320 (2 x 660)	7341.04 (IV तिमाही 2007)	* यू-4: बायलर लाइटअप के लिए निर्माण कार्य प्रगति में है। * यू-5: बायलर जल जांच के लिए निर्माण कार्य प्रगति में है।
5.	बिहार	नवीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (टीपीपी)-	1000 (4 x 250)	5352.51 (IV तिमाही 2006)	* यू-1: बायलर ड्रम लिफ्टिंग 20.10.12 को की गई। * यू-2: बायलर ड्रम लिफ्टिंग के लिए निर्माण कार्य प्रगति में है।

1		2	3	4	5
		जेवी साथ में रेलवे			* यू-3: बायलर निर्माण कार्य प्रगति में है। * यू-4: बायलर निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।
6.	बिहार	मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस-[कान्ती बिजली उत्पादन निगम लि. द्वारा (केबीयूएनएल). एक एनटीपीसी की सहायक]	390 (2 x 195)	3154.33 (I तिमाही 2010)	* यू-1: जल जांच के लिए निर्माण कार्य प्रगति में है। * यू-2: बायलर व ईंधन का निर्माण कार्य प्रगति में है।
7.	हिमाचल प्रदेश	कोल डाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एचईपी)	800 (4 x 200)	4527.15 (IV तिमाही 2001)	* बॉल को भरने का कार्य चल रहा है। 648 मीटर तक की बॉल की कुल उंचाई से ईएल 632.50 मीटर तक बांध का स्तर (औसत) पहुंच गया था। * 5.368 एलएम में से 4.75 एलएम की स्पिलवे एण्ड पावर इण्टेक कण्क्रीटिंग * यू-1, 2, 3 व 4 टरबाइन बॉक्स पूरा किया जा चुका है। * जुड़ाव संगम हेतु इन्लेट गेट का आरंभ किया जा चुका है। * ड्राफ्ट ट्यूब गेट असेम्बली पूरी की जा चुकी है। स्पिलवे और पावर इण्टेक गेट निर्माण प्रगति में है।
8.	कर्नाटक	कुडदी-I	2400 (3 x 800 मेगावाट)	15166.19 (IV तिमाही 2011)	* मुख्य संयंत्र एसजी और टीजी अवॉर्ड 07.02.2012 को पूरे किए गये। * स्थल की समतलता तथा सिविल कार्य प्रगति में है।
9.	मध्य प्रदेश	विन्ध्याचल-IV	500 (1 x 500) (जनवरी, 2012 में दो यूनिटें पूरे लोड यू#11 पर प्राप्त हो गई हैं।)	5914.98 (IV तिमाही 2008)	* यू-12: जल जांच मार्च, 2012 में की गई। आरंभ मार्च, 2013 में सम्भावित है।
10.	मध्य प्रदेश	विन्ध्याचल-V	500 (1 x 500)	3180.40 (IV तिमाही 2011)	जल को सक्षम बनाने वाले कार्य चल रहे हैं।
11.	महाराष्ट्र	मोड-II	500 (1 x 500) (अप्रैल, 2012 में दो यूनिटें पूरे लोड यू#1 पर प्राप्त हो गई हैं।)	5459.28 (IV तिमाही 2007)	यू-2: बायलर लाइट अप और टीजी वाक्य अप के लिए निर्माण कार्य प्रगति में है।
12.	महाराष्ट्र	मोड-II	1320 (2 x 660)	7921.47 (I तिमाही 2012)	* मुख्य संयंत्र पैकेज अप्रैल, 2012 में सौंपा गया। * एमपीएच, एसजी और चिमनी के लिए, थल अवसंरचना तथा बाइलिंग कार्य प्रगति में है।

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	सोलापुर सुपर टर्मिनल पावर प्रोजेक्ट (एसटीपीपी)	1320 (2 x 660)	9395.18 (I तिमाही 2012)	* मुख्य संयंत्र पैकेज अप्रैल, 2012 में सौंपा गया। * बायलर टीजी मुख्य पावर ईएमपी तथा चिमनी का न्यू का कार्य प्रगति में है।
14.	तमिलनाडु	वल्लूर-I जेवी के साथ तमिलनाडु इल्क्ट्रिसिटी बोर्ड (टीएनईबी)	500 (1 x 500) (मार्च, 2012 में दो यूनिटें पूरे लोड यू# 1 पर प्राप्त हो गई हैं।)	5552.78 (II तिमाही 2007)	* यू-2 टीजी ईंधन फ्लूसिंग प्रगति में है और स्टील ब्लोइंग के आरम्भ के लिए कार्य प्रगति में है।
15.	तमिलनाडु	वल्लूर-एसटी-I फेज-II जेवी के साथ टीएनईबी	500 (1 x 500)	3086.78 (I तिमाही 2009)	बायलर जल और 30.09.12 को की गई और बीएलयू के लिए अतिरिक्त निर्माण कार्य प्रगति में है। कंडेंसर और टीजी निर्माण प्रगति में है।
16.	उत्तराखण्ड	तपोवन विस्नुगढ हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट (एचईपी)	520 (4 x 130)	2978.48 IV तिमाही 2006)	कुल एचआरटी सुरंग 9035.15/1370.7 मीटर का कार्य पूरा किया जा चुका है।
17.	उत्तराखण्ड	लता तपोवन एचईपीपी (एनटीपीसी की सहायक एनएचएल द्वारा)	171 (3 x 57)	1527.08 (I तिमाही 2012)	मुख्य संयंत्र अवॉर्ड 17.08.2012 को दिया गया।
18.	उत्तर प्रदेश	रिहन्द-III	500 (1 x 500) (मई, 2012 में दो यूनिटें पूरे लोड यू#5 पर प्राप्त हो गई हैं।)	6230.81 (IV तिमाही 2008)	*यू-5 सीओडी की योजना नवंबर, 12 में बनाई गई। *यू-6 इरेक्शन और पंखों का निर्माण प्रगति में है। बीएलयू नवंबर, 12 में आयोजित है।
19.	उत्तर प्रदेश	सिंगरौली लघु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	8 (2 x 4)	83.26 (I तिमाही 2011)	स्पिलवे और डाइवर्जन का कन्क्रिटिंग कार्य प्रगति पर है।
20.	उत्तर प्रदेश	दादरी सोलर पीवी प्रोजेक्ट	5	52.58 (IV तिमाही 2011)	* इरेक्शन कार्य प्रगति में है।
21.	उत्तर प्रदेश	मेजा ऊर्जा निगम लि. (एमयूएनएल) जेवी के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (यूपीआरवीएनएल)	1320 (2 x 660)	9750.89 (IV तिमाही 2010)	* यू-1 मुख्य संयंत्र सिविल कार्य प्रगति में है। * चिमनी राफ्ट के लिए विन्क्रटिंग प्रगति में है।
	कुल		16309*		

* एनटीपीसी और इसकी सहायक परियोजनाएं—12,989 मेगावाट

एनटीपीसी के जेवी परियोजनाएं—3,300

[अनुवाद]

रेल सेवाओं का विस्तार

74. श्री एस. सेम्मलई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल को इरोड (तमिलनाडु) से किसी एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन से 11064/11063 दैनिक रेलगाड़ी को सलेम की बजाय इरोड तक बढ़ाने/वहां से शुरू करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) रेलवे को विभिन्न स्तरों से गाड़ियां चलाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं, जिनका संकलन नहीं रखा जाता है। 11063/11064 चेन्नै एगमोर-सेलम एक्सप्रेस का इरोड तक विस्तार करना फिलहाल परिचालनिक तंगियों के कारण व्यावहारिक नहीं है।

न्यायालयों में दायर याचिकाएं

75. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माननीय उच्चतम न्यायालय में 2009 से 31 मार्च, 2012 के दौरान श्रमिक कानूनों, वैवाहिक, किराया नियंत्रण, श्रम, सेवा, भू-अधिग्रहण इत्यादि से संबंधित कितनी विशेष अनुमति याचिकाएं सिविल और क्रिमिनल अपील दायर की गई;

(ख) केन्द्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और बड़े औद्योगिक घरानों ने उक्त अवधि में राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों से संबंधित लेवी वसूली, कर-कानूनों की व्याख्या इत्यादि से संबंधित कितने सिविल और क्रिमिनल मुकदमें उच्चतम न्यायालय में दायर किए; और

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2009 से 31 मार्च, 2012 के दौरान उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित कितने मामले निपटाए?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

झारखंड में सिंचाई

76. श्री कामेश्वर बैठा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां कोई सिंचाई सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का झारखंड को पांच हजार करोड़ रु. का विशेष पैकेज देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) मार्च 2012 तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के माध्यम से झारखण्ड राज्य में 14.284 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की कुल सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

(ख) और (ग) वर्तमान में, जल संसाधन मंत्रालय में ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

बीपीएल परिवारों को मकानों के निर्माण के लिए सहायता

77. श्री निशिकांत दुबे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आवास इकाइयों के निर्माण के लिए ग्रामीण बीपीएल परिवारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता/आवास स्थल का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक राज्य-वार विशेषरूप से 'झारखंड में' अभिज्ञात भूमिहीन ग्रामीण परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) आश्रयहीन और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को अब तक कितने आवास स्थल आबंटित किये गये हैं और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) ग्रामीण लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया): (क) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), जो एक

केन्द्र प्रायोजित योजना है, झारखंड सहित देशभर में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए ग्रामीण बीपीएल परिवारों को मैदानी क्षेत्रें में प्रति मकान 45,000 रु. और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों/आईएपी जिलों में 48,500 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती हैं। इस क्रम में देखा गया है कि अनेक ग्रामीण बीपीएल परिवार जिनके पास वासभूमि उपलब्ध नहीं होने की वजह से आईएवाई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए न तो जमीन अथवा वासभूमि है। तद्नुसार, वर्ष 2009-10 के दौरान ऐसे ग्रामीण बीपीएल परिवारों को वासभूमि खंड उपलब्ध कराने के लिए आईएवाई के हिस्से के रूप में एक योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रति वासभूमि खंड 10,000 रु. दिए जा रहे हैं केन्द्र और राज्य इस योजना के वित्त पोषण में 50:50 के अनुपात में अंशदान करते हैं।

(ख) 58वें एवं 59वें चक्र की एनएसएसओ रिपोर्ट के आधार पर किए गए अनुमानों के अनुसार देश में 7.69 मिलियन और झारखंड में 0.62 लाख ऐसे ग्रामीण परिवार हैं जिनके पास वासभूमि नहीं है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 90459.89 करोड़ रु. के व्यय से ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए 297.13 लाख मकान बनाए/आबंटित किए गए हैं और 6.95 लाख वासभूमि की खरीद के लिए वासभूमि योजना के अंतर्गत 347.47 करोड़ रु. रिलीज किए गए।

(घ) आईएवाई के अंतर्गत लक्ष्य निधियों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनता को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण आवास के लिए बजट परिव्यय को वर्ष 2001-02 में 12.94 लाख मकान बनाने के वास्तविक लक्ष्य के साथ 1991 करोड़ रु. को बढ़ाकर वर्ष 2012-13 में 30.09 लाख मकान बनाने के लक्ष्य के साथ 11075 करोड़ रु. कर दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण परिवार जिनके पास वासभूमि नहीं है

क्र.सं.	राज्य का नाम	58वें एवं 59वें चक्र की एनएसएसओ रिपोर्ट के आधार पर (लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.35
3.	असम	2.14
4.	बिहार	0.66
5.	छत्तीसगढ़	1.50
6.	गुजरात	5.22
7.	हरियाणा	0.81
8.	हिमाचल प्रदेश	1.01
9.	जम्मू और कश्मीर	0.34
10.	झारखंड	0.62
11.	कर्नाटक	7.38
12.	केरल	3.51
13.	मध्य प्रदेश	1.86
14.	मणिपुर	0.06
15.	महाराष्ट्र	9.30
16.	मेघालय	0
17.	ओडिशा	2.38
18.	पंजाब	0.91
19.	राजस्थान	1.56
20.	तमिलनाडु	13.45
21.	त्रिपुरा	0.22
22.	उत्तर प्रदेश	3.71
23.	उत्तराखंड	0
24.	पश्चिम बंगाल	4.27
25.	पूवोत्तर राज्य	1
26.	संघ राज्यक्षेत्र	0.94
	कुल	76.93

औषधियों के मूल्यों में अंतर

78. श्री पी. लिंगम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेनरिक औषधियों और समान ब्रांड-वाली औषधियों के मूल्यों में बड़ा अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों श्रेणियों में महत्त्वपूर्ण औषधियों के मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आम जनता में नामी कंपनियों द्वारा निर्मित जेनरिक औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा चिकित्सकों द्वारा जेनरिक नामों में औषधियों का नुस्खा लिखने पर नजर रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) खुले बाजार में बेची जाने वाली जेनरिक दवाइयों के मूल्य आमतौर पर ब्रांडेड दवाइयों के मूल्यों के समतुल्य होते हैं। तथापि, जन औषधि बिक्री केंद्रों के जरिए बेची जाने जेनरिक दवाइयों के मूल्यों और ब्रांडेड दवाइयों के मूल्यों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है जैसाकि निम्नलिखित उदाहरण से पता चलेगा:–

लवण का नाम	खुराक	पैक	ब्रांडेड दवाइयों का औसत बाजार मूल्य (रुपये)	जन औषधि बिक्री केंद्रों में बेची जाने वाली जेनरिक दवाइयों का मूल्य (रुपये)
टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन	250 एमजी	10	55.00	11.10
टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन	500 एमजी	10	97.00	21.50
टेबलेट डिक्लोफेनक एसआर	100 एमजी	10	51.91	3.35
टेबलेट सिट्रिजिन	10 एमजी	10	37.50	2.75
टेबलेट पैरासीटामोल	500 एमजी	10	13.56	2.45
टेबलेट निमेसुलाइड	100 एमजी	10	38.66	2.70
कफ सिरप		110 एमएल बोतल	33.00	13.30

अत्यधिक महंगी ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जन औषधि बिक्री केंद्रों पर बेची जाने वाली जेनरिक औषधियां न केवल गुणवत्ता की दृष्टि से समान होती हैं बल्कि प्रभावकारिता और क्षमता में भी समान होती है। औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के अधीन सरकार को उक्त आदेश के प्रावधानों के अनुसार 74 बल्क औषधियों और उनके फार्मूलेशनों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने का अधिदेश है। औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की मॉनीटरिंग के साथ-साथ नियमित जांच भी करता है। आईएमएस-स्वास्थ्य की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग करने के लिए किया जाता है। जहां कहीं 10% वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहां निर्माता से स्वेच्छा से मूल्य कम करने के लिए कहा जाता है, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में संबंधित फार्मूलेशन का मूल्य तय करने के लिए डीपीसीओ, 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्रवाई शुरू की जाती है जेनरिक दवाइयों और उसी प्रकार की ब्रांडेड दवाइयों के मूल्यों की सूची सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) सभी को वहनीय मूल्यों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औषध विभाग द्वारा जन औषधि अभियान

चलाया गया था। जहां तक जेनरिक दवाइयों की आपूर्ति का संबंध है, इस समय सभी पांच केंद्रीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) अर्थात् आईडीपीएल, बीसीपीएल, आरडीपीएल, केएपीएल तथ एचएएल जन औषधि बिक्री केंद्रों पर बिक्री के लिए जेनरिक दवाइयों का निर्माण कर रहे हैं और उनकी आपूर्ति कर रहे हैं। जहां कहीं जन औषधि बिक्री केंद्र खोले गए हैं, वहां संबंधित राज्य सरकारें सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अपने डॉक्टरों को जेनरिक औषधियां प्रेस्क्राइब करने के लिए अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी कर रही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संबंध में भी यह सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने भी जेनरिक नामों से दवाइयां प्रेस्क्राइब करने की हिदायतें डॉक्टरों को जारी की हैं।

रेलवे स्टेशन

79. **श्री के.पी. धनपालनः**
श्री पी.टी. थामसः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल ने नेदुम्बासेरी रेलवे स्टेशन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर अब तक आवंटित/व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) नेदुमबासेरी पर एक हाल्ट स्टेशन के निर्माण का कार्य वर्ष 2010-11 के बजट में 93 लाख रुपए की लागत पर इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया है कि किमी 80/80-90 पर समपार सं. 64 को ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के बिना बंद करने के लिए राज्य सरकार की सहमति होगी। इस संबंध में केरल सरकार से पहले ही अनुरोध किया गया है। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, कथित समपारों को बंद करने के लिए उनकी सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और इस कारण हाल्ट स्टेशन का कार्य अभी तक रुका हुआ है।

पेटेंट औषधियों के मूल्य

80. **श्री खगेन दासः** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पेटेंट औषधियों के मूल्यों का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या उन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई शुरू की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (च) पेटेंटशुदा औषधियों के लिए मूल्यवार्ता तंत्र से संबंधित मामले की जांच करने के लिए औषध विभाग द्वारा गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट अब दिनांक 05.06.2012 को औषध विभाग को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है और इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

रेल दुर्घटना में पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी

81. **श्री जगदानंद सिंहः**
श्री ई.जी. सुगावनमः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की जान गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों के संबंधियों को रोजगार उपलब्ध कराया है;

(घ) यदि हां, तो कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है और कितने आवेदन विचार हेतु लंबित है; और

(ङ) लंबित आवेदनों के जल्द निपटान के लिए रेलवे ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) 2009-10, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष में 1 अप्रैल से 15 नवंबर, 2012 के दौरान मानवरहित समपारों में अनाधिकार प्रवेश को छोड़कर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों का जोन-वार और वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

रेलवे	2009-10	2010-11	2011-12	1 अप्रैल से 15 नवम्बर, 2012
मध्य रेलवे	2		2	1
पूर्व		66	6	
पूर्व मध्य	4		9	
उत्तर				4
पूर्वोत्तर	16	1		
पूर्वोत्तर सीमा		1	3	
उत्तर पश्चिम	7			
दक्षिण	1		11	
दक्षिण मध्य			2	30
दक्षिण पूर्व	2	150*		1
पश्चिम				
पूर्व तट			10	
दक्षिण पश्चिम			1	26
पश्चिम मध्य		24	2	
उत्तर मध्य	39	1	71@	
दक्षिण पूर्व मध्य				1
मेट्रो रेलवे				
कोंकण रेलवे				
कुल	71	243	117	63

*खड़गपुर के नजदीक तोड़फोड़ के कारण 28.05.2010 को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने और टकराने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु सहित।

@उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद मंडल के मालवान स्टेशन पर 10.07.2011 को कालका एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से 71 व्यक्तियों की मृत्यु सहित।

(ग) ट्रेन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने के लिए कोई सामान्य नीति नहीं है। बहरहाल, बड़ी परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में जनहानि को ध्यान में रखकर, नियुक्ति देना विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर जहां कहीं भी माननीय रेल मंत्री द्वारा नियुक्ति प्रदान करने की घोषणा की जाती है।

(घ) और (ङ) 2009, 2010, 2011 और चालू वर्ष में जनवरी से जुलाई, 2012 में रेलों पर ट्रेन दुर्घटनाओं में पीड़ित के आश्रितों को प्रदान की गई नियुक्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

रेलवे	जनवरी से दिसंबर, 2009	जनवरी से दिसंबर, 2010	जनवरी से दिसंबर, 2011	जनवरी से जुलाई, 2012
मध्य रेलवे	0	0	0	0
पूर्व	0	13	22	6
पूर्व मध्य	8	0	1	0
उत्तर	0	0	0	0
पूर्वोत्तर	0	0	0	0
पूर्वोत्तर सीमा	0	0	0	0
उत्तर पश्चिम	0	0	0	0
दक्षिण	0	0	0	0
दक्षिण मध्य	0	0	0	0
दक्षिण पूर्व	0	5	9	11
पश्चिम	0	0	0	0
पूर्व तट	0	0	0	0
दक्षिण पश्चिम	0	0	0	0
पश्चिम मध्य	0	17	0	0
उत्तर मध्य	0	0	41	0
दक्षिण पूर्व मध्य	0	0	1	0
कुल	8	35	74	17

ट्रेन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्ति के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करना जिसमें माननीय रेल मंत्री द्वारा घोषणा की गई हो, एक सतत् प्रक्रिया है और आश्रितों के दावों के सत्यापन में समय लगता है। इस प्रकार के मामलों में नजर रखने और उनके त्वरित निपटान के लिए क्षेत्रीय रेलों के पास एक समर्पित सेल है।

राज्य बिजली बोर्डों को घाटा

82. श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री ए. साई प्रताप:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो किसानों को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराते हैं तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि कार्यों के लिए प्रतिवर्ष खपत की गई बिजली का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.बी.) को हुए वार्षिक घाटे का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुन:संरचित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के लागू होने के बावजूद राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.बी.)/विद्युत वितरण कंपनियां लगातार घाटे में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में विद्युत के उत्पादन, वितरण में सुधार लाने तथा राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत वितरण कंपनियों के घाटों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्य कुछ शर्तों के साथ अपने कृषि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध करवा रहे हैं–

राज्य	टिप्पणी
1	2
कर्नाटक	10 एचपी पम्पस रखने वाले उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत
आंध्र प्रदेश	ऐसे किसानों के लिए यह नि:शुल्क उपलब्ध है जिन्होंने डिमांड साइड मैनेजमेंट (डीएसएम) में प्रतिभागी हैं और • जिनके पास 2.5 एकड़ तक वैटलैंड है अथवा • यदि ड्राइलैंड के साथ है तो केवल 03 कनेक्शन प्रति किसान इन उपभोक्ताओं से ग्राहक प्रभार के तौर पर 20 रुपए प्रतिमाह का प्रभार भी लिया जाता है।
पुदुचेरी	2.5 एकड़ से कम वैटलैंड अथवा 5 एकड़ ड्राइलैंड धारक छोटे किसानों को नि:शुल्क विद्युत किंतु उनसे 50 रुपए प्रति एचपी प्रतिवर्ष नियत/डिमांड प्रभार के तौर पर लिया जाता है।
मध्य प्रदेश	1.0 हेक्टेयर तथा 5 एचपी पम्प सेट रखने वाले केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को नि:शुल्क विद्युत।
तमिलनाडु	सभी कृषि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क।
छत्तीसगढ़	3 एचपी लोड वाले किसानों 6000 यूनिट प्रतिवर्ष तक नि:शुल्क तथा 3 से 5 एचपी के बीच लोड वाले किसानों को 7500 यूनिट तक नि:शुल्क

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। वर्ष 2011-12 तथा वर्तमान समय वर्ष के लिए कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति का राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) यूटिलिटीज द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखों के विवरण के आधार "वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए राज्य यूटिलिटीज का निष्पादन" विषय पर पीएफसी की रिपोर्ट के अनुसार सीधे उपभोक्ताओं को बेचने वाली अधिकांश यूटिलिटीज को वर्ष 2008-09 से 2010-11 को हानि हुई है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

वर्ष 2011-12 तथा वर्तमान वर्ष के लिए राज्यवार/डिस्कामवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ङ) विद्युत का वितरण डिस्काम की जिम्मेदारी है। उपभोक्ताओं को राज्यों द्वारा उन्नत तरीके से विद्युत उपलब्ध कराने के प्रयासों के पूरक के रूप में केन्द्रीय सरकार सुविधा प्रदाता का कार्य करती है।

देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में सुधार हेतु संघ सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों को कम करने तथा वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु संघ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV पर दिया गया है।

विवरण-I

कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को की गई आपूर्ति (यूटिलिटिज तथा नॉन-यूटिलिटिज)

(जीडब्ल्यूएच)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	7365.4	9190.03	8295.69
2.	हिमाचल प्रदेश	28.74	36.82	35.14
3.	जम्मू और कश्मीर	271.42	204.88	198.1
4.	पंजाब	9325.42	10469.31	9957.38
5.	राजस्थान	9790.86	12072.59	13235.89
6.	उत्तर प्रदेश	6860.36	7340.72	7689.82
7.	उत्तराखंड	300.2	298.1	295.88
8.	चंडीगढ़	1.35	1.02	1.1
9.	दिल्ली	52.77	39.67	35.49
10.	गुजरात	11729.71	12813.8	13338.33
11.	मध्य प्रदेश	6217.5	5985.65	6810.09
12.	छत्तीसगढ़	2049.93	1751.6	1940
13.	महाराष्ट्र	13066.12	13264.22	16713.87
14.	दादरा और नगर हवेली	9.2	3	2
15.	गोवा	40.18	110.76	20
16.	दमन और दीव	2.47	2.49	2.6
17.	आंध्र प्रदेश	16604.57	18825.02	18798.57
18.	कर्नाटक	11314.43	12384.77	13556.31
19.	केरल	234.98	266	240.56
20.	तमिलनाडु	10529	11951	12632.87
21.	लक्षद्वीप	0	0	0
22.	पुदुचेरी	73.48	73.8	74.17
23.	बिहार	798	794.01	388.6
24.	झारखंड	69.62	65.72	70

1	2	3	4	5
25.	ओडिशा	141.49	149.57	176.2
26.	सिक्किम	0	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	843.28	1322.97	1803.85
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.7	0.74	0.83
29.	असम	20.86	32	25.57
30.	मणिपुर	0.12	0.71	0.49
31.	मेघालय	0.5	0.63	0.36
32.	नागालैंड	0.04	0	0
33.	त्रिपुरा	33.39	39.73	37.55
34.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
35.	मिजोरम	0	0.5	0.12
	कुल	107776.1	119491.8	126377.43

नोट: $ झारखंड तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्र के उपभोक्ताओं को डीवीसी की ब्रिक्री शामिल है

स्रोत: सीईए द्वारा विभिन्न वर्षों के लिए प्रकाशित सामान्य समीक्षा

विवरण-II

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटीज को हुए लाभ-हानि का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2008-09		2009-10		2010-11	
			लाभ (हानि) बीमांकित आधार पर कर पश्चात्	लाभ (हानि) सब्सिडी प्राप्त के आधार पर	लाभ (हानि) बीमांकित आधार पर कर पश्चात्	लाभ (हानि) सब्सिडी प्राप्त के आधार पर	लाभ (हानि) बीमांकित आधार पर कर पश्चात्	लाभ (हानि) सब्सिडी प्राप्त के आधार पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	-1,005	-1,005	-1,412	-1,412	-1,332	-1,332
	झारखंड	जेएसईबी	-1,048	-1,048	-707	-707	-723	-723

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ओडिशा	सेसको	-125	-125	-146	-146	-150	-150
		नेसको	-0	-0	-28	-28	-72	-72
		सेसको	-36	-36	-40	-40	-19	-19
		वेसको	13	13	-27	-27	-38	-38
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	10	10	-9	-9	-38	-38
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	39	39	71	71	95	95
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश पीडी	-48	-48	-212	-212	-182	-182
	असम	सीएईडीसीएल	-13	-13				
		एलएईडीसीएल	-15	-15				
		यूएईडीसीएल	-19	-19				
		एपीडीसीएल			-319	-319	-446	-446
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	-113	-113	-87	-87	-134	-134
	मेघालय	मेघालय एसईबी	10	10	-56	-56		
		मेघालय ईसीएल					-91	-91
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	-72	-72	-139	-139	-158	-158
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	-68	-68	-108	-108	-159	-159
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	49	38	2	-11	-126	-130
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	-108	-108	187	187	388	388
		बीएसईएस यमुना	58	58	77	77	155	155
		एनडीपीएल	171	171	351	351	258	258
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-265	-265	-633	-680	-393	-556
		यूएचबीवीएनएल	-1,218	-1,218	-912	-912	-129	-129
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	32	32	-153	-153	-122	-122
		एचपीएसईबी लि.					-389	-389
	जम्मू और कश्मीर	जेएंडके पीडीडी	-1,316	-1,316	-2,106	-2,106	-2,167	-2,167
	पंजाब	पीएसईबी	-1,041	-1,041	-1,302	-1,302		
		पीएसपीसीएल					-1,482	-1,482

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राजस्थान	एवीवीएनएल	-0	-2,403	0	-3,924	0	-3,071
		जेडीवीवीएनएल	0	-2,185	0	-3,169	0	-3,069
		जेवीवीएनएल	0	-2,227	-0	-3,913	0	-3,389
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	-974	-974	-1,707	-1,707	-1,117	-1,117
		केएससीओ	-152	-152	-181	-181	-73	-73
		एमवीवीएन	-418	-418	-1,040	-1,040	-348	-348
		पश्चिमी वीवीएन	-612	-612	-1,188	-1,188	-304	-304
		पूर्वी वीवीएन	-1,346	-1,346	-1,170	-1,170	-969	-969
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	-355	-355	-527	-527	-219	-219
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	13	-2,780	36	-1,198	3	-778
		एपीईपीडीसीएल	14	-531	18	-435	13	-572
		एपीएनपीडीसीएल	6	-1,191	7	-892	7	-409
		एपीएसपीडीसीएल	11	-1,485	4	-1,116	3	-418
	कर्नाटक	बेसको	-588	-588	12	112	0	0
		चेसकोम	-221	-230	-74	-318	11	11
		जेसकाम	-198	-198	-31	-31	61	61
		हेसकोम	-560	-560	-174	-174	-65	-65
		मेसकोम	-41	-41	9	-14	2	2
	केरल	केएसईबी	217	217	241	241	241	241
	पुदुचेरी	पुदुचेरी	-80	-80	-47	-47	-134	-134
	तमिलनाडु	टीएनईबी	-7,771	-8,021	-10,295	-10,295	-6,273	-6,273
		टैंज्डको					-6,202	-6,202
पश्चिमी	छतीसगढ़	सीएसईबी	764	764				
		सीएसपीडीसीएल	74	74	-314	-314	-468	-468
	गोवा	गोवा पीडी	158	158	16	16	-79	-79
	गुजरात	डीजीवीसीएल	3	3	22	22	63	63
		एमजीवीसीएल	5	5	17	17	25	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		पीजीवीसीएल	1	1	4	4	3	3
		यूजीवीसीएल	6	6	6	6	13	13
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-574	-574	-779	-779	-605	-605
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	-833	-833	-1,433	-1,433	-578	-578
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	-1,077	-1,077	-1,131	-1,131	-974	-974
	मध्य प्रदेश	एमएसईडीसीएल	-902	-902	-1,085	-1,085	-1,505	-1,505

विवरण-III

देश में विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमः

- निष्पादनाधीन परियोजनाओं की सख्त निगरानी—सभी अवरोधों को निपटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं समय पर शुरू हों, सभी निष्पादनाधीन परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है।
- क्षमता अभिवृद्धि में अवरोधों की पहचान करने और उन्हें निपटाने के लिए सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपकरण उत्पादकों, राज्य युटिलिटियों/सीपीएसयू/ परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है।
- नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संयंत्र उपस्कर की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न संयुक्त उद्यमों की स्थापना संयंत्र उपकरण के निर्माण हेतु क्षमता को बढ़ा दिया गया है।
- विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला और गैस उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण-IV

वितरण को सुधारने और देश के राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

आरएपीडीआरपी

देश में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने और राज्य यूटिलिटियों के विद्युत वितरण क्षेत्र को सुधारने के लिए भारत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) की शुरुआत की है। आरएपीडीआरपी में क्षेत्रों में सतत एटी एंड सी हानि में कमी लाने में यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर मुख्य बल दिया गया है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं 2001 की जनगणना के अनुसार 30000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो भागों में ली जाती हैं। स्कीम का भाग (क) बड़े शहरों (जनसंख्या 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा निवेश 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा तथा सुपरवाइजरी नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण (स्काडा) हेतु आईटी युक्त प्रणाली की स्थापना के लिए है। जबकि भाग (ख) परियोजना शहरों में विद्युत अवसंरचना के उत्थान, वृद्धि तथा सुदृढ़ीकरण के लिए है। आरएपीडीआरपी के अंतर्गत अब तक 32323.70 करोड़ रुपए (भाग-क 1402 शहरों को शामिल करते हुए 6638.79 करोड़ रुपये तथा 63 शहरों में 63 स्काडा परियोजनाओं, भाग(ख) 1134 नगरों में 25684.91 करोड़ रुपये) के मूल्य की परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन

विद्युत मंत्रियों का पांचवा सम्मेलन 13 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह संकल्प लिया गया था कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि विद्युत यूटिलिटियों के लेखों की लेखापरीक्षा अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर तक की जाए। यदि लेखों का कंप्यूटरीकरण नहीं किया गया है तो वह किया जाएगा। वितरण यूटिलिटियां राष्ट्रीय टैरिफ नीति में किए गए करार के अनुसार राज्य विनियामक को पूर्व वर्ष के दिसंबर जनवरी तक

वार्षिक टैरिफ याचिका दायर करेंगी। राज्य सरकारें यूटिलिटियों को सभी बकाया सब्सिडियां जारी करेगी तथा भविष्य में सब्सिडी का अग्रिम भुगतान सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें एटीएंडसी हानियों को 15% से कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी और प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में वितरण फ्रेंचाइजियों को नियुक्त करने के लिए कदम भी उठाएंगी।

यूटिलिटियों की रेटिंग

राज्य वितरण यूटिलिटियों के वित्तपोषण हेतु वित्तीय संसाधनों (एफआई)/बैंकों द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण को सूक्ष्म बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने राज्य वितरण यूटिलिटियों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया विकसित की है। एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया का समग्र उद्देश्य वितरण यूटिलिटियों को सुग्राही/सुग्राही बनाने के लिए तंत्र तैयार करना है ताकि स्वयं सतत प्रचालन के लिए वित्तपोषण समर्थन सहित सब्सिडी, इक्विटी समर्थन पर टिप्पणियां पूरी करने के लिए उनकी प्रचालनरत तथा वित्तीय निष्पादन, विनियामक अनुपालन को सक्षम बनाने तथा संबंधित राज्य सरकारों को प्रभावित किया जा सके।

विद्युत संबंधी अपीलीय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) का आदेश

विद्युत मंत्रालय ने सामान्य रूप से विद्युत क्षेत्र तथा विशेष रूप से वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति तथा दीर्घावधि व्यवहार्यता को सुधारने के हित में उचित रूप से (यदि अपेक्षित हो तो स्वत: संज्ञान पर) टैरिफ को संशोधित करने के लिए राज्य विनियामक प्राधिकरणों को विद्युत अधिनियम की धारा 121 के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी करने के लिए "विद्युत हेतु अपीलीय ट्रिब्यूनल" से अनुरोध किया है।

विद्युत संबंधी अपीलीय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) ने दिनांक 11 नवंबर, 2011 के अपने आदेश में राज्य विद्युत बोर्डो/डिस्काम की वित्तीय स्थिति को सुधारने तथा वितरण यूटिलिटियों के लंबित बकाया के निपटारे के लिए मदद देने की दृष्टि से राज्य आयोगों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वचालित ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन लागत, टैरिफ का स्वत: निर्धारण, यदि यूटिलिटी द्वारा याचिका दाखिल नहीं की गई है, वार्षिक लेखे की तैयारी भी शामिल है और एसईआरसी द्वारा कोई पिछला अंतर नहीं छोड़ा जाना है। विनियामक परिसंपत्तियां असाधारण परिस्थितियों में ही सृजित की जानी हैं और अधिकतम 3 वर्षों में परिसमाप्त किया जाना है।

मॉडल टैरिफ दिशानिर्देश

राज्य विनियामक फोरम तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने मॉडल टैरिफ दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए संकल्प किया है, जिसमें टैरिफ के यौक्तिकीकरण के मामले का निपटारा किया गया है। एफओआर (विनियामक फोरम) ने एसईआरसी को उन्हें अपनाने के लिए मॉडल टैरिफ दिशानिर्देश परिचालित किए हैं। अब राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से इन टैरिफ दिशानिर्देशों को अपनाने और विनियम बनाने की अपेक्षा की गई है। मॉडल टैरिफ दिशानिर्देशों का अपनाया जाना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन द्वारा यूटिलिटियों को ऋण के वितरण की एक पूर्व शर्त है।

राज्य वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्गठन

राज्य डिकाम के व्यवसाय को सक्षम बनाने तथा उनकी दीर्घावधि व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य स्वामित्व प्राप्त डिस्काम के वित्तीय पुर्नगठन के लिए स्कीम अधिसूचित की गई है। स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्ती वित्तीय तंत्र के माध्यम से समर्थन के साथ उनके ऋण के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय व्यवसाय की प्राप्ति हेतु राज्य डिस्काम तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम शामिल हैं।

[हिन्दी]

आई.ए.वाई. भ्रष्टाचार

83. **श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) में व्याप्त भ्रष्टाचार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या घूसखोरी के माध्यम से मानकों की अवहेलना करके बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर आदि अनेक राज्यों में इस योजना के तहत अनेक लोगों को आवास इकाई आबंटित की गयी है जिनके पास पहले से ही मकान है तथा एक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को अलग आवास आबंटित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2010 से अब तक का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो राज्य-वार कितने लोग गड़बड़ी में लिप्त पाये गये हैं तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया): (क) से (ङ) कुल मिलाकर देश में आईएवाई

योजना का क्रियान्वयन संतोषप्रद ढंग से चल रहा है। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र दिशा-निर्देशों के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं। केन्द्र स्तर पर विभिन्न तंत्रों अर्थात मासिक एवं तिमाही समीक्षा बैठकों, क्षेत्र अधिकारियों के दौरों, समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्टों और प्रभाव मूल्यांकन अनुसंधान अध्ययनों के जरिए योजना की कड़ी निगरानी की जाती है। योजना की निष्पक्ष जांच और निगरानी के लिए राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) की तैनाती एवं नियुक्ति की जाती है। जब कभी-भी योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित कोई भी शिकायत मंत्रालय को मिलती है तब संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के साथ तत्काल इस मामले को उठाया जाता है। गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के मामले में इस मंत्रालय के पैनल में शामिल राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं को शिकायतों की जांच पड़ताल के लिए तैनात किया जाता है। अनियमितताएं सिद्ध होने पर संबंधित राज्य सरकार से उपयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में राज्य-वार प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

शिकायतों की सूची एवं उन पर की गई कार्रवाई

बिहार

(क) गैर-सरकारी संगठन (युवा जागृति स्वयं सेवा सहायता संस्थान), गांव-नेतवार, पोस्ट-बेलांव, थाना-दरौली, जिला-सिवान, बिहार से एसजीएसवाई और आईएवाई योजना के अंतर्गत निधियों के गबन के संबंध में दिनांक 14.02.2012 को एक शिकायत मिली थी। अधिकारियों को घूस देने के बाद आईएवाई के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है जिनके पास पक्का मकान है।

की गई कार्रवाई

मामले की छानबीन करने और आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यह शिकायत 02.04.2012 को बिहार राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(ख) श्री रामजी मांझी, संसद सदस्य (लोक सभा) से एक शिकायत मिली थी जो अपात्र व्यक्तियों को आईएवाई मकानों का आवंटन करने, एक ही परिवार को आईएवाई मकानों का आवंटन करने, लाभार्थियों से घूस लेने के आरोपों से संबंधित थी।

की गई कार्रवाई

मामले की छानबीन करने और आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यह शिकायत 11.05.2012 को बिहार राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(ग) बिहार के दरभंगा जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में श्री रामबाबू महतो कुशवाहा, सुपुत्र स्व. श्री शिवनंदन महतो, ग्राम पंचायत व पोस्ट-बनौली, थाना-सिमरी, ब्लॉक-सिंगवाड़ा, जिला-दरभंगा से 14.05.2012 को एक शिकायत मिली थी। ऐसे व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है जिनके पास पक्का मकान है। और एक परिवार के कुछ सदस्यों को 3-4 बार लाभ मिला है।

की गई कार्रवाई

मामले की छानबीन करने और आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यह शिकायत 13.06.2012 को बिहार राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(घ) आईएवाई के अंतर्गत भ्रष्टाचार के संबंध में श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, निवासी—रघुबरपुर, वार्ड-5, पंचायत-बुलाकीपुर, थाना-दलसिंह सराय, जिला-समस्तीपुर से दिनांक 20.05.2012 को एक शिकायत मिली थी। यह आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में मुखिया और बीडीओ ने एक ही व्यक्ति को 2-3 बार आईएवाई मकानों का आवंटन किया है और ग्रामवासियों को भयभीत करने के लिए कुछ गांववालों के खिलाफ आपराधिक मामले दायर किए गए हैं।

की गई कार्रवाई

मामले की छानबीन करने और आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यह शिकायत 29.06.2012 को बिहार राज्य सरकार को भेज दी गई है।

उत्तर प्रदेश

(क) आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में श्री बोदाराम, सुपुत्र स्व. श्री रामनाथ, निवासी—ग्राम सभा घुस्खास, पोस्ट-कोरी, ब्लॉक-सकलडीहा, जिला-चंदौली (उत्तर प्रदेश), से दिनांक 25.04.2012 को एक शिकायत मिली थी। पात्र लाभार्थियों की बजाय एक ही परिवार के सदस्यों को आईएवाई मकानों का आवंटन किया गया है।

की गई कार्रवाई

मामले की छानबीन करने और आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यह शिकायत 30.05.2012 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(ख) श्री पवन सिंह गुर्जर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, निवासी—ग्राम शाहपुरा, थाना-शीशगढ़, तहसील-जिला-बरेली (उत्तर

प्रदेश) से एक शिकायत मिली थी जो ग्राम प्रधान ढाकिया ठाकुरन बहोरन लाल, ग्राम-शाहपुरा, थाना शीशगढ़, जिला-बरेली द्वारा निधियों का दुर्विनियोजन किए जाने के संबंध में है। यह आरोप लगाया गया है कि ग्राम प्रधान के भाई ने दो आईएवाई मकान लिए हैं क्योंकि उसके पास दो वोटर कार्ड हैं। ग्राम प्रधान ने कमीशन लिया है।

की गई कार्रवाई

मामले की छानबीन करने और आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यह शिकायत 15.06.2012 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(ग) आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में श्री रफतउल्ला अंसारी, सुपुत्र हयात मो. अंसारी, निवासी ग्राम पोस्ट-बेमिहा, ब्लॉक-पछपादेवा, जिला-बलरामपुर (उत्तर प्रदेश), से दिनांक 25.05.2012 को एक शिकायत मिली थी। यह आरोप लगाया है कि प्रधान ने एक ही परिवार के 3 या 4 सदस्यों को आईएवाई मकानों का आवंटन किया है।

की गई कार्रवाई

मामले की छानबीन करने और आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यह शिकायत 28.06.2012 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(घ) ग्राम-मम्शीबुजुर्ग, ब्लॉक-पहाड़ी, जिला-चित्रकूट में अपात्र व्यक्तियों को आईएवाई के अंतर्गत मकानों का आवंटन किए जाने के संबंध में श्री राम कुमार और अन्य, निवासी-ग्राम मम्शीबुजुर्ग, ब्लॉक-पहाड़ी, जिला-चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से दिनांक 25.07.2011 को एक शिकायत मिली थी।

की गई कार्रवाई

एनएलएम ने इस मामले की छानबीन की और उसे योजना के कार्यान्वयन में कतिपय अनियमितताएं मिलीं। आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यह रिपोर्ट 14.11.2012 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(ङ) उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में श्री अर्जुन द्विवेदी, पूर्व काउंसलर/सदस्य पीसीसी से दिनांक 09.09.2010 को एक शिकायत मिली जो श्री जयप्रकाश जायसवाल, माननीय कोयला मंत्री द्वारा अग्रेषित की गई थी।

की गई कार्रवाई

एनएलएम ने इस मामले की छानबीन की और उसे योजना के कार्यान्वयन में कतिपय अनियमितताएं मिलीं। आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यह रिपोर्ट 25.10.2011 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेज दी गई है।

पंजाब

डॉ. संदीप गुप्ता, निवासी 1778, सेक्टर-14, हिसार से दिनांक 30.09.2011 को एक शिकायत मिली थी जिसमें पंजाब के मनसा जिले में आईएवाई के अंतर्गत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था।

की गई कार्रवाई

एनएलएम ने इस मामले की छानबीन की और उसे योजना के कार्यान्वयन में कतिपय अनियमितताएं मिलीं। आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एनएलएम की रिपोर्ट 26.03.2012 को पंजाब राज्य सरकार को भेज दी गई है।

जम्मू और कश्मीर

जम्मू व कश्मीर राज्य में मनरेगा योजना और आईएवाई के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितताओं के संबंध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के अध्यक्ष से प्राप्त शिकायत की जांच एनएलएम द्वारा कराई गई थी। एनएलएम को जम्मू कश्मीर के डोडा और बडगाम जिले में योजना के कार्यान्वयन में कतिपय अनियमितताएं मिलीं।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एनएलएम की रिपोर्ट 29.10.2012 को जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार को भेज दी गई है।

ए.आई.बी.पी. के तहत सिंचाई

84. **श्री बलीराम जाधवः**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः
श्री नलिन कुमार कटीलः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इससे कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ने की संभावना है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के तहत आंबटित तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) शेष राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ए.आई.बी.पी. योजना के तहत वित्तीय सहायता की मांग करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो परियोजना-वार तथा जिला-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(छ) इन परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए सरकार के मानदंडों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत, 293 वृहत/मध्यम परियोजनाओं/परियोजना घटकों को केन्द्रीय सहायता दी गई है जिसमें 138 परियोजनाओं के पूरा हो जाने की सूचना दी गई है। इसके अतिरिक्त, 14197 सतही लघु सिंचाई स्कीमों को भी ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता दी गई है जिसमें से 10495 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं।

(ख) एआईबीपी के अंतर्गत शामिल बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सृजित की जाने वाली लक्षित सिंचाई क्षमता 19372.515 हजार हेक्टेयर और सतही लघु सिंचाई स्कीमों से 1998 हेक्टेयर है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में वृहत, मध्यम परियोजनाओं के लिए एआईबीपी के अंतर्गत राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर, परियोजनाओं को पात्रता मानदंड पूरा करने पर केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है जिसमें परियोजना को पहले जारी केन्द्रीय सहायता का उपयोग शामिल है।

(ङ) जी, हां।

(च) कर्नाटक राज्य की एआईबीपी के अंतर्गत बृहत, मध्यम परियोजनाओं को 31.03.2012 तक जारी केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा तथा लाभान्वित जिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 31.03.2012 तक सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल 142.3128 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बृहत, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को 2012-13 में कोई केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई है तथापि, सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2012-13 में 113.000 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

(छ) भारत सरकार राज्यों के अनुरोध पर उन निर्माणाधीन परियोजनाओं जो पूरी होने वाली होती हैं और एआईबीपी, 2006 के संशोधित दिशानिर्देशों में विहित मानदंडों को पूरा करती हैं, के लिए केन्द्रीय सहायता देती है। संशोधित दिशानिर्देशों के प्रमुख मानदंड संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ज) एआईबीपी के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं की सीडब्ल्यूसी नियमित रूप से निगरानी करता है जिसमें विभिन्न घटकों की उनके समय पर पूरा होने की लिए समीक्षा की जाती है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की अनिवार्यता पर जोर देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वृहत, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए एआईबीपी के अंतर्गत राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	जारी अनुदान (करोड़ रुपये में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1300.728	22.792	256.131	0.000
2.	असम	12.004	49.500	46.965	0.000

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	77.913	23.400	0.000	0.000
4.	छत्तीसगढ़	44.847	43.012	22.252	0.000
5.	गोवा	20.250	20.000	20.250	0.000
6.	गुजरात	6.080	361.420	0.000	0.000
7.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000
8.	हिमाचल प्रदेश	52.860	11.121	82.590	0.000
9.	जम्मू और कश्मीर	13.674	38.297	61.650	0.000
10.	झारखंड	0.000	11.240	335.540	0.000
11.	कर्नाटक	773.471	533.121	452.236	0.000
12.	केरल	3.812	10.017	0.000	0.000
13.	मध्य प्रदेश	585.373	456.189	262.177	0.000
14.	महाराष्ट्र	1395.386	1812.912	1122.682	0.000
15.	मणिपुर	0.000	209.497	0.000	0.000
16.	मेघालय	0.000	0.000	0.000	0.000
17.	ओडिशा	826.243	563.827	614.947	0.000
18.	पंजाब	22.050	140.476	43.630	0.000
19.	राजस्थान	143.407	41.920	3.375	0.000
20.	त्रिपुरा	4.860	48.000	0.000	0.000
21.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000
22.	उत्तर प्रदेश	238.081	432.738	279.844	0.000
23.	उत्तराखंड	0.000	0.000	0.000	0.000
24.	पश्चिम बंगाल	0.914	81.000	102.546	0.000

विवरण-II

कर्नाटक में एआईबीपी के अन्तर्गत बृहत, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए जारी केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान और लाभान्वित जिले

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले	जारी संचयी केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान (31.03.2012 तक कुल)
	कर्नाटक		0.000
1.	ऊपरी कृष्णा चरण-I	गुलबर्गा एवं बीजापुर	1380.663
2.	मलप्रभा	बेलगाम एवं गडग	359.545
3.	हीरेहल्ला	कोप्पल	64.240
4.	घटप्रभा चरण-III	बेलगाम	447.283
5.	करंजा	बीदर	189.030
6.	ऊपरी कृष्णा चरण-II	गुलबर्गा एवं रायचुर	1517.309
7.	गंडोरी नाला	गुलबर्गा	113.911
8.	मसकी नाला	रायचुर	3.220
9.	वोटहोल	हासन	0.290
10.	वराही	उडुपी	68.535
11.	दुधगंगा	बेलगाम	7.507
12.	भद्र जलाशय नहर प्रणाली की नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण (ईआरएम)	चिकमंगलुर, शिमोगा, देवेनगिरी	193.575
13.	हिप्पारगी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बेलगाम, बगलकोट	640.370
14.	भीमसमुद्र टैंक का पुनरुद्धार	गुलबर्गा	3.483
15.	भीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम	गुलबर्गा	156.600
16.	गुड्डा मलपुरा लिफ्ट	हवेरी	57.243

विवरण-III

दिसम्बर, 2006 से प्रभावी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के संशोधित दिशानिर्देशों के मुख्य मानक

1. इस कार्यक्रम में वृहद, मध्यम और विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) सिंचाई परियोजनाओं (क) जिन्हें योजना आयोग की निवेश स्वीकृति प्राप्त है; (ख) जो निर्माण की अंतिम अवस्था में हैं और जो अगले चार वित्तीय वर्ष में पूरी की जा सकती हों; (ग) जो किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न पा रही हों, को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में परियोजना के उन घटकों, जो किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, को भी शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। ईआरएम परियोजना के चयन के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड जारी रहेंगे। इस कार्यक्रम में लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं—(क) सूखा प्रवण क्षेत्रों; (ख) आदिवासी क्षेत्रों; (ग) राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम सिंचाई विकास वाले राज्य; और (घ) कृषि संबंधी आपदा वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के लिए तहत पहचान किए गए जिलों को छोड़ करके एक दर एक आधार पर एआईबीपी के तहत निर्माणाधीन परियोजना के पूरा होने पर ही नई परियोजना को शामिल किया जा सकता है।

2. पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्यों (हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तरांचल) तथा उड़ीसा के सूखा प्रवण केबीके जिले की सतही लघु सिंचाई (एमआई) स्कीमें (नई तथा निर्माणाधीन दोनों) जो राज्य टीएसी/योजना विभाग द्वारा अनुमोदित की गई है; इस कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि (i) प्रत्येक स्कीमें कम से कम 20 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को लाभान्वित कर रही हों तथा स्कीमों के समूह (5 कि. मी. के दायरे के भीतर) जिससे कम से कम 50 हेक्टेयर की कुल चरम सिंचाई क्षमता की जाती हो, (ii) प्रस्तावित लघु सिंचाई स्कीमों का लाभ-लागत अनुपात 1 से अधिक हो और (iii) इन स्कीमों की प्रति हेक्टेयर विकास लागत 1.00 लाख से कम हो।*

गैर विशेष श्रेणी राज्यों** के लिए, केवल वे लघु सिंचाई स्कीमें जिनकी क्षमता 50 हेक्टेयर से अधिक हो जो आदिवासी क्षेत्रों तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती हों उन्हें एआईबीपी के तहत शामिल किया जा सकता है। योजना आयोग के परामर्श से स्कीमों को शुरू करना तय किया जाएगा।

3. दिसम्बर, 2005 के एआईबीपी दिशानिर्देशों के अनुसार, ईआरएम परियोजनाओं को शामिल करने के दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

ईआरएम परियोजनाओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन शामिल किया जा सकता है:

I. उन राज्यों में अनुमति दी जा सकती है जहां कोई वृहद अथवा मध्यम परियोजना एआईपीबी के तहत शामिल नहीं की जानी है और इस तरह एआईबीपी सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

II. अनुमति दी जा सकती है—

(i) उन राज्यों में जो जल क्षेत्र सुधार अर्थात् पांच वर्षों में कुल संगठन एवं प्रबंधन लागत पूरी करने के लिए जल दरों को बढ़ाने के लिए सहमत हैं अथवा

(ii) उन राज्यों में जिन्होंने सहभागिता सिंचाई प्रबंधन विधान अधिनियमित कर लिया है अथवा

(iii) उन ईआरएम परियोजनाओं के लिए जिनमें जल बचत के साथ केवल खोई हुई क्षमता की पुनर्प्राप्ति ही नहीं बल्कि नई क्षमता सृजन की भी परिकल्पना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि केवल ईआरएम परियोजनाओं के लिए नहीं दी जाती है, ईआरएम के लिए एआईबीपी के अन्तर्गत कुल वार्षिक आवंटन के 10% से ज्यादा निधि जारी नहीं की जाएगी तथा 90% निधि वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए होगी।

4. केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय अनुदान के रूप में होगी जोकि विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में परियोजना लागत का 90% होगी, इन परियोजनाओं से सूखा प्रवण क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्र तथा बाढ़ प्रवण क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा तथा गैर विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में परियोजना लागत का 25% होगी। राज्यों के हिस्से के रूप में परियोजना की शेष लागत की व्यवस्था राज्य सरकार को अपने संसाधनों से करनी होगी।

*अक्टूबर, 2007 से निधियन की पात्रता बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दी गई है।

**विशेष श्रेणी राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्य शामिल हैं।

उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी (केबीके) जिलों को परियोजनाओं को भी विशेष श्रेणी राज्यों के समान माना जाएगा। विशेष श्रेणी में गैर शामिल अन्य सभी राज्य गैर विशेष श्रेणी राज्य होंगे।

[अनुवाद]

सी.सी.आई. और एचपीएफ का पुनरुद्धार

85. श्री ए. गणेशमूर्तिः क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सीमेंट निगम (सीसीआई) और हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स (एचपीएफ) जैसे कतिपय उद्योगों के पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इस संबंध में प्रस्तावित विकास कार्य योजना का क्या प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का इन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए पुरानी पूंजीगत मालों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रयोक्ता उद्योगों ने पुराने पूंजीगत माल के आयात पर रोक लगाए जाने का विरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) सरकार और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) के पुनरुद्धार को पहले ही वर्ष 2006 में अनुमोदित किया जा चुका है और यह 2006-07 से लाभ अर्जित कर रही है। जहां तक हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स (एचपीएफ) का संबंध है, पुनरुद्धार योजना पर विचार किया जा रहा है परन्तु अभी तक कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) चूंकि सीसीआई और एचपीएफ केपिटल गुड्स विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों में नहीं लगे हुए हैं इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए पुराने केपिटल गुड्स के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार घरेलू केपिटल गुड्स उद्योग को पुरानी केपिटल गुड्स के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए संबंधित विभाग (विभागों) उद्योग एसोसिएशनों, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के परामर्श से सर्वसम्मति बनाने का प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विकास कार्य

86. श्री रामकिशुनः क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन जिलों की संख्या कितनी है जहां अल्पसंख्यकों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50 या 40 या 45 या 30 या 35 प्रतिशत आदि है;

(ख) इन जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक बहुल जिलों में पुरातत्व महत्व के स्थलों के साथ-साथ इतिहास और संस्कृति के संरक्षण के लिए कोई कार्य कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आजकल अल्पसंख्यकों को शिक्षा सर्वोपरि कार्यक्रम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 151 ऐसे जिले हैं, जहां अल्पसंख्यकों की आबादी 25 प्रतिशत और उससे ऊपर है। फिर भी, अल्पसंख्यक बहुल 90 जिले हैं, जहां बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इन अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान अल्पसंख्यक बहुल आबादी एवं पिछड़ेपन पैरामीटरों के आधार पर की गयी है।

(ख) अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले विकासपरक कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ-सफाई, पक्का-मकान, पेयजल, बेहतर बुनियादी सुविधा से संबंधित होंगे, ये आय सृजक अवसरों के सृजन, सड़कों को जोड़ने, एकीकृत बाल विकास सेवा केंद्रों, कौशल विकास और

विपणन सुविधाओं के लिए लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के अतिरिक्त होंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 3733.90 करोड़ रु. की जिला योजनाओं एवं चालू वर्ष में (2012-13 अब तक) 658.12 करोड़ रु. की जिला योजनाओं को अनुमोदित किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना एवं 2012-13 के अंतर्गत संस्वीकृत यूनिटों के परियोजना-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देश में राष्ट्रीय महत्त्व वाले ऐतिहासिक स्मारकों के बचाव एवं संरक्षण के लिए ध्यान दिया जाता है, जिसमें अल्पसंख्यक बहुल जिले भी शामिल हैं। इन स्मारकों के संरक्षण कार्य को नियमित रूप से किए जाता है और ये परिरक्षण की अच्छी स्थिति में हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस मंत्रालय की चार योजनाओं के अंतर्गत, अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां दी गई हैं। मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, 1,21,91,861 छात्रवृत्तियां, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 17,87,122 छात्रवृत्तियां, मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल 1,62,967 छात्रवृत्तियां तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत कुल 4534 अध्येतावृत्तियां संस्वीकृत की गई हैं।

इसके अलावा, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) मेधावी बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना चला रहा है तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए कार्यरत संस्थानों को अनुदान भी दे रहा है। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों के लिए अवसंरचनात्मक सहायता के रूप में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, स्कूल-भवन, छात्रावास, शिक्षण उपकरण, प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध कराता है।

विवरण

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	परियोजनाओं के नाम	अनुमोदित यूनिट
1.	इंदिरा आवास योजना का निर्माण	3301556
2.	स्वास्थ्य केंद्र	2624
3.	आंगनवाड़ी केंद्र	27797
4.	स्कूल भवनों का निर्माण	696
5.	स्कूलों/मदरसों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	13825
6.	बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास	332
7.	आईटीआई	71
8.	पोलीटेक्नीक	31
9.	पेयजल आपूर्ति कार्य	34553
10.	सोलर लालटेन	30314
11.	शिक्षण सहायता	81
12.	प्रयोगशाला उपकरण	144
13.	उच्चतर स्कूलों में पेयजल एवं शौचालय	817
14.	सड़क एवं संचार	1
15.	शिक्षा एवं प्रशिक्षण के जिला संस्थान	1
16.	समेकित वाटर-शेड विकास परियोजना	1

(ख) 2012-13 से 31.10.2012 तक के दौरान वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	परियोजनाओं के नाम	अनुमोदित यूनिट
1.	इंदिरा आवास योजना का निर्माण	3870
2.	स्वास्थ्य केंद्र	82
3.	आंगनवाड़ी केंद्र	1037
4.	स्कूल भवनों का निर्माण	17
5.	स्कूलों/मदरसों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	543
6.	बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास	69
7.	आईटीआई	24
8.	पोलीटेक्नीक	10
9.	पेयजल आपूर्ति कार्य	13218
10.	शिक्षण सहायता	272
11.	प्रयोगशाला उपकरण	14
12.	उच्चतर स्कूलों में पेयजल एवं शौचालय	30
13.	कम्प्यूटर साथ समान	1758
14.	पुस्तकालय भवन	2
15.	सड़क एवं संचार	4

[अनुवाद]

तीव्र/सुरक्षित रेल यात्रा हेतु रणनीति

87. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री प्रदीप माझी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में तीव्र और सुरक्षित रेल यात्रा प्रदान करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस उद्देश्य हेतु मार्गों तथा रेलगाड़ियों के चयन के लिए अपनाए गए मापदंडों तथा इसके लिए चिह्नित मार्गों/रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ हेतु विकासार्थ प्रस्तावित अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में उक्त रणनीति के कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ङ) रेल मंत्रालय का तीव्रतर गाड़ी तथा सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है तथा इस दिशा में समर्थ अवसंरचना की व्यवस्था सहित रेल पथों तथा रोलिंग स्टॉक का

अपग्रेडेशन, सिगनलिंग प्रणाली में सुधार, लोको पायलटों की ट्रेनिंग तथा उन पर निगरानी, आधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल करने जैसे आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

पी.यू.आर.ए. का कार्यान्वयन

88. **श्री प्रदीप माझी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पी.यू.आर.ए.) के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पी.यू.आर.ए. के कार्यान्वयन के लिए आबंटन को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में पी.यू.आर.ए. 1.0 तथा 2.0 के तहत अवसंरचना के विकास के लिए अब तक आबंटित व उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक क्षेत्रों में लागू करने का प्रावधान किया है।

(ख) और (ग) 12वीं योजना अवधि के दौरान पुरा के लिए आबंटन को योजना आयोग ने अंतिम रूप नहीं दिया है।

(घ) पुरा योजना प्रायोगिक चरण में है। पुनर्गठित पुरा की प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए आबंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आबंटन
2009-10	30.00
2010-11	74.00
2011-12	90.00
2012-13	150.00

राज्य-वार रिलीजें संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)

*16.11.2012 तक स्थिति के अनुसार निधियों की रिलीज की स्थिति**

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	डीआरडीए का नाम	2010-11	2011-12	कुल
1.	राजस्थान	जयपुर	1071	1456	2527
		राजसमंद	912	1240	2152
2.	उत्तराखंड	देहरादून	509	692	1201
3.	केरल	त्रिसूर	848	1153	2001
		मलप्पुरम	1004	1365	2369
4.	पुदुचेरी	कराईकाल	624	848	1472
5.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	598	813	1411
		वारंगल	1054	1433	2487
	कुल		6620	9000	15620

*संबंधित डीआरडीए को रिलीज की गई निधियां

पेयजल योजनाओं के तहत धनराशि का दुरुपयोग

89. श्री भक्त चरण दासः क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आबंटित धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ई.सी.आर हाजीपुर के तहत रेल लाइन

90. श्री महाबली सिंहः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूर्व-मध्य रेलवे (ई.सी.आर.), हाजीपुर के तहत रेल लाइनों की आमान-वार कुल लंबाई कितनी है;

(ख) ई.सी.आर. के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार पूरे किए गए आमान-परिवर्तन की कुल लंबाई कितनी है;

(ग) ई.सी.आर. के तहत चालू आमान परिवर्तन कार्यों का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) पूर्व मध्य रेलवे पर रेलवे लाइनों की लंबाई, मार्ग किलोमीटर के रूप में बड़ी लाइन और मीटर लाइन क्रमशः 3,217.91 और 438.31 है। पूर्व मध्य रेलवे पर छोटी लाइन नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009-10 से 2011-12 के दौरान पूर्व मध्य रेलवे पर 110 किलोमीटर लाइन बड़ी लाइन में तब्दील हो गई है।

(ग) पूर्व मध्य रेलवे पर चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार हैः

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई किलोमीटर में	नवीनतम प्रत्याशित लागत	मार्च, 12 तक किया गया व्यय	वर्तमान स्थिति/लक्ष्य जहां भी निर्धारित है।
1	2	3	4	5	6
1.	बीजलपुरा-बरडीबास (नेपाल) (69.08 किमी) सहित जयनगर-बीजलपुरा	69	470	0.32	कार्य निष्पादन के लिए इरकॉन को हस्तांतरित कर दिया गया।
2.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज (268 किमी)	268	1,043.56	627.55	जयनगर-दरभंगा-सीतामढ़ी-बरगानिया (164 किमी) चालू हो गया है। बैरगानिया-चौरादानो (30.4 किमी) तथा चौरादानो-रक्सौल भाग (5 किमी) 2011-12 में पूरा हो गया। चौरादानो-रक्सौल (भाग) (18.6 किमी) का लक्ष्य 2012-13 है।
3.	सहरसा-दौराम मधेपुरा-पुनिया (143 किमी) सहित मनसी-सहरसा	143	477.89	377.74	मनसी-सहरसा-दौराम मधेपुरा (64 किमी) चालू हो गया है। मधेपुरा-मुरलीगंज (22 किमी.) तथा मुरलीगंज-बनमंखी (3

1	2	3	4	5	6
					किमी) 2011-12 में पूरा हो गया। मुरलीगंज-बनमंखी (भाग)(15 किमी) तथा बनमंखी पूर्णिया (32 किमी) का लक्ष्य 2012-13 है।
4.	सकरी-लौकाहा बाजार-निर्मली तथा सहरसा-फोरबिसगंज (206.06 किमी)	206.06	355.81	196.39	मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों का कार्य प्रगति में है। सहरसा-सरायगढ़ (52 किमी) का लक्ष्य 2012-13 है।

(घ) सभी परियोजनाओं को पूरा करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है जो संसाधनों की उपलब्धता और परियोजना विशेष की प्रगति पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

कांताबांजी में अनुप्रयुक्त भूमि

91. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को ओडिशा के बोलंगीर जिले में कांताबांजी में रेलवे की 700 एकड़ बेकार पड़ी भूमि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का कांताबांजी में रेल फैक्टरी बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त भूमि को उपयोग में लाने के लिए रेलवे ने क्या अन्य कदम उठाए हैं/उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ङ) जी नहीं। कांताबांजी में रेलवे के पास कुल 540.56 एकड़ भूमि है। इसमें से लगभग 76.74 एकड़ भूमि खाली है और उन्हें विभिन्न कार्यों जैसे, गिट्टी/सामग्री का भंडारण और आपातकाल आदि में सड़क यातायात चालन के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस समय कांताबांजी में कोई रेल फैक्टरी स्वीकृत नहीं है।

शौचालयों का निर्माण

92. श्री अजय कुमार: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर क्षेत्र में शौचालयों का निर्माण करने के लिए कोई परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में शुरू की गई परियोजनाओं की सूची तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में निर्मल भारत अभियान परियोजना स्वीकृत कर दी गई है और इस परियोजना के उद्देश्य एवं अनुमोदित लागत और कुल वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:

(i) कुल वास्तविक उपलब्धि

घटक	परियोजना का उद्देश्य	परियोजना का निष्पादन	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4
आईएचएचएल*बीपीएल	97196	126967	130.63
आईएचएचएल*एपीएल	119789	19810	16.54

1	2	3	4
आईएचएचएल*कुल	216985	146777	67.64
स्कूलों में शौचालय	2248	2202	97.95
स्वच्छता परिसर	52	3	5.77
आंगनवाड़ियों में शौचालय	337	337	100.00

*आईएचएचएल : वैयक्तिम पारिवारिक शौचालय

(ii) कुल वित्तीय उपलब्धि

(लाख रुपये में)

अंश	परियोजना की अनुमोदित लागत	रिलीज की गई राशि	उपयोग में लाई गई राशि
भारत सरकार	1746.17	1553.26	961.63
राज्य सरकार	582.12	546.29	364.91
लाभार्थी	290.1	198.87	189.91
कुल	2618.39	2298.42	1516.45

[हिन्दी]

औषध विनिर्माण उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

93. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह:**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विगत औषध विनिर्माण उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने तथा इसकी अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव कई महीनों से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री ने इस समस्या का समाधान करने के लिए हाल में इस मामले में हस्तक्षेप करके पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अंतिम निर्णय लिए जाने में विलंब होने के क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) संबंधित मुद्दों की अपेक्षाकृत व्यापक परिप्रेक्ष्य में जांच करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के अनुमोदन से योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) श्री अरूण मेयरा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) गठित की है।

माननीय प्रधानमंत्री ने औषधीय तथा भेषजीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति पर चर्चा करने के लिए दिनांक 10.10.2011 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में श्री अरूण मेयरा, सदस्य (उद्योग), योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया और उसके बाद मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने यह निर्णय लिया कि बृहत जन स्वास्थ्य मामलों और स्वदेशी निर्माण क्षमताओं को मजबूत बनाने के बीच संतुलन कायम करते हुए औषध क्षेत्र में विलयन और अधिग्रहणों से संबंधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के मुद्दे पर अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता होनी चाहिए। बैठक में निम्नलिखित सुविचारित निर्णय लिए गए:

(i) भारत औषध क्षेत्र में ग्रीनफील्ड निवेशों के लिए ऑटोमैटिक रूट के अधीन बिना किसी सीमा के (100%) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना

जारी रखेगा। इससे निमार्ण क्षमताएं बढ़ेंगी, प्रौद्योगिकी प्राप्त होगी और विकास होगा;

(ii) औषध क्षेत्र में ब्राउनफील्ड निवेशों के मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति 06 मास तक की अवधि के लिए एफआईपीबी अनुमोदित रूट के माध्यम से दी जाएगी। इस अवधि के दौरान विलयन और अधिग्रहणों पर कारगर निगरानी के लिए सीसीआई द्वारा आवश्यक समर्थकारी विनियम लागू किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि औषध क्षेत्र में जन स्वास्थ्य मामलों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकृष्ट करने के बीच संतुलन बना रहे। इसके बाद देश के प्रतिस्पर्द्धा कानून के अनुसार सीसीआई द्वारा पूर्णतः आवश्यक निगरानी रखी जाएगी। इसके पश्चात् सीसीआई द्वारा पूरी तरह से देश के प्रतिस्पर्द्धा कानूनों के अनुसार अपेक्षित निगरानी की जाएगी।

तत्पश्चात्, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में संशोधन करते हुए दिनांक 08.11.2011 का प्रेस नोट संख्या 3(2011 शृंखला) जारी किया जिसके द्वारा ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 08.11.2011 को जारी प्रेस नोट संख्या 3(2011 शृंखला) के अनुसार:

(i) भेषजीय क्षेत्र में ग्रीनफील्ड निवेशों के लिए ऑटोमैटिक रूट के अधीन 100% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति दी जाती रहेगी।

(ii) भेषजीय क्षेत्र में ब्राउनफील्ड निवेश (अर्थात् मौजूदा कंपनियों में निवेश) के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित रूट के अधीन 100% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति दी जाएगी।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का नोडल विभाग है, ने यह सूचित किया है कि सरकार द्वारा अनुमोदित रूट के अधीन औषधि क्षेत्र के अंतर्गत मौजूदा कंपनियों में 100% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी नीति को दिनांक 8-11-2011 के प्रेस नोट संख्या 3/2011 के तहत लागू किया गया था। इस प्रावधान को अब 10.4.2012 से प्रभावी "2011 के परिपत्र 2—समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति" के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत पारेषण संपर्क परियोजना

94. श्री ताराचंद भगोरा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी स्वामित्व वाली चीन की फर्म ने देश में विद्युत पारेषण संपर्क परियोजना हेतु कोई प्रारंभिक अध्ययन किया है और दूसरे कॉरीडोर के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पहले ही बोली लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महत्त्वपूर्ण पारेषण क्षेत्र में विदेशी फार्मों की निर्बाध पहुंच के लिए वर्तमान नियम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राष्ट्रीय हितों के लिए कोई पूर्वोधाम उपाय किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। चीन की राज स्वामित्व की स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना की सहायक कंपनी, मैसर्स स्टेट ग्रिड इंटरनेशनल डेवलपमेंट लिमिटेड ने "वेमागिरी क्षेत्र : पैकेज क" के आईपीपी से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली" की स्थापना के लिए पारेषण सेवा उपलब्धकर्ता के रूप में विकासकर्ता के चयन के लिए पात्रता हेतु अनुमोदन (आरएफक्यू) के उत्तर में अपनी बोली प्रस्तुत की थी। विस्तृत मूल्यांकन के पश्चात् एसजीआईडीएल द्वारा प्रस्तुत आरएफक्यू का उत्तर पात्रता हेतु अनुरोध दस्तावेज के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाला पाया गया और इसलिए, एसजीआईडीएल के उत्तर को अस्वीकृत कर दिया गया था और बोलीदाता को अपात्र घोषित कर दिया गया था।

(ग) से (ङ) पारेषण सेवा हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धा बोली के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों में बिना किसी प्रतिबंध के पारेषण सेवा प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा बोली (आईसीबी) निर्धारित की गई है। विस्तार नीति के अनुसार, विद्युत क्षेत्र (परमाणु ऊर्जा के सिवाय) में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है। इसमें विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अधीन विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के साथ-साथ विद्युत का व्यवसाय भी शामिल है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण

95. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायालय ने अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण को गैर-कानूनी तथा असंवैधानिक माना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.05.2012 के अपने निर्णय में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण में से अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित 4.5% उप-कोटा को अपास्त कर दिया है। उपर्युक्त निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गयी थी और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में उच्च न्यायालय के निर्णय पर स्थगन प्रदान करने से मना कर दिया तथा अभियोजन हेतु आवेदन की अनुमति दी गयी। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि चूंकि इस प्रकार के मामले संविधान न्यायपीठ के समक्ष विचारार्थ लंबित थे, अत: अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% से संबंधित मामले को उन मामलों के साथ मिला दिया जाना जाए। यह मामला इस समय न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

कावेरी मुद्दा

96. श्री अब्दुल रहमान:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी जल के बंटवारे संबंधी निर्णय के अनुसार तमिलनाडु सरकार को जल छोड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कनार्टक सरकार इस संबंध में तमिलनाडु सरकार के अनुरोधों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना कर रही है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने अपनी संवैधानिक बाध्यताएं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाया है;

(ङ) क्या राज्यों के मध्य संकट का समाधान करने के लिए किसी दल ने कावेरी डेल्टा का दौरा किया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या रिपोर्ट तैयार की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के दिनांक 25.06.1991 के अंतरिम आदेश के अनुसार कर्नाटक सरकार को प्रत्येक जल वर्ष (जून से मई) के लिए तमिलनाडु के मैत्तूर जलाशय में 2005 टीएमसी जल सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक में इसके जलाशयों से जल छोड़ना है। तमिलनाडु में मैत्तूर जलाशय में प्राप्त होने वाले जल की मात्रा अंतरिम पंचाट के अनुसार है या नहीं, यह जल वर्ष के अंत में निर्धारित किया जाएगा।

(ग) और (घ) कावेरी नदी प्राधिकरण (सीआरए) और भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना की गई है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय जल आयोग और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों वाले केंद्रीय दल ने 4 से 8 अक्तूबर, 2012 तक कावेरी डेल्टा क्षेत्र का दौरा किया गया था। केन्द्रीय दल का अधिदेश कर्नाटक और तमिलनाडु में वर्तमान फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र और इस फसल के लिए 15 अक्तूबर के बाद जल की आवश्यकता का आकलन करना था। केन्द्रीय दल ने इन ब्यौरों के साथ अपनी रिपोर्ट 11.10.2012 को सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की थी।

[हिन्दी]

उर्वरकों के खुदरा मूल्यों का विनियंत्रण

97. श्री हरीशचन्द्र चव्हाण: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में उर्वरकों के खुदरा मूल्यों को विनियंत्रित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस) के चरण-III के बाद विद्यमान यूरिया इकाइयों के लिए नीति का निर्माण भारत सरकार के विचाराधीन है। तथापि फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के खुदरा मूल्य पहले ही नियंत्रणमुक्त हैं और 01.04.2010 से लागू पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एन बी एस) नीति के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को इसे उपयुक्त स्तर पर नियत करने की अनुमति दी जाती है।

सिंचाई के लिए धनराशि

98. **श्री दत्ता मेघे:**
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में विशेषकर महाराष्ट्र में चालू सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में अधिकांश सिंचाई परियोजनाएं विलंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) 12वीं योजना तैयार करने हेतु वृहद मध्यम सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास संबंधी कार्य बल को 11वीं योजना के अंत तक कुल 287 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माणाधीन होने की रिपोर्ट दी गई है जिनमें से 119 परियोजनाएं महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं।

(ख) दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) वृहद परियोजनाओं के पूरा करने की सामान्य निर्धारित अवधि से 10 से 15 वर्ष होने तथा मध्यम परियोजना के लिए 5-8 वर्ष की इसी अवधि को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की 91 वृहद/मध्यम परियोजनाओं को विलंबित माना जा सकता है।

राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाले विलंब के कारणों की सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ निधियों की कमी, अंतर्राज्यीय समस्याएं, भूमि अधिग्रहण में होने वाली देरी, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की प्रक्रिया में होने वाली देरी, नक्सलवाद की समस्या, डिजाइन में परिवर्तन होना, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मुद्दे, संविदात्मक मुकदमें, स्थानीय झगड़े, अंतर्विभागीय स्वीकृतियां अर्थात् रेलवे, सड़क, राजमार्ग एवं विद्युत विभाग इत्यादि शामिल हैं।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार राज्यों को मांग करने पर एआईबीपी के दिशानिर्देशों को पूरा करने वाली अनुमोदित परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है।

विवरण

वर्ष 2012-13 तक एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 1996-97 से 2001-02 तक जारी किया गया (ऋण)	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	630.6150	33.1860	205.5300	87.5470	311.3815	843.4220	987.7692	855.1800	1300.7280	22.7920	397.8810	0.0000	5676.0317
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.0000	1.5000	20.0000	10.0000	18.0000	27.0000	47.1800	33.9580	30.7800	48.6346	33.7880	11.1600	312.0006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	असम	84.7180	16.2738	19.2015	16.9300	34.9332	30.2685	77.3380	405.9540	589.9760	406.4030	424.7100	109.4750	2216.1810
4.	बिहार	339.7250	14.4805	74.6440	37.2150	16.2380	3.2300	62.2400	109.7029	77.9130	55.7535	15.5300	9.7200	816.3919
5.	छत्तीसगढ़	86.6500	104.0000	74.6300	2.9250	7.6645	10.7050	96.9640	193.0402	60.8853	174.8106	201.4660		1013.7406
6.	गोवा	128.4000	0.0000	2.0000	0.6500	0.0000	1.9100	32.4800	39.2300	20.2500	20.0000	20.2500		265.1700
7.	गुजरात	1971.7330	1000.3300	650.3590	530.5000	339.6000	121.8885	585.7200	258.6100	6.0797	361.4200	0.0000		5826.2402
8.	हरियाणा	44.5000	18.0000	7.7350	11.1350	6.0000	3.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		90.5400
9.	हिमाचल प्रदेश	43.8060	8.1500	14.6920	3.6900	30.0785	3.9300	114.0500	119.3178	90.6797	43.5213	129.7050		601.6203
10.	जम्मू और कश्मीर	27.5100	34.9990	21.5450	12.7445	36.6878	37.7716	199.2251	393.0661	171.7276	156.0341	225.1180		1316.4288
11.	झारखंड	51.4100	9.6700	1.8330	21.2850	5.0370	1.2900	9.2244	3.7200	0.0000	242.8874	559.9560		906.3128
12.	कर्नाटक	1066.8900	620.8500	266.4780	396.2952	140.7759	160.3729	349.9000	442.4190	823.8280	567.7593	511.4040	113.0000	5459.9723
13.	केरल	52.4250	5.6650	31.0000	494400	9.3591	16.6468	0.0000	0.9045	3.8120	10.0172	0.0000		179.2696
14.	मध्य प्रदेश	716.5630	220.0000	568.6440	516.7010	168.0966	48.3100	500.3450	473.7824	758.7458	658.6918	473.4640	351.0990	5454.4426
15.	महाराष्ट्र	305.8550	133.1341	164.3950	529.2860	167.3822	465.5213	972.2500	2257.8318	1395.3946	2069.0559	1199.8920	178.8420	9838.8399
16.	मणिपुर	73.7500	19.5000	15.5000	13.0000	75.7035	156.3040	103.9870	221.6733	42.5403	249.9965	44.5500		1016.5048
17.	मेघालय	12.6758	1.5000	1.0880	1.7438	1.5750	0.7500	1.1600	24.8009	22.5018	110.1947	81.3002	28.4000	287.6902
18.	मिजोरम	4.8660	0.7500	9.3000	5.0000	9.3150	14.2354	34.3434	50.7176	36.4500	51.0923	42.1100		258.1797
19.	नागालैंड	12.7300	2.6590	8.0000	4.0000	7.9987	10.5995	40.5100	48.5979	57.2860	70.0000	72.6470	31.0000	366.0281
20.	ओडिशा	563.9950	179.5700	154.6850	24.2230	151.3742	133.8846	624.3590	724.4387	871.5717	591.6811	614.9420		4634.7243
21.	पंजाब	378.8100	36.6600	0.0000	0.0000	26.3166	0.0000	13.5000	9.5400	22.0500	140.4760	43.6300		670.9826
22.	राजस्थान	4661720	174.3850	499.8370	352.9040	90.2952	11.6000	156.5300	178.6200	157.5770	41.9200	3.3750		2133.2152
23.	सिक्किम	3.7600	0.7500	0.7500	0.7500	0.9113	3.3236	3.2400	0.0000	2.6049	14.3639	33.7144		64.1681
24.	त्रिपुरा	82.4470	13.3947	13.3769	11.0000	31.9950	22.5131	8.1000	43.1750	36.2088	47.9999	34.8751	17.7500	362.8355
25.	तमिलनाडु	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		20.0000
26.	उत्तर प्रदेश	1154.5900	359.0000	274.7850	175.9200	133.1280	81.8954	150.6900	315.4732	238.0820	432.5382	279.8440		3595.9458
27.	उत्तराखंड	0.0000	25.1625	25.5525	38.9917	80.4387	84.7298	265.6500	371.6580	127.0063	160.0600	232.7513		1412.0008
28.	पश्चिम बंगाल	125.4330	28.1330	3.1440	13.4610	0.0287	6.7000	8.9500	22.8100	0.9144	89.1000	107.0020		405.6761
	कुल	8480.02880	3061.7026	3128.7049	2867.3372	1900.3142	2301.9722	5445.7051	7598.2213	6945.5929	6837.2033	5783.9050	850.4460	55201.1335

बाढ़ नियंत्रण

99. **श्री के.डी. देशमुखः** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अनेक राज्यों में विनाशकारी बाढ़ के कारण प्रति वर्ष कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान होता है/हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में बाढ़ समस्या के स्थाई समाधान हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। तदनुसार बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण, निर्माण और निष्पादन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार की भूमिका तकनीकी, सलाहकार, उत्प्रेरक एवं प्रोत्साहक प्रकृति की होती हैं।

बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है और बाढ़ से स्थायी अथवा पूर्ण बचाव न तो संभव है और न ही व्यावहारिक है। तथापि बाढ़ के प्रभाव कुछ हद तक कम किए जा सकते हैं। राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर किए गए उपायों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने भी देश में बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में राज्य सरकारों को सहयोग करने के लिए निम्न उपाय किए हैं:

(i) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना 1945 में पूरे देश में जल संरक्षण एवं उपयोग के अतिरिक्त बाढ़ प्रबंधन के उपायों में वृद्धि करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग के पास एक समर्पित बाढ़ प्रबंधन संगठन है जो देश में बड़ी नदियों एवं उनकी वितरिकाओं पर बाढ़ पूर्वानुमान के विशिष्ट क्रियाकलाप करता है और राज्यों को प्रभावी बाढ़ प्रबंधन के उपायों के संबंध में सलाह देता है।

(ii) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) की स्थापना 1972 में विशिष्ट बाढ़ प्रबंधन उपायों के संबंध में गंगा बेसिन राज्यों को सलाह देने के लिए की गई थी। जीएफसीसी ने गंगा बेसिन में बाढ़ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित राज्यों द्वारा कार्यान्वयन हेतु 23 मास्टर योजनाएं तैयार की हैं।

(iii) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) की स्थापना 1976 में की गई थी जिसने देश में समग्र रूप से बाढ़ का अध्ययन किया, देश में बाढ़ संभावित क्षेत्र का आकलन 40 एमएचए किया और बाढ़ प्रबंधन के लिए उपायों की सिफारिश की।

(iv) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना 1980 में संसद के अधिनियम द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण, तट कटाव एवं जलविकास में सुधार हेतु सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करने और मास्टर योजनाएं तैयार करने के लिए की गई थी। तदनुसार ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण सहित जल संसाधन प्रबंधन के लिए 57 मास्टर योजनाएं तैयार की हैं।

(v) 2002 में एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार की गई थी जिसमें एकीकृत बाढ़ प्रबंधन पर जोर दिया गया था।

(vi) 2004 में बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण संबंधी एक कार्य बल की स्थापना की गई थी जिसने पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण के अविलंब, अल्पकालिक एवं दीर्घावधि उपायों की सिफारिश की थी।

(vii) 2005 के डीएम अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्थापना की गई है जो बाढ़ आपदा सहित आपदाओं के प्रबंधन संबंधी नीतिगत मामलों का पर्यवेक्षण, सलाह देने एवं निगरानी का कार्य करता है।

(viii) भारत सरकार, भारत में प्रभावी बाढ़ प्रबंधन में सहयोग हेतु पड़ोसी देशों के साथ लगातार बातचीत भी कर रही है।

एसजीएसवाई के विरुद्ध शिकायतें

100. **डॉ. संजय सिंह:**
श्रीमती रमा देवी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यकरण के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उक्त शिकायतों के आधार पर पहचान किए गए दोषी व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) राज्य-वार दोषी व्यक्तियों को दी गई सजा का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन में क्या कमियां पाई गई हैं और इन्हें समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अब तक इन प्रयासों में कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। चूंकि एसजीएसवाई का कार्यान्वयन एवं निगरानी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, इसलिए शिकायतें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दी गई हैं।

(घ) समवर्ती मूल्यांकन के जरिए एसजीएसवाई के निष्पादन का मूल्यांकन, अन्य विभिन्न मूल्यांकन अध्ययन, 11वीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित संचालन समिति की रिपोर्ट और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित प्रो. राधाकृष्ण समिति ने एसजीएसवाई में अनेक कमियों अर्थात् गरीबों को एकजुट करने में व्यापक क्षेत्रीय विभिन्नताएं, लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता निर्माण, सामुदायिक संस्थाओं के निर्माण में अपर्याप्त निवेश और बैंकों के साथ कमजोर संपर्क के कारण कम मात्रा में ऋण जुटाया जाना और बार-बार वित्तपोषित किया जाना और पहले से ही अति व्यस्त जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के जरिए एसजीएसवाई के कार्यान्वित किए जाने की वजह से निधियों के कम उपयोग को उजागर किया।

एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया गया है ताकि इसे परिणामों को लक्षित एवं समयबद्ध ढंग से हासिल करने के लिए चरणबद्ध रूप में मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा सके। एसजीएसवाई की तुलना में एनआरएलएम के अंतर्गत दो प्रमुख कार्यनीतिगत बदलाव हैं: (i) एनआरएलएम एक मांग आधारित कार्यक्रम है और राज्यों को अपने विगत अनुभव, संसाधन और कौशल के आधार पर गरीबी उपशमन संबंधी कार्य योजनाएं बनानी होती हैं और (ii) एनआरएलएम विभिन्न चरणों में राष्ट्रीय से उप जिला स्तर तक सभी स्तरों पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पेशागत सहायक संरचना उपलब्ध कराता है।

(ङ) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में एनआरएलएम शुरू करने के लिए निम्नलिखित तीन मानदंड पूरे करने होते हैं:

1. राज्य को एक सोसायटी स्थापित करनी चाहिए अथवा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के रूप में मौजूदा सोसायटी को पुन: पदनामित करना चाहिए और इसकी अध्यक्षता करने के लिए पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करना चाहिए।

2. राज्य की सोसायटी में और जिलों एवं ब्लॉकों में प्रथम चरण में विभिन्न स्तरों पर भी बहुविषयक पेशेवर दल नियुक्त करना चाहिए।

3. एनआरएलएम के अंतर्गत 7 वर्षीय राज्य संदर्श कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) और वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

अब तक 12 राज्यों ने उपर्युक्त मानदंड को पूरा किया है और उन्हें निधियां मंजूर/रिलीज की गई हैं।

विवरण

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)—प्राप्त शिकायतों की सूची

क्र.सं.	विषय	शिकायतकर्त्ता का नाम व पता	स्थिति
1	2	3	4
1.	एसजीएसवाई निधियों संबंधी कार्य देख रहे अधिकारियों द्वारा गलत कार्य	शीतल अनुसंधान और ग्रामीण विकास संस्थान सरगुजा, छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त शिकायत	शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए सचिव-ग्रामीण विकास और पंचायती राज, छत्तीसगढ़ से अनुरोध किया गया।

1	2	3	4
2.	डीआरडीए के लिए सलेम जिला परियोजना अधिकारी के विरुद्ध शिकायत	स्टेट प्रेसीडेंट टीएनआरडीटी एससी ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर्स वैलफेयर एसोसिएशन	चूंकि मामला सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) से संबंधित है, अतः इसे जल संसाधन विभाग (डीडब्ल्यूएस) को भेजा गया।
3.	स्थानीय प्रशासन की सहायता से कुछ स्थानीय अराजक तत्वों द्वारा मशीनरी की लूट करना तथा नष्ट करना	युवा विकास स्व-सहायता समूह, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के सदस्य	मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने, जैसा भी उचित हो, के लिए प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश को प्रेषित।
4.	पम्प सैट और बोरिंग सैट की आपूर्ति में घोटाला	श्री हुकमदेव नारायण यादव, संसद सदस्य लोकसभा	माननीय सांसद को उत्तर भेज दिया गया है।
5.	श्री नेमा राम और श्री राम दयाल, ग्राम-हिम्मत सर (नौखा), बीकानेर, राजस्थान से प्राप्त अभ्यावेदन	श्री नेमा राम और श्री रामदयाल, ग्राम हिम्मत सर (नौखा), बीकानेर, राजस्थान	इस मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने (जैसा भी उचित हो) के लिए सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान से अनुरोध किया गया।
6.	जिला परिषद गोंडा, उ.प्र. में एसजीएसवाई कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का दुरुपयोग	श्री बृजेश पांडे, प्रदेश संयोजक, उत्तर प्रदेश नरेगा निगरानी समिति, 132, पटेल नगर गोंडा मेडिकल सेंटर के निकट, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश	इस मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने, जैसा भी उचित हो, के लिए सचिव ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ से अनुरोध किया गया है।
7.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में श्री जोरावर राम पूर्व सांसद पलामू, झारखंड से प्राप्त पत्र	श्री जोरावर राम, पूर्व-सांसद शिवाला रोड, डाल्टनगंज पलामू, झारखण्ड	मामले को आवश्यक कार्रवाई जैसा भी उचित हो, सरकार को भेजा गया है।
8.	डीआरडीए में घोटाले और बकाया भुगतान की प्राप्ति न होने के बारे में श्रीमती टी. कल्याण से प्राप्त पत्र	श्रीमती टी. कल्याणी पांडिचेरी	इस मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने, जैसा भी उचित हो, के लिए ग्रामीण विकास विभाग, पांडिचेरी से अनुरोध किया गया है।
9.	पानीपत में नकली स्व-सहायता समूहों का गठन करने के लिए लगी धनराशि के बारे में राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त पत्र	श्री संजय पाल, पानीपत	मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने, जैसा भी उचित हो, के लिए, डीआरडीए, पानीपत से प्राप्त पत्र।

1	2	3	4
10.	पानीपत में नकली स्व-सहायता समूहों का गठन करने के लिए लगी धनराशि के बारे में राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त पत्र	श्रीमती अंग्रेजो देवी, पानीपत, हरियाणा	मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने, जैसा भी उचित हो, के लिए, डीआरडीए, पानीपत से प्राप्त पत्र।
11.	सरकारी राजसहायता का दुरूपयोग करने के बारे में श्री गुरदयाल शर्मा, फिरोजपुर से प्राप्त पत्र	श्री गुरदयाल शर्मा, पंजाब	मामले की जांच करने हेतु सचिव, ग्रामीण विकास, पंजाब और निदेशक वित्त सेवा विभाग, दिल्ली को पत्र भेजा गया।
12.	एसजीएसवाई और आईएवाई योजनाओं के अन्तर्गत निधियों का दुरुपयोग	युवा जागृति स्वयं सेवा संस्थान, सीवान, बिहार	आवश्यक कार्रवाई हेतु, जैसा भी उचित हो, सचिव, ग्रामीण विकास, हरियाणा को शिकायत भेजी गयी।
13.	एसजीएसवाई योजना के अंतर्गत निधियों का दुरुपयोग	श्री मनदीप गुप्ता, असम	मामले की आवश्यक कार्रवाई, जैसा भी उचित हो, के लिए सचिव, ग्रामीण विकास, हरियाणा को भेजा गया।
14.	एसजीएसवाई के अंतर्गत सुविधा दाताओं से जबरन वसूली करने और परेशान करने के बारे में शिकायत	श्री विशाल श्रीवास्तव, पुत्र श्री लालता प्रसाद, मोहन लाल गंज, लखनऊ	मामले की आवश्यक कार्रवाई जैसा भी उचित हो के लिए ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया

[अनुवाद]

सीमावर्ती बसी बसावटों को जोड़ना

101\. **श्री नित्यानंद प्रधान:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के जनजातीय/सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी सीमावर्ती बसावटों को जोड़ने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके साथ-साथ ऐसे सड़क खंडों का ब्यौरा दीजिए जिन्हें ओडिशा क्षेत्र विशेषकर देश के जनजातीय क्षेत्रों में निर्माण हेतु निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इन सभी सड़क खंडों को केन्द्रीय निधि प्रदान की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ओडिशा क्षेत्र में सभी सीमावर्ती/जनजातीय बसावटों को कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया): (क) से (घ) ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़क निर्माण कार्यों का निष्पादन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, पीएमजीएसवाई एकबारगी विशेष केन्द्रीय सहायता वाला कार्यक्रम है, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और इससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली तथा पर्वतीय राज्यों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित) और गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित समेकित कार्य-योजना (आईएपी) के तहत 9 राज्यों के 82 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों और इससे अधिक आबादी वाली सड़कों से ने जुड़ी सभी

पात्र बसावटों को कोर नेटवर्क के अनुसार बारहमासी सड़क (आवश्यक पुलियाओं और पूरे वर्ष चालू रखने वाली आर-पार जल निकासी संरचनाओं सहित) से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। आईएपी के अंतर्गत 82 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों में अन्य राज्यों की सीमा से सटे जिलों सहित ओडिशा के 18 जिले शामिल हैं। खेतों से बाजार तक सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए चुनिंदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन भी इस योजना का एक उद्देश्य है, हालांकि यह योजना का मुख्य उद्देश्य नहीं है। उपर्युक्त के लिए निधियां केन्द्र सरकार प्रदान करती है।

(ङ) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और इस कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है। गुणवत्ता पर अपेक्षित ध्यान देते हुए पीएमजीएसवाई कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने की राज्य की संस्थागत क्षमता के आधार पर उन्हें परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। ओडिशा राज्य को पीएमजीएसवाई योजनाओं के निष्पादन में संविदा देने की सीमित क्षमता, पर्याप्त अर्हता प्राप्त तकनीकी कार्मिकों की अनुपलब्धता, काम-काज के लिए अनुकूल मौसम की सीमित अवधि और प्रतिकूल मौसम, भूमि की अनुपलब्धता और वन-क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि के उपयोग की मंजूरी, विधि-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं इत्यादि जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशें

102. शेख सैदुल हक:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतर-मंत्रालयीय परामर्श शुरू किये गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पानी संबंधी कर

103. श्री प्रेम दास राय:
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य विद्युत उत्पादन हेतु विद्युत के उपयोग पर कर की उगाही कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संघ सरकार और उद्योग क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ही केवल ऐसा राज्य है जिसने नवंबर, 2010 से विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग प्रभार लगाया है। एनएचपीसी लि. ने जम्मू एवं कश्मीर जल संसाधन (विनियम और प्रबंधन; अधिनियम, 2010 की विधिक शक्तियों को चुनौती देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जम्मू एवं कश्मीर में रिट याचिका दायर की है। यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

सूचना पैनल

104. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना उच्चतम न्यायालय द्वारा खेले गए सूचना पैनलों के अध्यक्ष के पदों पर केवल पूर्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 210/2012 नमित शर्मा बनाम भारत संघ में अपने तारीख 13.09.2012 के निर्णय में यह सुनाया है कि अपने-अपने स्तरों पर सूचना आयोग, अब से आगे प्रत्येक दो सदस्यीय न्यायपीठ में कार्य करेंगे। जिनमें से एक 'न्यायिक सदस्य' होगा, जबकि अन्य 'विशेषज्ञ सदस्य' होगा। न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो विधि

में डिग्री रखता हो, और न्यायिक रूप से प्रशिक्षित चित्त और न्यायिक कृत्यों का पालन करने में अनुभव रखता हो। कोई विधि अधिकारी या वकील भी पात्र हो सकेगा यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसने विज्ञापन की तारीख तक कम से कम 20 वर्ष की अवधि तक विधि व्यवसाय किया हो। ऐसे वकील के पास सामाजिक कार्य में अनुभव भी होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह और अभिनिर्धारित किया है कि उनका यह सुविचारित अभिमत है कि सक्षम प्राधिकारी को सूचना आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति को अधिमानतः देनी चाहिए, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। इसके अतिरिक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्र या राज्य स्तर पर केवल ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।

इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका फाइल की गई है। मामला परिचालन द्वारा 20.11.2012 को उपचारी और पुनर्विलोकन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। माननीय न्यायालय से मौखिक सुनवाई के लिए भी अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

पीएसईएस हेतु स्वतंत्र निदेशक

105. श्री भीष्म शंकर *ऊर्फ* **कुशल तिवारी:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों (पीएसईएस) हेतु स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या के संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक पीएसईएस में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

भारी उद्योग और लोग उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इक्विटी लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 के अनुसार सभी सूचीबद्ध निकायों तथा सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से अपेक्षित होता है कि वे अपने निदेशक मण्डल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करें। जहां निदेशक मण्डल का अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक होता है, वहां निदेशक मण्डल में कम से कम एक तिहाई की संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिएं तथा यदि वह कार्यपालक निदेशक हो तो उस स्थिति में निदेशक मण्डल में कम से कम आधी संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए। इसके अलावा जहां गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कम्पनी का प्रवर्तक होता है या किसी प्रवर्तक या व्यक्ति से सम्बद्ध होता है जो निदेशक मण्डल स्तर पर या निदेशक मण्डल से एक स्तर नीचे प्रबंधन पद पर होता है तो कम्पनी के बोर्ड में कम से कम आधी की संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना (दिनांक 30.09.2012 को समाप्त तिमाही के लिए) के अनुसार 25 सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने इक्विटी लिस्टिंग एग्रीमेंट जिसमें सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए निदेशक मण्डल के संघटन संबंधी विवरण दिया गया है, के खण्ड 49(1) (क) का अनुपालन नहीं किया है। इन 25 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। इन 25 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में विलम्ब का मुख्य कारण संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों पर समय से कार्रवाई न किया जाना है।

(ङ) सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को पहले ही सलाह दी गई है कि वे रिक्तियां उत्पन होने की तिथि से 6 महीने पहले ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नैगम अभिशासन पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने को अनिवार्य बताया गया है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा का प्रावधान करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। लोक उद्यम विभाग ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल में गैर-सरकारी निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

विवरण

उन सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची जिनके निदेशक मण्डलों में सेबी (एसईबीआई) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है।

(सितंबर, 2012 तिमाही के अंत तक)

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नाम
1	2
1.	बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड
2.	बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

1	2
3.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
5.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
6.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8.	एफ ए सी टी लिमिटेड
9.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
10.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
12.	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड
13.	एचएमटी लिमिटेड
14.	आईटीआई लिमिटेड
15.	केआईओसीएल लिमिटेड
16.	इंडियन टूरिज्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
17.	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
18.	मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
19.	एमएमटीसी लिमिटेड
20.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
21.	एनएमडीसी लिमिटेड
22.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
24.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
25.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

[अनुवाद]

स्व-रोजगार योजना

106. **श्री शिवकुमार उदासी:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने नि:शक्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए स्व-रोजगार प्रदान करने हेतु योजनाएं प्रारंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तथा श्रेणी-वार कर्नाटक सहित इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केवीआईसी का विचार देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों हेतु कोई अन्य योजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केवीआईसी गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार सृजित करने के लिए वर्ष 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना कार्यान्वित कर रहा है। पीएमईजीपी के तहत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणियों, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, पूर्व-सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्वोत्तर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लाभार्थियों इत्यादि के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। पीएमईजीपी के तहत सहायता के लिए आय की कोई उच्चतम सीमा नहीं हैं योजना में गरीबी रेखा से नीचे वाले को भी शामिल किया गया है, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहातया प्राप्त इकाइयों की राज्य-वार और श्रेणी-वार संख्या संलग्न विवरण-I, विवरण-II और विवरण-III में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) चूंकि केवीआईसी पहले से पीएमईजीपी का कार्यान्वयन कर रहा है, अलग से किसी अन्य योजना की जरूरत महसूस नहीं की गई है।

विवरण-I

2009-10 के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों की राज्य-वार और वर्ग-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	अल्प-संख्यक	सामान्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जम्मू और कश्मीर	245	180	45	2	2	196	1112	1782
2.	हिमाचल प्रदेश	122	39	59	5	3	18	239	485
3.	पंजाब	209	0	140	9	6	5	617	986
4.	चंडीगढ़	9	0	6	2	0	3	30	50
5.	उत्तराखंड	108	49	154	11	36	146	312	816
6.	हरियाणा	53	0	195	8	6	10	278	550
7.	दिल्ली	9	0	8	0	0	3	65	85
8.	राजस्थान	187	74	464	3	0	56	473	1257
9.	उत्तर प्रदेश	245	520	1482	26	10	733	1145	4161
10.	बिहार	6	0	751	4	0	17	106	884
11.	सिक्किम	4	25	27	1	0	3	0	60
12.	अरुणाचल प्रदेश	0	136	0	2	0	0	0	138
13.	नागालैंड	0	7	0	0	0	0	10	17
14.	मणिपुर	3	69	17	0	0	0	106	195
15.	मिजोरम	0	156	0	0	0	0	0	156
16.	त्रिपुरा	73	46	69	1	0	20	116	325
17.	मेघालय	1	388	3	0	0	3	4	399
18.	असम	230	466	591	10	7	346	780	2430
19.	पश्चिम बंगाल	935	503	1799	143	71	359	3387	7197
20.	झारखंड	49	42	90	3	0	28	141	353
21.	ओडिशा	229	122	521	28	3	64	968	1935
22.	छत्तीसगढ़	46	35	142	4	0	46	191	464
23.	मध्य प्रदेश	63	33	465	3	0	60	514	1138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	गुजरात*	126	95	225	5	0	5	385	841
25.	महाराष्ट्र**	455	357	780	12	2	292	1383	3281
26.	आंध्र प्रदेश	419	230	748	22	0	265	1311	2995
27.	कर्नाटक	185	45	552	12	5	156	554	1509
28.	गोवा	1	5	21	0	0	6	61	94
29.	लक्षद्वीप	0	7	0	0	0	0	4	11
30.	केरल	53	6	601	9	8	251	669	1597
31.	तमिलनाडु	472	14	2084	53	11	315	193	3142
32.	पुदुचेरी	14	2	54	3	0	0	0	73
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	12	14	1	0	0	69	96
	कुल	4551	3663	12107	382	170	3406	15223	39502

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

अ.जा.–अनुसूचित जाति

अ.जा–अनुसूचित जनजाति

अ.पि.व.–अन्य पिछड़े वर्ग

वि.–विकलांग

भू.सै.–भूतपूर्व सैनिक

सामान्य–सामान्य

विवरण-II

2010-11 के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों की राज्य-वार और वर्ग-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	अल्प-संख्यक	सामान्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जम्मू और कश्मीर	118	36	48	10	21	1153	742	2128
2.	हिमाचल प्रदेश	243	70	92	8	15	23	510	961
3.	पंजाब	213	4	146	14	5	13	428	823
4.	चंडीगढ़	29	–	–	1	–	–	–	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	उत्तराखंड	136	57	166	9	39	185	382	974
6.	हरियाणा	94	–	365	8	7	21	420	915
7.	दिल्ली	6	–	2	–	–	3	138	149
8.	राजस्थान	345	116	909	9	–	97	620	2096
9.	उत्तर प्रदेश	315	11	1661	15	8	727	1684	4421
10.	बिहार	10	2	1145	7	2	27	236	1429
11.	सिक्किम	8	19	46	–	–	–	5	78
12.	अरुणाचल प्रदेश	–	232	–	–	–	–	–	232
13.	नागालैंड	–	242	–	–	–	–	–	242
14.	मणिपुर	3	69	17	–	–	–	115	204
15.	मिजोरम	–	362	18	–	–	–	–	380
16.	त्रिपुरा	98	112	161	–	1	38	240	650
17.	मेघालय	1	296	2	–	–	2	4	305
18.	असम	365	964	1150	7	3	746	1521	4756
19.	पश्चिम बंगाल	645	51	299	38	3	585	4058	5679
20.	झारखंड	60	132	678	7	–	219	449	1545
21.	ओडिशा	308	158	711	57	4	74	1269	2581
22.	छत्तीसगढ़	145	114	535	8	–	77	697	1576
23.	मध्य प्रदेश	115	62	822	10	2	106	763	1880
24.	गुजरात*	267	179	430	17	2	117	831	1843
25.	महाराष्ट्र**	699	173	1337	18	5	1320	1293	4845
26.	आंध्र प्रदेश	288	122	1111	23	1	142	1056	2743
27.	कर्नाटक	264	62	899	13	3	199	431	1871
28.	गोवा	–	5	26	–	–	9	93	133
29.	लक्षद्वीप	5	2	6	–	–	4	8	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	केरल	136	27	567	17	6	381	603	1737
31.	तमिलनाडु	341	25	1440	46	5	174	216	2247
32.	पुदुचेरी	28	-	172	2	-	10	4	216
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	3	28	5	-	-	89	125
	कुल	5285	3707	14989	349	132	6452	18905	49819

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

अ.जा.–अनुसूचित जाति

अ.जा.–अनुसूचित जनजाति

अ.पि.व.–अन्य पिछड़े वर्ग

वि.–विकलांग

भू.सै.–भूतपूर्व सैनिक

सामान्य–सामान्य7

विवरण-III

2011-12 के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों की राज्य-वार और वर्ग-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	अल्प-संख्यक	सामान्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जम्मू और कश्मीर	52	43	45	3	15	1216	546	1920
2.	हिमाचल प्रदेश	200	56	79	13	9	30	422	809
3.	पंजाब	258	1	173	8	3	5	451	899
4.	चंडीगढ़	6	-	8	-	1	1	22	38
5.	उत्तराखंड	110	21	96	7	10	77	573	894
6.	हरियाणा	138	-	311	5	7	17	308	786
7.	दिल्ली	37	-	17	2	-	22	117	195
8.	राजस्थान	329	150	864	10	9	144	569	2075
9.	उत्तर प्रदेश	647	97	1954	39	23	1088	1721	5569
10.	बिहार	250	25	1716	20	30	125	2721	4887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	सिक्किम	9	16	39	–	–	–	–	64
12.	अरुणाचल प्रदेश	–	375	–	–	–	–	–	375
13.	नागालैंड	–	556	–	–	–	–	–	556
14.	मणिपुर	5	246	19	3	–	13	278	564
15.	मिजोरम	–	415	3	–	–	–	–	418
16.	त्रिपुरा	278	320	449	1	–	97	667	1812
17.	मेघालय	5	682	4	–	–	17	4	712
18.	असम	378	1050	1232	10	–	710	1900	5280
19.	पश्चिम बंगाल	728	79	252	48	4	1905	2790	5806
20.	झारखंड	160	199	1162	9	–	348	494	2372
21.	ओडिशा	251	106	643	39	6	67	1147	2259
22.	छत्तीसगढ़	146	130	598	4	–	82	550	1510
23.	मध्य प्रदेश	114	72	937	12	1	104	703	1943
24.	गुजरात*	231	181	481	24	1	108	837	1863
25.	महाराष्ट्र**	445	100	934	27	4	174	1021	2705
26.	आंध्र प्रदेश	127	29	726	6	2	100	682	1672
27.	कर्नाटक	302	61	893	36	6	199	355	1852
28.	गोवा	1	12	50	–	–	23	69	155
29.	लक्षद्वीप	–	12	–	–	–	–	–	12
30.	केरल	171	70	764	21	10	242	351	1629
31.	तमिलनाडु	458	11	2259	41	10	256	193	3228
32.	पुदुचेरी	15	–	53	1	–	1	2	72
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	12	60	10	–	–	122	204
	कुल	5851	5127	16821	399	151	7171	19615	55135

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

अ.जा.–अनुसूचित जाति

अ.जा.–अनुसूचित जनजाति

अ.पि.व.–अन्य पिछड़े वर्ग

वि.–विकलांग

भू.सै.–भूतपूर्व सैनिक

सामान्य–सामान्य

भूमि अधिग्रहण के मुद्दे

107. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेल परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन में विलंब हेतु एक मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित ऐसी प्रभावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्याा है; और

(ग) ऐसे गतिरोधों को दूर करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं ताकि देश में ऐसी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुकर/सरल बनाया जा सके?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) स (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्षा-जल संचयन

108. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल संचयन हेतु सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न जागरूकता अभियानों का कोई सकारात्मक परिणाम रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्षा-जल संवयन के माध्यम से भू जल के संरक्षण हेतु निर्धारित एजेंसियों/प्राधिकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्षा-जल संचयन हेतु कोई प्रशिक्षण कैम्प आयोजित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु प्रदान की गई निधियों की राज्यवार राशि कितनी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां। प्रारूप मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, जल संसाधन मंत्रालय की सूचना, शिक्षा एवं स्म्प्रेषण स्कीम ने जल संरक्षण के विषय में बेहतर जागरुकता के रूप में सकारात्मक परिणाम हासिल किया है।

(ख) वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूमि जल संरक्षण हेतु नामोदिष्ट अभिकरण—केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) देश भर में फैले अपने 18 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए कार्य करता है।

(ग) सीजीडब्ल्यूबी देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(घ) विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न जल-विज्ञानीय दशाओं में भूमि जल संवर्धन हेतु वर्षा जल संचयन संरचनाओं के डिजाइन के लिए क्षमता निर्माण के एक हिस्से के रूप में संसाधकों को प्रशिक्षण देने के लिए सीजीडब्ल्यूबी ने अब तक कुल 393 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकार के अभिकरणों तथा गैर-सरकारी संगठनों के भूमि जल पेशेवरों के लिए आयोजित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में सीजीडब्ल्यूबी ने विभिन्न राज्यों में ऐसे 56 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु पिछले तीन वर्षों में आवंटित संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सीजीडब्ल्यूबी, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दी गई राज्य-वार निधि

क्षेत्र	राज्य	आवंटित निधि (रुपये में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6
एनडब्ल्यूएचआर, जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर		120000		120000
एमईआर, पटना	बिहार एवं झारखंड		120000	60000	180000

1	2	3	4	5	6
एनसीसीआर, रायपुर	छत्तीसगढ़		120000	–	120000
एनसीआर, भोपाल	मध्य प्रदेश		120000	125000	245000
एनएचआर, धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश		120000	130000	250000
एनआर, लखनऊ	उत्तर प्रदेश		120000	–	120000
एनडब्ल्यूआर, चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़		180000	–	180000
एसडब्ल्यूआर, बंगलोर	कर्नाटक एवं गोवा		120000	–	120000
डब्ल्यूसीआर, अहमदाबाद	गुजरात		120000	150000	270000
एसईसीआर, चेन्नई	तमिलनाडु एवं पुदुचेरी		120000	125000	245000
ईआर, कोलकाता	पश्चिम बंगाल एवं लक्षद्वीप		120000	60000	180000
सीआर, नागपुर	महाराष्ट्र		120000	–	120000
एसआर, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश		120000	125000	245000
डब्ल्यूआर, जयपुर	राजस्थान		120000	126000	246000
एनईआर, गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड		180000	180000	360000
एसईआर, भुवनेश्वर	ओडिशा		120000	–	120000
यूआर, देहरादून	उत्तराखंड		120000	70000	190000
केआर, त्रिवेन्द्रम	केरल		120000	125000	245000
दिल्ली (राज्य इकाई कार्यालय)	दिल्ली		120000	–	120000
कुल			2400000	1276000	3676000

[हिन्दी]

राजस्थान के लिए ताजेवाला से पानी

109. **श्री शीश राम ओला: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2001 में हुई ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की बैठक अनुसार राजस्थान को हरियाणा में ताजेवाला शीर्ष से 3198 क्यूसेक पानी प्राप्त होना था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने राजस्थान के झुनझुनु और चुरू जिलों की सिंचाई और पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के लिए 934.70 करोड़ रुपये का अनुमान तैयार किया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जल संसाधन मंत्रालय की परामर्श समिति की 80वीं बैठक में कुछ निबंधन और शर्तें तय की गई थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त समिति द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुपालन से संबंधी सूचना राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई है; और

(छ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) ने 21.12.2001 को आयोजित अपनी 22वीं बैठक में राजस्थान को जुलाई से अक्तूबर की अवधि हेतु ताजेवाला से 1917 क्यूसेक तथा ओखला से 1281 क्यूसेक आबंटित किया था जिसका इस अवधि के लिए कुल जोड़ 3198 क्यूसेक है।

(ख) हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच राजस्थान के पश्चिम यमुना नहर के माध्यम से ताजेवाला से जल आबंटित करने के अनुरोध के संबंध में सहमति नहीं हुई है। राजस्थान को जल भेजने से संबंधित कुछ कार्यों के लिए हरियाणा के क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाना है जिसके संबंध में उन्होंने राजस्थान के ताजेवाला और ओखला से अपने हिस्से का जल प्राप्त करने संबंधी प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने उक्त अनुमान तैयार नहीं किया था। राजस्थान सरकार ने इसके झुंझुनू और चूरू जिलों में यमुना का जल प्राप्त करने संबंधी परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी।

(घ) वर्ष 1998 में सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) ने 7.2.2003 को आयोजित अपनी 80वीं बैठक में विचार करके 934.70 करोड़ रुपए हेतु स्वीकृत किया था। आगे की कार्रवाई संबंधित राज्य पर निर्भर है।

(ङ) 7.2.2003 को आयोजित टीएसी की 80वीं बैठक में प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया था:

(i) हरियाणा सरकार द्वारा अपनी सीमा क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य की लागत के संबंध में अपनी सहमति देना तथा हरियाणा और राजस्थान में निर्माण कार्य साथ-साथ शुरू किया जाना;

(ii) राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होना;

(iii) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के परामर्श से सिंचाई के बाद की अवस्था में भूमि जल स्तर की निगरानी तथा सतही और भूमि जल का संयुक्त उपयोग किया जाना;

(iv) परियोजना के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक 10 दिनों में स्रोत से सिंचाई और पेयजल आपूर्ति सफलतापूर्वक किए जाने की पुष्टि; तथा

(v) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना।

(च) सीडब्ल्यूसी से प्राप्त सूचना के अनुसार इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट उन्हें नहीं दी गई है।

(छ) ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की जुलाई 2011 में आयोजित चौथी बैठक में माननीय जल संसाधन मंत्री ने दोनों राज्यों को आवश्यकतानुसार सीडब्ल्यूसी की मदद से शीघ्रातिशीघ्र द्विपक्षीय रूप से यूवाईआरबी द्वारा ताजेवाला से राजस्थान के जल आवंटन के मुद्दे को विचार-विमर्श करके समाधान करने तथा राजस्थान के हिस्से के जल के संवहन हेतु अति उपयुक्त विकल्प ढूंढने का सुझाव दिया था तथा वे सुझाव से सहमत हो गए थे।

नई प्रौद्योगिकी

110. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खादी उद्योग को नई प्रौद्योगिकी से युक्त करने के लिए कोई पैकेज प्रदान करने का है और इस कार्य की गति में तेजी लाने का है ताकि इसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड में बदला जा सके,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खादी के विकास हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्रदान किए जाने वाले कुल पैकेज में से निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा खादी को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उद्योग बनाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी और ग्रामोद्योगों के विकास तथा संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करता है। खादी की योजनाओं में (i) बाजार विकास सहायता (एमडीए), (ii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी), (iii) परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति), (iv) खादी सुधार व विकास कार्यक्रम (केआरडीपी), (v) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना, (vi)

उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी), (vii) मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सशक्तीकरण और विपणन तंत्र हेतु सहायता और (viii) खादी उद्योग तथा कारीगरों की उत्पादकता व प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से 300 खादी संस्थानों के क्षमता निर्माण और परिष्कृत विपणन सहित खादी क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक पैकेज, खादी सुधार व विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विस्तार कार्यकलापों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) की स्थापना भी की गई है।

रेलवे स्टेशनों में कोच इंडिकेटर

111. **श्री घनश्याम अनुरागी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जोन-वार, आज की तिथि के अनुसार देश में कितने रेलवे स्टेशनों में डिजिटल कोच इंडिकेटर सिस्टम स्थापित किया जा चुका है; और

(ख) इस संबंध में भावी स्थापना हेतु पहचान किए गए स्टेशनों संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) देश में 549 रेलवे स्टेशनों पर कोच इंडिकेटर प्रणाली मुहैया कराई गई है। जोन-वार स्थिति नीचे दी गई है:

मध्य रेलवे	पूर्व रेलवे	पूर्व मध्य रेलवे	पूर्व तट रेलवे	उत्तर रेलवे	पूर्वोत्तर रेलवे	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	पश्चिम रेलवे
49	18	24	18	45	08	30	57
उत्तर मध्य रेलवे	उत्तर पश्चिम रेलवे	दक्षिण रेलवे	दक्षिण पूर्व रेलवे	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	दक्षिण मध्य रेलवे	दक्षिण पश्चिम रेलवे	पश्चिम मध्य रेलवे
16	36	63	15	16	93	34	27

(ख) नीति के अनुसार कोच इंडिकेशन बोर्ड भारतीय रेलों पर ए1 श्रेणी के स्टेशनों पर मुहैया करायी जाने वाली 'वांछनीय' यात्री सुविधा है। ए1 श्रेणी के सभी स्टेशनों पर यह प्रणाली मुहैया की गई है। इसके अलावा, स्थानीय परिस्थिति, आवश्यकता और मांग के अनुसार यह प्रणाली रेलों द्वारा अन्य स्टेशनों पर भी मुहैया कराई जाती है।

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के समीप क्षेत्रों में जहरीला पानी

112. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के समीपीय क्षेत्रों में पानी अभी भी जहरीला और हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), नागपुर ने जून, 2010 की अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि यूसीआईएल परिसर एवं यूसीआईएल परिसर के आस-पास राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) द्वारा खोदे गए गढ्ढों के कुओं के जल की निगरानी से पता चलता है कि यूसीआईएल परिसर में पड़े प्रदूषकों के रिसाव के कारण सामान्यतया जल प्रदूषित नहीं हुआ है। तथापि, यूसीआईएल परिसर के अत्यंत निकट के 5 कुओं में कीटनाशकों और/अथवा डाईक्लोरोबैंजीन का प्रदूषण पाया गया है। भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2010 में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता व भोपाल गैस रिसाव त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार की सह-अध्यक्षता में निगरानी व उपचारण कार्रवाई में सहयोग के लिए

एक ओवरसाइट समिति गठित की गई थी तथा 24 मार्च, 2011 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की मदद से एक स्वतंत्र मानंदड द्वारा नीति के माध्यम से भूजल के प्रदूषण के स्तर के संबंध में आंकड़े जुटाने का कार्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। सीपीसीबी ने उक्त उद्देश्य के लिए भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईआईटीआर), लखनऊ के माध्यम से एक अध्ययन शुरू किया है। आईआईटीआर ने भूजल के 27 नमूनों का विश्लेषण किया है। विश्लेषण रिपोर्ट में पाया गया है कि पेयजल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएस: 10500: 2004 के दिशा निर्देश में दिए गए मानकों की तुलना में 4 तथा 15 नमूनों में क्रमशः क्लोराइड एवं नाइट्रेट की मात्रा अधिक है। 27 नमूनों में से 12 नमूनों में भारी धातु, निकेल का स्तर भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा निर्देश (0.02 एमजी/ली.) से अधिक है लेकिन यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्तर (0.07 एमजी/ली.) से काफी कम है। 4 एवं 1 नमूने में क्रमशः लीड व कैडियम, अन्य भारी धातु की मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो के मानक से अधिक है। सभी नमूनों में आर्गेनिक प्रदूषकों का स्तर भारतीय मानक ब्यूरो के मानक से कम पाया गया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण

113. श्री राम सुन्दर दासः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का है जिनका लक्ष्य प्लास्टिक उपशिष्टों का पुनर्चक्रण कर इन्हें बहु-प्रयोजन उपयोगिता के साथ पुनर्चक्रीय अनुषंगी उत्पादों में परिवर्तित करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न फर्मों और लोगों को किसी योजना के अंतर्गत सहायतार्थ अनुदान और अन्य वित्तीय और अनुसंधान सहायता प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) सरकार के पास प्लास्टिक/पॉलीमर में पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान जिसमें पुनःचक्रण उद्योग भी शामिल हैं, को संवर्द्धित करने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने की योजना है। वर्तमान में, एनसीएल, पुणे व सिपेट, चेन्नई में दो उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) कार्यशील हैं और प्लास्टिक पुनःचक्रण के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी अनुसंधान कर रहे हैं। व्यक्तियों व फर्मों को अनुदान सहायता नहीं प्रदान की जाती है बल्कि पॉलीमर के क्षेत्र में मौजूदा शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों को उनकी परियोजना लागत के 50% जोकि 6.00 करोड़ रुपए से अधिक न हो, तीन वर्षों की अवधि में दिए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

लंबित बलात्कार मामले

114. **श्री बसुदेव आचार्यः**
श्रीमती सुस्मिता बाउरीः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित बलात्कार के मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि अनुसार निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रखे दी जाएगी।

बांधों में जल स्तर

115. श्री पी. विश्वनाथनः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भाखड़ा और पौंग बांध में फीट में वर्तमान जल स्तर का ब्यौरा पूर्व वर्ष में इसी समय के जल स्तर की तुलना में कितना है;

(ख) क्या भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को जल आपूर्ति में कमी की है; और

(ग) यदि हां तो कटौती की प्रमात्रा कितनी है और सिंचाई जल के उपबंध हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने सूचित किया है कि 19 नवंबर को भाखड़ा और पौंग बांधों में फीट में जल स्तर वर्ष 2011 में क्रमशः 1668.70 और 1373.69 फीट तथा वर्ष 2012 में उसी समय क्रमशः 1647.67 और 1369.03 फीट था।

(ख) और (ग) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएबी) के अनुसार संबंधित राज्यों को जल, उनके द्वारा लगाए गए आवश्यकता के अनुमान/पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधियों की तकनीकी समिति की मासिक बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक राज्य के हिस्से के आधार पर जारी किया जाता है।

उर्वरक कारखानों का जीर्णोद्धार

116. **श्री चार्ल्स डिएस:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नीति देश में उर्वरक कारखानों का जीर्णोद्धार करने की है ताकि आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल स्थित फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) संयंत्रों के जीर्णोद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एफएसीटी, केरल में विभिन्न उर्वरकों के उत्पादन की वर्तमान मात्रा कितनी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां। सरकार ने यूरिया क्षेत्र में 4 सितंबर 2008 को एक नई निवेश नीति की घोषणा की है ताकि इस क्षेत्र में अति अपेक्षित निवेश को आकर्षित किया जा सके। यह नीति आईपीपी बेंचमार्क पर आधारित है और इसे उद्योग के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। नई निवेश नीति का उद्देश्य मौजूदा यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार, विस्तार, पुनरुत्थान करना तथा ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड परियोजनाएं लगाना है। इकाइयों ने अपनी मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए अंतिम निवेश निर्णय लेने से पहले गैस के मूल्य निर्धारण और पुष्ट उपलब्धता के बारे में चिंता व्यक्त की है। अत: सरकार नई निवेश नीति 2012 का निर्माण कर रही है। मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तैयार की गई नई निवेश नीति 2012 का सीसीईए प्रारूप नोट उर्वरक विभाग के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लि. (फैक्ट) ने निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की योजना तैयार की है:–

क्र.सं.	परियोजना	क्षमता (टन प्रतिदिन)	लागत (करोड़ रुपये)
1.	एनपी विस्तार	1000	230
2.	यूरिया संयंत्र	1500	930
3.	अमोनिया-यूरिया परिसर	2800-3500	4600
4.	सल्फूरिक एसिड	2000	425

चूंकि फैक्ट के पास निधि की अत्यधिक कमी है इसलिए फैक्ट ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारी हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। प्रत्युत्तर का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) वर्ष 2011-12 के दौरान फैक्ट में उर्वरकों का वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है:–

क्र.सं.	उत्पाद	उत्पादन टन में
1.	फैक्टमफोस 22:20	622256
2.	अमोनियम सल्फेट	163468

नॉलेज पार्टनरशिप इनिशिएटिव

117. **श्री एंटो एंटोनी:** क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिस्पर्धा कानून की पहुंच को बढ़ाने के लिए नॉलेज पार्टनरशिप इनिशिएटिव (केपीआई) प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो केपीआई के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार केपीआई से संबद्ध संस्थानों का ब्यौरा क्या है?

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने देश में प्रतिस्पर्धा कानून की पहुंच बढ़ाने के लिए नॉलेज पार्टनरशिप इनिशिएटिव (केपीआई) प्रारंभ किया है।

(ख) और (ग) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने केपीआई के प्रथम चरण में, अनुसंधान ज्ञान सृजन पक्ष-समर्थन और प्रतिस्पर्धा कानून में शैक्षणिक पहुंच के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के परिप्रेक्ष्य

को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित 10 लॉ स्कूलों के साथ सितंबर, 2012 में बैठक आयोजित की:–

राज्य	भागीदार संस्थान
कर्नाटक	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनीवर्सिटी, बंगलुरु।
आंध्र प्रदेश	नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (एनएएलएसएआर), यूनीवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद।
पश्चिम बंगाल	नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता।
दिल्ली	नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी, दिल्ली।
असम	एनएलयूजेएए, गुवाहाटी।
हरियाणा	ओपी जिंदल ग्लोबल यूनीवर्सिटी, सोनीपत।
महाराष्ट्र	आईएलएस लॉ कॉलेज, पुणे।
झारखंड	नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची।
राजस्थान	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर।
पंजाब	राजीव गांधी नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला।

केपीआई के दूसरे एवं तीसरे चरणों में प्रबंधन संस्थानों एवं अन्य संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा। देश में प्रतिस्पर्धा संस्कृति के विकास में सीसीआई के सहयोगार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय बार काउंसिल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को भी भागीदार बनाने का लक्ष्य है।

ब्रह्मपुत्र पर विद्युत स्टेशन

118. **श्री नरहरि महतो:**
श्री मनोहर तिरकी:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां देश में जल उपलब्धता का मुख्य स्रोत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विद्युत स्टेशन की स्थापना की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना के निर्माण के बाद नदी के बहाव का कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं।

(ख) और (ग) विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चीन द्वारा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी (यारलुंग जांग्बु) पर जांग्मु में लगभग 510 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली एक अपवाह-जल-विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सियांग नदी (ब्रह्मपुत्र) पर टुटिंग स्थल (तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, चीन की सीमा के नजदीक) पर पिछले चार वर्ष के दौरान किए गए जलवैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण नदी प्रवाह में कमी की कोई प्रवृत्ति नहीं दर्शाता। इसके अतिरिक्त अपवाह परियोजनाएं जल का भंडारण नहीं करतीं और इस प्रकार भारत में अनुप्रवाह में जल के प्रवाह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी।

[हिन्दी]

दवाइयों के मूल्यों का निर्धारण

119. **श्री संजय दिना पाटील:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री एस. अलागिरी:
श्री राधा मोहन सिंह:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री सी.आर.पाटिल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज कंपनियां औषधियों के मूल्यों का निर्धारण कर रही हैं, फिर चाहे इनकी लागत कुछ भी हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कोई निदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने औषधि मूल्य नियंत्रण तंत्र की समीक्षा करने हेतु कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित या प्रस्तावित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित या कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन करता है। एनपीपीए मूल्य नियंत्रण के अधीन आयातित अनुसूचित फार्मूलेशनों सहित सभी फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग करता हैं औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित फार्मूलेशन (दवाई) को एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी उपभोक्ता को बेचने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

जो औषधियां, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात् गैर अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना ही निर्माता स्वयं मूल्य निर्धारित करते हैं। तथापि, मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के भाग के रूप में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। आईएमएस-स्वास्थ्य की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहां निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 10(ख) के अधीन कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा कोई अंतिम निदेश नहीं दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डीपीसीओ, 1995 में आवश्यक/जीवनरक्षक औषधियां परिभाषित नहीं हैं। तथापि, अधिसूचित अधिकतम मूल्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनपीपीए उन फार्मूलेशनों के संबंध में कंपनियों से परवर्ती बैंचौं के नियंत्रण नमूने और मूल्य सूची मंगवाता है जिनके संबंध में कंपनियों के बारे में यह पाया गया हो कि उन्होंने निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया है। इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि कंपनियां एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्यों का अनुपालन करती हैं, राज्य औषध मूल्य नियंत्रकों को सुग्राही बनाकर उनसे कहा जाता है कि वे ऐसे मामले भेजें जिनमें अधिसूचित मूल्य का पालन नहीं किया गया हो। निरंतर बाजार निगरानी के भाग के रूप में कंपनियों द्वारा अधिसूचित अधिकतम मूल्य के अनुपालन की जांच करने के उद्देश्य से विभिन्न अनुसूचित फार्मूलेशनों के नमूने भी खरीदता है।

गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के कार्य के भाग के रूप में निर्माताओं को गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में 10% वार्षिक से अधिक की वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाती है। यदि कोई कंपनी गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में 10% से अधिक वृद्धि करती है तो मूल्यों को 10% की सीमा के भीतर वापिस लाने के उद्देश्य से एनपीपीए द्वारा संबंधित कंपनियों के साथ ऐसे विशिष्ट मामले उठाए जाते हैं। यदि कोई कंपनी उपर्युक्त हिदायतों का पालन नहीं करती है तो एनपीपीए संबंधित फार्मूलेशन पैक/दवाई के मूल्य का निर्धारण करके मूल्यों में वृद्धि को 10% की अधिकतम सीमा तक रोकने हेतु कार्रवाई शुरू करता है। जो कंपनी इस प्रकार निर्धारित मूल्य का अनुपालन नहीं करती है, उसके मामले में एनपीपीए वसूली की कार्रवाई शुरू करता है।

गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर एनपीपीए ने पैरा 10(ख) के अधीन 30 फार्मूलेशन पैकों के मामले में मूल्य निर्धारित किए हैं और कंपनियों ने 65 फार्मूलेशन पैकों के मामले में स्वेच्छा से मूल्य घटाए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर गैर-अनुसूचित औषधियों के 95 पैकों के मूल्य एनपीपीए के हस्तक्षेप के परिणामतः कम हुए हैं।

रेल दुर्घटनाएं

120. **श्री जयवंत गंगाराम आवले:**
श्री बिभू प्रसाद तराई:

श्री प्रबोध पांडा:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री पी. कुमार:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री के. सुगुमार:
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
डॉ. रामचन्द्र डोम:
शेख सैदुल हक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जोन-वार पटरी से गाड़ी उतरने, टकराने, आग लगने, लेवल क्रॉसिंग के कारण प्रत्येक रेल दुर्घटना और अन्य दुर्घटनाओं और मृत यात्रियों की संख्या सहित मारे गए रेल कार्मिकों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे यात्री रेलगाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही हेतु आवश्यक जनशक्ति की अत्यधिक कमी महसूस कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रेलवे द्वारा जोन-वार पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति के कितने मामले लंबित हैं और कितनों का निपटान किया गया है और प्रदत्त की गई क्षतिपूर्ति की राशि कितनी है;

(ङ) लंबित मामलों के निपटान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने हेतु उठाए गए प्रभावी कदम क्या हैं; और

(च) रेलवे द्वारा भविष्य में रेल दुर्घटनाओं को कम करने हेतु किए गए प्रौद्योगिकीय सुरक्षा और मानव संसाधन संबंधी उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 1 अप्रैल से 15 नवम्बर, 2012 तक चालू वर्ष के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर अनाधिकार क्रॉसिंग के मामलों को छोड़कर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की जोनवार और वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:

रेलवे	2009-10	2010-11	2011-12	1 अप्रैल से 15 नवम्बर, 2012 तक
1	2	3	4	5
मध्य	13	3	5	2
पूर्व	3	5	6	1
पूर्व मध्य	15	11	7	5
उत्तर	10	16	9	4
पूर्वोत्तर	2	4	2	1
पूर्वोत्तर सीमा	7	6	7	2
उत्तर पश्चिम	4	3	4	0
दक्षिण	4	3	3	1
दक्षिण मध्य	8	6	5	4
दक्षिण पूर्व	7	8	1	2
पश्चिम	7	2	1	3

1	2	3	4	5
पूर्व तट	7	9	8	7
दक्षिण पश्चिम	4	4	2	4
पश्चिम मध्य	2	2	7	3
उत्तर मध्य	6	8	9	2
दक्षिण पूर्व मध्य	1	1	1	1
मेट्रो रेलवे	0	1	0	0
कोंकण रेलवे	0	1	0	0
कुल	100	93	77	42

*आंकड़े अनंतिम हैं।

उपर्युक्त परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं जो 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 1 अप्रैल से 15 नवम्बर, 2012 तक चालू वर्ष के दौरान घटीं, का कारणवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

कारण	2009-10	2010-11	2011-12	1 अप्रैल से 15 नवम्बर, 2012 तक*
रेल कर्मचारियों की चूक	63	56	52	26
रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों की चूक	10	9	9	4
उपकरणों की विफलता	6	5	5	2
तोड़फोड़	14	16	6	3
मिले जुले कारक	1	3	1	0
आकस्मिक	4	4	3	5
प्रमाणित नहीं किया जा सका	2	0	1	1
जांच-पड़ताल की जा रही है	0	0	0	1
कुल	100	93	77	42

*आकड़े अनंतिम हैं।

2009-10, 2010-11, 2011-12 और 1 अप्रैल से 15 नवम्बर, 2012 तक चालू वर्ष के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर अनाधिकार क्रॉसिंग के मामलों को छोड़कर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों और रेल कर्मचारियों की संख्या सहित जोनवार और वर्षवार हताहतों की संख्या निम्नानुसार है:

क्षेत्रीय रेल	2009-10			2010-11			2011-12			1 अप्रैल से 15 नवम्बर, 2012 तक		
	यात्री	रेल कर्मचारी	कुल	यात्री	रेल कर्मचारी	कुल	यात्री	रेल कर्मचारी	कुल	यात्री	रेल कर्मचारी	कुल
मध्य	1	1	2				2		2	1		1
पूर्व				63	3	66	5	1	6			
पूर्व मध्य	4		4				9		9			
उत्तर										4		4
पूर्वोत्तर	16		16		1	1						
पूर्वोत्तर सीमा				1		1	3		3			
उत्तर पश्चिम	7		7									
दक्षिण		1	1				8	3	11			
दक्षिण मध्य								2	2	30		30
दक्षिण पूर्व	2		2	146	4	150*					1	1
पश्चिम												
पूर्व तट								10	10			
दक्षिण पश्चिम								1	1	26		26
पश्चिम मध्य				24		24	2		2			
उत्तर मध्य	37	2	39	1		1	71		71@			
दक्षिण पूर्व मध्य											1	1
कुल	67	4	71	235	8	243	100	17	117	61	2	63

*इसमें तोड़फोड़ के कारण खड़गपुर के निकट 28.05.2010 को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने और टक्कर होने के कारण 150 व्यक्तियों की मृत्यु शामिल है।

@उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद मण्डल के मालवां स्टेशन पर 10.07.2011 को कालका मेल के पटरी से उतरने के कारण 71 व्यक्तियों की मृत्यु शामिल है।

(ख) और (ग) पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। रेल प्रशासन की नीति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों को शीघ्र भरना है। संरक्षा और परिचालन से संबंधित पदों सहित 1,90,000 पदों को भरने के लिए अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

(घ) भारतीय रेल अधिनियम, 1989 के अनुच्छेद 124 के तहत परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति पीड़ितों द्वारा रेल दावा अधिकरण में दावा दायर करने और अधिकरण द्वारा डिक्री दिए जाने के बाद ही दी जाती है। 15.11.2012 की स्थिति के अनुसार, रेल दावा अधिकरण की विभिन्न बेंचों में रेल अधिनियम के अनुच्छेद 124 के तहत गाड़ी दुर्घटनाओं में मृत्यु/घायल होने के कुल 429 दावा संबंधी मामले लंबित हैं। 2009-10 से 2011-12 और 1 अप्रैल से 15 नवम्बर, 2012 तक चालू वर्ष के दौरान निपटाए गए ऐसे क्षतिपूर्ति दावा के मामलों की संख्या और गाड़ी दुर्घटनाओं में मृत्यु होने/चोट लगने के कारण दी गई क्षतिपूर्ति की राशि का वर्षवार और जोनवार विवरण निम्नानुसार है:

जोन	2009-10		2010-11		2011-12		1 अप्रैल से 15 नवम्बर, 2012 तक	
	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई क्षतिपूर्ति की राशि (लाख रुपए में)	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई क्षतिपूर्ति की राशि (लाख रुपए में)	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई क्षतिपूर्ति की राशि (लाख रुपए में)	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई क्षतिपूर्ति की राशि (लाख रुपए में)
मध्य	60	118.06	7	17.60	5	2.51	3	10.13
पूर्व	4	25.12	5	20.00	93	190.19	37	70.63
पूर्व मध्य	1	3.05	2	4.07	–	–	3	8.31
उत्तर	6	12.73	17	64.28	6	16.31	13	17.85
पूर्वोत्तर	5	2.85	3	5.87	8	1082	7	22.11
पूर्वोत्तर सीमा	–	–	–	–	3	0.80	–	–
उत्तर पश्चिम	–	–	–	–	–	–	–	–
दक्षिण	–	–	23	13.39	15	11.72	46	44.53
दक्षिण मध्य	23	69.40	15	42.06	1	0.14	–	–
दक्षिण पूर्व	1	0.10	91	261.83	107	218.16	11	13.00
पश्चिम	2	4.40	5	19.36	6	13.77	6	18.49
पूर्व तट	–	–	10	77.81	–	–	–	–
दक्षिण पश्चिम	–	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम मध्य	–	–	–	–	9	28.51	12	36.00
उत्तर मध्य	7	28.40	9	44.00	–	–	–	–
दक्षिण पूर्व मध्य	2	0.50	–	–	2	4.78	1	2.70
कुल	111	264.61	187	570.27	255	497.71	139	243.75

नोट: किसी वर्ष दी गई क्षतिपूर्ति आवश्यक रूप से उस वर्ष की दुर्घटनाओं से संबंधित नहीं है। क्षतिपूर्ति की राशि किसी विशेष वर्ष में अंतिम रूप दिए गए मामलों और किए गए भुगतान से संबंधित है।

(ङ) रेल दावा अधिकरण रेलवे से स्वतंत्र एक अर्द्धन्यायिक संस्था है। दावों को निपटाने की न्यायिक प्रक्रिया में विभिन्न चरण जैसे, लिखित बयान देना, साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करना शामिल होते हैं जो एक औपचारिक प्रक्रिया है और उनमें समय लगता है। क्षतिपूर्ति संबंधी दावों के निपटान में लगने वाला समय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

रेलें गाड़ी दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति के दावों के शीघ्र निपटान के लिए अपनी ओर से सभी प्रयास करती हैं। दुर्घटना से संबंधित क्षतिपूर्ति के दावों को दायर करने में सहायता करने और रेल दावा अधिकरण द्वारा डिक्री देने तक उनकी निगरानी करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्यालयों में एक दुर्घटना कक्ष की स्थापना की गई है। डिक्री पास किए जाने के बाद शीघ्रातिशीघ्र डिक्री की राशि रिलीज कर दी जाती है।

(च) भारतीय रेलों द्वारा संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं से बचने और संरक्षा में वृद्धि करने के लिए निरंतर सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। इनमें गतायु परसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनल और अंतर्पाशन प्रणाली, संरक्षा अभियान को उन्नत करने और उनके अनुरक्षण के लिए उपयुक्त तकनीक अपनाना और संरक्षा संबंधी कार्यों के अनुपालन के लिए कर्मचारियों पर निगरानी रखने और उन्हें शिक्षित करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण शामिल हैं। दुर्घटनाओं से बचने के लिए आरंभ किए जा रहे संरक्षा उपकरणों/प्रणालियों में ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर्स (बीपीएसी), सहायक चेतावनी प्रणाली, सतर्कता नियंत्रण उपकरण, गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली, गाड़ी टक्कररोधी उपकरण आदि शामिल हैं।

दुर्घटनाओं से बचने के लिए जनशक्ति के विकास के लिए किए गए उपायों में प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के लिए आरंभिक, पुनश्चर्या, पदोन्नति संबंधी और विशिष्ट पाठ्यक्रम वाले सुनिर्धारित प्रशिक्षण योजना शामिल है। संरक्षा कोटि के कर्मचारियों को 3 से 5 वर्षों की अवधि पर अनिवार्य रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। तकनीकी परिवर्तनों और चालू कार्यों में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण मापदण्ड में आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है। संरक्षा कोटि के कर्मचारियों का निर्धारित अंतराल पर अनिवार्य रूप से चिकित्सकीय जांच भी की जाती है।

नए जोन/डिवीजन

121. **श्री यशवंत लागुरी:**
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का देशभर में नए जोन/डिवीजनों की स्थापना करने और/अथवा विद्यमान जोन और डिवीजनों के क्षेत्राधिकार को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय रेलवे में फिलहाल किसी नए जोन/मंडल के सृजन या मौजूदा/मंडलों के अधिकार-क्षेत्र के पुनर्गठन करने की कोई योजना नहीं है। बहरहाल, भारतीय रेलों पर नए जोनों और मंडलों के गठन के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों/विधायकों आदि से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में रेलवे की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने और प्रस्तावित नए जोनों एवं मंडलों के सृजन की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है। बहरहाल, नए जोनों एवं मंडलों के सृजन अथवा मौजूदा जोनों एवं मंडलों के पुनर्गठन की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

स्वच्छ पेयजल

122. **श्री कौशलेन्द्र कुमार:**
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री दत्ता मेघे:
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री सोमेन मित्रा:
श्री रामकिशुन:
श्री बदरुद्दीन अजमल:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्वच्छ पेयजल के संबंध में पूर्णरूपेण शामिल, आंशिक रूप से शामिल और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पेयजल स्कीमों के तहत राज्य-वार आबंटित और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्राप्त की गई वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) की अद्यतन समीक्षा के क्या परिणाम हैं;

(ङ) इस स्कीम के तहत जारी की गई निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं; और

(च) देश में सभी गांवों/बसावटों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय में ऑन-लाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) है जिसमें राज्यों ने पूर्णतः कवर की गई, आंशिक रूप से कवर की गई और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के रूप में पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुविधा के मामले में ग्रामीण बसावटों की स्थिति की जानकारी दी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पेयजल योजनाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्य-वार आबंटित एवं उपयोग की गई निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) दिनांक 25, 26 एवं 29 अक्टूबर, 2012 को एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन की राज्यवार समीक्षा की गई। जहां एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग सामान्यतः संतोषजनक था, वहीं कुछ राज्यों में योजनाओं एवं क्रिया-कलापों के कार्यान्वयन में वास्तविक प्रगति में सुधार की आवश्यकता थी।

(ङ) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्य सरकारों को पेयजल आपूर्ति योजनाएं बनाने, निष्पादित, कार्यान्वित एवं परिचालित करने की शक्तियां दी गई हैं। प्राथमिकता के आधार पर आंशिक रूप से कवर की गई एवं गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने और ऑनलाइन आईएमआईएस में लक्षित बसावटों को चिह्नित करने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं, निर्माण कार्यों एवं क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को वार्षिक कार्य योजनाएं बनानी होती हैं। मंत्रालय बसावटों की कवरेज, योजनाओं एवं क्रिया-कलापों को पूरा करने के रूप में आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट मासिक रिपोर्टों के जरिए कार्यक्रम की समीक्षा करके निधियों के समुचित उपयोग की निगरानी करता है। निधियों के उपयोग एवं लक्ष्य हासिल करने में तेजी लाने के संबंध में राज्यों से अनुरोध करने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी राज्य सचिवों की बैठक, क्षेत्रीय समीक्षा बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि आवधिक रूप से आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी/क्षेत्र अधिकारी/तकनीकी अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय की लेखापरीक्षा प्रति वर्ष की जाती है।

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत भारत सरकार ग्रामीण आबादी को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। वर्ष 2012-13 में एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 10,500 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, आंशिक रूप से कवर की गई एवं गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 5 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी आबंटन उन राज्यों के लिए निर्धारित एवं आबंटित किया जाता है जो पेयजल में रासायनिक संदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं अथवा जहां जापानी इन्सेफलाइटिस और एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं। राज्यों ने वर्ष 2012-13 में 1,15,139 आंशिक रूप से कवर की गई एवं 26521 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने का लक्ष्य तय किया है।

विवरण-I

दिनांक 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार पेयजल आपूर्ति के संबंध में ग्रामीण बसावटों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल बसावटें	बसावटें		
			पूर्णतः कवर की गई	आंशिक रूप से कवर की गई	गुणवत्ता प्रभावित
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	72387	44463	27528	396
2.	बिहार	107642	82203	10859	14580

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	72231	36801	26615	8815
4.	गोवा	347	302	45	0
5.	गुजरात	34415	33127	1014	274
6.	हरियाणा	7385	5893	1475	17
7.	हिमाचल प्रदेश	53201	42476	10725	0
8.	जम्मू और कश्मीर	13938	6062	7846	30
9.	झारखंड	119191	114308	4471	412
10.	कर्नाटक	59575	21333	32367	5875
11.	केरल	11883	10949	0	934
12.	मध्य प्रदेश	127197	83565	40843	2789
13.	महाराष्ट्र	100683	87448	11564	1671
14.	ओडिशा	141928	73988	55475	12465
15.	पंजाब	15170	12316	2821	33
16.	राजस्थान	121133	70876	23528	26729
17.	तमिलनाडु	94614	84115	9971	528
18.	उत्तर प्रदेश	260110	245390	13838	882
19.	उत्तराखंड	39142	26997	12128	17
20.	पश्चिम बंगाल	95395	86205	3742	5448
21.	अरुणाचल प्रदेश	5612	2630	2867	115
22.	असम	86976	47220	23777	15979
23.	मणिपुर	2870	1589	1281	0
24.	मेघालय	9326	4903	4326	97
25.	मिजोरम	777	711	66	0
26.	नागालैंड	1460	1015	315	130
27.	सिक्किम	2498	1805	693	0
28.	त्रिपुरा	8132	2032	165	5935
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	491	434	57	0

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	18	18	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	70	0	70	0
32.	दमन और दीव	21	0	21	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	9	0	9	0
35.	पुदुचेरी	248	237	2	9
	कुल	1666075	1231411	330504	104160

विवरण-II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत अवशेष, आबंटन, रिलीज और व्यय (करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा. क्षेत्र	2009-10				2010-11				2011-12				2012-13			
		अवशेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	अवशेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	अवशेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	अवशेष	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	51	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	4.05	437.09	537.37	394.45	149.79	491.02	558.74	423.38	285.20	546.32	462.47	446.37	301.30	563.39	238.03	266.38
2.	अरूणाचल प्रदेश	27.47	180.00	178.20	193.80	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31	10.09	143.51	66.18	34.31
3.	असम	4.85	301.60	323.50	269.34	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61	127.51	510.96	266.72	267.74
4.	बिहार	668.94	372.21	186.11	279.36	578.10	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	367.30	285.65	449.36	120.39	172.25
5.	छत्तीसगढ़	27.59	116.01	128.22	104.06	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	143.57	139.06	141.12	80.82	145.01	64.50	62.34
6.	गोवा	0.00	5.64	3.32	0.50	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.20	5.01	1.16	5.91	6.07	0.03	0.00
7.	गुजरात	92.11	482.75	482.75	511.83	70.10	542.67	609.10	527.29	180.09	478.89	571.05	467.70	327.59	381.10	537.10	399.06
8.	हरियाणा	0.00	207.89	206.89	132.35	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71	43.98	245.78	230.95	115.21
9.	हिमाचल प्रदेश	8.31	138.52	182.85	160.03	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97	61.94	152.04	25.93	52.74
10.	जम्मू और कश्मीर	239.56	447.74	402.51	383.49	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07	147.04	510.76	233.82	203.15
11.	झारखंड	64.94	149.29	111.34	86.04	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84	74.31	189.51	85.66	52.08
12.	कर्नाटक	32.05	573.67	627.86	473.71	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	687.11	667.78	782.85	213.14	681.57	587.24	222.31
13.	केरल	1.36	152.77	151.89	150.56	4.15	144.28	159.83	137.97	27.84	144.43	113.39	126.98	16.08	168.89	82.05	61.26
14.	मध्य प्रदेश	107.42	367.66	379.66	354.30	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.97	292.78	379.30	35.82	438.41	202.90	166.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	51	16	17	18
15.	महाराष्ट्र	204.24	652.43	647.81	625.59	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.20	320.10	783.66	474.42	179.31
16.	मणिपुर	16.70	61.60	38.57	30.17	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03	9.29	63.72	27.33	1.03
17.	मेघालय	0.62	70.40	79.40	68.57	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44	36.83	73.35	33.61	28.03
18.	मिजोरम	17.43	50.40	55.26	51.11	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03	9.74	41.66	19.26	17.95
19.	नागालैंड	29.61	52.00	47.06	71.58	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82	1.10	60.42	28.35	23.44
20.	ओडिशा	25.85	187.13	226.66	198.87	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.60	84.34	238.58	104.35	70.09
21.	पंजाब	19.18	81.17	88.81	110.15	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32	3.00	90.33	83.36	30.96
22.	राजस्थान	3.88	1036.46	1012.16	671.29	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18	319.68	1340.44	626.96	282.08
23.	सिक्किम	9.92	21.60	20.60	28.94	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49	49.71	18.03	8.38	8.34
24.	तमिलनाडु	57.24	320.43	317.95	370.44	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.60	240.27	294.33	144.60	279.47
25.	त्रिपुरा	18.92	62.40	77.40	77.35	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39	4.01	64.28	28.90	28.29
26.	उत्तर प्रदेश	173.71	959.12	956.36	967.38	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.30	802.32	754.20	159.90	878.77	390.94	282.00
27.	उत्तराखंड	42.77	126.16	124.90	67.24	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65	141.74	158.40	3.78	62.43
28.	पश्चिम बंगाल	69.20	372.29	394.30	87.76	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41	265.96	462.27	143.96	179.64
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	1.15	0.58	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़					0.00	0.40			0.00	0.00	0.00		0.00	1.75	0.00	0.00
	कुल	1967.92	7986.43	7989.72	6920.26	3043.88	8550.00	8941.81	8078.18	3901.61	8330.00	8474.02	9079.65	3376.85	9313.50	4664.80	3548.12

जैसा कि 17.11.2012 को IMIS पर सूचित किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाएं

123. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:**
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) ऐसी किसी परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने के क्या मानदंड हैं;

(ग) ओडिशा की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किए जाने के योग्य हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इंदिरा सागर और डॉ. अम्बेडकर प्रणहिता-चेवेला परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7.2.2008 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम का अनुमोदन किया तथा 1 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में भी अनुमोदित किया है। हाल ही में (अगस्त, 2012 को) एक अन्य परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम में शामिल किया गया है।

(ख) एक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने से संबंधित मानकों का वर्ष 2009 के दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है और उसे वर्ष 2012 में संशोधित किया गया था, जिसका विवरण संलग्न है।

(ग) ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम में शामिल करने के लिए रेंगाली सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब राज्य सरकार ने जेआईसीए की सहायता से परियोजना की बांयी तटीय नहर (एलबीसी) का निर्माण करने का निर्णय लिया है। बाकी परियोजना 2,00,000 है, से अधिक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का मानदंड पूरा नहीं करती है। अत: प्रस्ताव को जून, 2012 में राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया था।

(घ) जी हां।

(ङ) एक नई परियोजना को सहायता प्राप्त करने हेतु इसकी पात्रता का पता लगाने, व्यय वित्त समिति/परियोजना निवेश बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने तथा उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा इसके संबंध में सिफारिश किए जाने तथा तत्पश्चात् केन्द्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी प्राप्त करने के बाद एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया जाता है।

राज्य सरकार को इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना के संशोधित लागत अनुमान हेतु निवेश स्वीकृति योजना आयोग से प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार को डॉ. अम्बेडकर प्रणहिता चेवेला परियोजना के लिए भी निवेश स्वीकृति योजना आयोग से प्राप्त करनी होगी।

विवरण

राष्ट्रीय परियोजना के रूप में चयन करने के मानदंडों का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) अंतर्राष्ट्रीय परियोजना जहां संधि के तहत भारत में जल का इस्तेमाल किया जाना अपेक्षित हो अथवा जहां परियोजना की आयोजना बनाकर शीघ्र पूरा करना देश के हित में हो।

(ख) अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जो लागतों के बंटवारे, पुनर्वास, विद्युत उत्पादन संबंधी पहलुओं इत्यादि से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान न किए जाने के कारण लंबित हैं, जिनमें नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना शामिल है।

(ग) अंत:राज्यीय परियोजनाएं जिनकी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 200,000 हे. से अधिक है तथा जिनके जल के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद नहीं है तथा जहां जलविज्ञान स्थापित है।

(घ) विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं जिनमें 2.0 लाख हे. या इससे अधिक खोई हुई सिंचाई क्षमता का पुनरुद्धार किए जाने की परिकल्पना की गई हो तो कुछ शर्तों के अधीन एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किए जाने की पात्र होगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों द्वारा पूंजी निवेश

124. **श्रीमती ज्योति धुर्वे:**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**
श्री सी. शिवासामी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के पास कुल कितनी पूंजी उपलब्ध है जिनका निवेश किया जा सकता है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस पूंजी की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है;

(ग) क्या सीपीएसई को सलाह दी गई है कि वे अपनी अधिशेष निधि से देश के विकास के लिए पूंजी निवेश करे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उन क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां ऐसी अधिशेष निधि का निवेश किया जाएगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) दिनांक 28.02.2012 को संसद में रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण (2010-11) में दर्शाए गए अनुसार वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास नकद और बैंक शेष के रूप में कुल उपलब्ध पूंजी रु. 284153.22 है जिसका कार्यगत पूंजी अपेक्षाओं और अप्रत्याशित व्ययों के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की आवश्यकताओं के अध्यधीन निवेश किया जा सकता है।

(ख) दिनांक 28.2.2012 को संसद में रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण (2010-11) में दर्शाए गए अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान रिजर्व/अधिशेष के संदर्भ में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास पूंजी तालिका-I में इस प्रकार है:

तालिका-I

(रु. करोड़ में)

वर्ष	रिजर्व/अधिशेष	वृद्धि दर
2007-07	485540.12	
2008-09	536212.28	1.10
2009-10	605637.01	1.13
2010-11	665487.72	1.10

स्रोत: लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2010-11

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा पूंजीगत निवेश उनकी नैगम योजना, विभिन्न प्रशासनिक निकासी, बाजार की परिस्थितियों तथा संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय पर निर्भर करता है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 3.1.2012 को आयोजित बैठक में 17 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश करने की बचनबद्धता की जिसे तालिका-II में दर्शाया गया है।

तालिका-II

चयनित (17) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अनुमानित निवेश

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम	नकद एवं बैंक शेष 2010-11	वर्ष 2012-13 के दौरान अनुमानित निवेश
1	2	3	4
1.	ओएनजीसी	28616.56	40,975
2.	ओआईएल	11769.28	10,378
3.	गेल	2131.35	9,447
4.	आईओसीएल	1294.42	10,000
5.	एमआरपीएल	2415.11	6,817
6.	ईआईएल	302.66	1,013
7.	सेल	17478.86	14,500
8.	एनएमडीसी	147.89	4,655
9.	पीजीसीआईएल	3680.06	20,000
10.	एनएचपीसी	2864.14	4,097
11.	एनटीपीसी	16185.26	20,995
12.	सीआईएल	11659.52	10,275
13.	एनएलसी	4420.73	1,687
14.	कोंकोर	2295.68	1,652
15.	नाल्को	3795.23	2,345
16.	बीएचईएल	9630.15	3,287
17.	बीईएल	6519.35	1,724

स्रोत: लोक उद्यम सर्वेक्षण 2010-11 एवं समझौता ज्ञापन

[अनुवाद]

एमजीएनआरईजीएस के तहत कार्य दिवस

125. **डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
श्री यशवीर सिंह:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री नीरज शेखर:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सूखा प्रभावित राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) के तहत गारंटित मजदूरी के 100 दिनों को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 150 दिन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार निर्धारित और जारी की गई अतिरिक्त निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस स्कीम के तहत लाभार्थियों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ङ) इस नयी स्कीम को कब तक लागू कर दिया जाएगा और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई मांग आधारित योजनाओं के रूप में लागू किए जाते हैं। इस तत्य को जानते हुए कि देश के कुछ हिस्सों में बारिश सामान्य से कम हुई है और इससे मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग बढ़ सकती है, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए एक आकस्मिकता योजना बनाने के लिए पत्र लिखा है। राज्यों को यह आश्वासन दिया गया है कि सूखे जैसी स्थितियों में केन्द्र सरकार रोजगार की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में श्रम बजट में संशोधन करने के लिए तैयार रहेगी। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि वे कार्य की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए जल और मृदा संरक्षण कार्यों पर जोर देते हुए परियोजनाओं की अनुपूरक सूची तैयार करें ताकि अल्पवृष्टि के प्रभाव को कम किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ, मंत्रालय ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए गए तालुकों/ब्लॉकों में पंजीकृत परिवारों को वित्त वर्ष 2012-13 में मनरेगा के अंतर्गत 50 दिनों तक का अतिरिक्त रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।

(ग) से (ङ) मनरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है और इसमें निधियों का निर्धारण नहीं किया जाता है। मनरेगा के प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा बनाई एवं कार्यान्वित की जाने वाली मांग आधारित योजनाओं के रूप में लागू किए जाते हैं। अभी तक, 100 दिनों से अधिक दिनों के श्रम दिवस पर किए गए खर्च के लिए राज्यों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है, जिसके आधार पर निधियों का केन्द्रीय अंश मुहैया कराया जाएगा।

जाली कंपनियां

126. **श्री नीरज शेखर:**
श्री यशवीर सिंह:

क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़ी संख्या में विभिन्न फर्जी कंपनियां चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पता लगाई गई इन जाली कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों के निदेशक मंडलों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, तो उसका कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकरण या निगमन के बिना चलाई जा रही कंपनियों को "जाली कंपनियां" माना जाता है। पिछले 3 वर्षों में निम्नलिखित 4 जाली कंपनियों का पता चला है:-

(i) मैसर्स स्पीकएशिया ऑनलाइन;

(ii) मैसर्स पूर्वांचल कृषि विनन कॉर्पोरेशन लिमिटेड;

(iii) मैसर्स वंडर्स हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड;

(iv) मैसर्स प्रीसेप्टर नॉलेज अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड।

मैसर्स स्पीकएशिया ऑनलाइन के मामले में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। अन्य तीन कंपनियों के मामले में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), कानपुर में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 631 के अधीन अभियोग दायर किया है।

रेलवे में निजी निवेश

127. **श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेल की अवसंरचना में सुधार लाने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रेलवे द्वारा उठाए जा रहे/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ऐसे सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने देश में रेल अवसंरचना के विकास के लिए स्पेन आदि जैसे अन्य देशों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे समझौते के तहत विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) रेल संपर्क सुदृढ़ीकरण और क्षमता संवर्द्धन के संबंध में ड्राफ्ट नीति पर विचार किया जा रहा है इस नीति में रेल अवसंरचना में सुधार लाने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु कतिपय सहभागी मॉडलों के बारे में विचार किया गया है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए परियोजना निष्पादन के लिए अधिकांश क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। इनमें एलीवेटिड रेल कॉरीडोर (चर्चगेट-विरार), हाई स्पीड कॉरीडोर, स्टेशनों का पुनर्विकास, लॉजिस्टिक पार्क, निजी फ्रेट टर्मिनल, टर्मिनल विकास संबंधी योजना, ऑटोमोबाइल एवं एन्सिलेरी हब का विकास, उदारीकृत वैगन निवेश योजना, वैगन को पट्टे पर दिए जाने संबंधी योजना, ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर्स योजना, विशेष फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर्स योजना, पोर्ट कनेक्टिविटी, समर्पित माल गलियारे और इंजन एवं सवारी डिब्बा निर्माण इकाइयों आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) देश में रेलवे सेक्टर के प्रभावपूर्ण विकास एवं आधुनिकीकरण में सहयोग के लिए बेल्जियम, ऑस्ट्रिया एवं स्पेन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सहयोग कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, हाई स्पीड, सिगनल प्रणाली आदि की शुरुआत के लिए परस्पर सहयोग संबंधी संगत सूचना एवं सेवाओं का आदान-प्रदान शामिल है।

सिंचाई परियोजनाओं में देरी

128. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री आनंदराव अड़सुल:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 163 से अधिक सिंचाई परियोजनाओं में अत्यधिक देरी हुई है जिसके कारण किसानों को फसलों के लिए जीवनरक्षक जल से वंचित रहना पड़ा, खाद्य सुरक्षा कमजोर हुई और इसने इन्हें विपन्नता की ओर धकेल दिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; बड़ी और मझौली परियोजनाओं के पूरे होने में विलंब होने के राज्य-वार कारण क्या हैं;

(ग) उन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनमें भूमि अधिग्रहण न हो पाने और जमीन से बेदखल किए गए लोगों का पुनर्वास न किये जाने के कारण विलंब हुआ तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में सृजित सिंचाई क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में सृजित की जाने वाली सिंचाई क्षमता का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) 11वीं योजना तैयार करने बृहत, मध्यम सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास संबंधी कार्य समूह को 11वीं योजना के अंत तक चल रही 287 बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 163 बृहत/मध्यम परियोजनाओं को पूरा किए जाने की सामान्य अवधि से विलंब वाली माना जा सकता है जिसमें बृहत परियोजनाओं में 10-15 वर्ष तथा मध्यम परियोजनाओं में 5-8 वर्ष का विलंब माना जा सकता है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त 287 परियोजनाओं में से 73 परियोजनाओं में (31 योजना आयोग द्वारा अनुमोदित एवं 42 गैर अनुमोदित) भूमि अधिग्रहण में देरी और निर्वासित हुए लोगों के पुनर्वास के कारण विलंब नहीं हुआ है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को उनके अनुरोध और एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुमोदित चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है।

(घ) और (ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सृजित की जाने वाली लक्षित क्षमता में से बृहत एवं मध्यम परियोजनाओं से 5.0 एमएचए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन प्रत्याशित है। 12वीं याोजना के दौरान "12वीं योजना हेतु बृहत एवं मध्यम सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास संबंधी कार्य समूह" ने बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 7.9 एमएचए अतिरिक्त सिंचाई

क्षमता का सृजन और बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण द्वारा 2.2 एमएचए खोई हुई सिंचाई क्षमता की पुनर्प्राप्ति का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र राज्य के विषय में, 12वीं योजना तैयार करने हेतु अतिरिक्त सिंचाई क्षमता और खोई हुई सिंचाई क्षमता का प्रस्तुत किया गया ब्यौरा क्रमशः 1.34 एमएचए और 0.0005 एमएचए है।

विवरण-I

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सूचित की गई चल रही परियोजनाओं का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा (पूरा होने की सामान्य प्रारंभिक अवधि के बाद विलंब)

(राशि करोड़ में, क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना का प्रकार	योजना आयोग द्वारा अनुमोदन की स्थिति	प्रारंभ होने का वर्ष	विलंब के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	एएमआर एसएलबीसी परियोजना	बृहत	यूए	1983	एलएक्यू
2.	आंध्र प्रदेश	इनद्रम्मा बाढ़ प्रवाह परियोजना	बृहत	यूए	1997	एलएक्यू और आर एवं आर
3.	आंध्र प्रदेश	एनटीआर तेलगू गंगा परियोजना (फाइनल)	बृहत	एपीडी	1983	एलएक्यू एवं वन भूमि
4.	आंध्र प्रदेश	जगन्नाथपुर परियोजना में पेड्डावागू डाइवर्जन स्कीम	मध्यम	एपीडी	2004	एलएक्यू एवं वन भूमि
5.	आंध्र प्रदेश	श्री कोमारमभीम परियोजना	मध्यम	एपीडी	2004	एलएक्यू एवं वन भूमि और आर एवं आर
6.	आंध्र प्रदेश	श्री राम सागर परियोजना चरण-II	बृहत	एपीडी	1995	एलएक्यू
7.	आंध्र प्रदेश	श्री सैलम दायां किनारा नहर	बृहत	एपीडी	1982	एलएक्यू और निधि की कमी
8.	असम	बोरोलिया	मध्यम	यूए	1980	निधि की कमी, एलएक्यू, कानून व्यवस्था
9.	असम	चम्पावती	बृहत	एपीडी	1980	एलएक्यू, कानून व्यवस्था
10.	असम	धनश्री	बृहत	एपीडी	1976	दंगाग्रस्त क्षेत्र
11.	बिहार	बताने जलाशय परियोजना	मध्यम	एपीडी	1976	एलएक्यू, अंतरराज्यीय समस्या और निधि की कमी
12.	बिहार	बटेश्वरस्थान पंप नहर स्कीम	बृहत	यूए	1978	1989 तक निधि की कमी, एलएक्यू, अंतरराज्यीय समस्या

1	2	3	4	5	6	7
13.	बिहार	दुर्गावती जलाशय परियोजना	बृहत	एपीडी	1976	वन स्वीकृति में विलंब, निधि की कमी, स्थानीय लोगों द्वारा व्यवधान
14.	बिहार	उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना	बृहत	यूए	1971	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति, एलएक्यू, अन्तर्राज्यीय मुद्दे
15.	बिहार	तिलैया धाधर डाइवर्जन स्कीम	बृहत	यूए	1979	अन्तर्राज्यीय समस्या, एलएक्यू, कार्यक्षेत्र में बदलाव
16.	छत्तीसगढ़	सोंदुर जलाशय परियोजना	बृहत	यूए	1978	वनस्वीकृति न मिलना और निधि की कमी
17.	छत्तीसगढ़	सुतियापट मध्यम परियोजना	मध्यम	यूए	2003	अभिकरण नियत करने में विलंब
18.	गोवा	टिल्लारी	बृहत	यूए	1987	एलएक्यू, अपर्याप्त निधि, परियोजना की समीक्षा
19.	गुजरात	अजी IV	मध्यम	यूए	1998	एलएक्यू
20.	गुजरात	कोलियरी	मध्यम	एपीडी	1996	पीएपी समस्या
21.	गुजरात	ओजट II	मध्यम	एपीडी	1995	स्टोन क्वरी की अनुपलब्धता
22.	गुजरात	सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना	बृहत	एपीडी	1987	एलएक्यू
23.	झारखंड	गढ़ी जलाशय स्कीम	मध्यम	यूए	2001	जलाशय क्षेत्र में कोयले की खानों की अवस्थिति के कारण कोयला मंत्रालय से स्वीकृति प्रतीक्षितं
24.	झारखंड	कोनार सिंचाई परियोजना	बृहत	यूए	1975	नहर सुरंग मार्ग में संविदात्मक समस्या
25.	झारखंड	उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना	बृहत	यूए	1973	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति, अन्तर्राज्यीय मुद्दे
26.	झारखंड	पुनासी जलाशय स्कीम	बृहत	यूए	1982	वन स्वीकृति और आर एवं आर
27.	झारखंड	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	बृहत	एपीडी	1978	निधि की कमी
28.	झारखंड	सुरू जलाशय स्कीम	मध्यम	यूए	1982	एलएक्यू
29.	कर्नाटक	अमरजा परियोजना	मध्यम	यूए	1973	आरबीसी और एलबीसी में सुधार
30.	कर्नाटक	बासापुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	मध्यम	यूए	1992	टीएसी द्वारा अभी स्वीकृति दी जानी है
31.	कर्नाटक	बेन्नीथोरा परियोजना	बृहत	यूए	1973	एलएक्यू

1	2	3	4	5	6	7
32.	कर्नाटक	भीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	यूए	1993	एलएक्यू, भू-स्वामियों द्वारा अधिक मुआवजे की मांग की समस्या, अपर्याप्त बजट और परियोजना के लिए निधि जारी करने में विलंब
33.	कर्नाटक	दूधगंगा परियोजना	बृहत	यूए	1992	एफआईसी कार्य केवल गैर-बोआई अवधि में निष्पादित किया जाना और किसानों द्वारा 10% सहयोग राशि जमा कराने में आपत्ति
34.	कर्नाटक	हेमावती	बृहत	यूए	1967	एलएक्यू
35.	कर्नाटक	हिप्पारगी सिंचाई परियोजना	बृहत	एपीडी	1973	एफआईसी कार्य केवल गैर-बोआई अवधि में निष्पादित किया जाना और किसानों द्वारा 10% सहयोग राशि जमा कराने में आपत्ति
36.	कर्नाटक	एलआईएस	मध्यम	यूए	1986	कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतर्गत जल आवंटन की मांग के लिए परियोजना का मूल्यांकन रुका हुआ
37.	कर्नाटक	काचेनहल्ली	मध्यम	यूए	1993	कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के अंतर्गत जल आवंटन की मांग के लिए परियोजना का मूल्यांकन रुका हुआ
38.	कर्नाटक	निचली मुल्लामारी	मध्यम	यूए	1973	निधि की कमी, एलएक्यू, पीएपी का बदलाव
39.	कर्नाटक	नंजापुरा एलआईएस	मध्यम	यूए	1998	अभिकल्प पहलू
40.	कर्नाटक	वाराही सिंचाई परियोजना	बृहत	यूए	1979	एलएक्यू, पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा, फिसलन और नहरों के गहरे कटाव क्षेत्र में ढाल की विफलता
41.	कर्नाटक	वाई-कग्ग	मध्यम	यूए	2004	सूचना उपलबध नहीं है
42.	कर्नाटक	यागाची	मध्यम	यूए	1983	निधि की कमी एवं एलएक्यू
43.	केरल	वाणसुरा सागर सिंचाई परियोजना	मध्यम	एपीडी	1999	एलएक्यू
44.	केरल	कारापुझा सिंचाई परियोजना	मध्यम	एपीडी	1978	एलएक्यू
45.	केरल	मुवत्तुपुझा सिंचाई परियोजना	वृहत	एपीडी	1983	एलएक्यू एवं अदालती मामले

1	2	3	4	5	6	7
46.	मध्य प्रदेश	बाण सागर बृहत परियोजना नहर	बृहत	एपीडी	1978	एलएक्यू
47.	मध्य प्रदेश	बर्धा धाम	मध्यम	यूए	2000	नहर प्रणाली के लिए एलएक्यू
48.	मध्य प्रदेश	बार्गी डाइवर्जन परियोजना	बृहत	एपीडी	1979	एलएक्यू
49.	मध्य प्रदेश	इंदिरा सागर परियोजना (नहर)	बृहत	एपीडी	1992	वन स्वीकृति, एलएक्यू न्यायिक मामला
50.	मध्य प्रदेश	जोबट	मध्यम	एपीडी	1984	शीयर जोन ट्रीटमेंट एंड रिर्सोसेज कंस्ट्रेंट
51.	मध्य प्रदेश	केनरा एलआईएस	बृहत	यूए	1980	चंबल घड़ियाल अभ्यारण हेतु वन्य जीवन स्वीकृति न मिलना
52.	मध्य प्रदेश	कुरूक्षेत्र मध्यम परियोजना	मध्यम	यूए	2003	एलएक्यू एवं अभिकरण का पुनः निर्धारण
53.	मध्य प्रदेश	माहौर मध्यम परियोजना	मध्यम	एपीडी	1980	वन भूमि स्वीकृति एवं अपर्याप्त निधियां
54.	मध्य प्रदेश	मन	बृहत	एपीडी	1997	संसाधनों की कमी एवं मुकदमा
55.	मध्य प्रदेश	पेंच डाइवर्जन परियोजना	बृहत	एपीडी	1987	एलएक्यू
56.	मध्य प्रदेश	राजीव सागर परियोजना	बृहत	एपीडी	1976	वन स्वीकृति
57.	मध्य प्रदेश	रानी अवंति बाई लोधी सागर परियोजना	बृहत	यूए	1971	संसाधनों की कमी
58.	मध्य प्रदेश	एसएएस परियोजना चरण 2	मध्यम	यूए	2004	विश्व बैंक की सहायतता से आधुनिकीकरण परियोजना का अक्तूबर, 2012 में निर्माण प्रारंभ करने की संभावना है
59.	मध्य प्रदेश	सिंध चरण 1	बृहत	यूए	1974	भूमि अधिग्रहण हेतु स्वीकृति प्राप्त न होना तथा वन मामलों की स्वीकृति
60.	मध्य प्रदेश	ऊपरी बेदा	मध्यम	एपीडी	2003	वन स्वीकृति एलएक्यू न्यायिक मामले
61.	महाराष्ट्र	अंबेहोल	मध्यम	यूए	2001	निधियों की कमी
62.	महाराष्ट्र	अंधाली परियोजना	मध्यम	यूए	1986	निधियों की कमी, एलएक्यू
63.	महाराष्ट्र	आंध्र घाटी	मध्यम	यूए	1997	वन स्वीकृति
64.	महाराष्ट्र	अर्जुना 1	मध्यम	यूए	2001	एलएक्यू
65.	महाराष्ट्र	अरुणावती वृहत परियोजना	बृहत	एपीडी	1980	निधियां उपलब्ध न होना

1	2	3	4	5	6	7
66.	महाराष्ट्र	अस्थी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	यूए	1997	निधियों की कमी
67.	महाराष्ट्र	बारशी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	यूए	1997	निधियों की कमी
68.	महाराष्ट्र	बावनथाडी अंतर्राज्यीय	बृहत	एपीडी	1975	वन स्वीकृति
69.	महाराष्ट्र	बेंबलां	बृहत	एपीडी	1992	निधियां उपलब्ध न होना, एलएक्यू
70.	महाराष्ट्र	भामा अशखड	बृहत	यूए	1995	निधियों की कमी
71.	महाराष्ट्र	भाटसा 1	बृहत	एपीडी	1969	वन भूमि अधिग्रहण
72.	महाराष्ट्र	भीमा सीना लिंक नहर स्कीम	मध्यम	यूए	1997	एलएक्यू, निधियों की कमी
73.	महाराष्ट्र	चस्कामान	बृहत	एपीडी	1977	निधियों की कमी
74.	महाराष्ट्र	चिकोत्रा	मध्यम	यूए	1997	एलएक्यू और आरआर
75.	महाराष्ट्र	चिल्हेवाडी मध्यम परियोजना	मध्यम	यूए	1998	निधियों की कमी
76.	महाराष्ट्र	चित्री	मध्यम	यूए	1992	एलएक्यू और आरआर
77.	महाराष्ट्र	दाहिगांव लिफ्ट स्कीम	बृहत	यूए	1997	निधियों की कमी
78.	महाराष्ट्र	दारा परियोजना	मध्यम	यूए	1987	वन भूमि की समस्या के कारण
79.	महाराष्ट्र	देहाली परियोजना	मध्यम	यूए	1984	पर्याप्त निधियां न होना
80.	महाराष्ट्र	देवधर 1	मध्यम	यूए	1987	एलएक्यू
81.	महाराष्ट्र	धमानी	मध्यम	यूए	2000	निधियों की कमी
82.	महाराष्ट्र	धोम बालकवाड़ी परियोजना	बृहत	एपीडी	1997	निधियों की कमी, स्तर में परिवर्तन, डिजाइन, आर एवं आर में परिवर्तन
83.	महाराष्ट्र	दूधगंगा	बृहत	एपीडी	1976	पर्याप्त निधियां न होना
84.	महाराष्ट्र	एकरूख लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	यूए	1997	निधियों की कमी
85.	महाराष्ट्र	गादनदी 1	मध्यम	यूए	1987	पीएपी का विरोध
86.	महाराष्ट्र	घाटप्रभा 1	मध्यम	यूए	1997	निधियों की कमी, एलएक्यू और आर आर
87.	महाराष्ट्र	गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना	बृहत	एपीडी	1983	लागू नहीं
88.	महाराष्ट्र	हेतावाने 1	मध्यम	यूए	1986	एलएक्यू एवं एसईजेड के कारण कमान क्षेत्र के विकास में विलंब
89.	महाराष्ट्र	हुयुमेन	बृहत	एपीडी	1983	वन भूमि का अनुमोदन न करना

1	2	3	4	5	6	7
90.	महाराष्ट्र	जाम मध्यम परियोजना	मध्यम	यूए	1984	निधियों की कमी और एलएक्यू
91.	महाराष्ट्र	जांबर	मध्यम	यूए	2000	आर एवं आर और एलएक्यू
92.	महाराष्ट्र	जामखेडी परियोजना	मध्यम	यूए	1993	एलएक्यू
93.	महाराष्ट्र	जनाई शिरसाई लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	यूए	1994	निधियों की कमी
94.	महाराष्ट्र	जंगामहती	मध्यम	यूए	1981	आर एवं आर और एलएक्यू
95.	महाराष्ट्र	कादवी	मध्यम	यूए	1986	आर एवं आर और एलएक्यू
96.	महाराष्ट्र	कलमोडी	मध्यम	यूए	2000	निधियों की कमी
97.	महाराष्ट्र	कालपाथ्री मध्यम परियोजना	मध्यम	एपीडी	2004	लागू नहीं
98.	महाराष्ट्र	कार नदी परियोजना	मध्यम	एपीडी	1980	निधियों की कमी और एलएक्यू
99.	महाराष्ट्र	कसारी	मध्यम	यूए	1983	आर एवं आर और एलएक्यू
100.	महाराष्ट्र	कटांगी मध्यम परियोजना	मध्यम	एपीडी	1996	एलएक्यू
101.	महाराष्ट्र	खडकपूर्णा वृहत परियोजना	बृहत	एपीडी	1994	आर एवं आर और एलएक्यू
102.	महाराष्ट्र	कोरले सतांदी 1	मध्यम	यूए	2002	शुरुआत में सख्त स्थानीय विरोध होना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब
103.	महाराष्ट्र	कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	एपीडी	1984	निधियों की कमी, एलएक्यू, वन स्वीकृति
104.	महाराष्ट्र	कृष्णा परियोजना	बृहत	यूए	1968	क्षेत्र में परिवर्तन, निधियों की कमी, एलएक्यू
105.	महाराष्ट्र	कुडाली परियोजना	मध्यम	एपीडी	1997	निधियों की कमी, डिजाइन में परिवर्तन, आर एवं आर
106.	महाराष्ट्र	कुंभी	मध्यम	यूए	1981	आर एवं आर और एलएक्यू
107.	महाराष्ट्र	लाल नाला परियोजना	मध्यम	एपीडी	1994	निधियों की कमी और एलएक्यू
108.	महाराष्ट्र	लेडी अंतर्राज्यीय परियोजना	बृहत	यूए	1986	आर एवं आर, एलएक्यू, निधियों की कमी
109.	महाराष्ट्र	निचली चुलबंद मध्यम परियोजना	मध्यम	यूए	1995	निधियों की समस्या
110.	महाराष्ट्र	निचली चुलबंद मध्यम परियोजना	मध्यम	एपीडी	1989	निधियों की समस्या

1	2	3	4	5	6	7
111.	महाराष्ट्र	निचली वर्धा वृहत परियोजना	बृहत	एपीडी	1980	निधियों की कमी
112.	महाराष्ट्र	माणिकपुंज परियोजना	मध्यम	यूए	1999	पर्याप्त निधियां न होना
113.	महाराष्ट्र	महासवाड आरबीसी कि.मी. 1 से 8.60 तक	मध्यम	यूए	1978	निधियों की कमी
114.	महाराष्ट्र	मोरना (गुरेघर) परियोजना	मध्यम	एपीडी	1996	निधियों की कमी, एलएक्यू और आर एवं आर
115.	महाराष्ट्र	नागन परियोजना	मध्यम	यूए	1990	पर्याप्त निधियां न होना
116.	महाराष्ट्र	नागेवाडी परियोजना	मध्यम	यूए	1994	निधियों की कमी
117.	महाराष्ट्र	नारदवे 1	मध्यम	यूए	2001	अभिज्ञान वन स्वीकृति
118.	महाराष्ट्र	नावरगांव	मध्यम	एपीडी	1987	निधियां उपलब्ध न होना
119.	महाराष्ट्र	नया गेटेड वियर खोडसी	बृहत	यूए	1979	निधियों की कमी
120.	महाराष्ट्र	निरा देवघर	बृहत	यूए	1996	निधियों की कमी
121.	महाराष्ट्र	पटगांव	मध्यम	यूए	1983	आर एवं आर और एलएक्यू
122.	महाराष्ट्र	पेंडाकली	बृहत	एपीडी	1989	एलएक्यू
123.	महाराष्ट्र	प्रकाश बुराई एलआईएस	मध्यम	यूए	2001	पर्याप्त निधियां न होना
124.	महाराष्ट्र	पुनाद परियोजना	बृहत	एपीडी	1982	पर्याप्त निधियां न होना
125.	महाराष्ट्र	पूर्णा	मध्यम	एपीडी	1995	एलएक्यू
126.	महाराष्ट्र	सपन	मध्यम	एपीडी	2000	वन भूमि स्वीकृति और बांध की ऊंचाई बढ़ाना
127.	महाराष्ट्र	सारंगखेडा बैराज स्कीम	मध्यम	एपीडी	1999	पर्याप्त निधियां न होना
128.	महाराष्ट्र	शिरापुर लिफ्ट सिंचाई	बृहत	यूए	1997	निधियों की कमी
129.	महाराष्ट्र	शिवान परियोजना	मध्यम	यूए	1994	पर्याप्त निधियां न होना
130.	महाराष्ट्र	सिना भोसे खिंद टनल	मध्यम	यूए	2001	निधियों की कमी, एलएक्यू
131.	महाराष्ट्र	सिना कोलेगांव परियोजना	बृहत	यूए	1993	यांत्रिक एवं विद्युत घटक में विलंब
132.	महाराष्ट्र	सोमापुर टोमटा एलआईएस	मध्यम	यूए	1997	निधियों की कमी और एलएक्यू
133.	महाराष्ट्र	सुलवाडे बैराज	मध्यम	एपीडी	1995	पर्याप्त निधियां न होना
134.	महाराष्ट्र	सुर्या 1	बृहत	एपीडी	1973	वन भूमि स्वीकृति

1	2	3	4	5	6	7
135.	महाराष्ट्र	तराली परियोजना	बृहत	एपीडी	1997	निधियों की कमी, क्षेत्र में परिवर्तन, आर एवं आर
136.	महाराष्ट्र	तेंभू, लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	एपीडी	1996	निधियों की कमी
137.	महाराष्ट्र	टेमघर	बृहत	यूए	1997	निधियों की कमी
138.	महाराष्ट्र	तिल्लारी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना	बृहत	एपीडी	1982	पीएपी का विरोध, एलएक्यू
139.	महाराष्ट्र	उरमोदी परियोजना	बृहत	यूए	1997	निधियों की कमी, क्षेत्र में परिवर्तन, आर एवं आर
140.	महाराष्ट्र	उतावली	मध्यम	एपीडी	1999	एलएक्यू
141.	महाराष्ट्र	उत्तारमंद परियोजना	मध्यम	एपीडी	1997	निधियों की कमी, एलएक्यू आर एवं आर
142.	महाराष्ट्र	वाडी शेवाडी परियोजना	मध्यम	यूए	1993	अपर्याप्त निधियां
143.	महाराष्ट्र	वाघुर	बृहत	एपीडी	1978	एलएक्यू और आर एवं आर, वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति, निधियों की कमी
144.	महाराष्ट्र	वान	बृहत	एपीडी	1979	संयुक्त उपयोग
145.	महाराष्ट्र	बेंग परियोजना	मध्यम	एपीडी	1997	निधियों की कमी, एलएक्यू और आर एवं आर
146.	महाराष्ट्र	वर्ना	बृहत	एपीडी	1976	निधियों की कमी
147.	मणिपुर	खुगा बहुउद्देशीय परियोजना	मध्यम	एपीडी	1983	कानून और व्यवस्था, अपर्याप्त निधियां तथा एलएक्यू
148.	मणिपुर	थाउबल बहुउद्देशीय परियोजना मणिपुर	बृहत	एपीडी	1980	विवादास्पद भूमि, स्थानीय समस्या, निर्माण सामग्री की उपलब्धता न होना
149.	ओडिशा	बगलाहती सिंचाई परियोजना	मध्यम	एपीडी	1996	एलएक्यू
150.	ओडिशा	चलीगेडा बांध परियोजना	मध्यम	एपीडी	2003	पीएपी का विरोध
151.	ओडिशा	देव सिंचाई परियोजना	मध्यम	एपीडी	1997	आर एवं आर
152.	ओडिशा	मंजोर सिंचाई परियोजना	मध्यम	एपीडी	1996	एलएक्यू
153.	ओडिशा	राजोआ सिंचाई परियोजना	मध्यम	यूए	1999	एलएक्यू और संविदात्मक समस्याएं
154.	ओडिशा	रेंगाली बांया तट नहर II	बृहत	एपीडी	1997	विपोषण की बाधा और वन स्वीकृति

1	2	3	4	5	6	7
155.	ओडिशा	रेंगाली दांया तट नहर परियोजना	बृहत	एपीडी	1996	एलएक्यू, 7 रेलवे लाइन क्रॉसिंग, 9 एनएच क्रॉसिंग, 33 के बी टॉवर लाइन को शिफ्ट करना
156.	ओडिशा	रेट सिंचाई परियोजना	मध्यम	एपीडी	2003	आर एवं आर
157.	ओडिशा	रूकुरा सिंचाई परियोजना	मध्यम	एपीडी	1999	पीएपी का विरोध
158.	ओडिशा	सुबर्णरेखा सिंचाई परियोजना	बृहत	एपीडी	1987	अंतर्राज्यीय मुद्दे
159.	ओडिशा	तेलंगिरी सिंचाई परियोजना	मध्यम	एपीडी	2003	एलएक्यू, स्लिपवे स्थल को अंतिम रूप देना
160.	उत्तर प्रदेश	बेनसागर परियोजना	बृहत	एपीडी	1997	अंतर्राज्यीय विवाद और वन भूमि स्वीकृति
161.	उत्तर प्रदेश	कनहार सिंचाई परियोजना	बृहत	एपीडी	1977	अंतर्राज्यीय विवाद
162.	पश्चिम बंगाल	सुबर्णरेखा बैराज परियोजना	बृहत	यूए	1991	निधियों की कमी
163.	पश्चिम बंगाल	तीस्ता बैराज परियोजना	बृहत	एपीडी	1976	एलएक्यू और निधि का असमान प्रवाह

एलएक्यू—भूमि अधिग्रहण, पीएपी—परियोजना प्रभावित व्यक्ति, आर एवं आर—पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना
एपीडी—योजना आयेाग द्वारा अनुमोदित
यूए—अनअनुमोदित

विवरण-II

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सूचित की गई चल रही परियोजनाओं का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा (पूरा होने की सामान्य प्रारंभिक अवधि के बाद विलंब)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना का प्रकार	योजना आयोग द्वारा अनुमोदन की स्थिति	प्रारंभ करने का वर्ष	विलंब के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	धनश्री	बृहत	एपीडी	1976	दंगाग्रस्त क्षेत्र
2.	बिहार	दुर्गावती जलाशय	बृहत	एपीडी	1976	वन स्वीकृति में विलंब, निधि का अभाव, स्थानीय लोगों द्वारा बाधा
3.	छत्तीसगढ़	सौंदुर जलाशय परियोजना	बृहत	यूए	1978	वन स्वीकृति न मिलना तथा निधि का अभाव

1	2	3	4	5	6	7
4.	छत्तीसगढ़	सुतियापट मध्यम परियोजना	मध्यम	एपीडी	2003	अभिकरण के निर्धारण में विलंब
5.	गुजरात	ओजट II	मध्यम	एपीडी	1995	पत्थर खदान की उपलबधता न होना
6.	झारखंड	गढी जलाशय परियोजना	मध्यम	यूए	2001	जलाशय क्षेत्र में कोयला खदान के होने के कारण कोयला मंत्रालय की स्वीकृति की प्रतीक्षा
7.	झारखंड	कोनार सिंचाई परियोजना	बृहत	यूए	1975	नहर सुरंग पहुंच में संविदागत समस्याएं
8.	झारखंड	उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना	बृहत	यूए	1973	पर्यावरण व वन स्वीकृति, अंतर-राज्यीय मुद्दे
9.	झारखंड	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	बृहत	एपीडी	1978	निधियों का अभाव
10.	कर्नाटक	अमरजा परियोजना	मध्यम	यूए	1973	आरबीसी तथा एलबीसी का परिशोधन
11.	कर्नाटक	बासापुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	मध्यम	यूए	1992	टीएसी द्वारा स्वीकृति दी जानी है
12.	कर्नाटक	दूधगंगा परियोजना	बृहत	यूए	1992	एफआईसी कार्य केवल गैर फसल अवधि के दौरान ही होगा तथा किसानों द्वारा 10% अंश जमा करने पर आपत्ति की गई
13.	कर्नाटक	हिप्पारगी सिंचाई परियोजना	बृहत	एपीडी	1973	एफआईसी कार्य केवल गैर फसल अवधि के दौरान ही होगा तथा किसानों द्वारा 10% अंश जमा करने पर आपत्ति की गई
14.	कर्नाटक	हुच्चनाकोप्पालु एलआईएस	मध्यम	यूए	1986	कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के अंतर्गत आबंटित जल की मांग हेतु परियोजना का मूल्यांकन रुका हुआ है
15.	कर्नाटक	काचेनहल्ली	मध्यम	यूए	1993	कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के अंतर्गत आबंटित जल की मांग हेतु परियोजना का मूल्यांकन रुका हुआ है
16.	कर्नाटक	नंजापुरा एलआईएस	मध्यम	यूए	1998	डिजाइन पहलू
17.	कर्नाटक	वाई. कग्गल	मध्यम	यूए	2004	सूचना उपलब्ध नहीं है
18.	मध्य प्रदेश	जोबट	मध्यम	एपीडी	1984	शीयर जोन उपचार तथा संसाधन नियंत्रण

1	2	3	4	5	6	7
19.	मध्य प्रदेश	केनरा एलआईएस	बृहत	यूए	1980	वन्य जीव चंबल घड़ियाल अभयारण्य की स्वीकृति न मिलना
20.	मध्य प्रदेश	माहौर मध्यम परियोजना	मध्यम	एपीडी	1980	वन भूमि स्वीकृति तथा अपर्याप्त निधियां
21.	मध्य प्रदेश	मन	बृहत	एपीडी	1997	संसाधन नियंत्रण तथा मुकदमेबाजी
22.	मध्य प्रदेश	राजीव सागर परियोजना	बृहत	एपीडी	1976	वन स्वीकृति
23.	मध्य प्रदेश	रानी अवंति बाई लोधी सागर परियोजना	बृहत	यूए	1971	संसाधन नियंत्रण
24.	मध्य प्रदेश	एसएएस परियोजना चरण 2	मध्यम	यूए	2004	विश्व बैंक की सहायता प्राप्त आधुनिकीकरण परियोजना का निर्माण अक्तूबर, 2012 में शुरू होने की संभावना है।
25.	महाराष्ट्र	अंबहोल	मध्यम	यूए	2001	निधियों की अभाव
26.	महाराष्ट्र	आंद्रा घाटी	मध्यम	यूए	1997	वन स्वीकृति
27.	महाराष्ट्र	अरूणावती बृहत परियोजना	बृहत	एपीडी	1980	निधियों की गैर-उपलब्धता
28.	महाराष्ट्र	अस्थी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	यूए	1997	निधियों की कमी
29.	महाराष्ट्र	बारशी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	यूए	1997	निधियों की कमी
30.	महाराष्ट्र	बावनथाडी अंतर्राज्यीय	बृहत	एपीडी	1975	वन स्वीकृति
31.	महाराष्ट्र	भाटसा 1	बृहत	एपीडी	1969	वन भूमि अधिग्रहण
32.	महाराष्ट्र	चस्कामान	बृहत	एपीडी	1977	निधियों का अभाव
33.	महाराष्ट्र	चिल्हेवाडी मध्यम परियोजना	मध्यम	यूए	1998	निधियों का कमी
34.	महाराष्ट्र	दाहिगांव लिफ्ट स्कीम	बृहत	यूए	1997	निधियों की कमी
35.	महाराष्ट्र	दारा परियोजना	मध्यम	यूए	1987	वन भूमि समस्या के कारण
36.	महाराष्ट्र	देहाली परियोजना	मध्यम	यूए	1984	अपर्याप्त निधियां
37.	महाराष्ट्र	धमानी	मध्यम	यूए	2000	निधियों का अभाव
38.	महाराष्ट्र	दुधगंगा	बृहत	एपीडी	1976	अपर्याप्त निधियां
39.	महाराष्ट्र	एकरूख लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	यूए	1997	निधियों की कमी
40.	महाराष्ट्र	गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना	बृहत	एपीडी	1983	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
41.	महाराष्ट्र	हुसुमेन	बृहत	एपीडी	1983	वन भूमि का अनअनुमोदन
42.	महाराष्ट्र	जनाई शिरसाई लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	यूए	1994	निधियों का अभाव
43.	महाराष्ट्र	कलमाडी	मध्यम	यूए	2000	निधियों का अभाव
44.	महाराष्ट्र	कालपाथ्री मध्यम परियोजना	मध्यम	एपीडी	2004	लागू नहीं
45.	महाराष्ट्र	निचली चुलबंद मध्यम परियोजना	मध्यम	यूए	1995	निधियों की समस्या
46.	महाराष्ट्र	निचली पंजारा मध्यम परियोजना	मध्यम	एपीडी	1989	निधियों की समस्या
47.	महाराष्ट्र	निचली वर्धा बृहत परियोजना	बृहत	एपीडी	1980	निधियों की कमी
48.	महाराष्ट्र	माणिकपुंज परियोजना	मध्यम	यूए	1999	अपर्याप्त निधियां
49.	महाराष्ट्र	महासवाड आरबीसी कि.मी. 1 से 8.60 तक	मध्यम	यूए	1978	निधियों की कमी
50.	महाराष्ट्र	नागन परियोजना	मध्यम	यूए	1990	अपर्याप्त निधियां
51.	महाराष्ट्र	नागेवाडी परियोजना	मध्यम	यूए	1994	निधियों में कमी
52.	महाराष्ट्र	नारदेव 1	मध्यम	यूए	2001	अभिज्ञात वन की स्वीकृति
53.	महाराष्ट्र	नावरगांव	मध्यम	एपीडी	1987	निधियों की गैर-उपलब्धता
54.	महाराष्ट्र	नया गेटेड वियर खोडसी	बृहत	यूए	1979	निधियों में कमी
55.	महाराष्ट्र	निरा देवधर	बृहत	यूए	1996	निधियों का अभाव
56.	महाराष्ट्र	प्रकाश बुराई एलआईएस	मध्यम	यूए	2001	अपर्याप्त निधियां
57.	महाराष्ट्र	पुनाद परियोजना	बृहत	एपीडी	1982	अपर्याप्त निधियां
58.	महाराष्ट्र	सारंगखेड़ा बैराज	मध्यम	एपीडी	1999	अपर्याप्त निधियां
59.	महाराष्ट्र	शिरापुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	यूए	1997	निधियों में कमी
60.	महाराष्ट्र	शिवान परियोजना	मध्यम	यूए	1994	अपर्याप्त निधियां
61.	महाराष्ट्र	सिना कोलेगांव परियोजना	बृहत	यूए	1993	यांत्रिकी व विद्युत संघटकों में विलंब
62.	महाराष्ट्र	सुलवाडे बैराज	मध्यम	एपीडी	1995	अपर्याप्त निधियां
63.	महाराष्ट्र	सूर्या 1	बृहत	एपीडी	1973	वन भूमि स्वीकृति
64.	महाराष्ट्र	तैंभू लिफ्ट सिंचाई स्कीम	बृहत	एपीडी	1996	निधियों का अभाव
65.	महाराष्ट्र	टेमघर	बृहत	यूए	1997	निधियों का अभाव

1	2	3	4	5	6	7
66.	महाराष्ट्र	वाडी शेवाडी परियोजना	मध्यम	यूए	1993	अपर्याप्त निधियां
67.	महाराष्ट्र	वान	बृहत	एपीडी	1979	संयुक्त उपयोग
68.	महाराष्ट्र	वर्ना	बृहत	एपीडी	1976	निधियों की कमी
69.	ओडिशा	रेंगाली बांया तट नहर 2	बृहत	एपीडी	1997	निधि की अड़चन तथा वन स्वीकृति
70.	ओडिशा	सुबर्णरेखा सिंचाई परियोजना	बृहत	एपीडी	1987	अंतर्राज्यीय मुद्दे
71.	उत्तर प्रदेश	बाणसागर परियोजना	बृहत	एपीडी	1997	अंतर्राज्यीय विवाद तथा वन भूमि स्वीकृति
72.	उत्तर प्रदेश	कनहार सिंचाई	बृहत	एपीडी	1977	अंतर्राज्यीय विवाद
73.	पश्चिम बंगाल	सुबर्णरेखा बैराज परियोजना	बृहत	यूए	1991	निधियों की कमी

एपीडी—योजना आयोग द्वारा अनुमोदित
यू.ए—अनअनुमोदित

सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया जाना

129. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को नवरत्न कम्पनी का दर्जा देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार पीएसयू को विशिष्ट नवरत्न का दर्जा देने के लिए मानदंडों में छूट देने के लिए किसी प्रस्ताव पर कार्य कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है; और

(ङ) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार मिनीरत्न श्रेणी-I और अनुसूची 'क' केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 'अत्कृष्ट' अथवा 'अति उत्तम' दर्जा प्राप्त किया है और जिनके पास निम्नलिखित छह चयनित कार्य-निष्पादन मानकों नामश: (i) निवल मूल्य की तुलना में निवल लाभ (ii) श्रमशक्ति लागत की तुलना में उत्पादन/सेवाओं की कुल लागत, (iii) नियोजित पूंजी की तुलना में मूल्यह्रास, ब्याज और करों से पूर्वलाभ, (iv) कुल कारोबार की तुलना में ब्याज और कर पूर्वलाभ, (v) अर्जन प्रति शेयर और (vi) अंतर क्षेत्रीय निष्पादन में, 60 अथवा उससे अधिक के संयुक्त अंक हैं, नवरत्न दर्जा दिए जाने के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र हैं।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को नवरत्न दर्जा प्रदान किए जाने हेतु निर्धारित मानदंडों में छूट दिए जाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

ट्रेनों में अपराध

130. श्री विश्वमोहन कुमार:
डॉ. किरोडी लाल मीणा:
श्री नलिन कुमार कटील:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चलती ट्रेनों में चोरी, बलात्कार, सेंधमारी, नशीली वस्तु खिलाने, सुरक्षा कर्मियों द्वारा यात्रियों को ट्रेन से फेंक देने और डकैती के मामलों सहित अपराधों के जोन-वार कितने मामले नोटिस में लाए गए हैं;

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा बल में कर्मियों की कमी के कारण यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे सुरक्षा बल में रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के संबंध में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में दर्ज मामलों की जोन-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) इन आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (घ) वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (सितंबर तक) के दौरान क्षेत्रीय रेलों पर चलती गाड़ियों में चोरी, बलात्कार, जहरखुरानी, सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को फेंकना, डकैतियां और छेड़छाड़ के मामलों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जी नहीं। बहरहाल, क्रमशः 27.02.2011 और 13.04.2011 को कांस्टेबलों और उप-निरीक्षकों के लिए अधिसूचना को अधिसूचित कर रिक्त पदों को भरने के लिए कदम पहले ही उठा लिए गए हैं। उप-निरीक्षक के 511 पदों के लिए लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। जहां तक कांस्टेबलों के 11952 पदों का संबंध है, प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है।

(ङ) स्टेशन परिसरों और चलती गाड़ियों में अपराध की रोकथाम और पता लगाना तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है जिसका निवर्हन वह संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से करती है। इसी प्रकार रेलों पर अपराध के मामलों को राजकीय रेलवे पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है और उन्हीं के द्वारा पंजीकृत और जांच की जाती है। रेल सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गाड़ियों में मार्गरक्षक तैनात कर राजकीय रेल पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है।

रेलों द्वारा गाड़ियों में इस प्रकार की घटनाओं की जांच और बाधारहित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 2200 गाड़ियों के अतिरिक्त रेल सुरक्षा बल द्वारा रोजाना औसतन 1275 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।
2. 202 संवेदनशील और सुभेद्य रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क द्वारा संवेदनशील स्टेशनों की इलैक्ट्रॉनिक निगरानी वाली एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली, पहुंच नियंत्रण, तोड़-फोड़ रोधी जांचों को स्वीकृत किया गया है।
3. राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपराधों के पंजीकरण और जांच को सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस के साथ सभी स्तरों पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।
4. यात्रियों को लूटने के लिए अपराधियों द्वारा अपनाई जाने वाले कार्य पद्धति के बारे में यात्रियों को शिक्षित करने के लिए यात्री जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (सितंबर तक) के दौरान क्षेत्रीय रेलों पर चलती गाड़ियों में चोरी, बलात्कार, जहरखुरानी, सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को फेंकना, डकैतियां और छेड़छाड़ के मामलों की संख्या

रेलवे	वर्ष	गाड़ियों में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या						
		चोरी	बलात्कार	छीना-झपटी	जहर-खुरानी	सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को फेंकना	डकैती	छेड़छाड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	2009	1553	0	0	35	0	20	4
	2010	1019	0	0	25	0	33	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2011	1489	1	0	47	0	34	3
	2012	1049	0	0	24	1	116	4
पूर्व	2009	294	0	0	106	0	23	2
	2010	399	0	0	127	1	17	8
	2011	442	0	0	124	0	7	6
	2012	332	0	0	76	0	15	5
पूर्व मध्य	2009	443	0	0	139	1	23	4
	2010	344	0	0	151	0	19	0
	2011	629	0	0	229	0	17	1
	2012	358	1	0	102	0	10	0
पूर्व तट	2009	260	0	0	33	0	3	0
	2010	270	0	0	16	0	2	0
	2011	331	0	0	17	0	6	0
	2012	323	0	0	15	0	8	0
उत्तर	2009	1154	0	0	22	0	31	0
	2010	1202	0	0	112	0	47	1
	2011	1241	0	0	240	0	72	1
	2012	741	0	0	26	0	30	2
उत्तर मध्य	2009	388	0	0	10	0	8	0
	2010	316	0	0	31	0	7	3
	2011	466	0	0	62	0	7	4
	2012	329	0	0	38	0	9	2
पूर्वोत्तर	2009	39	1	0	3	1	4	1
	2010	54	0	0	27	0	14	1
	2011	69	0	0	37	0	8	1
	2012	16	0	0	35	0	4	0
पूर्वोत्तर सीमा	2009	128	0	0	82	0	8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	115	0	0	58	0	3	0
	2011	120	0	0	120	0	1	0
	2012	99	0	0	71	0	2	0
उत्तर पश्चिम	2009	263	0	0	17	0	1	7
	2010	277	0	0	15	0	0	5
	2011	375	1	0	14	0	2	12
	2012	290	1	0	11	0	1	4
दक्षिण	2009	361	0	0	5	0	24	13
	2010	368	0	0	2	0	63	11
	2011	391	0	0	5	0	14	28
	2012	238	0	0	8	0	5	26
दक्षिण मध्य	2009	601	0	0	24	0	4	1
	2010	580	0	0	38	0	16	3
	2011	674	0	0	19	0	9	5
	2012	906	0	0	8	0	14	5
दक्षिण पूर्व	2009	143	0	0	64	0	6	0
	2010	145	0	0	53	0	2	0
	2011	176	1	0	51	0	7	0
	2012	130	0	0	29	0	3	0
दक्षिण पूर्व मध्य	2009	258	0	0	12	0	1	1
	2010	348	0	0	9	0	9	1
	2011	239	0	0	12	0	3	1
	2012	181	1	0	9	0	2	5
दक्षिण पश्चिम	2009	163	0	0	6	0	10	0
	2010	183	0	0	16	0	8	0
	2011	245	0	0	14	0	11	0
	2012	173	2	0	4	0	15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम	2009	850	0	0	58	0	8	11
	2010	808	0	0	40	0	11	1
	2011	970	0	0	41	0	7	3
	2012	682	2	0	18	0	35	0
पश्चिम मध्य	2009	1151	0	0	59	0	30	16
	2010	1107	0	0	36	0	12	7
	2011	1373	0	0	77	0	53	11
	2012	1406	4	0	26	0	53	19

भेल संयंत्र में अग्नि

131. **श्री जगदीश शर्मा:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिक्ल लिमिटेड (भेल) में बड़ा अग्निकांड हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अग्निकांड के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अग्निकांड से कुल कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां।

(ख) अग्निकांड दिनांक 10.10.2012 **को** प्रात: 10.00 बजे हुआ। यह घटना ब्लॉक-3 में एक परीक्षण करते समय घटी जिसमें केपेसिटर बैंक की एक यूनिट जिसमें मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल था, में स्पार्किंग के कारण आग लग गई। स्पिल्ड ऑयल ने आग पकड़ ली और आग अन्य निकटवर्ती उपकरणों/केबलों/परीक्षण सब-सिस्टमों आदि तक फैल गई।

(ग) उक्त अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। परिसम्पत्तियों (लेखा मूल्य पर), अंतिम वस्तुओं और प्रगति पर कार्य की अनुमानित हानि लगभग 12 करोड़ रुपए है।

(घ) बीएचईएल ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) इलेक्ट्रिकल पृथक्करण के लिए आग रोधी दीवार और बाल बुशिंग युक्त पृथक क्षेत्र में केपेसिटर बैंक की स्थापना।

(ii) ट्रांसफार्मर परीक्षण संयंत्र में फोम-स्प्रे सिस्टम की स्थापना।

(iii) आग रोधी दीवारों से घिरे हुए पृथक कक्षों में परीक्षण ट्रांसफार्मरों की स्थापना।

(iv) केबल गैलरियों/तहखानों में फव्वारा सिस्टम।

(v) परीक्षण हालों में फोम टेंडर।

(vi) परीक्षण लोड स्थितियों के अनुसार उन्नत हुआ और त्वरित-प्रत्युत्तर वाला इलेक्ट्रिकल सुरक्षा सिस्टम।

[अनुवाद]

दवाइयों के अधिक मूल्य निर्धारण के लिए जुर्माना

132. **श्री उदय सिंह:**
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) भेषज कंपनियों पर दवाइयों का अधिक मूल्य निर्धारण करने के लिए कई बार जुर्माना लगाए जाने के बावजूद दवा कंपनियां उपभोक्ताओं से निरंतर अधिक मूल्य वसूल रही हैं?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस प्राधिकरण की स्थापना से ही दवाइयों की अधिक कीमत के लिए ऐसी कंपनियों पर लगाए जाने वाले जुर्माने का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ कंपनियों ने जुर्माने की राशि अदा नहीं की है और एनपीपीए केवल 235 करोड़ रुपए ही वसूलने में समक्ष रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी अस्वीकार्य वसूली स्तर के क्या कारण हैं; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि ग्राहक को उचित मूल्य पर दवाइयां मिलें?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन को एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने के लिए प्राधिकृत नहीं है। यदि किसी कंपनी के बारे में यह पाया जाता है कि वह अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों को एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच रही हैं तो उसके खिलाफ अधिप्रभारित रकम की वसूली हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 1995 के पैरा 13 के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाती है।

अपनी स्थापना से और दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 तक पता लगाए गए अधिभार के मामलों के आधार पर एनपीपीए ने 885 मामलों में मांग नोटिस जारी किए हैं जिनमें डीपीसीओ, 1995 के अधीन निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर दवाइयां बेचने के परिणामत: 2577.28 करोड़ रुपए (ब्याज सहित अधिप्रभार की रकम) की रकम शामिल है। इसमें से 232.52 करोड़ रुपए की रकम दिनांक 31.10.2012 तक वसूल हो चुकी है और शेष बची 2344.76 करोड़ रुपए की रकम वसूल की जानी है। अधिप्रभार के 885 मामलों की कई पृष्ठों वाली भारी-भरकम सूची है। अत: यह सूची (31.10.2012 तक अद्यतन) एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात् www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध कराई गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां अधिप्रभारित रकम का एक बड़ा हिस्सा वसूल नहीं हो पाने का बुनियादी कारण यह है कि विभिन्न कंपनियों द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में मांगों का विरोध किया गया है। एनपीपीए द्वारा दिनांक 31.10.2012 तक वूसल की गई वास्तविक रकम 232.52 करोड़ रुपए है जैसाकि ऊपर भाग (क) से (ग) के उत्तर में बताया गया है।

(च) अधिसूचित मूल्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनपीपीए कंपनियों से परवर्ती बैचों के नियंत्रण नमूने और मूल्य सूची मंगवाता है तथा जहां कहीं आवश्यक होता है, कार्रवाई करता है। इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि कंपनियां एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्यों का अनुपालन करती हैं, राज्य औषध मूल्य नियंत्रकों को भी सुग्राही बनाकर उनसे कहा जाता है कि वे ऐसे मामले भेजें जिनमें अधिसूचित मूल्य का पालन नहीं किया गया हो। निरंतर बाजार निगरानी के भाग के रूप में कंपनियों द्वारा अधिसूचित मूल्य के अनुपालन की जांच करने के उद्देश्य से एनपीपीए विभिन्न अनुसूचित फार्मूलेशनों के नमूने भी खरीदता है।

गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण एनपीपीए द्वारा नहीं किया जाता है। गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के कार्य के रूप में निर्माताओं को गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में 10% वार्षिक से अधिक की वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाती है। यदि कोई कंपनी गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में 10% से अधिक वृद्धि करती है तो मूल्यों को 10% की सीमा के भीतर वापिस लाने के उद्देश्य से एनपीपीए द्वारा संबंधित कंपनियों के साथ विशिष्ट मामले उठाए जाते हैं। यदि कोई कंपनी उपर्युक्त हिदायतों का पालन नहीं करती है तो एनपीपीए संबंधित फार्मूलेशन पैक/दवाई के मूल्य का निर्धारण करके मूल्यों में वृद्धि को 10% की अधिकतम सीमा तक रोकने हेतु कार्रवाई शुरू करता है।

विद्युत परियोजनाएं

133. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश में निर्माणाधीन विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की परियोजना और राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश में विभिन्न केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का परियोजना-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न विद्युत परियोजनाएं अपने समय से काफी पीछे चल रही हैं और अपने कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो कारण सहित तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी विद्युत परियोजनाओं को सहायात प्रदान करने का है जो विद्युत उत्पादन शुरू करने हेतु कार्यान्वयन के आधे चरण में है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याा है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वर्तमान में, देश में 108 ताप परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें से, 10 ताप परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन हैं। आंध्र प्रदेश सहित ताप परियोजनाओं की वर्तमान राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। देश में 51 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनमें से 3 जल विद्युत परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन हैं। आंध्र प्रदेश सहित इन जल विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार वर्तमान स्थिति विवरण-II में संलग्न है।

(ख) विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-III (क) (जिसके लिए कोयला लिंकेज आवेदन प्राप्त किए गए हैं) संलग्न विवरण-III (ख) (व्यापक निविदा के अंतर्गत प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाएं) में दी गई हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं जिन्हें सीईए द्वारा सहमति प्रदान की गई है का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) और (घ) निर्माणाधीन ताप और जल विद्युत परियोजनाएं और उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों सहित उनका ब्यौरा क्रमशः विवरण-V और VI में संलग्न है।

(ङ) और (च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी हों विद्युत मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:—

- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास संबंधी मुद्दों सहित जल विद्युत के विकास से संबंधित सभी मामलों की देखरेख के लिए जल परियोजना विकास पर एक कार्य बल का गठन किया गया है। इस कार्य बल की अध्यक्षता विद्युत मंत्री द्वारा की जाती है।
- पूर्वोत्तर में जल विद्युत के विकास का मार्गदर्शन करने और उसमें तेजी लाने के लिए उपयुक्त अवसंरचना विकसित करने हेतु (दिनांक 7 अगस्त 2009 के जल संसाधन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से) एक अंतर्मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है।
- विद्युत मंत्रालय ने क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र अपनाया है ताकि यह देखा जा सके कि परियोजनाओं का निष्पादन समय से किया जा सके। विद्युत परियोजनाओं की निगरानी विभिन्न स्तरों अर्थात् केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय तथा विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) के माध्यम से की जाती है।

विवरण-I

थर्मल पावर परियोजनाओं का वर्तमान राज्यवार ब्यौरा

राज्य	परियोजना का नाम	कार्या. एजेंसी	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने का मूल समय	शुरू होने का अनुमानित समय
1	2	3	4	5	6	7
	केन्द्रीय क्षेत्र					
असम	बोंगई गांव एनटीपीसी	एनटीपीसी	U-1	250	जन-11	दिस-13

1	2	3	4	5	6	7
			U-2	250	मई-11	अक्तू-14
			U-3	250	सित-11	मार्च-15
बिहार	बाड़ एसटीपीपी-I	एनटीपीसी	U-1	660	अक्तू-13*	जुलाई-14
			U-2	660	अप्रैल-14*	मई-15
			U-3	660	अक्तू-14*	मार्च-16
बिहार	बाड़ एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	U-4	660	दिस-12	अग-13
			U-5	660	अक्तू-13	सित-14
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सप	एनटीपीसी	U-3	195	अक्तू-12	जून-14
			U-4	195	जन-13	सित-14
बिहार	नबी नगर टीपीपी	एनटीपीसी	U-1	250	मई-13	जुलाई-14
			U-2	250	सित-13	जन-15
			U-3	250	जन-14	जुलाई-15
			U-4	250	मई-14	जन-16
झारखंड	बोकारो टीपीएसए एक्स	डीवीसी	U-1	500	दिस-11	जून-14
झारखंड	कोडरमा, टीपीपी	डीवीसी	U-2	500	फर-11	जन-13
कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी फे-I	एनटीपीसी	U-1	800	दिस-15	दिस-15
			U-2	800	जून-16	जून-16
			U-3	800	दिस-16	दिस-16
महाराष्ट्र	मौडा टीपीपी	एनटीपीसी	U-2	500	अक्तू-12	मार्च-13
महाराष्ट्र	मौड़ा एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	U-3	660	मार्च-16	मार्च-16
			U-4	660	सित-16	सित-16
महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	एनटीपीसी	U-1	660	मई-16	मई-16
			U-2	660	नव-16	नव-16
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी-IV	एनटीपीसी	U-12	500	दिसं.-12	मार्च-13
मध्य प्रदेश	विध्याचल टीपीपी-V	एनटीपीसी	U-13	500	अगस्त-15	मार्च-15
तमिलनाडु	नयवेली टीपीएस-II एक्सप	एनसीएल	U-2	250	जून-09	मार्च-13
तमिलनाडु	तुतीकोरिन जेवी	एनएलसीएंड	U-1	500	मार्च-12	मार्च-13

1	2	3	4	5	6	7
		टीएनईबी	U-2	500	अगस्त-12	मार्च-14
तमिलनाडु	वैलूर टीपीपी फे-I जेवी	एनटीईसीएल	U-2	500	अगस्त-11	फरवरी-13
तमिलनाडु	वैलूर टीपीपी-II जेवी	एनटीईसीएल	U-3	500	दिसंबर-12	सितंबर-13
त्रिपुरा	मोनार्चक सीसीपीपी	एनईपीसीओ	GT+ST	101	मई-13	अक्तूबर-13
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	ओएनजीसी	Module-1	363.3	दिसंबर-11	नवंबर-12
			Module-2	363.3	मार्च-12	मार्च-13
उत्तर प्रदेश	रिहान टीपीपी III	एनटीपीसी	U-6	500	दिसंबर-12	जून-13
उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	एनटीपीसी	U-1	660	जून-16	जून-16
			U-2	660	सितंबर-16	सितंबर-16
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फे-I	डीवीसी	U-1	600	फरवरी-11	मई-13
			U-2	600	मई-11	अक्तूबर-13
कुल केन्द्रीय क्षेत्र			19077.6			
	राज्य क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैया टीपीएस	एपीपीडीएल	U-1	800	जुलाई-12	अप्रैल-14
			U-2	800	जनवरी-13	सितंबर-14
आंध्र प्रदेश	काकटीया टीपीपी एक्सटे.	एपीजीईएनसीओ	U-1	600	जुलाई-12	मई-14
आंध्र प्रदेश	रयालसीमा केन्द्र-III U-6	बीएचईएल	U-6	600	जुलाई-14	दिसंबर-15
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	GT	70	सितंबर-11	अप्रैल-13
			ST	30	जनवरी-12	जुलाई-13
छत्तीसगढ़	कोरबा पश्चिमी टीपीपएस स्टेज-II	सीएसपीजीसीएल	U-5	500	मई-12	मार्च-13
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	सीएसपीजीसीएल	U-1	500	सितंबर-12	मार्च-13
			U-2	500	जुलाई-12	जून-13
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	GT-4	250	सितंबर-10	मार्च-13
			ST-2	250	नवंबर-10	मई-13

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	ब्लॉक-1	351	सितंबर-10	जून-13
			ब्लॉक-2	351	नवंबर-10	मार्च-13
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटे.	जीएसईसीएल	U-3	250	अक्तूबर-13	अप्रैल-14
			U-4	250	जनवरी-14	जुलाई-14
गुजरात	उकाई टीपीपी एक्सटे.	जीएसईसीएल	U-6	500	जनवरी-11	मार्च-13
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	भावनगर एनर्जी	U-1	250	अक्तूबर-13	अक्तूबर-14
			U-2	250	दिसंबर-13	दिसंबर-14
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	U-8	500	जून-12	सितंबर-13
			U-9	500	सितंबर-12	दिसंबर-13
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सटे.	एमएसपीजीसीएल	U-8	660	दिसंबर-13	मार्च-14
			U-9	660	जून-14	सितंबर-14
			U-10	660	दिसंबर-14	मार्च-15
महाराष्ट्र	पारली टीपीपी एक्सटे.	एमएसपीजीसीएल	U-8	250	जनवरी-12	सितंबर-13
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्री सिंगति)	एमपीपीजीसीएल	U-1 U-2	600 600	जून-12 अक्तूबर-12	मई-13 जुलाई-13
मध्य प्रदेश	सतपुडा टीपीपी एक्सटे.	एमपीपीजीसीएल	U-10	250	फरवरी-12	फरवरी-13
			U-11	250	अप्रैल-12	जून-13
राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटे.	आरआरवीयूएनएल	U-3	250	मई-11	मई-13
राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटे.	आरआरवीयूएनएल	U-4	250	जुलाई-11	सितंबर-13
राजस्थान	काली सिंध टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	U-1	600	अगस्त-11	मार्च-13
			U-2	600	मार्च-12	अगस्त-13
राजस्थान	रामगढ़	आरआरवीयूएनएल	GT	110	मई-11	जनवरी-13
			ST	50	अक्तूबर-11	अगस्त-13
तमिलनाडु	उत्तरी चेन्नई एक्सटे.	टीएनईबी	U-1	600	अप्रैल-11	मई-13
			U-2	600	नवंबर-11	दिसंबर-12
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी	यूपीआरवीयूएनएल	U-6	500	मार्च-11	फरवरी-14
			U-7	500	जून-11	जून-14
उत्तर प्रदेश	परीछा एक्सटे.	यूपीआरवीयूएनएल	U-6	250	नवंबर-09	मार्च-13

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर टीपीएस एक्सटे.	डीपीएल	U-8	250	दिसंबर-13	दिसंबर-13
पश्चिम बंगाल	सागरडिघी टीपीपी-II	डब्ल्यू बीपीडीसीएल	U-3	500	जुलाई-14	जुलाई-14
			U-4	500	अक्तूबर-14	अक्तूबर-14
	कुल राज्य क्षेत्र			17592		
	निजी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	भनावनपाडु टीपीपी	ईस्ट कोस्ट इनर्जी लिमिटेड	U-1	660	अक्तूबर-13	जुलाई-15
			U-2	660	मार्च-14	अक्तूबर-15
आंध्र प्रदेश	एनसीसीटीपीपी	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	U-1	660	मार्च-15	जून-16
			U-2	660	जुलाई-15	सितंबर-16
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	थर्मल पावर टेक का.लि.	U-1	660	मई-14	अगस्त-14
			U-2	660	अगस्त-14	नवंबर-14
आंध्र प्रदेश	सम्हापुरी इनर्जी प्रा.लि. फे-II	मधुकॉन प्रोजेक्ट लि.	U-3	150	दिसंबर-11	फरवरी-13
			U-4	150	फरवरी-12	अप्रैल-13
आंध्र प्रदेश	थमिनापटनम टीपीपी-I	मीनाक्षी इनर्जी लि.	U-2	150	नवंबर-11	दिसंबर-12
आंध्र प्रदेश	थमिनापटनम टीपीपी-I	मीनाक्षी इनर्जी लि.	U-3	350	मई-12	मई-14
			U-4	350	अगस्त-12	अक्तूबर-14
आंध्र प्रदेश	विजाग टीपीपी	हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन लि.	U-1	520	जून-13	फरवरी-14
			U-2	520	सितंबर-13	जून-14
छत्तीसगढ़	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	केएसके महानदी पावर को.लि.	U-1	600	अप्रैल-12	जून-13
			U-2	600	अगस्त-12	अक्तूबर-13
			U-3	600	दिसंबर-12	अप्रैल-14
			U-4	600	अप्रैल-13	जून-14
छत्तीसगढ़	अवन्था भंडार टीपीएस	कोरबा पश्चिमी पावर को.लि.	U-1	600	जुलाई-12	जुलाई-13

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	बाराडढ़ा टीपीपी (डीबी पावर टीपीपी)	डीबी पावर को.लि.	U-1	600	मार्च-13	अगस्त-13
			U-2	600	जुलाई-13	जनवरी-14
छत्तीसगढ़	बालको टीपीपी	भारत एलुमिनियम को. लि.	U-1	300	फरवरी-11	मार्च-14
छत्तीसगढ़	बालको टीपीपी	भारत एलुमिनियम को. लि.	U-2	300	नवंबर-10	जनवरी-14
छत्तीसगढ़	बंदाखर टीपीपी	मारूती क्लीन कोल एंड पावर लि.	U-1	300	दिसंबर-12	जुलाई-14
छत्तीसगढ़	बिनजकोट टीपीपी	एसकेएस पावर जेनेरेशन लि. (छत्तीसगढ़)	U-1	300	जनवरी-14	सितंबर-14
			U-2	300	अप्रैल-14	दिसंबर-14
			U-3	300	जुलाई-14	मार्च-15
			U-4	300	अक्तूबर-14	जून-15
छत्तीसगढ़	लैनको अमरकंटक टीपीएस-II	एलएपी प्रा.लि.	U-3	660	जनवरी-13	अगस्त-13
			U-4	660	मार्च-13	दिसंबर-13
छत्तीसगढ़	रैखेडा टीपीपी	जीएमआर	U-1	685	सितंबर-13	जून-14
			U-2	685	जनवरी-14	अक्तूबर-14
छत्तीसगढ़	रतीजा टीपीपी	स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लि.	U-1	50	जून-11	दिसंबर-12
छत्तीसगढ़	सिंघीतराई टीपीपी	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	U-1	600	जून-14	फरवरी-15
			U-2	600	सितंबर-14	मई-15
छत्तीसगढ़	स्वास्तिक टीपीपी	मेसर्स एसीबी	U-1	25	जून-12	जनवरी-13
छत्तीसगढ़	तमनार टीपीपी (रायगढ़)	ओपी जिंदल	U-1	600	जनवरी-14	जनवरी-14
			U-2	600	अप्रैल-14	अप्रैल-14
			U-3	600	सितंबर-14	सितंबर-14
			U-4	600	नवंबर-14	नवंबर-14
छत्तीसगढ़	टीआरएन इनर्जी टीपीपी	टीआरएन इनर्जी प्रा.लि.	U-1	300	दिसंबर-13	सितंबर-14
			U-2	300	अप्रैल-14	दिसंबर-14

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी	आरकेएम पावरजेन प्रा.लि.	U-1	360	मई-12	अक्तूबर-13
			U-2	360	नवंबर-12	जनवरी-14
			U-3	360	फरवरी-13	अप्रैल-14
			U-4	360	अगस्त-13	अक्तूबर-14
छत्तीसगढ़	वंदना विद्युत टीपीपी	मै. वंदना विद्युत	U-1	135	जून-11	जनवरी-13
			U-2	135	सितंबर-11	अगस्त-13
गुजरात	मुन्द्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर कं.	U-4	800	फरवरी-14	अगस्त-13
			U-5	800	अगस्त-14	नवंबर-13
झारखंड	महादेव प्रसाद एसटीपीपीपीएच I	आधुनिक पावर कं. लि.	U-2	270	मार्च-12	मई-13
झारखंड	मल्तऋषि ऊषा टीपीपी चरण I	मै. कार्पोरेट पावर लि.	U-1	270	मई-12	मार्च-13
			U-2	270	जून-12	जून-13
झारखंड	मल्तऋषि ऊषा टीपीपी चरण II	मै. कार्पोरेट पावर लि.	U-3	270	फरवरी-13	अगस्त-13
			U-4	270	मार्च-13	नवंबर-13
झारखंड	तोरी टीपीपी	बसर पावर	U-1	600	जून-13	दिसंबर-14
			U-2	600	जनवरी-14	मार्च-15
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी चरण I	इंडिया बुल्स	U-1	270	दिसंबर-11	फरवरी-13
			U-2	270	दिसंबर-11	जून-13
			U-3	270	जनवरी-12	सितंबर-13
			U-4	270	फरवरी-12	दिसंबर-13
			U-5	270	मार्च-12	मार्च-14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी चरण II	इंडिया बुल्स	U-1	270	जुलाई-14	*
			U-2	270	सितंबर-14	*
			U-3	270	नवंबर-14	*
			U-4	270	जनवरी-15	*
			U-5	270	मार्च-15	*
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी I	आईईपीएल	U-1	270	दिसंबर-11	दिसंबर-12

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	धर्लवाल इन्फ्रा टीपीपी	धर्लवाल इन्फ्रा	U-1	300	फरवरी-12	मार्च-13
		प्रा.लि.	U-2	300	मई-12	जून-13
महाराष्ट्र	ईएमसीओ बरोरा टीपीपी	एमको इनर्जी लि.	U-1	300	नवंबर-11	दिसंबर-12
		(जीएमआर)	U-2	300	फरवरी-12	मार्च-13
महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	U-1	660	जनवरी-14	अप्रैल-14
			U-2	660	मई-14	अगस्त-14
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी चरण I	इंडिया बुल्स	U-1	270	फरवरी-12	फरवरी-13
			U-2	270	अप्रैल-12	जून-13
			U-3	270	जून-12	नवंबर-14
			U-4	270	अगस्त-12	जनवरी-15
			U-5	270	अक्तूबर-12	मार्च-15
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी चरण II	इंडिया बुल्स	U-1	270	अप्रैल-13	*
			U-2	270	जून-13	*
			U-3	270	अगस्त-13	*
			U-4	270	अक्तूबर-13	*
			U-5	270	दिसंबर-13	*
महाराष्ट्र	तिरोरा टीपीपी फे-I	अदनी पावर लि.	U-2	660	जुलाई-11	जनवरी-13
महाराष्ट्र	तिरोरा टीपीपी फे-II	अदनी पावर लि.	U-1	660	अक्तूबर-11	मार्च-13
			U-2	660	जुलाई-12	अगस्त-13
			U-3	660	अक्तूबर-12	नवंबर-13
मध्य प्रदेश	अनुपपुर टीपीपी फे-I	एमबी पावर एमपी	U-1	600	अप्रैल-13	नवंबर-14
			U-2	600	अगस्त-13	फरवरी-15
मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	बीना पावर सप्लाई को.लि.	U-2	250	नवंबर-11	मार्च-13
मध्य प्रदेश	गोर्गी टीपीपी	डीबी पावर	U-1	660	जून-13	मार्च-16
मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	एस्सार पावर एमपी लि	U-1	600	जून-11	दिसंबर-12
			U-2	600	सितंबर-11	मार्च-13

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	निगरी टीपीपी	जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लि.	U-1	660	जून-13	दिसंबर-13
			U-2	660	दिसंबर-13	जून-14
मध्य प्रदेश	ससन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	U-1	660	मई-13	दिसंबर-13
			U-2	660	दिसंबर-13	जुलाई-13
			U-3	660	जुलाई-14	फरवरी-13
			U-4	660	फरवरी-15	मई-14
			U-5	660	सितंबर-15	अक्तूबर-14
			U-6	660	अप्रैल-16	मार्च-15
मध्य प्रदेश	सेइओनी टीपीपी फे-I	झाबुआ पावर लि.	U-1	600	मार्च-13	जनवरी-14
ओडिशा	देरंग टीपीपी	जेआईटीपीएल	U-1	600	मार्च-12	सितंबर-13
		जेआईटीपीएल	U-2	600	जून-12	दिसंबर-13
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	इंड भारत	U-1	350	सितंबर-11	मार्च-13
			U-2	350	दिसंबर-11	जुलाई-13
ओडिशा	कमलांगा टीपीपी	जीएमआर	U-1	350	नवंबर-11	जनवरी-13
			U-2	350	दिसंबर-11	अप्रैल-13
			U-3	350	फरवरी-12	जुलाई-13
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	केवीके निलांचल	U-1	350	दिसंबर-11	जनवरी-14
			U-2	350	जनवरी-12	अगस्त-15
			U-3	350	मार्च-12	अक्तूबर-15
ओडिशा	लेनको बाबंध टीपीपी	लेनको बाबंध पावर लि.	U-1	660	अप्रैल-13	मार्च-14
			U-2	660	अगस्त-13	मई-14
ओडिशा	मलिब्रहमणी टीपीपी (मोनेट इस्पात)	एमपीसीएल	U-1	525	दिसंबर-12	फरवरी-14
पंजाब	गोइंदवाल साहिब	जीवीके पावर	U-1	270	अप्रैल-13	अप्रैल-13
			U-2	270	अक्तूबर-13	अक्तूबर-13

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नभ)	नभ पावर लि.	U-1	700	जनवरी-14	जनवरी-14
			U-2	700	मार्च-14	मार्च-14
पंजाब	तलवांडी सबो टीपीपी	मैसर्स स्टरलाइट	U-1	660	अक्तूबर-12	दिसंबर-13
			U-2	660	जून-13	अप्रैल-14
			U-3	660	मई-13	जून-14
राजस्थान	जल्लिया-कपुर्डी टीपीपी	राज वेस्ट पावर	U-5	135	जून-10	'
		लि. (जेएसडब्ल्यू)	U-6	135	अगस्त-10	'
			U-7	135	सितंबर-10	'
			U-8	135	मार्च-11	*
राजस्थान	कवाई टीपीपी	अदनी पावर लि.	U-1	660	दिसंबर-12	जनवरी-13
		अदनी पावर लि.	U-2	660	मार्च-13	अप्रैल-13
तमिलनाडु	मेलामरुथुर ता.वि.सं.	कोस्टल एनर्जेन	U-1	600	फरवरी-12	अप्रैल-13
			U-2	600	मार्च-12	जुलाई-13
तमिलनाडु	तुतीकोरिन ता.वि.सं. (इंड-बारत ता.वि.सं.)	आईबीपीआईएल	U-1	660	मई-12	दिसंबर-15
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) ता.वि.सं.	जे.पी. विद्युत	U-1	660	फरवरी-14	फरवरी-14
			U-2	660	जुलाई-14	
			U-3	660	दिसंबर-14	दिसंबर-14
उत्तर प्रदेश	ललितपुर ता.वि.सं.	ललितपुर विद्युत	U-1	660	अक्तूबर-14	अक्तूबर-14
		उत्पादन को. लि.	U-2	660	फरवरी-15	फरवरी-15
			U-3	660	जून-15	जून-15
पश्चिम बंगाल	हल्दिया ता.वि.सं.-I	मैसर्स हल्दिया एनर्जी लि.	U-1	300	अगस्त-14	अगस्त-14
			U-2	300	नवंबर-14	नवंबर-14
	कुल निजी क्षेत्र			63340		
	कुल योग			100009.6		

विवरण-II

निष्पादनाधीन पन बिजली परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम निष्पादक अभिकरण, क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र प्रारंभ कार्यक्रम (वास्तविक /अब अनु.)	व्यापक वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर			
1.	यूरि-II 4×60=240 मेगावॉट ज एवं क एनएचपीसी	केन्द्रीय 2009-10 2012-13	सिविल कार्य: प्रमुख सिविल कार्य लगभग पूरे कर लिए गए हैं। ई एंड एम कार्य: सभी इकाइयों के लिए मसौदा ट्यूबों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। सभी इकाइयों के लिए स्पाइरल केसिंग एवं लोवर पिट लाइनर का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इकाई 1-बॉक्स अप पूर्ण इकाई 2-बॉक्स अप पूर्ण इकाई 3-बॉक्स अप पूर्ण इकाई 4-रोटर 03.02.12 को उतारा और संतुलन टीजी भागों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एचएम कार्य: सभी कार्य पूर्ण।
2.	चुटक 4×11=44 मेगावॉट एनएचपीसी	केन्द्रीय 2010-11 2012-13	ईएंडएम कार्य: इकाई#2: मशीनें 26.3.12 को सिंक्रोनाइज्ड की गई हैं लेकिन अपर्याप्त भार के कारण चालू नहीं की जा सकीं। इकाई को 08.11.2012 को अब पूर्ण भार पर चालू कर लिया गया है। इकाई# 3: मशीनें 31.7.12 को सिंक्रोनाइज्ड की गई हैं लेकिन अपर्याप्त भार के कारण चालू नहीं की जा सकी। इकाई को 1.11.2012 को अब पूर्ण भार पर चालू कर लिया गया है। इकाई# 1: मशीनें 6.11.11 को सिंक्रोनाइज्ड की गई हैं। मशीनों को अपर्याप्त भार के कारण अतिरिक्त क्षमता में शामिल नहीं किया गया। इकाई# 4: टरबाइन कार्य पूर्ण होने वाला है। स्टेटर और रोटर को नीचे कर दिया गया है और इकाई सरेक्षण प्रगति पर है। एचएम कार्य: सभी एचएम गेट को चालू कर लिया गया है।
3.	निम्बू बजगो 3×15=45 मेगावाट एनएचपीसी	केन्द्रीय 2010-11 2013-14	बांध: जलाशय भरण 2.712 को शुरू किया गया है और भरण 20.8.12 पूर्ण कर लिया गया। ईएंडएम कार्य: इकाई# 3: मैकेनिकल स्पिनिंग 27.9.12 को प्राप्त कर लिया गया। इकाई# 2: रोटकर 12.07.2012 को नीचे किया गया। बॉक्सिंग अप प्रगति पर है।

1	2	3	4
			इकाई# 1: टरबाइन कार्य प्रगति पर है। एचएमकार्य: कार्य चालू करने से संबंधित कुछ मामूली कार्य को छोड़कर पूर्ण कर लिया गया है।
4.	किशनगंगा 3×110=330 मेगावाट एनएचपीसी	केंद्रीय 2016-17 2016-17	विचलन कार्य-नदी विचलन 21.6.12 को कर लिया गया। बांध एवं इनटेक कार्य: 30000 क्यू मी में से 222425 क्यू मी लेफ्ट बैंक के खुदाई पूर्ण कर लिया गया। एचआरटी: डीबीएम द्वारा 8747 मी में से 5878 मी खुदाई डीबीएम द्वारा पूरा कर लिया गया। टीबीएम द्वारा 14718 में से 4783 मी की खुदाई पूर्ण कर ली गई। ऊपर से डूबते हुए 99.5 मी. में से 59.3 मी शुगर शैफ्ट खुदाई पूरी कर ली गई। पावर हाउस: 100000 क्यूमी में से 29800 क्यूमी खुदाई पूरी कर ली गई।
5.	बागलिहार-II जेकेपीडीसी 3×150=450 मेगावाट	राज्य 2014-15 2016-17	बगलिहार-II पनबिजली परियोजना की कल्पना बगलिहार-I पन बिजली परियोजना के साथ की गई थी। बांध से संबंधित कार्य और एचआरटी के कुछ भाग बगलिहार चरण-I परियोजना के साथ पूरे किए गए। एचआरटी: 186000 cum में से 168000 cum की खुदाई पूरी कर ली गई है और 65000 cum में से 1782 cum की लाइनिंग पूरी कर ली गई है। शुगर शैफ्ट: 68000 cum में से 53493 cum की खुदाई पूर्ण कर ली गई है। पेनस्टॉक: 10000 cum में से 8339 cum की खुदाई पूरी कर ली गई है। TRT: 38000 cum में से 28342 cum की खुदाई पूरी कर ली गई है।
हिमाचल प्रदेश			
6.	परबती-II 4×200=800 मेगावॉट एनएचपीसी	केन्द्रीय 2009-10 2016-17	बांध एवं इनटेक संरचना-207296 cum में से 189925 cum बांध एवं इनलेट संरचना कांक्रिटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। हैड रेस टनल-31525 मी में से 26615 मी खुदाई पूरी कर ली गई है। कुल ओवर्ट लाइनिंग: 31525 मी में से 16849 मी खुदाई पूरी कर ली गई है। पॉवर हाऊस: 53416 cum में से 45040 cum कांक्रिटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। (जीवा नल्लाह फीडर टनल) ईएंडएम कार्य: मैसर्स भेल द्वारा इरेक्शन एजेंसी के नॉन मोबेलाइजेशन के कारण ईओटी क्रेन के इरेक्शन और ईएंडएम कार्य लंबित हैं। सभी चार इकाइयों के लिए पिट लाइनर के इरेक्शन पूरा कर लिया गया है।

1	2	3	4
			एचएम कार्य: दोनो वर्टिकल प्रेशर शेफ्टों में फरेलस का इरेक्शन पूरा कर लिया गया है।
7.	परबती-III 4×130=520 मेगावॉट एनएचपीसी	केन्द्रीय 2010-11 2012-14	बांध के प्लंग पूल खुदाई के अलावा सभी सिविल कार्य पूरे कर लिए गए हैं। ईएंडएम कार्य: बॉक्स अप और एमआईवी इकाई# 1: इरेक्शन 90% पूर्ण। इाकई# 2: स्टेटर लोवरड एचवी परीक्षण प्रगति पर है और रोटर असेम्बली सर्विस बे में है। एमआईवी का इरेक्शन 70% पूर्ण। इकाई# 3: रोटर एसेम्बल्ड सर्विस बे इकाई# 4: टरबाइन एसेम्बली प्रगति पर है। एचएम कार्य: स्पिलवे रेडियल गेट के इरेक्शन, इनटेक गेट, एसएफटी गेट के इरेक्शन पूर्ण कर लिए गए हैं और परीक्षण एवं चालू किया जाने का कार्य प्रगति पर है। द्वितीय चरण ईपी के इरेक्शन डीटी 1 एवं 2 में पूर्ण कर लिया गया है और डीसी तथा टीआरटी आउटलेट पर होइस्ट संरचना में ईओटी क्रेन का इरेक्शन प्रगति पर है।
8.	कोल बांध एनटीपीसी 30.6.2002/अक्तूबर 2002 4×200=800 मेगावाट	केन्द्रीय 2008-10 2013-14	मुख्य बांध: 25 मी ऊंचाई वाले बांध के संतुलन के लिए 126 लाख क्यूमी में से 10 लाख सामग्री भरण किये जाने का कार्य मार्च, 2013 तक कर लिया जाना निर्धारित है। स्पिलवे कंक्रीटिंग: 4.78 लाख क्यूमी. में से 4.2 लाख क्यूमी. कंक्रीटिंग पूर्ण कर लिया गया। इकाई-1: 22.10.2009 को बॉक्स्ड अप। इकाई-2: 9.8.2010 को बॉक्स्ड अप। इकाई-3: 13.01.2011 को बॉक्स्ड अप। इकाई-4: 27.09.2012 को बॉक्स्ड अप। पेनस्टॉक: पेनस्टाक लानर का इरेक्शन पूर्ण। एक इकाई के डी/टी गेट का इरेक्शन पूर्ण। सभी इकाईयों के लिए विद्युत इनटेक गेट का इरेक्शन प्रगति पर है। सभी चार इकाईयों के लिए जेनेरेटर ट्रांसफोरमर के इरेक्शन पूर्ण।
9.	रामपुर एसजेवीएनएल 16.12.2005/25.01.07 6×68.67=412 मेगावॉट	केन्द्रीय 2011-12 2013-14	एचआरटी: हेडिंग खुदाई पूर्ण। लाइनिंग प्रगति में है और फरवरी 2012 तक पूरे होने की संभावना है। ई और एम कार्य: इकाइयों का निर्माण: इकाई# 1: स्टेटर और रोटर की एसेम्बली क्रमश: 14.8.2012 एवं 24.8.2012 को पूर्ण की गई। इकाई# 2: पीवोट रिंग बुश क्लियरिंग एवं रोटर के एसेम्बली के लिए तैयार कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
			इकाई #3 और इकाई# 4: स्टे रिंग एवं स्पाइरल के निर्माण कार्य प्रगति पर है। इकाई# 5: जेनेरेटर बेरेल तक कंक्रीटिंग प्रगति पर है। इकाई# 6: जेनेरेटर बेरेल.....फ्लोर बीम एवं स्लेब के लिए फोर्समेंट प्रगति पर है।
10.	यूएचएल-III बीस घाटी विद्युत निगम लि. (एचपीएसईबी) 19.09.02/ (टैक-2×50 मेगावॉट) 3×33.3=100 मेगावॉट (एचपीएसइबी के दिनांक 19.01.07 के पत्र के तहत संशोधित)	राज्य 2006-07 2014-15	स्टोरेज हौज: 57895 cum में से 55399 cum की खुदाई और 43700 cum में से 37213 cum की कंक्रीटिंग पूर्ण। एचआरटी: 8471 मी. में से 8233 मी की खुदाई पूर्ण और 8471 मी में से 1253 मी की लाइनिंग पूर्ण। सर्ज शॉफ्ट पूर्ण। पेनस्टॉक: 155000 cum में से 151685 cum की खुदाई पूर्ण और 155000 cum में ये 37213 cum की कंक्रीटिंग पूर्ण। पावर हाउस और तेल रेस: 32500 cum में से 26592 की खुदाई पूर्ण और 12050 cum के कंक्रीटिंग का कार्य पूर्ण। ईएंडएम: इकाई# 1, #2 और #3: सभी इकाइयों के स्टे रिंग एवं स्पाइरल रिंग के निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।
11.	कशंग-I एचपी विद्युत निगम लि. 31.07.08 65 मेगावाट	राज्य 2012-13 2014-15	ट्रेंच वियर: 3910 cum में से 3670 cum की कंक्रीटिंग पूर्ण। एचआरटी: 2 किमी लेंथ में से 1873 मी की खुदाई पूर्ण कर ली गई है और 2000 मी में से 816 मी लाइनिंग पूर्ण कर ली गई है। प्रेशर शॉफ्ट: वेल्व हाउसटॉप होरीजेनटल प्रेशर शॉफ्ट की खुदाई पूर्ण। ईएंडएम कार्य: अर्थ मैट डालने का कार्य प्रगति पर है। मॉडल परीक्षण पूर्ण। पावर हाउस एवं ट्रांसफॉरमर हॉल कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है। 335 मी में से 25 मी टीआरटी कंक्रीट लाइनिंग पूर्ण।
12.	कशंग-II और III एचपी विद्युत निगम लि. 1×65+1×65=130 मेगावॉट	राज्य 2013-14 2015-16	केरंग-कशंग लिंग का कार्य मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया गया था। लिप्पा ग्रामीणों के निरंतर आंदोलन के कारण कार्य में विलंब। मामला न्यायाधीन है।
13.	सैन्ज एचपी विद्युत निगम लि. 100 मेगावाट 29.12.2010	राज्य 2013-14 2014-15	एचआरटी: एचआरटी खान-अदिति-I केयू/एस एवं डी/ एस-3135 मी में से 2190 मी पूर्ण और अदिति-II का खनन पूर्ण। पावर हाउस से मेन एक्सेस टनल खनन पूर्ण। पावर हाउस: इएल 1360.2 मी से इएल 1347.8 मी बेंचिग सर्विस बे स्तर पर पूर्ण। 39000 मी में से 38275 मी^{3} पूर्ण। टीआरटी: 356 मी में से 229 मी खनन पूर्ण।

1	2	3	4
14.	स्वारा कुड्डू एचपी विद्युत निगम लि. एचपीएसईबी क्लियरेंस: 10.11.2004 3×27=111 मेगावॉट	राज्य 2010-11 2014-15	एचआरटी: 11363 मी में से 9519 मी एचआरटी खनन के सभी पहलू पूर्ण और 11363 मी में ये 746 मी कंक्रीटिंग पूर्ण। सर्ज शॉफ्ट: खनन पूर्ण एवं लाइनिंग प्रगति पर। पावर हाउस: खनन पूर्ण एवं कंक्रीटिंग प्रगति पर। टीआरटी: खनन पूर्ण एवं लाइनिंग प्रगति पर। ईएंडएम कार्य: इकाई 1 के डीटी लाइनर का उत्थापन पूर्ण एवं बिजली घर में इकाई 2 का कार्य प्रगति पर।
15.	शोंगटांग करचम एचपी विद्युत निगम लि. एचपीएसईबी क्लियरेंस: 16.08.2012 3×150=450 मेगावॉट	राज्य 2017-18 2017-18	केविप्राको को कार्य 30.06.2012 को दिया गया, सहमति 16.08.2012 को दी गई कॉन्ट्रेक्टर द्वारा मोबिलाइजेशन किया जा रहा है।
16.	सोरंग हिमाचल सोरंग पावर कॉर्पोरेशन लि. जून, 2006/ 2×50=100 मेगावॉट	निजी 2012-13 2013-14	एचआरटी: खनन पूर्ण कर लिया गया है और 1455 मी में से 825 मी लेंथ की लाइनिंग पूर्ण। पेनस्टॉक: खनन पूर्ण कर लिया गया है। Erection of ferrules is in progress. ईएंडएम कार्य: दोनों इकाइयों के इरेक्शन का कार्य पूर्णता की चरम स्थिति में है।
17.	तिडोंग-I मैसर्स एनएसएल तिडोंग पावर जेन लि. 2×50=100 मेगावॉट	निजी 2013-14 2015-16	संरचनात्मक एवं पूर्व निर्माण गतिविधियां प्रगति पर हैं। बैरेज: 70% खनन पूर्ण। एचआरटी: 8.6 किमी में से 1.4 किमी खनन पूर्ण।
18.	तंगन रोमई-I मैसर्स तंगु रोमई पावर जेनेरेशन 2×22=44 मेगावॉट 30.11.2007 एचपीएसईबी	निजी 2014-15 2015-16	मैसर्स साई ऊर्जा हाइडल प्रोजेक्ट (प्रा.) लि. को 14.06.2010 को दिया गया कार्य प्रगति पर है। एचआरटी-6267 मी में से 359 मी का खनन पूर्ण। सर्फेस पावर हाउस-52000 cum में से 27075 cum का खनन पूर्ण।
उत्तराखंड			
19.	तेहरी पीएसएस, टीएचडीसी, 18.7.06 नवंबर-11 (संशोधित सीसीईए) 4×250=1000 मेगावॉट	केन्द्रीय 2011-12 13वीं योजना	ईपीसी कॉन्ट्रेक्ट 27.07.11 को चालू किए जाने के साथ 23.06.11 को प्रदान किया गया। पूर्व निर्माण गतिविधियां और विभिन्न भूमिगत कार्यों के लिए अदिति के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। पीएच: पावर हाउस पिट की क्राउन स्लेशिंग शुरू की गई। Out of 60.0 Th. cum सर्विस बे एरिया तक खनन में से a progress of 3.475 Th. cum की प्रगति पूर्ण कर ली गई है।

1	2	3	4
			टीआरटी: दोनों टीआरटी में प्रायोगिक टनल हेडिंग खनन प्रगति पर है। टीआरटी-1 में, 160.3/1000 मी का खनन पूर्ण। टीआरटी-2, में 18.5.3/1095 मी का खनन पूर्ण।
20.	तपोवन विष्णुगढ़ एनटीपीसी 11.08.2004/नवंबर, 2006 4×130=520 मेगावॉट	केन्द्रीय 2011-12 2015-16	एचआरटी: इनटेक डी/एस 3472 मी में से 2123.50 मी खनन, यू/एस 966 मी में से 370 मी और टीबीएम द्वारा 8618.6 मी में से 5436 मी पूर्ण। कंक्रीट लाइनिंग यू/एस इनटेक पूर्ण। चेम्बर डीसिल्टिंग: 16.90 लाख $मी^3$ में से 15.03 लाख $मी^3$ खनन पूर्ण। टीआरटी: कार्य पूर्ण। सर्ज शॉफ्ट: पूर्ण वाइडेनिंग पूर्ण। पेनस्टॉक: खनन पूर्ण। इंटरमीडिएट से टॉप इनक्लाइनड पीएस-I में स्टील लाइनर के इरेक्शन पूर्ण एवं मध्य से ऊपर तक पीएस 2 भी पूर्ण। ईएंडएम कार्य: बीएफ वेल्व में ईओटी क्रेन के इरेक्शन पूर्ण। इकाई# 1, 2 एवं 3 के लिए पिट लाइनद इरेक्शन पूर्ण एवं इकाई#4 प्रगति पर। टरबाइन हाउसिंग इरेक्शन प्रगति पर।
21.	लता तपोवन, एनटीपीसी अगस्त, 2012 3×57=171 मेगावॉट	केन्द्रीय 2017-18 2017-18	निर्माण पूर्व गतिविधियां एवं संरचना कार्य प्रगति पर। सिविल के लिए ईपीसी कॉन्ट्रेक्ट एवं एचएम कार्य मैसर्स एलएंडटी को 17.08.2012 को दिया गया।
22.	श्रीनगर जीवीके इंडस्ट्रीज लि. 14/06/2000/एफसी 4×82.5=330 मेगावॉट	निजी 2005-06 2013-14	पावर हाउस: बांध के कार्य और अन्य सिविल कार्य पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। इकाई निर्माण: इकाई# 1: स्टे रिंग एवं स्पाइरल केसिंग के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इकाई# 2: स्टे रिंग अलाइनमेंट पूर्ण। इकाई# 3: ड्राफ्ट ट्यूब निर्माण प्रगति पर है। इकाई# 4: ड्राफ्ट ट्यूब निर्माण प्रगति पर है।
23.	फट बयुंग मैसर्स लेन्को 06.10.2008 2×38=76 मेगावॉट	निजी 2013-14 2013-14	डाइवर्जन टनल: नदी डाइवरडेट बांध कंक्रीटिंग: 17800/18000 cum कंक्रीटिंग पूर्ण। पी.एच.: खनन पूर्ण एवं कंक्रीटिंग प्रगति पर। एचआरटी: 7619/9228 मी खनन पूर्ण। इनटेक-I एवं इनटेक-II का खनन पूर्ण एवं लाइनिंग प्रगति पर।
24.	सिंगोली भटवाड़ी मैसर्स एलएंडटी 11.07.2008 3×33=99 मेगावॉट	निजी 2015-16 2015-16	नदी डाइवरटेड:पूर्ण। बांध एवं डायक्स/बैरेक: 51515/90744 cum खनन और 31276/76500 cum लाइनिंग पूर्ण। एचआरटी: 7353/11255 मी खनन पूर्ण। प्रेशर शॉफ्ट: 348.5/485 मी खनन पूर्ण। पीएच: 39806/53000 cum खनन पूर्ण। सर्ज टैंक: 5117/12434 cum खनन पूर्ण।

1	2	3	4
	मध्य प्रदेश		
25.	महेश्वर एसए एसएमएचपीसीएल 30.12.96/ 29.9.2006 (एफसी) 10×40=400 मेगावॉट	केन्द्रीय 2001-02 2013-15	सिविल और एचएम कार्य: सभी प्रकार के बड़े सिविल कार्य पूर्ण। विभिन्न यूनिटों के पावर हाउसों के क्षेत्र में सिविल कार्य प्रगति पर है। सभी 27 रेडिबल द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। यूनिट इरेक्शन: यूनिट-10: 14.10.2011 को प्रारंभिक इस्पिंग का कार्य पूर्ण। यूनिट-9 एवं 8 स्पिनिंग के लिए तैयार यूनिट-7 उपकरण टायल गाइड के एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर यूनिट-6: निर्मित टरबाइन के भागों का इरेक्शन एवं बुनियाद का कार्य पूर्ण। यूनिट-5 से यूनिटों के इरेक्शन का कार्य विभिन्न चरणों में है। डेवेलपर के साथ कैश फ्लों की समस्या के कारण नवंबर-11 में भेल ने कार्य करना बंद कर दिया।
	महाराष्ट्र		
26.	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस डब्ल्यूआरडी महा. 20.02.2004 2×40=80 मेगावॉट	राज्य 2014-15 13th प्लान	सिविल कार्य: निर्माणाधीन सुरंग के निर्माण, वेंटीलेशन सुरंग एवं पावर हाउस का कार्य प्रगति पर है। निर्माणाधीन सुरंग: अतिभारित खनन कार्य पूर्ण और सख्त चट्टानों का खनन कार्य प्रगति पर है। 14872 क्यूमेक में से 14474 क्यूमेक का सख्त चट्टानों का खनन कार्य पूर्ण। भूमिगत पावर हाउस के खनन का कार्य प्रगति पर है। 6356 क्यूमेक भूमिगत पावर हाउस के खनन कार्य में से 5360 क्यूमेक का कार्य पूर्ण किया गया है। 1930 रॉक बिल्डिंग के आरएमटी में से 200 आरएमटी का कार्य पूर्ण किया गया है। ईएवंएम कार्य: 16.12.2010 को पुणे में मैसर्स आईबीआरसीएल लि. के साथ विस्तृत इंजीनियरिंग मेन्यूफेक्चरिंग आपूर्ति, पर्यावरणीय इरेक्शन, परीक्षण की शुरुआत और पम्प टरबाइन के वाणिज्य उपयोग के लिए तैयार करना, जनरेटर मोटर और संयोजित उपकरणों को मुहैया कराने के लिए हस्ताक्षर किए गए। उपकरणों की सुपुर्दगी का कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा।
	आंध्र प्रदेश		
27.	नागार्जुन सागर टीआर एपीजेनको 17.01.05 2×25=50 मेगावॉट	राज्य 2008-09 2014-15	सिविल कार्य: मुख्य बांध: बांध के क्षेत्र के खनन का कार्य पूर्ण और 467834/532500 क्यूमेक कंक्रीट का कार्य पूर्ण। पीएच सिविल कार्य: पीएच क्षेत्र का खनन पूर्ण और 49995/63850 क्यूमेक का कंक्रीट कार्य पूर्ण।

1	2	3	4
			ईओटी क्रेन: ईओटी क्रेन का कार्य शुरू किया गया। यूनिट इरेक्शन: यूनिट-1: स्पाइरल केसिंग के कंक्रीट कार्य पूर्ण। यूनिट-2: स्पाइरल केसिंग का परीक्षण और स्थापित। एच एवं एम कार्य को 11.05.2009 को जीटीबी-पीईएस (जेबी) को पुन: प्रदान किया गया। सभी बीस रेडियल द्वारों के फेब्रीकेशन का कार्य पूर्ण। 7435 एमटी में से 1555 एमटी के इरेक्शन का कार्य पूर्ण।
28.	पुलिचिंटाला एपीजेनको 120 मे.वा. (4×30 मेगावॉट) 25.04.2007	राज्य 2010-11 2015-17	सिंचाई विभाग द्वारा बांध के निर्माण का कार्य निर्माणाधीन है। बांध के कंक्रीट का कार्य प्रगति पर है। और लगभग 50 प्रतिशत कंक्रीट कार्य पूर्ण हो चुका है। ई एवं एम कार्य: भेल द्वारा कार्य स्थल पर सामग्री को लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। यूनिट 1 और #2: ड्राफ्ट ट्यूब का इरेक्शन पूर्ण और कंक्रीट का एफपीआर जारी। यूनिट# 3: ड्राफ्ट ट्यूब एयर वेन्ट पाइप के विस्तारण का कार्य पूर्ण। यूनिट# 4: ड्राफ्ट ट्यूब ड्रेन पाइपों के बिछाए जाने का कार्य पूर्ण।
29.	लोअर जुराला एपीजेनको टीईसी जुलाई, 2007 में 6×40=240 मेगावॉट (120 मेगावॉट कम (होने की संभावना)	राज्य 2011-12 2014-16	अप्रोच चैनल के खनन, इन्टेक पूल, पावर हाउस पिट कार्य पूर्ण। वीयर: 388776/416700 क्यूमेक खनन कार्य पूर्ण। 117480/157000 क्यूमेक कंक्रीट का कार्य पूर्ण। पावर हाउस: 146782/221500 क्यूमेक कंक्रीट का कार्य पूर्ण। यूनिट इरेक्शन: यूनिट# 1: स्टेकोन कंक्रीट: स्टेटरों का एकत्रीकरण, रोटर एवं रनर का कार्य पूर्ण यूनिट-2: स्टेकोन इरेक्शन का कार्य पूर्ण। स्टेटर एवं रोटर के एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर है। यूनिट# 3: स्टेकोन लोअरड एवं संरेखण का कार्य प्रगति पर है। यूनिट# 4 और 5: एम्बेडमेंट के इरेक्शन का कार्य पूर्ण।
	केरल		
30.	पल्लीबसल केएसईबी 2×30=60 मेगावॉट	राज्य 2010-11 2014-15	वीयर: 10833/19700 क्यूमेक का खनन 2365/7340 क्यूमेक का कंक्रीट कार्य इंटेक स्ट्रक्चर: खनन-28398/33492 क्यूमेक कार्य पूर्ण। एचआरटी: खनन-2858/3330 मी. पूर्ण। ओवर्ट निर्माण: 1634/3330 मी. पूर्ण। इनवर्ट निर्माण: 1637/3330 मी पूर्ण पावर हाउस: खनन पूर्ण कंक्रीट कार्य 2311/11225 क्यूमेक

1	2	3	4
			सर्ज टैंक/फोरबे: खनन-6630/13400 क्यूमेक कंक्रीट कार्य 344/843 क्यू. प्रैशर शॉफ्ट: खनन-पूर्ण सरफेस पेनस्टाक: 99248/122600 क्यू. कंक्रीट 8071/11375 क्यू. टेल रेस सुरंग: खुदाई पूर्ण लाइनिंग 55/91 कर दिया गया। ई एवं एम उपस्कर: 71% आपूर्ति पूर्ण। मशीन एक और दो के लिए पिट लाइनर इरेक्शन पूर्ण। यूनिट-1 के लिए वितरक पाइप का कार्य पूर्ण और यूनिट 1 और 2 के लिए एमआईबी का कार्य पूर्ण।
31.	थोटियार केएसईबी 1×30+1×10=40 मेगावॉट	राज्य 2013-14 2015-16	सिविल कार्य: वीयर: कुल 5850 क्यूमेक में से 3194 क्यूमेक उत्खनन पूर्ण। अप्रोच चैनल और इनटेक: किए गए 9100 क्यूमेक में से 3184 क्यूमेक पावर टनल: पूरे किए गए 2300 क्यूमेक में से 95 क्यूमेक। बिजली घर, स्विचयार्ड और अनुषंगी कार्य: 44500 क्यूमेक में से 27010 क्यूमेक उत्खनन और 546 क्यूमेक तथा 15675 मीटर कंक्रीटिंग ईएंडएम और एचएम कार्य: डिजाइन और सप्लाई कार्य प्रगति पर है।
	तमिलनाडु		
32.	भवानी कट्टालाई बैराज-II टैनजेडको 11.6.99 2×15=30 मेगावॉट	राज्य 2006-07 2012-13	सिविल और एचएम कार्य: बैराज और बिजली घर का काम पूरा हो चुका है। ई एंड एम कार्य: यू# 1: 28.7.2011 को पूर्ण जलाशय स्तर पर पार्ट लोड की अनुपलब्धता के कारण ग्रिड के साथ यूनिट सिंक्रोनाइज्ड हुई। यू # 2: 29.9.2011 को पूर्ण जलाशय स्तर पर पार्ट लोड की अनुपलब्धता के कारण ग्रिड के साथ यूनिट सिंक्रोनाइज्ड हुई। वांछित जलाशय स्तर की अनुपलब्धता के कारण वांछित जलाशय स्तर पर पूर्ण भार की अनुपलब्धता के कारण इकाइयां प्रारंभ नहीं की जा सकीं। रेलवे पम्पों को ईएल 148.25 मी. से ऊपर उठाने का कार्य 7.7.2012 को किया गया। पूर्ण जलाशय स्तर 148.25 मीटर मेत्तूर बांध से जल छोड़े जाने के बाद जल स्तर में वृद्धि के पश्चात् ही प्राप्त किया जा सका।
33.	भवानी कट्टालाई बैराज-II टैनजेडको 27.03.02 2×15=30 मेगावॉट	राज्य 2006-07 2012-14	सिविल और एचएम कार्य: बैराज और बिजली घर का काम लगभग पूरा हो चुका है। ई एंड एम कार्य: दोनों यूनिट बॉक्सड अप हो चुकी हैं। परीक्षण प्रगति पर है। इस का प्रारंभ अगस्त-सितंबर, 2012 के दौरान संभावित है जबकि सिंचाई पर आधारित जल एकत्र होगा।

1	2	3	4
	पश्चिम बंगाल		
34.	तीस्ता निचलाबांध-III 4×33=132 मेगावॉट एनएचपीसी	केन्द्रीय 2006-07 2013-14	सिविल कार्य: सभी सिविल कार्य पूरे होने वाले हैं। ईएंड एम कार्य: यूनिट-1: यूनिट एक्सिस अलाइंमेंट और बॉक्स अप पूरे हो चुके हैं। सहायक क्रियाओं का उत्थापन प्रगति पर है। यूनिट 2: एक्सिस अलाइंमेंट और बॉक्स अप पूरे हो चुके हैं सहायक क्रियाओं का उत्थापन प्रगति पर है। यूनिट 3: एक्सिस अलाइंमेंट और बॉक्स अप पूरे हो चुके हैं सहायक क्रियाओं का उत्थापन प्रगति पर है। यूनिट 4: एक्सिस अलाइंमेंट और बॉक्स अप पूरे हो चुके हैं सहायक क्रियाओं का उत्थापन प्रगति पर है। सभी इकाइयों और केबलिंग तथा उत्थापन और परीक्षण तथा समापन का कार्य प्रगति पर है। जीआईएस उपस्कर और पॉटहैड यार्ड उपस्कर प्रगति पर हैं। हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य: पैन स्टाक का उत्थापन पूर्ण हो चुका है। सभी इनटेक सेवा गेटों का उत्थापन पूर्ण हो चुका है। एक रेडिकल गेट का उत्थापन भी पूर्ण हो चुका है। इनटेक स्टापलोग गेंट्री क्रेन का उत्थापन पूरा किया जा चुका है और इनटेक स्टाप लोक गेटस के उत्थापन का कार्य प्रगति पर है। ड्राफ्ट ट्यूब गेंट्री क्रेन का उत्थापन पूरा हो चुका है और ड्राफ्ट ट्यूब गेटस का उत्थापन पूर्ण हो चुका है।
35.	तीस्ता निचलाबांध-IV 4×40=160 मेगावॉट एनएचपीसी	केन्द्रीय 2009-10 2014-15	बिजली घर: 134373 क्यूमेक में से 116369 क्यूमेक पूर्ण हो चुके हैं। आरसीसीस बांध का उत्खनन: 290000 क्यूमेक में से 169200 क्यूमेक पूर्ण हो चुके हैं। ई और एम कार्य: मै. बीएचईएल द्वारा डिजाइन/इंजीनियरिंग कार्य प्रगति पर है। सर्विस बे में ईओटी क्रेन का उत्थापन। यूनिट 1, 2 और 3 में स्पाइरलकेस उत्थापन पूर्ण हो चुके हैं और यूनिट-4 में प्रगति पर है। ट्राइबन असेम्बली क्रियएशन और रोटर असेम्बली क्रिएशन के लिए यूनिट # 1 सर्विस बेन में प्रगति पर है। स्विच यार्ड स्टील स्ट्रक्चर के उत्थापन का कार्य प्रगति पर है। एचएम कार्य: मै. ओम मेटल्स द्वारा डिजाइन/इंजीनियरिंग का कार्य प्रगति पर है। बे-1 से 7 तक रेडिकल गेट का 83.5% सृजन हो चुका है। पेनस्टाक लाइनर का स्थापन पूर्ण हो चुका है। इनटेकगेटों का 30% सृजन पूर्ण हो चुका है।
	सिक्किम		
36.	चुजाचेन गति इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड, सिकन्दराबाद 30.11.2004 (राज्य सरकार)/ 2×49.5=99 मेगावॉट	निजी 2009-10 2012-13	एचआरटी क्लीनिंग और लेखापरीक्षाओं की प्लगिग प्रगति पर है तथा अन्य सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

1	2	3	4
37.	तीस्ता-III तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड 12.05.2006 6×200=1200 मेगावाट	निजी 2011-12 2014-15	बांध: सीएफआरडी, 11.5 लाख क्यूक में से 9.74 लाख क्यूमेक मैटीरियल रखा गया। एचआरटी: उत्खनन पूर्ण। 6.459 कि.मी. ओवरट लाइनिंग पूरी की गई और 2.197 कि.मी. इनवर्ट लाइनिंग पूरी की गई। मशीन हाल, जीआईएस हाल ओर टीआरटी से संबंधित पहुंच सुरंगों का उत्खनन पूरा किया गया। सर्ज शॉफ्ट: सिकिंग विधि के द्वारा 158 मीटर शॉफ्ट का उत्खनन किया गया। प्रैशन शॉफ्ट उत्खनन: क्षैतिज हिस्से और उर्ध्वाधर हिस्से को दोनों शॉफ्टों के लिए पूरा किया गया। स्टील लाइनर्स का उत्थापन प्रगति पर है। बिजली घर: खाली करने की प्रक्रिया पूरी की गई। ट्रासफार्मर केवरन को खाली करने की प्रक्रिया पूरी की गई है। बिजली घर में ईओटी क्रेन प्रारंभ की गई। ईएंडएम उपस्करों के उत्थापन की प्रगति चल रही है। टीआरटी: खाली करने की प्रक्रिया पूरी की गई। 1336 मीटर में 940 मीटी ओवर्ट लाइनिंग पूरी की गई।
38.	तीस्ता-VI लेंको 27.12.2006 4×125=500 मेगावॉट	निजी 2012-13 2015-16	बैराज और अवसादन: उत्खनन 983349/1934000 क्यूमेक और कंक्रीटिंग 191184/380003 क्यूनेक पूरा किया गया। एचआरटी: उत्खनन 1217402/2447447 क्यूमेक पूरा किया गया और संबंधित 191184/680562 क्यूमेक पूरा किया गया। सर्ज टैंक: उत्खनन पूरा किया गया और 12377/54873 क्यूमेक कंक्रीटिंग पूरी की गई। प्रैशर शॉफ्ट: उत्खनन पूरा किया गया और स्टील लाइनर का स्थापन अभी किया जाना है। मुख्य पहुंच टनल, वेंटिलेशन टनल, एडिट टू ट्रांसफार्मर केवरन, केबल टनल और एडिट टू बीएफवी चैम्बर की उत्खनन का कार्य पूरा किया गया। पीएच: उत्खनन पूरा किया गया और कंक्रीट 21945/44578 क्यूमेक पूरा किया गया। ट्रांसफार्मर कैवर्न: उत्खनन और 2539/7101 क्यूमेक कंक्रीट का कार्य पूरा किया गया। टीआरटी: उत्खनन पूरा किया गया। 24837/43725 क्यूमेक लाइनिंग का कार्य पूरा किया गया। केबल टनल और ट्रेन्चिज: उत्खनन पूरा किया गया।
39.	रंगीत-IV जल पावर कॉर्पोरेशन 06.07.2007 3×40=120 मेगावॉट	निजी 2012-13 2014-15	बांध एवं इनटेक कार्य हनन 220858/312000 कार्य और कंक्रीट 98000 में से 2731 का कार्य पूरा किया गया। रोड विभाजक के खनन का कार्य पूरा कर लिया गया है। एचआरटी: अडिट-1 एवं अडिट 2 खनन कार्य पूरा किया गया और 6478 मीटर में से 2852 मीटर खनन का कार्य जारी है।

1	2	3	4
			सर्ज शॉफ्ट: खनन कार्य पूरा कर लिया गया है। पावर हाउस: पावर हाउस तक सड़क ले जाने का कार्य पूरा किया गया। पावर हाउस में खनन का कार्य प्रगति पर है। गर्द निकासि चेम्बर: 3360 मीटर में से 1518 मीटर का खनन कार्य पूरा किया गया।
40.	जोरथंग लूप मैसर्स डेन्स एनर्जी 2×48=96 मेगावॉट	निजी 2013-14 2014-15	एचआरटी: 4010 मीटर/6718 मीटर का खनन कार्य पूरा किया गया। सर्ज शॉफ्ट: खनन और लाइनिंग का कार्य पूरा किया गया। पावर हाउस: पिट खनन का कार्य पूरा किया गया। ई एवं एम कार्य: यूनिट 1 एवं यूनिट 2 का स्पाइरल केसिंग और स्टेयरिंग इरेक्शन का कार्य पूरा किया गया। यूनिट 1 और 2 ड्राफ्ट ट्यूब का इरेक्शन एवं कंक्रीट का कार्य पूरा। एचएम कार्य: फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन का कार्य सल्यूसाधीन है, इन्टेक टैस रेक का कार्य पूरा किया गया। सर्ज शॉफ्ट गेट के फेब्रीकेशन व इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है।
41.	भासमे गति इन्फ्रास्ट्रक्चर 2×25.5=51 मेगावॉट	निजी 2014-15 2014-15	सुरंग विभाजन का कार्य पूरा। एचआरटी: 309.85 आरएम/781.97 आरएम ऐडिट कार्य पूरा। पावर हाउस: 181117/216147 खनन कार्य पूरा। दबाव सुरंग/शॉफ्ट 559.84 आरएम में से 40 आरएम का खनन कार्य पूरा।
42.	ताशिंग मै. सीगा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 2×48.5=97 मेगावॉट	निजी 2013-14 13वीं योजना परियोजना परियोजना प्राधिकारियों के अनुसार: 2014-15	एचआरटी: चरण 1 का खनन: 119.5 मी, चरण दो: 88.5 मी, चरण तीन: 156 मी और चरण चार: 127.50 खनन कार्य पूरा किया गया। सर्ज शॉफ्ट: खनन कार्य प्रगति पर है। सुरंग विभाजन का कार्य शुरू किया गया है। ई एवं एम कार्य प्रदान करने के लिए मैसर्स एल्सटोम को ऑर्डर दिया गया। इरेक्शन से जुड़े भागों का कार्य प्रगति पर है। पावर हाउस: खनन और कंक्रीट का कार्य प्रगति पर है।
43.	डिक्चु सनिहा किनेटिक पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लि. 21.10.2011 3×32=96 मेगावॉट	निजी 2015-16 13वीं योजना परियोजना प्राधिकारियों के अनुसार: 2016-17	बांध: 86762 में से 54000 के खनन का कार्य पूरा हो चुका है। एचआरटी: 5456 आरएम में से 72 आरएम खनन का कार्य पूरा किया गया। पावर हाउस: 43570 में से 22317 का खनन कार्य पूरा किया गया। टीएच: 9177 में से 8914 का खनन कार्य पूरा किया गया। आरटी: 295 आरएम में से 195 का खनन कार्य पूरा किया गया। मुख्य एक्सेस सुरंग: खनन कार्य पूरा।
44.	रंगीत-II सिक्किम जलविद्युत	निजी	ईपीसी का ठेका पोस्टल को फरवरी, 2012 में दिया गया। सड़क निर्माण और ऐडिट खनन का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
	पावर लि. 2×33=66 मेगावॉट	2016-17 13वीं योजना परियोजना प्राधिकारियों के अनुसार: 2016-17	सभी कार्यों की सुरक्षा का कार्य प्रगति पर है। एचआरटी के लिए एडिट: भूमिगत खनन कार्य प्रगति पर है। विभाजन सुरंग: खुले खनन का कार्य प्रगति पर है। सर्ज शॉफ्ट: खुले खनन का कार्य प्रगति पर है। पावर हाउस: आधारभूत विकास का कार्य प्रगति पर है।
45.	रोंगनिचु मध्य प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2×48=96 मेगावॉट	निजी 2015-16 13वीं योजना परियोजना प्राधिकारियों के अनुसार: 2016-17	सिविल कार्यों को मैसर्स सीयू इन्फ्रास्ट्रक्चर को सौंपा गया और ई एवं एम का कार्य वोथ प्रा.लि. को सौंपा गया। एचएम कार्यों को अगस्त 2012 तक दिये जाने की संभावना है। निर्माण पूर्व गतिविधियों और एडिट के खनन का कार्य प्रगति पर हैं पावर हाउस खनन कार्य के अक्तूबर 2012 में शुरू होने की संभावना है। 14 किमी की सुरंग में से 1 किमी सुरंग के बोरिंग का कार्य पूरा किया गया है।
	मेघालय		
46.	मिन्टू यूनिट-3 एमईईसीएल 20.09.99/ 2×42+1×42=126 मेगावॉट	राज्य 2006-07 2012-13	सभी सिविल और एचएम कार्य पूरे किये गये। जनरेटिंग यूनिट यूनिट 3: सर्विस बे में स्टेटर लोअर और रोटर असेम्बली कार्य पूरा और आगे का कार्य जारी है।
47.	न्यू उनतुरु एमईईसीएल 2×20=40 मेगावॉट	राज्य 2011-12 2014-15	बांध: 208685 में से 32040 का खनन कार्य पूरा। 73488 में से 10035 का कंक्रीट कार्य पूरा इंटेक: 29999.87 में से 19825 का खनन कार्य पूरा। 13000 में से 1507 का कंक्रीट कार्य पूरा। एचआरटी 25570 में से 25080 का खनन कार्य पूरा। 315 टन में से 238 का स्टील सपोर्ट के इरेक्शन का कार्य पूरा। 14000 में से 4570 की लाइनिंग का कार्य पूरा। प्रैशर शॉफ्ट: पूर्ण। सर्ज शॉफ्ट: 6167 में से 4807 का कंक्रीट और खुले खनन का कार्य पूरा। पावर हाउस: खुले खनन का कार्य पूरा। पिट खनन 69200 में से 417989 का पिट खनन कार्य पूरा। कंक्रीट कार्य जारी। टीआरटी: खुले खनन का कार्य पूरा और सुरंग बोरिंग एवं लाइनिंग का कार्य जारी है। ई एवं एम (i) : दोनों यूनिटों का ड्राफ्ट ट्यूब इरेक्शन का कार्य पूरा। (ii) दोनों यूनिटों के स्टेयरिंग के संदेखण का कार्य पूरा।

1	2	3	4
	मिजोरम		
48.	तुरियल नीपको 2×30=60 मेगावॉट	केंद्रीय 2006-07 2016-17	कार्य शुरू किया गया। विभाजन कंक्रीटिंग: 1633 आरएम में से 11562 आरएम का बोरिंग कार्य पूरा। मुख्य बांध: 430100 में से 71600 का खनन कार्य पूरा। सेडल बांध भरने का कार्य पूरा। स्पिलबे: 1754801 में से 1575536 का खनन कार्य पूरा। पावर हाउस एवं स्विचयार्ड: 220000 में से 180310 का खनन कार्य एवं 15040 में से 40 का कंक्रीट कार्य पूरा कर लिया गया है।
	अरुणाचल प्रदेश		
49.	सुबनसिरी लोअर 8×250=2000 मेगावॉट एचएचपीसी	केंद्रीय 2010-11 2017-18	विभाजन सुरंग : 21.06.2012 को नदी को मोडा गया। बांध कंक्रीटिंग: 1351000 में से 575426 का कार्य पूरा। इटेक ढांचा 279454 में से 261377 का कंक्रीटिंग कार्य पूरा। हेड रेस सुरंग (I-VIII): 7124 मी. में से 7050 मी. का खनन कार्य पूरा 7124 मी. में से 4279 मी. का बेंचिंग खनन का कार्य पूरा। 7124 मी. में से 3199 मी. का कंकरीट लाइनिंग का कार्य पूरा। सर्ज सुरंग संख्या-83545 मी. में से 3109 मी. का मुख्य खनन कार्य पूर्ण। प्रैशर शॉफ्ट- वरर्टिकल प्रैशर शॉफ्ट स्लेशिंग: 384 मी. में से 199 मीटर का खनन कार्य पूर्ण। सरफेस पावर हाउस: कंक्रीटिंग: 302600 में से 124887 का कार्य पूर्ण। ई एवं एम कार्य: यूनिट # 1: एल्बो इरेक्शन (1 से 6) और टरबाइन स्टेयरिंग और स्पाइरल केस इरेक्शन का कार्य पूर्ण। यूनिट # 2: एल्बो इरेक्शन (2 से 6) और टरबाइन स्टेयरिंग और स्पाइरल केस इरेक्शन का कार्य पूर्ण। एचएम कार्य: 23 प्रतिशत सुरंग विभाजन द्वारा के इरेक्शन का कार्य पूर्ण। इंटेक का इरेक्शन-5 : 2% का कार्य पूर्ण इंटेक का इरेक्शन 7 एवं 8 प्रत्येक का 20% पूर्ण। कुल 1594 मी. में से 201 मी. प्रैशर शॉफ्ट स्टील लाइनर निर्मित।
50.	केमंग नीपको 02.12.2004/ 4×150=600 मेगावॉट	केंद्रीय 2009-10 2016-17	बीकोम बांध: (इंटेक सहित) (आर) 599121/682126 का खनन कार्य और 8082/357490 का कंक्रीट कार्य पूर्ण। टैंगा बांध: 119650/135000 का खनन कार्य और 8837/92850 का कंक्रीट कार्य पूर्ण। एचआरटी: 11416.00/14477.50 आरएम का खनन कार्य पूर्ण। सर्ज शॉफ्ट: खुले खनन और बोरिंग का कार्य पूर्ण, 62/70 आरएम लाइंनिंग का कार्य पूर्ण।

1	2	3	4
			एचपीटी: 1611/1717 आरएम का बोरिंग का कार्य पूर्ण एवं 496/3606 आरएम लाइनिंग का कार्य पूर्ण। पावर हाउस: 1080619/1089792 का खनन का कार्य पूर्ण। 31120/75600 का कंक्रीट का कार्य पूर्ण। एचएम कार्य एवं पेनस्टाक: पेनस्टाक स्टील लाइनर का इरेक्शन एवं फैब्रीकेशन और एचएम कार्य जारी है। इलेक्ट्रो मेकेनिकल कार्य: यूनिट # 1 डीटी बेंड लाइनर को स्थापित करने का पूर्ण। डीटी ड्रेन बाक्स और ड्रेन पाइप को जोड़ने का कार्य पूर्ण। यूनिट # 2: पिट को भरने का कार्य पूर्ण।
51.	पेरे नीपको/4.12.2008 2×55=110 मेगावॉट	केंद्रीय 2012-13 2014-15	बांध: 398000 में से 165570 का खनन कार्य पूर्ण। कंक्रीटिंग का कार्य शुरू होने अभी बाकी हैं। सुरंग विभाजन: खनन कार्य पूर्ण और 49/100 मीटर का ओवर्ट लाइनिंग का कार्य पूर्ण। सर्ज शाफ्ट: सर्ज शाफ्ट की बोरिंग का कार्य पूर्ण। एचआरटी: 2828 आरएम में से 1812 आरएम का खनन कार्य पूर्ण। उच्च दाब सुरंग: बोरिंग का कार्य पूर्ण। पावर हाउस: 119406/125000 का खनन कार्य पूर्ण। कंक्रीटिंग 10340.5/35000 का कंक्रीट कार्य पूर्ण।

विवरण-III (क)

देश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित उन नई थर्मल परियोजनाओं की सूची जिनके लिए कोयला लिंकेज आवेदन प्राप्त हुए हैं

क्र.सं.	परियोजना/विकासकर्ता का नाम	कुल क्षमता
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	रामगुंडम स्टेज-IV 2×500 मेगावॉट, एनटीपीसी	1000
	ओडिशा	
2.	तलचर टीपीपीएस स्टेज-II, एनटीपीसी	1320
	उत्तर प्रदेश	
3.	आईजीसीसी डेमांस्ट्रेशन प्लांट, दादरी, एनटीपीसी	125
4.	सिंगरौली एसटीपीपी-स्टेज III, एनटीपीसी	500
5.	एफजीयूटीपीपी स्टेज-IV, एनटीपीसी	500

1	2	3
6.	बिलहौर टीपीपी, एनटीपीसी लि.	1320
7.	एनएलसी-यूपीआरवीयूएनएल, यूपी पावर प्रोजेक्ट	1980
	पंजाब	
8.	गिदरबाहा टीपीपी, एनटीपीसी	2640
	मध्य प्रदेश	
9.	रीवा थर्मल पावर परि., एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचपीसी लि. और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम)	1320
10.	गदरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना, एनटीपीसी	2640
11.	बरेथी एसटीपीपी, 4000 मे.वा., एनटीपीसी	4000
12.	खरगांव एसटीपीपी, एनटीपीसी	1320
	ओडिशा	
13.	दर्लीपल्ली एसटीपीपी स्टेज-I, एनटीपीसी लि.	3200
14.	गजमारा एसटीपीपी, 4×800 मेगावॉट, एनटीपीसी लिमिटेड	3200
15.	राउरकेला विस्तार पावर प्लांट एनटीपीपी-सेल पावर का. प्रा. लि., एनटीपीसी लि.	250
16.	दर्लीपल्ली एसटीपीपी स्टेज II, एनटीपीसी लिमिटेड	1600
	छत्तीसगढ़	
17.	लारा एसटीपीपी, एनटीपीसी लिमिटेड	4000
18.	भिलाई विस्तार पावर प्लांट स्टेज II, एनटीपीसी-सेल पावर कं.प्रा.लि.	500
	तमिलनाडु	
19.	मरक्कनम एसटीपीपी, एनटीपीसी	4000
	असम	
20.	बोंगाईगांव स्टेज II (यू-4), एनटीपीसी	250
	झारखंड	
21.	बोकारो विस्तार पावर प्लांट एनटीपीसी, सेल पावर कं.प्रा.लि.	250
	गुजरात	
22.	धुवरन एसटीपीपी, एसटीपीपी एनटीपीसी लि.	1320

1	2	3
	मेघालय	
23.	गारो हिल्स टीपीपी, नीपको	500
24.	पश्चिमी खासी हिल्स टीपीपी, नीपको	240
	हरियाणा	
25.	इंदिरा गांधी एसटीपीपी स्टे-II, 2×500 मेगावॉट एनटीपीसी	1000
	बिहार	
26.	कहलगांव एसटीपीपी स्टेज III, एनटीपीसी	500
	पश्चिम बंगाल	
27.	अद्रा टीपीपी, भारत रेल बिजली कार्पो. लि., एनटीपीपसी और रेलवे का संयुक्त उद्यम	1320
28.	कटवा एसटीपीपी, एनटीपीसी लिमिटेड	1600

विवरण-III (ख)

बल्क टेंडरिंग के अंतर्गत प्रस्तावित थर्मल पावर परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना/विकासकर्ता का नाम	राज्य	क्षमता (मे.वा.)
1.	न्यू नबीनगर जेवी	बिहार	3×660
2.	रघुनाथपुर टीपीपी फे-II डीवीसी	पश्चिम बंगाल	2×660

विवरण-IV

के.वि.प्रा. द्वारा सहमति दी गई हाईड्रो विद्युत स्कीमें और 2002-03 से निर्माण के लिए शुरू की जाने वाली योजनाएं

क्र.सं.	स्कीम/क्षेत्र/जिला	एजेंसी	आईसी (एम डब्ल्यू)	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में) पीएल
1	2	3	4	5
	उत्तरी क्षेत्र			
	जम्मू और कश्मीर			
1.	पाकल डल केन्द्रीय/डोडा	एनएचपीसी, जेकेपीडीसी और पीडीसी की जेवीसी	1000	5088.88 (07/05)
	उत्तराखंड			
2.	विष्णुगढ़ पीपलकोटी चमोली/केन्द्रीय/(4×111)/उत्तराखंड	टीएचडीसी	444	2091.43 (03/06)

1	2	3	4	5
3.	कोटलीभेल केन्द्र-1ए केन्द्रीय/टेहरी गढ़वाल	एनएचपीसी	195	1095.77 (12/05)
4.	कोटलीभेल केन्द्र-1बी केन्द्रीय/पौडी व टेहरी गढ़वाल	एनएचपीसी	320	1806.43 (12/05)
5.	कोटलीभेल केन्द्र-1बी केन्द्रीय/टेहरी एवं पौड़ी गढ़वाल	एनएचपीसी	530	2535.86 (03/06)
6.	रूपसीयाबागर, खसियाबारा केन्द्रीय/पिथौरागढ़	एनएचपीसी	261	1715.15 (05/08)
7.	देवसरी/केन्द्रीय	एसजेवीएनएल	252	1185.76 (06/10)
	पूर्वी क्षेत्र			
	पश्चिम बंगाल			
8.	रम्माम केन्द्र-III केंद्रीय/दार्जलिंग सिक्किम	एनटीपीसी	120	633.92 (02/06)
	सिक्किम			
9.	तीस्ता केन्द्र-IV केन्द्रीय/उत्तरी सिक्किम	एनएचपीसी	520	3594.74 (07/09)
	पूर्वोत्तर क्षेत्र			
	मणिपुर			
10.	तिपायमुख केन्द्रीय/चुडाचंद्रपुर	एनएचपीसी	1500	5163.86 (12/02)
11.	लोकतक डी/एस केन्द्रीय/तेमलांग	एनएचपीसी एंड मणिपुर सरकार की जेवीसी	66	867.67 (10/06)
	अरूणाचल प्रदेश			
12.	डीबांग केन्द्रीय लोअर डिबांग वैली	एनएचपीसी	3000	15886.39 (11/07)
13.	तवांग केन्द्र-I केन्द्रीय	एनएचपीसी	600	4824.01 (05/10)
14.	तवांग केन्द्र-II	एनएचपीसी	800	6112.3 (05/10)
	मिजोरम			
15.	कोलोडने केन्द्र-II केन्द्रीय	एनटीपीसी	460	5188.13 (10/10)

विवरण-V

उन थर्मल परियोजनाओं का ब्यौरा जो अपने शुरू होने के निर्धारित समय से पीछे हैं और उनके कारण

राज्य	परियोजना का नाम	कार्या. एजेंसी	यूनिट संख्या	क्षमता (मेवा.)	शुरू होने का मूल समय	शुरू होने का संभावित समय	विलंब के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
	केन्द्रीय क्षेत्र						
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	250	जनवरी-11	दिसंबर-13	बार-बार होने वाले बंद। भारी मानसून और धीमा सिविल कार्य। भेल द्वारा सामग्री आपूर्ति में विलंब। स्थल पर श्रमिकों के उत्पात एवं हिंसा के कारण काम रुक गया।
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	यू-2	250	मई-11	अक्तूबर-14	
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	यू-3	250	सितंबर-11	मार्च-15	
बिहार	बाड़ एसटीपीपी-I	एनटीपीसी	यू-1	660	01.10. 2013*	जुलाई-14	पावर मशीन एवं टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, रूस के साथ एनटीपीसी के विवाद के कारण विलंब। तथापि इसे अब सुलझा लिया गया है। मैसर्स टीपीई एवं मैसर्स पी एम द्वारा बायलर एवं टर्बाइन सामग्री आपूर्ति में विलंब और कार्य की धीमी प्रगति। *मूल समय 2009-10 और 2010-11 था। विवादों के निपटारे के बाद मैसर्स टीपीई एवं पावर मशीन रूस के साथ संशोधित समय सारणी तय की गई।
बिहार	बाड़ एसटीपीपी-I	एनटीपीसी	यू-2	660	जून-14	मई-15	
बिहार	बाड़ एसटीपीपी-I	एनटीपीसी	यू-3	660	दिसंबर-14	मार्च-16	
बिहार	बाड़ एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	यू-4	660	दिसंबर-12	अगस्त-13	बायलर और टीजी के लिए भेल द्वारा सामग्री आपूर्ति में विलंब।
बिहार	बाड़ एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	यू-5	660	अक्तूबर-13	सितंबर-14	
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सप (कांति टीपीपी स्टेज-II)	एनटीपीसी	यू-3	195	अक्तूबर-12	जून-14	मुख्य संयंत्र सिविल कार्य देने में विलंब।
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीएस एक्सप (कांति टीपीपी स्टेज-II)	एनटीपीसी	यू-4	195	जनवरी-13	सितंबर-14	यूनिट # 3 के विलंब के कारण देरी
बिहार	नबी नगर टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	250	मई-13	जुलाई-14	भूमि अधिग्रहण में विलंब। मुख्य संयंत्र सिविल एजेंसी, द्वारा खराब मोबिलाइजेशन
बिहार	नबी नगर टीपीपी	एनटीपीसी	यू-2	250	सितंबर-13	जनवरी-15	भूमि अधिग्रहण में विलंब

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	नबी नगर टीपीपी	एनटीपीसी	यू-3	250	जनवरी-14	जुलाई-15	भूमि अधिग्रहण में विलंब
बिहार	नबी नगर टीपीपी	एनटीपीसी	यू-4	250	मई-14	जनवरी-16	भूमि अधिग्रहण में विलंब
झारखंड	बोकारो टीपीएस "ए" एक्सप	डीवीसी	यू-1	500	दिसंबर-11	जून-14	स्विचयार्ड (चार्जड) के अंतरण में विलंब। विद्यमान अंडरग्राउंड सुविधाएं हटाने में विलंब। भेल द्वारा सामग्री आपूर्ति में विलंब।
झारखंड	कोडरमा टीपीपी	डीवीसी	यू-2	500	फरवरी-11	जनवरी-13	बायलर और टीजी सामग्री आपूर्ति में विलंब। टीजी सामग्री आपूर्ति में विलंब। टीजी निर्माण शुरू होने में विलंब।
महाराष्ट्र	मौडा टीपीपी	एनटीपीसी	यू-2	500	अक्तूबर-12	मार्च-13	सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब और बायलर और बीटीजी सामग्री में विलंब। बायलर सामग्री के निर्माण की धीमी प्रगति।
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी-IV	एनटीपीसी	यू-12	500	दिसंबर-12	मार्च-13	सिविल फ्रंट की तैयारी और बायलर एवं टीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब
तमिलनाडु	नेवेली टीपीएस-II एक्सप.	एनएलसी	यू-2	250	जून-09	मार्च-13	रिफ्रेक्टरी कार्य की धीमी प्रगति। यू-1 के अनुसार यूटी में संशोधन किया गया।
तमिलनाडु	तूतीकोरिन जेवी टीपीपी	एनएलसी	यू-1	500	मार्च-12	दिसंबर-13	सिविल कार्य की धीमी प्रगति एवं मुख्य संयंत्र उपस्करों की फाउंडेशन के डिजाइन में परिवर्तन। मानवशक्ति की कमी।
तमिलनाडु	तूतीकोरिन जेवी टीपीपी	एनएलसी	यू-2	500	अगस्त-12	मार्च-14	
तमिलनाडु	वैलूर टीपीपी फेज-I	एनटी	यू-2	500	अगस्त-11	फरवरी-13	सिविल एजेंसी द्वारा ख़राब गतिशीलता जिसके फलस्वरूप सिविल फ्रंट को हैंडओवर करने में विलंब हुआ। बायलर सामग्री देने में विलंब।
तमिलनाडु	वैलूर टीपीपी फेज-II	एनटीईसीएल	यू-3	500	दिसंबर-12	सितंबर-13	सिविल एजेंसी द्वारा खराब गतिशीलता जिसके फलस्वरूप सिविल फ्रंट को हैंडओवर करने में लिवंब हुआ। ब्यालर सामग्री देने में विलंब।
त्रिपुरा	मोनार्चक सीसीपीपी	एनईईपीसीओ	जीटी+एसटी	101	मई-13	अक्तूबर-13	भेल द्वारा सिविल कार्य अनुबंध देने में विलंब।
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	ओएनजीसी	मोड्यूल-1	363.3	दिसंबर-11	नवंबर-12	भेल द्वारा लॉलिस्टिक देने में विलंब। सिविल कार्य की धीमी प्रगति। पावर इवेक्यूएशन प्रणाली की तैयारी में विलंब
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	ओएनजीसी	मोड्यूल-2	363.3	मई-12	मार्च-13	
उत्तर प्रदेश	रिहन्द टीपीएस-III	एनटीपीसी	यू-6	500	दिसंबर-12	जून-13	सिविल फ्रंट एवं बीटीजी सामग्री की आपूर्ति की तैयारी में विलंब

1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फे-I	डीवीसी	यू-1	600	फरवरी-11	मई-13	पानी एवं रेल कारिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब मुख्य संयंत्र उपस्करों के निर्माण में विलंब। सीएचपी की धीमी प्रगति। कानून एवं व्यवस्था की समस्या।
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फे-I	डीवीसी	यू-2	600	मई-11	अक्तूबर-13	
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र			12217.6			
	राज्य क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैह टीपीपी	एपीपीडीएल	यू-1	800	जुलाई-12	अप्रैल-14	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब एवं आपूर्ति में विलंब के कारण
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैह टीपीपी	एपीपीडीएल	यू-2	800	जनवरी-13	सितंबर-14	
आंध्र प्रदेश	काकातीया टीपीपी एक्सटे.	एपीजीईएनसीओ	यू-1	600	जुलाई-12	मई-14	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब के कारण
	रयालसीमा स्टेज-III	एपीजीईएनसीओ	यू-6	600	जुलाई-14	दिसंबर-15	सिविल कार्य में विलंब
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	जीटी	70	सितंबर-11	अप्रैल-13	सिविल कार्य शुरू होने और सामग्री की आपूर्ति में विलंब के कारण
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	एसटी	30	जनवरी-12	जुलाई-13	सिविल कार्यों और आपूर्ति में विलंब
छत्तीसगढ़	कोरबा पश्चिमी स्टे.-III	सीएसपीजीसीएल	यू-5	500	मई-12	मार्च-13	प्रारंभिक विलंब चिमनी देने में परिवर्तन एवं चिमनी तैयार करने में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति आदेश के कारण बीओपी कार्य शुरू होने में विलंब तथ बायलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	सीएसपीजीसीएल	यू-1	500	सितंबर-12	मार्च-13	प्रारंभिक विलंब चिमनी देने में विलंब के कारण। बीओपी (सीएचपी, एएचपी व 400 कि.वा स्विचयार्ड आदि) की तैयारी में विलंब तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या।
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	सीएसपीजीसीएल	यू-2	500	जुलाई-12	जून-13	
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	एसटी-4	250	सितंबर-10	मार्च-13	सिविल कार्य पूरा होने में विलंब
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	एसटी-2	250	नवंबर-10	मई-13	सिविल कार्य पूरा होने में विलंब
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	ब्लॉक-1	351	सितंबर-10	जून-13	सिविल कार्यों में विलंब एवं आपूर्ति में विलंब/परियोजना प्राधिकारी एवं भेल में क्षतिग्रस्त जीटी कंप्रेसर रोटर की आपूर्ति के कारण हुई विवाद के कारण काम रूक गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	ब्लॉक-2	351	नवंबर-10	मार्च-13	सिविल कार्यों एवं आपूर्ति में विलंब। मानवशक्ति की कमी के कारण बहुत धीमा निर्माण कार्य।
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटें.	जीएसईसीएल	यू-3	250	अक्तूबर-13	अप्रैल-14	सिविल फ्रंट की तैयारी और बीपीओ आदेश देने में विलंब।
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटें.	जीएसईसीएल	यू-4	250	जनवरी-14	जुलाई-14	
गुजरात	उकाई टीपीपी एक्सटें.	जीएसईसीएल	यू-6	490	जनवरी-11	मार्च-13	सिविल कार्यों में विलंब और मुख्य संयंत्र उपकरण की आपूर्ति में विलंब सीएचपी, एएचपी, पीटी संयंत्र और मिलिंग प्रणाली की तैयारी में देरी।
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	भावनगर एनर्जी	यू-1	250	अक्तूबर-13	अक्तूबर-14	सिविल कार्यों में विलंब।
			यू-2	250	दिसंबर-13	दिसंबर-14	
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	यू-8	500	जून-12	सितंबर-13	बीओपी आर्डर देने में और मुख्य संयंत्र उपकरण आपूर्त में विलंब।
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	यू-9	500	सितंबर-12	दिसंबर-13	
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सप	एमएसपीजीसीएल	यू-8	660	दिसंबर-13	मार्च-14	सिविल कार्यों में विलंब।
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सप	एमएसपीजीसीएल	यू-9	660	जून-14	सितंबर-14	
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सप	एमएसपीजीसीएल	यू-10	660	दिसंबर-14	मार्च-15	
महाराष्ट्र	पारली टीपीपी एक्सटें.	एमएसपीजीसीएल	यू-8	250	जनवरी-12	सितंबर-13	बीटीजी आपूर्ति में विलंब।
एम.पी.	मालवा टीपीपी (श्री सिंगति टीपीपी)	एमपीजीईएनसीओ	यू-1	600	जून-12	मई-13	बायलर प्रेशर के भाग की आपूर्ति/निर्माण करने में विलंब। क्रिटिकल पाइपिंग को खड़ा करने में विलंब।
	मालवा टीपीपी (री सिंगति टीपीपी)	एमपीजीईएनसीओ	यू-2	600	अक्तूबर-12	जुलाई-13	बायलर प्रेशर कै भाग की आपूर्ति/निर्माण करने में विलंब।
एम.पी.	सतपुड़ा टीपीपी एक्सटें.	एमपीपीजीसीएल	यू-10	250	फरवरी-12	फरवरी-13	प्रेशर पार्ट जनरेटर आदि की आपूर्ति में विलंब। टीजी निर्माण की धीमी प्रगति।
एम.पी.	सतपुड़ा टीपीपी एक्सटें.	एमपीपीजीसीएल	यू-11	250	अप्रैल-12	जून-13	बीटीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। सीएचपी में धीमी प्रगति।
राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें.	आरआरवीयूएनएल	यू-3	250	मई-11	मई-13	सिविल एजेंसी में जनशक्ति की कमी जिससे सिविल फ्रंट तैयारी में विलंब हुआ। सीडब्ल्यू प्रणाली और पीटी संयंत्र की तैयारी में विलंब।

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें.	आरआरवीयूएनएल	यू-4	250	जुलाई-11	सितंबर-13	कंडेंसर फाउंडेशन व टीजी डेक के फ्लोर की तैयारी में विलंब।
राजस्थान	कालीसिंध टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	यू-1	600	अगस्त-11	मार्च-13	जनरेटर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति व बंकर और मिल निर्माण में विलंब।
राजस्थान	कालीसिंध टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	यू-2	600	मार्च-12	अगस्त-13	बंकर बे के ढांचागत निर्माण में विलंब।
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें-III	आरआरवीयूएनएल	जीटी	110	मई-11	जनवरी-13	नियंत्रण कक्ष की तैयारी में विलंब।
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें-III	आरआरवीयूएनएल	एसटी	50	अक्तूबर-11	अगस्त-13	एसटी डेक की कासटिंग व एसटी डेक फ्लोर के साथ एसटी हाल की तैयारी में विलंब।
तमिलनाडु	उत्तरी चेन्नई एक्सटें यू-1	टीएनईबी	यू-1	600	अप्रैल-11	मई-13	टीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। जनरेटर स्टेटर।
तमिलनाडु	उत्तरी चेन्नई एक्सटें यू-2	टीएनईबी	यू-2	600	नवंबर-11	दिसंबर-12	बीटीजी सामग्री की आपूर्ति सीडब्ल्यू प्रणाली एएचपी व सीएचपी आदि की तैयारी।
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी	यूपीआरवीयूएनएल	यू-6	500	मार्च-11	फरवरी-14	सिविल कार्यों में विलंब/चिमनी व कूलिंग टॉवर आदि में धीमी प्रगति/बायलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी	यूपीआरवीयूएनएल	यू-7	500	जून-11	जून-14	सिविल कार्यों में विलंब।
उत्तर प्रदेश	परीचा एक्सटें.	यूपीआरवीयूएनएल	यू-6	250	नवंबर-09	मार्च-13	चिमनी के गिरने से विलंब। जनरेटर ट्रांसफार्मर खराब हुआ।
	कुल राज्य क्षेत्र			16332			
	निजी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	भावनशादु टीटीपी	एम/एस इस्ट कोस्ट एनर्जी लिमिटेड	यू-1	660	अक्तूबर-13	जुलाई-15	वन व पर्यावरण मंत्रालय के दीर्घ अवधि के लिए आदेश के कारण मार्च स्थगित रहा।
			यू-2	660	मार्च-14	अक्तूबर-15	
आंध्र प्रदेश	एनसीसी पावर	एनसीसी प्रोजेक्ट लि.	यू-1	660	मार्च-15	जून-16	सिविल कार्यों में विलंब
			यू-2	660	जून-15	सितंबर-16	
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	थर्मल पावर टेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	यू-1	660	मई-14	अगस्त-14	सिविल कार्यों में विलंब
			यू-2	660	अगस्त-14	नवंबर-14	

1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	सीमहापुरी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड फेज-II	मधुकोन प्रोजेक्ट लिमिटेड	यू-3	150	दिसंबर-11	फरवरी-13	परियोजना के चरण-1 के शुद्ध होने व टीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
			यू-4	150	फरवरी-12	अप्रैल-13	
आंध्र प्रदेश	थामिपतनम टीपीपी-I	मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड	यू-2	150	नवंबर-11	दिसंबर-12	यूनिट-1 के शुद्ध होने के विलंब के कारण यूनिट को विलंब हुआ।
आंध्र प्रदेश	थामिपतनम टीपीपी-II	मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड	यू-3	350	मई-12	मई-14	सिविल कार्यों में धीमी प्रगति।
			यू-4	350	अगस्त-12	अक्तूबर-14	
आंध्र प्रदेश	विजग टीपीपी	हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पो. लि.	यू-1	520	जून-13	फरवरी-14	धीमा सिविल कार्य।
		हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पो. लि.	यू-2	520	सितंबर-13	जून-14	धीमा सिविल कार्य।
छत्तीसगढ़	अकलतरा (नैयरा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	यू-1	600	अप्रैल-12	जून-13	जनशक्ति का अकाल व ग्रामीणों द्वारा आंदोलन।
छत्तीसगढ़	अकलतरा (नैयरा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	यू-2	600	अगस्त-12	अक्तूबर-13	
छत्तीसगढ़	अकलतरा (नैयरा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	यू-3	600	दिसंबर-12	अप्रैल-14	
छत्तीसगढ़	अकलतरा (नैयरा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	यू-4	600	अप्रैल-13	जून-14	
छत्तीसगढ़	अवंथा भंडार टीपीएस यू-1	कोरबा वेस्ट पावर क.लि.	यू-1	600	जुलाई-12	जुलाई-13	सिविल कार्यों व चिमनी की तैयारी में विलंब।
छत्तीसगढ़	बराधरा टीपीपी (डीबी पावर टीपीपी)	डीबी पावर कं.लि.	यू-1	600	मार्च-13	अगस्त-13	सिविल कार्यों में देर से शुरुआत।
			यू-2	600	जुलाई-13	जनवरी-14	
छत्तीसगढ़	बालको टीपीपी	भारत एल्यूमीनियम क.लि.	यू-1	300	फरवरी-11	मार्च-14	चिमनी गिरी। राज्य सरकार से संयंत्र प्रचालन के लिए सहमति नहीं मिली।
			यू-2	300	नवंबर-10	जनवरी-14	

1	2	3	4	5	6	7	8
छत्तीसगढ़	बंदाखर टीपीपी	एम/एस मारूती क्लीन कोल एंड पावर लिं.	यू-1	300	दिसंबर-12	जुलाई-14	सिविल कार्यों में विलंब।
छत्तीसगढ़	बिजंकोट टीपीपी	एम/एस एसकेएस	यू-1	300	जनवरी-14	सितंबर-14	सिविल कार्यों में विलंब।
		पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़)	यू-2	300	अप्रैल-14	दिसंबर-14	
		लि.	यू-3	300	जुलाई-14	मार्च-15	
			यू-4	300	अक्तूबर-14	जून-15	
छत्तीसगढ़	लेनको अमरकंटक टीपीएस-II	एलएपी प्रा.लि.	यू-3	660	जनवरी-13	अगस्त-13	जल प्रणाली एवं बीओपीएस के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब।
			यू-4	660	मार्च-13	दिसंबर-13	
छत्तीसगढ़	रायखेडा टीपीपी	जीएमआर	यू-1	685	सितंबर-13	जून-14	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब।
			यू-2	685	जनवरी-14	अक्तूबर-14	
छत्तीसगढ़	रतिजा टीपीपी	स्पेक्ट्रम कोल और पावर लि.	यू-1	50	जून-11	दिसंबर-12	स्विचयार्ड व्यवथा एवं विद्युत प्रणाली की तैयारी में विलंब।
छत्तीसगढ़	सिंगितारई टीपीपी	एतेना छत्तीसगढ़	यू-1	600	जून-14	फरवरी-15	भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण।
		पावर लि.	यू-2	600	सितंबर-14	मई-15	
छत्तीसगढ़	स्वातिक टीपीपी	एम/एस एसीबी	यू-1	25	जून-12	जनवरी-13	बीओपीएस की तैयार में विलंब।
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	एम/एस टीआरएन	यू-1	300	दिसंबर-13	सितंबर-14	सिविल कार्यों में विलंब।
		एनर्जी प्रा.लि.	यू-2	300	अप्रैल-14	दिसंबर-14	
छत्तीसगढ़	उच्चपिनडा टीपीपी	आरकेएम पावरगिन	यू-1	360	मई-12	अक्तूबर-13	ग्रामीणों के आंदोलन के कारण विलंब।
		प्रा.लि.	यू-2	360	नवंबर-12	जनवरी-14	
			यू-3	360	फरवरी-13	अप्रैल-14	
			यू-4	360	जुलाई-13	जुलाई-14	
छत्तीसगढ़	वंदना विद्युत टीपीपी छत्तीसगढ़	एम/एस वंदना विद्युत	यू-1	135	जून-11	जनवरी-13	परियोजना स्थल पर ग्रामीणों द्वारा आंदोलन और बीओपी की तैयारी।
			यू-2	135	सितंबर-11	अगस्त-13	

1	2	3	4	5	6	7	8
झारखंड	आधुनिक पावर टीपीपी (महादेव प्रसाद एस टीपीपी पीएच-1)	आधुनिक पावर कंपनी लिमिटेड	यू-2	270	मार्च-12	मई-13	स्विचयार्ड एवं पावर ग्रिड सब स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब। बीटीजी सामग्री एवं स्विचयार्ड सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
झारखंड	माइत्रिसी उषा टीपीपी पीएस-2	एम/एस कॉर्पो. पावर लि.	यू-1	270	मई-12	मार्च-13	कानून एवं व्यवस्था की सस्या। बीटीजी उपकरण सप्लाई में विलंब। वन निकासी की वजह से पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब।
			यू-2	270	जून-12	जून-13	
झारखंड	माइत्रिसी उषा टीपीपी पीएस-2	कार्पो. पावर लि.	यू-3	270	फरवरी-13	अगस्त-13	कानून एवं व्यवस्था की समस्या।
			यू-4	270	मार्च-13	नवंबर-13	
झारखंड	तोरी टीपीपी	एस्सार पावर	यू-1	600	जून-13	दिसंबर-14	कानून एवं व्यवस्था की समस्या। सिविल कार्यों में विलंब।
झारखंड	तोरी टीपीपी	एस्सार पावर	यू-2	600	जनवरी-14	मार्च-15	
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी पीएच-1	इंडिया बुल्से	यू-1	270	दिसंबर-11	फरवरी-13	बीटीजी सामग्री की क्रमवार आपूर्ति नहीं होना। सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब।
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी पीएच-1	इंडिया बुल्स	यू-2	270	दिसंबर-11	जून-13	
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी पीएच-1	इंडिया बुल्स	यू-3	270	जनवरी-12	सितंबर-13	
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी पीएच-1	इंडिया बुल्स	यू-4	270	फरवरी-12	दिसंबर-13	
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी पीएच-1	इंडिया बुल्स	यू-5	270	मार्च-12	मार्च-14	
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी पीएच-II	इंडिया बुल्स	यू-1	270	जुलाई-14	*	स्थल पर कोई काम नहीं हो रहा। स्थल पर काम के दौबारा शुरू होने की स्थिति में शुरुआत की तारीख तय की जाएगी।
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी पीएच-II	इंडिया बुल्स	यू-2	270	सितंबर-14	*	
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी पीएच-II	इंडिया बुल्से	यू-3	270	नवंबर-14	*	
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी पीएच-II	इंडिया बुल्स	यू-4	270	जनवरी-15	*	
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी पीएच-II	इंडिया बुल्स	यू-5	270	मार्च-15	*	
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी-I	आईईपीएल	यू-1	270	दिसंबर-11	दिसंबर-12	बीटीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब और पॉवर निकासी प्रणाली की तैयारी न होना।
महाराष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	धारीवाल इंनफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	यू-1	300	फरवरी-12	मार्च-13	स्वामित्व में परिवर्तन और स्टार्ट ऑफ पॉवर की अनुपलब्धता के कारण विलंब।
			यू-2	300	मई-12	जून-13	स्वामित्व के परिवर्तन के कारण विलंब।
महाराष्ट्र	एमको वरारो टीपीपी	एमको एनर्जी लि. (जीएमआर)	यू-1	300	नवंबर-11	दिसंबर-12	स्टार्ट ऑफ पॉवर और विद्युत निकासी प्रणाली की तैयारी में विलंब।
			यू-2	300	फरवरी-12	मार्च-13	

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	यू-1	660	जनवरी-14	अप्रैल-14	प्रेशर पार्ट की आपूर्ति और निर्माण में विलंब।
महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	यू-2	660	मई-14	अगस्त-14	
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी पीएच-I	इंडिया बुल्स	यू-1	270	फरवरी-12	फरवरी-13	बीटीजी सामग्री एवं सिविल फ्रंट तैयारी की आपूर्ति के क्रम में कमी।
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी पीएच-I	इंडिया बुल्स	यू-2	270	अप्रैल-12	जून-13	
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी पीएच-I	इंडिया बुल्स	यू-3	270	जून-12	नवंबर-14	रेलवे साइडिंग की तैयारी में विलंब परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बीटीजी की अस्वीकार्यता।
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी पीएच-I	इंडिया बुल्स	यू-4	270	अगस्त-12	जनवरी-15	
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी पीएच-I	इंडिया बुल्स	यू-5	270	अक्तूबर-12	मार्च-15	
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी पीएच-II	इंडिया बुल्स	यू-1	270	अप्रैल-13	*	स्थल पर कोई काम नहीं हो रहा है। स्थल पर काम के दोबारा आरंभ होने के पश्चात् आरंभ की तारीख का अनुमान लगाया जाएगा।
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी पीएच-II	इंडिया बुल्स	यू-2	270	जून-13	*	
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी पीएच-II	इंडिया बुल्स	यू-3	270	अगस्त-13	*	
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी पीएच-II	इंडिया बुल्स	यू-4	270	अक्तूबर-13	*	
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी पीएच-II	इंडिया बुल्स	यू-5	270	दिसंबर-13	*	
महाराष्ट्र	तिरोरा टीपीपी पीएच-I	अडानी पावर लि.	यू-2	660	जुलाई-11	जनवरी-13	बायलर डक्टिंग फ्लू गैस की तैयारी और कोल कनवेयिंग प्रणाली में विलंब।
महाराष्ट्र	तिरोरा टीपीपी पीएच-II	अडानी पावर लि.	यू-1	660	अक्तूबर-11	मार्च-13	पॉवर निकासी सिस्टम की तैयारी और कोल कनवेयिंग सिस्टम के कारण विलंब।
महाराष्ट्र	जतिरोरा टीपीपी पीएच-II	अडानी पावर लि.	यू-2	660	जुलाई-12	अगस्त-13	भारी वर्षा और सीएचपी के कारण विलंब।
महाराष्ट्र	तिरोरा टीपीपी पीएच-II	अडानी पावर लि.	यू-3	660	अक्तूबर-12	नवंबर-13	भारी वर्षा और सीएचपी के कारण विलंब।
एम.पी.	अनुपुर टीपीपी पीएच-I	एमबी पावर एमपी	यू-1	600	अप्रैल-13	नवंबर-14	सिविल कार्य देर से आरंभ होने के कारण तथा सिविल कार्य की धीमी प्रगति के कारण विलंब।
एम.पी.	अनुपूर टीपीपी पीएच-I	एमबी पावर एमपी	यू-2	600	अगस्त-13	फरवरी-15	
एम.पी.	बीना टीपीपी	बीना पावर सप्लाई कं.लि.	यू-2	250	नवंबर-11	मार्च-13	भारी वर्षा के कारण विलंब। बीटीपी उपकरण निर्माण और सप्लाई में विलंब।
एम.पी.	गोर्गी टीपीपी	डीबी पावर	यू-1	660	जून-13	मार्च-16	सिविल कार्य का आर्डर देने में विलंब। सिविल कार्य का आर्डर 5/12 को दिया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
एम.पी.	महन टीपीपी	एस्सार पावर एमपी लि.	यू-1	600	जून-11	दिसंबर-12	कोल ब्लाक के विकास में विलंब। सड़क द्वारा ढुलाई व्यवस्था के विकास में विलंब।
			यू-2	600	सितंबर-11	मार्च-13	
एम.पी.	निगररी टीपीपी	जयप्रकाश पावर वेन्चर लि.	यू-1	660	जून-13	दिसंबर-13	सिविल कार्य आरंभ होने में विलंब।
	निगरी टीपीपी	जयप्रकाश पावर वेन्चर लिमिटेड	यू-2	660	दिसंबर-13	जून-14	
एम.पी.	सीओनी टीपीपी फेस-1	झबुआ पावर	यू-1	600	मार्च-13	जनवरी-14	सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब
ओडिशा	डेरंग टीपीपी	जेआईटीपीएल	यू-1	600	मार्च-12	सितंबर-13	कानून व्यवस्था की समस्या। भूमि अधिग्रहण में विलंब।
ओडिशा	डेरंग टीपीपी	जेआईटीपीएल	यू-2	600	जून-12	दिसंबर-13	
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी	इंड भारत	यू-1	350	सितंबर-11	मार्च-13	भारी वर्षा के कारण विलंब। स्टार्ट अप पावर की रेडिनेस में विलंब।
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी	इंड भारत	यू-2	350	दिसंबर-11	जुलाई-13	
ओडिशा	कामलंगा टीपीपी	जीएमआर	यू-1	350	नवंबर-11	जनवरी-13	विदेशी कर्मियों को वीजा समस्या। भूमि अधिग्रहण में विलंब। स्टार्ट अप कालर की तैयारी में विलंब। भारी वर्षा। आस-पास के उद्योग में श्रमिकों की अशांति के कारण श्रमिकों की कमी।
ओडिशा	कामलंगा टीपीपी	जीएमआर	यू-2	350	दिसबंर-11	अप्रैल-13	
ओडिशा	कामलंगा टीपीपी	जीएमआर	यू-3	350	फरवरी-12	जुलाई-13	
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	केवीके नीलांचल	यू-1	350	दिसंबर-11	जनवरी-14	प्रारंभ में चिमनी निकासी और कानून एवं व्यवस्था के कारण विलंब। माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्टे के कारण कार्य रुक गया। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालयों में मामला है।
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	केवीके नीलांचल	यू-2	350	जनवरी-12	अगस्त-15	
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	केवीके नीलांचल	यू-3	350	मार्च-12	अक्तूबर-15	
ओडिशा	लैंको बाबंध टीपीपी	लैंको बाबंध पावर लि.	यू-1	660	अप्रैल-13	मार्च-14	भूमि अधिग्रहण में विलंब।
			यू-2	660	अगस्त-13	मई-14	
ओडिशा	मालीब्राहमनी टीपीपी मोनेट स्पात	एमपीसीएल	यू-1	525	दिसंबर-12	फरवरी-14	भूमि अधिग्रहण एवं टीजी हाल सरंचना सप्लाई में विलंब।

1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब	तलवंदी साबो टीपीपी	सटरलाइट	यू-1	660	अक्तूबर-12	दिसंबर-13	सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब।
पंजाब	तलवंदी साबो टीपीपी	सटरलाइट	यू-2	660	जनवरी-13	अप्रैल-14	सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब।
पंजाब	तलवंदी साबो टीपीपी	सटरलाइट	यू-3	660	मई-13	जून-14	
राजस्थान	जलीपा कपोडी टीपीपी	राजवेसट पावर	यू-5	135	जून-10	*	जालिया मारन के विकास में विलंब के कारण जालिया खान के विकास बार विद्यमानं खानों के उत्पादन बनने की अनुमति के बाद शुरू करने की तारीख तय की जाएगी।
			यू-6	135	अगस्त-10	*	
			यू-7	135	सितंबर-10	*	
			यू-8	135	मार्च-11	*	
टीएन	मेलामरुथर टीपीपी	कास्टल एनरजन	यू-1	600	फरवरी-12	अप्रैल-13	मुख्य संयंत्र उपस्कर की सप्लाई में विलंब। मानव शक्ति में कमी वार स्विच यार्ड की तैयारी तथा डीएम प्लांट की वजह से विलंब। रेत की आपूर्ति नीति में परिवर्तन।
टीएन	मेलामरुथर टीपीपी	कास्टल एनरजन	यू-2	600	मार्च-12	जुलाई-13	
टीएन	टयूटीकोरिन टीपीपी इंड भारत टीपीपी	आइबीपीआइएल	यू-1	660	मई-12	दिसंबर-15	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति की वजह से विलंब।
	कुल निजी क्षेत्र			47560			
	ग्रांड टोटल			76109.6			

विवरण-VI

समय अधिक हो जाने वाली हाइड्रो परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का क्षमता एजेंसी/राज्य अनुमति की तारीख	शुरू होने की सारणी मूल माह/वर्ष	नवीनतम माह/वर्ष	समय अधिक होने का कारण
1	2	3	4	5
केंद्रीय क्षेत्र				
1.	कोल दम (4×200 मे.वा.) एनटीपीसी एचपी 28.10.2002	अप्रैल-09 2008-10	2013-14	डैम में मिट्टी/क्ले भरने के काम की धीमी प्रगति। डैम गैलरी की ग्राउटिंग, स्पिलवे को पक्का करना, अनुबंधीय मामले, इस्पात प्राप्ति में विलंब। खराब भौगोलिक स्थिति के कारण राइट बैंक फेल्योर।

1	2	3	4	5
2.	तपोवन विष्णुगढ़ (4×130 मे.वा.) एनटीपीसी उत्तराखड 11/2006	मार्च-13 2012-13	2015-16	सिविल ठेकेदार द्वारा टनल बोरिंग मशीन की अधिप्राप्ति। लगाने में विलंब। खराब चट्टान स्ट्राटा के कारण पॉवर हाउस की धीमी प्रगति। एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति और टीबीएम पर चट्टान गिरने से हैवी वाटर इन्ग्रैस।
3.	पेरे (2×55 मे.वा.) नीपको एआरपीडी 04.12.2008	अगस्त-12 2012-13	2014-15	मैसर्स एचसीसी एंड ईएंडएम मैसर्स एण्डट्रिज हाइड्रो प्रा. लि. को सिविल काम देर से देना।
4.	तरियल (2×30 मे.वा.) नीपको मिजोरम 16.07.1998	जुलाई-06 2006-07	2016-17	फसल क्षतिपूर्ति मांगने के लिए ट्यूरियल क्रॉप कंपेनसेशन क्लेमेंट एसो. (टीसीसीए) द्वारा की गई हड़ताल के कारण 9.6.2004 को सभी परियोजना कार्यान्वयन रुक गए।
5.	कामेंग (4×150 मे.वा.) नीपको एआर पीडी 02.12.2004	दिसंबर 09 2009-10	2016-17	बांध की लंबाई बढ़ाई गई। क्रेस्ट लेवल में परिवर्तन/डाइवर्जन व्यवस्था में बदलाव। खराब भौगोलिक स्थिति के कारण डैम व एचआरटी में धीमी प्रगति, भारी स्राव, नाकाफी मशीनरी। अक्तूबर, 2008 में बाढ़ के कारण काम में रुकावट आई। एचआरटी में पानी आना।
6.	टिहरी पीएसएस (4×250 मे.वा.) टीएचडीसी उत्तराखंड 18.07.2006	जुलाई-10 2010-11	2017-18	ईएंडएम कार्य का विशेष रूप। एल-1 मूल्य बोली के रूप मे आरसीई की अनुमति लागत अनुमान से अधिक थी। आरसीई उक्त 10 में अनुप्रेषित। लिटिगेशन सिंगल ईपीसी अनुबंध मैसर्स आलस्टोम हाइड्रो फाइनेंस और मैसर्स एचसीसी को 23.06.2011 को दिया गया।
7.	रामपुर (6×68.67 मे.वा.) एसजेवीएनएल एचपी 25.01.2007	जनवरी-12 2011-12	सितंबर-13 2013-14	एचआरटी में खराब स्थिति पॉवर हाउस क्षेत्र का फेल होना। स्थानीय लोगों द्वारा परेशानी देना।
8.	परबती-3 (4×130 मे.वा.) एनएचपीसी एचपी 09.11.2005	नवंबर-10 2010-11	2012-14	एचआरटी में खराब जियोलॉजी। ईएम काम पूरा होने में विलंब। 16 अगस्त 2011 को भारी बाढ़। भेल द्वारा सामान देने और यूनिट खड़ी करने में विलंब। स्थानीय लोगों द्वारा काम रोकना। पारेषण लाइनों को वन क्लीयरेंस जून, 2012 में मिली।
9.	नीमो बाज्गो (3×15 मे.वा.) एनएचपीसी ज. एवं कश्म. 24.08.2006	अगस्त 10 2010-11	2013-14	अत्यधिक सर्दी में काम करना (काम का छोटा सीजन) कठिन तराई क्षेत्र के कारण सामग्री पहुंचने में कठिनाई। ईएंडएम कार्य के लिए मानवशक्ति की कमी और बिजली की कमी। पर्याप्त लोड की उपलब्धता न होना।

1	2	3	4	5
10.	तीस्ता लो डैम-3 (4×33 मे.वा.) एनएचपीसी प.बं. 30.10.2003	मार्च-07 2006-07	2013-14	वन क्लीयरेंस मिलने में विलंब। पावर हाउस हिल स्लोप खराब होना। जुलाई 2007, मई 2009 और जुलाई 2010 में अचानक बाढ़। गोरखा जन मुक्ति आंदोलन बंद। स्पिलवे गेट का निर्माण। निकासी प्रणाली पूरी होना।
11.	तीस्ता लो डैम-4 (4×40 मे.वा.) एनएचपीसी प.बं. 30.09.2005	सितंबर-09	2014-15	वन निकासी में विलंब। जुलाई 2007, मई 2009 और जुलाई 2010 में अचानक बाढ़। गोरखा जन मुक्ति आंदोलन। बंद। मैसर्स एचसीसी द्वारा सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
12.	परबती-2 (4×200 मे.वा.) एनएचपीसी हि.प्र. 11.09.2002	सितंबर-09 2009-10	2016-17	माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टोन करशर प्रचालन पर रोक लगा दी है। नवंबर 2006 को टीबीएम मुख को अधिक जल आवेग व स्लश के कारण भारी क्षति हुई है। फरवरी 2007 में पावर हाउस क्षेत्र में स्लाइड हुई। अगस्त 2011 में फ्लैश बाढ़ आई। संविदात्मक मुद्दे पीबी-2 लोट में है, मार्च, 12 में मैसर्स एचजेवी के साथ संविदा समाप्त हुई। पीबी-2 लोट के शेष कार्य की टिटेडसिंग प्रक्रिया में है। रुपयों की कमी के कारण मैसर्स पटेल-एसईडब्ल्यू द्वारा मार्च रोका गया।
13.	सुखनसारी लोअर (8×250 मे.वा.) एनएचपीसी एआरपीडी/असम 09.09.2003	सितंबर-10 2010-11	2016-17	आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय लोगों द्वारा कार्य में रुकावट। जनवरी 2008 में पावर हाउस का स्लोप विफलता। रंगानदी के पुल को क्षति पहुंची। ऊर्जा शाफर से ऊर्जा टर्नल की डिजायन में बदलाव। सुबलसिटी लोअट एचई परियोजना के निर्माण के कारण हुए आंदोलन से कार्य रुक गया। 16.12.2011 से मार्च बंद है। परियोजना की पहुंच सड़कों से लगे बैरीकेड हटा दिये गये। तथापि, स्थिति कार्य करने के अनुरूप नहीं है। डी/एस प्रभावित अध्ययन का मामला।
14.	ऊरी-2 (4×60 मे.वा.) एनएचपीसी ज. एवं कश्म. 01.09.2005	नवंबर-09 2019-10	2012-13	एचसीसी में पैसों की कमी व संसाधनों की कमी। भारी वर्षा के कारण मई 10 व अप्रैल 11 में कोफट डैम टूट/बह गया। जून 2010 से घाटी में अशांति, ऊर्जा शाफर गेट को खड़े करने के दौरान समस्या पेश आई। डाइवर्जन टर्नल प्लानिंग कार्य में विलंब। एनएचपीसी में रोजगार की मांग को लेकर मार्च 2010 से जून, 2012 तक क्षेत्रीय लोगों द्वारा कार्य रोका गया। रुपयों की कमी के कारण मैसर्स एचसीसी द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति। कार्यों की धीमी प्रगति।
15.	छूटक (4×11 मे.वा.) एनएचपीसी ज. एवं कश्म. 24.08.2006	फरवरी 11 2010-11	2012-13	विपरीत मौसमी हालात में मार्च किया (लघु कार्य अवधि) दुर्गम स्थल के कारण सामग्री को परिवहन में कठिनाई। ई व एम और एचएम भागों की आपूर्ति। भेल व विद्युत निकासी में जनशक्ति की कमी। अपर्याप्त लोड के कारण शुरुआत में विलंब। जेकेपीडीसी पूर्ण लोड प्रदान करेगी। यूनिट 2 व यूनिट 3, 8 व 11 नवंबर 2012 को क्रमश: शुरू हुए।

1	2	3	4	5
राज्य क्षेत्र				
जम्मू और कश्मीर				
16.	बगलिहार-II (3×150 मे.वा.) जेकेपीडीसी 29.12.2010	2014-15	1516-17	संविदा की लागत को अंतिम रूप से तय करने में विलंब। ई व एम उपकरण को खडा व आपूर्ति में विलंब।
हिमाचल प्रदेश				
17.	काशांहग-I (1×65 मे.वा.) एचपीपीसीएल 31.07.08 (एचपीएसइबी द्वारा टीईसी) 31.07.2008 (लागत रु. 478.02 संयुक्त लागत से पहले)	2013-14	2014-15	सिविल व ई एवं एम कार्य की धीमी प्रगति। क्षेत्रीय मुद्दे।
18.	काशांहग-II & III (1×65+1×65 मे.वा.) एचपीपीसीएल 10.09.2009 (लागत रु. 601.78 संयुक्त लागत से पहले)	2013-14	2015-16	लिपा ग्रामीणों द्वारा कशांग लिंक व केरंग खंड टेंच वियट टोक दिये गये हैं। विषय न्यायालय में विचाराधीन है।
19.	यूएचएल-III (3×33.33 मे.वा) बीवीपीसीएल (एचपीएसइबी) 19.09.2002	मार्च-07 2006-07	2014-15	कार्य को प्रदान करने में विलंब।
20.	स्वाराकुड्डू (3×37 मे.वा.) एचपीपीसीएल, 10.11.2004	दिसंबर-10 2010-11	2014-15	– खराब यूआकृति के कारण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। – एचआरटी एवं बैराज की प्रगति। – निकासी प्रणाली।
21.	सैंज (100 मे.वा.) एचपीपीसीएल 29.12.2010	2013-14	2014-15	–एचआरटी और बैराज कार्य की धीमी प्रगति।
आंध्र प्रदेश				
22.	लोअर जुराला (6×40 मे.वा.) अपजेनको 2007	2011-12	2013-15	ई एवं एम कार्य प्रदान करने में विलंब, सिविल कार्य में धीमी प्रगति। भूमि अधिग्रहण समस्या 2009 एवं 2010 में अभूतपूर्व बाढ़ तेलंगाना राज्य के लिए टीजेएसी द्वारा लगातार बंद

1	2	3	4	5
23.	पुलिचिन्ताला (4×30 मे.वा.) अपजेनको 25.04.2007	2011-12	2013-14	ई और एम कार्य अक्तूबर 2009 एवं सितंबर 2011 में अभूतपूर्व बाढ़ संविदात्मक मुद्दे।
24.	नागार्जुन सागर तैल पूल डैम (2×25 मे.वा.) अपजेनको 17.01.2005	नवंबर-08 2008-09	2014-15	2009 व 2011 के दौरान लगातार बाढ़ के कारण डैम की धीमी प्रगति। एचएम कार्य प्रदान करने में विलंब डैम व संबंधित एचएम कार्य में धीमी प्रगति।
	तमिलनाडु			
25.	भवानी कत्तालाई एचई परियोजना बैराज-II (2×15 मे.वा.) तनजेडको 11.06.1999	मार्च-06 2005-06	2012-13	– जलाशय भराव। – ईएल 147.25 मी. से एफआरएल के 148.25 तक जलाशय का स्तर बढ़ाया गया। – पूर्ण जलाशय स्तर के ना होने के कारण पूर्ण लोड पर शुरुआत रुक गई – रेलवे पंप हाउस में बदलाव। – मैटूर डैम से जल छोड़ा गया।
26.	भवानी कत्तालाई एचई परियोजना बैराज II (2×15 मे.वा.) तनजेडको 27.03.2002	मार्च-06 2005-06	2012-13	– मैटूर डैम से जल छोड़ा गया।
	केरल			
27.	पल्लीवसाल 2×30 मे.वा. केएसईबी 31.01.2007	अक्तूबर-10 2010-11	2014-15	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। भूमि अधिग्रहण में विलंब। एचआरटी से अदित के जुड़ाव में बदलाव। एचआरटी में खराब भूआकृति।
28.	थोट्टीयार (1×30+1×10)मे.वा. केएसईबी 05.06.2008	अप्रैल-12 2012-13	मई-13 2013-14	भूमि अधिग्रहण मामला।
	मेघालय			
29.	न्यू उम्तरू (2×20 मे.वा.) एमईईसीएल 12/06	2011-12	2014-15	कार्य प्रदान करने में विलंब। सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।

1	2	3	4	5
30.	मयन्तदू (2×42 मे.वा.+ 1×42 मे.वा.) एमईईसीएल 09.06.2003	2006-07	2011-13	निवेश निर्णय, पर्यावरण व वन मंत्रालय और मुख्य कार्य प्रदान करने में विलंब। एचआरटी में बाढ़, अक्तूबर 2009, मई 2010 और मार्च 2011 में पीएच। 2 यूनिट शुद्ध हो गये हैं तीसरा यूनिट के इस वर्ष में शुद्ध होने की संभावना है।
	निजी क्षेत्र			
	हिमाचल प्रदेश			
31.	तिदांग-I 2×50 मे.वा. एनएसएल तिदांक 09.02.2006	2013-14	2015-16	सरकार द्वारा 1 वर्ष के लिए कार्य स्थगित करने से पंचायत द्वारा प्रभावित द्वारा अनआपत्ति पत्र देने में विलंब।
32.	तंगनू रोमाई-I (2×22 मे.वा.) टीआरपीजीपीएल 28.10.2010	2014-15	2015-16	सिविल कार्यों में धीमी प्रगति।
33.	सोरांग (2×50 मे.वा.) एचएसपीपीएल 23.09.2004	2012-13	2013-14	खराब भूआकृति, दुर्गम क्षेत्र, मौसम की स्थिति में पहुंच।
	उत्तराखंड			
34.	श्रीनगर (4×82.5 मे.वा.) अलकनंदा हाइड्रोपावर कं.लि. 14.6.2000 (टीईसी)	2005-06	2013-14	वित्तीय बंदी। डैम कार्यों की धीमी प्रगति। पर्यावरण व वन मंत्रालय ने 30.5.2011 से कार्य रोकने का नोटिस जारी किया है। क्षेत्रीय मुद्दे।
35.	सिंगोली भटवारी (3×33 मे.वा.) एलएंडटी 11.07.2008	2014-15	2015-16	– एचआरटी में खराब भूआकृति – क्षेत्रीय लोगों द्वारा आंदोलन
	मध्य प्रदेश			
36.	महेश्वर (10×40 मे.वा.) एसएमएचपीसीएल 30.12.1996	2001-02	2013-15	आरएवंआर मामले। विकासकर्ता के साथ नगद प्रवाह की समस्या।

1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र			
37.	कोयना लेफ्ट बैंक पावर हाउस (2×40 मे.वा.) जीओएमडब्ल्यूआरडी 20.02.2004	2014-15	2017-18	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
	सिक्किम			
38.	चुजाचेन (2×49.5 मे.वा.) गाटी इन्फ्रा. लि. 30.11.2004	सितंबर-09 2009-10	2013-14	खराब भूआकृति के कारण एचआरटी के कुछ भागों में धीमी प्रगति। रेनगो डैम में 16.4.2009 पर फ्लैश बाढ़ आई। कोफर डैम बह गया।
39.	तीस्ता स्टेज-III (6×200 मे.वा.) तीस्ता ऊर्जा लि. 12.05.2006 (टीईसी)	अक्तूबर-11 2011-12	2014-15	वन स्वीकृति में विलंब। सितंबर 2011 में भूकंप से कार्य प्रभावित हुआ।
40.	तीस्ता स्टेज VI (4×125 मे.वा.) लैंका इनर्जी प्रा.लि. 27.12.2006 (टीईसी)	2012-13	2015-16	खराब भूआकृति। भूमि अधिग्रहण।
41.	रंगित-IV एचई परि. (3×40 मे.वा.) जेपीसीएल 09.12.2005	2012-13	2014-15	खराब भूआकृति के कारण एचआरटी व सर्ज शॉफ्ट की धीमी प्रगति। सितंबर 2011 में भूकंप के कारण कार्य प्रभावित हुआ।
42.	जोरथांग लूप (2×28 मे.वा.) डीएएन एनर्जी प्रा.लि.	दिसंबर 12 2012-13	मार्च 13 2014-15	खराब भूआकृति। पारेषण फीस के लिए वन स्वीकृति।
43.	भस्मय (2×25.5 मे.वा.) गटी इन्फ्रा. 12/2008	2012-13	2014-15	वन स्वीकृति।

सर्वेक्षण/नई लाइन परियोजना

134. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री कामेश्वर बैठा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गया-डालटेनगंज तथा जलगांव/सोलापुर खंडों पर सर्वेक्षण/नई लाइन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति एवं ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) गया-डाल्टनगंज (137 किमी) नई लाइन एक स्वीकृत परियोजना है। इस परियोजना पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं और अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजना की प्रगति हो रही है। इसे पूरा करने की अभी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

जलगांव-सोलापुर नई लाइन परियोजना स्वीकृत कार्य नहीं है। 453.76 किमी लंबी इस नई लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया है और (-) 5.94% प्रतिफल की दर के साथ प्रस्तावित नई लाइन की लागत 3161.13 करोड़ रु. है।

नई भेषज नीति को अंतिम रूप दिया जाना

135. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री निशिकांत दुबे:
श्री पी. लिंगम:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:**
डॉ. भोला सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहले दो मौकों पर भेषज नीति को लागू करने की कोशिश की थी किंतु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई;

(ख) यदि हां, तो पूर्व के दो मौकों पर कोई सफलता नहीं मिलने के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सत्य है कि विद्यमान नीति 74 बल्क दवाइयों की कीमतों और उनके सूत्रयोगों (लगभग 1,500) को विनियमित करती है और इनका बाजार में 20 प्रतिशत हिस्सा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने नई भेषज नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पणधारक दवाइयों की कीमत निर्धारित करने के तरीके पर स्पष्टत: विभाजित है;

(छ) यदि हां, तो नई भेषज नीति की सिफारिश करने से पूर्व भेषज कंपनियों और ग्राहक संघों से सरकार को प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) मूल्य नियंत्रण के तहत लायी जाने वाली दवाओं की संख्या कितनी है और नई भेषज नीति को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) सरकार ने फरवरी, 2002 में 'औषधि नीति, 2002' घोषित की। तथापि, बंगलौर स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपी संख्या 2002 की 2168 में दायर किए गए एक जनहित मुकदमे के परिणामत: दिनांक 12.11.2002 का एक आदेश जारी हुआ जिसके परिणामस्वरूप सरकार को औषधि नीति, 2002 की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने से रोका गया था। इस विभाग ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.03.2003 के अपने निर्णय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को यह निदेश दिया कि, 'हम इस आदेश के प्रवर्तन को उस सीमा तक आस्थगित करते हैं जिस सीमा तक यह आदेश यह निदेश देता है कि दिनांक 15.02.2002 की नीति को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। तथापि, हम निदेश देते हैं कि याचिकाकर्ता विचार करके समुचित मानदंड तैयार करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक और जीवनरक्षक दवाइयां मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर नहीं जाने पाएं और आगे यह भी निदेश दिया कि दिनांक 02 मई, 2003 तक ऐसी औषधियों की समीक्षा की जाए जो आवश्यक और जीवनरक्षक स्वरूप की हों'' इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची, 1996 की समीक्षा करने के बाद राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची, 2003 प्रकाशित की है। इस विभाग द्वारा विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ व्यापक चर्चा करने के बाद और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सरकार के घोषित उद्देश्य के अनुरूप प्रारूप राष्ट्रीय औषधि नीति, 2006 तैयार की गई थी। इस नीति को अनुमोदन हेतु मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने दिनांक 11 जनवरी, 2007 को हुई अपनी बैठक में इस नीति पर विचार करके यह निर्णय लिया कि पहले इस मामले पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाए।

(ग) औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 अनुसूचित बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मूलेशन के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं।

(घ) से (ज) औषध विभाग ने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यथापरिकल्पित तात्विकता और आवश्यकता के मानदंडों के आधार पर प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2001) तैयार की थी। प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) को संबंधित मंत्रालयों/संबंधित पक्षों के पास भेजा गया था। यह प्रारूप नीति 30.11.2011 तक विभाग की वेबसाइट www.pharmaceuticals.gov.in पर किसी भी अन्य इच्छुक व्यक्ति की टिप्पणियों के लिए भी उपलब्ध थी। प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) पर प्राप्त मतों/प्रतिक्रियाओं की जांच करके मामले को मंत्रियों के समूह (जीओएम) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसकी बैठक 25.4.2012 को हुई थी। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने दिनांक 27.09.2012 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची, 2011 के मूल्य निर्धारण के संबंध में अपनी अंतिम सिफारिशें दीं जिसके आधार पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2012 तैयार करके मंत्रिमंडल को उसके अनुमोदन हेतु दिनांक 15.10.2012 को भेजी गई।

[हिन्दी]

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के खिलाफ शिकायतें

136. **राजकुमारी रत्ना सिंह:**
डॉ. संजय सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कई जन प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्रामीण विकास स्कीमों के तहत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान उनके सुझावों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे जन प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है जिनसे गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और इन शिकायतों के आधार पर की गई कार्रवाई की प्रकृति क्या है; और

(ङ) की गई कार्रवाई का परिणाम क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रमुख मजदूरी एवं स्वरोजगार कार्यक्रम यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कार्यान्वित करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को जनप्रतिनिधियों से अनेक शिकायतें मिलती हैं जिन्हें उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया जाता है। जन प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझावों एवं जानकारी के आधार पर कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में समयँ-समय पर उचित बदलाव एवं संशोधन किए जाते हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है।

नदियों का संरक्षण

137. **श्री सज्जन वर्मा:**
श्री घनश्याम अनुरागी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खतरे में पड़ी नदियों के संरक्षण के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक देशभर में पुनरुज्जीवित की गई ऐसी नदियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की खान और सरस्वती नदियां विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कोई संरक्षण योजना बनायी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने नदी तट पर गैर-कानूनी निर्माण को नष्ट करने तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) नदियों का संरक्षण केन्द्र और राज्य सरकारों का एक निरंतर और सामूहिक प्रयास है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत नदियों

में प्रदूषण उपशमन हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देता है। एनआरसीपी वर्तमान में 20 राज्यों में फैले 191 शहरों में 41 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों को शामिल करती है। तथापि, केन्द्र सरकार को पुनरुज्जीवित की गई नदियों की संख्या के विषय में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए गए ब्यौरे के अनुसार मध्य प्रदेश में खान नदी एनआरसीपी के अन्तर्गत शामिल की गई है तथा इन्दौर में 40.19 करोड़ रुपये के प्रदूषण उपशमन कार्य कार्यान्वयन हेतु मंजूर किए गए हैं। इन कार्यों की लागत केन्द्र और राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी के आधार पर वहन की जाएगी। 90 एमएलडी (प्रति दिन मिलियन लीटर) गन्दे पानी के परिशोधन की क्षमता सृजित की गई है। इस समय सरस्वती नदी इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं है।

(ङ) और (च) नदियों के तटों पर गैर-कानूनी निर्माणों की जांच के लिए राज्य सरकारें आवश्यक कार्रवाई करती हैं।

नई लाइन परियोजनाएं

138. **श्री अनुराग सिंह ठाकुरः**
श्री दानवे रावसाहेब पाटीलः
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) धनौली-देहरादून वाया जगाधरी, सूरजपुर, बद्दी, नालागढ़, कालअम्ब और पौंटा साहिब तथा जालना-खेमगांव-शेगाव खंडों पर नई लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन पर अब तक आबंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) रेलवे द्वारा उक्त परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी):* (क) धनौली-देहरादून नई लाइन (बरास्ता जगाधरी, सूरजपुर, नालागढ़, बद्दी, काला अम्ब और पोंटा साहिब) के सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 216 किमी लंबी इस नई रेल लाइन के निर्माण की लागत (-) 0.40% प्रतिफल की दर के साथ 3745.62 करोड़ रु. आंकी गई है। जलना-खेमगांव नई लाइन के लिए भी सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 155 किमी लंबी इस नई रेल लाइन के निर्माण की लागत (-) 4.26% प्रतिफल की दर के साथ 1027 करोड़ रु. आंकी गई है। दोनों परियोजना प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेज दिए गए है।

*धनौली-देहरादून नई लाइन (बरास्ता जगाधरी, सूरजपुर, नालागढ़, बद्दी, काला अम्ब और पोंटा साहिब के सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 216 किमी लंबी इस नई रेल लाइन के निर्माण की लागत (-) 0.40% प्रतिफल की दर के साथ 3745.62 करोड़ रु. आंकी गई है। योजना आयोग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जलना-खेमगांव नई लाइन के लिए भी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 155 किमी लंबी इस नई रेल लाइन के निर्माण की लागत (-) 4.26% प्रतिफल की दर के साथ 1027 करोड़ रु. आंकी गई है। यह विचाराधीन है और इसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परियोजना अभी स्वीकृत नहीं की गई है।

[अनुवाद]

उद्योगों द्वारा जल संरक्षण

139. **श्री चंद्रकांत खैरेः** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव उद्योगों द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किसी एजेंसी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योगों द्वारा जल की मांग बहुत अधिक है और उनके द्वारा जल खपत की लेखा जांच कराने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है कि देशभर के उद्योग जल संरक्षण तरीकों को अपनाएं;

(घ) क्या सरकार ने सभी उद्योगों के लिए कोई नियम निर्धारित किया है कि वे पुनर्चक्रित जल को उपयाग में लाएं और अपशिष्ट जल का बिल्कुल भी स्राव न करें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी नीति और की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां। राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना हेतु प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ जल उपयोग दक्षता को सुधारने और कृषि,

घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अभिकल्पना की गई है।

(ख) एकीकृत जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1999) में उद्योगों में जल की मांग वर्ष 2025 और 2050 तक क्रमश: 67 बिलियन क्यूबिक मीटर और 81 बिलियन क्यूबिक मीटर तक होने का आकलन किया था। जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण जल की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों द्वारा जल उपभोग की लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति तैयार की है जोकि अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय निवेश और विर्निमाण क्षेत्रों में औद्योयोगिक और सांस्थानिक इकाइयों के लिए अनिवार्य जल लेखा-परीक्षा का निर्धारण करती है।

(घ) और (ङ) संशोधित प्रारूप राष्ट्रीय जल नीति (2012) सिफारिश करती है कि जल का पुन:चक्रण और पुन:प्रयोग, पश्चगामी प्रवाह सहित, सामान्य मानक होने चाहिए। प्रारूप नीति आगे सिफारिश करती है कि जल का पुन:चक्रण और पुन:प्रयोग को, विनिर्दिष्ट मानकों पर उपचार के बाद, उपयुक्त रूप से आयोजित टैरिफ प्रणाली के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उर्वरक राजसहायता चरणबद्ध ढंग से समाप्त करना

140. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक राजसहायता को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने से देश के छोटे किसानों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) उर्वरक राजसहायता को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र की समस्याएं

141. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**
श्री सी. शिवासामी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का विद्युत क्षेत्र अनेक संकटों से घिरा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत समस्या संस्थापन त्रुटियों या उत्पादन क्षमता में निहित नहीं है बल्कि वास्तविक समस्या मांग का अनुमान लगाने और वास्तविक उपलब्धता में निहित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही कुछ प्रमुख चुनौतियों में कोयले की कमी, गैस की कमी, वितरण कंपनियों (डिस्काम) की खराब वित्तीय स्थिति शामिल हैं।

(ग) और (घ) 17वीं ईपीएस के अनुसार अखिल भारत की अधिकतम विद्युत मांग और 11वीं योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान विद्युत स्टेशन बस बार्स पर वास्तविक मांग निम्नानुसार है:-

वर्ष	अधिकतम विद्युत मांग (17वीं ईपीएस के अनुसार) (मेगावाट)	अधिकतम विद्युत मांग (वास्तविक) (मेगावाट)	अंतर (प्रतिशत में)
2009-10	131413	119166	9.3
2010-11	141678	122287	13.7
2011-12	152746	130006	14.9

उपरोक्त के अनुसार यह देखा गया है कि 17वीं ईपीएस के अनुसार देश में व्यस्तम विद्युत मांग वास्तविक विद्युत मांग की तुलना में कुछ अधिक थी। इसलिए देश में विद्युत मांग का आकलन विद्युत क्षेत्र के संकट का उल्लेख कारण के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

(ङ) विद्युत क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। इनमें कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से देश में कोयले के उत्पादन को बढ़ाना, घरेलू स्रोतों से इसकी आवश्यकता और उपलब्धता के अंतर को कम करने के लिए तकनीकी व्यवहार्य सीमा तक कोयले का आयात, वर्तमान खानों से कैप्टिव कोल ब्लॉकों द्वारा कोयले के उत्पादन पर बल देना और नये कोल ब्लॉकों को शीघ्र चालू करने हेतु अनुरोध करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, गैस क्षेत्रों/कुओं से प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कदमों को उठाना और दिनांक 05.10.2012 को विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य वितरण कंपनियों (डिस्काम) को वित्तीय पुनर्गठन के लिए योजनाओं को अधिसूचित किया है जिसमें, राज्य डिस्कामों के कारोबार को सक्षम बनाना शामिल है और इसकी लम्बी अवधि की व्यवहार्यता को सुनिश्चित किया जाए।

अंकल जजैस सिंड्रोम

142. **श्री सी. राजेन्द्रन:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में विधि और न्याय मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि 'अंकल-जजैस' सिंड्रोम को समाप्त किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) भारत के विधि आयोग ने उनकी 230वीं रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों में 'अंकल जजैस' की नियुक्ति के मामले का उल्लेख किया है, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे न्यायाधीशों को, जिनके परिचित और संबंधी किसी उच्च न्यायालय में व्यवसाय कर रहे हैं, उसी उच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति के ज्ञापन के अधीन की जाती है जिसे 1993 और 1998 में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुसरण करते हुए अधिकथित किया गया है। इसके अधीन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्याायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आरंभ करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए अर्हित है।

इस प्रकार, सांविधानिक उपबंध के अधीन, मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए विधिज्ञ परिषद से न्यायाधीशों की सिफारिश कर सकता है। इस स्थिति में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त और उच्च न्यायालय में व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों के परिचित और संबंधी होने की संभावना है। स्थिति के सुधार की दृष्टि से न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2012, जिसे लोक सभा में पहले ही पारित किया जा चुका है, में न्यायाधीशों के लिए न्यायिक मानक विहित किए जा रहे हैं।

एचएमटी का पुनर्गठन

143. **श्री आर. ध्रुवनारायण:**
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि सरकार ने वित्तीय सहायता देकर और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) या किसी अन्य पीएसयू में विलय कर हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स (एचएमटी) के मुख्यत: आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) फरवरी, 2007 में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि. के लिए 880.80 करोड़ रुपए का पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किया गया था। तथापि हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि. का बीएचईएल अथवा

सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य उपक्रम के साथ विलय का कोई प्रस्ताव नहीं था।

मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i)	नकद सहायता	723.00 करोड़ रुपए
(ii)	गैर-नकद सहायता	157.80 करोड़ रुपए

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में इंदिरा आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण

144. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात में इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के तहत कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन में गुजरात सरकार और स्वयं लाभार्थियों द्वारा कोई योगदान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने आईएवाई के मकानों के लिए किए गए 12.5 प्रतिशत योगदान के अतिरिक्त 1145 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग करके गरीबों के लिए मकान बनवाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का गुजरात को उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैद्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की निधियां केन्द्र और राज्यों के बीच क्रमश: 75:25 के अनुपात में वहन की जाती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में निधियां 90:10 के अनुपात में वहन की जाती हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, आईएवाई की संपूर्ण निधियां केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां और राज्य द्वारा रिलीज की गई अपने अंश की निधियां और निर्मित मकानों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आईएवाई योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन योजना आयोग द्वारा पूर्व-निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जताा है, जिसमें आवास की कमी को 75% और गरीबी अनुपात को 25% वेटेज दी जाती है।

विवरण

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां और राज्य द्वारा रिलीज की गई अपने अंश की निधियां और निर्मित मकानों की संख्या

वर्ष	(रुपये लाख में)		(मकानों की संख्या)
	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां	राज्य द्वारा रिलीज की गई अपने अंश की निधियां	निर्मित मकान
2009-10	41574.95	13858.32	166760
2010-11	51934.99	17311.66	167313
2011-12	38069.291	12689.76	111999
2012-13	13424.45(*)	4474.82	33426(**)

(*) 19-12-2012 तक की स्थिति के अनुसार रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां

(**) 31-10-2012 तक की स्थिति के अनुसार ऑनलाइन एमपीआर पर दी गई जानकारी के अनुसार सितंबर, 2012 तक का निष्पादन

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए विशेष ट्रेनें

145. **श्री राजेन्द्र अग्रवालः**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे ने देश के विभिन्न शहरों विशेषकर खुर्जा (उत्तर प्रदेश) से दिल्ली की महिलाओं के लिए प्रस्तावित विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए कोई मानक निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन शहरों के नाम क्या हैं जहां के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से महिलाओं के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं;

(घ) क्या रेलवे दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से हापुड़ ऐसी ट्रेनें चलाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) रेल बजट 2009-10 में कार्यालय घंटों के दौरान महिला यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई उपनगरीय सेवा की तर्ज पर दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में "केवल महिलाओं के लिए" ईएमयू गाड़ी सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की गई थी।

(ग) वर्तमान में नई दिल्ली से तीन जोड़ी लेडीज स्पेशल गाड़ियां चल रही हैं:

(i) 64491/64492 नई दिल्ली-पलवल

(ii) 64469/64470 नई दिल्ली-पानीपत

(iii) 64449/64450 नई दिल्ली-गाजियाबाद

(घ) और (ङ) फिलहाल, दिल्ली क्षेत्र में परिचालनिक बाध्यताओं के कारण दिल्ली और मेरठ/हापुड़ के बीच लेडीज स्पेशल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मनरेगा के अंतर्गत कामगारों के बैंक खाते

146. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सभी कामगारों के बैंक/डाकघर में खाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनके बैंक/डाकघर में खाते नहीं हैं;

(घ) योजना के अंतर्गत उनकी मजदूरी का भुगतान किस प्रकार किया जाता है; और

(ङ) मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता लाने और ईमानदारी बरतने के लिए उनके खातों में उनकी मजदूरी जमा करने हेतु खाता खुलवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने और मजदूरी के भुगतान में ईमानदारी बढ़ाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को बैंकों या डाकघरों में खातों के जरिए मजदूरी के वितरण का प्रावधान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (महात्मा गांधी नरेगा) अधिनियम की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को शून्य शेषवाले खाते खोलने का अधिकार है। खाते खोलने के लिए बैंकों के अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानकों के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा जॉब कार्ड को सरकारी वैध दस्तावेज माना गया है। महात्मा गांधी नरेगा के एमआईएस में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा कामगारों के लिए बैंकों/डाकघरों में खोले गए खातों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। बैंकों और डाकघरों की सीमित संस्थागत पहुंच और समेकित कार्य योजना जिलों जैसे क्षेत्रों में मौजूद विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि समेकित कार्य योजना जिलों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत कुछ शर्तों के अधीन नकद मजदूरी के भुगतान की अनुमति राज्य सरकारों को दी जाए। सरकार मोबाइल बैंकिंग, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक अंतरण, यूआईडी आधारित अधिप्रमाणन आदि जैसी सभी नई प्रौद्योगिकियों के जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (महात्मा गांधी नरेगा) अधिनियम के तहत भुगतान में कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयास निरंतर कर रही है। मजदूरी के वितरण के लिए संस्थागत पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम स्तर पर बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन के साथ मजदूरी के भुगतान के लिए राज्य सरकारें बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल शुरू करें।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत		खोले गए बैंक खातों की संख्या	डाकघरों में खोले गए खातों की संख्या	कुल खाते
		परिवार	व्यक्ति			
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	11783735	27683379	627941	11684153	12312094
2.	अरुणाचल प्रदेश	154334	355642	17887	56250	74137
3.	असम	3922095	5755454	1042977	1358529	2401506
4.	बिहार	12628721	19011479	222324	3997925	4220249
5.	छत्तीसगढ़	4362781	14299991	2075330	4496453	6571783
6.	गोवा	32834	42942	15459	5	15464
7.	गुजरात	3790527	9742283	535558	1943753	2479311
8.	हरियाणा	705736	1437128	471860	55665	527525
9.	हिमाचल प्रदेश	1101593	2146160	293309	63351	356660
10.	जम्मू और कश्मीर	932661	1460287	481056	36483	517539
11.	झारखंड	4049708	8844482	379877	2696113	3075990
12.	कर्नाटक	5268730	15182846	2477526	1281471	3758997
13.	केरल	2384610	3836212	1499832	167273	1667105
14.	मध्य प्रदेश	12040213	37778242	3006464	1391936	4398400
15.	महाराष्ट्र	6905849	17075079	656974	2551040	3208014
16.	मणिपुर	473774	953868	24967	151603	176570
17.	मेघालय	456448	992943	80143	53731	133874
18.	मिजोरम	209507	507257	19618	92868	112486
19.	नागालैंड	383960	652240	96500	1	96501
20.	ओडिशा	6226653	16814616	2288874	1751342	4040216
21.	पंजाब	893778	1549577	379902	199495	579397
22.	राजस्थान	9957249	25150191	4284520	4437394	8721914
23.	सिक्किम	80932	160936	44104	29596	73[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
24.	तमिलनाडु	8406959	13963727	1711538	607	1712145
25.	त्रिपुरा	635027	1394369	463977	186948	650925
26.	उत्तर प्रदेश	14923179	21106435	11290446	1151487	12441933
27.	उत्तराखंड	1038335	1803682	287542	175668	463210
28.	पश्चिम बंगाल	11274761	24322597	2668810	4568175	7236985
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	45562	64115	10052	613	10665
30.	दादरा व नगर हवेली	7849	11919	617	0	617
31.	लक्षद्वीप	8378	17223	252	6157	6409
32.	पुडुचेरी	67808	159526	68918	0	68918
	कुल	125154286	274276827	37525154	44586085	82111239

आयातकों को सब्सिडी

147. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नकदी की कमी ने उर्वरकों के आयात को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आयातकों को सब्सिडी देने की अपनी वचनबद्धता से मुकर गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उर्वरकों की कमी से खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ेगी और रबी फसलों के लिए खतरा उत्पन्न होगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या महत्त्वपूर्ण उर्वरकों की सुनिश्चित उपलब्धता खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है; और

(च) यदि हां, तो किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) पीएंडके तथा यूरिया दोनों उर्वरकों के आयात के लिए राजसहायता का कुल आवंटन 30592.11 करोड़ रुपए है। यूरिया आयात के लिए आवंटित 18016 करोड़ रुपए में से अभी तक 12188.70 करोड़ रुपए उपयोग हुआ है। उपलब्ध बकाया राशि यूरिया आवश्यकताओं की चालू वर्ष के आयात के लिए काफी है। आयातित पीएंडके उर्वरकों के मामले में 12576.11 करोड़ रुपए के आवंटन में से 12477.97 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग आयातित उर्वरक राजसहायता के लिए किया गया। अतिरिक्त राशि संशोधित अनुमान 2012-13 में मांगी गई है। आयातित पीएंडके राजसहायता के भुगतान में अस्थायी देरी को प्राप्त अतिरिक्त निधि से पूरा किया जाएगा।

(घ) उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और इसलिए खाद्य पदार्थों के मूल्य में तेजी से वृद्धि होने तथा शीतकालीन फसल कार्य में कोई जोखिम नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) शीतकालीन फसल रबी 2012-13 (अक्तूबर-2012) के दौरान उर्वरक की उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गई है। जैसा कि देखा जा सकता है कि सभी उर्वरकों की उपलब्धता कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) के जरिए राज्य सरकार द्वारा अनुमानित आवश्यकता से अधिक है। इसके अतिरिक्त उर्वरक विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) और रेल मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा करता है। देश में उर्वरक की कमी को रोकने के लिए उपचारी कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

रबी 2012-13 (अक्तूबर' 12) के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता

(आंकड़े 000'मी. टन में)

रबी 2012-13 (अक्तूबर 2012)

राज्य	यूरिया					डीएपी					एनपीके					एमओपी				
	आवश्यकता	प्रारंभिक स्टॉक	प्राप्ति	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	प्रारंभिक स्टॉक	प्राप्ति	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	प्रारंभिक स्टॉक	प्राप्ति	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	प्रारंभिक स्टॉक	प्राप्ति	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
आंध्र प्रदेश	300.00	13.49	328.24	341.73	296.96	100.00	86.03	25.32	111.36	22.43	150.00	96.70	188.52	285.22	122.60	75.00	44.40	22.40	66.80	21.60
कर्नाटक	140.00	8.09	224.57	232.66	210.91	60.00	72.49	8.27	80.76	12.04	125.00	70.00	71.92	141.92	42.61	60.00	40.39	24.04	64.43	13.58
केरल	26.00	0.69	8.93	9.62	8.90	7.00	4.83	1.74	6.57	2.02	40.00	15.29	13.55	28.83	17.43	25.00	7.58	12.18	19.76	8.69
तमिलनाडु	173.00	1.46	133.83	135.29	133.43	70.00	13.30	49.34	62.64	39.32	90.76	18.45	57.31	75.77	53.72	84.00	12.97	32.16	45.12	36.43
गुजरात	220.00	15.40	125.39	140.79	99.47	110.00	23.61	8.03	31.64	9.47	73.70	46.17	22.48	68.65	26.51	18.00	3.74	9.65	13.39	6.87
मध्य प्रदेश	240.99	15.93	231.64	247.57	219.93	223.79	123.78	173.67	297.45	111.75	89.46	26.26	35.25	61.51	32.10	21.52	15.02	8.45	23.46	3.62
छत्तीसगढ़	20.00	5.48	19.84	25.32	17.55	10.00	27.49	16.39	43.88	7.49	5.00	5.48	0.19	5.65	0.19	4.00	7.57	10.43	18.00	1.93
महाराष्ट्र	195.00	12.47	192.35	204.82	168.81	86.00	77.66	19.75	97.41	12.55	205.00	82.08	69.50	151.58	36.52	48.00	85.61	16.36	101.98	9.45
राजस्थान	177.10	0.99	192.47	193.45	192.79	112.36	15.47	173.88	189.35	146.49	34.49	1.48	18.19	19.67	16.46	4.97	4.40	3.39	7.79	2.45
हरियाणा	250.00	11.64	176.50	188.13	170.79	225.00	33.17	162.98	196.14	133.10	15.00	6.19	0.56	6.76	1.75	10.00	2.59	0.51	3.09	0.00
पंजाब	300.00	1.38	321.69	323.02	319.15	230.00	32.53	228.66	261.19	183.53	35.00	1.57	1.76	3.33	2.09	15.00	9.59	0.34	9.92	0.36
हिमाचल प्रदेश	5.00	0.06	1.73	1.79	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.10	5.27	5.37	5.21	0.00	0.00	3.93	3.93	1.81
जम्मू और कश्मीर	13.70	0.68	8.48	9.16	6.07	7.79	0.98	13.55	14.53	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	0.56	1.61	2.17	0.28
उत्तर प्रदेश	500.00	42.92	499.39	542.30	469.66	400.00	177.96	441.17	619.13	381.88	175.00	41.44	108.60	150.04	76.08	65.00	6.57	13.87	20.44	11.32
उत्तराखंड	5.00	2.69	9.46	12.15	8.71	1.00	3.25	4.93	8.18	7.15	6.00	1.36	9.27	10.63	8.46	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32
बिहार	180.00	11.33	194.34	205.68	187.04	80.00	86.75	110.05	196.80	102.25	40.00	23.99	50.11	74.10	46.81	40.00	9.14	6.68	15.82	13.37
झारखंड	21.25	1.19	20.33	21.51	14.65	11.50	11.83	3.91	15.74	3.09	20.00	2.35	6.33	8.67	5.01	2.50	0.00	0.26	0.26	0.09
ओडिशा	40.00	6.01	41.09	47.10	26.42	10.00	11.67	1.37	13.04	4.44	8.50	21.95	9.16	31.11	3.84	15.00	14.02	1.28	15.29	4.02
पश्चिम बंगाल	78.00	14.19	89.66	103.85	83.29	24.53	52.13	29.17	81.30	43.87	56.74	38.81	108.79	147.60	104.96	24.84	35.17	9.20	44.37	35.19
असम	13.00	0.27	18.72	18.99	17.27	3.60	3.22	4.49	7.71	3.91	1.80	0.99	1.26	2.25	0.25	8.10	9.80	8.66	18.46	3.95
अखिल भारत	2913.31	166.34	2841.60	3007.94	2656.51	1776.64	858.15	1477.70	2335.85	1236.60	1182.01	501.58	780.51	1282.09	604.50	532.56	309.10	186.23	495.32	175.84

[हिन्दी]

समुद्री अपरदन

148. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में समुद्र द्वारा मृदा अपरदन से हुए नुकसान को रोकने के लिए किसी योजना का क्रियान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) समुद्र कटाव प्रबंधन का विषय राज्यों के कार्य क्षेत्र में आता है तथा तदनुसार कटाव नियंत्रण की स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण, निरूपण और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जाता है। केन्द्र सरकार की भूमिका तकनीकी परामर्शदाता, उत्प्रेरक और प्रोत्साहन देने की है। तथापि, गुजरात समेत राज्यों को गम्भीर क्षेत्रों में समुद्र कटाव के प्रबंधन में सक्षम बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने XI योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता दी थी। उपर्युक्त कार्यक्रम के तहत, "जामनगर जिले के द्वारका तालुका में संगम नारायण मंदिर से गायत्री मंदिर तक कटाव से निपटने हेतु तटीय सुरक्षा/समुद्री दीवार की व्यवस्था (अनुमानित लागत 794.31 लाख रुपये)" और "सूरत जिले के गांव डबहारी नेस-करंज, दांडी में समुद्र कटाव रोधी कार्य (अनुमानित लागत 1185.00 लाख रुपए)" नामक दो स्कीमें XI योजना अवधि के दौरान अनुमोदित की गई थीं तथा गुजरात राज्य सरकार को 200.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

(ग) और (घ) समुद्री कटाव नियंत्रण की स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा निरूपित की जाती हैं तथा परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने में सर्वेक्षण-कार्य शामिल होता है। भारत सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों के लिए दी गई निधि उपर्युक्त अनुसार है।

भूमि सुधार अधिनियम का कार्यान्वयन

149. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और गरीबों विशेषकर अनुसूचित जातियों (एससी) और पिछड़े वर्गों में अतिरेक भूमि बांटने तथा भूमिहीन श्रमिकों के हितों की रक्षार्थ स्व-सहायता समूहों के गठन में सहायता के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या राजस्थान के गरसिया जनजाति के भूमिहीन गरीबों को भूमि आबंटित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लाल चन्द कटारिया): (क) से (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार, भूमि तथा इसका प्रबंधन एकान्तिक रूप से संबंधित राज्यों के विधायी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भूमि सुधारों के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की भूमिका केवल परामर्शदायी एवं समन्वयकारी स्वरूप की ही होती है। तथापि, भूमि सुधारों संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए राज्यों/संघ-राज्यक्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों तथा राजस्व सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। राज्य सरकारों को, अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर अधिकतम सीमा से अधिक भूमि का पात्र गरीब ग्रामीण लोगों में वितरण करने का अनुरोध किया गया है। भूमि हदबंदी कानून के कार्यान्वयन पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 30.6.2012 तक की स्थिति के अनुसार, 69.20 लाख एकड़ क्षेत्र भूमि को अतिरेक क्षेत्र घोषित किया गया है जिसमें से 61.79 लाख एकड़ भू क्षेत्र का कब्जा ले लिया गया है तथा 51.40 लाख एकड़ भूक्षेत्र को 56.81 लाख लाभार्थियों में वितरित कर दिया गया है। वितरित किए गए कुल 51.40 लाख एकड़ क्षेत्र में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य लाभार्थियों को क्रमशः 19.26 लाख एकड़ क्षेत्र, 7.97 लाख एकड़ क्षेत्र तथा 24.16 लाख एकड़ भू क्षेत्र का वितरण किया गया है। गरीबों विशेषकर, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच राज्य-वार वितरित अधिशेष भूमि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राजस्थान में 6.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल को अतिरेक घोषित किया गया है जिसमें से 5.73 लाख एकड़ क्षेत्रफल का कब्जा ले लिया गया है तथा 4.69 लाख एकड़ क्षेत्रफल का 0.84 लाख लाभार्थियों में वितरण कर दिया गया है। वितरित किए गए कुल 4.69 लाख एकड़ क्षेत्रफल में से, अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को क्रमशः 1.46 लाख एकड़, 0.51 लाख एकड़ तथा 2.73 लाख एकड़ भूमि वितरित की गयी है। अतिरेक भूमि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आबंटित की गयी है। 'गरसिया' जाति एक अनुसूचित जनजाति है। 'गरसियों' के आबंटन हेतु अलग से लेखे नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ-शासित प्रदेश	अतिरेक रूप में घोषित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	अलग-अलग लाभार्थियों को वितरित किया गया	लाभार्थियों की कुल संख्या	अनु.जाति/अनु.जनजाति के लाभार्थी					
						अनु.जाति के लाभार्थी		अनु.जनजाति के लाभार्थी		अन्य लाभार्थी	
						सं	क्षे.	सं	क्षे.	सं	क्षे.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	838869	665768	593184	531512	225507	237170	84009	117859	221996	238155
2.	असम	613405	575337	545875	445862	43723	86069	42365	58986	359774	400820
3.	बिहार	523504	431310	353358	461136	271437	202892	41973	34156	147726	116310
4.	छत्तीसगढ़	75081	72183	60681	27452	6057	10367	9608	29047	11787	21267
5.	गुजरात	238246	179257	162683	37398	17163	101268	15878	35462	4357	25953
6.	हरियाणा	105783	101932	101166	29351	12687	43672	0	0	16664	57494
7.	हिमाचल प्रदेश	316556	304895	6167	6259	3912	2727	329	245	2018	3195
8.	जम्मू और कश्मीर	8836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	झारखंड	0	0	860	1316	487	310	328	277	501	273
10.	कर्नाटक	174087	166793	235458	57667	33518	130735	4084	16642	20065	88081
11.	केरल	138677	103344	73792	113001	61241	24957	10312	9418	41448	39417
12.	मध्य प्रदेश	223264	190449	134202	47061	16046	38911	18385	51315	12630	43976
13.	महाराष्ट्र	725078	670815	634158	139755	41039	158810	29998	100436	68718	374912
14.	मणिपुर	1830	1685	1682	1258	82	128	70	97	1106	1457
15.	ओडिशा	184675	175066	160597	143423	49080	51315	53175	66441	41168	42841
16.	पंजाब	146113	104311	98691	28334	11621	42247	0	0	16713	56444
17.	राजस्थान	614403	573238	469176	83876	30352	145570	12081	50515	41443	273091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	तमिलनाडु	208423	200379	190062	150468	66425	71287	236	320	83807	118455
19.	त्रिपुरा	1995	1994	1599	1424	256	218	359	448	809	933
20.	उत्तर प्रदेश	371323	343047	267248	305394	209225	185419	525	998	95644	80831
21.	पश्चिम बंगाल	1406023	1315310	1047539	3066684	1126620	391438	544593	224057	1395471	432044
22.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	दिल्ली	1132	394	394	654	495	277	0	0	159	117
24.	पुदुचेरी	2326	1286	1070	1464	858	640	0	0	606	430
	कुल भूमि एकड़ में	6919629	6178793	5139642	5680749	2227831	1926427	868308	796719	2584610	2416496

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान

150. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) अपनी स्थापना से ही केंद्रीय लोक उपक्रमों और राज्य के विद्युत उपक्रमों के पेशेवरों को बड़ी संख्या में प्रशिक्षण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका विचार विदेशों में प्रशिक्षण सहित आगामी वर्षों में अपनी क्षमता को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) जी, हां, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) ने पिछले चार दशकों से अधिक समय से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जैसे कि पावरग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, डीवीसी, टीएचडीसी, एसजेवीएनएल, नीपको इत्यादि और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के 1.86 लाख से अधिक विद्युत पेशेवरों को नियमित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया है। एनपीटीआई पेशेवरों को अनिवार्यता के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। एनपीटीआई द्वारा विदेशों में प्रशिक्षण दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार

151. **श्री रूद्रमाधव राय:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित 70,000 करोड़ रुपये को अन्य कार्यों में लगाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां पानी औद्योगिक घरानों को दे दिया गया है जिससे किसान अपने अधिकारों से वंचित हो गए; और

(घ) बांध के निर्माण के लिए अधिगृहीत अतिरिक्त भूमि को किसानों को लौटाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कड़े कदम उठाए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक ने एआईबीपी के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के विषय में 2010-11 की कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 4 प्रस्तुत की है जिसमें विदर्भ क्षेत्र में एआईबीपी वे तहत सिंचाई परियोजनाओं की निधि के डायवर्जन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के नाते, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, प्रचालन एवं अनुरक्षण, राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जाता है। जल संसाधन मंत्रालय विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से जल

औद्योगिक घरानों को डाइवर्ट करने अथवा अधिक भूमि को वापस करने के मुद्दों से संबंधित ब्यौरा नहीं रखता है।

[हिन्दी]

रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण

152. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गांव स्तर पर बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई प्रशिक्षण दे रही है;

(ख) यदि हां, तो किन व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ग) राज्य-वार कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है और उनमें से कितने लोगों को रोजगार के अवसर दिए गए हैं और इस संबंध में कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) प्रशिक्षण के बाद गांव स्तर पर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने के लिए सरकार ने बैंकों और राज्य सरकार के साथ मिलकर देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण बीपीएल रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि वे अपने ही स्थान पर स्वरोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। आरएसईटीआई की प्रमुख विशेषता दीर्घकालिक हैंडहोल्डिंग सहायतायुक्त अल्पावधि आवासीय प्रशिक्षण है। कुछ मामलों में आरएसईटीआई ग्राम/ब्लॉक स्तरों पर ऑफ-साइट प्रशिक्षण भी दिलाते हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नियोजन से जुड़े कौशल विकास घटक के तहत सरकार ग्रामीण बीपीएल युवाओं को नियोजन से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

(ख) आरएसईटीआई कृषि, प्रक्रिया, उत्पाद और सामान्य उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत 65 से ज्यादा व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

नियोजन से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वस्त्र, संगठित खुदरा, निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर उद्योग इत्यादि में कार्यों की मांग के आधार पर प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) आरएसईटीआई द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और उनमें से स्वरोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर हुए खर्च सहित राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। इसी प्रकार नियोजन से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित और रोजगार प्राप्त बीपीएल युवाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

प्रशिक्षित सदस्यों को काम पर लगाने के लिए आरएसईटीआई प्रशिक्षण के बाद दो वर्ष के लिए हैंडहोल्डिंग, बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज, मेलों/प्रर्दशनियों/जत्थों इत्यादि के माध्यम से विपणन सहायता, एएसएआरई (एसोसिएशन ऑफ सक्शेसफुल एल्युमिनि ऑफ आरएसईटीआई ट्रेड इन्टेरप्रेन्योर्स) जैसी सेवाएं प्रदान करती है ताकि आरएसईटीआई प्रशिक्षित सदस्यों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। नियोजन से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद कम से कम 75% प्रशिक्षुओं को नियोजन प्रदान करना सुनिश्चित करना होता है।

विवरण-I

आरएसईटीआई द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए (30.09.2012 तक) प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं, काम पर लगे युवाओं और खर्च हुई राशि का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	ग्रामीण प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	काम पाने वाले युवाओं की संख्या	खर्च हुई राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	59	45	177000
आंध्र प्रदेश	9578	5705	28734000

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	2308	2033	6924000
बिहार	8956	4912	26868000
छत्तीसगढ़	1709	1325	5127000
गोवा	20	98	60000
गुजरात	12241	7748	36723000
हरियाणा	3141	2727	9423000
हिमाचल प्रदेश	2657	754	7971000
जम्मू और कश्मीर	1627	665	4881000
झारखंड	3045	1631	9135000
कर्नाटक	19250	16972	57750000
केरल	4580	1974	13740000
मध्य प्रदेश	7432	3394.2	22296000
महाराष्ट्र	5241	3030	15723000
मेघालय	260	24	780000
मिजोरम	58	8	174000
नागालैंड	150	59	450000
ओडिशा	7518	4345	22554000
पुदुचेरी	166	129	498000
पंजाब	3515	3067	10545000
राजस्थान	11713	6291	35139000
सिक्किम	96	0	288000
तमिलनाडु	6921	2829	20763000
त्रिपुरा	963	635	2889000
उत्तर प्रदेश	13852	12395	41556000
उत्तराखंड	2552	1076	7656000
पश्चिम बंगाल	7189	7815	21567000
दादरा और नगर हवेली	191	0	573000
लक्षद्वीप	0	0	0
कुल	136988	91686	410964000

विवरण-II

2012-13 के दौरान नियोजन से जुड़े कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित और रोजगार प्राप्त प्रशिक्षुओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2012-13 (अप्रैल से अक्टूबर 2012)	
		प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8694	8955
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	4895	5396
4.	बिहार	4884	6075
5.	चण्डीगढ़	62	29
6.	छत्तीसगढ़	7758	6387
7.	दादरा और नगर हवेली	0	0
8.	दिल्ली	0	0
9.	गोवा	0	0
10.	गुजरात	5502	4303
11.	हरियाणा	2497	2624
12.	हिमाचल प्रदेश	2108	1644
13.	जम्मू और कश्मीर	0	42
14.	झारखण्ड	5,955	4131
15.	कर्नाटक	5704	6067
16.	केरल	763	816
17.	मध्य प्रदेश	18,523	13679
18.	महाराष्ट्र	6,320	4641
19.	मणिपुर	19	16
20.	मेघालय	1110	761
21.	मिजोरम	810	697
22.	नागालैण्ड	585	319
23.	ओडिशा	10,283	6918
24.	पुदुचेरी	545	209
25.	पंजाब	838	1033
26.	राजस्थान	4650	4261
27.	तमिलनाडु	11864	10050
28.	त्रिपुरा	97	148
29.	उत्तर प्रदेश	16,082	12990
30.	उत्तराखंड	3011	3107
31.	पश्चिम बंगाल	3759	3640
	कुल	127318	108938

रिक्त पद

153. श्रीमती सुशील सरोजः
श्रीमती ऊषा वर्माः
श्रीमती सीमा उपाध्यायः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और इसके परिणामतः वर्तमान अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक रेलवे में चल टिकट निरीक्षकों (टीटीई) के कुल कितने पद रिक्त हैं;

(घ) क्या बड़ी संख्या में टीटीई के रिक्त पदों के कारण यात्रियों के टिकट जांच करने की प्रक्रिया देश में बुरी तरह प्रभावित हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त रिक्तियों को भरने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) रेलवे जैसे किसी भी विशाल संगठन में किसी भी समय पर कुछ रिक्तियां होंगी और उससे कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता।

(ग) से (ङ) 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय रेलों में गाड़ी टिकट परीक्षकों के लगभग 1500 पद रिक्त हैं। आरक्षित कोचों में टिकट चेकिंग और ऑन बोर्ड सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए गाड़ी टिकट परीक्षकों की पर्याप्त संख्या अनिवार्य है। रेलों को सीधी भर्ती के लिए मांगपत्र प्रस्तुत करने और मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार पदोन्नति के माध्यम से भी पदों को भरने के लिए समय-समय पर सुझाव दिए गए हैं। रेल भर्ती बोर्डों को 2314 टिकट जांच कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्षेत्रीय रेलों से मांगपत्र प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

ईंधन आपूर्ति समझौता

154. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई विद्युत उत्पादकों ने कोयले की आपूर्ति के लिए नए ईंधन समझौते (एफएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत उत्पादक इन एफएसए के परिणामत: ईंधन की अपनी आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल, 2012 मॉडल के आधार पर 30.9.2012 तक, ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर 30 कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों (इकाइयों) के लिए हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इन संयंत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऊपर उल्लिखित एफएसए हतोत्साहन के 80% ट्रिगर वैल्यू के साथ है अर्थात् का आश्वासन पत्र (एलओए) को प्रतिबद्ध मात्रा का 80%। 80% ट्रिगर वैल्यू पर कोयले की उपलब्धता पर विद्युत यूटीलिटी में इकाइयों को लगभग 68% संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) पर प्रचालन में सक्षम हो सकेंगी।

विवरण

30.9.2012 तक नई एफएसए के कार्यान्वयन की स्थिति

(मिलियन टन)

कंपनी	इकाई	क्षमता (मेगावाट)	कार्यान्वयन की तिथि	एफएसए मात्रा
1	2	3	4	5
सीसीएल				
इकाई				
1.	बजाज इनर्जी प्रा.लि. (खांबरखेड़ा यूनिट-I)	45	20/4/2012	0.3899
2.	बजाज इनर्जी प्रा.लि. (खांबरखेड़ा यूनिट-II)	45	20/4/2012	
3.	बजाज इनर्जी प्रा.लि. (मकसूदपुर यूनिट-I)	45	20/4/2012	0.19495
4.	बजाज इनर्जी प्रा.लि. (मकसूदपुर यूनिट-II)	45	13/6/2012	0.19495
5.	बजाज इनर्जी प्रा.लि. (बरखेड़ा यूनिट-I)	45	20/4/2012	0.19495
6.	रोजा पावर सप्लाई कं.लि. फेज-I (यूनिट-I)	300	3/5/2012	2.468
7.	रोजा पावर सप्लाई कं.लि. फेज-I (यूनिट-II)	300	3/5/2012	

1	2	3	4	5
8.	रोजा पावर सप्लाई कं.लि. फेज-I (यूनिट-III)	300	3/5/2012	1.111
9.	झज्जर पावर लि. (यूनिट-I)	660	7/6/2012	5.21
11.	झज्जर पावर लि. (यूनिट-II)	660	7/6/2012	
10.	रोजा टीपीपी-II (यूनिट-4)	300	13/6/2012	1.11
12.	बजाज इनर्जी प्रा.लि. (बरखेड़ा यूनिट-II)	45	13/6/2012	0.19495
13.	बजाज इनर्जी प्रा.लि. (कुंडारकी यूनिट-I)	45	13/6/2012	0.19495
14.	बजाज इनर्जी प्रा.लि. (कुंडारकी यूनिट-II)	45	13/6/2012	0.19495
15.	बजाज इनर्जी प्रा.लि. (उतरउला यूनिट-I)	45	13/6/2012	0.19495
16.	बजाज इनर्जी प्रा.लि. (उतरउला यूनिट-II)	45	13/6/2012	0.19495
17.	बीना टीपीपी यू (1-2)/जेपी पावर वेंचर लि.	500	10/7/2012	0.6482
18.	मैथन पार लि. मैथन राइट बैंक टीपीएस यू-II	525	18/9/2012	1.975
	कुल	3995		14.472
एसईसीएल				
1.	सुरतगढ़ यूनिट-6	250	24/4/2012	0.963
2.	कोटा यूनिट-7	195	24/4/2012	0.766
3.	छाबरा यूनिट-I	250	24/4/2012	1.849
4.	छाबरा यूनिट-II	250	24/4/2012	
	कुल	945		3.578
एनसीएल				
1.	अनपारा सी यूनिट-I	600	24/4/2012	3.833
2.	अनपारा सी यूनिट-II	600	24/4/2012	
	कुल	1200		3.833
बीसीसीएल				
1.	बज बज II यूनिट-3	250	10/5/2012	0.41
2.	मैथन राइट बैंक टीपीएस	525	21/6/2012	1.6594
	कुल	775		2.0694

1	2	3	4	5
एमसीएल				
1.	मुंद्रा अदानी फेज III यूनिट-1	462	9/6/2012	2.135
2.	मुंद्रा अदानी फेज III यूनिट-2	462		2.135
3.	मुंद्रा अदानी फेज III यूनिट-3	462		2.135
4.	स्टर्लाइट एनर्जी यूनिट-2	600	9/6/2012	2.45
	कुल	1986		8.855
	सकल योग	8901		32.807

सिंचाई और पेयजल परियोजनाएं

155. **श्री मनोहर तिरकी:**
श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में सिंचाई और पेयजल की कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हुई;

(ख) इनमें केन्द्र और राज्य सरकारों की कितनी-कितनी हिस्सेदारी है तथा केन्द्र सरकार ने प्रति वर्ष कितनी निधि जारी की है; और

(ग) पूरी हो गई परियोजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तठा इनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) गत तीन वर्षों (अप्रैल 2009 से) के दौरान पश्चिम बंगाल की किसी सिंचाई परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। तथापि, उक्त अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की 8 सिंचाई परियोजनाओं (संशोधित अनुमान सहित) को जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है।

गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत कार्यान्वित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें विशेष श्रेणी राज्यों, सूखा प्रवण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्र और बाढ़ प्रवण क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं के मामले में परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तथा गैर विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। परियोजना की शेष लागत की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों द्वारा राज्य के हिस्से के रूप में की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष श्रेणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल राज्य को गैर विशेष श्रेणी राज्यों में शामिल किया गया है। गत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान एआईबीपी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों तथा पश्चिम बंगाल को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

पश्चिम बंगाल के मामले में स्कीमों में एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों का हिस्सा 50:50 (केन्द्र : राज्य) है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अनुपात 100:0 है। गत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) एआईबीपी के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों की सात वृहद/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं तथा पश्चिम बंगाल की 3 एमएमआई परियोजनाओं को पूरा किया गया है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों को 10 एमएमआई परियोजनाएं और पश्चिम बंगाल की 4 एमएमआई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल की निर्माणाधीन एमएमआई परियोजनाओं के संभावित वर्ष का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों तथा पश्चिम बंगाल के लिए एआईबीपी के तहत शामिल की गई तथा पूरी की गई सतही लघु सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है। एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार एमएमआई परियोजनाओं को पूरा करने का समय चार वित्तीय वर्ष तथा सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए दो वित्तीय वर्ष निर्धारित किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों तथा पश्चिम बंगाल हेतु एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाओं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों का विवरण (स्कीमों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		चालू	नई	पूर्ण	चालू	नई	पूर्ण	चालू	नई	पूर्ण	चालू	नई	पूर्ण
1.	पश्चिम बंगाल	812	5373	5459	738	3795	3490	1039	2003	2032	1015	977	548
	पूर्वोत्तर राज्य												
2..	अरुणालच प्रदेश	1091	280	1056	542	577	1127	860	226	601	649	11	22
3.	असम	3292	13621	13787	3151	10163	9059	4457	9877	9439	6046	4714	3564
4.	मणिपुर	724	341	327	732	361	287	806	288	541	554	28	195
5.	मेघालय	1969	862	577	2257	1389	1120	2545	2226	1705	3078	1085	256
6.	मिजोरम	144	35	149	30	110	131	9	3	47	91	52	68
7.	नागालैंड	45	84	63	137	104	223	30	261	219	73	22	86
8.	सिक्किम	168	463	273	359	86	260	185	209	75	318	198	221
9.	त्रिपुरा	940	1031	705	1268	1924	1316	1892	4355	3501	2995	2857	1888

विवरण-II

पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल को गत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष (सितम्बर, 2012) के दौरान एआईबीपी के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणालच प्रदेश	30.7800	48.6346	33.7880	11.1600
2.	असम	589.9760	406.4030	424.7100	109.4750

1	2	3	4	5	6
3.	मणिपुर	42.5403	249.9965	44.5500	0.0000
4.	मेघालय	22.5018	110.1947	81.3002	28.4000
5.	मिजोरम	36.4500	51.0923	42.1100	0.0000
6.	नागालैंड	57.2860	70.0000	72.6470	31.0000
7.	सिक्किम	2.6049	14.3639	33.7144	0.0000
8.	त्रिपुरा	36.2088	47.9999	34.8751	17.7500
9.	पश्चिम बंगाल	0.9144	89.1000	107.0020	0.0000

विवरण-III

गत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों को एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, आवंटन, जारी की गई राशि और व्यय राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10				2010-11				2011-12				2012-13			
		प्रारंभिक शेष	आवंटन	जारी राशि	व्यय	प्रारंभिक शेष	आवंटन	जारी राशि	व्यय	प्रारंभिक	आवंटन शेष	जारी राशि	व्यय	प्रारंभिक शेष	आवंटन	जारी राशि	व्यय
	पूर्वोत्तर राज्य																
1.	अरुणालच प्रदेश	27.47	180.00	178.20	193.80	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31	10.09	143.51	66.18	34.31
2.	असम	4.85	301.60	323.50	269.34	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61	127.51	510.96	266.72	267.74
3.	मणिपुर	16.70	61.60	38.57	30.17	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03	9.29	63.72	27.33	1.03
4.	मेघालय	0.62	70.40	79.40	68.57	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44	36.83	73.35	33.61	28.03
5.	मिजोरम	17.43	50.40	55.26	51.11	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03	9.74	41.66	19.26	17.95
6.	नागालैंड	29.61	52.00	47.06	71.58	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82	1.10	60.42	28.35	23.44
7.	सिक्किम	9.92	21.60	20.60	28.94	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49	49.71	18.03	8.38	8.34
8.	त्रिपुरा	18.92	62.40	77.40	77.35	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39	4.01	64.28	28.90	28.29
9.	पश्चिम बंगाल	69.20	372.29	394.30	87.76	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41	265.96	462.27	143.9 6	179.64

विवरण-IV

पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में एमएमआई परियोजनाओं का इनके पूरा होने की संभावित तिथि सहित ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	बृहत/मध्यम/ ईआरएम	एमओयू के अनुसार पूरा करने की तिथि
1.	असम	धनसिरी	बृहत	मार्च, 2013
2.	असम	चंपामती	बृहत	2012-13
3.	असम	बोरोलिया	मध्यम	2012-13
4.	असम	बूढी दिहिंग	मध्यम	2011-12#
5.	मणिपुर	खुगा	बृहत	मार्च, 2013
6.	मणिपुर	थोबल	बृहत	मार्च, 2015
7.	मणिपुर	दोलाईथाबी	मध्यम	मार्च, 2014
8	त्रिपुरा	मनु	मध्यम	2011-12#
9	त्रिपुरा	गुमती	मध्यम	2010-11#
10	त्रिपुरा	खोवई	मध्यम	2010-11#
11.	पश्चिम बंगाल	तीस्ता बैराज	बृहत	मार्च, 2015
12.	पश्चिम बंगाल	तटको	मध्यम	मार्च, 2013
13.	पश्चिम बंगाल	पतलोई	मध्यम	मार्च, 2013
14.	पश्चिम बंगाल	सुवर्णरेखा बैराज	बृहत	मार्च, 2016#

: पूरी करने की संभावित तिथि संशोधित की जानी है।

विवरण-V

एआईबीपी के तहत शामिल की गई और पूरी की गई सतही लघु सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	शामिल की गई स्कीमों की कुल संख्या	31.10.2012 तक पूर्ण की गई स्कीमों की संख्या
1	2	3	4
क.	**विशेष श्रेणी राज्य**		
1.	अरुणालच प्रदेश	2052	1960
2.	असम	1376	546
3.	मणिपुर	843	828
4.	मेघालय	263	169
5.	मिजोरम	317	317
6.	नागालैंड	1524	1404
7.	सिक्किम	658	437
8.	त्रिपुरा	1221	1169
ख.	**गैर-विशेष श्रेणी राज्य**		
1.	पश्चिम बंगाल	57	56

प्रति व्यक्ति आय

156. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति के कारण सहित प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि का राज्य-वार/ संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी हां। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 2009-10 में 46,117 रुपये थी, वह वर्ष 2010-11 में 53,331 रुपए तथा वर्ष 2011-12 में 60,603 रुपए रही।

(ख) राज्यों के आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा संकलित एवं उपलब्ध कराए गए वर्ष 2009-10 से 2011-12 के संबंध में वर्तमान कीमतों पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रति व्यक्ति आय (कारक लागत पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) लागू नहीं होता।

विवरण

वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

दिनांक 14.8.2012 की स्थिति के अनुसार (रुपए) (विगत वर्षों में % वृद्धि)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	46345	52814	62912	71480	13.96	19.12	13.62
2.	अरुणालच प्रदेश	39656	48662	55789	62213	22.71	14.65	11.51
3.	असम	24099	27464	30569	33633	13.96	11.30	10.02
4.	बिहार	13728	15548	18928	23435	13.26	21.74	23.81
5.	झारखंड	25046	28223	31993	35652	12.69	13.36	11.44
6.	गोवा	135966	149164	159244	192652	9.71	6.76	20.98
7.	गुजरात	55068	63549	75115	उ.न.	15.40	18.20	उ.न.
8.	हरियाणा	67388	82024	94464	108859	21.72	15.17	15.24
9.	हिमाचल प्रदेश	49903	58798	68020	74899	17.83	15.68	10.11
10.	जम्मू और कश्मीर	30212	33648	37593	42220	11.37	11.72	12.31
11.	कर्नाटक	48084	51386	59975	68374	6.87	16.71	14.00
12.	केरल	53046	60264	71434	83725	13.61	18.54	17.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	मध्य प्रदेश	25278	28712	32253	38669	13.58	12.33	19.89
14.	छत्तीसगढ़	34360	35121	41167	46573	2.21	17.22	13.13
15.	महाराष्ट्र	62234	71300	87686	101314	14.57	22.98	15.54
16.	मणिपुर	24773	27332	29684	32284	10.33	8.61	8.76
17.	मेघालय	40583	43142	47164	52971	6.31	9.32	12.31
18.	मिजोरम	38582	42715	48591	उ.न.	10.71	13.76	उ.न.
19.	नागालैंड	46207	50209	52966	56638	8.66	5.49	6.93
20.	ओडिशा	31416	34361	40412	46150	9.37	17.61	14.20
21.	पंजाब	55315	61894	68998	74606	11.89	11.48	8.13
22.	राजस्थान	31279	34982	42434	47506	11.84	21.30	11.95
23.	सिक्किम	46983	90749	104506	121440	93.15	15.16	16.20
24.	तमिलनाडु	54137	64336	75449	84496	18.84	17.27	11.99
25.	त्रिपुरा	35587	39949	44965	50750	12.26	12.56	12.87
26.	उत्तर प्रदेश	20422	23661	26903	30052	15.86	13.70	11.71
27.	उत्तराखंड	50657	62885	72093	82193	24.14	14.64	14.01
28.	पश्चिम बंगाल	35487	41045	47738	54830	15.66	16.31	14.86
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	69177	79396	85741	93075	14.77	7.99	8.55
30.	चंडीगढ़	108486	117371	130461	140073	8.19	11.15	7.37
31.	दिल्ली	111756	129746	150653	175812	16.10	16.11	16.70
32.	पुदुचरी	79306	88158	98719	95759	11.16	11.98	-3.00
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (2004-05)		40775	46117	53331	60603	13.10	15.64	13.64

उ.न.-उपलब्ध नहीं

स्रोत: क्र.सं.-132 के लिए—राज्य सरकारों के संबंध में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा अखिल भारत के लिए—केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

[हिन्दी]

पेनगंगा सिंचाई परियोजना

157. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र की निचली पेनगंगा सिंचाई परियोजना से संबंधित कार्य लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त लंबित सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र की निचली पेनगंगा सिंचाई परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

[अनुवाद]

इफको द्वारा उर्वरकों की बिक्री

158. **श्री सुरेश कुमार शेटकर:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) मांग और हाल की गिरावट के कारण पड़ोसी देशों में उर्वरकों की बिक्री के विकल्प तलाश रही है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक बनाई गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) भारत सभी प्रकार के उर्वरकों के लिए आयात पर निर्भर है। नाइट्रोजनयुक्त क्षेत्र में देश अपनी कुल आवश्यकता के लगभग 25% तक आयात पर निर्भर है। यदि कच्ची सामग्री को भी शामिल कर लिया जाए तो फास्फेट क्षेत्र में आयात पर निर्भरता 90% है। देश के पास पोटाश का कोई ज्ञात भंडार नहीं है और इसलिए देश पोटाश क्षेत्र में पूरी तरह आयात पर निर्भर है।

सरकार की अनुमति के बिना किसी उर्वरक का निर्यात नहीं किया जा सकता। चूंकि देश उर्वरकों के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए सरकार उर्वरकों के निर्यात को प्रोत्साहन नहीं देती है। तथापि, मामला-दर-मामला आधार पर सीमित निर्यात की अनुमति यह सुनिश्चित करने के बाद दी जाती है कि इससे उर्वरकों की घरेलू उपलब्धता प्रभावित न हो। इस समय, पडो़सी देशों को उर्वरकों के नियमित निर्यात की अनुमति हेतु इफको से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कंपनी के विशेष अनुरोध पर हाल ही में सरकार ने नेपाल को 15,154 मी. टन डीएपी और ओमान को 5000 मी. टन डीएपी व 1000 मी. टन मिश्रित उर्वरक व 1000 मी. टन एमओपी का निर्यात करने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

एसजीएसवाई के अंतर्गत कार्य

159. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** दिनांक 6 सितंबर, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4328 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एससीएसवाई) और इसके द्वारा योजना के कार्य सहित मध्य प्रदेश के सागर और विदिशा जिलों में किसी एनजीओ को कोई कार्य सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में ग्रामीण बीपीएल युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें रोजगार देने के लिए एआईएसईसीटी को सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अभी तक एआईएसईसीटी से प्रशिक्षण और रोजगार पाए युवकों की संख्या क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में चलाई जाने वाली 45 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनमें अन्य राज्यों के साथ-साथ मध्य प्रदेश भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने उक्त अवधि के दौरान एक ही राज्य में चलाई जाने वाली तीन परियोजनाएं भी मध्य प्रदेश में स्वीकृत की हैं। मौजूदा वर्ष 2012-13 में ऐसी कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल हो।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश के चुनिंदा जिलों में 13000 ग्रामीण बीपीएल युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एआईएसईसीटी को वर्ष 2008-09 में एसजीएसवाई के तहत रोजगार से जुड़े कौशल विकास की विशेष परियोजना स्वीकृत की गई थी।

(घ) अब तक एआईएससीईटी ने कुल 13000 युवाओं को प्रशिक्षित किया है। अब तक इनमें से 10363 युवाओं को रोजगार मिल गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई रोजगार से जुड़े कौशल विकास की विशेष परियोजनाएं, जिनमें मध्य प्रदेश शामिल है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्रियान्वयन एजेंसी
1	2	3	4
1.	मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए सीईडीएमपी द्वारा कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम	मध्य प्रदेश	सीईडी-एमपी
2.	मध्य प्रदेश के 8 जिलों में एमपी विमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड (एमपीडब्ल्यूपीपीसीएल)/प्रदान द्वारा आधुनिक मुर्गी पालन कारोबार संवर्द्धन और स्थायी रोजगार के सृजन में महिला किसान	मध्य प्रदेश	एमपी विमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड
3.	मध्य प्रदेश 12 निर्धारित पिछड़े जिलों में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस (सीआरआईएसपी) द्वारा बीपीएल युवाओं को मांग आधारित रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण	मध्य प्रदेश	सीआरआईएसपी
4.	मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा के बीपीएल परिवारों के लिए मांग आधारित रोजगारोन्मुख क्षेत्र में एफआईडब्ल्यूई द्वारा महिलाओं सहित ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास के जरिये रोजगार सृजन	विविध राज्य	एफआईडब्ल्यूई
5.	भास्कर फाउंडेशन द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौशल विकास	विविध राज्य	भास्कर फाडंडेशन
6.	10 राज्यों (पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा) में एसईएएम/आईएल एंड एफएस (मौजूदा केंद्रों) द्वारा कौशल विकास	विविध राज्य	आईएल एंड एफएस
7.	10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल) में एसईएएम/आईएल एंड एफएस (क्वालिटी एंड फिनिशिंग) द्वारा कौशल विकास	विविध राज्य	आईएल एंड एफएस
8.	बॉस्को ऑर्गनाइजेशन फॉर सोशल कन्सर्न एंड ऑपरेशन (बॉस्को), नई दिल्ली द्वारा उत्तरी और मध्य भारत (पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा छत्तीसगढ़) में रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण	विविध राज्य	बॉस्को

1	2	3	4
9.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंथन ग्रामीण एवं समाजसेवा समिति (एमजीईएसएसएस) द्वारा गहन प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास	विविध राज्य	एमजीईएसएस
10.	एसईएसएस/आईएल एंड एफएफ द्वारा 8 राज्यों (केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात) में कौशल विकास	विविध राज्य	आईएल एंड एफएस
11.	एनआईआईटी/एनएबीसीओएनएस (3) द्वारा उत्तरी भारत (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश) में कौशल विकास	विविध राज्य	एनआईआईटी
12.	आईएल एंड एफएस द्वारा ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इंजीनियरी क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम	विविध राज्य	आईएल एंड एफएस
13.	भास्कर फाउंडेशन (2) द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में नलसाजी में कौशल विकास	विविध राज्य	भास्कर फाउंडेशन
14.	बॉम्बे इंटेलीजेंस सिक्युरिटी (इंडिया) लिमिटेड (बीआईएसएल) द्वारा 6 राज्यों (बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़) में कौशल विकास	विविध राज्य	बॉम्बे इंटेलीजेंस सिक्युरिटी (इंडिया) लिमिटेड
15.	टेली सॉल्यूशन्स (1) द्वारा भारत के पश्चिमी राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा) में कौशल विकास	विविध राज्य	टेली इंडिया प्रा. लिमिटेड
16.	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एडुकॉम्प द्वारा ग्रोथ सेक्टर में रोजगार सृजन	विविध राज्य	एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड
17.	टेक्नोपाक (1) द्वारा उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत (पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल) में परिधान उद्योग में कौशल विकास के माध्यम से लाभदायक रोजगार	विविध राज्य	टेक्नोपाक
18.	सीतापुर शिक्षा संस्थान ट्रस्ट (एसएसएसटी) द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रम	विविध राज्य	सीतापुर शिक्षा संस्थान ट्रस्ट (एसएसएसटी)
19.	आईएपी कंपनी लिमिटेड द्वारा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौशल विकास और नियोजन	विविध राज्य	आईएपी कंपनी लिमिटेड

1	2	3	4
20.	परंपरागत रूप से गरीब राज्यों (झारखंड, ओडिशा, बुंदेलखंड सहित मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ बिहार और राजस्थान) में प्रदान द्वारा ग्रामीण उत्पादन प्रणालियों में स्थायी रोजगार सृजन	विविध राज्य	प्रदान
21.	टैपियो-वजीर कान्सॉर्टियम (टीडब्ल्यूसी) द्वारा 8 राज्यों (हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश) में परिधान निर्माण कौशल	विविध राज्य	टॉपियो-वजीर कन्सॉर्टियम (टीडब्ल्यूसी)
22.	आईएसीएम द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान महाराष्ट्र और हरियाणा में ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास	विविध राज्य	आईएसीएम स्मार्ट लर्न लिमिटेड
23.	टॉप्सग्रुप इंटरनेशनल सेक्योरिटी एकेडमी (टीसा) द्वारा ग्रामीण बीपीएल युवाओं का 7 राज्यों (उ.प्र., हिमाचल प्रदेश पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड) में प्रशिक्षण व नियोजन	विविध राज्य	टॉप्सग्रुप इंटरनेशनल सेक्योरिटी एकेडमी (टीआईएसए)
24.	पीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लि. (पीसीटीआईएल) द्वारा 4 राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उ.प्र.) में ग्रामीण बीपीएल युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम	विविध राज्य	पीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लि. (पीसीटीआईएल)
25.	ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ प्रा.लि. (एएलएलएसपीएल) द्वारा ग्रामीण बीपीएल युवाओं का 9 राज्यों (उ.प्र., बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल) में प्रशिक्षण व नियोजन	विविध राज्य	ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ प्रा. लि. (एएलएलएसपीएल)
26.	इंस्टीट्यूट ऑफ कंम्प्यूटर एकाउंटेंट (आईसीए) द्वारा ग्रामीण बीपीएल युवाओं का 6 राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) में प्रशिक्षण व नियोजन	विविध राज्य	इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकाउंटेंट (आईसीए)
27.	आईएल एंड एफएस कलस्टर डेवलपमेंट इनिसिएटिव लि. द्वारा परिधान निर्माण के लिए 7 राज्यों (मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल मणिपुर और त्रिपुरा) में कपड़ा उद्योग कौशल में लाभदायक रोजगार का निर्माण	विविध राज्य	आईएल एंड एफएस
28.	सेक्योरिटी सर्विसेज लि. (सीआईएसएसएल) (1) द्वारा 6 राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) में सुरक्षा क्षेत्र में नियोजन से जुड़ा कौशल विकास	विविध राज्य	सीआईएसएसएल

1	2	3	4
29.	टैली (चरण 2) द्वारा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उ.प्र. में बीपीएल युवाओं का रोजगारोन्मुख कौशल आधारित प्रशिक्षण	विविध राज्य	टैली इंडिया प्रा. लि.
30.	आईएल व एफएस द्वारा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान में निर्माण उद्योग में कौशल प्रशिक्षण	विविध राज्य	आईएल एंड एफएस
31.	सेन्टम लर्निंग लि. (सीएलएल) (1) द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नियोजन से जुड़ा कौशल विकास	विविध राज्य	सेन्टम लर्निंग लि.
32.	जागृति फाउंडेशन (2) द्वारा बिहार और मध्य प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में नियोजन से जुड़ा कौशल विकास	विविध राज्य	जागृति फाउंडेशन
33.	सोसायटी फॉर इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट (एसआईटीडी) द्वारा 7 राज्यों (जम्मू व कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश) में सूचना तकनीक विकास	विविध राज्य	सोसायटी फॉर इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट (एसआईटीडी)
34.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन-आईटी (आरएसएमआईटी) द्वारा तीन राज्यों (झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र) में कौशल विकास	विविध राज्य	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन-आईटी (आरएसएमआईटी)
35.	फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्स लिमिटेड (एफसीआरएल) (3) द्वारा 5 राज्यों (उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) में संगठित खुदरा क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के लिए नियोजन से जुड़ा प्रशिक्षण	विविध राज्य	फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्स लिमिटेड (एफसीआरएल)
36.	इक्या ह्यूमन कैमिटल सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड द्वारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में नियोजन से जुड़ी कौशल विकास परियोजना	विविध राज्य	इक्वा ह्यूमन कैपिटल सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड
37.	बीवीजी इंडिया लिमिटेड (बीवीजीआईएल) द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य देख-रेख के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार (3)	विविध राज्य	बीवीजी इंडिया लिमिटेड (बीवीजीआईएल)
38.	प्रीमियर शील्ड स्किल डेवलपमेंट इनिशियेटिव (पीएसडीआई) द्वारा मध्य प्रदेश और झारखंड में नियोजन से जुड़ा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	विविध राज्य	प्रीमियर शील्ड स्किल डेवलपमेंट इनिशियेटिव (पीएफडीआई)
39.	आईएल एंड एफएस (दक्षिणी क्षेत्र) द्वारा बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में एपरेल सेक्टर सीम-एक्स में नियोजन	विविध राज्य	आईएल एंड एफएस

1	2	3	4
40.	एवॉन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड (एएफएमएसपीएल) द्वारा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के ग्रामीण बीपीएल युवाओं के लिए कौशल विकास	विविध राज्य	एवॉन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड (एएफएमएसपीएल)
41.	केवीआर इन्फोसिस प्रा. लिमिटेड (केवीआरआईपीएल) द्वारा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौशल विकास	विविध राज्य	केवीआर इन्फोसिस प्रा. लिमिटेड (केवीआरआईपीएल)
42.	आईएलएंडएफएस द्वारा उत्तर-II (मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश) में परिधान क्षेत्र में एसईएसएस परियोजना	विविध राज्य	आईएलएंडएफएस
43.	मंथन ग्रामीण एवं समाजसेवा समिति (एमजीईएसएसएस) द्वारा मध्य प्रदेश में कौशल विकास	विविध राज्य	मंथन ग्रामीण एवं समाजसेवा समिति (एमजीईएसएसएस)
44.	आरोह फाउंडेशन द्वारा मध्य प्रदेश में कौशल विकास	विविध राज्य	आरोह फाउंडेशन
45.	चेकमेट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड (सीएसपीएल) द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बीपीएल युवाओं का प्रशिक्षण और नियोजन	विविध राज्य	चेकमेट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड (सीएसपीएल)
46.	ईगर हंटर एसोसिएशन लिमिटेड (ईएचएसएल) के सहयोग से हमलोग द्वारा तीन राज्यों (मध्य प्रदेश और असम) में सुरक्षा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण	विविध राज्य	ईगल हंटर एसोसिएशन लिमिटेड (ईएचएसएल)
47.	लक्ष्मी देवी सेनानी चैरिटेबल ट्रस्ट (एलडीएससीटी) द्वारा दो राज्यों (छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) में भवन निर्माण उद्योग में कौशल विकास और नियोजन	विविध राज्य	लक्ष्मी देवी सेनानी चैरिटेबल ट्रस्ट (एलडीएससीटी)
48.	कैरियर लांचर द्वारा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीपीएल युवाओं का कौशल विकास और नियोजन	विविध राज्य	कैरियर लांचर

[अनुवाद]

डिब्बों का अनुसंधान और विकास

160. श्री रामसिंह राठवा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे को गुजरात सरकार से डिब्बों की डिजाइन, मानकीकरण में सुधार करने और उनकी क्षमता/दक्षता/प्रभाविता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां। फरवरी, 2010 में गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और तत्पश्चात् अप्रैल, 2011 में गुजरात सरकार के प्रधान सचिव से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें

रेलवे को नमक और अन्य सामग्रियों के लिए उच्च वहन क्षमता वाले हल्के वैगनों को विकसित करने का सुझाव दिया गया था।

(ख) और (ग) रेलवे टेयर भार को कम करके वैगनों की वहन क्षमता में सुधार लाने का निरंतर प्रयत्न करती हैं। हाल के वर्षों में रेलवे द्वारा स्टेनलेस इस्पात के बने नए बीसीएनएचएल प्रकार के कवर्ड वैगनों की शुरुआत की गई है जिनका टेयर भार पिछले बीसीएन डिजाइन के 27.20 टन टेयर भार वाले वैगनों की तुलना में 20.80 टन है जिससे विभिन्न पण्यों की अनुमेय वहन क्षमता में 5 से 7 टन वृद्धि हो गई है। वैगनों की लदान क्षमता में सुधार लाने के लिए डिजाइन एवं विकास संबंधी प्रयास निरंतर जारी है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग

161. **श्रीमती कमला देवी पटले:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में खादी और ग्रामोद्योग के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में खादी और ग्रामोद्योगों की प्रगति संतोषजनक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान खादी व ग्रामोद्योग में उत्पादन, बिक्री और रोजगार के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

वर्ष	खादी व ग्रामोद्योग आयोग का कार्य निष्पादन		
	उत्पादन (करोड़ रु. में)	बिक्री (करोड़ रु. में)	रोजगार (लाख व्यक्तियों में)
2009-10	18136.98	24121.54	108.53
2010-11	19871.86	25792.99	113.80
2011-12	21852.04	26797.13	119.10
2012-13 (अक्टूबर 2012 तक)	14066.18	16319.07	120.10

(ख) छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में खादी व ग्रामोद्योगों की प्रगति संतोषजनक है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन क्षमता

162. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्थापित विभिन्न विद्युत संयंत्र अपने प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता से कम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो मूल्यांकन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) विद्युत संयंत्रों का निष्पादन, संयंत्रों के प्रकार/श्रेणी (जल एवं ताप), इकाइयों के डिजाइन एवं उम्र मरम्मत के लिए बंदी (जबरन) तथा योजनाबद्ध रखरखाव, जल

की उपलब्धता, ईंधन की मात्रा एवं गुणवत्ता इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

संयंत्र भार घटक (पीएलएफ), थर्मल और न्यूक्लियर उत्पादन इकाइयों की संस्थापित क्षमता के उपयोग का इंडेक्स है। अप्रैल-अक्टूबर, 2012 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत पीएलएफ से कम क्षमता वाले पीएलएफ ताप विद्युत स्टेशनों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। निम्न पीएलएफ के मुख्य कारणों में विन्टिज और प्रौद्योगिकी, लंबी अवधि की जबरन बंदी, कोयले की कमी और डिजाइन किए गए विभिन्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति, ट्रांसमिशन बाधाएं इत्यादि शामिल हैं। गैस की कमी और आर्थिक कारणों की वजह से यूटिलिटी द्वारा कम शेडयूल के कारणों से गैस विद्युत स्टेशन प्रभावित हुए हैं।

जल विद्युत उत्पादन के लिए जल की उपलब्धता, जल विद्युत स्टेशनों के निष्पादन को प्रभावित करती है। इसलिए, उस स्टेशन के निष्पादन को निर्धारित करने के लिए ताप स्टेशनों के लिए भिन्न पीएलएफ, जल विद्युत स्टेशनों की उपलब्धता प्रयोग में लाई जाती है। अपनी उत्पादन क्षमता के अनुरूप विद्युत उत्पादन न करने वाले जल विद्युत स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण-II में है। अपनी उत्पादन क्षमता से कम निष्पादन के कारणों में लंबी अवधि की जबरन बंदी, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण संयंत्र का बंद होना, जीवन विस्तार एवं उन्नयन कार्य, सिल्ट की समस्या और कम प्रवाह इत्यादि शामिल है।

(ग) भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में विभिन्न मौजूदा विद्युत परियोजनाओं के उन्नयन और उनके जीवन विस्तार पर बल दिया है।

इस प्रकार की परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है–

(i) ओ एण्ड एम गतिविधियों की बाधाओं को सुलझाने के लिए, संयंत्र प्राधिकारियों, बीएचईएल और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ सीईए के इंजीनियरों का निरंतर संपर्क।

(ii) बेहतर ओ एण्ड एम कार्यप्रणाली प्रक्रियाओं को आपस में बांटने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाली विद्युत यूटिलिटियों और अन्य विद्युत यूटिलिटियों का सीईए के साथ का निरंतर संपर्क।

(iii) विद्युत मंत्रालय और सीईए सहित राज्य और केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों ने विदेशी एजेंसियों जैसे की यूएसएआईडी/जेसीओएएल/आईजीईएन/केएफडब्ल्यू/जीआईजेड इत्यादि के साथ ऊर्जा दक्षता आर एण्ड एम (ईई आर एण्ड एम) के क्षेत्र में बाहरी सहयोग की शुरुआत की है।

(घ) से (च) लक्ष्य के संबंध में कम निष्पादन करने वाले स्टेशनों की निगरानी की जाती है। प्रक्रिया को गतिशील बनाया जा रहा है, इस प्रकार के विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता पर कोई विशिष्ट मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं है। तथापि, इनमें से कुछ विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों और समय-समय पर उनका जीवन विस्तार करने के लिए विचार किया जाता है।

विवरण-I

2012-13 (अक्टूबर 2012 तक) ताप एवं न्यूक्लियर विद्युत केन्द्र जिनका पीएलएफ राष्ट्रीय औसत पीएलएफ (68.88%) से कम है

क्षेत्र	राज्य	क्षेत्र	केन्द्र का नाम	31.10.2012 को क्षमता	पीएलएफ (%) राष्ट्रीय औसत पीएलएफ (68.88%)
1	2	3	4	5	6
एनआर	दिल्ली	राज्य	आईपी टीपीएस	247.5	
			राजघाट टीपीएस	135.0	62.9
	हरियाणा	केन्द्रीय	इंदिरा गांधी टीपीएस	1000.0	60.2

1	2	3	4	5	6
		राज्य	फरीदाबाद टीपीएस	170.0	
			यमुना नगर टीपीएस	600.0	0.0
			राजीव गांधी टीपीएस	1200.0	52.4
		निजी	महात्मा गांधी टीपीएस	1320.0	21.2
			जीएच टीपीएस		
	पंजाब	राज्य	जीएनडी टीपीएस	440.00	41.9
	राजस्थान	केन्द्रीय	बरसिंगसर टीपीएस	250.0	49.0
		राज्य	गिराल टीपीएस	250.0	17.9
			छाबरा टीपीएस	500.0	56.9
	उत्तर प्रदेश	राज्य	अनपारा टीपीएस	1630.0	65.4
			हरदुआगंज टीपीएस	720.0	22.3
			ओबरा टीपीएस	1372.0	34.9
			पनकी टीपीएस	210.0	53.4
			परीछा टीपीएस	890.0	54.9
		निजी	खामबरखेडा टीपीएस	90.0	67.4
			कुंडारकी टीपीएस	90.0	59.3
			मकसूदपुर टीपीएस	90.0	67.9
			अनपारा सी टीपीएस	1200.0	34.9
डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	राज्य	कोरबा-III टीपीएस	240.0	60.0
		निजी	पथाडी टीपीएस	600.0	59.1
			एसवीपीएल टीपीएस	63.0	13.2
	गुजरात	राज्य	एक्रीमोटा लिंग टीपीएस	250.0	47.3
			गांधी नगर टीपीएस	870.0	56.2
			कच्छ लिंग टीपीएस	290.0	67.3
			सिक्का रिप टीपीएस	240.0	30.3
			मुंद्रा टीपीएस	4620.0	50.7
	मध्य प्रदेश	राज्य	अमरकंटक एक्स टीपीएस	450.0	67.6
			संजय गांधी टीपीएस	1340.0	68.9
			सतपुरा टीपीएस	1142.5	51.2

1	2	3	4	5	6
	महाराष्ट्र	राज्य	भुसावल टीपीएस	1470.0	55.8
			खापरखेड़ा टीपीएस	1340.0	58.9
			कोराडी टीपीएस	1040.0	28.4
			पारास टीपीएस	555.0	54.6
			पार्ली टीपीएस	1170.0	51.2
		निजी	मिहान टीपीएस	246.0	43.0
एसआर	कर्नाटक	राज्य	रायचुर टीपीएस	1720.0	64.1
	तमिलनाडु	केन्द्रीय	नेवेली टीपीसी-II एक्स टीपीएस	250.0	0.0
		राज्य	इन्नौर टीपीएस	450.0	16.3
ईआर	बिहार	केन्द्रीय	मुजफ्फरपुर टीपीएस	220.0	0.0
		राज्य	बरौनी टीपीएस	310.0	0.0
	डीवीसी	केन्द्रीय	बोकारो बी टीपीएस	630.0	52.5
			चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	1250.0	68.6
			दुर्गापुर टीपीएस	340.0	64.4
			मेजिया टीपीएस	2340.0	66.7
			कोडरमा टीपीएस	500.0	0.0
			दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1000.0	49.2
	झारखंड	राज्य	पतरातु टीपीएस	770.0	9.5
		निजी	मैथन आरबी टीपीएस	1050.0	54.1
	ओडिशा	निजी	स्टर्लाइट टीपीएस	2400.0	41.6
	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय	फरक्का टीपीएस	2100.0	59.4
		राज्य	बंडेल टीपीएस	450.0	49.9
			डीपीएल टीपीएस	690.0	30.5
			कोलाघाट टीपीएस	1260.0	66.2
			संतालडीह टीपीएस	980.0	27.4
		निजी	चिनाकुरी टीपीएस	30.0	0.0
		निजी यूटिलिटी	नई कोसीपुर टीपीएस	160.0	16.2

विवरण-II

वर्तमान में, देश में कुछ को छोड़कर जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन कर रही हैं। जो जल विद्युत परियोजनाएं अपनी संस्थापित उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रही है उनके कारण नीचे दिए गए हैं:

परियोजना का नाम	बंद होने का कारण
1	2
हिमाचल प्रदेश	
भाखड़ा (5*108 + 5*157 मेगावाट)	108 मेगावाट की यूनिट-II दिनांक 26.4.2010 से नवीकरण, आधुनिकीकरण कार्य के कारण बंद रही। 108 मेगावाट की यूनिट-V दिनांक 5.3.2011 से
उत्तर प्रदेश	
रिहंद (6*50 मेगावाट)	50 मेगावाट की यूनिट-IV दिनांक 1.11.2008 से नवीकरण, आधुनिकीकरण कार्य के कारण बंद रही। 50 मेगावाट की यूनिट-III दिनांक 21.12.2011 से नवीकरण, आधुनिकीकरण कार्य के कारण बंद रही।
उत्तराखंड	
खाटिमा (3* 13.8 मेगावाट)	13.80 मेगावाट की यूनिट-I दिनांक 31.1.2012 से मुख्य सम्साइटर में खराबी के कारण बंद रही।
पंजाब	
शानन (4*15+1*150 मेगावाट)	50 मेगावाट की यूनिट-V दिनांक 18.01.2012 से रनर की मरम्मत/प्रतिस्थापना के कारण बंद रही।
गुजरात	
उकाई (4*75 मेगावाट)	75 मेगावाट की यूनिट-II दिनांक 14.9.2011 से विभिन्न रख-रखाव कार्य के कारण बंद रही।
कदाना (4*60 मेगावाट)	प्रत्येक 60 मेगावाट की यूनिट-II एवं IV क्रमशः दिनांक 1.5.2012 और 23.03.2012 से विभिन्न टरबाइन निरीक्षण के कारण बंद रही।
आंध्र प्रदेश	
मुचकुंड (3*17+3*21.25 मेगावाट)	17 मेगावाट की यूनिट-II दिनांक 4.4.2012 से टरबाइन कंपन के कारण बंद रही 21.25 मेगावाट की यूनिट सं-IV दिनांक 1.5.2011 से कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या के कारण बंद रही। 21.25 मेगावाट की यूनिट सं. V दिनांक 1.5.2011 से टरबाइन कंपन समस्या के कारण बंद रही।
नागार्जुन (1*110+7*100.8 मेगावाट)	100.8 मेगावाट की यूनिट सं-V दिनांक 21.10.2011 से गति नियंत्रक (गवर्नर) की धीमी गति/हंटिंग/खराबी और समस्या के कारण बंद रही।
हंपी (4*9 मेगावाट)	9 मेगावाट की यूनिट-II दिनांक 28.2.2012 से विद्युत गृहों की भिन्नताओं के कारण बंद रही।

1	2
कर्नाटक	
भद्रा (1*2 + 2*12 + 1*7.20 (+ 1*6 मेगावाट)	12 मेगावाट की यूनिट-II दिनांक 1.6.2011 से और 7.20 मेगावाट की यूनिट-IV दिनांक 1.5.2011 से नवीयन, अद्यतन और उन्नयन कार्य के कारण बंद रही।
जोग (4*13.2 + 4*21.6 मेगावाट)	13.20 मेगावाट की यूनिट-III दिनांक 1.8.2011 से पावर चैनल की टकराहट (ब्रीच) मरम्मत के कारण बंद रही।
घाटप्रभा (2*16 मेगावाट)	16 मेगावाट की यूनिट-II दिनांक 29.4.2012 से विद्युत गृहों की भिन्नता के कारण बंद रही।
वराही (4*115 मेगावाट)	115 मेगावाट की यूनिट-III दिनांक 18.7.2012 से जेनरेटर/ट्रांसफार्मर ब्रेकर के कारण बंद रही।
केरल	
सबरागिरी (6*50 मेगावॉट)	दिनांक 16.5.2008 को यूनिट-IV के ऊपरी भाग में विस्फोट हुआ तथा भीषण आग के कारण पूरी यूनिट को नुकसान पहुंचा। दिनांक 16.11.2009 को यूनिट-IV के पुनर्निर्माण की संस्वीकृति हुई।
इदमलयार (2*37.5 मेगावाट)	37.5 मेगावाट की यूनिट-II दिनांक 21.1.2012 से नवीयन अद्यतन कार्य के कारण बंद रही।
तमिलनाडु	
कदमपराई (4*100 मेगावाट)	100 मेगावाट की यूनिट-I दिनांक 19.11.2011 से रनर की मरम्मत कार्य के कारण बंद रही।
शोलायर (2*35+1*25 मेगावाट)	35 मेगावाट की यूनिट-II दिनांक 17.8.2011 से स्टेटर अर्थ खराबी के कारण बंद रही।
लोअर मेट्टूर I-IV (8*15 मेगावाट)	15 मेगावाट की यूनिट-II दिनांक 29.1.2012 से रनर ब्लेड/सर्वोमोटर रिसाव के कारण बंद रही।
	15 35 मेगावाट की यूनिट-II दिनांक 21.6.2012 से विद्युत गृहों की भिन्नता के कारण बंद रही।
ओडिशा	
बालीमेला (6*60+2*75 मेगावाट)	60 मेगावाट की यूनिट-IV दिनांक 1.10.2011 से गति-नियंत्रक प्रणाली समस्या/उपकरण खराबी/ईएचजी खामी के कारण बंद रही।
हिराकुंड (2*49.5 + 2*32 +3*37.5 + 3*24 मेगावाट)	24 मेगावाट की यूनिट-X दिनांक 18.6.2012 से जेनरेटर स्टेटर गति के कारण बंद रही।
मेघालय	
उमीयाम चरण-I	9 मेगावाट की यूनिट-II दिनांक 12.4.2011 से जेनरेटर ट्रांसफार्मर रख-रखाव के कारण बंद
(4*9(4*9 मेगावाट)	9 मेगावाट की यूनिट-III दिनांक 1.4.2010 से पोल खराबी के कारण बंद रही।
नीपको	
कोपीला (4*50 + 1*25 मेगावाट)	50 मेगावाट की यूनिट-II दिनांक 26.6.2012 से रोटर अर्थ खामी के कारण बंद रही।

टिप्पणी-वार्षिक रख-रखाव के अंतर्गत परियोजनाएं, पूंजी रख-रखाव/धीमा/कम हुआ अंत:प्रवाह, धीमी प्रणाली मांग और अतिरिक्त काम बंदी/सहायक परियोजनाएं उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सुधार

163. प्रो. सौगत राय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित विद्युत क्षेत्र के सुधारों को अपनाया है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत सुधारों को अपनाने वे लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को कितना अनुदान तथा ऋण राज्य-वार उपलब्ध कराया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने उन राज्यों में विद्युत क्षेत्र के कार्यकरण की समीक्षा की है जहां सुधार कार्य किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी राज्य सरकार ने अपने राज्यों में विद्युत सुधारों के कार्यान्वयन का विस्तार करने की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) अंतिम उपभोक्ताओं तक लाभों को पहुंचाने और विद्युत क्षेत्र की संतुलित प्रगति के समग्र उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003 तथा इसके अंतर्गत तैयार की गई नीतियों एवं विनियमों के अधिनियमन से विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं।

विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिनियम के प्रावधान केन्द्र और राज्य सरकारों तथा साथ ही अधिनियम के अधीन परिभाषित विभिन्न सांविधिक निकायों और संस्थाओं पर लागू होते हैं। तथापि, इसमें संघ सरकार द्वारा अनुमोदित विद्युत क्षेत्र सुधारों को राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने के बारे में विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत क्षेत्र में सुधारों का ढांचा दिया गया है। विभिन्न राज्य सुधार के विभिन्न चरणों में हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 की शर्तों के अनुसार, झारखंड और केरल को छोड़कर 19 राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्ड को पुनर्गठित किया है।

(ख) यद्यपि विद्युत क्षेत्र में सुधार अपनाने के लिए कोई अनुदान/ऋण विशेष तौर पर नहीं दिया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे-राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), पुनर्संरचित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के द्वारा और केन्द्र सरकार द्वारा तैयार राज्य वितरण कंपनियों (डिस्काम) में सूचियां हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र में सुधार के उपाय भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के प्रभाव पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा एक अध्ययन करवाया है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि "कुछ खामियों के बावजूद, पुनर्गठन का प्रभाव सकारात्मक है और यह सही दिशा में है।" आईपीपी द्वारा दी गई रिपोर्ट बताती है कि चार राज्य, जिन्होंने अपने राज्य विद्युत बोर्डों (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा) को पुनर्गठित किया है। वहां निम्नलिखित समग्र सुधार हुए हैं:

(I) एटी एवं सी घाटों में कमी आने का रुझान।

(II) बढ़े हुए और अधिक केन्द्रित निवेश।

(III) क्षमता अभिवृद्धि और विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।

(IV) स्थानीयकरण और अकुशलताओं में कमी।

(V) उन्नत ग्राहक सेवा।

(VI) मीटरिंग, बिलिंग और वसूली इत्यादि में प्रगति।

(VII) यूटिलिटियों की जिम्मेदारी में बढ़ोत्तरी।

(VIII) विनियामक प्रणाली की स्थापना।

(IX) उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण।

(X) नियमित आधार पर यूटिलिटियों के निष्पादन की रिपोर्टिंग और समीक्षा।

(ङ) और (च) झारखंड और केरल को छोड़कर 19 राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों को पुनर्गठित किया है। केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को समय-समय पर विस्तार की अनुमति प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत धनराशि का आवंटन

164. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में आवंटित धनराशि का वितरण संबंधित राज्यों की अल्पसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में है; और

(ग) यदि नहीं, तो विभिन्न राज्यों में राज्यवार किस प्राकर से धनराशि आवंटित की गई है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के

अंतर्गत अलग से बजट आवंटित नहीं किया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं की निगरानी अल्पसंख्यकों के लिए वास्तविक लक्ष्यों/परिव्ययों को निर्धारित करके या अल्पसंख्यक जनसंख्या को लाभों/निधियों के प्रवाह से की जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सम्मिलित योजनाएं अनन्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है।

कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली योजनाओं, जिनमें लक्ष्यों/परिव्ययों का निर्धारण है, का ब्यौरा इंगित किए गये अनुलग्नकों के सामने दर्शाया गया है:

I वास्तविक लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित की जाने वाली योजना

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं

(i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां (संलग्न विवरण-I);

(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (संलग्न विवरण-II);

(iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां (संलग्न विवरण-III);

(iv) अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (संलग्न विवरण-IV);

(v) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियां (संलग्न विवरण-V);

अन्य मंत्रालयों की योजनाएं

(vi) सर्व शिक्षा अभियान-7 संकेतक (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) [संलग्न विवरण VI (1) से (7)]

(vii) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) (संलग्न विवरण-VII);

(viii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (आजीविका के रूप में पुनःनामित) (ग्रामीण विकास मंत्रालय) (संलग्न विवरण-VIII);

(ix) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत शहरी गरीबों में रोजगार प्रोत्साहन के लिए व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम एवं कौशल प्रशिक्षण की स्थापना करना (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) (संलग्न विवरण-IX(1) से (2)];

(x) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (ग्रामीण विकास मंत्रालय) (संलग्न विवरण-X);

II वित्तीय आवंटन के निर्धारण हेतु योजनाएं

(xi) पहचान की गई 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में करना (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) (संलग्न विवरण-XI);

(xii) अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (वित्तीय सेवाएं विभाग) (संलग्न विवरण-XII);

(xiii) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (ग्रामीण विकास मंत्रालय) (संलग्न विवरण-XIII); और

(xiv) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) (संलग्न विवरण-XIV।

(ख) और (ग) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को दिये जाने वाले लक्ष्यों/आवंटनों का अनुपात उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाली अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के अनुसार होता है। अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं में, यथासंभव संबंधित मंत्रालय/विभाग अल्पसंख्यकों के लिए उनकी योजनाओं में 15% का वास्तविक लक्ष्य/वित्तीय व्यय निर्धारित करते हैं। तथापि, अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों/व्ययों में से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वितरण, संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में योजना के अनुरूप और उनकी मांग पर निर्भर करता है।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों के राज्य/संघ राज्य-वार एवं वर्ष-वार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	65032	86709	147406	325159

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	2877	3836	6521	14388
3.	असम	73582	98109	166785	367909
4.	बिहार	109357	145809	247875	546784
5.	छत्तीसगढ़	7432	9909	16845	37159
6.	गोवा	3677	4905	8340	18396
7.	गुजरात	39194	52260	88842	195975
8.	हरियाणा	19282	25709	43705	96409
9.	हिमाचल प्रदेश	2257	3009	5115	11284
10.	जम्मू और कश्मीर	56482	75309	128026	282409
11.	झारखंड	38932	51909	88245	194659
12.	कर्नाटक	62407	83209	141457	312034
13.	केरल	110175	146900	249731	550874
14.	मध्य प्रदेश	34657	46209	78555	173284
15.	महाराष्ट्र	137732	183638	312187	688643
16.	मणिपुर	7390	9855	16753	36954
17.	मेघालय	13690	18255	31032	68452
18.	मिजोरम	6852	9136	15533	34262
19.	नागालैंड	14515	19355	32901	72577
20.	ओडिशा	13432	17909	30445	67159
21.	पंजाब	120852	161127	273917	604229
22.	राजस्थान	45082	60109	102186	225409
23.	सिक्किम	1602	2136	3633	8012
24.	तमिलनाडु	57532	76709	130407	287659
25.	त्रिपुरा	3627	4836	8221	18137
26.	उत्तर प्रदेश	252832	337109	573086	1264169
27.	उत्तराखंड	9982	13309	22625	49909
28.	पश्चिम बंगाल	166732	222309	377926	833659

1	2	3	4	5	6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	865	1155	1961	4328
30.	चंडीगढ़	1520	2027	3446	7603
31.	दादरा और नगर हवेली	190	255	432	953
32.	दमन और दीव	173	233	395	872
33.	दिल्ली	18532	24709	42006	92659
34.	लक्षद्वीप	510	682	1158	2555
35.	पुदुचेरी	1015	1355	2302	5077
	कुल	1500000	2000000	3400000	7500000

विवरण-II

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के राज्य/संघ राज्य-वार एवं वर्ष-वार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13006	17342	22761	41188
2.	अरुणालच प्रदेश	580	773	38276	1818
3.	असम	14716	19622	2601	46602
4.	बिहार	21871	29162	1299	69259
5.	छत्तीसगढ़	1486	1982	13723	4708
6.	गोवा	746	993	6748	2331
7.	गुजरात	7841	10453	789	.24825
8.	हरियाणा	3856	5142	19767	12213
9.	हिमाचल प्रदेश	451	602	13626	1430
10.	जम्मू और कश्मीर	11296	15062	21842	35769
11.	झारखंड	7786	10382	38562	24658

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	12481	16642	12130	39524
13.	केरल	22034	29379	48157	69778
14.	मध्य प्रदेश	6931	9242	4700	21949
15.	महाराष्ट्र	27515	36675	42243	87229
16.	मणिपुर	1486	1982	15778	4681
17.	मेघालय	2746	3662	20136	8671
18.	मिजोरम	1375	1833	88491	4340
19.	नागालैंड	2911	3882	3494	9193
20.	ओडिशा	2686	3582	58356	8508
21.	पंजाब	24100	32142	6486	76536
22.	राजस्थान	9016	12022	363	28553
23.	सिक्किम	325	433	311	1015
24.	तमिलनाडु	11506	15342	536	36438
25.	त्रिपुरा	730	973	74	2298
26.	उत्तर प्रदेश	50566	67422	77	160121
27.	उत्तराखंड	1996	2662	190	6323
28.	पश्चिम बंगाल	33346	44462	1011	105597
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	181	242	25753	548
30.	चंडीगढ़	307	410	2595	964
31.	दादरा और नगर हवेली	46	62	4799	120
32.	दमन और दीव	50	64	2401	110
33.	दिल्ली	3706	4942	5088	11738
34.	लक्षद्वीप	115	153	564	322
35.	पुदुचेरी	211	282	1273	643
	कुल	300000	400000	525000	950000

विवरण-III

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियों के राज्य/संघ राज्य-वार एवं वर्ष-वार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2009-10 वास्तविक लक्ष्य	2010-11 वास्तविक लक्ष्य	2011-12 वास्तविक लक्ष्य	2012-13 वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	867	867	867	2601
2.	अरुणाचल प्रदेश	38	38	38	114
3.	असम	981	981	981	2943
4.	बिहार	1458	1458	1458	4374
5.	छत्तीसगढ़	99	99	99	297
6.	गोवा	49	49	49	147
7.	गुजरात	523	523	523	1569
8.	हरियाणा	257	257	257	771
9.	हिमाचल प्रदेश	30	30	30	90
10.	जम्मू और कश्मीर	753	753	753	2259
11.	झारखंड	519	519	519	1557
12.	कर्नाटक	832	832	832	2496
13.	केरल	1469	1469	1469	4407
14.	मध्य प्रदेश	462	462	462	1386
15.	महाराष्ट्र	1840	1840	1840	5520
16.	मणिपुर	98	98	98	294
17.	मेघालय	182	182	182	546
18.	मिजोरम	91	91	91	273
19.	नागालैंड	193	193	193	579
20.	ओडिशा	179	179	179	537
21.	पंजाब	1615	1615	1615	4845
22.	राजस्थान	601	601	601	1803

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	21	21	21	63
24.	तमिलनाडु	767	767	767	2301
25.	त्रिपुरा	48	48	48	144
26.	उत्तर प्रदेश	3371	3371	3371	10113
27.	उत्तराखंड	133	133	133	399
28.	पश्चिम बंगाल	2223	2223	2223	6669
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	11	11	33
30.	चंडीगढ़	20	20	20	60
31.	दादरा और नगर हवेली	2	2	2	6
32.	दमन और दीव	2	2	2	6
33.	दिल्ली	247	247	247	741
34.	लक्षद्वीप	6	6	6	18
35.	पुदुचेरी	13	13	13	39
	कुल	20000	20000	20000	60000

विवरण-IV

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के राज्य/संघ राज्य-वार एवं वर्ष-वार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	31	31	31	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	4	4	4
3.	असम	33	33	33	33
4.	बिहार	50	50	50	50
5.	छत्तीसगढ़	6	6	6	6
6.	गोवा	4	4	4	4

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात	21	21	21	21
8.	हरियाणा	12	12	12	12
9.	हिमाचल प्रदेश	4	4	4	4
10.	जम्मू और कश्मीर	27	27	27	27
11.	झारखंड	21	21	21	21
12.	कर्नाटक	31	31	31	31
13.	केरल	50	50	50	50
14.	मध्य प्रदेश	15	15	15	15
15.	महाराष्ट्र	67	67	67	67
16.	मणिपुर	4	4	4	4
17.	मेघालय	6	6	6	6
18.	मिजोरम	4	4	4	4
19.	नागालैंड	6	6	6	6
20.	ओडिशा	6	6	6	6
21.	पंजाब	59	59	59	59
22.	राजस्थान	21	21	21	21
23.	सिक्किम	4	4	4	4
24.	तमिलनाडु	28	28	28	28
25.	त्रिपुरा	4	4	4	4
26.	उत्तर प्रदेश	120	120	120	120
27.	उत्तराखंड	4	4	4	4
28.	पश्चिम बंगाल	81	81	81	81
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	4	4	4
30.	चंडीगढ़	4	4	4	4
31.	दादरा और नगर हवेली	4	4	4	4
32.	दमन और दीव	4	4	4	4
33.	दिल्ली	9	9	9	9
34.	लक्षद्वीप	4	4	4	4
35.	पुदुचेरी	4	4	4	4
	कुल	756	756	756	756

विवरण-V

मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान छात्रवृत्ति वर्ष 2009-10 से 2012-13

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	10	11	14
2.	आंध्र प्रदेश	652	782	868	1086
3.	अरुणालच प्रदेश	29	36	39	49
4.	असम	736	884	982	1227
5.	बिहार	1094	1312	1458	1823
6.	चंडीगढ़	15	18	20	25
7.	छत्तीसगढ़	75	90	99	125
8.	दादरा और नगर हवेली	2	2	2	2
9.	दमन और दीव	1	1	1	2
10.	गोवा	184	221	48	307
11.	गुजरात	36	43	523	59
12.	हरियाणा	392	470	257	653
13.	हिमाचल प्रदेश	193	231	30	321
14.	जम्मू और कश्मीर	22	26	753	37
15.	झारखंड	564	678	519	941
16.	कर्नाटक	390	467	832	648
17.	केरल	624	749	1469	1040
18.	लक्षद्वीप	1101	1322	6	1836
19.	मध्य प्रदेश	5	5	461	8
20.	महाराष्ट्र	346	415	1841	578
21.	मणिपुर	1380	1657	98	2301
22.	मेघालय	73	88	184	122
23.	मिजोरम	137	164	90	230

1	2	3	4	5	6
24.	नागालैंड	68	81	193	112
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	145	173	247	241
26.	ओडिशा	133	160	179	221
27.	पुदुचेरी	10	12	13	17
28.	पंजाब	1211	1454	1615	2019
29.	राजस्थान	450	541	600	751
30.	सिक्किम	16	18	21	26
31.	तमिलनाडु	576	692	767	959
32.	त्रिपुरा	36	43	48	61
33.	उत्तर प्रदेश	2528	3034	3370	4213
34.	उत्तरांचल	100	120	133	167
35.	पश्चिम बंगाल	1667	2001	2223	2779
	कुल	15000	18000	20000	25000

विवरण-VI (i)

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में निर्मित प्राइमरी स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	5	8
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	56	116	69	60
4.	असम	984	785	1260	0
5.	बिहार	1417	0	0	0

1	2	3	4	5	6
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	0	0	0	1
11.	गोवा	0	0	0	. 0
12.	गुजरात	0	0	0	0
13.	हरियाणा	0	19	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	5	0
15.	झारखंड	0	226	32	0
16.	कर्नाटक	0	52	0	0
17.	केरल	0	6	130	0
18.	मध्य प्रदेश	0	1	0	0
19.	महाराष्ट्र	320	174	0	0
20.	मणिपुर	0	0	0	47
21.	ओडिशा	75	25	0	0
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0
23.	राजस्थान	0	0	0	. 0
24.	सिक्किम	4	0	1	0
25.	तमिलनाडु	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	170	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	291	6	0	0
28.	उत्तरांचल	6	0	0	15
29.	पश्चिम बंगाल	234	3449	0	100
30.	जम्मू और कश्मीर	8	14	5	0

1	2	3	4	5	6
31.	मेघालय	62	96	0	0
32.	मिजोरम	8	0	15	0
33.	नागालैंड	0	0	0	0
34.	पंजाब	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	. 0	0	0
	कुल	3465	4969	1522	231

विवरण-VI (ii)

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में निर्मित प्राइमरी स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	61	1	0
4.	असम	0	0	0	0
5.	बिहार	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	0	0	0	1
11.	गोवा	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
13.	हरियाणा	0	77	0	1
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	4	0
15.	झारखंड	362	331	26	0
16.	कर्नाटक	0	0	0	0
17.	केरल	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	0	4	0	0
19.	महाराष्ट्र	0	28	0	174
20.	मणिपुर	0	0	0	0
21.	ओडिशा	22	5	19	19
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0
23.	राजस्थान	0	0	0	0
24.	सिक्किम	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	363	385	0	0
28.	उत्तरांचल	34	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	430	223	0	166
30.	जम्मू और कश्मीर	126	33	0	0
31.	मेघालय	0	0	0	0
32.	मिजोरम	5	0	17	0
33.	नागालैंड	0	0	0	0
34.	पंजाब	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	1348	1147	67	361

विवरण-VI (iii)

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में निर्मित अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	13	61	5
2.	आंध प्रदेश	100	362	425	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	240	61	443	26
4.	असम	2156	2711	8399	3120
5.	बिहार	1897	3912	17933	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	0	20	91	50
11.	गोवा	0	0	52	0
12.	गुजरात	0	0	0	0
13.	हरियाणा	862	750	800	197
14.	हिमाचल प्रदेश	0	21	24	14
15.	झारखंड	1840	2300	1556	4255
16.	कर्नाटक	288	806	53	391
17.	केरल	228	1289	85	37
18.	मध्य प्रदेश	310	274	0	21
19.	महाराष्ट्र	758	1777	3102	521

1	2	3	4	5	6
20.	मणिपुर	173	660	722	14
21.	ओडिशा	18	205	615	473
22.	पुदुचेरी	2	1	0	0
23.	राजस्थान	85	20	357	69
24.	सिक्किम	75	40	24	3
25.	तमिलनाडु	0	20	0	26
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	1939	1710	5987	5088
28.	उत्तरांचल	328	24	542	326
29.	पश्चिम बंगाल	9363	18414	4233	30334
30.	जम्मू और कश्मीर	0	0	27	120
31.	मेघालय	381	280	0	25
32.	मिजोरम	115	136	10	2
33.	नागालैंड	0	0	0	0
34.	पंजाब	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	3
	कुल	21168	35806	45541	45120

विवरण-VI (iv)

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में खोले गए नए प्राइमरी स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	6	15
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	56	116	57	60
4.	असम	984	2219		0
5.	बिहार	0	345	823	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	0	0	0	2
11.	गोवा	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0
13.	हरियाणा	0	.19	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	5	5	0
15.	झारखंड	0	183	32	0
16.	कर्नाटक	77	52	0	0
17.	केरल	0	6	118	0
18.	मध्य प्रदेश	0	1	12	3
19.	महाराष्ट्र	239	59	0	0
20.	मणिपुर	0	17	401	63
21.	ओडिशा	0	25	0	0
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0
23.	राजस्थान	75	0	0	0
24.	सिक्किम	4	0	1	0
25.	तमिलनाडु	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	301	6	0	0
28.	उत्तरांचल	34	0	0	15
29.	पश्चिम बंगाल	234	8781	0	100

1	2	3	4	5	6
30.	जम्मू और कश्मीर	0	96	0	0
31.	मेघालय	62	0	0	0
32.	मिजोरम	0	0	15	0
33.	नागालैंड	0	0	0	0
34.	पंजाब	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	2066	11930	1470	258

विवरण-VI (v)

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में खोले गए नए उच्च प्राइमरी स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10 लक्ष्य	2010-11 लक्ष्य	2011-12 लक्ष्य	2012-13 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	11	1
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	26	13	26
4.	असम	0	0	0	0
5.	बिहार	708	433	209	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	2
10.	दिल्ली	0	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
12.	गुजरात	0	0	0	0
13.	हरियाणा	0	77	0	1
14.	हिमाचल प्रदेश	0	7	4	0
15.	झारखंड	15	215	0	0
16.	कर्नाटक	0	89	26	2
17.	केरल	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	2	4	0	0
19.	महाराष्ट्र	0	6	0	58
20.	मणिपुर	0	0	146	0
21.	ओडिशा	22	5	19	0
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0
23.	राजस्थान	0	0	0	0
24.	सिक्किम	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	364	385	0	0
28.	उत्तरांचल	34	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	430	1054	0	166
30.	जम्मू और कश्मीर	11	9	0	0
31.	मेघालय	127	60	0	0
32.	मिजोरम	0	0	17	0
33.	नागालैंड	0	0	0	0
34.	पंजाब	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	1719	2370	445	256

विवरण-VI (vi)

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	108	33
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	143	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	130	310	228	408
4.	असम	0	6406	3660	14029
5.	बिहार	2124	2517	13177	2788
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	0	0	874	0
11.	गोवा	0	0	0	24
12.	गुजरात	0	0	0	0
13.	हरियाणा	0	269	0	399
14.	हिमाचल प्रदेश	0	21	26	0
15.	झारखंड	45	1011	142	5217
16.	कर्नाटक	303	282	0	88
17.	केरल	0	12	236	0
18.	मध्य प्रदेश	15	14	233	186
19.	महाराष्ट्र	483	141	0	3360
20.	मणिपुर	0	262	1240	126
21.	ओडिशा	346	195	0	0

1	2	3	4	5	6
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0
23.	राजस्थान	0	0	0	0
24.	सिक्किम	8	0	2	156
25.	तमिलनाडु	1	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	1516	7598	18	0
28.	उत्तरांचल	114	0	36	30
29.	पश्चिम बंगाल	2691	28418	11960	698
30.	जम्मू और कश्मीर	33	37	0	0
31.	मेघालय	505	372	0	0
32.	मिजोरम	115	136	81	0
33.	नागालैंड	0	0	0	0
34.	पंजाब	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	8429	48001	32164	27542

विवरण-VI (vii)

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य1
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0		0	0
2.	आंध्र प्रदेश	12		0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	13		1	0
4.	असम	9		25	0

1	2	3	4	5	6
5.	बिहार	76		1	0
6.	चंडीगढ़	0		0	0
7.	छत्तीसगढ़	1		0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0		0	0
9.	दमन और दीव	0		0	0
10.	दिल्ली	1		0	0
11.	गोवा	0		0	0
12.	गुजरात	7		0	0
13.	हरियाणा	6		6	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0		0	0
15.	झारखंड	32		3	0
		अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए स्वीकृत सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रचालित किए गए। वर्ष 2010-11 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।			
16.	कर्नाटक	5		0	0
17.	केरल	0		0	0
18.	मध्य प्रदेश	1		0	0
19.	महाराष्ट्र	1		0	0
20.	मणिपुर	1		4	3
21.	ओडिशा	9		0	0
22.	पुदुचेरी	0		0	0
23.	राजस्थान	25		.0	0
24.	सिक्किम	0		0	0
25.	तमिलनाडु	0		0	0
26.	त्रिपुरा	4		0	0
27.	उत्तर प्रदेश	171		32	0
28.	उत्तरांचल	7		0	0
29.	पश्चिम बंगाल	22		28	0
30.	जम्मू और कश्मीर	68		2	0

1	2	3	4	5	6
31.	मेघालय	2		5	0
32.	मिजोरम	1		0	0
33.	नागालैंड	2		0	0
34.	पंजाब	3		0	0
35.	लक्षद्वीप	0		0	0
	कुल	28		109	3

विवरण-VII

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों में समन्वित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रचालन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन का लक्ष्य 2009-10	आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन का लक्ष्य 2010-11	आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन का लक्ष्य 2011-12	आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन का लक्ष्य 2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	1	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	185	185	79	27
3.	अरुणाचल प्रदेश	661	36	0	0
4.	असम	7232	0	0	0
5.	बिहार	0	1706	1706	1706
6.	चंडीगढ़	0		0	0
7.	छत्तीसगढ़	345	345	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
10.	दिल्ली	0	754	754	0
11.	गोवा	44	25	0	0
12.	गुजरात	102	79	0	0
13.	हरियाणा	1081	1081	852	205
14.	हिमाचल प्रदेश	2	2	1	1
15.	झारखंड	1151	0	0	0
16.	कर्नाटक	181	0	0	0
17.	केरल	880	880	61	22
18.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
19.	महाराष्ट्र	862	862	.620	410
20.	मणिपुर	2074	2074	1075	735
21.	ओडिशा	1539	709	0	0
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0
23.	राजस्थान	612	612	0	0
24.	सिक्किम	103	9	0	0
25.	तमिलनाडु	62	0	0	0
26.	त्रिपुरा	653	653	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	66	66	0	0
28.	उत्तराखंड	1844	1844	811	265
29.	पश्चिम बंगाल	8319	1629	816	0
30.	जम्मू और कश्मीर	1767	1767	1767	1767
31.	लक्षद्वीप	20	3	0	0
32.	मेघालय	460	0	0	0
33.	मिजोरम	176	0	0	0
34.	नागालैंड	207	0	0	0
35.	पंजाब	5335	0	0	0
	कुल	37672	15322	8542	5138

विवरण-VIII

ग्रामीण विकास मंत्रालय

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए अल्पसंख्यकों हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (आजीविका के रूप में पुनर्नामित) के वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25	26	25	25
2.	आंध्र प्रदेश	14759	17546	15862	15248
3.	अरुणाचल प्रदेश	642	806	782	680
4.	असम	16663	20945	20313	17704
5.	बिहार	35109	41740	37735	36271
6.	चंडीगढ़	0			
7.	छत्तीसगढ़	7797	9272	8383	8057
8.	दादरा और नगर हवेली	25	26	25	25
9.	दमन और दीव	25	26	25	25
10.	दिल्ली	0			
11.	गोवा	215	284	284	284
12.	गुजरात	5555	6605	5970	5739
13.	हरियाणा	3269	3885	3514	3377
14.	हिमाचल प्रदेश	1376	1635	1479	1422
15.	झारखंड	13239	15740	14228	13677
16.	कर्नाटक	11144	13249	11979	11514
17.	केरल	5001	5945	5375	5166
18.	मध्य प्रदेश	16708	19861	17957	17259
19.	महाराष्ट्र	22030	26191	23678	22759
20.	मणिपुर	1117	1405	1362	1187
21.	ओडिशा	16882	20070	18144	17439

1	2	3	4	5	6
22.	पुदुचेरी	254	315	285	271
23.	राजस्थान	8463	10061	9096	8742
24.	सिक्किम	320	403	392	342
25.	तमिलनाडु	13051	15515	14027	13482
26.	त्रिपुरा	2017	2535	2459	2142
27.	उत्तर प्रदेश	50546	60092	54328	52247
28.	उत्तरांचल	2661	3164	2861	2750
29.	पश्चिम बंगाल	18761	22304	20163	19381
30.	जम्मू और कश्मीर	1704	2025	1831	1761
31.	मेघालय	1252	1574	1525	1329
32.	मिजोरम	290	364	353	307
33.	नागालैंड	858	1079	1046	911
34.	पंजाब	1589	1887	1707	1641
35.	लक्षद्वीप	25	26	25	25
	कुल	273372	326601	297218	283189

विवरण-IX (i)

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत शहरी गरीबों को लघु उद्यम स्थापित करने के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	336	336	663	866
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	59	40
3.	असम	11	11	690	541
4.	बिहार	155	155	527	436

1	2	3	4	5	6
5.	चंडीगढ़	1	1	30	22
6.	छत्तीसगढ़	34	34	173	236
7.	दादरा और नगर हवेली	0	0	4	3
8.	दमन और दीव	0	0	3	13
9.	दिल्ली	59	59	49	63
10.	गोवा	4	4	22	16
11.	गुजरात	127	127	541	709
12.	हरियाणा	4	4	203	256
13.	हिमाचल प्रदेश	1	1	8	78
14.	जम्मू और कश्मीर	0	0	37	80
15.	झारखंड	97	97	201	278
16.	कर्नाटक	313	313	654	790
17.	केरल	149	149	202	325
18.	मध्य प्रदेश	236	236	795	747
19.	महाराष्ट्र	668	668	1497	1931
20.	मणिपुर	0	0	160	124
21.	ओडिशा	55	55	292	302
22.	पुदुचेरी	4	4	21	23
23.	राजस्थान	129	129	552	743
24.	सिक्किम	0	0	9	18
25.	तमिलनाडु	232	232	791	1017
26.	त्रिपुरा	0	0	118	109
27.	उत्तर प्रदेश	943	943	1679	1368
28.	उत्तरांचल	34	34	82	85
29.	पश्चिम बंगाल	153	153	747	920
30.	मेघालय	0	0	85	50

1	2	3	4	5	6
31.	मिजोरम	0	0	75	74
32.	नागालैंड	0	0	56	77
33.	पंजाब	4	4	222	407
34.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	5	4
35.	लक्षद्वीप	0	0		
	कुल	3750	3750	11252	12751

विवरण-IX (ii)

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए अल्पसंख्यक समुदायों हेतु स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शहरी गरीबों के बीच रोजगार संवर्धन (स्टेप-अप) के लिए कौशल प्रशिक्षण हेतु वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	14	45
2.	आंध्र प्रदेश	2688	2688	2637	15750
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	35	465
4.	असम	91	91	434	5250
5.	बिहार	1243	1243	2101	4500
6.	चंडीगढ़	0	6	91	255
7.	छत्तीसगढ़	271	271	690	3900
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	11	42
9.	दमन और दीव	0	0	8	146
10.	दिल्ली	472	472	972	3000
11.	गोवा	36	36	88	225
12.	गुजरात	1019	1019	2154	11250

1	2	3	4	5	6
13.	हरियाणा	35	35	810	3750
14.	हिमाचल प्रदेश	5	5	15	1125
15.	झारखंड	775	775	799	3000
16.	कर्नाटक	2503	2503	2608	7650
17.	केरल	1190	1190	804	4350
18.	मध्य प्रदेश	1889	1889	3168	9150
19.	महाराष्ट्र	5341	5340	5966	15750
20.	मणिपुर	0	0	106	1200
21.	ओडिशा	443	443	1166	3450
22.	पुदुचेरी	33	33	36	323
23.	राजस्थान	1028	1028	2201	6000
24.	सिक्किम	0	0	1	750
25.	तमिलनाडु	1853	1853	3152	12000
26.	त्रिपुरा	1	1	69	1350
27.	उत्तर प्रदेश	7547	7547	6692	15750
28.	उत्तरांचल	276	275	326	1050
29.	पश्चिम बंगाल	1224	1224	2976	11250
30.	जम्मू एवं कश्मीर	1	1	147	750
31.	मेघालय	0	0	62	600
32.	मिज़ोरम	0	0	19	1050
33.	नागालैंड	0	0	8	1125
34.	पंजाब	29	29	884	3750
35.	लक्षद्वीप		0		
	कुल	30000	30000	41250	150001

विवरण-X

ग्रामीण विकास मंत्रालय

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए अल्पसंख्यकों हेतु इंदिरा आवास योजना के वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	413	367	358	397
2.	आंध्र प्रदेश	55797	38566	37352	40560
3.	अरुणाचल प्रदेश	1631	1159	1132	1251
4.	असम	36067	25627	25037	27661
5.	बिहार	164700	113836	110623	122446
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	8628	5964	5620	6227
8.	दादरा और नगर हवेली	69	61	60	66
9.	दमन और दीव	31	27	27	30
10.	दिल्ली	0	0	0	0
11.	गोवा	344	238	232	257
12.	गुजरात	27364	18914	18475	20471
13.	हरियाणा	3842	2655	2594	2874
14.	हिमाचल प्रदेश	1232	869	849	941
15.	झारखंड	14689	25154	9522	10425
16.	कर्नाटक	21497	14858	14514	16082
17.	केरल	11954	8263	8071	8943
18.	मध्य प्रदेश	17159	11861	11420	12654
19.	महाराष्ट्र	33648	23258	22659	25107
20.	मणिपुर	1416	1006	983	1086
21.	ओडिशा	32357	22365	21312	23304
22.	पुदुचेरी	206	183	179	198

1	2	3	4	5	6
23.	राजस्थान	13751	9504	9284	10287
24.	सिक्किम	312	222	217	239
25.	तमिलनाडु	22339	15441	15083	16712
26.	त्रिपुरा	3177	2258	2206	2437
27.	उत्तर प्रदेश	73973	51130	49921	55248
28.	उत्तरांचल	3371	2378	2323	2574
29.	पश्चिम बंगाल	44635	30851	29876	32933
30.	जम्मू और कश्मीर	3826	2699	2637	2921
31.	मेघालय	2466	0	0	0
32.	मिजोरम	526	0	0	0
33.	नागालैंड	1632	0	0	0
34.	पंजाब	4751	3284	3208	3554
35.	लक्षद्वीप	34	24	23	26
	कुल	607837	433022	405797	447911

विवरण-XI

श्रम और रोजगार मंत्रालय

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वीटीआईपी के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (60 संस्थान) को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नत किया जाना (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आईटीआई की संख्या	2009-10 के लक्ष्य	2010-11 के लक्ष्य	2011-12 के लक्ष्य	2012-13 के लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1.4124	1.8269	1.892	0.55
2.	आंध्र प्रदेश	1	0.13	0	0.252	0.26
3.	अरुणाचल प्रदेश		0	0.485		
4.	असम	2	1.705	2.275	1.87	1.87
5.	बिहार	4	1.8721	5.4517	5.3343	2.62
6.	चंडीगढ़		.0	0		
7.	छत्तीसगढ़		0	0		

1	2	3	4	5	6	
8.	दादरा और नगर हवेली		0	0		
9.	दमन और दीव		0	0		
10.	दिल्ली	1	0.19	0.65	0.3279	0.32
11.	गोवा	3	1.59	2.79	1.36	1.21
12.	गुजरात		0	0		
13.	हरियाणा	1	0.16	0.63	0.49	0.25
14.	हिमाचल प्रदेश	2	0.5	1.062	0.41	0.41
15.	झारखंड	2	1.3576	2.2714	0.7124	0.37
16.	कर्नाटक	7	2.197	2.9296	3.2854	2.15
17.	केरल	7	2.6593	4.1974	4.3995	2.37
18.	मध्य प्रदेश	1	0.14	0.7516	0.1325	0.02
19.	महाराष्ट्र	13	8.2767	6.2753	4.7181	1.52
20.	मणिपुर		0	0		
21.	ओडिशा		0	0		
22.	पुदुचेरी		0	0		
23.	राजस्थान	1	0.06	0.63	0.41	0.41
24.	सिक्किम	1	0.01575	0.8173	0.02715	0.01
25.	तमिलनाडु		0	0		
26.	त्रिपुरा		0	0		
27.	उत्तर प्रदेश	6	0.426	0.8492	1.2816	0.90
28.	उत्तराखंड	2	0.5495	1.8283	0.9091	0.36
29.	पश्चिम बंगाल	4	2.1952	5.3262	4.2651	2.06
30.	जम्मू और कश्मीर		0	0		
31.	लक्षद्वीप		0	0		
32.	मेघालय	1	0.54	1.29	0.76	0.76
33.	मिजोरम		0	0		
34.	नागालैंड		0	0		
35.	पंजाब		0	0		
	योग	60	25.98	42.3369	32.83705*	18.42

*इसमें गत वर्षों का 11.68 करोड़ रु. का लक्ष्य और 21.157 करोड़ रु. का बैकलॉग शमिल है।

विवरण-XII

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवा विभाग

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्य	अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्य	अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्य	अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	55.76	38.02	135.49	185.28
2.	आंध्र प्रदेश	11115.95	14776.5	15571.84	20328.61
3.	अरुणाचल प्रदेश	70.64	87.15	111.98	142.14
4.	असम	1329.01	1557.25	1894.90	3048.57
5.	बिहार	1790.25	2212.9	2984.70	3750.68
6.	चंडीगढ़	1213.98	2064.41	2164.90	1705.18
7.	छत्तीसगढ़	1144.61	914.88	1127.34	1224.97
8.	दादरा और नगर हवेली	18.87	15.2	20.37	43.34
9.	दमन और दीव	19.99	17.01	21.11	539.20
10.	दिल्ली	5981.87	6659.1	5827.82	7219.45
11.	गोवा	1033.39	1010.06	1216.53	1571.33
12.	गुजरात	5341.21	4689.73	5497.36	7338.11
13.	हरियाणा	4160.16	5468.74	6841.45	6775.15
14.	हिमाचल प्रदेश	753.96	1458.77	1122.71	1052.67
15.	झारखंड	1300.16	1563.41	2054.61	2228.24
16.	कर्नाटक	9959.62	9485.23	12430.00	14971.325
17.	केरल	11298.34	16704.27	20847.27	27576.88
18.	मध्य प्रदेश	4968.33	4463.95	5653.52	5608.67
19.	महाराष्ट्र	17139.84	19455.79	20406.65	22547.29
20.	मणिपुर	90.75	117.52	118.76	276.45

1	2	3	4	5	6
21.	ओडिशा	2083.81	2099.44	2333.81	2979.83
22.	पुदुचेरी	184.67	255.77	331.97	3501.22
23.	राजस्थान	4630.00	5208.38	5182.29	5782.82
24.	सिक्किम	173.73	153.78	388.42	462.90
25.	तमिलनाडु	11892.93	14908.11	16954.02	19901.22
26.	त्रिपुरा	104.83	132.65	151.48	689.74
27.	उत्तर प्रदेश	10262	13543.05	15085.86	17341.74
28.	उत्तराखंड	1339.52	1529.55	2129.98	2006.27
29.	पश्चिम बंगाल	6387.26	6553.96	9197.26	9851.90
30.	जम्मू और कश्मीर	546.05	777.71	1433.26	1383.71
31.	मेघालय	243.01	257.52	301.75	860.47
32.	मिजोरम	151.31	183.7	161.64	613.96
33.	नागालैंड	133.07	177.36	169.52	565.23
34.	पंजाब	13520.2	17365.66	24256.67	28012.11
35.	लक्षद्वीप	23.35	10.04	35.70	201.00
	कुल	130462.43	155916.57	184162.94	222287.66

विवरण-XIII

ग्रामीण विकास मंत्रालय

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए अल्पसंख्यकों को इंदिरा आवास योजना के वित्तीय आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वित्तीय आबंटन (करोड़ रुपये में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.444	1.6508	1.61	1.79
2.	आंध्र प्रदेश	195.290	173.5452	.169.52	187.83
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.293	5.6209	5.49	6.07

1	2	3	4	5	6
4.	असम	139.168	124.2929	121.43	134.16
5.	बिहार	576.451	512.26	500.39	554.43
6.	चंडीगढ़	0.000	0	0.00	0
7.	छत्तीसगढ़	30.190	26.8373	26.22	29.05
8.	दादरा और नगर हवेली	0.240	0.2751	0.27	0.30
9.	दमन और दीव	0.108	0.123	0.12	0.13
10.	दिल्ली	0.000	0	0.00	0
11.	गोवा	1.200	1.0689	1.04	1.16
12.	गुजरात	95.775	85.1105	83.14	92.12
13.	हरियाणा	13.446	11.9496	11.67	12.93
14.	हिमाचल प्रदेश	4.742	4.2147	4.12	4.56
15.	झारखंड	51.411	113.1913	44.63	49.45
16.	कर्नाटक	75.238	66.8622	65.31	72.37
17.	केरल	41.830	37.1816	36.32	40.24
18.	मध्य प्रदेश	60.050	53.3745	52.14	57.77
19.	महाराष्ट्र	117.760	104.6599	102.23	113.28
20.	मणिपुर	5.463	4.8792	4.77	5.27
21.	ओडिशा	113.250	100.6425	98.31	108.93
22.	पुदुचेरी	0.719	0.8222	0.80	0.89
23.	राजस्थान	48.126	42.7693	41.78	46.29
24.	सिक्किम	1.204	1.0755	1.05	1.16
25.	तमिलनाडु	78.187	69.4835	67.87	75.20
26.	त्रिपुरा	12.250	10.9492	10.70	11.82
27.	उत्तर प्रदेश	258.906	230.0862	224.76	249.03
28.	उत्तरांचल	12.980	11.5351	11.27	12.48
29.	पश्चिम बंगाल	156.220	138.828	135.61	150.26
30.	जम्मू और कश्मीर	14.731	13.091	12.79	14.17

1	2	3	4	5	6
31.	मेघालय	9.514	0	0.00	0
32.	मिजोरम	2.028	0	0.00	0
33.	नागालैंड	6.296	0	0.00	0
34.	पंजाब	16.620	14.7781	14.44	15.99
35.	लक्षद्वीप	0.120	0.1067	0.10	0.11
	कुल	2147.310	1961.2649	1849.91	2049.24

विवरण-XIV

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए अल्पसंख्यक समुदायों स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0009	0.001	0.0000	अंतिम रूप नहीं दिया गया।
2.	आंध्र प्रदेश	2.998	3.3144	3.3300	
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.0017	0.0018	0.0000	
4.	असम	0.1015	0.1122	0.1154	
5.	बिहार	1.3867	1.5331	1.5403	
6.	चंडीगढ़	0	0.0072	0.0087	
7.	छत्तीसगढ़	0.3022	0.3341	0.3357	
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.0000	
9.	दमन और दीव	0.0004	0.0005	0.0000	
10.	दिल्ली	0.527	0.5827	0.5854	
11.	गोवा	0.0399	0.0441	0.0443	
12.	गुजरात	1.137	1.257	1.2629	
13.	हरियाणा	0.0385	0.0426	0.0428	
14.	हिमाचल प्रदेश	0.0054	0.0059	0.0060	

1	2	3	4	5	6
15.	जम्मू और कश्मीर	0.0014	0.0016	0.0000	
16.	झारखंड	0.8645	0.9557	0.9602	
17.	कर्नाटक	2.7926	3.0847	3.1019	
18.	केरल	1.3277	1.4679	1.4748	
19.	मध्य प्रदेश	2.107	2.3294	2.3404	
20.	महाराष्ट्र	5.9569	6.5857	6.6167	
21.	मणिपुर	0	0	0.0000	
22.	ओडिशा	0.494	0.5482	0.5487	
23.	पुदुचेरी	0.037	0.0409	0.0411	
24.	राजस्थान	1.1472	1.2683	1.2742	
25.	सिक्किम	0	0	0.0000	
26.	तमिलनाडु	2.0669	2.2851	2.2958	
27.	त्रिपुरा	0.0007	0.0008	0.0000	
28.	उत्तर प्रदेश	8.4184	9.307	9.3508	
29.	उत्तरांचल	0.307	0.3394	0.3426	
30.	पश्चिम बंगाल	1.3652	1.5094	1.5165	
31.	मेघालय	0	0	0.0000	
32.	मिजोरम	0	0	0.0000	
33.	नागालैंड	0	0	0.0000	
34.	पंजाब	0.0328	0.0363	0.0365	
35.	लक्षद्वीप	0	0	0.0000	
	कुल	33.47	36.99	37.17	

आमान परिवर्तन परियोजनाएं

165. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण रेलवे के अंतर्गत डिंडीगुल-पिलानी, पिलानी-पोल्लाची तथा पोल्लाची-पोदनूर पर आमान परिवर्तन कार्यों का ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरी होने की संभावना है;

(ग) उक्त परियोजनाओं को नियत समयावधि में पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उनके लिए आबंटित/अब तक व्ययित निधियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) डिंडीगुल-पलानी (58 कि.मी.) और पलानी-पोलाची (63 कि.मी.) खंडों के आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और आमान परिवर्तित खंडों को 31.3.2013 तक चालू करने की योजना है। पोलाची-पोडानूर (40 कि.मी.) खंड पर, पोलाची-किनातूकवाडू (21 कि.मी.) खंड पर कार्य 31.3.2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है। किनातूकवाडू-पोदानूर (19 कि.मी.) खंड के लिए भूमि अधिग्रहण दस्तावेज तमिलनाडु सरकार को प्रस्तुत कर लिए गए हैं।

(घ) डिंडीगुल-पोलाची-पालघाट एवं पोलाची-कोयम्बटूर आमान परिवर्तन परियोजना पर 502.08 करोड़ रु. पहले ही खर्च कर दिए गए हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

[हिन्दी]

खुर्जा में रेल सुविधाएं

166. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों विशेषकर उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत खुर्जा जंक्शन पर रेल सुविधाओं की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे ने उत्तर प्रदेश विशेषकर खुर्जा जंक्शन पर रेल सुविधाएं मुहैया कराने और टिकट काउंटर स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खुर्जा स्टेशन सहित सभी स्टेशनों पर न्यूनतम अनिवार्य यात्री सुविधाएं जिनमें बुकिंग सुविधा, पीने का पानी, आदि शामिल है, पहले से ही प्रदान कर दी गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

167. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान झारखंड सहित देश में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत शुरू की गयी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इन परियोजनाओं की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) राज्यों द्वारा मंत्रालय की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और मौजूदा वर्ष के दौरान झारखंड राज्य सहित देश में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा तथा दिनांक 15.11.2012 की स्थिति के अनुसार उनकी मौजूदा स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत राज्यों को आवंटित और रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) भारत सरकार ग्रामीण आबादी को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में मदद करती है। एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत राज्य सरकारें ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संबंध में आयोजना एवं उन्हें निष्पादित और कार्यान्वित कर सकती हैं। आंशिक रूप से कवर की गई और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारें मंत्रालय से विचार-विमर्श करके इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं और कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करती हैं। मंत्रालय ऑनलाइन आईएमआईएस के माध्यम से एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है। इसके अलावा ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभारी राज्य सचिवों के सम्मेलनों, क्षेत्रीय

समीक्षा बैठकों, वीडियो कांफ्रेंसिंग इत्यादि को समय-समय पर आयोजित किया जाता है, जिनमें योजनाओं के कार्यान्वयन स्तर की समीक्षा की जाती है और राज्यों से लक्षित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा जाता है। कार्यान्वयन की प्रगति को देखने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी/तकनीकी अधिकारी राज्यों का दौरा करते हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत कार्यान्वित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का ब्यौरा (योजनाओं की संख्या)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		मौजूदा	नई	पूरी हो चुकी	मौजूदा	नई	पूरी हो चुकी	मौजूदा	नई	पूरी हो चुकी	मौजूदा	नई	पूरी हो चुकी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	10219	12878	16859	6238	8276	10084	4430	6697	5507	5620	3434	2504
2.	बिहार	7956	24991	27627	5320	15692	17654	3358	10061	10897	2522	6822	5425
3.	छत्तीसगढ़	2564	30132	30103	2593	29622	27915	4300	38262	36102	6460	33793	2708
4.	गोवा	8	0	6	2	2	2	2	0	0	2	0	0
5.	गुजरात	2883	3439	3945	2377	3251	3591	2037	2313	1712	2638	3311	1639
6.	हरियाणा	1778	573	1074	1277	1159	1265	1171	1995	1139	2027	929	421
7.	हिमाचल प्रदेश	2738	2076	2262	2552	1983	2035	2500	2299	2785	2014	1153	974
8.	जम्मू और कश्मीर	1388	263	224	1427	1342	298	2471	1350	553	3268	983	219
9.	झारखंड	3522	35634	35176	3980	39047	37658	5369	44825	41952	8242	30466	5198
10.	कर्नाटक	12383	17532	18646	11269	26688	25512	12445	39348	39598	12195	43350	14634
11.	केरल	466	121	123	464	65	121	408	58	75	391	59	54
12.	मध्य प्रदेश	1202	19067	18816	1453	46272	46159	1566	39390	38083	2873	33389	16127
13.	महाराष्ट्र	18482	3621	7629	14474	8477	11181	11770	21604	21199	12175	9579	3021
14.	ओडिशा	3648	13417	12633	4432	14472	15363	3541	16045	15502	4084	26276	5603
15.	पंजाब	1564	1106	1526	1144	1795	1517	1422	1469	1364	1527	1009	532
16.	राजस्थान	3195	7152	7584	2763	20271	19778	3256	22082	17880	7458	10252	3979
17.	तमिलनाडु	919	11154	11391	682	11731	11971	442	6702	6479	665	14417	8489
18.	उत्तर प्रदेश	3442	104918	106528	1832	94394	93846	2380	98549	99636	1293	14408	14528
19.	उत्तराखंड	1419	1113	722	1810	1246	1345	1711	2974	1501	3184	1131	2210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	पश्चिम बंगाल	812	5417	5491	738	3803	3501	1040	1953	1974	1019	1279	553
21.	अरुणाचल प्रदेश	1091	507	1056	542	1444	1123	863	914	1126	651	907	520
22.	असम	3295	13664	13710	3249	10372	8952	4669	11037	9416	6290	5414	3833
23.	मणिपुर	724	341	333	732	361	287	806	290	542	554	29	206
24.	मेघालय	1969	865	577	2257	1406	1119	2544	2240	1701	3083	1112	250
25.	मिजोरम	144	35	149	30	110	131	9	129	47	91	52	68
26.	नागालैंड	45	155	63	137	116	223	30	262	219	73	175	86
27.	सिक्किम	168	464	273	359	86	260	185	209	76	318	198	221
28.	त्रिपुरा	940	1033	705	1268	1945	1320	1893	4624	3518	2999	2999	1962
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	18	3	15	0	15	0	0	0
30.	पुदुचेरी	7	28	25	10	11	21	0	2	0	2	21	2
	कुल	88971	311696	325256	75411	345457	344235	76633	377683	360598	93718	246947	95966

आईएमआईएस पर दिनांक 17.11.2012 तक की स्थिति के अनुसार दी गई जानकारी

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत अथशेष, आवंटन, रिलीज और व्यय (करोड़ रु. में)

		2009-10				2010-11				2011-12				2012-13			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	4.05	437.09	537.37	394.45	149.79	491.02	558.74	423.38	285.20	546.32	462.47	446.37	301.30	563.39	238.03	266.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.47	180.00	178.20	193.80	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31	10.09	143.51	66.18	34.31
3.	असम	4.85	301.60	323.50	269.34	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61	127.51	510.96	266.72	267.74
4.	बिहार	668.94	372.21	186.11	279.36	578.10	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	367.30	285.65	449.36	120.39	172.25
5.	छत्तीसगढ़	27.59	116.01	128.22	104.06	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	143.57	139.06	141.12	80.82	145.01	64.50	62.34
6.	गोवा	0.00	5.64	3.32	0.50	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.20	5.01	1.16	5.91	6.07	0.03	0.00
7.	गुजरात	92.11	482.75	482.75	511.83	70.10	542.67	609.10	527.29	180.09	478.89	571.05	467.70	327.59	537.10	381.62	399.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	हरियाणा	0.00	207.89	206.89	132.35	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71	43.98	245.78	230.95	115.21
9.	हिमाचल प्रदेश	8.31	138.52	182.85	160.03	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97	61.94	152.04	25.93	52.74
10.	जम्मू और कश्मीर	239.56	447.74	402.51	383.49	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07	147.04	510.76	233.82	203.15
11.	झारखंड	64.94	149.29	111.34	86.04	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84	74.31	189.51	85.66	52.08
12.	कर्नाटक	32.05	573.67	627.86	473.71	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	687.11	667.78	782.85	213.14	681.57	587.24	222.31
13.	केरल	1.36	152.77	151.89	150.56	4.15	144.28	159.83	137.97	27.84	144.43	113.39	126.98	16.08	168.89	82.05	61.26
14.	मध्य प्रदेश	107.42	367.66	379.66	354.30	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.97	292.78	379.30	35.82	438.41	202.90	166.23
15.	महाराष्ट्र	204.24	652.43	647.81	625.59	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.20	320.10	783.66	474.42	179.31
16.	मणिपुर	16.70	61.60	38.57	30.17	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03	9.29	63.72	27.33	1.03
17.	मेघालय	0.62	70.40	79.40	68.57	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44	36.83	73.35	33.61	28.03
18.	मिजोरम	17.43	50.40	55.26	51.11	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03	9.74	41.66	19.26	17.95
19.	नागालैंड	29.61	52.00	47.06	71.58	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82	1.10	60.42	28.35	23.44
20.	ओडिशा	22.85	187.13	226.66	198.87	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.60	84.34	238.58	104.35	70.09
21.	पंजाब	19.18	81.17	88.81	110.15	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32	3.00	90.33	83.36	30.96
22.	राजस्थान	3.88	1036.46	1012.16	671.29	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18	319.68	1340.44	626.96	282.08
23.	सिक्किम	9.92	21.60	20.60	28.94	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49	49.71	18.03	8.38	8.34
24.	तमिलनाडु	57.24	320.43	317.95	370.44	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.60	240.27	294.33	144.60	279.47
25.	त्रिपुरा	18.92	62.40	77.40	77.35	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39	4.01	64.28	28.90	28.29
26.	उत्तर प्रदेश	173.71	959.12	956.36	967.38	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.30	802.32	754.20	159.90	878.77	390.94	282.00
27.	उत्तराखंड	42.77	126.16	124.90	67.24	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65	141.74	158.40	3.78	62.43
28.	पश्चिम बंगाल	69.20	372.29	394.30	87.76	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41	265.96	462.27	143.96	179.64
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	1.15	0.58	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़					0.00	0.40			0.00	0.00	0.00		0.00	1.75	0.00	0.00
	कुल	1967.92	7986.43	7989.72	6920.26	3043.88	8550.00	8941.81	8078.18	3901.61	8330.00	8474.02	9079.65	3376.85	9313.50	4664.80	3548.12

आईएमआईएस पर दिनांक 17.11.2012 तक की स्थिति के अनुसार दी गई जानकारी

जलगांव में रेलगाड़ियों का ठहराव

168. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कितनी रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किया गया है;

(ख) ऐसी रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष में महाराष्ट्र के कौन-कौन से रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में स्वीकृति मिली है और कितने रेल उपरिपुलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जलगांव में स्थिति स्टेशनों पर 8 जोड़ी गाड़ियों का प्रयोगात्मक रूप से ठहराव मुहैया कराया गया। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. 15.08.2010 से जलगांव स्टेशन पर 12779/12780 वास्को-डी-गामा-निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस।
2. 15.03.2011 से जलगांव स्टेशन पर 12715/12716 हजूर साहिब नांदेड-अमृतसर एक्सप्रेस।
3. 15.03.2011 से जलगांव स्टेशन पर 12859/12860 हावड़ा-मुंबई सीएसटी गीतांजली एक्सप्रेस।
4. 15.08.2010 से बोदवाड स्टेशन पर 18029/18030 लोकमान्य तिलक (टी)-शालीमार एक्सप्रेस।
5. 15.08.2010 से बोदवाड स्टेशन पर 59025/59026 सूरत-अमरावती फास्ट पैसेंजर।
6. 01.07.2012 से चालीसगांव स्टेशन पर 11025/11026 भुसावल-पुणे एक्सप्रेस।
7. 01.07.2012 से पचोरा स्टेशन पर 11025/11026 भुसावल-पुणे एक्सप्रेस।
8. 15.09.2012 से रावर स्टेशन पर 11071/11072 लोकमान्य तिलक (टी)-वाराणसी कामायनी एक्सप्रेस।

(ग) (i) इस समय, स्टेशन का उन्नयन आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जाता है। अहमदनगर, अजनी, अमालनेर, अंबरनाथ, अंधेरी, बांद्रा, बेलापुर, बंधुप, भयंदर, बोरिवली, चरनी रोड, चेम्बूर, चिंचवाड, चर्चगेट, करी रोड, दादर (सीआर), दादर (डब्ल्यू आर), दहानु रोड, दहीसर, देवलाली, दीवा, डाकयार्ड, दोमबीवली, गंगाखेड़, घाटकोपर, गोरेगांव, हिंगोली, जलगांव, जलना, जयसिंहपुर, कलमेश्वर, कमप्टी, कनडिवली, करजात, कसारा, काटोल, खड़की, खोपोली, किंगस सर्कल, कोपरगांव, कुर्ला, लातूर, लोवर पारेल, मलाड, मल्कापुर, मरीन लाइन, मटुंगा, मीरा रोड, मिराज, मुलतई, मुलंद, मुम्बई सेन्ट्रल (लोकल), नगरसोल, नाहुर, नाईगांव, नंदुरा, नंदुरबार, नारखेड़, नासिक रोड, पंधुरना, पनवेल, परभानी, पारली वैजनाथ, पोकरनी नरसिम्हा, पुनतम्बा, पुरना, रामटेक, सांगली, सनपाडा, सांताक्रुज, साफले, सेवरी, शिरडी, शिवाजीनगर, शोलापुर, तिलकनगर, तरभे, उदगीर, उल्लासनगर, उमरेर, वनगांव, वरनगांव, वाशी, विरार, विश्रामबाग और वर्धा स्टेशनों को आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है।

(ii) महाराष्ट्र पर 46 रेल ऊपरी पुल के निर्माण को चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

प्रमाणित खादी

169. श्री शिवराम गौडा: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल उन्हीं लोगों को खादी बेचने की अनुमति है जिन्होंने अपने आपको खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) से प्रमाणित कराया हुआ है/मान्यता प्राप्त की हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई निजी एजेंसियां व्यवसायी 40 प्रतिशत छूट देकर अप्रमाणित खादी बेच रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके कारण क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): *(क) से (च) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) उन खादी संस्थाओं को खादी प्रमाणपत्र प्रदान करता है जो निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं और उसके बाद वे केवीआईसी की विभिन्न स्कीमों के तहत इससे सहायता प्राप्त

करने की पात्र बन जाती है। केवीआईसी और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) द्वारा प्रमाणित खादी संस्थाओं द्वारा नकली खादी की बिक्री किए जाने के संबंध में पता चलने पर नियमानुसार नियमित आधार पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई में प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण और सहायता रोकना शामिल है।

खादी को केवीआईसी अधिनियम, 1956 में परिभाषित किया गया है। अब बाजार में बेची जानेवाली खादी के असली होने की गारंटी के लिए खादी की अलग पहचान 'खादी मार्क' की परिकल्पना की गई है।

प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता

170. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हालिया जनगणना यह दर्शाती है कि 2001 में परिवारों की संख्या 24.1 करोड़ से बढ़कर 2011 में 33.1 करोड़ होने के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) संपूर्ण देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में जनसंख्या में वृद्धि के कारण लगातार कमी आ रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए देश में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1816 घन मीटर थी जो 2011 की जनगणना के अनुसार कम होकर 1545 घन मीटर रह गई।

(ग) जन संसाधनों की सततता सुनिश्चित करने के लिए संवर्धन, संरक्षण एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास एवं प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देती हैं भारत सरकार ने "जल संरक्षण, अपशिष्ट जल में कमी लाने और एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बीच एवं राज्यों में जल का और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने" के मुख्य उद्देश्य से राष्ट्रीय जल मिशन भी शुरू किया है।

मुसलमानों की स्थिति में अंतर

171. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच्चर समिति की रिपार्ट में यह चिंता व्यक्त की गई है कि हालांकि राज्यों में मुसलमानों की स्थिति में काफी अंतर है तथापि यह समुदाय सभी प्रकार के विकास में पिछड़ा हुआ और वंचित दिखता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मुसलमानों की खराब स्थिति वाले राज्यों में उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही है; और

(ग) सरकार सच्चर समिति की सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) सच्चर समिति की रिपोर्ट में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में मुस्लिम समुदाय को विकास में पिछड़ा हुआ दर्शाया गया है।

(ख) मुस्लिमों सहित अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की दशा में सुधार लाने के लिए सरकार ने दो प्रमुख पहले की हैं:

(i) सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई; और

(ii) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(ग) सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

---

* दिनांक 22.11.2012 के वाद-विवाद के अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के भाग (क) से (च) में बाद में 20.12.2012 को सभा में दिए गए शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से सुधार किया गया और तद्नुसार उत्तर में निम्नानुसार शुद्धि की गई:

(क) से (च) महोदया, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा उन संस्थाओं को खादी प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं जो निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर केवीआईसी से इसकी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाती है। प्रमाणित संस्थाएं केवीआईसी अधिनियम में परिभाषित खादी की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत हैं। जब कभी भी उल्लंघन के मामले ध्यान में आते हैं तो केवीआईसी एवं खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) द्वारा प्रमाणित खादी संस्थाओं द्वारा नकली खादी की बिक्री के संबंध में सतत आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इस बारे में की जाने वाली कार्रवाई में प्रमाणपत्र को निरस्त करना और सहायता को बंद करना शामिल है।

केवीआईसी/केवीआईबी द्वारा प्रमाणित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के अलावा अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा खादी को बेचने पर कोई रोक नहीं है। केवीआईसी का उन पर कोई न्यायाधिकार नहीं है। तथापि, अब बाजार में बेची जाने वाली खादी की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए खादी हेतु 'खादी मार्क' नामक एक विशिष्ट पहचान की परिकल्पना की गई है।

विवरण

सच्चर समिति की प्रमुख अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वियन की स्थिति

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया था:–

1. वित्तीय सेवा विभाग:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अधिक शाखाएं खोलें। वर्ष 2007-08 में ऐसे जिलों में 523 शाखाएं तथा वर्ष 2008-09 में 537 नई शाखाएं खोली गयी। वर्ष 2009-10 में 743 नई शाखाएं और वर्ष 2010-11 में 814 नई शाखाएं खोली गयी। 2011-12 के दौरान 31 मार्च, 2012 तक 1098 शाखाएं खोली गई हैं। वर्ष 2007-08 से अब तक कुल 5954 शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी अपने मास्टर सर्कुलर को 2 जुलाई, 2012 को संशोधित किया है। दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार रु. 164748.42 करोड़ की ऋण सुविधाएं अल्पसंख्यकों को प्रदान की गईं, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 14.55% है।

(iii) महिलाओं में लघु वित्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 5,55,563 खाते खोले गए तथा वर्ष 2011-12 (मार्च, 2012 तक) में उन्हें रुपये 6582.22 करोड़ का लघु ऋण दिया गया।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में मार्च, 2012 तक ऐसे क्षेत्रों में 6912 जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया।

(v) प्रमुख बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में मार्च, 2012 तक 4095 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या 58106 है।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय:

सच्चर समिति द्वारा यथा इंगित मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु एक बहु-आयामी कार्यनीति, जैसा नीचे दिया गया है, अपनाई गई है–

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदंड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राष्ट्रीय औसत से नीचे के महिला साक्षरता वाले शहरी क्षेत्रों को योजना में शामिल किया या सके। योजना के अंतर्गत, अब तक अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 450 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए गए हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान मार्च, 2012 तक अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 75 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किये गये हैं।

(ख) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोले जाने को वरीयता दी जानी है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे योजना के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना/स्कूलों के उन्नयन को प्राथमिकता दें। वर्ष 2011-12 में मार्च, 2012 तक 356 नए माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं।

(ग) देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में एक-एक मॉडल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में से 67 जिले अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हैं। 11वीं योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 14 मॉडल कॉलेजों की स्वीकृति प्रदान की गई है और रुपये 2.67 करोड़ की राशि निर्गत की गई है।

(घ) सब-मिशन ऑफ पालीटेक्निक्स योजना के तहत अन-सर्व्ड और अन्डर-सर्व्ड जिलों में पालीटेक्निक्स स्थापित किए जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 57 ज़िले विचारार्थ पात्र हैं। अब तक अल्पसंख्यक बहुल 48 जिलों को पालीटेक्निक्स की स्थापना के लिए शामिल किया गया है और मार्च, 2012 तक रुपये 254.66 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी है।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम बहुल जिलों/ब्लॉकों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक बालिका छात्रावासों के प्रावधान को वरीयता दी जाती हैं यूजीसी ने 11वीं योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों/क्षेत्रों में 285 महिला छात्रावासों

की स्वीकृति प्रदान की है तथा मार्च, 2012 तक 203.69 करोड़ रुपये की राशि अवमुक्त की है।

(च) क्षेत्र उन्मुख और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर दो योजनाओं में बांटा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए रुपये 325 करोड़ के आवंटन के साथ मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने तथा पुस्तकों, शिक्षण सहायता और कम्प्यूटरों के लिए अधिक सहायता प्रदान करने और व्यावसायिक विषयों की शुरुआत करने जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल हैं। कुल रुपये 150 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान रुपये 139.53 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी है। दूसरी योजना, सहायता-प्राप्त/सहायता-रहित निजी अल्पसंख्यकों के संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी है, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए रुपये 125 करोड़ के आवंटन के साथ शुरू किया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान रुपये 50.00 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में 259 संस्थानों को रुपये 48.43 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी है।

(छ) उच्चत्तर शिक्षा सुलभ कराने की दृष्टि से राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा, जिनके प्रमाण-पत्रों और अर्हताओं को संबद्ध राज्य बोर्डों द्वारा समकक्ष माना गया है, जारी प्रमाण-पत्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) अथवा/और किसी अन्य स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा समकक्ष माना जाएगा।

(ज) तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु अकादमी खोली गई हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यशालाओं में 5092 उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

(झ) संशोधित योजना के तहत ऐसे किसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की आबादी 25% से अधिक हो। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढांचे पर आधारित होगी। अंशकालिक उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी स्वीकार्य है।

(ञ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है। 410 पात्र जिलों में 372 जिलों में, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत या इससे नीचे है। साक्षर भारत के अंतर्गत 88 मुस्लिम बहुल जिलों में से 61 जिलों को शामिल किया गया।

(ट) संशोधित योजनाओं में जन शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में देश में मुस्लिम बहुल 88 जिलों में से 33 जिलों में जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्षिण दिया जा रहा है।

(ठ) वर्ष 2008-09 से देश के सभी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना को विस्तार दिया गया है तथा इसमें उच्चतर प्राइमरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम बहुल ब्लॉकों को योजना के तहत शामिल किया जा रहा है।

(ड) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को विद्यमान स्कूल भवनों और सामुदायिक भवनों को स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाने की सलाह दी गई है।

(ढ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। 16 राज्यों ने इसके अनुसार अपने पाठ्यक्रमों को संशोधित कर लिया है, जबकि 5 राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं ओर 11 राज्य एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करते हैं। 3 संघ राज्यक्षेत्र ने पड़ोसी राज्यों के पाठ्यक्रमों का अनुसरण किया है।

(ण) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन हेतु 35 विश्वविद्यालयों ने अध्ययन केन्द्र की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के दौरान 51 विश्वविद्यालयों में 1280 समान अवसर केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2010-11 और 2011-12 में क्रमशः 1345 और 1367 ऐसे केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है।

3. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयः

(क) समान अवसर आयोग की कार्य प्रणाली और संरचना संबंधी अध्ययन और अनुशंसा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंपी। असमानता सूचकांक की अवधारणा के समान अवसर आयोग में शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को छोड़कर सभी मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। समान अवसर आयोग के कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र के बारे में अंतिम राय बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों से परामर्श किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) वक्फ अधिनिमय, 1995 में संशोधन करने का विधेयक 27 अप्रैल, 2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और यह 7 मई, 2010 को पारित हुआ। इसके बाद इसे राज्य सभा को भेजा गया। यह विधेयक राज्य सभा की चयन समिति के पास भेजा गया। चयन समिति की कई बैठकें आयोजित हुईं। चयन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वक्फ संशोधन विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इसकी पुनरीक्षा कर ली गयी है। सभी मंत्रालयों/विभागों को मसौदा संशोधन विधेयक पर उनका अभिमत प्राप्त करने के लिए मसौदा मंत्रिमंडल नोट परिचालित किया जाएगा। प्रस्तावित वक्फ अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वक्फ नियम बनाए जाएंगे।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की पुनर्संरचना को "सिद्धान्ततः" स्वीकृति प्रदान कर दी है। एनएमडीएफसी की पुनर्संरचना संबंधी ब्यौरे तैयार करने हेतु एक कंसल्टेन्सी फर्म को नियुक्त किया गया। फर्म ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी मंत्रालय में जांच की गई। एनएमडीएफसी की पुनर्संरचना को अंतिम रूप देने के लिए सचिव (अ.का.) की अध्यक्षता में वित्त सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक ओर एनएबीएडी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित कर दी गई है। उच्च स्तरीय समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) अल्पसंख्यक बहुल चिह्नित 338 नगरों के समग्र विकास हेतु उपयुक्त कार्यनीति और कार्ययोजना तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीन कार्य दल द्वारा 08 नवम्बर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इन 338 नगरों में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ङ) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः—पहली से दसवीं कक्षा के लिए *मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना*, 11वीं से पीएचडी तक की शिक्षा के लिए *मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना* और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन-*आधारित छात्रवृत्ति योजना* शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2011-12 में दिनांक 31 मार्च, 2012 तक अल्पसंख्यक समुदाय के 62.72 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए रुपये 1094.94 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम.फिल और पीएचडी के छात्रों के लिए *मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति* नामक योजना भी कार्यान्वयनाधीन रही। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 756 अध्येतावृत्तियां और 3778 अध्येतावृत्ति नवीकरण के मामले स्वीकृत किए गए हैं और मार्च, 2012 तक रुपये 51.98 करोड़ की वित्तीय सहायता निर्मुक्त की गयी है। वर्ष 2012-13 के दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 26 मई 2012 तक 312.22 करोड़ रुपये की निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

(च) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की रुपये 100 करोड़ की संचित निधि को दिसम्बर, 2006 में दूना बढ़ाकर रुपये 200 करोड़ कर दिया गया था। संचित निधि में 11वीं योजना अवधि के दौरान वृद्धि कर रुपये 750 करोड़ कर दिया गया था। प्रतिष्ठान की योजनाओं के तहत वर्ष 2007-08 से 419 गैर-सरकारी संगठनों को शैक्षिक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए सहायता-अनुदान प्रदान किया गया तथा 11वीं और 12वीं कक्षा की मेधावी छात्राओं को 48471 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

(छ) वर्ष 2006-07 में संशोधित कोचिंग एंव संबद्ध योजना की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2011-12 के लिए 6000 अभ्यर्थियों को कोचिंग देने के लक्ष्य की तुलना में अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध 7830 छात्रों/अभ्यर्थियों को कोचिंग देने हेतु वित्तीय सहायता दी गयी। कुल रुपये 16.00 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में दिनांक 31.03.2012 तक रुपये 15.98 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गयी। चालू वर्ष अर्थात् 2012-13 के दौरान, 20.9.2012 तक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 1206

छात्र/अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के अंतर्गत 3.12 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

(ज) वर्ष 2008-09 में अल्पसंख्यक बहुल 90 चिह्नित जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। योजना की शुरुआत से 31 मार्च, 2012 तक राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को रुपये 3733.90 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई और रुपये 2941.60 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई।

वर्ष 2012-13 के दौरान, रुपये 245.00 करोड़ की योजनाएं अनुमोदित की गई हैं और 30.9.2012 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को रुपये 119.79 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और पात्र क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम को विस्तार करने में तेजी लाने हेतु कार्यक्रम की पुनर्संरचना का भी प्रस्ताव है। इसके लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को देय वित्त समिति हेतु एक ज्ञापन परिचालित किया गया है।

4. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय:

राष्ट्रीय डाटा बैंक को प्रारंभ में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए एक कम्प्यूटर केंद्र दिया गया था। अब इसे जरूरी आईटी बैक-अप प्रदान करके कम्प्यूटर केंद्र के साथ सीएसओ के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग को अंतरित कर दिया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्रमुख योजनाओं के कुछ आंकड़े प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों को पत्र लिखे हैं। सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के बारे में राष्ट्रीय डाटा बैंक को और अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले कदम के रूप में, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम तथा रोजगार से संबंधित आंकड़ा तालिका चिह्नित की गई है। जनसंख्या के बारे में 37 तालिकाओं का पहला सेट (जनगणना 2011 और जनगणना 2001) को "राष्ट्रीय डाटा बैंक" लिंक के अंतर्गत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

5. योजना आयोग:

(क) उचित एवं सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु योजना आयोग में स्वायत्त आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया गया है। चूंकि दिनांक 15 जनवरी, 2011 को आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए योजना आयोग ने आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और नवपुनर्गठित आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण ने कुछ बैठकें आयोजित की हैं।

(ख) योजना आयोग में कौशल विकास कार्य में तेजी लाने के लिए एक विस्तृत सांस्थानिक तंत्र स्थापित किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों सहित देश भर के कौशल विकास से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसमें शामिल हैं-*नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।*

6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग:

(क) सरकारी कर्मचारियों की जानकारी हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया गया है। ये माड्यूल प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को भेजे गये हैं।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिक तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता और शिक्षकों की तैनाती करें। गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी दिशा-निर्देश जारी कर राज्यों/संघ राज्यों से ऐसी हीं कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

7. गृह मंत्रालय:

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कार्यकारी समूह द्वारा "साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निवारण (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2011" शीर्षक से विधेयक का प्रारूप तैयार किया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा विधेयक को दिनांक 25.7.2011 को गृह मंत्रालय को भेजा गया है। गृह मंत्रालय द्वारा विधेयक के प्रारूप की समीक्षा की जा रही है।

9. शहरी विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय:

(क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अल्पसंख्यक बहुल नगरों और शहरों में धनराशि के प्रवाह के आवश्यक उपाय

किए गए हैं, ताकि ऐसे नगरों से संबंधित *विस्तृत परियोजना रिपोर्ट* में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हों। 2011-12 के दौरान प्रगति निम्नानुसार है-

(i) यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल 88 नगरों के लिए रुपये 2672.34 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

(ii) आईएचएसडीपी के तहत रुपये 1962.34 करोड़ लागत की परियोजनायें अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 102 नगरों के लिए हैं।

(iii) बी.एस.यू.पी. के तहत 17 नगरों के लिए रुपये 30094.92 करोड़ की कुल परियोजना लागत में से रुपये 7174.67 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

(iv) यूआईजी के अंतर्गत 17 नगरों के लिए 9248.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षदीप, पुदुचेरी और केरल राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्तियों पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्य में वक्फ परिसंपत्ति नहीं है।

9. श्रम और रोजगार मंत्रालय:

असंगठित क्षेत्र में, जिसमें अन्य के साथ-साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है।

10. संस्कृति मंत्रालय:

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले वक्फों की सूची की समीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिमंडलों की राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित की गयी हैं।

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय:

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार-प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

12. पंचायती राज/शहरी विकास मंत्रालय:

पंचायती राज मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुधारने का परामर्श दिया गया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों से प्रत्युत्तर प्राप्त हो चुके हैं। उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप ने यह उल्लेख किया है कि जिला और पंचायत स्तर पर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान मौजूद है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने भी यह बताया है कि मुस्लिमों को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक मानने पर पंचायती राज संस्थानों के चुने गए 876 प्रतिनिधियों में से 69 मुस्लिम हैं। हिमाचल प्रदेश और ओडिशा ने बताया कि वे मामले पर विचार कर रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि पंजाब पंचायती राज अधिनियम को संघ क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है और धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक सदस्यों के लिए मध्यवर्ती और जिला पंचायत में सहयोजन का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली ने बताया कि पंचायती राज संस्थानों को 1990 में प्रलंबित कर दिया गया था और इसे अब तक फिर से पुनर्जीवित नहीं किया गया है, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अरुणाचल प्रदेश ने बताया कि यह राज्य एक जनजातीय राज्य है और सभी जनजातियों को पंचायती राज संस्थान में विधिवत प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व उसी तरह सुधारें जिस तरह से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पहल की गई थी। शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि 30 सितंबर, 2011 तक हरियाणा सरकार ने सुझावों का पहले ही कार्यान्वयन कर दिया है। केरल सरकार में अल्पसंख्यकों का स्थानीय स्वशासन संस्थानों/निकायों में भरपूर प्रतिनिधित्व है, लक्षद्वीप में स्थानीय स्वशासन के सभी चुने गए सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है। पश्चिम बंगाल ने यह सूचना दी है कि 126 शहरी स्थानीय निकायों में से 84 शहरी स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और शेष 42 शहरी स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों को शीघ्र ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने उल्लेख किया है कि शहरी क्षेत्रों में मुस्लिमों की संख्या काफी कम है और यह उन्हें स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

13. सूचना और प्रसारण मंत्रालय:

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर वृत्त-चित्र जारी किए जाते रहे हैं। इन वृत्त-चित्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं तथा सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसरण में की गई क्षेत्र संबंधी पहलों से संबंधित जानकारी शामिल की गयी है।

राष्ट्रीय रेल परियोजनाएं

172. श्री एम. आनंदन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय रेल परियोजनाओं के रूप में स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित और व्यय की गई राशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) देश की राष्ट्रीय परियोजनाएं, पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आबंटित धन और उन पर किया गया व्यय तथा उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बजट परिव्यय	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किया गया व्यय (अक्तूबर, 2012 तक)	स्थिति
1	2	3	4	5
नई लाइन				
1.	कुमारघाट से अगरतला (109 किमी)	22.19	22.39	अक्तूबर, 2008 में यातायात के लिए खोल दिया गया है।
2.	जीरीबाम से इंफाल (तुपुल) तक नई लाइन (84 किमी)	994.25	903.61	मिट्टी संबंधी, संरचना, छोटे एवं बड़े पुलों का कार्य शुरू कर दिया गया है। 35 से 18 सुरंगों में कार्य शुरू हो गया है। जीरीबाम-तुपुल को मार्च, 2015 तक और तुपुल-इंफाल को मार्च, 2017 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
3.	उत्तरी और दक्षिण तट संबंधी लाइन के बीच संपर्क लाइनों के साथ बोगीबील के नजदीक ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल-सह-सड़क पुल (73 किमी)	1062.66	998.95	पुल के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर तटबंध, बड़े और छोटे पुल का कार्य समाप्त हो गया है। दक्षिणी किनारे पर मोरनहाट-चलखोवा (44 किमी) का कार्य समाप्त हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। मुख्य पुल अधिसंरचना के लिए ठेका दे दिया गया है। लक्ष्य-दिसंबर, 2015
4.	अजरा-बिरनीहाट के बदले टेटेलियार से बिरनीहाट (21.50 किमी)	160.90	116.09	टेटेलिया-बिरनीहाट की अजरा-बिरनीहाट के एक वैकल्पिक सरेखण के रूप में जांच की गई थी। असम हिस्से में संपूर्ण भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है। लक्ष्य-मार्च, 2014
5.	दीमापुर-जुब्जा (88 किमी)	7.50	4.51	संपूर्ण लंबाई में अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस भाग के सरेखण का अनुमोदन राज्य सरकार के पास लंबित है।

1	2	3	4	5
6.	अगरतला-सबरूम (111.81 किमी)	492.50	424.42	संपूर्ण खंड में भूमि अधिगृहण, मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है। लक्ष्य-अगरतला-उदयपुरा: दिसंबर, 2012 और उदयपुरा-सबरूम मार्च, 2014
7.	भैराबी-सैरंग (51.38 किमी)	24.50	14.20	संपूर्ण लंबाई में भूमि के सरेखण सहित अंतिम स्थान सर्वेक्षण समाप्त हो गया है। लक्ष्य-मार्च, 2015
8.	सीवोक-रंगपो (44.39 किमी)	62.25	52.25	इस परियोजना को कार्य निष्पादन हेतु इरकॉन को सौंपा गया है। परियोजना का कार्य पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस के लिए रुका हुआ है।
9.	बिरनीहाट-शिलांग से नई बला लाइन (108.4 किमी)	4.05	1.55	बिरनीहाट से लैलाड (20 किमी) तक अंतिम स्थान सर्वेक्षण समाप्त हो गया है। लंबित मांगों के कारण खासी स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा कार्य को नवंबर, 2012 में रोक दिया गया। राज्य सरकार द्वारा मामले का समाधान किया जा रहा है।
10.	उधमपुर-श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना	3980.35	2965.90	काजीगुंड-बारामुला (119 किमी) का कार्य समाप्त हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। उधमपुर-कटरा (25 किमी) एवं काजीगुंड-बनिहाल (19 किमी) को 2012-13 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। शेष खंडों को दिसंबर, 2017 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
आमान परिवर्तन				
1.	लम्डिंग-सिल्चर-जीरीबाम, बदरपुर से बराईग्राम एवं बराईग्राम से कुमारघाट (377.56 किमी) और बराईग्राम-दुल्लाबचेरा (29.4 किमी) के आमान परिवर्तन के लिए सामग्री आशोधन, करीमगंज-मैशसन (10.3 किमी) और करीमगंज बाईपास लाइन (3 किमी) (कुल 420.26 किमी)	1366.89	1183.05	आतंकवादी गतिविधियों के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई थी। पूरे सरेखण पर मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और सुरंग संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है। लक्ष्य—दिसंबर, 2014
2.	संपर्क शाखाओं सहित रांगिया-मुर्कोंगसेलेक (511.88 किमी)	1076.61	1076.51	संपूर्ण खंड के लिए मैगा ब्लॉक का कार्य शुरू हो गया है। रांगिया-रंगपाड़ा उत्तरी सेक्शन पूरा हो गया है और यातायात चालू है। रंगपाड़ा नार्थ-नार्थ लखीमपुर (172 किमी) और बालीपाड़ा-भलुकपोंग को (34 किमी) मार्च, 2013 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र की राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए निरंतर धन मुहैया कराना सुनिश्चित करने के लिए "नार्थ-ईस्टर्न रीजन रेल डेवलपमेंट फंड" के नाम से एक समर्पित गैर-व्यपगत वाली निधि का सृजन किया गया है।

रेल संरक्षा समीक्षा समिति

173. श्री नवीन जिन्दल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक उच्च स्तरीय रेल संरक्षा समिति ने रेलवे संरक्षा प्राधिकरण की स्थापना तथा गैर-व्यपगत रेल सुरक्षा निधि के सृजन आदि सहित विभिन्न उपायों की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा स्वीकृत सिफारिशों में से प्रत्येक पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे कर्मचारियों, यात्रियों, माल तथा रेलवे स्टेशनों आरओबी, आरयूबी आदि की सुरक्षा बढ़ाने वाले उपाय करने की धीमी गति के मुख्य कारणों में धन की कमी एक प्रमुख कारण है; और

(च) यदि हां, तो रेलवे सुरक्षा में सुधार करने के लिए निधियों का सृजन करने हेतु रेलवे द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी हां।

(ख) देश में गाड़ी सेवाओं के सुरक्षित चालन के संबंध में सभी तकनीकी और प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं के बारे में डॉ. अनिल काकोदकर, पूर्व अध्यक्ष, आण्विक ऊर्जा आयोग की अध्यक्षता में 16.09.2011 को रेल मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय संरक्षा समीक्षा समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 17.02.2012 को अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है। काकोदकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में 106 सिफारिशें की हैं जिनमें निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है: संरक्षा संबंधी सामान्य मामले, संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली के स्तर पर शक्तियां प्रदान करना, संरक्षा संबंधी कार्य एवं मामले, महत्त्वपूर्ण संरक्षा कोटियों में रिक्तियां, जनशक्ति योजना संबंधी मामले, महत्त्वपूर्ण संरक्षा कलपुर्जों की कमी, बाह्य हस्तक्षेप-अतिक्रमण एवं तोड़-फोड़, सिगनल, दूरसंचार एवं गाड़ी सुरक्षा, चल स्टॉक, रेलपथ, पुल, समपार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर जोर देते हुए मानव संसाधन विकास, भारतीय रेलों पर प्रशिक्षण संस्थान और भारतीय रेलों पर पर्यावरण अनुकूल प्रणाली तथा भारतीय रेलों पर संरक्षा संबंधी वास्तुकला।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) समिति की सिफारिशों की जांच हो जाने और स्वीकार हो जाने के बाद उनके कार्यान्वयन पर निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। बहरहाल, रेलों द्वारा संरक्षा को हमेशा ही उच्चतर प्राथमिकता दी जाती है। संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर कुल व्यय उत्तरोतर 2009-10 में 30,656 करोड़ रुपये से बढ़कर 2012-13 में 38,762 करोड़ रुपये (बीजी) हो गया है। संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्व सृजन बढ़ाने हेतु हाल ही में रेलों द्वारा मालभाड़े एवं किराए की दरों को युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ कई उपाय किए गए हैं।

सेवानिवृत्ति पश्चात् नियोजन

174. श्री पी. कुमार: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के प्रमुखों को सेवानिवृत्ति पश्चात् नियोजन संबंधी सरकारी नियमों का पालन करने के लिए बंधपत्र/वचनपत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कई सेवानिवृत्त अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद, निजी कंपनियों मे सेवा ग्रहण करते हुए उक्त नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 15 मई, 2008 को अनुदेश जारी किया था जिसमें सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से यह अनुरोध किया गया था कि वे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में

संबंधित व्यक्ति से निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के समय सेवानिवृत्ति पश्चात् रोजगार के संबंध में प्रतिबंधों के उल्लंघन से हुई किसी प्रकार की हानि के एवज में उनके द्वारा देय एक उचित धनराशि का बांड लें। इसके बाद लोक उद्यम विभाग ने 8 अगस्त, 2012 के अनुदेश में सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों/प्रबंध निदेशकों (एमडी)/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों द्वारा भरे जाने वाले मॉडल बांड का उल्लेख किया है। उपर्युक्त मॉडल बांड में अन्य बातों के साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि उस मामले में जब केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कोई पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक/प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सेवानिवृत्ति पश्चात् रोजगार संबंधित निर्धारित प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं करता तो उसे पिछले छह माह की अवधि के दौरान आहरित मूलवेतन के बराबर या 10 लाख रुपये जो भी अधिक हो का भुगतान करना पड़ेगा।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के उच्च स्तरीय कार्यपालकों को सेवानिवृत्ति पश्चात् रोजगार स्वीकार करने हेतु अनुमति प्रदान करने के प्रस्तावों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचार किया जाता है एवं निर्णय लिए जाते हैं सरकार द्वारा बांड लेने और वित्तीय जुर्माने के भुगतान करने हेतु पहले से ही अनुदेश जारी किए गए हैं यदि कोई पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक/प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सेवानिवृत्ति पश्चात् रोजगार संबंधित निर्धारित प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं करता।

[हिन्दी]

जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि

175. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र में जीवनरक्षक दवाओं का विनिर्माण करने वाली देशी भारतीय कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि का वर्ष-वार, ब्रांड-वार और दवा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी दवाओं की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन दवाओं की आपूर्ति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निर्मल भारत अभियान की प्रगति

176. **कुमारी मौसम नूर:** क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मालदा जिले सहित पश्चिम बंगाल में निर्मल भारत अभियान की वास्तविक और वित्तीय प्रगति क्या है;

(ख) क्या परियोजना उद्देश्यों तथा वास्तविक निष्पादन में कोई कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित निधियों को जारी करने में कोई देरी की गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) पश्चिम बंगाल में निर्मल भारत अभियान की वास्तविक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है:

(i) वास्तविक प्रगति

घटक	परियोजना का उद्देश्य	परियोजना का निष्पादन	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4
आईएचएचएल*बीपीएल**	6619158	5601765	84.63
आईएचएचएल*एपीएल***	4997498	2796845	55.96

1	2	3	4
आईएचएचएल*कुल	11616656	8398610	72.30
स्कूल में शौचालय	134081	109958	82.01
स्वच्छता परिसर	1140	1052	92.28
आंगनवाड़ियों में शौचालय	84168	39011	46.35

* आईएचएचएल : वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय

** बीपीएल : गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले

*** एपीएल : गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले

(ii) वित्तीय प्रगति

(निधियां लाख रुपए में)

अंश	अनुमोदित राशि	रिलीज की गई राशि	खर्च की गई राशि
भारत सरकार	111799.51	65937.91	49645.9
राज्य सरकार	43820.36	19561.67	17548.98
लाभार्थी	18528.07	32149.15	31851.91
कुल	174147.94	117648.73	99046.79

मालदा जिले सहित जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) जी हां। एपीएल परिवारों के लिए और आंगनवाड़ियों में शौचालयों के निर्माण में कमी रही है, जिनमें उपलब्धि क्रमशः 55.96 प्रतिशत और 46.35 प्रतिशत है।

(ग) पहले एपीएल परिवारों के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं था। एक आंगनवाड़ी में शौचालय की अनुमोदित लागत भी कम थी।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की प्रगति में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान में आमूल-चूल बदलाव किया है, जिसका नाम अब 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्मल भारत अभियान हो गया है। निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य संपूर्ण समुदायों में चरणबद्ध रूप से और सैचुरेशन मोड में स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान करके व्यवहार में स्थायी बदलाव लाना है, जिसका परिणाम 'निर्मल ग्रामों' के रूप में सामने आएगा। नई कार्य नीति का उद्देश्य समुदाय सैचुरेशन एप्रोच अपनाकर ग्रामीण भारत को 'निर्मल भारत' बनाना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के साथ-साथ गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांगों ओर महिला प्रमुखों के सभी परिवारों को शामिल करने के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन के प्रावधानों को व्यापक बनाया गया है। निर्मल भारत अभियान के तहत सभी पात्र लाभार्थियों हेतु शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि को 3200 रुपए से बढ़ाकर 4600 रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अधिकतम 4500 रुपए भी दिए जाने की अनुमति है और लाभार्थी के 900 रुपए के योगदान से अब 1 शौचालय के निर्माण की कुल लागत 10,000 रुपए हो गई है। आंगनवाड़ी में एक शौचालय की लागत 1.04.2010 से 5,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए (पर्वतीय और कठिन क्षेत्रों में 10,000 रुपए) कर दी गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार प्रतिशतवार निष्पादन

क्र.सं.	राज्य	आईएचएचएल बीपीएल			आईएचएचएल एपीएल			आईएचएचएल कुल			स्वच्छता परिसर			स्कूलों में शौचालय			आंगनवाड़ियों में शौचालय		
		अनुमोदित	उपलब्धि	प्रतिशत	अनुमोदित	उपलब्धि	प्रतिशत	अनुमोदित	उपलब्धि	प्रतिशत	अनुमोदित	उपलब्धि	प्रतिशत	अनुमोदित	उपलब्धि	प्रतिशत	अनुमोदित	उपलब्धि	प्रतिशत
राज्य: पश्चिम बंगाल																			
1.	बांकुरा	198152	99281	50.1	333832	239894	71.86	531984	339175	63.76	50	46	92	7544	7482	99.18	4130	838	20.29
2.	बर्धमान	700047	583015	83.28	341920	276735	80.94	1041967	859750	82.51	133	140	100	9891	9814	99.22	7980	7649	95.85
3.	बीरभूमि	338989	250172	73.8	299893	182915	60.99	638882	433087	67.79	50	56	100	5617	5346	95.18	3816	1821	47.72
4.	कच्छ बिहार	335236	251187	74.93	254422	158330	62.23	589658	409517	69.45	50	144	100	3715	4002	100	1718	1818	100
5.	दक्षिण	182621	177211	97.04	194577	47323	24.32	377198	224534	59.53	50	10	20	3712	2440	65.73	2642	726	27.48
6.	दार्जिलिंग	66648	31011	46.53	130066	3035	2.33	196714	34046	17.31	50	17	34	1784	1259	70.57	408	405	99.26
7.	हुगली	271737	263714	97.05	195510	191253	97.82	467247	454967	97.37	53	47	88.68	6821	6720	98.52	4168	3413	81.89
8.	हावड़ा	231860	230076	99.23	143309	141907	99.02	375169	371983	99.15	51	32	62.75	5195	4903	94.38	3586	2653	73.98
9.	जलपाईगुड़ी	372999	322291	86.41	203523	92093	45.25	576522	414384	71.88	50	13	26	6578	4601	69.95	5428	3680	67.8
10.	मालदा	452324	303498	67.1	270208	65197	24.13	722532	368695	51.03	50	41	82	6385	5316	83.26	7956	189	2.38
11.	मिदनापुर पूर्वी	392371	527389	100	32617	32642	100	424988	560031	100	172	210	100	9726	8867	91.17	5969	1959	32.82
12.	मिदनापुर पश्चिमी	509496	595370	100	432096	316806	73.32	941592	912176	96.88	50	73	100	16498	12547	76.05	5825	2621	45
13.	मुर्शिदाबाद	702442	480772	68.44	506963	197506	38.96	1209405	678278	56.08	50	47	94	10260	6824	66.51	7012	1318	18.8
14.	नादिया	346696	317048	91.45	278335	197842	71.08	625031	514890	82.38	50	22	44	6974	5671	81.32	6620	3717	56.15
15.	उत्तरी 24 परगना	361462	341248	94.41	225080	225847	100	586542	567095	96.68	51	56	100	11158	10397	93.18	4466	2787	62.4
16.	पुरुलिया	210168	82704	39.35	306933	74725	24.35	517101	157429	30.44	50	10	20	7542	4231	56.1	4047	918	22.68
17.	सिलीगुड़ी	59536	37018	62.18	25377	17364	68.42	84913	54382	64.04	30	30	100	935	928	99.25	1393	788	56.57
18.	दक्षिणी 24 परगना	628712	568085	90.36	521192	161071	30.9	1149904	729156	63.41	50	31	62	8940	6745	75.45	5448	1279	23.48
19.	उत्तर मिदनापुर	257662	140675	54.6	301645	174360	57.8	559307	315035	56.33	50	27	54	806	1865	38.81	1556	432	27.76
	कुल	6619158	5601765	84.63	4997498	2796845	55.96	11616656	8398610	72.3	1140	1052	92.28	134081	10995	82.01	84168	39011	46.35

विवरण-II

19.11.2012 तक प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य का नाम पश्चिम बंगाल (रुपये लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल परियोजना परिव्यय	अनुमोदित अंश			निधियों की रिलीज				सूचित व्यय			
			केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	कुल	केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	बांकुरा	7326.54	4901.8	1921.01	503.73	3513.22	1069.64	3079.32	7662.18	2328.81	930.68	3048.36	6307.84
2.	बर्धमान	13424.29	8205.96	3364.37	1853.96	5752.47	1931.2	2472.85	10156.52	5199.77	1856.55	2472.28	9528.61
3.	बीरभूमि	11309.96	7325.23	2845.16	1139.57	3727.77	1088.94	2505.99	7322.7	2887.71	1064.85	2503.31	6455.8
4.	कच्छ बिहार	8658.03	5551.7	2200.13	906.2	2594.06	779.6	270.5	3644.16	1681.07	528.21	233.85	2443.13
5.	दक्षिण	5329.51	3458.9	1334.52	536.09	2185.63	561.94	353.96	3101.53	1317.85	559.32	251.18	2128.35
6.	दार्जिलिंग	3202.65	2235.62	791.34	175.69	1062.82	286.58	106.91	1456.31	880.84	286.58	106.91	1274.34
7.	हुगली	5835.44	3631.12	1387.12	817.2	2823.36	932.76	2623.33	6379.44	2638.29	932.13	2623.32	6193.74
8.	हावड़ा	4234.15	2671.35	1059.87	502.93	1758.8	697.63	477.02	2933.45	1333.15	507.06	477.02	2317.23
9.	जलपाइगुड़ी	10814.88	6998.97	2685.42	1130.49	4455.33	1114.4	922.57	6492.3	3596.45	785.02	913.59	5295.05
10.	मालदा	15189.16	9893.47	3941.59	1354.1	4505.35	1301.36	891.47	6698.18	3452.81	1169.34	874.73	5496.88
11.	मिदनापुर पूर्वी	6811.5	4384.63	1639.82	787.05	3317.79	1047.02	575.68	4940.49	2205.69	949.05	537.1	3691.84
12.	मिदनापुर पश्चिमी	8411.4	5367	2229.72	814.68	4307.22	1576.06	2620.17	8503.45	3664.93	1524.94	2620.17	7810.05
13.	मुर्शिदाबाद	22017.46	14183.32	5518.71	2315.43	6734.16	2024.23	2054.49	10812.89	4175.25	1488.13	2054.49	7717.8
14.	नादिया	7119.11	4292.46	1753.49	1073.16	3152.72	947.25	1923.83	6023.8	2401.85	931.57	1923.83	5257.25
15.	उत्तरी 24 परगना	10808.93	6844.5	2627	1337.43	5020.13	1553.08	2035.22	8608.42	4557.65	1548.12	2017.6	8123.37
16.	पुरुलिया	10065.74	6753.47	2583.02	729.25	2886.41	719.53	2198.19	5804.12	1926.85	688.12	2198.19	4813.15
17.	सिलीगुड़ी	1956.56	1270.57	493.31	192.68	809.21	212.97	349.99	1372.17	468.63	184.03	329.51	982.17
18.	दक्षिणी 24 परगना	12949.75	8294.08	3171.64	1484.03	5291.12	1317.16	1807.88	8416.16	3426.19	1226.37	1793.17	6445.73
19.	उत्तर मिदनापुर	8682.88	5535.36	2273.12	874.4	2040.34	400.31	4879.8	7320.44	1502.09	388.91	4873.31	6764.31
	कुल	174147.94	111799.5	43820.36	18528.07	65937.91	19561.67	32149.15	117648.7	49645.9	17548.98	31851.91	99046.79

[हिन्दी]

संसद सदस्य को एमपीएलएडी निधियों का आबंटन

177. **श्री हुक्मदेव नारायण यादवः** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमपीएलएडी स्कीम के अंतर्गत बिहार के प्रत्येक संसद सदस्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित और जारी की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा कितनी परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कितनी लंबित हैं;

(घ) परियोजनाओं के लंबित रहने के कारण क्या हैं; और

(ङ) स्वीकृत परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) 15वीं लोक सभा अवधि के दौरान चालू वित्त वर्ष तक देश का प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 14 करोड़ रुपए की राशि की एमपीलैड्स निधि के लिए अधिकृत है। दिनांक 16.11.2012 तक की स्थिति के अनुसार, बिहार के प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को जारी की गई एमपीलैड्स निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) दिनांक 16.11.2012 तक बिहार के लोक सभा सांसदों के संबंधित नोडल जिला प्राधिकारियों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, संसद सदस्यों की अनुशंसा पर निर्वाचन क्षेत्रों के जिला प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कार्यो की संख्या, पूरा किए गए कार्यों की संख्या तथा चल रहे कार्यों की सख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) एमपीलैड योजना के तहत, सांसदों द्वारा कार्यो की अनुशंसा, जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्यों की स्वीकृति और उनका निष्पादन एक सतत प्रक्रिया है। एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को सामान्यतः एक वर्ष तक की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रावधान है। तथापि, कार्यान्वयन प्राधिकारियों के स्तर पर कार्य पूरा करने में विलंब हो जाता है। विलंब के मुख्य कारणों में भूमि की अनुपलब्धता, तकनीकी अनुमानों की तैयारी, आदि शामिल हैं।

(ङ) जब कभी एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में होने वाला विलंब मंत्रालय के ध्यान में लाया जाता है, संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को मामले की जांच करने तथा उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है।

विवरण-I

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	लोक सभा सांसदों के नाम	पिछले 3 वर्षों (मई 2009-मार्च 2012) में जारी की गई एमपीलैड्स निधि	चालू वर्ष (2012-13) में जारी की गई एमपीलैड्स निधि
1	2	3	4
1.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	3.475	0.00
2.	श्रीमती मीना सिंह	6.975	2.50
3.	श्री सुशील कुमार सिंह	3.475	3.50
4.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	3.475	3.50
5.	डॉ. संजय जायसवाल	3.475	0.00
6.	श्री दिग्विजय सिंह/ श्रीमती पुतुल कुमारी	1.475	2.00
7.	श्री राधा मोहन सिंह	3.475	0.00
8.	डॉ. मोनाजिर हसन	6.975	0.00
9.	श्री विश्व मोहन कुमार	6.975	0.00
10.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	6.975	0.00
11.	श्री लालू प्रसाद	1.475	0.00

1	2	3	4
12.	श्री जगदानंद सिंह	6.975	5.00
13.	श्रीमती अवश्वमेध देवी	3.475	0.00
14.	श्री कीर्ति आजाद	3.475	3.50
15.	श्री हरि मांझी	6.975	0.00
16.	श्री पूर्णमासी राम	6.975	2.50
17.	श्री राम सुंदर दास	9.475	0.00
18.	श्री जगदीश शर्मा	3.475	3.50
19.	श्री मंगनी लाल मंडल	3.475	3.50
20.	श्री निखिल कुमार चौधरी	3.475	0.00
21.	श्री दिनेश चंद्र यादव	3.475	0.00
22.	श्री मोहम्मद असरारूल हक	6.975	0.00
23.	श्री शरद यादव	1.475	8.00
24.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	6.975	0.00
25.	श्री उमा शंकर सिंह	3.475	0.00
26.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	3.475	0.00
27.	श्री रंजन प्रसाद यादव	6.975	0.00
28.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	6.975	0.00
29.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	6.975	2.50
30.	श्री भोला सिंह	6.975	0.00
31.	श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा	6.975	2.50
32.	श्री महाबली सिंह	3.475	2.50
33.	श्री भूदेव चौधरी	3.475	3.50
34.	श्री महेश्वर हजारी	6.975	0.00
35.	श्रीमती मीरा कुमार	6.975	5.00
36.	श्रीमती रमा देवी	3.475	3.50
37.	श्री अर्जुन रॉय	3.475	3.50
38.	श्री ओम प्रकाश यादव	3.475	3.50
39.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	3.475	0.00
40.	श्री उदय सिंह	3.475	3.50
	कुल	195.00	68.50

विवरण-II

स्वीकृत, पूरे किए गए और चालू कार्यों की संख्या

क्र.सं.	लोक सभा सांसदों के नाम	स्वीकृत कार्य	पूरे किए गए कार्य	चालू कार्य
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	20	20	0
2.	श्रीमती मीना सिंह	138	78	60
3.	श्री सुशील कुमार सिंह	255	134	121
4.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	116	75	41
5.	डॉ. संजय जायसवाल	88	22	66
6.	श्रीमती पुतुल कुमारी	28	0	28

1	2	3	4	5
7.	श्री राधा मोहन सिंह	101	50	51
8.	डॉ. मोनाजिर हसन	74	69	5
9.	श्री विश्व मोहन कुमार	149	126	23
10.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	223	77	146
11.	श्री लालू प्रसाद	0	0	0
12.	श्री जगदानंद सिंह	42	29	13
13.	श्रीमती अश्वमेध देवी	38	31	7
14.	श्री कीर्ति आजाद	51	7	44
15.	श्री हरि मांझी	119	108	11
16.	श्री पूर्णमासी राम	115	80	35
17.	श्री राम सुंदर दास	70	38	32
18.	श्री जगदीश शर्मा	105	58	47
19.	श्री मंगनी लाल मंडल	11	4	7
20.	श्री निखिल कुमार चौधरी	14	0	14
21.	श्री दिनेश चंद्र यादव	71	33	38
22.	श्री मोहम्मद असरारूल हक	116	81	35
23.	श्री शरद यादव	57	2	55
24.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	75	28	47
25.	श्री उमा शंकर सिंह	86	25	61
26.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	72	26	46
27.	श्री रंजन प्रसाद यादव	533	166	367
28.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	192	190	2
29.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	309	127	182
30.	श्री भोला सिंह	33	19	14
31.	श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा	101	98	3
32.	श्री महाबली सिंह	127	61	66
33.	श्री भूदेव चौधरी	148	27	121

1	2	3	4	5
34.	श्री महेश्वर हजारी	33	13	20
35.	श्रीमती मीरा कुमार	277	215	62
36.	श्रीमती रमा देवी	72	43	29
37.	श्री अर्जुन रॉय	35	21	14
38.	श्री ओम प्रकाश यादव	52	33	19
39.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	72	48	24
40.	श्री उदय सिंह	40	15	25

[अनुवाद]

प्रमुख योजनाएं

178. डॉ. रत्ना डे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को आबंटित कुल निधियों तथा उनमें से उपयोग की गयी/खर्च की गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने का कोई तंत्र मौजूद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) विद्युत मंत्रालय की एक फ्लैगशिप स्कीम है। यह स्कीम अप्रैल, 2005 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य और प्रयोजन ग्रामीण विद्युत अवसंरचनाओं का सृजन कर ग्रामीण घरों तक विद्युत की पहुंच को उपलब्ध करवाना और साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों (बीपीएल) के घरों तक एकल बिंदु कनैक्शन के द्वारा निःशुल्क विद्युत भी उपलब्ध करवाना है। इस स्कीम के अंतर्गत, पूंजीगत सहायता के रूप में परियोजना लागत का 90% भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है तथा शेष 10% का योगदान राज्य सरकार/डिस्काम द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) 11वीं योजना अवधि के दौरान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा 28,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता आबंटित की गई है, इसके अतिरिक्त, 10वीं योजना के दौरान 5,000 करोड़ रुपये आबंटित किया गया था। इसके अतिरिक्त, चरण-II की परियोजनाओं की मंजूरी के लिए भारत सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपये आबंटित किये गए थे।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत कोई भी राज्य-वार विशेष आवंटन नहीं किया गया है। पिछली किश्तों की कुछ निर्धारित राशि के उपयोग से संबंधित रिपोर्ट और अन्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर मंजूर परियोजनाओं की निधि किश्तों में जारी की जाती है।

समग्र रूप से, 31.10.2012 के अनुसार, देश में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 26253.36 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जारी की गई सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए तंत्र निम्नांकित है:

- भारत सरकार ने सचिव (विद्युत), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया है। यह समिति परियोजनाओं की मंजूरी एवं कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए आवधिक रूप से बैठक करती है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए सभी राज्यों में जिला विद्युत समिति का गठन किया गया है।

- राज्यों से आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं के समाधान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मासिक आधार पर बैठक आयोजित करने का भी अनुरोध किया गया है।
- विद्युत मंत्रालय और आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) सभी स्टेक-होल्डरों, संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों का कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बारंबार समीक्षा बैठकें आयोजित करती है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं उचित पर्यवेक्षण के लिए वर्तमान थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) के अतिरिक्त आरजीजीवीवाई परियोजनाओं की 11वीं योजना के अंतर्गत एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता तंत्र की शुरुआत की गई हैं स्तर-I के अंतर्गत, 50% सत्यापन के लिए टीपीआईए की आवश्यकता है, स्तर-II के अंतर्गत, 10% सत्यापन के लिए आरईसी ने गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति की है और स्तर-III के अंतर्गत, 1% सत्यापन के लिए मंत्रालय ने गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति की है।

विवरण

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में जारी सब्सिडी का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31 अक्तू, 2012 तक)	कुल जारी सब्सिडी 2009-10 में जारी सब्सिडी सहित
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	153.22	141.90	25.68	6.37	721.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	223.24	165.54	40.01	24.65	700.71
3.	असम	450.17	628.65	491.36	50.47	2140.48
4.	बिहार	622.05	520.05	260.70	0.00	3489.07
5.	छत्तीसगढ़	333.55	163.65	119.84	17.82	838.99
6.	गुजरात	86.24	72.07	27.10	1.26	259.17
7.	हरियाणा	53.94	18.40	19.15	0.00	158.95
8.	हिमाचल प्रदेश	110.14	53.83	19.10	0.00	261.35
9.	जम्मू और कश्मीर	327.72	60.57	68.41	36.76	700.05
10.	झारखंड	688.65	144.62	111.57	69.03	2747.06
11.	कर्नाटक	63.16	55.85	43.16	5.95	656.08
12.	केरल	9.38	28.88	0.00	22.84	81.55
13.	मध्य प्रदेश	383.30	255.79	384.30	139.48	1566.13

1	2	3	4	5	6	7
14.	महाराष्ट्र	181.50	147.31	49.43	10.36	527.44
15.	मणिपुर	57.11	85.97	71.48	0.00	266.48
16.	मेघालय	116.83	77.83	94.06	27.03	344.62
17.	मिजोरम	73.03	70.28	0.00	0.00	214.26
18.	नागालैंड	53.46	55.36	25.49	11.57	203.38
19.	ओडिशा	889.48	542.98	360.33	55.22	2963.04
20.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	54.44
21.	राजस्थान	140.97	74.30	200.11	27.20	992.11
22.	सिक्किम	40.46	39.19	36.64	0.00	155.58
23.	तमिलनाडु	106.01	38.66	36.31	0.00	285.22
24.	त्रिपुरा	47.49	29.26	48.30	10.60	157.64
25.	उत्तर प्रदेश	172.97	68.32	85.95	27.75	3060.37
26.	उत्तराखंड	92.28	9.69	0.00	16.69	614.81
27.	पश्चिम बंगाल	520.35	448.89	154.30	7.68	2093.07
	सकल योग	5996.70	3997.83	2772.81	568.73	26253.36

पेयजल के गुणवत्ता मानदंड

179. **श्री सुरेश अंगड़ी:**
श्री एम. आनंदन:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेयजल के लिए कोई गुणवत्ता मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके लिए रसायन जीवाणु की कितनी अनुमेय गुणवत्ता का निर्धारण किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) देश में पेयजल के लिए गुणवत्ता मानदंड कब तक निर्धारित किए जाएंगे?

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अन्य के साथ-साथ पेयजल गुणवत्ता संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देशों की सहायता लेकर अपने मानक आईएस-10500 में पीने के लिए पानी की उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण हेतु अपेक्षित आवश्यक और वांछनीय विशेषताओं की जरूरतों को निर्धारित किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) दिशा-निर्देशों में कहा

गया है कि यदि रासायनिक और जैविक पैरामीटर बीआईएस मानक आईएस-10500 में विहित मानकों के अनुरूप हैं तो पानी को सुरक्षित कहा जाएगा। पेयजल विनिर्देशों के संबंध में मानक आईएस-10500:2012 के अनुसार पेयजल में चुनिंदा महत्त्वपूर्ण रासायनिक और अन्य पैरामीटरों की अनुमेय सीमा नीचे दिए गए अनुसार है:—

क्र.सं.	पैरामीटर	इकाई	आईएस-10500:2012 के अनुसार वैकल्पिक स्रोत के न होने पर अनुमेय सीमा
1.	पीएच	–	6.5-8.5
2.	गंधलापन	एनटीयू*	5
3.	आर्सेनिक	मि.ग्रा./लीटर**	0.05
4.	फ्लोराइड (F)	मि.ग्रा./लीटर	1.50
5.	कुल घुले हुए ठोस (TDS)	मि.ग्रा./लीटर	2000
6.	नाइट्रेट (NO_3)	मि.ग्रा./लीटर	45
7.	लौह (Fe)	मि.ग्रा./लीटर	0.3
8.	कैल्शियम (Ca)	मि.ग्रा./लीटर	200
9.	मैग्निशियम (mg)	मि.ग्रा./लीटर	100
10.	सल्फेट (SO_4)	मि.ग्रा./लीटर	400
11.	कुल एल्केनिटी ($CaCO_3$)	मि.ग्रा./लीटर	600
12.	जैविक संदूषण (ई-कोली अथवा थर्मोटोलरेंट कोलीफार्म बैक्टिरिया)	संख्या/प्रति 100 मि.ली.	पता नहीं लगेगा
13.	फ्री रेजिड्यूअल क्लोरीन (मिन)	मि.ग्रा./लीटर	1.0

*नेफ्लोमैट्रिक टर्बिडिटी यूनिट

**मिलीग्राम प्रति लीटर

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता

[हिन्दी]

यूरिया के मूल्यों में संशोधन

180. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यूरिया के मूल्यों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) मौजूदा यूरिया इकाइयों के

लिए नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस) के चरण-III के बाद नीति का निर्माण करने पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई

181. **श्री बिभू प्रसाद तराई:**
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेलवे में मालभाड़े से हुई कुल आय में से कोयले की ढुलाई से हुई आय के योगदान का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोयले की ढुलाई में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ वर्ष-वार और जोन-वार कितने रेकों की मांग की गई, कितने रेक आवंटित किए गए और कितने रेकों का उपयोग किया गया; और

(ङ) रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई में वृद्धि करने ओर देश में विभिन्न विद्युत संयंत्रों को नियमित तथा अपेक्षित रेक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए रेलों को माल यातायात से कुल आमदनी में कोयला माल भाड़ा के योगदान का विवरण नीचे वर्षवार दिया गया है:–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कोयले से आमदनी	कुल मालभाड़ा आमदनी	कुल से प्रतिशत
2009-10	22418.07	56911.51	39.39
2010-11	23917.31	60687.05	39.41
2011-12 (अ)	28178.96	67761.41	41.59
2012-13 (अक्तूबर-12 तक) (अ)	20520.53	47054.79	43.04

अ-अनंतिम

(ख) पर्याप्त रेकों की अनुपलब्धता के कारण रेलों द्वारा कोयला लदान में कोई कमी नहीं हुई। भारतीय रेल में कोयले का लदान 2010-11 से 420.21 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 455.80 मिलियन टन हो गया है। भारतीय रेल ने अप्रैल, 2012 से अक्तूबर, 2012 तक 274.72 मिलियन टन का लदान किया है जोकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 10.2 प्रतिशत अधिक है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बेहतर कोयला परिवहन के लिए भारतीय रेल द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उनमें से कुछ हैं:

(i) 70.8 टन के धुरा भार वाले उच्च क्षमता के बॉक्सएनएचएल माल डिब्बों को शामिल करना जोकि मौजूदा बॉक्सएनएचएस माल डिब्बों से 12 टन अधिक है। चालू वित्त वर्ष 2012-13 में (अक्तूबर, 2012 तक) भारतीय रेल ने 4014 माल डिब्बों (लगभग 69 रेकों) को शामिल कर लिया है।

(ii) लाइन क्षमता बाध्यताओं का समाधान करने के लिए लंबे कर्षण वाली मालगाड़ियों (दो गाड़ियों को मिलाकर) को चलाना।

(iii) अधिक क्लोज सर्किट रेकों को चलाना जिससे मालडिब्बों का अनुरक्षण होगा और इससे कोयला लदान के लिए अधिक मालडिब्बे उपलब्ध होंगे।

[हिन्दी]

विद्युत की मांग और आपूर्ति

182. **श्री मंगनी लाल मंडल:**
श्री एस. पक्कीरप्पा:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री सुशील कुमार सिंह:

श्री ए. के. एस. विजयन:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न स्रोतो से स्रोत-वार कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया है और देश में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की मांग/आवश्यकता का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विद्युत की मांग/आवश्यकता और उपभोग में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विद्युत की मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विद्युत उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। ऊर्जा और पीक दोनों के संबंध में अक्टूबर, 2012 के दौरान तथा अप्रैल-अक्टूबर, 2012 (अनंतिम) की अवधि के दौरान, विद्युत आपूर्ति की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-II में है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान कमीशन किए गए विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में संलग्न है।

(ग) और (घ) देश में पीक समय में मांग तथा ऊर्जा आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं। संगत पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान देश में पीक समय में मांग तथा ऊर्जा आवश्यकताओं में बढ़ोतरी का विवरण नीचे दिया गया है–

वर्ष	पिछले वर्ष की तुलना में पीक समय में मांग में बढ़ोतरी का प्रतिशत	पिछले वर्ष की तुलना में ऊर्जा आवश्यकताओं में बढ़ोतरी का प्रतिशत
2009-10	8.5	6.9
2010-11	2.6	3.7
2011-12	6.3	8.8

संगत पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान पीक तथा ऊर्जा के संबंध में मांग एवं उपलब्धता में परिवर्तन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में हैं।

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं–

- सीईए के द्वारा, परियोजनाओं को समय पर कमीशन किए जाने को सुनिश्चित किए जाने और बाधाओं को हल करने के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है।
- मंत्रालय द्वारा, क्षमता अभिवृद्धि में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और मुद्दे को हल करने के लिए सीईए, उपकरण निर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकताओं आदि के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं।
- विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला और गैस उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रालयों के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
- मांग को पूरा करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, देश में प्रमुख संयंत्र उपकरणों के निर्माण के लिए अनेक संयुक्त उद्यमों के गठन के साथ देश में प्रमुख संयंत्र उपकरण की क्षमता का निर्माण किया गया है।

विवरण-I

अप्रैल, 2012-अक्टूबर, 2012 के दौरान देश में स्रोतवार एवं राज्यवार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

क्षेत्र	राज्य	श्रेणी	क्षमता (मे.वा.)	कार्यक्रम	वास्तविक (एमयू)
1	2	3	4	5	6
उत्तर क्षेत्र	दिल्ली	तापीय	1843		3560

1	2	3	4	5	6
	दिल्ली कुल		1843		3560
	हरियाणा	तापीय	4480		10284
	हरियाणा कुल		4480		10284
	हिमाचल प्रदेश	जलविद्युत	2114		7144
	हिमाचल प्रदेश कुल		2114		7144
	जम्मू एवं कश्मीर	तापीय	175		0
		जलविद्युत	660		2863
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		835		2863
	पंजाब	तापीय	2620		11189
		जलविद्युत	1057		2493
	पंजाब कुल		3671		13682
	राजस्थान	तापीय	4474		16166
		जलविद्युत	411		181
	राजस्थान कुल		4885		16347
	उत्तर प्रदेश	तापीय	7523		19388
		जलविद्युत	502		940
	उत्तर प्रदेश कुल		8025		20328
	उत्तराखंड	जलविद्युत	1652		4917
	उत्तराखंड कुल		1652		4917
	केन्द्र	तापीय	12109		45982
		नाभिकीय	1620		6454
		जलविद्युत	9090		28074
	केन्द्र कुल		22819		80510
	उ.क्षे. कुल		50324		159635
प.क्षेत्र	छत्तीसगढ़	तापीय	3748		14603
		जलविद्युत	120		237
	छत्तीसगढ़ कुल		3868		14840

1	2	3	4	5	6
	गोवा	तापीय	48		154
	गोवा कुल		48		154
	गुजरात	तापीय	16911		40968
		जलविद्युत	1990		3419
	गुजरात कुल		18901		44387
	मध्य प्रदेश	तापीय	3183		9361
		जलविद्युत	875		1734
	मध्यप्रदेश कुल		4058		11095
	महाराष्ट्र	तापीय	14218		40959
		जलविद्युत	2887		3221
	महाराष्ट्र कुल		17105		44180
	केंद्र	तापीय	13874		47469
		नाभिकीय	1840		7818
		जलविद्युत	1520		2653
	केन्द्र कुल		17234		57940
	प.क्षे. कुल		61214		172596
द.क्षे.	आंध्र प्रदेश	तापीय	8950		30560
		जल विद्युत	3783		1899
	आंध्र प्रदेश कुल		12733		32459
	कर्नाटक	तापीय	5014		15385
		जलविद्युत	3585		5572
	कर्नाटक कुल		8599		20957
	केरल	तापीय	409		284
		जलविद्युत	1882		3270
	केरल कुल		2291		3554
	पुदुचेरी	तापीय	33		146
	पुदुचेरी कुल		33		146

1	2	3	4	5	6
	तमिलनाडु	तापीय	5248		15896
		जलविद्युत	2122		1642
	तमिलनाडु कुल		7370		17358
	केन्द्र	तापीय	8200		29696
		नाभिकीय	1320		4861
	केन्द्र कुल		9520		34557
	द.क्षे. कुल		40546		109211
पू.क्षे.	अंडमान निकोबार	तापीय	40		73
	अंडमान निकोबार कुल		40		73
	बिहार	तापीय	210		0
	बिहार कुल		210		0
	झारखंड	तापीय	2600		6026
		जलविद्युत	130		128
	झारखंड कुल		2730		6154
	उड़ीसा	तापीय	2820		7002
		जलविद्युत	2028		2841
	उड़ीसा कुल		4848		9843
	सिक्किम	जलविद्युत	0		0
	सिक्किम कुल		0		0
	पश्चिम बंगाल	तापीय	6365		20330
		जलविद्युत	977		750
	पश्चिम बंगाल कुल		7342		21080
	केन्द्र	तापीय	13920		43202
		जलविद्युत	713		2361
	केन्द्रीय कुल		14633		45563
पू.क्षे. कुल			29803		82713
पूर्वोत्तर क्षे.	असम	तापीय	336		818
		जलविद्युत	100		257

1	2	3	4	5	6
	असम कुल		436		1075
	मणिपुर	तापीय	36		0
	मणिपुर कुल		36		0
	मेघालय	जलविद्युत	240		382
	मेघालय कुल		240		382
	त्रिपुरा	तापीय	149		406
	त्रिपुरा कुल		149		406
	केंद्र	तापीय	375		1336
		जलविद्युत	860		2189
	केन्द्र कुल		1235		3525
पूर्वोत्तर कुल			2096		5388

विवरण-II

विद्युत आपूर्ति स्थिति (अनंतिम)

राज्य व्यवस्था/ क्षेत्र	अक्टूबर, 2012				अप्रैल, 2012-अक्टूबर, 2012			
	आवश्यकता (एम.यू.)	उपलब्धता (एम.यू.)	अधिशेष/घाटा(-) (एम.यू.)	(%)	आवश्यकता (एम.यू.)	उपलब्धता (एम.यू.)	अधिशेष/घाटा (-) (एम.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	117	117	0	0.00	1,102	1,102	0	0.0
दिल्ली	1,964	1,961	-3	-0.2	17,551	17,455	-96	-0.5
हरियाणा	3,515	3,295	-220	-6.3	26,278	23,836	-2,442	-9.3
हिमाचल प्रदेश	724	705	-19	-2.6	5,334	5,202	-132	-2.5
जम्मू एवं कश्मीर	1,289	966	-323	-25.1	8,443	6,332	-2,111	-25.0
पंजाब	3,643	3,501	-142	-3.9	33,153	31,016	-2,137	-6.4
राजस्थान	4,923	4,758	-165	-3.4	30,447	28,964	-1,483	-4.9
उत्तर प्रदेश	7,954	6,419	-1,535	-19.3	54,882	46,131	-8,751	-15.9
उत्तराखंड	934	881	-53	-5.7	6,784	6,361	-423	-6.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र	**25,063**	**22,603**	**-2,460**	**-9.8**	**183,974**	**166,399**	**-17,575**	**-9.6**
छत्तीसगढ़	1,462	1,450	-12	-0.8	10,121	9,951	-170	-1.7
गुजरात	8,831	8,831	0	0.00	51,056	50,911	-145	-0.3
मध्य प्रदेश	4,163	3,781	-382	-9.2	24,810	22,923	-1,887	-7.6
महाराष्ट्र	10,423	10,127	-296	-2.8	74,172	71,577	-2,596	-3.5
दमन और दींव	157	139	-18	-11.5	1,147	1,033	-114	-9.9
दादर और नगर हवेली	338	336	-2	-0.6	2,657	2,487	-170	-6.4
गोवा	237	232	-5	-2.1	1,794	1,738	-56	-3.1
पश्चिमी क्षेत्र	**25,611**	**24,896**	**-715**	**-2.8**	**165,757**	**160,620**	**-5,137**	**-3.1**
आंध्र प्रदेश	8,604	6,976	-1,628	-18.9	57,089	47,550	-9,539	-16.7
कर्नाटक	5,293	4,610	-683	-12.9	37,699	32,607	-5,092	-13.5
केरल	1,780	1,687	-93	-5.2	12,328	11,907	-421	-3.4
तमिलनाडु	7,044	5,385	-1,659	-23.6	53,164	44,578	-8,586	-16.2
पुदुचेरी	185	182	-3	-1.6	1,393	1,357	-36	-2.6
लक्षद्वीप	3	3	0	0.0	21	21	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**22,906**	**18,840**	**-4,066**	**-17.8**	**161,673**	**137,999**	**-23,674**	**-14.6**
बिहार	1,258	1,031	-227	-18.0	8,474	7,552	-922	-10.9
डीवीसी	1,601	1,522	-79	-4.9	10,135	9,657	-478	-4.7
झारखंड	557	542	-15	-2.7	3,916	3,806	-110	-2.8
उड़ीसा	2,224	2,211	-13	-0.6	15,545	14,855	-690	-4.4
पश्चिम बंगाल	3,810	3,791	-19	-0.5	26,544	26,305	-239	-0.9
सिक्किम	34	35	1	2.9	233	233	0	0.00
अंडमान-निकोबार	20	15	-5	-25.0	141	111	-30	-21.3
पूर्वी क्षेत्र	**9,484**	**9,132**	**-352**	**-3.7**	**66,552**	**62,408**	**-3,144**	**-4.8**
अरुणाचल प्रदेश	51	47	-4	-7.8	355	332	-23	-6.5
असम	584	564	-20	-3.4	3,969	3,699	-270	-6.8
मणिपुर	55	52	-3	-5.5	324	307	-17	-5.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	154	131	-23	-14.9	1,011	862	-149	-14.7
मिजोरम	35	32	-3	-8.6	230	212	-18	-7.8
नागालैंड	50	47	-3	-6.0	326	306	-20	-6.1
त्रिपुरा	101	96	-5	-5.0	650	615	-35	-5.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,030**	**969**	**-61**	**-5.9**	**6,865**	**6,333**	**-532**	**-7.7**
अखिल भारतीय	**84,094**	**76,440**	**-7,654**	**-9.1**	**583.821**	**533,759**	**-50,062**	**-8.6**

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड एलोन सिस्टम हैं जिनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का निर्माण नहीं करते हैं।

टिप्पणी: विभिन्न राज्यों में पीक और ऊर्जा उपलब्धता दोनों ने नेट उपभोग (टांसमिशन हानियों सहित) को प्रदर्शित करती है। नेट एक्सपोर्ट को भी आयात करने वाले राज्यों के उपभोग में लेखबद्ध किया गया है।

पीक डिमांड और पीक मेट (अनंतिम)

राज्य व्यवस्था/ क्षेत्र	अक्टूबर, 2012				अप्रैल, 2012-अक्टूबर, 2012			
	पीक डिमांड (एम.यू.)	पीक मेट (एम.यू)	अधिशेष/घाटा(-) (एम.यू)	(%)	पीक डिमांड (एम.यू)	पीक मेट (एम.यू)	अधिशेष/घाटा (-) (एम.यू)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	242	242	0	0.0	340	340	0	0.0
दिल्ली	**3,995**	**3,995**	**0**	**0.0**	**5,942**	**5,942**	**-300**	**-5.0**
हरियाणा	5,989	5,989	0	0.0	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	1,462	1,380	-82	-5.6	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू और कश्मीर	2,248	1,686	-562	-25.0	2,284	1,713	-571	-25.0
पंजाब	8,441	6,860	-1,581	-18.7	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	7,454	7,454	0	0	7,765	7,690	-75	-1.0
उत्तर प्रदेश	**11,883**	**10,471**	**-1,412**	**-11.9**	**13,940**	**12,048**	**-1,892**	**-13.6**
उत्तराखंड	1,672	1,592	-80	-4.8	1,757	1,646	-111	-6.3
उत्तरी क्षेत्र	40,856	36,518	-4,338	-10.6	45,860	41,790	-4,070	-8.9
छत्तीसगढ़	2,971	2,860	-111	-3.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	11,999	11,960	-39	-0.3	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	8,920	8,802	-118	-1.3	8,920	8,802	-118	-1.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	17,114	16,395	-719	-4.2	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन और दीव	299	274	-25	-8.4	311	286	-25	-8.0
दादर और नगर हवेली	605	605	0	0.0	629	629	0	0.0
गोवा	438	389	-49	-11.2	452	452	0	0.0
पश्चिम क्षेत्र	**40,075**	**39,486**	**-589**	**-1.5**	**40,075**	**39,486**	**-589**	**-1.5**
आंध्र प्रदेश	13,720	10,901	-2,819	-20.5	13,974	11,335	-2,639	-18.9
कर्नाटक	8,957	7,601	-1,356	-15.1	10,124	8264	-1,860	-18.4
केरल	3,414	3,024	-390	-11.4	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	12,544	10,269	-2,275	-18.1	12,606	11,053	-1,553	-12.3
पुदुचेरी	333	315	-18	-5.4	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	8	8	0	0.0	8	8	0	0.0
दक्षिण क्षेत्र	**35,127**	**29,281**	**-5,846**	**-16.6**	**36,934**	**31,287**	**-5,647**	**-15.3**
बिहार	2,183	1,684	-499	-22.9	2,295	1,784	-511	-22.3
डीवीसी	2,328	2,246	-82	-3.5	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखंड	1,071	989	-82	-7.7	1,106	1,033	-73	-6.6
ओडिशा	3,642	3,447	-195	-5.4	3,968	3,694	-274	-6.9
पश्चिम बंगाल	6,722	6,686	-36	-0.5	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	95	95	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान-निकोबार	40	32	-8	-20.0	48	48	0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	**14,992**	**14,155**	**-837**	**-5.6**	**16,655**	**15,415**	**-1,240**	**-7.4**
अरुणाचल प्रदेश	105	101	-4	-3.8	116	114	-2	-1.7
असम	1,124	1,098	-26	-2.3	1,186	1,098	-88	-7.4
मणिपुर	117	110	-7	-6.0	120	119	-1	-0.8
मेघालय	263	264	1	0.4	287	279	-8	-2.8
मिजोरम	68	65	-3	-4.4	68	65	-3	-4.4
नागालैंड	110	109	-1	-0.9	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	229	228	-1	-0.4	229	228	-1	-0.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,927**	**1,864**	**-63**	**-3.3**	**1,998**	**1,864**	**-134**	**-6.7**
अखिल भारतीय	**132,977**	**121,304**	**-11,673**	**-8.8**	**135,453**	**123,294**	**-12,159**	**-9.0**

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड एलोन सिस्टम हैं जिनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का निर्माण नहीं करते हैं।

टिप्पणी: विभिन्न राज्यों में पीक और ऊर्जा उपलब्धता दोनों ने नेट उपभोग (ट्रांसमिशन हानियों सहित) को प्रदर्शित करती है। नेट एक्सपोर्ट की भी आयात करने वाले राज्यों के उपभोग में लेखबद्ध किया गया है।

विवरण-III

वर्ष 2012-2013 के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की सूची (12वीं योजना) 15.11.2012 की यथास्थिति

परियोजना का नाम	क्षेत्र	सेक्टर	राज्य	प्रकार	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
सिम्हापुरी टीपीपी पीएच-1 यूनिट 2	एस.आर.	पी.एस.	ए.पी.	कोयला	150
थमीनापटनम टीपीपी 1 यू 1	एस.आर	पी.एस.	ए.पी	कोयला	150
				योग	300
छत्तीसगढ़					
सीपत एसटी-I एसटीपीपी यूनिट-3	डब्ल्यू.आर	सी.एस.	छत्तीसगढ़	कोयला	660
कसायपल्ली टीपीएस यूनिट2	डब्ल्यू.आर	पी.एस	छत्तीसगढ़	कोयला	135
				योग	795
दिल्ली					
प्रगति III जीटी-3	एन.आर.	एस.एस.	दिल्ली	गैस	250
				योग	250
गुजरात					
सलाया टीपीएस यूनिट2	डब्ल्यू.आर	पी.एस.	गुजरात	कोयला	600
यूएमपीपी-मुंद्रा यूनिट2	डब्ल्यू.आर	पी.एस.	गुजरात	कोयला	800
यूएमपीपी-मुंद्रा यूनिट3	डब्ल्यू.आर	पी.एस.	गुजरात	कोयला	800
				योग	2200
हिमाचल प्रदेश					
चमेरा III यूनिट 3	एन.आर.	सी.एस.	हिमाचल प्रदेश	जलविद्युत	77
चमेरा III यूनिट 2	एन.आर.	सी.एस	हिमाचल प्रदेश	जलविद्युत	77
चमेरा III यूनिट 1	एन.आर.	सी.एस	हिमाचल प्रदेश	जलविद्युत	77
बूधिल यूनिट-1	एन.आर.	सी.एस	हिमाचल प्रदेश	जलविद्युत	35
बूधिल यूनिट-2	एन.आर.	पी.एस	हिमाचल प्रदेश	जलविद्युत	35
				योग	301
हरियाणा					
इंदिरा गांधी (झज्जर) एसटीपीपी यू3	एन.आर.	सी.एस.	हरि.	कोयला	500
महात्मा गांधी टीपीपी यू2	एन.आर.	पी.एस.	हरि.	कोयला	660
				योग	1160

1	2	3	4	5	6
जम्मू एवं कश्मीर					
छूटक यू2,3	एन.आर.	सी.एस.	ज.एवं. कश्म.	जलविद्युत	22
				कुल	22
महाराष्ट्र					
मौदा टीपीपी यू-1	डब्ल्यू.आर	सी.एस	महा.	कोयला	500
जीईपीएल टीपीपी पीएच-1, यूनिट2	डब्ल्यू.आर	पी.एस	महा.	कोयला	60
बूतीबोरी टीपीपी यू-1	डब्ल्यू.आर	सी.एस	महा.	कोयला	300
जीईपीएल टीपीपी यू-1	डब्ल्यू.आर	पी.एस	महा.	कोयला	60
तिरोरा टीपीपी पीएच i यूनिट-1	डब्ल्यू.आर	पी.एस	महा.	कोयला	660
				योग	1580
मध्य प्रदेश					
विंध्याचल एसटीपीपी एसटी-IV	डब्ल्यू.आर	सी.एस.	म.प्र.	कोयला	500
बीना टीपीपी यू-1	डब्ल्यू.आर	पी.एस	म.प्र.	कोयला	250
				योग	750
ओडिशा					
स्टरलाईट (झारसुगडा) टीपीपी यू-4	ई.आर	पी.एस	ओडिशा	कोयला	600
				योग	600
तमिलनाडु					
मेट्टूर टीपीपी एक्स. यू 1	एस.आर	एस.एस	तमिलनाडु	कोयला	600
				योग	600
उत्तर प्रदेश					
रिहंद एसटीपीपी एसटी-III यूनिट5	एन.आर	सी.एस.	उत्तर प्रदेश	कोयला	500
परिछा टीपीपी यूनिट-5	एन.आर.	एस.एस	उत्तर प्रदेश	कोयला	250
हरदुगंज टीपीपी एक्स यूनिट-9	एन.आर	एस.एस	उत्तर प्रदेश	कोयला	250
				योग	1000
			सकल योग		9558

वर्ष 2011-12 के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की सूची

संयंत्र का नाम	राज्य	डेवलपर	सेक्टर	ईंधन का प्रकार	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
सिम्हापुरी टीपीपी यू-4	एपी	एनटीपीसी	सी	कोयला	500
कोठागुदेम एसटी-VI	एपी	एपीजेनको	एस	कोयला	500
जुराला प्रिया यू 6	एपी	एपीजेनको	एस	जलविद्युत	39
सिम्हापुरी एनर्जी प्राइवेट लि. यू.-1	एपी	मधुकन परियो.	पी	कोयला	150
				योग	1189
असम					
लकवा डब्ल्यूएच	असम	ए.एसजेनको	एस	गैस	37.2
				योग	37.2
छत्तीसगढ़					
सीपत-I यू 1,2	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी	सी	कोयला	1320
कसायपल्ली टीपीपी	छत्तीसगढ़	एसीबी इंडिया	पी	कोयला	135
एस.वी. पॉवर टीपीपी	छत्तीसगढ़	एस.वी. पावर	पी	कोयला	63
कठघोडा टीपीपी यू1	छत्तीसगढ़	एसीबी इंडिया	पी	कोयला	35
				योग	1553
दिल्ली					
प्रगति-III (बवाना) जीटी-3	दिल्ली	पीपीसीएल	एस	गैस/एलएनजी	250
रिठाला एसटी	दिल्ली	एनडीपीएल	पी	गैस	36.5
				योग	286.5
गुजरात					
जी एस. ई. जी. हजीरा एक्स	गुजरात	जीएसईसीएल	एस	गैस/लिग्ना.	351
मुन्द्रा टीपीपीपीएच-II यू 2	गुजरात	अडानी पावर	पी	कोयला	660
मुन्द्रा टीपीपी-III यू 1-3	गुजरात	अडानी पावर	पी	कोयला	1980
सयाला टीपीपी यू 1	गुजरात	एस्सार पावर	पी	कोयला	600
अल्ट्रा मेगा मुन्द्रा यू1	गुजरात	टाटा पावर	पी	कोयला	800
				योग	4391

1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश					
मालना II यू 1,2	हिमाचल प्रदेश	एवरेस्ट पावर	पी	जलविद्युत	100
करछम वाग्टू यू 1-4	हिमाचल प्रदेश	जेपीकेएचसीएल	पी	जलविद्युत	1000
				योग	1100
हरियाणा					
इंदिरा गांधी टीपीपी (झज्झर)जेवीयू 2	हरियाणा	एनटीपीसी	सी	कोयला	500
महात्मा गांधी (झज्झर)टीपीपी यू1	हरियाणा	सीएलपी	पी	कोयला	660
				योग	1160
झारखंड					
कोडरमा यू 1	झारखंड	डीवीसी	सी	कोयला	500
मैथन आरबीसी जेवी यू 1,2	झारखंड	आईपीपी	पी	कोयला	1050
				योग	1550
कर्नाटक					
बेल्लारी टीपीपी यू 2	कर्नाटक	केपीसीएल	एस	कोयला	500
उडपी टीपीपी (लैंको नागार्जुना) या2	कर्नाटक	लैंको	पी	कोयला	600
				योग	1100
महाराष्ट्र					
खापर खेडा एक्स	महा.	एमएसपीजीसीएल	एस	कोयला	500
भुसावल टीपीपी यू 4,5	महा.	एमएसपीजीसीएल	एस	कोयला	1000
जेएसडब्ल्यू एनर्जी, रत्नागिरि यू 3-4	महा.	जेएसडब्ल्यू एनर्जी	पी	कोयला	600
टीपीएस, वरोरा यू 4	महा.	वर्धा पावर कं.	पी	कोयला	135
मिहन टीपीपी	महा.	अभीजीत एनर्जी	पी	कोयला	246
				योग	2481
मेघालय					
मिंडु एसटी-I यू 1,2	मेघालय	एमईएसईबी	एस	जलविद्युत	84
				योग	84

1	2	3	4	5	6
ओडिशा					
स्टरलाईट टीपीपी यू 3	ओडिशा	स्टरलाईट एनर्जी	पी	कोयला	600
				योग	600
राजस्थान					
जलीपा लिग्नाईट यू 3,4	राजस्थान	राज वेस्ट पावर	पी	लिग्नाइट्	270
				योग	270
तमिलनाडु					
वेल्लुर टीपीपी पीएच-1 यू 1	तमिलनाडु	एनटीपीसी	सी	कोयला	500
नेवेली-II लिग यू 1	तमिलनाडु	एनएलसी	सी	लिग्नाइट	250
				योग	750
उत्तराखंड					
कोटेश्वर यू 3,4	उत्तराखंड	टीएचडीसी	सी	जलविद्युत	200
				योग	200
उत्तर प्रदेश					
हरदुगंज एक्स. यू-8	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	एस	कोयला	250
खंबर्खेडा यू 1,2	उत्तर प्रदेश	हिन्दुस्तान बजाज	पी	कोयला	90
मकसूदपुर यू 1,2	उत्तर प्रदेश	बजाज एनर्जी	पी	कोयला	90
बरडेडा टीपीपी यू 1,2	उत्तर प्रदेश	बजाज एनर्जी	पी	कोयला	90
कुंडरकी टीपीपी यू 1,2	उत्तर प्रदेश	बजाज एनर्जी	पी	कोयला	90
उतराला टीपीपी यू 1,2	उत्तर प्रदेश	बजाज एनर्जी	पी	कोयला	90
अनपरा-सी यू 1,2	उत्तर प्रदेश	लैंको	पी	कोयला	1200
रोसा टीपीपी पीएच-II यू 3,4	उत्तर प्रदेश	रिलाइंस पावर	पी	कोयला	600
				योग	2500
पश्चिम बंगाल					
दुर्गापुर स्टील यू 1,2	पश्चिम बंगाल	डीवीसी	सी	कोयला	1000
संटलधी एक्स यू6	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	एस	कोयला	250
				योग	1250
योग 2011-12					20501.7

वर्ष 2010-11 के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	राज्य	क्षेत्र	डेवलपर	ईंधन का प्रकार	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
2.	सिम्हाद्री-एक्स. यू-3	आंध्र प्रदेश	सी	एनटीपीसी	कोयला	500
8.	ककतिया टीपीपी	आंध्र प्रदेश	एस	एपीजेनको	कोयला	500
9.	रायलसीमा एसटी-III, यू 5	आंध्र प्रदेश	एस	एपीजेनको	कोयला	210
3.	जुरला प्रिया यू 4,5	आंध्र प्रदेश	एस	एपीजेनको	जलविद्युत	78
23.	कोनासीमा एसटी	आंध्र प्रदेश	पी	कोनासीमा पावर	गैस/लिग्ना.	165
24.	कोंडापल्ली सीसीपीपी पीएच-II एसटी	आंध्र प्रदेश	पी	लैंको	गैस/लिग्ना.	133
					योग	1586
छत्तीसगढ़						
3.	कोरबा III यू-7	छत्तीसगढ़	सी	एनटीपीसी	कोयला	500
				योग		500
दिल्ली						
13.	प्रगति-III (बवाना) जीटी-1,2	दिल्ली	एस	पीपीसीएल	गैल/लिग्ना.	500
25.	रिठाला सीसीपीपी जीटी	दिल्ली	पी	एनडीपीएल	गैस/लिग्ना.	71.5
				योग		571.5
गुजरात						
15.	सूरत लिग्नाईट एक्स. यू. 3,4	गुजरात	एस	जीआईपीसीएल	लिग्नाइट	250
16.	मुन्द्रा टीपीपी एचपी-I यू 3,4	गुजरात	पी	अडानी पावर	कोयला	660
17.	मुन्द्रा टीपीपी पीएच-II यू 1	गुजरात	पी	अडानी पावर	कोयला	660
				योग		1570
हरियाणा						
4.	इंदिरा गांधी टीपीपी (झज्जर) जेवी यू 1	हरियाणा	सी	एनटीपीसी	कोयला	500
10.	राजीव गांधी टीपीएस (हिसार) यू-2	हरियाणा	एस	एचपीजीसीएल	कोयला	600
				योग		1100
हरियाणा						
5.	एलेन दुहंगम	हरियाणा	पी	एडीएचपीएल	जलविद्युत	192
				योग		192

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर						
1.	सेवा-II यू 1,2,3	जम्मू और कश्मीर	सी	एलएचपीसी	जलविद्युत	120
				योग		120
जम्मू और कश्मीर						
1.	कैगा यू-4	कश्मीर	सी	एनपीसी	नाभिकीय	220
11.	रायचुर यू-8	कश्मीर	एस	केपीसीएल	कोयला	250
18.	उड्डपी टीपीपी (लैंको नागार्जुना) यू	कश्मीर	पी	एनपीसीएल	कोयला	600
				योग		1070
जम्मू और कश्मीर						
4.	कुटियाणी एडी. एक्स. यू 1,2	केरल	एस	केएसईवी	जलविद्युत	100
				योग		100
जम्मू और कश्मीर						
19.	जेएसडब्ल्यू एनर्जी, रत्नागिरि यू 1,2	महाराष्ट्र	पी	जेएसडब्ल्यू	कोयला	600
20.	टीपीएस ऐट वरोरा यू 1-3	महाराष्ट्र	पी	वर्धा पावर सीओ.	कोयला	405
				योग		1005
जम्मू और कश्मीर						
21.	स्टरलाईट टीपीपी यू-2,1	ओडिशा	पी	स्टरलाईट एनर्जी	कोयला	1200
					योग	1200
राजस्थान						
7.	बारसिंगसर लिग्ना यू 1,2	राजस्थान	सी	एनएलसी	लिग्नाइट	250
12.	छाबरा टीपीएस यू-2	राजस्थान	एस	रिब्यूनल	कोयला	250
26.	जलीपा लिग्नाइट यू 2	राजस्थान	पी	राज वेस्ट पावर	लिग्नाइट	135
					योग	635
	राजस्थान					
14.	बारामुरा जीटी	त्रिपुरा	एस		गैस/लिग्ना.	21
				योग		21
	उत्तराखंड					
2.	कोटेश्वर यू 1,2	उत्तराखंड	सी	टीएचडीसी	जलविद्युत	200
				योग		200

1	2	3	4	5	6	7
	उत्तर प्रदेश					
5.	दादरी एक्स. यू-6	उत्तर प्रदेश	सी	एनटीपीसी	कोयला	490
22.	रोसा एसटी-I यू-2	उत्तर प्रदेश	पी	रिलायंस पावर	कोयला	300
				योग		790
पश्चिम बंगाल						
1.	मेजिया पीएच II यू 7,8	पश्चिम बंगाल	सी	डीवीसी	कोयला	1000
6.	फरक्खा चरण-III यू-6	पश्चिम बंगाल	सी	एनटीपीसी	कोयला	500
				योग		1500
	योग 2011-12					12160.5

वर्ष 2009-2010 के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की सूची

संयंत्र का नाम	राज्य	सेक्टर	डेवेलपर	ईंधन का प्रकार	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
जुरला प्रिया यू3	आंध्र प्रदेश	एस	एपजेनको	जलविद्युत	39
विजयवाडा टीपीपी एसटी-IV, यू 1	आंध्र प्रदेश	एस	एपजेनको	कोयला	500
कोनासीमा जीटी	आंध्र प्रदेश	पी	कोनासीमा पावर	गैस/लिग्ना.	280
गौतमी	आंध्र प्रदेश	पी	गोतमी पावर	गैस/लिग्ना.	464
कोंडापल्ली सीसीपीपी पीएच-II जीटी	आंध्र प्रदेश	पी	लैंको	गैस/लिग्ना.	233
				योग	1516
बिहार					
काहलगांव II यू 7	बिहार	सी	एनटीपीसी	कोयला	500
				योग	500
छत्तीसगढ़					
भिलाई जेवी यू 2	छत्तीसगढ़	सी	एनटीपीसी	कोयला	250
लैंको अमरकंटक यू 1,2	छत्तीसगढ़	पी	लैंको	कोयला	600
				योग	850
गुजरात					
उतरन सीसीपीपी-जीटी+एसटी	गुजरात	एस	जीएसईसीएल	गैस/लिग्ना.	374

1	2	3	4	5	6
कच्छ लिग्नाइट टीपीएस	गुजरात	एस	जीएसईसीएल	लिग्नाइट	75
मुन्द्रा टीपीपी पीएच-I, यू 1,2	गुजरात	पी	अडानी पावर	कोयला	660
सुजन तोरेंट ब्लाक-II एवं III	गुजरात	पी	टोरंट	गैस/लिग्ना.	765
				योग	1874
हरियाणा					
राजीव गांधी टीपीएस (हिसार) यू-1	हरि.	एस	एचपीजीसीएल	कोयला	600
				योग	600
झारखंड					
चन्द्रापुर यू-7,8	झारखंड	सी	डीवीसी	कोयला	500
				योग	500
कर्नाटक					
तोरनगल्लु यू 1,2	केरल	पी	जेएसडब्ल्यू एनर्जी	कोयला	600
				योग	600
महाराष्ट्र					
न्यू पार्ली एक्स यू-2	महाराष्ट्र	एस	एमएसपीजीसीएल	कोयला	250
पारस एक्स यू 2	महाराष्ट्र	एस	एमएसपीजीसीएल	कोयला	250
				योग	500
राजस्थान					
राप यू-5,6	राजस्थान	सी	एनपीसी	नाभिकीय	440
छाबरा टीपीएस यू-1	राजस्थान	एस	रिव्यूनल	कोयला	250
कोटा टीपीपी यू 7	राजस्थान	एस	रिव्यूनल	कोयला	195
सूरतगढ़ एक्स यू 6	राजस्थान	एस	रिव्यूनल	कोयला	250
गिरल यू-2	राजस्थान	एस	रिव्यूनल	लिग्नाइट	125
जलीपा लिग्नाइट यू 1	राजस्थान	पी	राजस्थान वेस्ट पावर	लिग्नाइट	135
				योग	1395
उत्तर प्रदेश					
दादरी एक्स यू-5	उत्तर प्रदेश	सी	एनटीपीसी	कोयला	490
रोसा एसटी-I यू-1	उत्तर प्रदेश	पी	रिलाइंस पावर	कोयला	300
				योग	790

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल					
बकरेश्वर यू5	पश्चिम बंगाल	एस	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	कोयला	210
बज-बज एक्स.	पश्चिम बंगाल	पी	सीईएससी	कोयला	250
				योग	460
योग 2009-10					9585

विवरण-IV

राज्यवार विद्युत आपूर्ति स्थिति की तुलना—ऊर्जा

(आंकडे एमयू नेट में)

राज्य	अप्रैल, 2011-मार्च, 2012				अप्रैल, 2010-मार्च, 2011				% परिवर्तन	
प्रणाली/ क्षेत्र	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/घाटा(-) (एमयू)	(%)	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/घाटा(-) (एमयू)	(%)	आवश्यकता (%)	उपलब्धता (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चंडीगढ	1,568	1,564	-4	-0.3	1,519	1,519	0	0.0	3.2	3.0
दिल्ली	26,751	26,674	-77	-0.3	25,625	25,559	-66	-0.3	4.4	4.4
हरियाणा	36,874	35,541	-1,333	-3.6	34,552	32,626	-1,926	-5.6	6.7	8.9
हिमाचल प्रदेश	8,161	8,107	-54	-0.7	7,626	7,364	-262	-3.4	7.0	10.1
जम्मू एवं कश्मीर	14,250	10,889	-3,361	-23.6	13,571	10,181	-3,390	-25.0	5.0	7.0
पंजाब	45,191	43,792	-1,399	-3.1	44,484	41,799	-2,685	-6.0	1.6	4.8
राजस्थान	51,474	49,491	-1,983	-3.9	45,261	44,836	-425	-0.9	13.7	10.4
उत्तर प्रदेश	81,339	72,116	-9,223	-11.3	76,292	64,846	-11,446	-15.0	6.6	11.2
उत्तराखंड	10,513	10,208	-305	-2.9	9,850	9,255	-595	-6.0	6.7	10.3
उत्तरी क्षेत्र	276,121	258,382	-17,739	-6.4	258,780	237,985	-20,795	-8.0	6.7	8.6
छत्तीसगढ़	15,013	14,615	-398	-2.7	10,340	10,165	-175	-1.7	45.2	43.8
गुजरात	74,696	74,429	-267	-0.4	71,651	67,534	-4,117	-5.7	4.2	10.2
मध्य प्रदेश	49,785	41,392	-8,393	-16.9	48,437	38,644	-9,793	-20.2	2.8	7.1
महाराष्ट्र	141,382	117,722	-23,660	-16.7	128,296	107,018	-21,278	-16.6	10.2	10.0
दमन और दीव	2,141	1,915	-226	-10.6	2,181	1,997	-184	-8.4	-1.8	-4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दादरा और नगर हवेली	4,380	4,349	-31	-0.7	4,429	4,424	-5	-0.1	-1.1	1.7
गोवा	3,024	2,981	-43	-1.4	3,154	3,089	-65	-2.1	-4.1	-3.5
पश्चिम क्षेत्र	**290,421**	**257,403**	**-33,018**	**-11.4**	**268,488**	**232,871**	**-35,617**	**-13.3**	**8.2**	**10.5**
आंध्र प्रदेश	91,730	85,149	-6,581	-7.2	78,970	76,450	-2,520	-3.2	16.2	11.4
कर्नाटक	60,830	54,023	-6,807	-11.2	50,474	46,624	-3,850	-7.6	20.5	15.9
केरल	19,890	19,467	-423	-2.1	18,023	17,767	-256	-1.4	10.4	9.6
तमिलनाडु	85,685	76,705	-8,980	-10.5	80,314	75,101	-5,213	-6.5	6.7	2.1
पुदुचेरी	2,167	2,136	-31	-1.4	2,123	2,039	-84	-4.0	2.1	4.8
लक्षद्वीप	37	37	0	0.0	25	25	0	0.0	48.0	48.0
दक्षिणी क्षेत्र	**260,302**	**237,480**	**-22,822**	**-8.8**	**229,904**	**217,981**	**-11,923**	**-5.2**	**13.2**	**8.9**
बिहार	14,311	11,260	-3,051	-21.3	12,384	10,772	-1,612	-13.0	15.6	4.5
डीवीसी	16,648	16,009	-639	-3.8	16,590	15,071	-1,519	-9.2	0.3	6.2
झारखंड	6,280	6,030	-250	-4.0	6,195	5,985	-210	-3.4	1.4	0.8
ओडिशा	23,036	22,693	-343	-1.5	22,506	22,449	-57	-0.3	2.4	1.1
पश्चिम बंगाल	38,679	38,281	-398	-1.0	36,481	35,847	-634	-1.7	6.0	6.8
सिक्किम	390	384	-6	-1.5	402	402	0	0.0	-3.0	-4.5
अंडमान-निकोबार	244	204	-40	-16.4	240	180	-60	-25	1.7	13.3
पूर्वी क्षेत्र	99,344	94,657	-4,687	-4.7	94,558	90,526	-4,032	-4.3	5.1	4.6
अरुणाचल प्रदेश	600	553	-47	-7.8	511	436	-75	-14.7	17.4	26.8
असम	6,034	5,696	-338	-5.6	5,403	5,063	-340	-6.3	11.7	12.5
मणिपुर	544	499	-45	-8.3	568	505	-63	-11.1	-4.2	-1.2
मेघालय	1,927	1,450	-477	-24.8	1,545	1,352	-193	-12.5	24.7	7.2
मिजोरम	397	355	-42	-10.6	369	315	-54	-14.6	7.6	12.7
नागालैंड	560	511	-49	-8.8	583	520	-63	-10.8	-3.9	-1.7
त्रिपुरा	949	900	-49	-5.2	882	801	-81	-9.2	7.6	12.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**11,011**	**9,964**	**-1,047**	**-9.5**	**9,861**	**8,992**	**-869**	**-8.8**	**11.7**	**10.8**
अखिल भारत	**937,199**	**857,886**	**-79,313**	**-8.5**	**861,591**	**788,355**	**-73,236**	**-8.5**	**8.8**	**8.8**

राज्यवार विद्युत आपूर्ति स्थिति की तुलना-पीक

(आंकड़े एमयू नेट में)

राज्य	अप्रैल, 2011-मार्च, 2012				अप्रैल, 2010-मार्च, 2011				% परिवर्तन	
प्रणाली/ क्षेत्र	मांग (मे.वा.)	पूर्ति (मे.वा.)	अधिशेष/घाटा(-) (मे.वा.)	(%)	मांग (मे.वा.)	पूर्ति (मे.वा.)	अधिशेष/घाटा(-) (मे.वा.)	(%)	मांग (%)	पूर्ति (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चंडीगढ़	263	263	0	0.0	301	301	0	0.0	-12.6	-12.6
दिल्ली	5,031	5,028	-3	-0.1	4,810	4,739	-71	-1.5	4.6	6.1
हरियाणा	6,533	6,259	-274	-4.2	6,142	5,574	-568	-9.2	6.4	12.3
हिमाचल प्रदेश	1,397	1,298	-99	-7.1	1,278	1,187	-91	-7.1	9.3	9.4
जम्मू और कश्मीर	2,385	1,789	-596	-25.0	2,369	1,571	-798	-33.7	0.7	13.9
पंजाब	10,471	8,701	-1,770	-16.9	9,399	7,938	-1,461	-15.5	11.4	9.6
राजस्थान	8,188	7,605	-583	-7.1	7,729	7,442	-287	-3.7	5.9	2.2
उत्तर प्रदेश	12,038	11,767	-271	-2.3	11,082	10,672	-410	-3.7	8.6	10.3
उत्तराखंड	1,612	1,600	-12	0.7	1,520	1,520	0	0.0	6.1	5.3
उत्तरी क्षेत्र	40,248	37,117	-3,131	-7.8	37,431	34,101	-3,330	-8.9	7.5	8.8
छत्तीसगढ़	3,239	3,093	-146	-4.5	3,148	2,838	-310	-9.8	2.9	9.0
गुजरात	10,951	10,759	-192	-1.8	10,786	9,947	-839	-7.8	1.5	8.2
मध्य प्रदेश	9,151	8,505	-646	-7.1	8,864	8,093	-771	-8.7	3.2	5.1
महाराष्ट्र	21,069	16,417	-4,652	-22.1	19,766	16,192	-3,574	-18.1	6.6	1.4
दमन और दीव	301	276	-25	-8.3	353	328	-25	-7.1	-14.7	-15.9
दादरा और नगर हवेली	615	605	-10	-1.6	594	594	0	0.0	3.5	1.9
गोवा	527	471	-56	-10.6	544	467	-77	-14.2	-3.1	0.9
पश्चिमी क्षेत्र	42,352	36,509	-5,843	-13.8	40,798	34,819	-5,979	-14.7	3.8	4.9
आंध्र प्रदेश	14,054	11,972	-2,082	-14.8	12,630	11,829	-801	-6.3	11.3	1.2
कर्नाटक	10,545	8,549	-1,996	-18.9	8,430	7,815	-615	-7.3	25.1	9.4
केरल	3,516	3,337	-179	-5.1	3,295	3,103	-192	-5.8	6.7	7.5
तमिलनाडु	12,813	10,566	-2,247	-17.5	11,728	10,436	-1,292	-11.0	9.3	1.2
पुदुचेरी	335	320	-15	-4.5	319	302	-17	-5.3	5.0	6.0
लक्षद्वीप	8	8	0	0.0	7	7	0	0.0	14.3	14.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दक्षिणी क्षेत्र	37,599	32,188	-5,411	-14.4	33,256	31,121	-2,135	-6.4	13.1	3.4
बिहार	2,031	1,738	-293	-14.4	2,140	1,659	-481	-22.5	-5.1	4.8
डीवीसी	2,318	2,074	-244	-10.5	2,059	2,046	-13	-0.6	12.6	1.4
झारखंड	1,030	868	-162	-15.7	1,108	1,052	-56	-5.1	-7.0	-17.5
ओडिशा	3,589	3,526	-63	-1.8	3,872	3,792	-80	-2.1	-7.3	-7.0
पश्चिम बंगाल	6,592	6,532	-60	-0.9	6,162	6,112	-50	-0.8	7.0	6.9
सिक्किम	100	95	-5	-5.0	106	104	-2	-1.9	-5.7	-8.7
अंडमान-निकोबार	48	48	0	0.0	40	32	-8	-20.0	20.0	50.0
पूर्वी क्षेत्र	**14,707**	**13,999**	**-708**	**-4.8**	**13,767**	**13,085**	**-682**	**-5.0**	**6.8**	**7.0**
अरुणाचल प्रदेश	121	118	-3	-2.5	101	85	-16	-15.8	19.8	38.8
असम	1,112	1,053	-59	-5.3	971	937	-34	-3.5	14.5	12.4
मणिपुर	116	115	-1	-0.9	118	115	-3	-2.5	-1.7	0.0
मेघालय	319	267	-52	-16.3	294	284	-10	-3.4	8.5	-6.0
मिजोरम	82	78	-4	-4.9	76	70	-6	-7.9	7.9	11.4
नागालैंड	111	105	-6	-5.4	118	110	-8	-6.8	-5.9	-4.5
त्रिपुरा	215	214	-1	-0.5	220	197	-23	-10.5	-2.3	8.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,920**	**1,782**	**-138**	**-7.2**	**1,913**	**1,560**	**-353**	**-18.5**	**0.4**	**14.2**
अखिल भारत	**130,006**	**116,191**	**-13,815**	**-10.6**	**122,287**	**110,256**	**-12,031**	**-9.8**	**6.3**	**5.4**

राज्यवार विद्युत आपूर्ति स्थिति की तुलना—ऊर्जा

(आंकड़े एमयू नेट में)

राज्य प्रणाली/ क्षेत्र	अप्रैल, 2011-मार्च, 2012				अप्रैल, 2010-मार्च, 2011				% परिवर्तन	
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/घाटा(-) (एमयू)	(%)	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/घाटा(-) (एमयू)	(%)	आवश्यकता (%)	उपलब्धता (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चंडीगढ़	1,519	1,519	0	0.0	1,576	1,528	-48	-3.0	-3.6	-0.6
दिल्ली	25,625	25,559	-66	-0.3	24,277	24,094	-183	-0.8	5.6	6.1
हरियाणा	34,552	32,626	-1,926	-5.6	33,441	32,023	-1,418	-4.2	3.3	1.9
हिमाचल प्रदेश	7,626	7,364	-262	-3.4	7,047	6,769	-278	-3.9	8.2	8.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जम्मू और कश्मीर	13,571	10,181	-3,390	-25.0	13,200	9,933	-3,267	-24.8	2.8	2.5
पंजाब	44,484	41,799	-2,685	-6.0	45,731	39,408	-6,323	-13.8	-2.7	6.1
राजस्थान	45,261	44,846	-425	-0.9	44,109	43,062	-1,047	-2.4	2.6	4.1
उत्तर प्रदेश	76,292	64,846	-11,446	-15.0	75,930	59,508	-16,422	-21.6	0.5	9.0
उत्तराखंड	9,850	9,255	-595	-6.0	8,921	8,338	-583	-6.5	10.4	11.0
उत्तरी क्षेत्र	**258,780**	**237,985**	**-20,795**	**-8.0**	**254,231**	**224,661**	**-29,570**	**-11.6**	**1.8**	**5.9**
छत्तीसगढ़	10,340	10,165	-175	-1.7	11,009	10,739	-270	-2.5	-6.1	-5.3
गुजरात	71,651	67,534	-4,117	-5.7	70,369	67,220	-3,149	-4.5	1.8	0.5
मध्य प्रदेश	48,437	38,644	-9,793	-20.2	43,179	34,973	-8,206	-19.0	12.2	10.5
महाराष्ट्र	128,296	107,018	-21,278	-16.6	124,936	101,512	-23,424	-18.7	2.7	5.4
दमन और दीव	2,181	1,997	-184	-8.4	1,934	1,802	-132	-6.8	12.8	10.8
दादरा और नगर हवेली	4,429	4,424	-5	-0.1	4,007	3,853	-154	-3.8	10.5	14.8
गोवा	3,154	3,089	-65	-2.1	3,092	3,026	-66	-2.1	2.0	2.1
पश्चिमी क्षेत्र	**268,488**	**232,871**	**-35,617**	**-13.3**	**258,528**	**223,127**	**-35,401**	**-13.7**	**3.9**	**4.4**
आंध्र प्रदेश	78,970	76,450	-2,520	-3.2	78,996	73,765	-5,231	-6.6	0.0	3.6
कर्नाटक	50,474	46,624	-3,850	-7.6	45,550	42,041	-3,509	-7.7	10.8	10.9
केरल	18,023	17,767	-256	-1.4	17,619	17,196	-423	-2.4	2.3	3.3
तमिलनाडु	80,314	75,101	-5,213	-6.5	76,293	71,568	-4,725	-6.2	5.3	4.9
पुदुचेरी	2,123	2,039	-84	-4.0	2,119	1,975	-144	-6.8	0.2	3.2
लक्षद्वीप	25	25	0	0.0	24	24	0	0.0	4.2	4.2
दक्षिणी क्षेत्र	**229,904**	**217,981**	**-11,923**	**-5.2**	**220,576**	**206,544**	**-14,032**	**-6.4**	**4.2**	**5.5**
बिहार	12,384	10,772	-1,612	-13.0	11,587	9,914	-1,673	-14.4	6.9	8.7
डीवीसी	16,590	15,071	-1,519	-9.2	15,199	14,577	-622	-4.1	9.2	3.4
झारखंड	6,195	5,985	-210	-3.4	5,867	5,407	-460	-7.8	5.6	10.7
उड़ीसा	22,506	22,449	-57	-0.3	21,136	20,955	-181	-0.9	6.5	7.1
पश्चिम बंगाल	36,481	35,847	-634	-1.7	33,750	32,819	-931	-2.8	8.1	9.2
सिक्किम	402	402	0	0.0	388	345	-43	-11.1	3.6	16.5
अंडमान निकोबार	240	180	-60	-25.0	240	180	-60	-25	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पूर्वी क्षेत्र	**94,558**	**90,526**	**-4,032**	**-4.3**	**87,927**	**84,017**	**-3,910**	**-4.4**	**7.5**	**7.7**
अरुणाचल प्रदेश	511	436	-75	-14.7	399	325	-74	-18.5	28.1	34.2
असम	5,403	5,063	-340	-6.3	5,122	4,688	-434	-8.5	5.5	8.0
मणिपुर	568	505	-63	-11.1	524	430	-94	-17.9	8.4	17.4
मेघालय	1,545	1,352	-193	-12.5	1,550	1,327	-223	-14.4	-0.3	1.9
मिजोरम	369	315	-54	-14.6	352	288	-64	-18.2	4.8	9.4
नागालैंड	583	520	-63	-10.8	530	466	-64	-12.1	10.0	11.6
त्रिपुरा	882	801	-81	-9.2	855	771	-8.4	-9.8	3.2	3.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**9,861**	**8,992**	**-869**	**-8.8**	**9,332**	**8,296**	**-1,036**	**-11.1**	**5.7**	**8.4**
अखिल भारत	**861,591**	**788,355**	**-73,236**	**-8.5**	**830,594**	**746,644**	**-83,950**	**-10.1**	**3.7**	**5.6**

राज्यवार विद्युत आपूर्ति स्थिति की तुलना—पीक

(आंकड़े एमयू नेट में)

राज्य/ प्रणाली/ क्षेत्र	अप्रैल, 2011-मार्च, 2012				अप्रैल, 2010-मार्च, 2011				% परिवर्तन	
	मांग (मेवा.)	पूर्ति (मेवा.)	अधिशेष/घाटा(-) (मेवा.)	(%)	मांग (मेवा.)	पूर्ति (मेवा.)	अधिशेष/घाटा(-) (मेवा.)	(%)	अधिशेष/घाटा(-) (मेवा.)	प्रणाली/ (मेवा.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चंडीगढ़	301	301	0	0.0	308	308	0	0.0	-2.3	-2.3
दिल्ली	4,810	4,739	-71	-1.5	4,502	4,408	-94	-2.1	6.8	7.5
हरियाणा	6,142	5,574	-568	-9.2	6,133	5,678	-455	-7.4	0.1	-1.8
हिमाचल प्रदेश	1,278	1,187	-91	-7.1	1,118	1,158	40	3.6	14.3	2.5
जम्मू और कश्मीर	2,369	1,571	-798	-33.7	2,247	1,487	-760	-33.8	5.4	5.6
पंजाब	9,399	7,938	-1,461	-15.5	9,786	7,407	-2,379	-24.3	-4.0	7.2
राजस्थान	7,729	7,442	-287	-3.7	6,859	6,859	0	0.0	12.7	8.5
उत्तर प्रदेश	11,082	10,672	-410	-3.7	10,856	8,563	-2,293	-21.1	2.1	24.6
उत्तराखंड	1,520	1,520	0	0.0	1,397	1,313	-84	-6.0	8.8	15.8
उत्तरी क्षेत्र	**37,431**	**34,101**	**-3,330**	**-8.9**	**37,159**	**31,439**	**-5,720**	**-15.4**	**0.7**	**8.5**
छत्तीसगढ़	3,148	2,838	-310	-9.8	2,819	2,703	-116	-4.1	11.7	5.0
गुजरात	10,786	9,947	-839	-7.8	10,406	9,515	-891	-8.6	3.7	4.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य प्रदेश	8,864	8,093	-771	-8.7	7,490	6,415	-1,075	-14.4	18.3	26.2
महाराष्ट्र	19,766	16,192	-3,574	-18.1	19,388	14,664	-4,724	-24.4	1.9	10.4
दमन और दीव	353	328	-25	-7.1	280	255	-25	-8.9	26.1	28.6
दादरा और नगर हवेली	594	594	0	0.0	529	494	-35	-6.6	12.3	20.2
गोवा	544	467	-77	-14.2	485	453	-32	-6.6	12.2	3.1
पश्चिमी क्षेत्र	**40,798**	**34,819**	**-5,979**	**-14.7**	**39,609**	**32,586**	**-7,023**	**-17.7**	**3.0**	**6.9**
आंध्र प्रदेश	12,630	11,829	-801	-6.3	12,168	10,880	-1,288	-10.6	3.8	8.7
कर्नाटक	8,430	7,815	-615	-7.3	7,942	6,897	-1,045	-13.2	6.1	13.3
केरल	3,295	3,103	-192	-5.8	3,109	2,982	-127	-4.1	6.0	4.1
तमिलनाडु	11,728	10,436	-1,292	-11.0	11,125	9,813	-1,312	-11.8	5.4	6.3
पुदुचेरी	319	302	-17	-5.3	327	294	-33	-10.1	-2.4	2.7
लक्षद्वीप	7	7	0	0.0	6	6	0	0.0	16.7	16.7
दक्षिणी क्षेत्र	**33,256**	**31,121**	**-2,135**	**-6.4**	**32,178**	**29,049**	**-3,129**	**-9.7**	**3.4**	**7.1**
बिहार	2,140	1,659	-481	-22.5	2,249	1,509	-740	-32.9	-4.8	9.9
डीवीसी	2,059	2,046	-13	-0.6	1,938	1,910	-28	-1.4	6.2	7.1
झारखंड	1,108	1,052	-56	-5.1	1,088	947	-141	-13.0	1.8	11.1
ओडिशा	3,872	3,792	-80	-2.1	3,188	3,120	-68	-2.1	21.5	21.5
पश्चिम बंगाल	6,162	6,112	-50	-0.8	6,094	5,963	-131	-2.1	1.1	2.5
सिक्किम	106	104	-2	-1.9	96	94	-2	-2.1	10.4	10.6
अंडमान-निकोबार	40	32	-8	-20.0	40	32	-8	-20.0	0.0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	**13,767**	**13,085**	**-682**	**-5.0**	**13,220**	**12,384**	**-836**	**-6.3**	**4.1**	**5.7**
अरुणाचल प्रदेश	101	85	-16	-15.8	95	78	-17	-17.9	6.3	9.0
असम	971	937	-34	-3.5	920	874	-46	-5.0	5.5	7.2
मणिपुर	118	115	-3	-2.5	111	99	-12	-10.8	6.3	16.2
मेघालय	294	284	-10	-3.4	280	250	-30	-10.7	5.0	13.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मिजोरम	76	70	-6	-7.9	70	64	-6	-8.6	8.6	9.4
नागालैंड	118	110	-8	-6.8	100	96	-4	-4.0	18.0	14.6
त्रिपुरा	220	197	-23	-10.5	176	173	-3	-1.7	25.0	13.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,913**	**1,560**	**-353**	**-18.5**	**1,760**	**1,445**	**-315**	**-17.9**	**8.7**	**8.0**
अखिल भारत	**122,287**	**110,256**	**-12,031**	**-9.8**	**119,166**	**104,009**	**-15,157**	**-12.7**	**2.6**	**6.0**

राज्यवार विद्युत आपूर्ति स्थिति की तुलना—ऊर्जा

(आंकड़े एमयू नेट में)

राज्य/ प्रणाली/ क्षेत्र	अप्रैल, 2009-मार्च, 2010 ऊर्जा				अप्रैल, 2008-मार्च, 2009 ऊर्जा				% परिवर्तन ऊर्जा	
	आवश्यकता (मे.वा.)	उपलब्धता (मे.वा.)	अधिशेष/घाटा(-) (मे.वा.)	(%)	आवश्यकता (मे.वा.)	उपलब्धता (मे.वा.)	अधिशेष/घाटा(-) (मे.वा.)	(%)	आवश्यकता (%)	उपलब्धता (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चंडीगढ़	1,576	1,528	-48	-3.0	1,414	1,414	0	0.0	11.5	8.1
दिल्ली	24,277	24,094	-183	-0.8	22,398	22,273	-125	-0.6	8.4	8.2
हरियाणा	33,441	32,023	-1,418	-4.2	29,085	26,625	-2,460	-8.5	15.0	20.3
हिमाचल प्रदेश	7,047	6,769	-278	-3.9	6,260	6,241	-19	-0.3	12.6	8.5
जम्मू और कश्मीर	13,200	9,933	-3,267	-24.8	11,467	8,698	-2,769	-24.1	15.1	14.2
पंजाब	45,731	39,408	-6,323	-13.8	41,635	37,238	-4,397	-10.6	9.8	5.8
राजस्थान	44,109	43,062	-1,047	-2.4	37,797	37,388	-409	-1.1	16.7	15.2
उत्तर प्रदेश	75,930	59,508	-16,422	-21.6	69,207	54,309	-14,898	-21.5	9.7	9.6
उत्तराखंड	8,921	8,338	-583	-6.5	7,841	7,765	-76	-1.0	13.8	7.4
उत्तरी क्षेत्र	**254,231**	**224,661**	**-29,570**	**-11.6**	**227,104**	**201,951**	**-25,153**	**-11.1**	**11.9**	**11.2**
छत्तीसगढ़	11,009	10,739	-270	-2.5	14,866	14,475	-391	-2.6	-25.9	-25.8
गुजरात	70,369	67,220	-3,149	-4.5	67,482	60,851	-6,631	-9.8	4.3	10.5
मध्य प्रदेश	43,179	34,973	-8,206	-19.0	42,054	34,841	-7,213	-17.2	2.7	0.4
महाराष्ट्र	124,936	101,512	-23,424	-18.7	121,901	95,761	-26,140	-21.4	2.5	6.0
दमन और दीव	1,934	1,802	-132	-6.8	1,797	1,576	-221	-12.3	7.6	14.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दादरा और नगर हवेली	4,007	3,853	-154	-3.8	3,574	3,457	-117	-3.3	12.1	11.5
गोवा	3,092	3,026	-66	-2.1	2,801	2,754	-47	-1.7	10.4	9.9
पश्चिमी क्षेत्र	**258,528**	**223,127**	**-35,401**	**-13.7**	**254,475**	**213,715**	**-40,760**	**-16.0**	**1.6**	**4.4**
आंध्र प्रदेश	78,996	73,765	-5,231	-6.6	71,511	66,673	-4,838	-6.8	10.5	10.6
कर्नाटक	45,550	42,041	-3,509	-7.7	43,168	40,578	-2,590	-6.0	5.5	3.6
केरल	17,619	17,196	-423	-2.4	17,645	15,562	-2,083	-11.8	-0.1	10.5
तमिलनाडु	76,293	71,568	-4,725	-6.2	69,668	64,208	-5,460	-7.8	9.5	11.5
पुदुचेरी	2,119	1,975	-144	-6.8	2,020	1,773	-247	-12.2	4.9	11.4
लक्षद्वीप	24	24	0	0.0	24	24	0	0.0	0.0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**220,576**	**206,544**	**-14,032**	**-6.4**	**204,012**	**188,794**	**-15,218**	**-7.5**	**8.1**	**9.4**
बिहार	11,587	9,914	-1,673	-14.4	10,527	8,801	-1,726	-16.4	10.1	12.6
डीवीसी	15,199	14,577	-622	-4.1	14,002	13,699	-303	-2.2	8.5	6.4
झारखंड	5,867	5,407	-460	-7.8	5,361	5,110	-251	-4.7	9.4	5.8
ओडिशा	21,136	20,955	-181	-0.9	20,519	20,214	-305	-1.5	3.0	3.7
पश्चिम बंगाल	33,750	32,819	-931	-2.8	31,289	30,290	-999	-3.2	7.9	8.3
सिक्किम	388	345	-43	-11.1	343	330	-13	-3.8	13.1	4.5
अंडमान-निकोबार	240	180	-60	-25.0	236	184	-52	-22.034	1.7	-2.2
पूर्वी क्षेत्र	**87,927**	**84,017**	**-3,910**	**-4.4**	**82,041**	**78,444**	**-3,597**	**-4.4**	**7.2**	**7.1**
अरुणाचल प्रदेश	399	325	-74	-18.5	426	271	-155	-36.4	-6.3	19.9
असम	5,122	4,688	-434	-8.5	5,107	4,567	-540	-10.6	0.3	2.6
मणिपुर	524	430	-94	-17.9	556	477	-79	-14.2	-5.8	-9.9
मेघालय	1,550	1,327	-223	-14.4	1,713	1,386	-327	-19.1	-9.5	-4.3
मिजोरम	352	288	-64	-18.2	330	269	-61	-18.5	6.7	7.1
नागालैंड	530	466	-64	-12.1	475	436	-39	-8.2	11.6	6.9
त्रिपुरा	855	771	-84	-9.8	800	728	-72	-9.0	6.9	5.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**9,332**	**8,296**	**-1,036**	**-11.1**	**9,407**	**8,134**	**-1,273**	**-13.5**	**-0.8**	**2.0**
अखिल भारत	**830,594**	**746,644**	**-83,950**	**-10.1**	**777,039**	**691,038**	**-86,001**	**-11.1**	**6.9**	**8.0**

राज्यवार विद्युत आपूर्ति स्थिति की तुलना-पीक

(आंकड़े एमयू नेट में)

राज्य/ प्रणाली/ क्षेत्र	अप्रैल, 2009-मार्च, 2010 पीक				अप्रैल, 2008-मार्च, 2009 पीक				% परिवर्तन पीक	
	मांग (मे.वा.)	पूर्ति (मे.वा.)	अधिशेष/घाटा(-) (मे.वा.)	(%)	मांग (मे.वा.)	पूर्ति (मे.वा.)	अधिशेष/घाटा(-) (मे.वा.)	(%)	मांग (%)	पूर्ति (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चंडीगढ़	308	308	0	0.0	279	279	0	0.0	10.4	10.4
दिल्ली	4,502	4,408	-94	-2.1	4,036	4,034	-2	0.0	11.5	9.3
हरियाणा	6,133	5,678	-455	-7.4	5,511	4,791	-720	-13.1	11.3	18.5
हिमाचल प्रदेश	1,118	1,158	40	3.6	1,055	1,014	-41	-3.9	6.0	14.2
जम्मू और कश्मीर	2,247	1,487	-760	-33.8	2,120	1,380	-740	-34.9	6.0	7.8
पंजाब	9,786	7,407	-2,379	-24.3	8,690	7,309	-1,381	-15.9	12.6	1.3
राजस्थान	6,859	6,859	0	0.0	6,303	6,101	-202	-3.2	8.8	12.4
उत्तर प्रदेश	10,856	8,563	-2,293	-21.1	10,587	8,248	-2,339	-22.1	2.5	3.8
उत्तराखंड	1,397	1,313	-84	-6.0	1,267	1,267	0	0.0	10.3	3.6
उत्तरी क्षेत्र	**37,159**	**31,439**	**-5,720**	**-15.4**	**33,034**	**29,504**	**-3,530**	**-10.7**	**12.5**	**6.6**
छत्तीसगढ़	2,819	2,703	-116	-4.1	2,887	2,830	-57	-2.0	-2.4	-4.5
गुजरात	10,406	9,515	-891	-8.6	11,841	8,960	-2,881	-24.3	-12.1	6.2
मध्य प्रदेश	7,490	6,415	-1,075	-14.4	7,564	6,810	-754	-10.0	-1.0	-5.8
महाराष्ट्र	19,388	14,664	-4,724	-24.4	18,049	13,766	-4,283	-23.7	7.4	6.5
दमन और दीव	280	255	-25	-8.9	240	215	-25	-10.4	16.7	18.6
दादरा और नगर हवेली	529	494	-35	-6.6	504	443	-61	-12.1	5.0	11.5
गोवा	485	453	-32	-6.6	466	413	-53	-11.4	4.1	9.7
पश्चिमी क्षेत्र	**39,609**	**32,586**	**-7,023**	**-17.7**	**37,240**	**30,153**	**-7,087**	**-19.0**	**6.4**	**8.1**
आंध्र प्रदेश	12,168	10,880	-1,288	-10.6	11,083	9,997	-1,086	-9.8	9.8	8.8
कर्नाटक	7,942	6,897	-1,045	-13.2	6,892	6,548	-344	-5.0	15.2	5.3
केरल	3,109	2,982	-127	-4.1	3,188	2,751	-437	-13.7	-2.5	8.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
तमिलनाडु	11,125	9,813	-1,312	-11.8	9,799	9,211	-588	-6.0	13.5	6.5
पुदुचेरी	327	294	-33	-10.1	304	275	-29	-9.5	7.6	6.9
लक्षद्वीप	6	6	0	0.0	6	6	0	0.0	0.0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**32,178**	**29,049**	**-3,129**	**-9.7**	**28,598**	**26,245**	**-2,713**	**-9.4**	**11.1**	**10.7**
बिहार	2,249	1,509	-740	-32.9	1,842	1,333	-509	-27.6	22.1	13.2
डीवीसी	1,938	1,910	-28	-1.4	2,217	2,178	-39	-1.8	-12.6	-12.3
झारखंड	1,088	947	-141	-13.0	889	887	-2	-0.2	22.4	6.8
ओडिशा	3,188	3,120	-68	-2.1	3,062	2,987	-75	-2.4	4.1	4.5
पश्चिम बंगाल	6,094	5,693	-131	-2.1	5,387	5,379	-8	-0.1	13.1	10.9
सिक्किम	96	94	-2	-2.1	97	95	-2	-2.1	-1.0	-1.1
अंडमान-निकोबार	40	32	-8	-20.0	40	38	-2	-5.0	0.0	-15.8
पूर्वी क्षेत्र	**13,220**	**12,384**	**-836**	**-6.3**	**12,901**	**11,789**	**-1,112**	**-8.6**	**2.5**	**5.0**
अरुणाचल प्रदेश	95	78	-17	-17.9	130	79	-51	-39.2	-26.9	-1.3
असम	920	874	-46	-5.0	958	797	-161	-16.8	-4.0	9.7
मणिपुर	111	99	-12	-10.8	128	95	-33	-25.8	-13.3	4.2
मेघालय	280	250	-30	-10.7	457	293	-164	-35.9	-38.7	-14.7
मिजोरम	70	64	-6	-8.6	100	64	-36	-36.0	-30.0	0.0
नागालैंड	100	96	-4	-4.0	95	86	-9	-9.5	5.3	11.6
त्रिपुरा	176	173	-3	-1.7	167	156	-11	-6.6	5.4	10.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,760**	**1,445**	**-315**	**-17.9**	**1,820**	**1,358**	**-462**	**-25.4**	**-3.3**	**6.4**
अखिल भारत	**119,166**	**104,009**	**-15,157**	**-12.7**	**109,809**	**96,785**	**-13,024**	**-11.9**	**8.5**	**7.5**

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

183. श्री महेश जोशी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उपर्युक्त प्रस्तावों की राज्य-वार क्या स्थिति है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	15.11.2012 तक रिलीज की गई राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21	21	950.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	50.00
3.	असम	7	7	350.00
4.	बिहार	33	32	1500.00
5.	छत्तीसगढ़	19	17	760.00
6.	गोवा	0	0	0.00
7.	गुजरात	22	21	970.00
8.	हरियाणा	20	15	710.00
9.	हिमाचल प्रदेश	8	8	400.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0.00
11.	झारखंड	21	20	1000.00
12.	कर्नाटक	27	27	1963.54
13.	केरल	12	12	530.00
14.	मध्य प्रदेश	50	50	2500.00
15.	महाराष्ट्र	23	21	1050.00
16.	मणिपुर	0	0	0.00
17.	मेघालय	1	1	50.00
18.	मिजोरम	1	1	50.00
19.	नागालैंड	1	1	50.00
20.	ओडिशा	22	22	1010.00
21.	पंजाब	12	12	610.00
22.	राजस्थान	23	22	1020.00
23.	सिक्किम	1	1	50.00

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	9	7	207.50
25.	त्रिपुरा	2	1	50.00
26.	उत्तर प्रदेश	33	32	550.00
27.	उत्तराखंड	8	7	400.00
28.	पश्चिम बंगाल	10	10	130.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	1	1	50.00
31.	दमन और दीव	0	0	0.00
32.	लक्षद्वीप	1	1	50.00
33.	पुदुचेरी	1	1	10.00
	कुल	367	350	17021.04

[अनुवाद]

तोड़-फोड़ के कारण दुर्घटनाएं

184. **श्री वैजयंत पांडा:**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री बद्रीराम जाखड:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर गत तीन महीनों के दौरान विशेषत: ओडिशा और महाराष्ट्र में नक्सली/आतंकी संगठनों द्वारा की गई तोड़-फोड़ के परिणामस्वरूप जोन-वार हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन दुर्घटनाओं में मारे गए तथा घायल हुए लोगों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान रेलवे को हुई सम्पत्ति की हानि का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) रेलवे द्वारा नक्सली/आतंकी संगठनों की ट्रेनों में तोड़-फोड़ और रेलपथों को क्षतिग्रस्त करने की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए किए गए व्यापक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे में रेल सुरक्षा बल की स्वीकृत पद संख्या कितनी है तथा खाली पदों की जोन-वार क्या स्थिति है एवं इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) जोनल रेलों पर वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (सितंबर तक) के दौरान नक्सलवादियों/आतंकवादियों द्वारा की गई तोड़-फोड़ के परिणामस्वरूप घटनाओं की संख्या और ओडिशा एवं महाराष्ट्र के अधिकार-क्षेत्र में अगस्त, 2012, सितंबर, 2012 एवं अक्तूबर, 2012 के दौरान दर्ज की गई घटनाओं की संख्या, पीड़ितों को दिए गए मुआवजे तथा रेलों को हुई संपत्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) रेलों पर पुलिस राज्य का विषय है और रेल परिसरों, चलती गाड़ियों के साथ-साथ रेलपथों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व है, इस प्रकार स्थानीय पुलिस एवं संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस को अपराध के मामलों की रिपोर्ट की जाती है, उनके द्वारा दर्ज किया जाता है और उनके द्वारा जांच की जाती है। प्रभावित क्षेत्रों में रेल कर्मचारियों, संपत्ति एवं यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर रेलें विभिन्न स्तरों पर नियमित समन्वय बनाए रखती हैं।

रेल परिसरों पर अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा रेलों ने निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं:

(i) भेद्य क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महत्त्वपूर्ण गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

(ii) 202 संवदेनशील और भेद्य रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए क्लोज़ सर्किट टेलीविजन कैमरा नेटवर्क के माध्यम से भेद्य स्टेशनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, एक्सेस कंट्रोल, तोड़फोड़ निरोधक जांचों से युक्त एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया है।

(ङ) जोनल रेलों पर रिक्त पदों की स्थिति के साथ-साथ रेलवे सुरक्षा बल की स्वीकृत संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। 27.02.2011 को कांस्टेबलों के लिए और 13.04.2011 को सब-इंस्पेक्टरों के लिए अधिसूचना जारी करके 2011 की पहली तिमाही में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास पहले ही शुरु कर दिए गए हैं। सब-इंस्पेक्टर के 511 पदों के लिए लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और कांस्टेबलों के 11952 पदों के संबंध में प्राप्त आवेदनों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

विवरण-*I*

(क) से (ग) भारतीय रेलों (जोन-वार) द्वारा वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (सितंबर तक) के दौरान नक्सलवादियों/आतंकवादियों द्वारा की गई तोड़-फोड़ के परिणामस्वरूप घटनाओं की संख्या, पीड़ितों को दिए गए मुआवजे की राशि तथा रेलवे संपत्ति के नुकसान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

रेलवे	वर्ष	दर्ज की गई तोड़फोड़ की घटनाओं की संख्या	पीड़ितों को दिए गए मुआवजे की राशि	रेलवे संपत्ति का नुकसान (रुपये में)
1	2	3	4	5
मध्य	2009	-	-	-
	2010	-	-	-
	2011	-	-	-
	2012	-	-	-
पूर्व	2009	2	-	6,29,283
	2010	3	-	3,01,901
	2011	-	-	-
	2012	-	-	-
पूर्व मध्य	2009	21	-	1,75,984
	2010	25	-	7,69,15,563
	2011	12	-	40,000
	2012	3	-	8,86,150

1	2	3	4	5
पूर्व तट	2009	5	–	23,25,837
	2010	9	–	57,23,7470
	2011	15	–	1,01,51,456
	2012	8	–	2,36,94,131
उत्तर	2009	–	–	–
	2010	1	–	37,200
	2011	1	–	4,620
	2012	–	–	–
उत्तर मध्य	2009	–	–	–
	2010	–	–	–
	2011	–	–	–
	2012	–	–	–
पूर्वोत्तर	2009	–	–	–
	2010	–	–	–
	2011	–	–	–
	2012	–	–	–
पूर्वोत्तर सीमा	2009	3	–	6,29,37,723
	2010	4	4.13 लाख	8,82,96,413
	2011	4	–	2,60,92,554
	2012	2	–	–
उत्तर पश्चिम	2009	–	–	–
	2010	–	–	–
	2011	–	–	–
	2012	–	–	–
दक्षिण	2009	–	–	–
	2010	–	–	–
	2011	–	–	–
	2012	–	–	–

1	2	3	4	5
दक्षिण मध्य	2009	–	–	–
	2010	–	–	–
	2011	–	–	–
	2012	–	–	–
दक्षिण पूर्व	2009	6	–	–
	2010	2	–	–
	2011	2	–	–
	2012	–	–	–
दक्षिण पूर्व मध्य	2009	–	–	–
	2010	–	–	–
	2011	–	–	–
	2012	–	–	–
दक्षिण पश्चिम	2009	–	–	–
	2010	–	–	–
	2011	–	–	–
	2012	–	–	–
पश्चिम	2009	–	–	–
	2010	–	–	–
	2011	–	–	–
	2012	–	–	–
पश्चिम मध्य	2009	–	–	–
	2010	–	–	–
	2011	–	–	–
	2012	–	–	–
कुल	2009	37	–	6,60,68,827
	2010	44	4.13 लाख	22,27,88,547
	2011	34	–	3,62,88,630
	2012	13	–	2,45,80,281

अगस्त, सितंबर और अक्तूबर 2012 माह के दौरान ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र में तोड़फोड़ की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

विवरण-II

रिक्त पदों की स्थिति के साथ रेलवे सुरक्षा बल की जोन-वार स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है:

रेलवे	स्वीकृत संख्या	रिक्त पद
मध्य	5239	1235
पूर्व	8721	1775
पूर्व मध्य	3918	934
पूर्व तट	2515	627
उत्तर	7892	962
उत्तर मध्य	2944	333
पूर्वोत्तर	3266	443
पूर्वोत्तर सीमा	4153	729
उत्तर पश्चिम	2175	405
दक्षिण	4796	840
दक्षिण मध्य	3242	631
दक्षिण पूर्व	4919	1504
दक्षिण पूर्व मध्य	1764	400
दक्षिण पश्चिम	1538	263
पश्चिम	5277	1371
पश्चिम मध्य	1790	400
आरपीएसएफ	10965	2698
कुल	75114	15550

ट्रैक बिछाने की मशीन का उपयोग

185. **श्री मानिक टैगोर:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में रेल लाइन बिछाने के लिए विदेश से ट्रैक बिछाने वाली मशीनें खरीदने और उनका उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके वित्तीय पदों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ट्रैक बिछाने के परम्परागत तरीके की तुलना में ऐसी मशीनों के उपयोग की लागत प्रभावकारिता क्या है; और

(घ) देश में ऐसी मशीनों का उपयोग करके रेल लाइन बिछाने हेतु जोन-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) जी नहीं, फिलहाल, देश से रेल लाइनें बिछाने के लिए विदेश में रेलपथ बिछाने वाली मशीन खरीदने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजना के ठेकों में ठेकेदार की रेलपथ बिछाने वाली मशीन द्वारा पटरियां बिछाने की व्यवस्था है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलपथ बिछाने वाली मशीन द्वारा रेलपथ बिछाने की गुणवत्ता और रेलपथ बिछाने की गति परम्परागत मैनुअल विधि की तुलना में बेहतर है। अब रेलपथ के निर्माण में कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग किया जाता है जो भारी और भंगुर होते हैं और परम्परागत मैनुअल विधि द्वारा रेलपथ बिछाने के दौरान नुकसान होने का खतरा रहता है। इस तरह से मैनुअल रेलपथ बिछाने की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। बहुत से देशों में रेलपथ बिछाने वाली मशीनें उपयोग में लाई जाती है, बहरहाल, भारत में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि फिहाल यह टैक्नोलोजी उपलब्ध नहीं है। रेलपथ बिछाने के लिए इन मशीनों का उपयोग करने से अनुरक्षण लागत में कमी आएगी और सवारी गुणवत्ता में सुधार होने के अलावा रेलपथ की समग्र जीवन-चक्र लागत कम हो जाएगी।

(घ) रेलपथ बिछाने वाली मशीनों का उपयोग करके देश में रेल लाइनें बिछाने के लिए फिलहाल लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण का पुनर्गठन

186. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
श्री संजय भोई:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री पी. लिंगम:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण का पुनर्गठन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस वास्ते राज्य-वार तथा कंपनी-वार कितनी राहत राशि निर्धारित की गई है;

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों के ऋण का पुनर्गठन कब तक करने की संभावना है; और

(घ) विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण के पुनर्गठन का विद्युत प्रशुल्क पर क्या संभावित प्रभाव होगा तथा देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने राज्यों के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों के वित्तीय कारोबार (टर्न-अराउंड) के लिए केन्द्र सरकार के परिवर्ती वित्त तंत्र के माध्यम से सहायता देते हुए उनके ऋणों की पुनर्संरचना द्वारा उनके वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम अनुमोदित कर दी है। इय योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ग) और (घ) यह योजना 05.10.2012 से लागू है तथा 31 दिसंबर, 2012 अथवा भारत सरकार द्वारा बढ़ाई गई तिथि तक खुली रहेगी। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा पुनर्गठन योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए है। इस प्रकार के पुनर्गठन का प्रभाव राज्यों के स्वामित्व वाले डिस्काम्स की दीर्घावधि वित्तीय व्यवहार्यता को अंततः सुनिश्चित करना है।

विवरण

योजना की मुख्य विशेषताएं

(क) (i) 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 50% बकाया लघु अवधि देयताओं को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा इसे डिस्कॉम द्वारा प्रथमतः विनियमित कर बांड के रूप में साझेदार उधारदाता के पक्ष में जारी किया जाएगा। राज्य सरकार इस देयता को अगले 2-5 वर्षों के दौरान साझेदार उधारदाताओं के पक्ष में चरणबद्ध आधार पर विशेष प्रतिभूति जारी कर इस बात पर ध्यान रखते हुए समस्त ऋण लघु अवधि देयता का 50% (उपलब्ध राजकोषीय अवधि में) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मूल राशि की परिपक्वता अदायगी हर मामले में उसे 3-5 वर्षों के ऋण स्थगन अवधि के साथ 15 वर्षो से अधिक नहीं होगी।

(ii) राज्य सरकार इस अंश (भाग) के ब्याज तथा मूल की अदायगी में डिस्कॉम का भरपूर सहयोग करेगी।

(iii) राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि संबंधित राज्यों के एफआरबीएम अधिनियमों में निर्धारित लक्ष्यों तक ही विशेष प्रतिभूतियां जारी हों और यदि एफआरबीएम लक्ष्यों के अंतरण डेब्ट-जीएसडीपी अनुपात सहित राजकोषीय अवधि विद्यमान है तो भी राज्य तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार उनसे संबंधित निवल उधार सीमा (प्रत्येक संगत वित्त वर्ष के मामले में) तक ही रहना आवश्यक है।

(ख) लघु अवधि देयताओं के शेष 50% के सबंध में उधारदाताओं द्वारा पुनःसारणीबद्ध किया जायेगा तथा मूल राशि के सामने में 3 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के साथ इसका लेखा-जोखा डिस्कॉम द्वारा रखा जायेगा। मूल तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार की पूरी गारंटी होगी। डिस्कॉम परिचालनों के सुधार के लिए ऋणों के पुनःसारणीबद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

(ग) वितरण यूटिलिटियों के प्रचालन निष्पादन में सुधार हेतु डिस्कॉम/राज्यों द्वारा ठोस तथा परिमाणात्मक कार्रवाई के साथ ऋण की पुनर्संरचना/पुनः सारणीबद्ध करना है और योजना के भाग (ग) में उल्लिखित कतिपय आवश्यक तथा अनुशंसात्मक शर्तों को निभाने के लिए राज्य सरकार/डिस्कॉम वचनबद्ध है।

(घ) पुनर्गठन प्रयासों के समर्थन में केन्द्र सरकार द्वारा परिवर्ती वित्त तंत्र (टीएफएम) उपलब्ध है बशर्ते की स्कीम के भाग (ग) में दी गयी अनिवार्य शर्तें पूरी हों। टीएफएम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं–

(i) आर-एपीडीआरपी (त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के अधीन विनिर्दिष्ट ट्रांजेक्ट्री हानि के परे-त्वरित एटी एंड सी हानि में कमी के जरिए बचाई गई अतिरिक्त ऊर्जा के बराबर अनुदान के माध्यम से लिक्विडिटी सहायता प्रदान करने हेतु—

- अनुदान की पात्रता केवल तभी उत्पन्न होगी यदि वर्ष के दौरान एआरआर तथा एसीएस के बीच का अंतर में वर्ष 2010-11 के लिए बैंचमार्क की तुलना में वर्ष के दौरान व्यय से 25% की कमी आंकी गई हो।
- यह स्कीम वर्ष 2012-13 में शुरू होकर केवल 3 वर्षों के लिए उपलब्ध रहेगी।

(ii) स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ली गई देयता पर राज्य सरकार द्वारा मूलधन अदायगी के 25% की पूंजी प्रतिपूर्ति सहायता के जरिए प्रोत्साहन दिया जाता है। राशि की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जाएगी जब राज्य सरकार 31.3.2012 को बकाया लघु अवधि देयताओं (संचित हानियों के तद्नुरूप) के पूर्ण 50% राशि

ले ले। परिवर्ती वित्त तंत्र के विस्तृत दिशा-निर्देश जैसा ऊपर बताया गया है को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

(ङ) ह्रासमान पैमाने पर प्रथम 3 वर्षों के लिए प्रचालन हानियों एवं ब्याज के वित्त पोषण के लिए सचिव वित्तीय सेवा विभाग द्वारा विद्युत मंत्रालय एवं संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र द्वारा उचित परामर्श के पश्चात् अलग व्यवस्था बनाई गई। प्रचालन हानियों का शेष भाग का वित्त पोषण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

[अनुवाद]

मांग और पूर्ति का आकलन

187. **श्री पी.टी. थॉमस:**
श्री सी. शिवासामी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने देश में व्यस्ततम और कम व्यस्त घंटों में विद्युत की मांग और पूर्ति की स्थिति का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में विद्युत की कितनी कमी बताई गई है;

(ग) सीईए द्वारा किए गए गत सर्वेक्षण का और विद्युत घाटे का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी वार्षिक भार उत्पादन संतुलन रिपोर्ट में देश में वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत आवश्यकता और विद्युत आपूर्ति स्थिति का आकलन किया है। राज्य/यूटी-वार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) देश में राज्य/यूटी/अखिल भारतीय विद्युत मांग पर लघु, मध्यम और दीर्घावधि आधार पर पूर्वानुमान हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आवधिक इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण किया जाता है।

18वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार 12वीं योजना (2016-17) के अंत तक अखिल भारतीय इलेक्ट्रिक ऊर्जा मांग 1354 बीयू का अनुमान लगाया गया है, जबकि अखिल भारतीय पीक इलेक्ट्रिकल विद्युत मांग 199.54 जीडब्ल्यू होने का अनुमान लगाया गयाा है। 13वीं योजना (2021-22) के अंत तक अखिल भारतीय इलेक्ट्रिक ऊर्जा आवश्यकता 1904.86 बीयू होने का अनुमान है और अखिल भारतीय पीक इलेक्ट्रिकल मांग 283.47 जीडब्ल्यू होने का अनुमान लगाया गया है।

वर्ष 2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक) के दौरान राज्य/यूटी-वार वास्तविक मांग और उपलब्धता की तुलना में विद्युत की कमी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) देश में विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं–

(i) 11वीं योजना के दौरान 54,964 मेगावाट की उपलब्धि की तुलना में 12वीं योजना के दौरान 88,537 मेगावाट (नवीकरणीय सहित) के प्रस्तावित लक्ष्य के साथ अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना।

(ii) चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी करना।

(iii) आर्थिक पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 4,000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं का विकास।

(iv) 12वीं योजना के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाओं का अग्रिम नियोजन।

(v) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपकरणों की घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना।

(vi) विद्यमान उत्पादन क्षमता को इष्टतम उपयोग हेतु हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत केंद्रों का समन्वित संचालन और रख-रखाव।

(vii) स्वदेशी स्रोतों से ताप विद्युत केंद्रों के लिए कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने हेतु विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयले के आयात पर बल।

(viii) पुरानी और अकुशल उत्पादन इकाइयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।

(ix) उपलब्ध विद्युत के इष्टतम उपयोग के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर्क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को सुदृढ़ करना।

(x) हानि को कम करने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में उप ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना।

(xi) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कुशलता और मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहित करना।

विवरण-II

2012-13 में अनुमानित वार्षिक विद्युत आपूर्ति की राज्य/यूटी में स्थिति

राज्य/क्षेत्र	ऊर्जा				उच्चतम मांग			
	आवश्यकता (मियू)	उपलब्धता (मियू)	अतिरिक्त(+)/कमी(−) (मियू)	अतिरिक्त(+)/कमी(−) (%)	आवश्यकता (मेगावाट)	उपलब्धता (मेगावाट)	अतिरिक्त(+)/कमी(−) (मेगावाट)	अतिरिक्त(+)/कमी(−) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1628	1749	121	7.4	300	291	-9	-3.0
दिल्ली	28604	34394	5790	20.2	5500	5486	-14	-0.3
हरियाणा	40296	41373	1077	2.7	7200	7000	-200	-2.8
हिमाचल प्रदेश	8792	8675	-117	-1.3	1420	2164	744	52.4
जम्मू और कश्मीर	15353	11297	-4056	-26.4	2650	1996	-654	-24.7
पंजाब	48881	39918	-8962	-18.3	10890	7216	-3674	-33.7
राजस्थान	57139	51006	-6133	-10.7	9200	8191	-1009	-11.0
उत्तर प्रदेश	87153	70509	-16644	-19.1	12500	10377	-2123	-17.0
उत्तराखंड	11322	8573	-2749	-24.3	1692	1606	-86	-5.1
उत्तरी क्षेत्र	299166	267495	-31672	-10.6	44953	39429	-5524	-12.3
छत्तीसगढ़	23992	31222	7230	30.1	3215	3169	-46	-1.4
गुजरात	76752	72931	-3821	-5.0	11489	10760	-729	-6.4
मध्य प्रदेश	52700	44758	-7942	-15.1	8500	7369	-1131	-13.3
महाराष्ट्र	121120	106497	-14623	-12.1	18550	15798	-2752	-14.8
दमन और दीव	2451	2252	-199	-8.1	325	262	-63	-19.4
दादरा और नागर हवेली	5100	5621	521	10.2	630	621	-9	-1.4
गोवा	3426	3075	-351	-10.3	480	418	-62	-12.9
पश्चिमी क्षेत्र	285541	286497	956	0.3	40659	39352	-1307	-3.2
आंध्र प्रदेश	99734	76979	-22755	-22.8	15127	10697	-4430	-29.3
कर्नाटक	62255	61422	-833	-1.3	8838	7535	-1303	-14.7
केरल	19865	16876	-2989	-15.1	3680	2998	-682	-18.5
तमिलनाडु	92637	65260	-27377	-29.6	13427	9299	-4128	-30.7
पुदुचेरी	2989	2734	-255	-8.5	468	374	-94	-20.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दक्षिणी क्षेत्र	277480	223271	−54209	−19.5	39614	29178	−10436	−26.3
बिहार	14550	11609	−2940	−20.2	2500	1726	−774	−31.0
डीवीसी	18427	18959	532	2.9	2625	3040	415	15.8
झारखंड	7486	6149	−1338	−17.9	1260	1005	−255	−20.2
ओडिशा	25798	24523	−1275	−4.9	3700	4168	468	12.6
पश्चिम बंगाल	44409	43674	−735	−1.7	7194	6980	−214	−3.0
सिक्किम	489	917	428	87.5	120	161	41	34.2
पूर्वी क्षेत्र	111159	105831	−5328	−4.8	17922	17966	44	0.3
अरुणाचल प्रदेश	719	532	−187	−26.0	151	120	−31	−20.5
असम	6490	5512	−978	−15.1	1262	987	−275	−21.8
मणिपुर	564	627	63	11.2	149	122	−27	−18.1
मेघालय	2130	1696	−434	−20.4	515	358	−157	−30.5
मिजोरम	441	418	−23	−5.2	96	74	−22	−22.9
नागालैंड	615	459	−156	−25.4	148	89	−59	−39.9
त्रिपुरा	1011	1033	22	2.2	263	174	−89	−33.8
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	11970	10277	−1692	−14.1	2314	1807	−507	−21.9
अखिल भारतीय	**985317**	**893371**	**−91946**	**−9.3**	**140090**	**125234**	**−14856**	**−10.6**

विवरण-II

विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अनंतिम)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अक्तूबर, 2012				अप्रैल, 2012–अक्तूबर, 2012			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अतिरिक्त(+)/कमी(−)		आवश्यकता	उपलब्धता	अतिरिक्त(+)/कमी(−)	
	(मियू)	(मियू)	(मियू)	(%)	(मियू)	(मियू)	(मियू)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	117	117	0	0.0	1,102	1,102	0	0.0
दिल्ली	1,964	1,961	−3	−0.2	17,551	17,455	−96	−0.5
हरियाणा	3,515	3,295	−220	−6.3	26,278	23,836	−2,442	−9.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	724	705	−19	−2.6	5,334	5,202	−132	−2.5
जम्मू और कश्मीर	1,289	966	−323	−25.1	8,443	6,332	−2,111	−25.0
पंजाब	3,643	3,501	−142	−3.9	33,153	31,016	−2,137	−6.4
राजस्थान	4,923	4,758	−165	−3.4	30,447	28,964	−1,483	−4.9
उत्तर प्रदेश	7,954	6,419	−1,535	−19.3	54,882	46,131	−8,751	−15.9
उत्तराखंड	934	881	−53	−5.7	6,784	6,361	−423	−6.2
उत्तरी क्षेत्र	25,063	22,603	−2,460	−9.8	183,974	166,399	−17,575	−9.6
छत्तीसगढ़	1,462	1,450	−12	−0.8	10,121	9,951	−170	−1.7
गुजरात	8,831	8,831	0	0.0	51,056	50,911	−145	−0.3
मध्य प्रदेश	4,163	3,781	−382	−9.2	24,810	22,923	−1,887	−7.6
महाराष्ट्र	10,423	10,127	−296	−2.8	74,172	71,577	−2,595	−3.5
दमन और दीव	157	139	−18	−11.5	1,147	1,033	−114	−9.9
दादरा और नगर हवेली	338	336	−2	−0.6	2,657	2,487	−170	−6.4
गोवा	237	232	−5	−2.1	1,794	1,738	−56	−3.1
पश्चिमी क्षेत्र	25,611	24,896	−715	−2.8	165,757	160,620	−5,137	−3.1
आंध्र प्रदेश	8,604	6,976	−1,628	−18.9	57,089	47,550	−9,539	−16.7
कर्नाटक	5,293	4,610	−683	−12.9	37,699	32,607	−5,092	−13.5
केरल	1,780	1,687	−93	−5.2	12,328	11,907	−421	−3.4
तमिलनाडु	7,044	5,385	−1,659	−23.6	53,164	44,578	−8,586	−16.2
पुदुचेरी	185	182	−3	−1.6	1,393	1,357	−36	−2.6
लक्षद्वीप	3	3	0	0.0	21	21	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	22,906	18,840	−4,066	−17.8	161,673	137,999	−23,674	−14.6
बिहार	1,258	1,031	−227	−22.0	8,474	7,552	−922	−10.9
डीवीसी	1,601	1,522	−79	−5.2	10,135	9,657	−478	−4.7
झारखंड	557	542	−15	−2.8	3,916	3,806	−110	−2.8
ओडिशा	2,224	2,211	−13	−0.6	15,545	14,855	−690	−4.4
पश्चिम बंगाल	3,810	3,791	−19	−0.5	26,544	26,305	−239	−0.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिक्किम	34	35	1	2.9	233	233	0	0.0
अंडमान और निकोबार	20	15	-5	-25.0	141	111	-30	-21.3
पूर्वी क्षेत्र	9,484	9,132	-125	-1.3	65,552	62,408	-3,144	-4.8
अरुणाचल प्रदेश	51	47	-4	-7.8	355	332	-23	-6.5
असम	584	564	-20	-3.4	3,969	3,699	-270	-6.8
मणिपुर	55	52	-3	-5.5	324	307	-17	-5.2
मेघालय	154	131	-23	-14.9	1,011	862	-149	-14.7
मिजोरम	35	32	-3	-8.6	230	212	-18	-7.8
नागालैंड	50	47	-3	-6.0	326	306	-20	-6.1
त्रिपुरा	101	96	-5	-5.0	650	615	-35	-5.4
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1,030	969	-61	-5.9	6,865	6,333	-532	-7.7
अखिल भारतीय	84,094	76,440	-7,654	-9.1	583,821	533,759	-50,062	-8.6

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्वयं की प्रणाली है, इनके यहां विद्युत की आपूर्ति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।

टिप्पणी-विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों सकल खपत को दर्शाते हैं (पारेषण हानियों सहित)। सकल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों के खाते में दर्शाया जाता है।

उच्चतम मांग एवं उपलब्धता (अनंतिम)

राज्य/प्रणाली क्षेत्र	अक्तूबर, 2012				अप्रैल, 2012-अक्तूबर, 2012			
	आवश्यकता (मेगावाट)	उपलब्धता (मेगावाट)	अतिरिक्त(+)/कमी(-) (मेगावाट)	(%)	मांग (मेगावाट)	उपलब्धता (मेगावाट)	अतिरिक्त(+)/कमी(-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	242	242	0	0.0	340	340	0	0.0
दिल्ली	3,995	3,995	0	0.0	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	5,989	5,989	0	0.0	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	1,462	1,380	-82	-5.6	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू और कश्मीर	2,248	1,686	-562	-25.0	2,284	1,713	-571	-25.0
पंजाब	8,441	6,860	-1,581	-18.7	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	7,454	7,454	0	0.0	7,765	7,690	-75	-1.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	11,883	10,471	-1,412	-11.9	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखंड	1,672	1,592	-80	-4.8	1,757	1,646	-111	-6.3
उत्तरी क्षेत्र	40,856	36,518	-4,338	-10.6	45,860	41,790	-4,070	-8.9
छत्तीसगढ़	2,971	2,860	-111	-3.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	11,999	11,960	-39	-0.3	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	8,920	8,802	-118	-1.3	8,920	8,802	-118	-1.3
महाराष्ट्र	17,114	16,395	-719	-4.2	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन और दीव	299	274	-25	-8.4	311	286	-25	-8.0
दादरा और नगर हवेली	605	605	0	0.0	629	629	0	0.0
गोवा	438	389	-49	-11.2	452	452	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	40,075	39,486	-589	-1.5	40,075	39,486	-589	-1.5
आंध्र प्रदेश	13,720	10,901	-2,819	-20.5	13,974	11,335	-2,639	-18.9
कर्नाटक	8,957	7,601	-1,356	-15.1	10,124	8,264	-1,860	-18.4
केरल	3,414	3,024	-390	-11.4	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	12,544	10,269	-2,275	-18.1	12,606	11,053	-1,553	-12.3
पुदुचेरी	333	315	-18	-5.4	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	8	8	0	0.0	8	8	0	0.0
दक्षिण क्षेत्र	35,127	29,281	-5,846	-16.6	36,934	31,287	-5,647	-15.3
बिहार	2,183	1,684	-499	-22.9	2,295	1,784	-511	-22.3
डीवीसी	2,328	2,246	-82	-3.5	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखंड	1,071	989	-82	-7.7	1,106	1,033	-73	-6.6
ओडिशा	3,642	3,447	-195	-5.4	3,968	3,694	-274	-6.9
पश्चिम बंगाल	6,722	6,686	-36	-0.5	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	95	95	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान निकोबार	40	32	-8	-20.0	48	48	0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	14,992	14,155	-837	-5.6	16,655	15,415	-1,240	-7.4
अरुणाचल प्रदेश	105	101	-4	-3.8	116	114	-2	-1.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	1,124	1,098	-26	-2.3	1,186	1,098	-88	-7.4
मणिपुर	117	110	-7	-6.0	120	119	-1	-0.8
मेघालय	263	264	1	0.4	287	279	-8	-2.8
मिजोरम	68	65	-3	-4.4	68	65	-3	-4.4
नागालैंड	110	109	-1	-0.9	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	229	228	-1	-0.4	229	228	-1	-0.4
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	1,927	1,864	-63	-3.3	1,998	1,864	-134	-6.7
अखिल भारतीय	132,977	121,304	-11,673	-8.8	135,453	123,294	-12,159	-9.0

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास स्वयं की प्रणाली है, इनके यहां विद्युत की आपूर्ति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है।
टिप्पणी-विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों सकल खपत को दर्शाते हैं (पारेषण हानियों सहित)। सकल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों के खाते में दर्शाया जाता है।

उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि

188. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री वैजयंत पांडा:
श्री यशवीर सिंह:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री नीरज शेखर:
श्री प्रेमदास:
श्री सोमेन मित्रा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में उर्वरक क्षेत्र में नई नीतियों को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उर्वरकों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर रहे हैं जबकि देश में वे बढ़े हैं जिससे बढ़े मूल्यों तथा इनकी कालाबाजारी के कारण किसानों को कठिनाइयां हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि में मूल्य कितनी बार बढ़े हैं; और

(ङ) देश में उर्वरकों के मूल्यों को किसानों की पहुंच में रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां। उर्वरक विभाग में दिनांक 1.4.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति कार्यान्वित की जा रही है। एनबीएस नीति के अंतर्गत राजसहायता-प्राप्त पीएंडके उर्वरकों पर इसके पोषक तत्व के आधार पर वार्षिक आधार पर राजसहायता की नियत राशि निर्धारित की जाती है। पीएंडके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों को उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(ग) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीएंडके उर्वरकों के मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है। विभिन्न उर्वरकों तथा उनकी कच्ची सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। राजसहायता प्राप्त पीएंडके उर्वरक के प्रत्येक ग्रेड पर एनबीएस

नीति के अंतर्गत राजसहायता पर देश में उर्वरकों के प्रचलित मूल्यों सहित सभी संगत घटकों को ध्यान में रखने के बाद निर्णय लिया जाता है। उर्वरक कंपनियों उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत तथा उस पर राजसहायता को ध्यान में रखते हुए एमआरपी को निर्धारित करती है। उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरकों और उनकी कच्ची सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्भर करती है। उर्वरकों के घरेलू मूल्यों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने तथा भारतीय रुपए के अवमूल्यन के कारण भी हुई है। तथापि, यूरिया के मूल्यों में 1.4.2010 के बाद से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विवरण

उर्वरक मार्किट बुलेटिन (एफएमबी) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य रुझान

माह अमेरिकी डॉलर	डीएपी सीएंडएफयूएस	एमओपी एफओबी	यूरिया एफओबी	फॉस एसिड भारत	अमोनिया सीएंडएफ	सल्फर सीएंडएफ	रॉक" सीएंडएफ	विनिमय दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल-10	536.60	347.50	285.00					44.50
मई-10	528.00	338.75	256.25					45.81
जून-10	510.13	330.00	239.00					46.57
जुलाई-10	508.60	330.00	261.90					46.84
अगस्त-10	547.38	330.00	285.00					46.57
सितंबर-10	581.90	336.00	316.50					46.06
अक्तूबर-10	617.38	361.25	343.75		आंकडाा उपलब्ध नही			44.41
नवंबर-10	628.75	380.00	380.63					45.02
दिसंबर-10	637.38	380.63	384.50					45.16
जनवरी-11	640.00	382.50	391.00					45.39
फरवरी-11	654.25	385.00	387.50					45.44
मार्च-11	673.20	409.50	357.10					44.99
अप्रैल-11	663.75	437.50	343.25	980.00	507.00	234.83	168.88	44.37
मई-11	659.00	437.50	404.38	980.00	510.38	242.50	192.50	44.90
जून-11	680.75	462.50	495.50	980.00	527.40	240.10	194.50	44.85
जुलाई-11	701.92	462.50	507.50	1050.00	529.88	231.50	202.50	44.42
अगस्त-11	706.75	462.50	506.88	1050.00	541.88	233.00	202.50	45.28

1	2	3	4	'5	6	7	8	9
सितंबर-11	697.67	462.50	520.50	1050.00	564.40	239.00	202.50	47.63
अक्तूबर-11	682.38	471.25	509.50	1080.00	587.75	239.00	202.50	49.26
नवंबर-11	675.13	480.00	514.13	1080.00	601.75	235.13	202.50	50.86
दिसंबर-11	635.50	480.00	429.63	1080.00	597.25	224.88	222.50	52.68
जनवरी-12	586.13	480.00	403.75	1080.00	478.13	197.00	222.50	51.34
फरवरी-12	572.88	480.00	405.63	960.00	375.63	195.25	222.50	49.17
मार्च-12	555.80	474.00	420.50	960.00	392.00	195.00	222.50	50.32
अप्रैल-12	565.13	465.00	479.38	960.00	458.00	223.50	218.75	51.812
मई-12	594.70	465.00	517.00	877.50	519.70	234.00	217.50	54.473
जून-12	617.13	465.00	434.38	877.50	572.88	226.38	217.50	56.03
जुलाई-12	610.50	465.00	405.63	885.00	627.50	215.38	212.50	55.49
अगस्त-12	605.40	465.00	398.50	885.00	656.90	207.50	197.50	55.559
सितंबर-12	596.63	464.38	392.50	885.00	685.00	212.50	197.50	आंकड़ा संकलित नहीं
अक्तूबर-12	589.17	462.50	401.67	885.00	713.00	207.50	197.50	

'वस्तु का लागत एवं भाड़ा मूल्य प्राप्त करने के लिए लगभग 63 अमेरिकी डॉलर की दर से भाड़ा को जोड़ा जाए। 68-70% मूल्य का बीपीएल रॉक फॉस्फेट सीएफआर भारत।

''लागत एवं भाड़ा मूल्य प्राप्त करने के लिए लगभग 63 अमेरिकी डॉलर की दर से भाड़ा को जोड़ा जाए।

रेल किरायों में संशोधन

189. श्री यशवीर सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री नीरज शेखर:
श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने निकट भविष्य में भारी किराया और मालभाड़े में वृद्धि करने का सिद्धांतत: निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने रेल यात्री सेवाओं में सुधार करने हेतु कोई रूप-रेखा तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे रेल यात्रियों को किस प्रकार लाभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) किराया एवं मालभाड़ा संरचना के युक्तिकरण से संबंधित विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है। यह कार्य अभी भी अन्वेषणात्मक प्रकृति का है और इसमें किरायों में संशोधन के लिए योजनाबद्ध प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) रेलवे यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार करना भारतीय रेलवे का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। भारतीय रेल ने स्टेशनों द्वारा संभाले जाने वाले यात्री यातायात के आधार पर रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए व्यापक दिशा-निर्देश

निर्धारित किए हैं। इसके अतिरिक्त, आदर्श स्टेशन योजना, जिसे वर्ष 2009 में शुरू किया गया है, के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन किया जाता है। अभी तक, इस योजना के तहत अपग्रेडेशन के लिए 976 स्टेशनों की पहचान की गई है। स्टेशनों का अपग्रेडेशन और बेहतर यात्री सुविधाओं की शुरुआत एक सतत् प्रक्रिया है।

सिमरन ट्रैकिंग सिस्टम

190. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे ने अपना नया ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम बनाने तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर द्वारा विकसित अपने सफल रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम सैटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नैविगेशन (सिमरन) को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रयोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने हेतु ऑनलाइन ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) रेलवे ने अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी/कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित सफल पायलट परियोजना सिमरन पर आधारित रियल-टाइम गाड़ी सूचना प्रणाली (आरटीआईएस) को स्थापित करने का विनिश्चय किया है। सिमरन एक पायलट परियोजना थी, और इसके सफल रूप से पूरा होने (प्रौद्योगिकी प्रदर्शन) के बाद से इसे आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है।

(ख) और (ग) आरटीआईएस सभी गाड़ियों, पैसेंजर और मालगाड़ी के लिए रियल-टाइम ट्रेन रनिंग सूचना टेलीफोन, एसएमएस एवं इंटरनेट के माध्यम से प्रदान कराएगी। आरटीआईएस के कार्य को लगभग 110 करोड़ रुपये की लागत पर रेल बजट 2011-12 में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

विधि आयोग

191. **श्रीमती सीमा उपाध्याय:**
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 20वां विधि आयोग वर्तमान में कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) विधि आयोग द्वारा अपनी 243वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है;

(घ) क्या सरकार का मिथ्या आरोपों पर भारी जुर्माना लगाने हेतु उपबंध के संबंध में विधि आयोग की सिफारिशों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) हाल ही में भारत के 20वें विधि आयोग का भारत सरकार के तारीख 8 अक्टूबर, 2012 के आदेश द्वारा 1 सितंबर, 2012 से 31 अगस्त, 2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन किया गया है। भारत के 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्तियों द्वारा इसे कार्यरत किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के 20वें विधि आयोग के निर्देश के निबंधन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय दंड संहिता की धारा 498क से संबंधित विधि आयोग की 243वीं रिपोर्ट, जिसे मास अगस्त, 2012 में सौंप दिया गया था, उस मंत्रालय से संबंधित विषय-वस्तु संबंधी मामले के रूप में इसकी समीक्षा तथा कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है।

विवरण

भारत के 20वें विधि आयोग के निर्देश के निबंधन

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन

(i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अधिक समय तक आवश्यक या सुसंगत नहीं है तथा जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।

(ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण नहीं हैं तथा जिन्हें परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

(iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिन्हें अन्यथा परिवर्तित या संशोधित करने की अपेक्षा है तथा उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।

(iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उनके मध्य समन्वय तथा सामंजस्य के दृष्टिकोण के साथ विशेषज्ञ समूहों द्वारा, पुनरीक्षण/संशोधन के लिए सुझावों पर व्यापक भावी रूप से विचार करना।

(v) एक से अधिक मंत्रालय/विभाग के कार्यकरण पर वहन वाले विधानों की बाबत मंत्रालय/विभाग द्वारा इसे किए गए निर्देशों पर विचार किया जाना।

(vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

ख. विधि और निर्धनता

(i) ऐसी विधियों की समीक्षा करना जिससे निर्धन प्रभावित होते हैं और सामाजिक, आर्थिक विधानों के लिए पश्च संपरीक्षा का कार्यान्वयन।

(ii) ऐसे सभी उपाय करना, जिससे कि निर्धन व्यक्तियों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया का उपयोग करना आवश्यक हो।

ग. न्यायिक प्रशासनिक प्रणाली के पुनर्विलोकन के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह समयों की युक्तियुक्त मांगों के लिए उत्तरदायी हो और विशिष्टतया निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है:

(i) विलंबों का निष्कासन, बकायों का शीघ्र निपटान तथा लागत में कमी करना, जिससे कि मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित किए बिना मामलों का शीघ्र और आर्थिक रूप से निपटान सुनिश्चित हो, जिससे विनिश्चय न्यायोचित होने चाहिए।

(ii) विलंब के लिए तकनीकियों तथा युक्तियां कम और निष्कासित करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना जिससे कि यह स्वयं समाप्ति के रूप में प्रचालित न हो वरन न्याय प्राप्त करने के साधनों के रूप में प्रचालित हो।

(iii) न्याय के प्रशासन के साथ संबद्ध सभी मानकों का सुधार करना।

घ. राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के आलोक में विद्यमान विधियों की समीक्षा करना और अभिवृद्धि और सुधार के मार्गों का सुझाव देना और ऐसे विधानों का भी सुझाव देना जो नीति निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो सके तथा संविधान की उद्देशिका में उपवर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करना।

ङ. लिंग, समानता के संवर्धन के लिए विद्यमान विधियों की समीक्षा और उसमें संशोधनों का सुझाव देना।

च. साधारण महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण, जिससे कि वे सरलीकृत हो सके तथा उनमें विषमताओं, संदिग्धताओं, असमानताओं को हटाया जा सके।

छ. ऐसी अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों या उनके भागों को, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, को निरसित करके कानूनी पुस्तक को अद्यतन करने के लिए सरकारी उपायों की सिफारिश करना।

ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी विषय पर अपने अभिमतों पर विचार करना और उन्हें सरकार को संसूचित करना, जिन्हें विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से उसे सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाए।

झ. किसी बाहरी देश को ऐसे अनुसंधान उपलब्ध करने के लिए अनुरोधों पर विचार करना जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं।

ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की समीक्षा करना और निर्धन वर्ग के लोगों के हितों की संरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

आयोग, नोडल मंत्रालय/विभाग (विभागों) और ऐसे अन्य पणधारियों जिन्हें आयोग इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, के साथ परामर्श करने के बाद अपनी सिफारिशों को ठोस रूप देगा।

आयोग, ऊपर यथा उपदर्शित अर्थात् अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन निर्देश के निबंधनों की मदक से संबंधित सभी मुद्दों की ओर अपना समयबद्ध ध्यान देगा और अप्रचलित विधियों के निरसन के लिए तथा अन्य विधियों में समुचित संशोधनों के लिए, जो उच्च पूर्विकता के आधार पर आवश्यक पाए जाएं, सरकार को अपनी सिफारिश करेगा।

आयोग, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतियों के साथ हिन्दी और अंग्रेजी में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा। विधि आयोग, अपनी रिपोर्टों को भी वेबसाइट या अन्यथा के माध्यम से जैसे ही रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत कर दी जाती हैं, उपलब्ध कराएगा।

अकोला-रतलाम ट्रेन में लूटपाट

192. **श्री भूदेव चौधरी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2012 के महीने में अकोला-रतलाम ट्रेन में यात्रियों के साथ सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा लूटपाट की घटना हुई थी, जिसमें अनेक यात्री लूटे गए थे और घायल किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने उक्त घटना की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और पीड़ितों को अदा किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (ग) जी हां। राजकीय रेलवे पुलिस/महू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 और 397 के अंतर्गत 07.06.2012 को अपराध सं. 5/12 के तहत सशस्त्र लूटपाट का एक मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान 9 अपराधियों को हिरासत में लिया गया और इंदौर के सेशन कोर्ट में चालान किया गया।

(घ) रेल परिसरों के साथ-साथ चलती गाड़ियों में अपराध की रोकथाम, मामले दर्ज करना, उनकी जांच और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिसे वह संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के माध्यम से निष्पादित करती है। जैसे ही रेलवे पर अपराधों के मामलों का पता चलता है, उन्हें दर्ज किया जाता है और उसकी राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जांच की जाती है। रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गाड़ियों में एस्कॉर्ट तैनात करके राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के प्रयासों में सहायता करती है।

रेलवे द्वारा ऐसी घटनाओं की जांच करने और गाड़ियों में यात्रियों की भय-मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाए किया जा रहे हैं:

1. विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 2200 गाड़ियों की एस्कार्टिंग के अलावा आरपीएफ द्वारा प्रतिदिन औसतन 1275 गाड़ियां एस्कॉर्ट की जाती है।
2. 202 से अधिक संवेदनशील और अति-संवेदनशील स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली जिसमें सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क के माध्यम से संवेदनशील स्टेशनों की इलैक्ट्रानिक निगरानी, नियंत्रण उपयोग, तोड़फोड़ विरोधी जांचें शामिल हैं, को अनुमोदित किया गया है।
3. राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा अपराध का उचित पंजीकरण और जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर राज्य पुलिस के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।
4. यात्रियों को लूटने के लिए अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में यात्रियों को अवगत कराने के लिए यात्री जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

बड़वाडीह-चिरिमिरी-अंबिकापुर लाइन

193. **श्री इन्दर सिंह नामधारी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बरवाडीह-चिरिमरी रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना को अवसंरचना स्थापना के बाद बंद कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) चिरिमरी-अंबिकापुर और अंबिकापुर-बरवाडीह खंडों पर नई रेल परियोजनों की वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) बरवाडीह-चिरिमरी-अंबिकापुर के बीच नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण वर्ष 2010 में पूरा हो गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 182 किमी लंबी इस नई लाइन परियोजना की लागत 1137.12 करोड़ रुपये है। परियोजना को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ङ) चूंकि परियोजना को अभी स्वीकृत किया जाना है, इसे पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कम मूल्य वाले प्रशामकों की बिक्री पर रोक

194. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने गत छह महीनों में ट्रेनों में नशे के माम्लों में वृद्धि के कारण मेडिकल स्टोर्स पर कम मूल्य वाले प्रशामक दवाइयों पर रोक की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आसीन से लक्ष्य बनने वाली ट्रेनों और पहचान किए गए स्टेशन तथा चलाए गए जागरुकता अभियानों को दर्शाते हुए ड्रग गिरोहों से निपटने हेतु आरपीएफ द्वारा क्या प्रयास किए गए//किए जाने का विचार है;

(घ) क्या ट्रेनों में नशाखोरी से निपटने हेतु आरपीएफ द्वारा कोई नशारोधी दस्ता बनाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु रेलवे द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख; जी नहीं। पिछले तीन महीनों के दौरान मेडिकल स्टोर पर कम मूल्य वाले प्रशामकों की दवाइयों की मांग नहीं की गई। बहरहाल, महानिदेशक रेल सुरक्षा बल ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली को प्रशामकों की बिक्री को कड़ाई से प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने के लिए अनुरोध किया है ताकि अवांछित तत्वों के हाथ में अपराध हेतु आने से उन्हें रोका जा सके। दवाई बेचने वाले/कैमिस्टों को उन डॉक्टरों, जो इन दवाइयों की खरीद के लिए सलाह देते हैं तथा जो इन दवाइयों की खरीद करते हैं, का रिकॉर्ड रखने के अलावा इन दवाइयों को प्राधिकृत नुस्खा प्रस्तुत करने के बाद ही बेचने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। इसके प्रत्युत्तर में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्टेट ड्रग कंट्रोलर तथा ज़ोनल तथा सब-ज़ोनल कार्यालयों को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है।

(ग) से (ङ) रेल परिसर के साथ-साथ चलती गाड़ियों में अपराध की रोकथाम, मामलों का पंजीकरण, उनकी जांच पड़ताल और कानून एवं व्यवस्था का रखरखाव संबंधित राज्य पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन वे संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार रेलवे में अपराध के मामले; जिसमें ड्रग्स शामिल है, उनकी रिपोर्ट, पंजीकरण और जांच-पड़ताल राजकीय रेल पुलिस द्वारा की जाती है। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल (रेसुब), राजकीय रेलवे पुलिस (रारेपु) प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गाड़ियों में सहचरों की तैनाती करके तथा महत्त्वपूर्ण तथा प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर एक्सेस ड्यूटी कंट्रोल के जरिए राजकीय रेलवे पुलिस के प्रयासों में वृद्धि करती है।

रेलों में ड्रग्स की घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- जनता को ड्रगिंग अपराधियों की कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए चिन्हित/अतिसंवदेनशील और बड़े रेलवे स्टेशनों/गाड़ियों पर जन-उद्घोषणा प्रणाली की नियमित घोषणाओं के माध्यम से, पैम्पलेट वितरण, पोस्टर आदि चिपकाकर यात्री जागरुक कार्यक्रम लांच किए जाते हैं।
- संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए प्रभावित स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल की ड्रग्स विरोधी टीमें गठित की जाती हैं।
- अपराधियों का पता लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर ड्रग्स की घटनाओं की निगरानी की जाती है।
- राजकीय रेलवे पुलिस के साथ निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

निःशक्त व्यक्तियों हेतु सुविधाएं

195. **श्री एस. जेयदुरई:**
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु विकलांग जन परिसंघ धर्मार्थ न्यास ने कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पर निःशक्त व्यक्तियों को पेश आ रही कठिनाइयों के मुद्दे उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निःशक्त व्यक्तियों को इन्हीं कठिनाइयों का सामना तूतीकोरिन अथवा अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा कोयंबटूर और तूतीकोरिन रेलवे स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों हेतु इष्टतम सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) तमिलनाडु विकलांग संघ धर्मार्थ ट्रस्ट से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) तूतीकोरिन स्टेशन पर किसी समस्या विशेष की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेलवे स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में अभ्यावेदनों पर कार्रवाई मौजूदा नीति के अनुसार की जाती है और उस पर उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) 'ए1', 'ए', और 'बी' कोटि के सभी स्टेशनों पर अल्पकालीन सुविधाएं जैसे, अवरोध मुक्त प्रवेश के लिए मानक रैम्प, कम-से-कम दो पार्किंग स्थल, पार्किंग स्थल से भवन तक फिसलनरहित पैदल पथ, समुचित दृष्यता के लिए साइनेज, अशक्त व्यक्तियों के उपयेाग के लिए कम-से-कम पीने के पानी का एक नल, भूतल पर कम-से-कम एक शौचालय और 'क्या मैं आपकी सहायता कर सकता/ती हूं' बूथ की व्यवस्था की योजना बनाई गई है। तत्पश्चात् इन सुविधाओं का विस्तार सभी कोटि के स्टेशनों पर भी किया जाएगा।

दीर्घकालीन सुविधाएं जैसे, अंत:प्लेटफॉर्म स्थानांतरण और प्लेटफॉर्म के किनारों पर एनग्रेविंग की योजना अल्पकालीन सुविधाओं की व्यवस्था करने के बाद की जाती है।

कोयंबटूर और तूतिकोरिन स्टेशनों पर सभी अल्पकालीन सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। अंत: प्लेटफॉर्म स्थानांतरण के लिए दोनों स्टेशनों के प्रत्येक प्लेटफॉर्म के अंत में रैंप वाला मार्ग उपलब्ध है।

विवरण

अंतिम उपभोक्ताओं को बिक्री की गई ऊर्जा श्रेणी-वार/राज्य-वार यूटिलिटियों एवं गैर यूटिलिटियों

2010-11

राज्य/यूटी	घरेलू	वाणिज्यिक	औद्योगिक विद्युत (निम्न एवं मध्यम वोल्टेज)	औद्योगिक विद्युत (उच्च, वोल्टेज)	पब्लिक लाइटिंग
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	4994.50	2452.53	1311.58	6539.27	74.28
हिमाचल प्रदेश	1281.96	356.53	201.96	3761.48	12.54
जम्मू व कश्मीर	1255.93	349.10	820.10	(ए)	29.07
पंजाब	7915.24	2380.60	2034.42	10147.16	129.35
राजस्थान	6582.96	1889.45	4692.68	10206.87	253.78
उत्तर प्रदेश	17117.58	4739.90	2349.85	19501.75	634.40
उत्तराखंड	1484.84	933.48	234.96	4520.71	53.86
चंडीगढ़	510.82	413.89	148.51	158.73	15.70
दिल्ली	9932.08	5988.78	2755.87	227.12	351.57

1	2	3	4	5	6
सब-टोटल (एनआर)	**51075.91**	**19504.25**	**14549.94**	**55066.65**	**1554.54**
गुजरात	9374.65	4382.95	8083.05	32625.83	265.45
मध्य प्रदेश	5654.16	1702.31	823.30	9892.48	2362.23
छत्तीसगढ़	2840.00	501.00	481.00	14032.31	73.00
महाराष्ट्र	19606.74	11647.46	7305.72	32022.99	847.61
गोवा	660.00	200.00	151.61	1535.12	42.00
दमन और दीव	62.30	29.30	151.00	1382.88	4.40
दादरा और नगर हेवली	54.00	21.00	147.00	3681.13	3.00
सब-टोटल (डब्ल्यूआर)	**38251.85**	**18484.02**	**17142.68**	**95172.74**	**1467.69**
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	14538.79	4773.40	2832.65	26075.73	1474.91
कर्नाटक	8052.58	4774.33	1675.08	12430.58	772.80
केरल	6944.20	2766.64	1058.45	3430.99	268.42
तमिलनाडु	16193.87	6493.97	6039.07	23148.81	536.71
पुदुचेरी	456.69	133.29	133.45	1218.19	15.05
लक्षद्वीप	20.33	6.42	1.56	0.00	1.23
सब-टोटल (एसआर)	**46206.47**	**18948.06**	**11740.27**	**66304.30**	**3069.12**
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	2133.16	489.37	286.88	1637.41	33.17
झारखंड एस	2389.00	321.00	158.00	14573.67	133.00
ओडिशा	3589.95	1058.68	308.54	23674.41	58.06
पश्चिम बंगाल एस	8901.76	4256.80	2198.80	15074.15	337.49
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	90.20	50.56	8.63	0.00	9.15
सिक्किम	105.40	45.80	148.34	0.00	2.08
सब-टोटल (ईआर)	**17209.47**	**6222.21**	**3109.19**	**54961.64**	**572.95**
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
असम	1334.07	535.77	69.44	2180.00	8.43

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	152.01	22.75	11.43	2.05	5.39
मेघालय	301.49	63.29	6.50	590.78	1.33
नागालैंड	185.99	33.18	13.96	0.00	2.13
त्रिपुरा	290.80	54.23	30.76	60.74	28.10
अरुणाचल प्रदेश	118.52	29.29	41.01	65.08	14.14
मिजोरम	174.40	14.65	1.57	0.31	7.04
सब-टोटल (एनईआर)	**2557.28**	**753.16**	**174.67**	**2898.97**	**66.56**
टोटल (आल इंडिया)	**155300.97**	**63911.69**	**46716.75**	**274400.73**	**6730.87**

टिप्पणी: $ झारखंड एवं पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अंतिम उपभोक्ताओं को डीवीसी की बिक्री को शामिल कर

ए-औद्योगिक में शामिल (निम्न एवं मध्यम वोल्टेज)

बी-औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल

अंतिम उपभोक्ताओं को बिक्री की गई ऊर्जा श्रेणी-वार/राज्य-वार यूटिलिटियां एवं गैर-यूटिलिटियां

2010-11

राज्य/यूटी	ट्रैक्शन	कृषि	जन जल कार्य एवं सिवेज पंपिंग	औद्योगिक विविध	कुल बिक्री की गई ऊर्जा
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	535.50	8295.69	644.94	334.73	25183.02
हिमाचल प्रदेश	0.00	35.14	409.95	350.34	6409.90
जम्मू और कश्मीर	0.00	198.10	586.04	806.30	4044.64
पंजाब	142.05	9957.38	358.27	572.46	33636.93
राजस्थान	329.60	13235.89	1382.06	962.92	39536.20
उत्तर प्रदेश	677.21	7689.82	1015.29	48.99	53774.80
उत्तराखंड	7.80	295.88	276.37	0.00	7807.90
चंडीगढ़	0.00	1.10	(बी)	96.54	1345.29
दिल्ली	465.85	35.49	346.46	974.23	21077.45

1	2	3	4	5	6
सब-टोटल (एनआर)	**2158.01**	**39744.50**	**5019.38**	**4146.51**	**192819.69**
गुजरात	981.43	13338.33	1259.20	41.99	70052.88
मध्य प्रदेश	1613.99	6810.09	751.50	2266.30	29746.36
छत्तीसगढ़	788.00	1940.00	132.00	535.00	21322.31
महाराष्ट्र	2188.09	16713.87	1935.02	116.09	92383.58
गोवा	19.17	20.00	117.00	126.00	2870.90
दमन और दीव	0.00	2.60	0.90	0.65	1634.03
दादर और नगर हेवली	0.00	2.00	10.00	0.00	3918.13
सब-टोटल (डब्ल्यूआर)	**5290.68**	**38826.89**	**4205.62**	**3086.03**	**221928.19**
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	1568.90	18798.57	697.28	1547.16	72307.39
कर्नाटक	103.97	13556.31	1661.41	201.49	43228.56
केरल	156.49	240.56	80.50	101.80	15048.05
तमिलनाडु	485.02	12632.87	1055.77	1856.69	68442.78
पुदुचेरी	0.00	74.17	30.55	32.62	2094.03
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	29.54
सब-टोटल (एसआर)	**2314.38**	**45302.49**	**3525.52**	**3739.76**	**201150.35**
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	457.95	388.60	0.00	293.13	5721.67
झारखंड एस	1080.00	70.00	78.00	0.00	18802.66
ओडिशा	797.45	176.20	100.46	486.87	30250.62
पश्चिम बंगाल एस	1224.93	1803.85	555.08	128.18	34481.04
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.83	0.00	27.63	187.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	36.00	337.62
सब-टोटल (ईआर)	**3560.33**	**2439.48**	**733.54**	**971.81**	**89780.61**
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
असम	0.00	25.57	53.75	376.31	4583.35

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	0.00	0.49	17.62	59.36	271.10
मेघालय	0.00	0.36	33.77	84.78	1082.30
नागालैंड	0.00	0.00	1.45	52.15	288.86
त्रिपुरा	0.00	37.55	48.09	18.57	568.84
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	7.34	84.62	360.00
मिजोरम	0.00	0.12	27.29	12.18	237.56
सब-टोटल (एनईआर)	**0.00**	**64.09**	**189.31**	**687.96**	**7392.01**
टोटल (ऑल इंडिया)	**13323.40**	**126377.45**	**13673.37**	**12632.07**	**713067.30**

सीसीआई को शामिल

196. **श्री संजय भोई:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को जांच और जब्ती की शक्तियां देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कंपनियों के विलय और अर्जन के दिनों की संख्या घटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 41(3) के तहत मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को किसी तफ्तीश में जांच और जब्ती का अधिकार होता है। तथापि, सरकार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित करके ऐसी जांच और जब्ती का अधिकार अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को प्रदान करना चाहती है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार का प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में उपयुक्त संशोधन से उस अवधि जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को ऐसे मामलों में आदेश पारित करने होते हैं या निदेश देने होने होते हैं, कम करके दो सौ दस दिन से एक सौ अस्सी दिन करने का विचार है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से सहायता

197. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत की स्थिति में सुधार करने हेतु विश्व बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्र से सहायता लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन परियोजनाओं की पहचान की गई है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश मे विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं को विश्व बैंक और जापान की वित्तपोषण एजेंसियों (जापान इन्टरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी) और जर्मनी केएफडब्ल्यू-द जर्मन डेवलपमेंट बैंक) के सामने रखा गया है।

(1) विश्व बैंक

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा सहित, में पारेषण और वितरण की संयुक्त स्कीम 1500 मिलियन अमेरिकी डॉलर।

(ii) लुहरी जल विद्युत परियोजना (एचईपी) (775 मे.वा.)/एसजेवीएन लि.-650 मिलियन अमेरिकी डॉलर।

(2) जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए)

(i) 1 × 660 मे.वा. डीसीआर ताप विद्युत परियोजना (टीपीपी)/हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लि.-41658 मिलियन जापानी येन।

(ii) बक्रेश्वर-6 टीपीपी (500 मे.वा.)/वेस्ट बंगाल पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)-31107 मिलियन जापानी येन।

(iii) वेस्ट बंगाल पावर ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट/वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड-8400 मिलियन जापानी येन।

(iv) 400/220 केवी फेड्रा और संखरी सब स्टेशन और संबद्ध लाइनें/गुजरात इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कम्पनी-7244 मिलियन जापानी येन।

(v) शहरी क्षेत्रों में हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस), पश्चिम गुजरात विज कम्पनी लि.-30289 मिलियन जापानी येन।

(vi) बरौनी/बिहार स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (बीएसईवी) में 1 × 250 मे.वा. यूनिट सहित 2 × 250 मे.वा. यूनिटों का पूर्ण प्रतिस्थापन-30241 मिलियन जापानी येन।

(3) केएफडबल्यू

(i) शांगतम-करछाम एचईपी (450 मे.वा.)/हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि. का सह-वित्तपोषण 150 मिलियन यूरो।

(ii) अंता सोलर पावर प्रोजेक्ट (15 मे.वा.)/एनटीपीसी लि. -40 मिलियन यूरो।

(iii) कोलाघाट टीपीपी (1 × 210 मे.वा.)/डबल्यूबीपीडीसीएल और नासिक टीपीपी (1 × 210 में.वा.)/महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम)-90 मिलियन यूरो।

नदियों को आपस में जोड़ा जाना

198. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री पी. लिंगम:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री रतन सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को नदियों को जोड़ने वाली परियोजना को समयबद्ध चरण में कार्यान्वित करने का निदेश दिया है और यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने नदियों को जोड़ने वाली परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नदियों को जोड़ने से बाढ़, सूखे, सिंचाई विद्युत परियोजनाओं को जल की कमी की समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए सुझावों और परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) द्वारा नदियों को जोड़ने संबंधी निर्णय की समीक्षा हेतु कोई याचिका दायर की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त परियोजना में विलंब के कारण लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(छ) पखन, चंबल और काली सिंध नदियों को जोड़ने हेतु क्या कार्रवाई की गई तथा इसमें कितनी सफलता मिली?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) उच्च्तम न्यायालय के निदेशों के अनुसार नदियों को परस्पर जोड़ने का कार्यान्वयन करने के लिए सरकार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर रही है।

(ग) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने के प्रस्तावों में बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, जल आपूर्ति, लवणता एवं प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि अनुषंगी लाभों के अलावा

सतही जल से 25 मिलियन हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने, भूमि जल के उपयोग में 10 मिलियन हैक्टेयर तक बढ़ोतरी करने तथा 34,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने संबंधी अतिरिक्त लाभों की प्राप्ति की परिकल्पना की गई है। नदियों को परस्पर जोड़ने से सूखे से निपटने में भी बहुत हद तक सहायता प्राप्त होगी।

(घ) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने सात राज्यों से अंत: राज्यीय संपर्कों के 36 प्रस्ताव अर्थात् महाराष्ट्र (20), गुजरात (1), झारखंड (3), ओडिशा (3), बिहार (6), राजस्थान (2) तथा तमिलनाडु (1) प्राप्त हुए हैं। इनमें से एनडब्ल्यूडीए द्वारा 21 अंत: राज्यीय संपर्कों की व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्टें (पीएफआर) पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा एनडब्ल्यूडीए ने हाल ही में 10 अन्य अंत: राज्यीय संपर्कों (बिहार से 3, कर्नाटक से 6, छत्तीसगढ़ से 1) के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) चूंकि परियोजनाएं आयोजना और अन्वेषण की अवस्था में हैं, अत: लागत वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने पार्वती-कालीसिंध चंबल संपर्क की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। इस संपर्क के निर्माण के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच मतैक्य होना शेष है।

[अनुवाद]

विद्युत की मांग

199. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री शिवकुमार उदासी

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान देश में घरेलू, औद्योगिक कृषि क्षेत्रों में विद्युत की बढ़ती मांग पर क्षेत्र और राज्य-वार कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों की विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश में नई विद्युत परियोजनाएं सुनिश्चित करने हेतु धन की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) अंतिम उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों की खपत जैसे घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, विद्युत, पब्लिक लाइटिंग ट्रैक्शन, कृषि, सार्वजनिक जल संबंधी कार्य और सीवेज पम्पिंग तथा विभिन्न के लिए विद्युत ऊर्जा की बिक्री सीईए द्वारा यूटिलिटियों, गैर-यूटिलिटियों द्वारा उपलब्ध कराए गये ब्यौरे के आधार पर संकलित की जाती है। अवसंरचना क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट अलग श्रेणी नहीं है। पिछले तीन पूर्व के वर्षो अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए खपत का वर्तमान राज्य-वार, श्रेणी-वार और देश के लिए ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III में दिया गया है।

(ग) देश में विद्युत की मांग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में निम्न शामिल हैं:

(1) 11वीं योजना के दौरान 54,964 मे.वा. की उपलब्धि की तुलना में, नवीकरणीय को छोड़कर 12वीं योजना के दौरान 88,537 मे.वा. के प्रस्तावित लक्ष्य के साथ उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में वृद्धि।

(2) चल रही उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की नियमित मॉनीटरिंग।

(3) इकॉनोमी ऑफ स्केल का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक 4,000 मे.वा. की अल्ट्रा मेगा पॉवर परियोजनाओं का विकास।

(4) 12वीं योजना के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की अग्रिम आयोजना।

(5) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उत्पादन की घरेजू निर्माण क्षमता की अभिवृद्धि।

(6) वर्तमान उत्पादन क्षमता का अधिकतम रूप से उपयोग करने के लिए जल, वायु, ताप, परमाणु और गैस आधारित क्षमता का समन्वित प्रचालन एवं रख-रखाव।

(7) घरेलू स्रोतों से ताप विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयले के आयात पर जोर देना।

(8) पुरानी व अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीयन, अद्यतन ओर जीवन-विस्तार।

(9) उपलब्ध विद्युत के अधिकतम उपयोग के लिए अंतरर्राज्य और अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण का सुदृढ़ीकरण।

(10) हानि में कमी लाने के लिए एक मुख्य कठिनाई के रूप में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

(11) ऊर्जा सरंक्षण, ऊर्जा कार्यकुशलता और मांग हेतु प्रबंधन कठिनाइयों को बढ़ावा देना।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

अंतिम उपभोक्ताओं को बिक्री की गई ऊर्जा
श्रेणी-वार/राज्य-वार
यूटिलिटियां एवं गैर यूटिलिटियां

2008-09 (जीएचडब्ल्यू)

राज्य/यूटी	घरेलू	वाणिज्यिक	औद्योगिक विद्युत (निम्न एवं मध्यम वोल्टेज	औद्योगिक विद्युत (उच्च वोल्टेज)	पब्लिक लाइटिंग
1	2	3	4	5	6
हरियाणा	3772.23	1236.02	1113.80	5387.82	54.61
हिमाचल प्रदेश	1089.12	274.66	1356.20	2129.18	13.01
जम्मू और कश्मीर	1399.08	213.42	953.41	(A)	11.42
पंजाब	6458.66	1896.98	1984.68	9278.81	135.26
राजस्थान	5014.92	1631.93	4155.54	9876.55	195.90
उत्तर प्रदेश	15890.50	2957.64	3694.11	16946.17	579.43
उत्तराखंड	1162.90	712.43	156.20	2509.63	45.23
चंडीगढ़	420.71	375.15	113.43	142.43	13.58
दिल्ली	7792.92	5638.65	2419.37	246.55	290.15
सब-टोटल (एनआर)	**43001.04**	**14936.88**	**15946.74**	**46517.14**	**1338.59**
गुजरात	7809.54	3571.52	7050.89	32653.40	239.45
मध्य प्रदेश	5067.71	1230.38	748.57	7993.68	196.10
छत्तीसगढ़	2183.28	406.77	400.69	16679.23	59.56
महाराष्ट्र	16945.89	9113.38	6307.74	26272.51	782.15
गोवा	626.52	166.07	133.11	1580.26	36.28

1	2	3	4	5	6
दमन और दीव	56.49	26.98	134.92	1091.50	4.33
दादरा और नगर हवेली	50.65	139.07	283.06	2580.63	7.38
सब-टोटल (डब्ल्यूआर)	**32740.08**	**14654.17**	**15058.98**	**88851.21**	**1325.25**
आंध्र प्रदेश	11674.85	3884.58	3102.00	19108.65	1619.03
कर्नाटक	6696.01	5810.84	1537.56	10949.76	616.23
केरल	5952.02	2105.19	1046.04	2778.54	294.55
तमिलनाडु	13502.00	6381.00	5518.00	21210.30	456.00
पुदुचेरी	353.74	118.81	119.93	1343.87	14.55
लक्षद्वीप	15.88	6.05	0.27	0.00	1.30
सब-टोटल (एसआर)	**38194.50**	**18306.47**	**11323.80**	**55391.12**	**3001.66**
बिहार	1768.27	414.11	161.84	1436.73	22.91
झारखंड एस	1619.58	275.66	133.34	12931.56	89.09
ओडिशा	2946.70	807.00	318.21	14314.08	53.90
पश्चिम बंगाल	7631.12	3525.74	2329.87	11993.72	248.66
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	75.49	41.24	7.67	0.00	8.62
सिक्किम	63.74	46.97	97.78	0.00	1.95
सब-टोटल (ईआर)	**14104.90**	**5110.72**	**3048.71**	**40676.09**	**425.13**
असम	1073.97	386.55	64.35	1939.22	6.69
मणिपुर	120.12	14.22	7.34	1.34	3.20
मेघालय	226.69	43.09	4.96	608.32	1.49
नागालैंड	145.00	8.95	13.90	0.00	4.86
त्रिपुरा	241.85	41.02	30.98	52.99	13.41
अरुणाचल प्रदेश	97.00	29.00	45.00	71.47	17.00
मिजोरम	111.33	11.83	.01	0.00	4.12
सब-टोटल (एनईआर)	**2015.96**	**534.66**	**168.14**	**2674.34**	**50.77**
टोटल (आल इंडिया)	**130056.48**	**535[illegible].71**	**45546.36**	**234109.90**	**6141.40**

टिप्पणी: $ झारखंड एवं पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अंतिम [illegible]क्ताओं को डीवीसी की बिक्री को शामिल कर

ए-औद्योगिक में शामिल (निम्न एवं [illegible] वोल्टेज)

बी-औद्योगिक श्रेणी के अंतर्ग[illegible]ामिल

अंतिम उपभोक्ताओं को बिक्री की गई ऊर्जा

श्रेणी-वार/राज्य-वार

यूटिलिटियां एवं गैर यूटिलिटियां

2008-09 (जीडब्ल्यूएच)

राज्य/यूटी	ट्रैक्शन	कृषि	जन जल कार्य एवं सिवेज पंपिंग	विविध	कुल बिक्री की गई ऊर्जा
1	2	3	4	5	6
हरियाणा	449.36	7365.40	467.19	507.35	20353.78
हिमालच प्रदेश	0.00	28.74	368.05	280.34	5539.30
जम्मू और कश्मीर	0.00	271.42	460.23	725.21	4034.20
पंजाब	123.41	9325.42	327.98	519.15	30050.35
राजस्थान	302.27	9790.86	1238.34	609.05	32815.36
उत्तर प्रदेश	613.64	6860.36	831.92	40.21	48413.98
उत्तराखंड	9.48	300.20	217.38	0.84	5114.29
चंडीगढ़	0.00	1.35	(बी)	83.24	1149.89
दिल्ली	284.68	52.77	187.79	553.10	17465.98
सब-टोटल (एनआर)	**1782.84**	**33996.52**	**4098.88**	**3318.49**	**164937.13**
गुजरात	623.80	11729.71	1064.80	36.71	64779.82
मध्य प्रदेश	1442.62	6217.50	565.76	1527.97	24990.29
छत्तीसगढ़	711.06	2049.93	106.66	898.20	23495.38
महाराष्ट्र	2109.88	13066.12	1785.14	106.12	76488.93
गोवा	0.00	40.18	127.11	0.00	2709.53
दमन और दीव	0.00	2.47	1.05	8.28	1326.02
दादर और नगर हवेली	0.00	9.20	9.82	0.00	3079.81
सब-टोटल (डब्ल्यूआर)	**4887.36**	**33115.11**	**3660.34**	**2577.28**	**196869.78**
आंध्र प्रदेश	1414.35	16604.57	809.38	721.39	58938.80
कर्नाटक	81.41	[illegible]	1576.71	874.92	39457.87
केरल	142.17	234.98	70.51	37.00	12661.00
तमिलनाडु	518.57	10529.00	[illegible]	0.00	59011.87
पुदुचेरी	0.00	73.48	23.59	0.00	2047.97

1	2	3	4	5	6
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
सब-टोटल (एसआर)	**2156.50**	**38756.46**	**3377.19**	**1633.31**	**172141.01**
बिहार	399.76	798.00	150.03	0.00	5151.65
झारखंड एस	964.60	69.62	67.62	0.00	16151.07
ओडिशा	624.84	141.49	150.83	354.35	19711.40
पश्चिम बंगाल	992.46	843.28	533.67	1609.44	29707.96
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.70	0.00	26.76	160.48
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	66.87	277.31
सब-टोटल (ईआर)	**2981.66**	**1853.09**	**902.15**	**2057.42**	**71159.87**
असम	0.00	20.86	39.04	347.10	3877.78
मणिपुर	0.00	0.12	9.54	41.24	197.12
मेघालय	0.00	0.50	29.73	115.46	1030.24
नागालैंड	0.00	0.04	2.02	18.20	192.97
त्रिपुरा	0.00	33.39	35.28	0.92	450.84
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	12.00	0.00	271.47
मिजोरम	0.00	0.00	25.25	11.36	165.50
सब-टोटल (एनईआर)	**0.00**	**54.91**	**152.86**	**534.28**	**6185.92**
टोटल (ऑल इंडिया)	**11808.36**	**107776.09**	**12191.43**	**10120.78**	**611293.71**

विवरण-II

अंतिम उपभोक्ताओं को बिक्री की गई ऊर्जा
श्रेणी-वार/राज्य-वार
यूटिलिटियां एवं गैर यूटिलिटियां

2009-10 (जीडब्ल्यूएच)

राज्य/यूटी	घरेलू	वाणिज्यिक	औद्योगिक विद्युत (निम्न एवं मध्यम वोल्टेज	औद्योगिक विद्युत (उच्च वोल्टेज)	पब्लिक लाइटिंग
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	4323.78	1671.12	1179.00	6486.55	72.34

1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश	1112.13	422.60	1380.63	2369.12	12.50
जम्मू और कश्मीर	1390.97	236.26	712.18	(1)	11.02
पंजाब	7007.50	2032.50	2022.08	10025.12	127.49
राजस्थान	5822.57	1716.93	4290.90	10355.69	228.18
उत्तर प्रदेश	16327.76	4516.58	2238.32	17644.34	600.40
उत्तराखंड	1387.23	858.66	201.82	3643.92	51.42
चंडीगढ़	471.91	382.36	137.20	148.09	14.50
दिल्ली	9020.84	5675.47	2714.78	187.61	293.68
सब-टोटल (एसआर)	**46864.69**	**17512.48**	**14876.91**	**50867.08**	**1411.53**
गुजरात					
मध्य प्रदेश	8339.89	3918.50	7675.51	34731.44	257.46
छत्तीसगढ़	5181.27	1330.06	767.61	9573.24	209.74
महाराष्ट्र	2579.90	948.38	417.65	9744.88	65.34
गोवा	18222.70	10564.18	6737.34	28520.40	808.68
दमन और दीव	628.04	187.00	135.93	1503.97	40.57
दादरा और नगर हवेली	57.76	28.21	139.23	1220.27	4.35
सब-टोटल (डब्ल्यूआर)	**47.00**	**142.00**	**310.57**	**2836.95**	**2.50**
आंध्र प्रदेश	35056.56	17118.33	16183.84	88131.15	1388.64
कर्नाटक					
केरल	13220.26	4280.47	2599.91	21864.94	1413.12
तमिलनाडु	7278.41	4269.04	1553.17	11663.06	692.17
पुदुचेरी	6616.98	2538.64	1069.00	3277.69	305.29
लक्षद्वीप	13939.00	7079.00	5928.00	22659.95	352.00
सब-टोटल (एसआर)	**454.39**	**132.62**	**132.78**	**1216.54**	**14.97**
बिहार	17.67	6.19	0.32	0.00	1.30
झारखंड एस	41526.71	18305.96	11283.18	60682.18	2778.85
ओडिशा					
पश्चिम बंगाल	1964.73	470.19	192.45	1642.68	26.99
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2256.03	287.37	145.85	13651.55	120.67

1	2	3	4	5	6
सिक्किम	3326.50	882.67	319.22	18134.55	56.82
सब-टोटल (ईआर)	**8293.32**	**3680.72**	**2060.85**	**16505.34**	**293.77**
असम	83.96	47.44	8.72	0.00	8.35
मणिपुर	114.57	57.29	45.23	0.00	67.84
मेघालय	16039.11	5425.68	2772.32	49934.12	574.44
नागालैंड					
त्रिपुरा	1251.00	450.00	67.00	2126.71	6.00
अरुणाचल प्रदेश	127.49	16.01	7.38	1.43	4.23
मिजोरम	264.16	52.24	5.64	520.43	1.49
सब-टोटल (एनईआर)	**208.19**	**4.85**	**1.71**	**0.00**	**0.69**
टोटल (ऑल इंडिया)	**262.24**	**46.65**	**28.37**	**58.35**	**13.73**
हरियाणा	115.41	27.35	30.00	47.63	12.08
हिमाचल प्रदेश	129.16	11.86	1.75	0.63	5.15
जम्मू और कश्मीर	2357.65	608.96	141.85	2755.18	43.37
पंजाब	141844.72	58971.41	45258.10	252363.06	6196.83

टिप्पणी: $ झारखंड एवं पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अंतिम उपभोक्ताओं को डीवीसी की बिक्री को शामिल कर
ए-औद्योगिक में शामिल (निम्न एवं मध्यम वोल्टेज)
बी-औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल

अंतिम उपभोक्ताओं को बिक्री की गई ऊर्जा श्रेणी-वार/राज्य-वार

यूटिलिटियां एवं गैर यूटिलिटियां

2009-10 (जेडब्ल्यूएच)

राज्य/यूटी	ट्रैक्शन	कृषि	जन जल कार्य एवं सिवेज पंपिंग	विविध	कुल बिक्री की गई ऊर्जा
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	306.47	9190.03	551.49	640.00	24420.78
हिमाचल प्रदेश	0.00	36.82	414.87	218.73	5967.40

1	2	3	4	5	6
जम्मू और कश्मीर	0.00	204.88	406.94	583.10	3545.35
पंजाब	143.96	10469.31	340.01	537.08	32705.05
राजस्थान	349.55	12072.59	1341.05	790.61	36968.07
उत्तर प्रदेश	647.00	7340.72	968.78	44.00	50327.90
उत्तराखंड	7.34	298.10	247.30	0.00	6695.79
चंडीगढ़	0.00	1.02	(बी)	89.19	1244.27
दिल्ली	330.40	39.67	216.50	817.50	19296.45
सब-टोटल (एनआर)	**1784.72**	**39653.14**	**4486.94**	**3720.21**	**181177.70**
गुजरात	666.27	12813.80	1173.14	49.97	69625.98
मध्य प्रदेश	1532.94	5985.65	583.45	1704.93	26868.89
छत्तीसगढ़	708.23	1751.60	123.15	12.06	16351.19
महाराष्ट्र	2118.50	13264.22	1857.18	106.58	82199.78
गोवा	18.70	110.76	119.10	0.00	2744.07
दमन और दीव	0.00	2.49	0.89	0.38	1453.58
दादरा और नगर हवेली	0.00	3.00	2.00	2.00	3346.02
सब-टोटल (डब्ल्यूआर)	**5044.64**	**33931.52**	**3858.91**	**1875.92**	**202589.51**
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	1536.56	18825.02	843.55	1153.15	65736.98
कर्नाटक	92.53	12384.77	1542.71	166.68	39642.54
केरल	165.10	266.00	77.57	117.09	14433.36
तमिलनाडु	564.00	11951.00	691.00	78.00	63241.95
पुदुचेरी	0.00	73.80	30.40	32.46	2087.96
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	25.48
सब-टोटल (एसआर)	**2358.19**	**43500.59**	**3185.23**	**1547.38**	**185168.27**
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	444.82	794.01	143.49	555.45	6234.81
झारखंड एस	956.37	65.72	72.21	0.00	17555.77

1	2	3	4	5	6
ओडिशा	734.50	149.57	91.54	441.81	24137.18
पश्चिम बंगाल	1066.59	1322.97	523.62	170.47	33917.65
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.74	0.00	27.68	176.89
सिक्किम	0.00	0.00	4.52	12.06	301.50
सब-टोटल (ईआर)	**3202.28**	**2333.01**	**835.38**	**1207.47**	**82323.80**
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
असम	0.00	32.00	51.00	396.00	4379.71
मणिपुर	0.00	0.71	18.20	45.20	220.65
मेघालय	0.00	0.63	31.58	79.68	955.85
नागालैंड	0.00	0.00	3.86	5.70	225.00
त्रिपुरा	0.00	39.73	44.39	1.00	494.46
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	6.27	72.26	311.00
मिजोरम	0.00	0.50	30.62	11.66	191.33
सब-टोटल (एनईआर)	**0.00**	**73.57**	**185.92**	**611.49**	**6778.00**
टोटल (आल इंडिया)	**12389.83**	**119491.83**	**12552.39**	**8962.47**	**658030.64**

विवरण-III

अंतिम उपभोक्ताओं को बिक्री की गई ऊर्जा श्रेणी-वार/राज्य-वार यूटिलिटियां एवं गैर यूटिलिटियां

2010-11 (जेडब्ल्यूएच)

राज्य/यूटी	घरेलू	वाणिज्यिक	औद्योगिक विद्युत (निम्न एवं मध्यम वोल्टेज	औद्योगिक विद्युत (उच्च विद्युत)	पब्लिक लाइटिंग
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	4994.50	2452.53	1311.58	6539.27	74.28
हिमाचल प्रदेश	1281.96	356.53	201.96	3761.48	12.54
जम्मू और कश्मीर	1255.93	349.10	820.10	(ए)	29.07

1	2	3	4	5	6
पंजाब	7915.24	2380.60	2034.42	10147.16	129.35
राजस्थान	6582.96	1889.45	4692.68	10206.87	253.78
उत्तर प्रदेश	17117.58	4739.90	2349.85	19501.75	634.40
उत्तराखंड	1484.84	933.48	234.96	4520.71	53.86
चंडीगढ़	510.82	413.89	148.51	158.73	15.70
दिल्ली	9932.08	5988.78	2755.87	227.12	351.57
सब-टोटल (एनआर)	**51075.91**	**19504.25**	**14549.94**	**55066.65**	**1554.54**
गुजरात	9374.65	4382.95	8083.05	32625.83	265.45
मध्य प्रदेश	5654.16	1702.31	823.30	9892.48	232.23
छत्तीसगढ़	2840.00	501.00	481.00	14032.31	73.00
महाराष्ट्र	19606.74	11647.46	7305.72	32022.99	847.61
गोवा	660.00	200.00	151.61	1535.12	42.00
दमन और दीव	62.30	29.30	151.00	1382.88	4.40
दादर और नगर हेवली	54.00	21.00	147.00	3681.13	3.00
सब-टोटल (डब्ल्यूआर)	**38251.85**	**18484.02**	**17142.68**	**95172.74**	**1467.69**
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	14538.79	4773.40	2832.65	26075.73	1474.91
कर्नाटक	8052.58	4774.33	1675.08	12430.58	772.80
केरल	6944.20	2766.64	1058.45	3430.99	268.42
तमिलनाडु	16193.87	6493.97	6039.07	23148.81	536.71
पुदुचेरी	456.69	133.29	133.45	1218.19	15.05
लक्षद्वीप	20.33	6.42	1.56	0.00	1.23
सब-टोटल (एसआर)	**46206.47**	**18948.06**	**11740.27**	**66304.30**	**3069.12**
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	2133.16	489.37	286.88	1639.41	33.17
झारखंड	2389.00	321.00	158.00	14573.67	133.00
ओडिशा	3589.95	1058.68	308.54	23674.41	58.06

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	8901.76	4256.80	2198.80	15074.15	337.49
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	90.20	50.56	8.63	0.00	9.15
सिक्किम	105.40	45.80	148.34	0.00	20.08
सब-टोटल (ईआर)	**17209.47**	**6222.21**	**3109.19**	**54961.64**	**572.95**
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
असम	1334.07	535.77	69.44	2180.00	8.43
मणिपुर	152.01	22.75	11.43	2.05	5.39
मेघालय	301.49	63.29	6.50	590.78	1.33
नागालैंड	185.99	33.18	13.96	0.00	2.13
त्रिपुरा	290.80	54.23	30.76	60.74	28.10
अरुणाचल प्रदेश	118.52	29.29	41.01	65.08	14.14
मिजोरम	174.40	14.65	1.57	0.31	7.04
सब-टोटल (एनईआर)	**2557.28**	**753.16**	**174.67**	**2898.97**	**66.56**
टोटल (ऑल इंडिया)	**155300.97**	**63911.69**	**46716.75**	**274400.73**	**6730.87**

टिप्पणी: $ झारखंड एवं पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अंतिम उपभोक्ताओं को डीवीसी की बिक्री को शामिल कर
ए-औद्योगिक में शामिल (निम्न एवं मध्यम वोल्टेज)
बी-औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल

अंतिम उपभोक्ताओं को बिक्री की गई ऊर्जा श्रेणी-वार/राज्य-वार यूटिलिटियां एवं गैर यूटिलिटियां

2010-11 (जेडब्ल्यूएच)

राज्य/यूटी	ट्रैक्शन	कृषि	जन जल कार्य एवं सिवेज पंपिंग सिवेज पंपिंग	विविध	कुल बिक्री की गई ऊर्जा
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	535.50	8295.69	644.94	334.73	25183.02
हिमाचल प्रदेश	0.00	35.14	409.95	350.34	6409.90
जम्मू और कश्मीर	0.00	198.10	586.04	806.30	4044.64

1	2	3	4	5	6
पंजाब	142.05	9957.38	358.27	572.46	33636.93
राजस्थान	329.60	13235.89	1382.06	962.92	39536.20
उत्तर प्रदेश	677.21	7689.82	1015.29	48.99	53774.80
उत्तराखंड	7.80	295.88	276.37	0.00	7807.90
चंडीगढ़	0.00	1.10	(बी)	96.54	1345.29
दिल्ली	465.85	35.49	346.46	974.23	21077.45
सब-टोटल (एनआर)	**2158.01**	**39744.50**	**5019.38**	**4146.51**	**192819.69**
गुजरात	681.43	13338.33	1259.20	41.99	70052.88
मध्य प्रदेश	1613.99	6810.09	751.50	2266.30	29746.36
छत्तीसगढ़	788.00	1940.00	132.00	535.00	21322.31
महाराष्ट्र	2188.09	16713.87	1935.02	116.09	92383.58
गोवा	19.17	20.00	117.00	126.00	2870.90
दमन और दीव	0.00	2.60	0.90	0.65	1634.03
दादर और नगर हेवली	0.00	2.00	10.00	0.00	3918.13
सब-टोटल (डब्ल्यूआर)	**5290.68**	**38826.89**	**4205.62**	**3086.03**	**221928.19**
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	1568.90	18798.57	697.28	1547.16	72307.39
कर्नाटक	103.97	13556.31	1661.41	201.49	43228.56
केरल	156.49	240.56	80.50	101.80	15048.05
तमिलनाडु	485.02	12632.87	1055.77	1856.69	68442.78
पुदुचेरी	0.00	74.17	30.55	32.62	2094.03
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	29.54
सब-टोटल (एसआर)	**2314.38**	**45302.49**	**3525.52**	**3739.76**	**201150.35**
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	457.95	388.60	0.00	293.13	5721.67
झारखंड एस	1080.00	70.00	78.00	0.00	18802.66
ओडिशा	797.45	176.20	100.46	486.87	30250.62

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल एस	1224.93	1803.85	555.08	128.18	34481.04
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.83	0.00	27.63	187.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	36.00	337.62
सब-टोटल (ईआर)	**3560.33**	**2439.48**	**733.54**	**971.81**	**89780.61**
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
असम	0.00	25.57	53.75	376.31	4583.35
मणिपुर	0.00	0.49	17.62	59.36	271.10
मेघालय	0.00	0.36	33.77	84.78	1082.30
नागालैंड	0.00	0.00	1.45	52.15	288.86
त्रिपुरा	0.00	37.55	48.09	18.57	568.84
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	7.34	84.62	360.00
मिजोरम	0.00	0.12	27.29	12.18	237.56
सब-टोटल (एनईआर)	**0.00**	**64.09**	**189.31**	**687.96**	**7392.01**
टोटल (ऑल इंडिया)	**13323.40**	**126377.45**	**13673.37**	**12632.07**	**713067.30**

महिला कर्मचारी

200. श्री पी. करूणाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में आज की स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारियों की श्रेणी-वार कुल संख्या और प्रतिशत कितनी है;

(ख) क्या रेलवे में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत अपेक्षाकृत बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे में महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बढ़ाने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) 31.03.2011 (नवीनतम उपलब्ध) को भारतीय रेलों पर रेलवे कर्मचारियों की समूह-वार कुल संख्या और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत निम्नानुसार है:

क्र.सं.	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों का प्रतिशत
(i)	समूह 'क' और 'ख'	16,844	1,269	7.53%
(ii)	समूह 'ग' के कर्मचारी	10,76,889	58,937	5.47%
(iii)	समूह 'घ' के कर्मचारी	2,34,466	24,725	10.5%
	कुल	13,28,199	84,931	6.39%

नोट: समूह 'क' और 'ख' में महिला कर्मचारियों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) भर्ती में रेलों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों का पालन करना अनिवार्य है। अभी तक, महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीयकृत पूछताछ नंबर

201. श्री गणेश सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीयकृत पूछताछ नंबर-139 से सूचना प्राप्त करने हेतु यात्रियों से शुल्क वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सेवा देश के चार महानगरों की तुलना में अन्य शहरों में तीन गुना महंगी है;

(घ) यदि हां, तो महानगरों की तुलना में अन्य शहरों में इस सुविधा से सूचना प्राप्त करने हेतु यात्रियों से प्रति मिनट वसूल किए जा रहे शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त सेवाओं के शुल्क घटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) इस सुविधा का उपयोग करने वाले यात्रियों का प्रतिशत क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) सिंगल इन्क्वायरी नंबर 139 केन्द्रीयकृत पूछताछ सेवा सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित की जाती है। कॉल प्रभारों से प्राप्त राजस्व से अवसंरचना की पूरी लागत और इस सेवा का संचालन फ्रैन्चाइजी द्वारा वहन किया जाना है। टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा टेलिफोन कॉल/एसएमएस (लघु संदेश सेवा) के लिए यात्रियों पर प्रभार लगाये जाते हैं।

(ग) से (ङ) 139 पर कॉल करने के लिए निम्नलिखित कॉल दरें लागू होती हैं:

लैंडलाइन: महानगरों से 180 सेकंड की 1 पल्स की कॉल के लिए 1.20 रुपए जबकि गैर-महानगरों से 60 सेकंड की 1 पल्स के लिए 1.20 रुपए का प्रभार लिया जाता है।

मोबाइल: महानगरों से 60 सेकंड की 1 पल्स की कॉल के लिए 1.20 रुपए और गैर-महानगरों से 60 सेकंड की 1 पल्स की कॉल के लिए 2.00 रुपए का प्रभार लिया जाता है।

एसएमएस (पुल): प्रति एसएमएस 3 रुपए।

139 सेवाओं पर कॉल करने के लिए प्रभार आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) और फ्रेन्चाइ जी के बीच हुए करार, जिसे खुली निविदा के माध्यम से अन्तिम रूप दिया गया था, के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। करार जनवरी, 2017 तक वैद्य है और कॉल/एसएमएस प्रभार निविदा की अवधि तक लागू हैं।

(च) केन्द्रीकृत पूछताछ नंबर, 139 पर प्रतिदिन लगभग 6.70 लाख कॉलें और 2 लाख एसएमएस प्राप्त किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पावर ग्रिड में खराबी

202. श्री के. सुगुमार:
श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री ताराचंद भगोरा:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री जोस के. मणि:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई 2012 में पावर ग्रिड में आई खराबियों के मद्देनजर गठित जांच समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने स्थिर ग्रिड सिस्टम के अध्ययन हेतु क्रमश: पावर ग्रिड खराबी के बाद वर्ष 2001 ओर 2008 में गठित समितियों की अनुवर्ती कार्रवाई की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जुलाई 2012 में पावर ग्रिड में खराबी के कारणों की जांच करने हेतु गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत सुधारात्मक उपायों को कार्यान्वित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा देश में स्थिर पावर ग्रिड सिस्टम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे–

(i) 30 और 31 जुलाई, 2012 को प्रभावित क्षेत्र में ग्रिड अवरोध के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने संबंधी कारणों तथा परिस्थितायों का विश्लेषण करना।

(ii) भविष्य में इस अवरोध की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देना।

(iii) अवरोधों के बाद प्रणाली की पुनस्थार्पना की समीक्षा करना तथा इस संबंध में सुधार संबंधी उपायों का सुझाव, यदि कोई हो।

(iv) ग्रिड के सुरक्षित एवं विश्वस्त प्रचालन अन्य संगत विषय।

तत्कालीन विद्युत ग्रिड अवरोधों के पश्चात् 2001 में गठित अनुवर्तन समिति एवं स्थायी ग्रिड प्रणाली के सृजन के अध्ययन के लिए 2008 में गठित जांच समितियों को जांच समिति की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जांच समिति की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। समिति की मुख्य सिफारिशों में से कुछ सिफारिशें हैं, तृतीय पक्ष बचाव लेखापरीक्षा, जोन 3 चिंतन समीक्षा, अनिर्धारित अंतरपरिवर्तन तंत्र की समीक्षा, न्यून अनुपात को समक्ष बनाना तथा डीएफ/डीटी आधारित लोड सेडिंग स्कीम, उपद्वीपीय समूह योजना तैयार करना, लोड डिस्पैच केंद्रों को स्वायत्ता, विद्युत अधिनियम, 2003 के दंड प्रावधानों की समीक्षा तथा सिंक्रोफेसर आधारित डब्ल्यूएएमएस की स्पष्टता को सुधारने, वास्तविक समय निगरानी, प्रणाली की सुरक्षा तथा नियंत्रण आदि के लिए नेटवर्क में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।

समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाहियों में स्वतंत्र तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा को आरंभ करना, तथा क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) द्वारा सुरक्षा प्रणालियों की जांच शामिल है; सुरक्षित लाइन भार सीमाओं पर पहुंचने दिल्ली के लिए ही द्वीपसमूह योजना को अंतिम रूप देने के लिए जोन-3सेटिंग एकत्रित तथा विश्लेषित की गई है। यूआई तंत्र के माध्यम से अनुपात नियंत्रण के मामले की समीक्षा हेतु पावर सिस्टम आपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पोस्को) द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में याचिका दायर की गई है, संकुलन अधिभार प्रक्रिया में संशोधन हेतु पोस्को द्वारा सीईआरसी में याचिका दायर की गई है। अगस्त, 2012 में विद्युत प्रणाली प्रोत्साहन (पीएसएस/ई) के अध्ययन संस्करण प्राप्त करने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है तथा 19 सितंबर, 2012 को सीईआरसी के साथ एनआरएलडीसी द्वारा न्यून अनुपात रिले(यूएफआर) और डीएफ/डीटी में एक याचिका दायर की गई है। फ्रीक्वेंसी बैंड को और अधिक कारगर बनाने के लिए सीईआरसी में भी एक याचिका दायर की गई है।

उर्वरक कंपनियों को एलएनजी

203. श्री एम.आई. शानवासः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर भारत में उर्वरक कंपनियों ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) 1.5 और 4 अमरीकी डॉलर की दरों पर प्राप्त की है जबकि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लि. (फैक्ट) नाफ्था 26 अमरीकी डॉलर प्रति एमएल बीटीयू की ऊंची दर पर खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नाफ्था के मूल्य में इस अंतर में फैक्ट, कोचीन पर अपनी उत्तर भारतीय समकक्षों की तुलना में अतिरिक्त व्यय का भार पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फैक्ट इकाइयों में एक समान क्रम मूल्य नीति है;

(च) यदि हां, तो क्या फैक्ट कोचीन के संबंध में क्रय मूल्य में कोई उल्लंघन हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) 2011-12 के दौरान उत्तर भारत में यूरिया का उत्पादन करने वाली कुछ प्रमुख इकाइयों को जिस सीआईएफ मूल्य पर आरएलएनजी की आपूर्ति की गई है उसे नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	इकाई	दीर्घावधि आपूर्ति संविदा के अनुसार प्रति एमएमबीटीयू आधार मूल्य		आपूर्तिकर्ता
		विदेशी घटक (अमेरिकी डॉलर /एमएमबीटीयू)	आईएनआर घटक (रुपए/एमएमबीटीयू)	
1.	इफको-आंवला	9.9062	36.42	गेल
2.	इफको-फूलपुर	9.9062	36.4287.38	गेल
3.	टीसीएल-बबराला	9.5252	36.42	आईओसीएल
4.	आईजीएफएल-जगदीशपुर	9.9062		गेल

द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट), कोच्चि ने सूचित किया है कि फैक्ट में उर्वरक का उत्पादन तरलीकृत फीडास्टॉक नेफ्था पर आधारित है, क्योंकि इस समय केरल में प्राकृतिक गैस का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। नेफ्था का मूल्य 1.11.2012 के अनुसार 55000 रुपए प्रति मी. टन है जो ऊर्जा मानकों में लगभग 25 अमेरिकी डालर से 26 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के समान है।

पेट्रोनेट एलएनजी कोच्चि में एक एलएनजी टर्मिनल शुरू कर रही है जो वर्ष 2012 के अंत तक प्रचालनरत होने की संभावना है। इस टर्मिनल से एलएनजी का संभावित मूल्य 18 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू होने की संभावना है। एलएनजी मूल्य कच्चे तेल के मूल्य से प्रणाली सम्बद्ध है और यह प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक महंगी है। फैक्ट फीडस्टॉक और ईंधन के रूप में एलएनजी का प्रयोग करने हेतु अपनी उत्पादन इकाइयों को परिवर्तित कर रही है।

(ग) और (घ) नेफ्था का मूल्य प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक है। फैक्ट द्वारा उत्पादित मिश्रित एनपी 20:20:0:13 पोषक-तत्व आधारित राजसहायता योजना (एनबीएस) में शामिल है। सरकार फैक्ट द्वारा प्रयोग किए जा रहे महंगे फीडस्टॉक का प्रभाव आंशिक रूप से कम करने के लिए अतिरिक्त नेफ्था क्षतिपूर्ति उपलब्ध करा रही है। यह क्षतिपूर्ति 31 मार्च 2012 तक वैध थी। 31 मार्च, 2012 के बाद नेफ्था पर अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का विस्तार करने के लिए फैक्ट का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

फैक्ट कैप्रोलेटम के सह-उत्पाद अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करने हेतु उच्च लागत वाले नेफ्था का प्रयोग करके अमोनिया का उत्पादन कर रही है और नकारात्मक योगदान के कारण कैप्रोलेटम संयंत्र इस समय बंद होने की स्थिति में है। तथापि, फैक्ट प्रत्यक्ष निराकरण हेतु अमोनियम सल्फेट का उत्पादन कर रही है।

(ङ) जी हां। फैक्ट अपने सभी प्रभागों के लिए एक एकसमान खरीद नीति और प्रक्रिया का अनुसरण कर रही है। फैक्ट के पास सभी प्रभागों के लिए अपेक्षित सामग्री की खरीद हेतु एक कारपोरेट सामग्री विभाग है। खरीद में उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रसायन और उर्वरक क्षेत्र में विदेशी कंपनियां

204. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विदेशी कंपनियां देश के रसायन और उर्वरक क्षेत्र में प्रवेश की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में रसायन और उर्वरक क्षेत्र में कार्यरत विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं और वे किन राज्यों में कार्यरत हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) रसायन क्षेत्र में, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के माध्यम से ऑटोमेटिक रूट से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। चूंकि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी अनुमोदन ऑटामेटिक आधार पर मंजूर किए जाते हैं,

इसलिए रसायन क्षेत्र में देश के विभिन्न राज्यों में प्रचलित विदेशी कंपनियों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

मनरेगा के अंतर्गत महिला कर्मचारी

205. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री जगदीश शर्मा:
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत रोजगार प्रदत्त कुल व्यक्तियों में से महिलाओं का राज्य-वार प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या समीक्षा बैठकों में इस संबंध में सरकार द्वारा जारी निदेशों के बाद योजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) अधिनियम में निर्धारित के अनुसार महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने में असफल राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 6 के परंतुक में यह कहा गया है कि महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी कि इस अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने वाले और काम मांगने वाले लाभार्थियों में कम से कम एक तिहाई महिलाएं हों। पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार सृजित श्रम दिवसों के संदर्भ में महिलाओं की भागीदारी लगभग 48 प्रतिशत रही है। वर्ष 2006-07 से महिलाओं की भागीदारी के प्रतिशत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कुछ वर्षों में एक तिहाई से कम महिला लाभार्थियों की सूचना असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से प्राप्त हुई है। समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में इन राज्यों को महात्मा गांधी नरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी की कमी के विषय में सलाह दी गई है, ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरश: क्रियान्वयन हो सके।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत						
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 02/11/2012 तक एमआईएस में सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	54.79	57.75	58.15	58.10	57.05	57.79	57.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	30.02	29.75	26.12	17.20	33.26	40.07	32.00
3.	असम	31.67	30.85	27.16	27.70	26.51	24.87	24.72
4.	बिहार	17.38	27.67	30.02	30.04	28.49	28.82	30.53
5.	छत्तीसगढ़	39.32	42.05	47.43	49.21	48.63	45.16	47.90
6.	गुजरात	50.20	46.55	42.82	47.55	44.23	44.54	43.06
7.	हरियाणा	30.60	34.42	30.64	34.81	35.62	36.44	40.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	हिमाचल प्रदेश	12.24	30.10	39.02	46.09	48.25	59.48	60.48
9.	जम्मू और कश्मीर	4.46	0.82	5.76	6.67	7.48	18.57	18.44
10.	झारखंड	39.48	27.17	28.51	34.25	33.47	31.35	32.30
11.	कर्नाटक	50.56	50.27	50.42	36.79	46.01	45.71	47.02
12.	केरल	65.63	71.39	85.01	88.20	90.39	92.76	92.57
13.	मध्य प्रदेश	43.24	41.67	43.28	44.23	44.40	42.48	42.68
14.	महाराष्ट्र	37.07	39.99	46.22	39.66	45.89	45.95	45.29
15.	मणिपुर	50.89	32.80	45.92	47.98	35.07	33.76	41.44
16.	मेघालय	31.34	30.87	41.35	47.20	43.92	41.41	41.76
17.	मिजोरम	33.38	33.62	36.59	34.99	33.94	23.33	21.66
18.	नागालैंड	29.97	29.12	36.71	43.53	35.02	27.13	23.94
19.	ओडिशा	35.60	36.39	37.58	36.25	39.41	38.60	38.29
20.	पंजाब	37.76	16.29	24.63	26.25	33.86	43.17	47.75
21.	राजस्थान	67.14	69.00	67.11	66.89	68.34	69.20	69.33
22.	सिक्किम	24.69	36.74	37.66	51.24	46.66	44.71	47.61
23.	तमिलनाडु	81.11	82.01	79.67	82.91	82.59	73.86	74.52
24.	त्रिपुरा	75.00	44.51	51.01	41.09	38.55	38.56	41.47
25.	उत्तर प्रदेश	16.55	14.53	18.11	21.67	21.42	16.98	18.73
26.	उत्तराखंड	30.47	42.77	36.86	40.27	40.30	44.52	43.44
27.	पश्चिम बंगाल	18.28	16.99	26.53	33.42	33.69	32.46	32.90
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	एनए	एनए	39.53	44.94	47.39	46.20	45.27
29.	दादरा और नगर हवेली	एनए	एनए	79.13	87.14	85.11	एनए	एनए
30.	दमन और दीव	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
31.	गोवा	एनए	एनए	एनए	62.70	68.38	75.64	81.31
32.	लक्षद्वीप	एनए	एनए	40.68	37.59	34.33	39.90	18.13
33.	पुदुचेरी	एनए	एनए	67.02	63.51	80.39	80.37	84.10
34.	चंडीगढ़	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
	औसत	**40.21**	**42.58**	**47.88**	**48.10**	**47.73**	**47.98**	**53.78**

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में पीएमजीएसवाई

206. श्री एल. राजगोपाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत चलाई गई सड़क परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण सड़क नियमावली में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पालन किए जाने वाले विनिर्देशन काफी पुराने हैं और वे नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुरूप नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण में नवीनतम प्रौद्योगिकी और विधियों को अपनाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्ष 2000 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शुरू की गई 2088 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में से विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा 1290 सड़क कार्य पूरे किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शुरू की गई तथा पूरी की गई सड़क परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	शुरू किए गए सड़क कार्यों की संख्या	पूरे हो चुके सड़क कार्यों की संख्या
2009-10	896	701
2010-11	550	393
2011-12	642	196
कुल	2088	1290

(ख) और (ग) पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों में आईआरसी की ग्रामीण सड़क नियमावली (आईआरसी एसपी 20:2002) में दिए गए तकनीकी विनिर्देशनों और जियामैट्रिक डिजाइन मानकों का पालन किया जाएगा। मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माण की लागत में किफायत लाने के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मानकों और विनिर्देशनों की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह का गठान किया था। मंत्रालय ने विशेषज्ञ समूह की अंतिम सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और ये सिफारिशें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों को 30 सितंबर, 2010 को भेज दी गई थी।

दक्षिणी ग्रिड को नेशानल ग्रिड से जोड़ना

207. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साउथर्न ग्रिड को नेशनल ग्रिड से जोड़ने हेतु युद्धस्तर पर कार्य आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कार्य को वर्ष 2014 तक पूरा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) दक्षिणी ग्रिड को शेष नेशनल ग्रिड के साथ निम्नलिखित सिंक्रोनस लिंकों के साथ पहले ही जोड़ दिया है:

दक्षिणी क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र:-

- ± 500 केवी, 2500 मेगावाट तालचेर-कोलार एचवीडीसी बाई पोल लाइन
- गाजूवाका में 1000 मेगावाट एचवीडीसी बैक-टू-बैक स्टेशन

दक्षिणी क्षेत्र व पश्चिमी क्षेत्र:

- चंद्रपुर में 1000 मेगावाट एचवीडीसी बैक-टू-बैक स्टेशन

इसके अतिरिक्त, रायचुर (कर्नाटक) से शोलापुर (महाराष्ट्र) की 765 केवी एस/सी की दो पारेषण लाइनों का कार्य निर्माणाधीन है, एक लाइन का निर्माण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जबकि दूसरी लाइन का निर्माण मैसर्स रायचुर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आरएसटीसीएल) द्वारा किया जा रहा है। इन 765 केवी की दो लाइनों के पूरा होने के साथ, दक्षिणी ग्रिड सिंक्रोनस मोड पर शेष नैशनल ग्रिड से जोड़

दिया जायेगा। इन दो लाइनों को पूरा करने का निर्धारित समय वर्ष 2014 है।

शिल्पकार आधारित उद्योग

208. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ ही प्रतिशत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत हैं जबकि इनमें से काफी संख्या में अंपजीकृत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन्हें पंजीकृत कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश में एमएसएमई क्षेत्र में अति लघु उद्यमों और शिल्पकार आधारित उद्योगों का आधिपत्य है जिनका हिस्सा समानुपात में बहुत अधिक है।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) शिल्पकार आधारित उद्योगों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार समय-समय पर देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की गणना आयोजित करते हुए पंजीकृत और अपंजीकृत क्षेत्रों पर नजर रखती है। एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006-07, के अनुसार पंजीकृत और अपंजीकृत क्षेत्रों का हिस्सा क्रमश: 4.32 प्रतिशत और 95.68 प्रतिशत है। जिला उद्योग केंद्रों में लघु उद्योगों के पंजीकरण की पूर्व प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अक्तूबर, 2006 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, की धारा 8 के अनुसरण में उद्यमी ज्ञापन (ईएम) दाखिल करने की एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है। उद्यमी ज्ञापन दाखिल करना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऐच्छिक और मध्यम उद्यमों के लिए अनिवार्य है। विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय अपने क्षेत्र कार्यालयों (एमएसएमई-विकास संस्थानों) के माध्यम से उद्यमी ज्ञापन का प्रचार-प्रसार करता है और उद्यमियों को उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने के लिए प्रेरित करता है। राज्य सरकारें भी जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से उद्यमी ज्ञापन दाखिल करने के लिए प्रचार-प्रसार करती हैं।

(घ) और (ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006-07 के अनुसार पंजीकृत और अपंजीकृत क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का प्रतिशत अंश क्रमश: 94.94 प्रतिशत और 99.83 प्रतिशत है।

(च) कारीगर आधारित उद्योगों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना

(ii) कारीगर कल्याण निधि ट्रस्ट

(iii) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना

(iv) मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण ओर विपणन तंत्र हेतु सहायता

(v) खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना

(vi) परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु विशेष निधि (स्फूर्ति)

(vii) केयर बोर्ड की रिमोट योजना।

[हिन्दी]

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति

209. श्री इज्यराज सिंह:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति, 2007 के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता देने का कोई उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो एसईजेड के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि के कारण विस्थापित परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विस्थापित परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके एक सदस्य को रोजगार दिया गया है और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है;

(घ) राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति, 2007 का पालन न करने वाले एसईजेड का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसका पालन न किए जाने पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लाल चन्द कटारिया): (क) से (ङ) राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति, 2007 के पैरा 7.13 में यह व्यवस्था है कि कोई ऐसी परियोजना जिसमें अर्जक निकाय की ओर से भूमि अधिग्रहण करना शामिल हो:-

(i) अर्जक निकाय रिक्तियां उपलब्ध होने तथा नियोजन हेतु प्रभावित व्यक्ति के पात्र होने पर, प्रभावित परिवारों के कम से कम प्रति एकल परिवार में एक व्यक्ति को परियोजना में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता देगा।

(ii) जहां कहीं भी आवश्यक हो, अर्जक निकाय प्रभावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगा ताकि ऐसे व्यक्तियों को उपयुक्त कार्य करने के योग्य बनाया जा सके;

(iii) अर्जक निकाय, उस मानदण्ड के आधार पर, जो उपयुक्त सरकार नियत करे, प्रभावित परिवारों में से पात्र व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां तथा अन्य दक्षता विकास संबंधी अवसर प्रदान करेगा;

(iv) अर्जक निकाय प्रभावित व्यक्तियों अथवा उनके समूहों अथवा सहकारी समितियों को बाह्य स्रोत ठेके, दुकानें अथवा परियोजना स्थल के आस-पास उत्पन्न होने वाले अवसरों का आवंटन करने में उन्हें प्राथमिकता देगा; और

(v) अर्जक निकाय परियोजना में निर्माण प्रावस्था के दौरान श्रमिकों की भर्ती करते समय इच्छुक भूमिहीन श्रमिकों तथा बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा।

इसके अलावा, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 18 के अनुसार, 'भूमि' राज्य का विषय है। अनुमति बोर्ड, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित न्यूनतम भूमि की आवश्यकता तथा अन्य शर्तों एवं निबंधनों को पूरा करने पर ही किसी विशेष आर्थिक जोन (वि.आ.जो.) की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी देता है। यह अनुमति संबंधित राज्य सरकार द्वारा विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की सिफारिश करने के बाद ही प्रदान की जाती है। विशेष आर्थिक जोनों के तहत जितने भी भू-भाग का अधिग्रहण किया गया है, यह राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा किया गया है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे विशेष आर्थिक जोनों हेतु भूमि अधिग्रहण के मामले में, पहली प्राथमिकता परती तथा बंजर भूमि को ही दें तथा यदि आवश्यक हो, विशेष आर्थिक जोनों के लिए एकल फसलीय कृषि भूमि का अधिग्रहण ही किया जाए। यदि मजबूरन न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेषतया बहु-उत्पादीय विशेष आर्थिक जोनों हेतु द्वि-फसलीय कृषि भूमि का आंशिक अधिग्रहण करना पड़े, यह विशेष आर्थिक जोन हेतु आवश्यक कुल भूमि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोनों के लिए भूमि आबंटित नहीं करती है। विशेष आर्थिक जोनों संबंधी अनुमति बोर्ड केवल उन्हीं प्रस्तावों पर ही विचार करता है जिनकी राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से सिफारिश की गयी हो। इसके अलावा, अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा 5 अप्रैल, 2007 को हुई इसकी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, राज्य सरकारों को 15 जून, 2007 को यह सूचना दे दी गयी थी कि अनुमति बोर्ड ऐसे किसी भी विशेष आर्थिक जोन का अनुमोदन नहीं करेगा जहां राज्य सरकारों ने 15 अप्रैल, 2007 के बाद ऐसे विशेष आर्थिक जोनों हेतु भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया हो अथवा ऐसा करने का प्रस्ताव हो।

एनटीपीसी विद्युत परियोजनाएं

210. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बिल्हौर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) की 26×660 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं को कोयला आबंटन तथा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिल्हौर टीपीपी (2×660 मे.वा.) के लिए कोयला लिंकेज हेतु कोयला मंत्रालय में आवेदन किया है।

परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करने हेतु 'विचारार्थ विषय' (टीओआर) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 26.07.2011 के पत्र द्वारा प्रदान किया गया है।

जहां तक पर्यावरणीय स्वीकृति का संबंध है, पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के समक्ष केवल परियोजना के लिए वास्तविक कोयला लिंकेज उपलब्ध होने के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

[अनुवाद]

राज्यों को विद्युत का आबंटन

211. **श्री एस. सेम्मलई:**
श्री मानिक टैगोर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य सरकारों से विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की अनाबंटित विद्युत से अतिरिक्त विद्युत के आबंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने कॉरिडोर पर दबाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, जोकि अधिशेष राज्यों से तमिलनाडु राज्य को विद्युत की आपूर्ति हेतु बाधा बन रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) केंद्रीय उत्पादन केंद्रों (सीजीएसएस) से अनाबंटित विद्युत से अतिरिक्त आबंटन के अनुरोध राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर प्राप्त होते हैं। हाल ही में सीजीएसएस की अनाबंटित विद्युत से अतिरिक्त विद्युत के आबंटन के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान से अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ग) और (घ) वर्तमान नेटवर्क दीर्घकालीन एक्सेस के जरिए कांट्रेक्ट द्वारा तमिलनाडु की पूर्ण विद्युत आवश्यकता सुनिश्चित होती है।

इसके अतिरिक्त दक्षिणी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र के बीच अंतर-क्षेत्रीय क्षमता की प्रस्तावित वृद्धि दो प्रस्तावित 765 केवी लाइनों द्वारा तमिलनाडु सहित दक्षिणी क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति बढ़ाएगी।

[हिन्दी]

मनरेगा के अंतर्गत अनियमितताएं

212. **श्री पन्ना लाल पुनिया:**
श्री निशिकांत दुबे:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री प्रेमचन्द गुड्डू:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री पी.आर. नटराजन:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना हेतु कितना आवंटन किया गया है;

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी धनराशि तथा उक्त अवधि के दौरान इसमें से प्रयुक्त धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना के अंतर्गत गंभीर अनियमितताएं तथा धनराशियों के गबन/दुरुपयोग को सरकार की जानकारी में लाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा ऐसे मामले को सीबीआई को सौंपने सहित, इन मामलों की कोई जांच कराई गई है/प्रस्तावित है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस योजना के अंतर्गत ऐसी अनियमितताओं/धनराशियों के गबन को रोकने के लिए सरकार द्वारा सीएजी द्वारा वैधानिक लेखापरीक्षा सहित क्या उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के अन्तर्गत वित्तपोषण पद्धति महात्मा गांधी नरेगा की धारा 22 के उपबंधों, महात्मा गांधी नरेगा प्रचालन

दिशानिर्देशों, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि नियमावली, 2006 और समय-समय पर जारी मानदंड और एडवाइजरी द्वारा संचालित होती है। केन्द्र सरकार अर्द्ध-कुशल शारीरिक कार्य करने वाले कामगारों को अधिसूचित मजदूरी दरों पर मजदूरी के भुगतान के पूरे खर्च को वहन करती है। योजना के तहत कुशल और अर्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित परियोजनाओं के सामग्री घटकों की लागत कुल परियोजना लागत के चालीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुशल और अर्धकुशल कामगारों की मजदूरी सहित सामग्री लागत का 75% केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए समर्पित स्टाफ की तैनाती, सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए प्रबंधन और प्रशासनिक सहायता संरचनाओं को सुदृढ़ करने, शिकायतों के निपटान, सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी अवसंरचना इत्यादि के लिए प्रशासनिक खर्च के रूप में निधियों का 6% अनुमेय है।

(ख) और (ग) वर्ष 2009-10 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के लिए बजट प्राक्कलन और परिव्यय का संशोधित प्राक्कलन निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन
2009-10	39100.00	39100.00
2010-11	40100.00	40100.00
2011-12	40000.00	31000.00
2012-13	33000.00	--

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2009-10 से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के लिए रिलीज की गई निधियों और हुए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और रोजगार की मांग होने पर निधियों का उपयोग करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर निर्भर करता है।

(घ) से (छ) मंत्रालय को देश में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप से जॉब कार्ड न दिए जाने, निधियों के दुर्विनियोजन, ठेकेदारों को काम पर लगाए जाने, मस्टर रोल में जालसाजी, जॉब कार्डों में हेराफेरी, कम मजदूरी के भुगतान, मजदूरी का भुगतान न किए जाने, भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं, मशीनों का इस्तेमाल किए जाने, भुगतान में देरी इत्यादि के मामलों से संबंधित होती हैं। विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें कानून के अनुसार जांच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं, क्योंकि महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपनी बनाई योजनाओं के अनुसरण में राज्य सरकारें करती हैं। सेंटर फॉर इन्वायरनमेंट एंड फूड सिक्योरिटी मामले में 2007 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 645 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर तथा अप्रैल, 2011 में ओडिशा राज्य सरकार की सहमति मिलने पर केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से ओडिशा में मनरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार और निधियों के दुर्विनियोजन के आरोपों की जांच कराने का आदेश दिया। सीबीआई ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की सीबीआई द्वारा जांच कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सहमति लेने का भी अनुरोध किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में 2011 की रिट याचिका संख्या 12802 (एम/बी) भी दायर की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की जांच कराने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है। इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन है।

(ज) मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 24 के अनुसार, केन्द्र सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के परामर्श से सभी स्तरों पर योजनाओं के खातों की लेखापरीक्षा कराने के लिए उचित व्यवस्था कर सकती है। तद्नुसार, सीएजी के परामर्श से 30 जून, 2011 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 की अधिसूचना जारी की गई है। मंत्रालय ने प्रारंभ में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में सीएजी द्वारा विशेष वित्तीय एवं निष्पादन लेखापरीक्षा कराने का अनुरोध किया है तथा इन राज्यों और कुछ अन्य राज्यों में मनरेगा की सीएजी। लेखापरीक्षा का कार्य शुरू हो चुका है।

विवरण-I

केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मनरेगा के कार्यान्वयन हेतु जारी निधियां

क्र.सं	राज्य	रिलीज की गई केन्द्रीय निधि (लाख रु. में)				कुल व्यय (लाख रु. में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 दिनांक 19.11.2012 तक	2009-10	2010-11	2011-12 अनंतिम	2012-13 दिनांक 02.11.2012 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	378160.23	741807.00	147757.89	239606.52	450918.00	543938.55	418014.43	312880.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	3386.17	3528.47	6078.58	2654.39	1725.74	5057.31	96.87	547.21
3.	असम	77888.50	60928.65	42685.80	38183.85	103389.76	92104.35	74781.61	27738.51
4.	बिहार	103278.45	210365.46	130073.42	70000.00	181687.63	266425.17	167286.18	96192.66
5.	छत्तीसगढ़	82710.30	168504.95	163855.88	203136.31	132266.65	163397.81	207875.47	110584.53
6.	गुजरात	77729.70	89486.13	32429.03	22152.62	73938.25	78822.00	65974.64	32100.29
7.	हरियाणा	12400.38	13100.11	27512.23	33685.09	14355.28	21470.43	31388.07	14983.90
8.	हिमाचल प्रदेश	39542.50	63625.00	31138.16	32136.64	55655.76	50196.38	50949.66	22953.77
9.	जम्मू और कश्मीर	17568.95	31359.89	78130.96	33890.78	18531.34	37776.70	51593.57	18597.68
10.	झारखंड	81216.22	96286.92	123733.08	37500.35	137970.19	128435.40	117092.87	60669.72
11.	कर्नाटक	276998.19	157305.00	66256.92	95000.00	273919.35	253716.51	187619.32	84063.55
12.	केरल	46771.42	70423.24	95105.43	105373.04	47151.35	70434.07	99582.87	61366.07
13.	मध्य प्रदेश	351923.66	256576.96	296851.28	54580.36	372228.08	363724.90	343545.04	154254.26
14.	महाराष्ट्र	24965.06	20471.11	104043.62	105606.67	32109.32	35811.97	165785.45	116245.01
15.	मणिपुर	43681.36	34298.83	62496.73	45099.13	39316.87	44070.51	33048.99	8585.66
16.	मेघालय	21136.81	20980.84	28498.33	13198.97	18352.79	31902.39	29756.07	12242.60
17.	मिजोरम	27697.03	21602.83	32956.72	16187.44	23823.99	29315.12	23978.76	9862.22
18.	नागालैंड	56292.34	51156.84	67346.57	21700.97	49945.76	60537.48	51445.45	7777.50
19.	ओडिशा	44581.26	156186.38	97821.72	76937.53	93898.37	153314.26	104567.38	54131.93
20.	पंजाब	14318.45	12879.17	11429.36	8997.03	14991.96	16584.21	16068.64	8194.86
21.	राजस्थान	594264.49	278882.00	161969.60	166027.59	566903.40	328907.14	321719.73	197653.39
22.	सिक्किम	8857.35	4448.55	10079.77	5326.91	6408.99	8525.72	7104.33	2222.71
23.	तमिलनाडु	137118.92	202489.77	281552.22	354605.42	176123.49	232331.96	292497.30	243229.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	त्रिपुरा	88636.01	38260.70	95932.57	76799.05	72940.80	63186.85	94599.01	36847.95
25.	उत्तर प्रदेश	531887.16	526658.86	424048.00	88884.00	590003.87	563120.10	510367.57	127921.85
26.	उत्तराखंड	27960.22	28980.93	37351.42	20034.97	28309.06	38019.88	41445.26	10794.30
27.	पश्चिम बंगाल	178728.96	211761.00	259703.16	265518.05	210898.16	253246.13	291455.33	225976.38
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	241.15	768.63	1643.85	753.78	1226.12	903.66	1574.27	288.24
29.	दादर और नगर हवेली	39.20	47.73	100.00	39.56	133.95	123.00	एनआर	एनआर
30.	दमन और दीव	0	0	0	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	20.72	507.76	259.64	241.16	470.12	993.28	706.44	86.57
32.	लक्षद्वीप	200.00	233.58	35.00	117.55	201.48	251.70	284.11	72.33
33.	पुदुचेरी	459.93	2982.05	100.00	480.93	726.90	1082.11	1265.07	1073.96
34.	चंडीगढ़	0	0	0	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	3350661.09	3576895.33	2918976.94	2234456.66	3790522.78	3937727.05	3803469.77	2060139.64

विवरण-II

31.10.2012 तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्राप्त राज्य-वार शिकायतें

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4	14	18	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0
3.	असम	6	6	8	1
4.	बिहार	34	25	61	43
5.	छत्तीसगढ़	11	17	55	22
6.	गोवा	1	0	0	0
7.	गुजरात	11	18	9	10
8.	हरियाणा	8	19	29	6
9.	हिमाचल प्रदेश	8	12	8	1
10.	जम्मू और कश्मीर	1	1	4	1

1	2	3	4	5	6
11.	झारखंड	15	10	44	16
12.	कर्नाटक	7	12	13	3
13.	केरल	3	2	5	4
14.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
15.	मध्य प्रदेश	98	135	88	109
16.	मेघालय	0	0	4	0
17.	महाराष्ट्र	7	6	6	5
18.	मणिपुर	1	1	8	2
19.	मिजोरम	0	0	0	0
20.	नागालैण्ड	2	1	0	0
21.	ओडिशा	9	19	30	5
22.	पंजाब	8	4	5	5
23.	पुदुचेरी	0	0	1	2
24.	राजस्थान	101	30	57	2
25.	सिक्किम	1	0	0	0
26.	तमिलनाडु	5	7	5	1
27.	त्रिपुरा	0	0	1	0
28.	उत्तर प्रदेश	168	266	605	284
29.	उत्तराखंड	9	8	18	5
30.	पश्चिम बंगाल	10	8	8	2
	अखिल भारत	**528**	**621**	**1091**	**538**

[अनुवाद]

ताजे पानी के समाप्त होते स्रोत

213. **श्री जे.एम. आरून रशीद:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल के प्रदूषण पर देश की प्रतिक्रिया बहुत धीमी है और समूचे देश के शहरों तथा नगरों में उत्पादित सीवेज के केवल लगभग 18 प्रतिशत के शोधन की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में ताजे पानी के स्रोत कम है तथा समाप्त होते जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष नदियों तथा अन्य ताजे जल के भंडारों में लाखों टन सीवेज औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्टों को बहाए जाने को रोकने के लिए तथा 'प्रदूषण भुगतान

करे' सुमान्यताप्राप्त सिद्धांत के सख्ती से प्रवर्तन के सहित देशभर के नागरिकों को स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या तुरंतोपाय किए जाने प्रस्तावित हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार देश के वर्ग I और वर्ग II के शहरों से प्रतिदिन लगभग 38254 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) अनुमानित सीवेज छोड़े जाने की तुलना में केवल 11787 एमएलडी के लिए ही उपचार क्षमता उपलब्ध है।

(ग) केन्द्रीय जल आयेग ने देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता का अनुमान 1869 बिलियन घन मीटर दिया है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, औद्योगिकीकरण और जीवन शैली में परिवर्तन होने के कारण जल की मांग बढ़ रही है।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कच्चे जल मल को रोकने और डायवर्ट करने, सीवेज उपचार संयंत्र को स्थापित करने, कम लागत की स्वच्छता सुविधाओं का सृजन करने, विद्युत/बेहतर लकड़ी का शवदाह गृह स्थापित करने तथा नदी मुख विकास हेतु विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण स्कीमों के लिए राज्य सरकारों के सहायतार्थ/एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) प्रारंभ की है।

शहरी विकास मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों नामत: जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और छोटे और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम द्वारा राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं द्रव अपशिष्टता प्रबंधन के अभिन्न घटक के रूप में समय स्वच्छता अभियान चलाता है।

[हिन्दी]

सोन नदी

214. श्री कामेश्वर बैठा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोन नदी झारखंड, बिहार तथा ओडिशा से होकर बहती है; और

(ख) यदि हां, तो सोन नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) सोन नदी झारखंड और बिहार से गुजरती है।

(ख) सोन नदी पर बाणसागर बांध से तीन राज्यों को होने वाले अभिप्रेत सिंचाई लाभ निम्नानुसार हैं:

(i) पूर्व में मध्य प्रदेश (रीवा, सिद्धी, सतना तथा शाहडोल जिले में): 2.49 लाख हेक्टेयर

(ii) उत्तर प्रदेश में वार्षिक सिंचाई (मिर्जापुर और इलाहाबाद जिले में) 1.5 लाख हेक्टेयर

(iii) बिहार में वार्षिक सिंचाई-पुरानी सोन नहर प्रणाली के माध्यम से स्थिरता प्रदान करने हेतु 0.94 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लाभ होगा।

[अनुवाद]

लंबित परियोजनाएं

215. श्री निशिकान्त दुबे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़ी परियोजनाओं की जोन तथा स्थिति-वार संख्या कितनी है; और

(ख) इन लंबित परियोजनाओं के कार्यान्वयन/पूरा करने के लिए कुल आवश्यक अनुमानित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) 2007-2008 से पूर्व के रेल बजटों में शामिल की गई चालू नई लाइन, अमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं की जोन-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 01.04.2012 को चल रही इन 138 चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 58,634 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। वर्ष 2012-13 के लिए इन परियोजनाओं को 6768 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

विवरण

(क) 2007-08 तक के रेल बजटों में शामिल नई लाईन, अमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं की जोन-वार संख्या निम्नलिखित है:—

क्र.सं.	रेलवे जोन	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	मध्य	4
2.	पूर्व तट	12

1	2	3
3.	पूर्व मध्य	19
4.	पूर्व	12
5.	उत्तर	9
6.	उत्तर मध्य	5
7.	पूर्वोत्तर	11
8.	पूर्वोत्तर सीमा	14
9.	उत्तर पश्चिम	1
10.	दक्षिण	14
11.	दक्षिण मध्य	12
12.	दक्षिण पूर्व	7
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	6
14.	दक्षिण पश्चिम	7
15.	पश्चिम मध्य	2
16.	पश्चिम	3

निर्धारित तथा अर्जित लक्ष्य

216. **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः**
श्री निशिकान्त दुबेः
श्री पन्ना लाल पुनियाः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार और पिछले राज्य-वार कुल कितनी लंबी नई रेल लाइनों को स्वीकृति मिली है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में बिछाई गई नई रेल लाइनों तथा पूर्ण दोहरीकरण/विद्युतीकरण की वर्ष-वार और राज्य7वार कुल लंबाई कितनी है; और

(ग) झारखंड सरकार से रेलवे के पास लंबित नई रेल लाइनों के प्रस्तावों का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (यथा 2009-10 और 2012-13 के दौरान 2311 कि.मी. की लंबाई को कवर करते हुए 30 अदद नई लाइन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (यथा 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13) के दौरान नई लाइनों, रेल विद्युतीकरण और दोहरीकरण के संबंध में निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित हैः

(01.04.2012 को)

वर्ष	नई लाइन		रेल विद्युतीकरण		दोहरीकरण	
	लक्ष्य (संशोधित)	प्राप्त	लक्ष्य	प्राप्त	लक्ष्य (संशोधित)	प्राप्त
2009-10	200	258	1000	1117	320	448
2010-11	700	709	1000	975	767	769
2011-12	700	727	1000	1165	750	752
2012-13	700	–	1200	–	700	–

(ग) राज्य सरकार से परियोजना प्रस्तावों का प्राप्त होना एक सतत् प्रक्रिया है। बहरहाल, प्रस्ताव के औचित्य के आधार पर परियोजना पर विचार किया जाता है।

एनटीपीसी को कोयला ब्लॉकों का पुनः आबंटन

217. श्री पी. लिंगम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) को कोयला ब्लॉकों में आबंटन में देरी से देश में विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयला ब्लॉकों के तुरंत प्रभाव से पुन: आबंटन कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ताकि एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन प्रभावित न हो?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एनटीपीसी को कोयला ब्लॉकों अर्थात् चट्टी-बरियातु, चट्टी-बरियातु (दक्षिण) और केरनदारी ब्लॉकों के पुन: आबंटन में विलंब जिसे दिनांक 14.06.2011 को कोयला मंत्रालय द्वारा डिसएलोकेटेड कर दिया गया है, से एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि इन ब्लॉकों से कोयला इसकी आगामी विद्युत परियोजनाओं अर्थात् बाढ़-II (2x600 मेगावाट) और टांडा-II (2x660 मेगावाट) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवंटित किया जाता है।

(ग) कोयला मंत्रालय ने दिनांक 27.01.12 को एनटीपीसी के चट्टी-बरियातु, केरनदारी और चट्टी-बरियातु (दक्षिण) कोयला ब्लॉकों के डिसएलोकेशन की सैद्धांतिक निकासी की संस्तुति की। तथापि, कोयला मंत्रालय से डिसएलोकेशन की औपचारिक निकासी प्राप्त की जानी है। फिर भी विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 03.05.2012, 05.09.2012 और 16.11.2012 के पत्र के माध्यम से कोयला मंत्रालय के साथ मामले को उठाया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

218. श्री एम. बी. राजेश:
श्री सी.आर. पाटील:
श्रीमती जयश्री बेन पटेल:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री के.पी. धनपालन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न चरणों की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी तथा व्यय की गई है तथा कुल कितनी लंबी सड़कें बनाई गई हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए गए तथा किए जाने वाले गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार पीएमजीएसवाई के मानकों में परिवर्तन करने तथा योजना के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालचंद कटारिया): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को वर्ष 2000 से कार्यान्वित कर रहा है। जैसाकि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 30 सितम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 95,031.50 करोड़ रुपये के व्यय से 3,60,385.98 कि.मी. लंबाई के 91,264 सड़क निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न चरणों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पीएमजीएसवई के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (30 सितंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान राज्यों को 53,742 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। जैसाकि राज्यें द्वारा सूचित किया गया है, योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (30 सितंबर 2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान 48,224 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, राज्यों द्वारा सूचित किए अनुसार, उक्त अवधि के दोरान 1,46,105 कि.मी. लंबाई में सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है। जारी की गई निधियों, किए गए व्यय और पूरी की गई लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(ग) कार्यक्रम के लिए इकाई का बसावट है न कि एक राजस्व ग्राम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र बसावटों की कुल संख्या 1,58,849 है। मंत्रालय द्वारा 1,21,875 बसावटों को सड़क संपर्कता मुहैया कराने संबंधी परियोजना प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी गई है और जैसाकि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, 30 सितम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 87,761 बसावटों को सड़क संपर्कता मुहैया करायी गई है। बसावटों की सड़क संपर्कता स्थिति के बारे में राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय मैदानी क्षेत्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार) 500 तथा उससे अधिक व्यक्तियों की आबादी तथा पहाड़ी राज्यों, जनजाति (अनुसूची-V) क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों (मरुभूमि विकास कार्यक्रम में यथा निर्धारित)

में (2001 की जनगणना के अनुसार) 250 तथा अधिक व्यक्तियों की आबादी वाले कोर नेटवर्क के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र बसावटों को सड़क संपर्कता मुहैया कराने के उद्देश्य से पीएमजीएसवाई को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। हाल ही में, 250 व्यक्तियों तथा उससे अधिक की आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली बसावटों को कवर करने के लिए गृह मंत्रालय ओर योजना आयोग द्वारा यथा-निर्धारित) 82 चुनिंदा जनजाति और पिछड़े जिलों के बारे में जनसंख्या मानदंड में छूट दी गई है।

(च) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किया जाता है। राज्य सरकारों को दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए समुचित कार्यवाही करना अपेक्षित है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम निम्नलिखित हैं:–

(i) राज्यों की निष्पादन क्षमता में वृद्धि करना।

(ii) मानक बोली दस्तावेज अपनाना।

(iii) क्षमता निर्माण हेतु फील्ड इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना।

(iv) क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें, अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों और वेब-आधारित निगरानी तंत्र के माध्यम से वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित एवं ढांचागत समीक्षा करना।

(v) अंत:निर्मित त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र।

विवरण-I

पीएमजीएसवाई के (चरण-I से XI + एशियाई विकास बैंक/विश्व बैंक) तहत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

(रुपये करोड़ में, लंबाई कि.मी. में)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्य	रिलीज की गई राशि (30.09.2012 तक)	पुलों समेत स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत सड़क कार्यों की लंबाई	पूरे किए गए सड़क कार्यों की सं. (सित. 12 तक)	पूरे किए गए सड़क कार्यों की लंबाई (सित. 12 तक)	व्यय (सितंबर, 12 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	4715.13	4100.82	6947	21938.29	6327	20532.04	3777.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	2074.50	1376.63	782	4362.63	596	3434.61	1369.86
3.	असम	8846.90	7437.17	4817	16335.85	2954	12751.75	7022.59
4.	बिहार	20268.95	11795.60	11413	43603.91	5585	22843.25	11000.42
5.	छत्तीसगढ़	7186.71	5658.99	5940	27422.35	4395	19764.55	4935.95
6.	गोवा	9.72	10.00	90	178.16	72	158.70	5.32
7.	गुजरात	1799.52	1434.86	3494	8676.83	3032	7663.99	1384.26
8.	हरियाणा	1484.21	1317.97	420	4589.33	411	4530.75	1295.99
9.	हिमाचल प्रदेश	2602.57	1839.68	2227	12790.38	1564	10066.93	1679.66
10.	जम्मू और कश्मीर	4951.16	1901.01	1913	9662.37	633	3913.11	1762.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	झारखंड	4032.17	2871.75	3480	14664.93	1650	7994.37	2204.96
12.	कर्नाटक	3253.62	3155.23	3261	16350.49	3183	15766.82	3224.44
13.	केरल	975.01	688.32	1173	2710.49	704	1528.29	593.45
14.	मध्य प्रदेश	14892.41	11658.25	13452	59871.69	11073	50295.81	11266.80
15.	महाराष्ट्र	6377.77	5266.33	6126	24016.68	5045	21663.81	4881.28
16.	मणिपुर	1127.25	720.17	1113	3662.76	777	3037.00	673.59
17.	मेघालय	408.69	310.14	427	1206.44	366	1017.73	229.57
18.	मिजोरम	708.27	616.00	191	2487.16	150	2131.34	568.35
19.	नागालैंड	732.73	426.95	305	3629.63	246	2674.87	381.16
20.	ओडिशा	14235.86	9629.55	10136	39217.81	6460	23999.16	8973.58
21.	पंजाब	2102.71	1568.03	827	5678.62	724	4523.43	1476.45
22.	राजस्थान	10352.94	8502.38	13477	56367.46	11480	48696.62	8058.84
23.	सिक्किम	970.89	625.71	476	3245.87	235	2419.82	504.02
24.	तमिलनाडु	2035.70	1821.12	4970	10053.99	4942	9953.94	1757.80
25.	त्रिपुरा	1892.41	1386.18	1044	3371.01	826	2387.14	1349.18
26.	उत्तर प्रदेश	10663.47	9739.14	16487	42901.70	15107	39966.78	9466.78
27.	उत्तराखंड	1619.82	1119.98	783	5727.57	480	4275.71	1102.06
28.	पश्चिम बंगाल	5996.57	4513.85	2930	16334.05	2170	12325.13	4071.45
	कुल योग	**136317.66**	**101491.80**	**118701**	**461058.44**	**91187**	**360317.45**	**95017.00**
संघ राज्यक्षेत्र								
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	32.39	10.59	18	0.00	0	0	0.26
31.	दादरा और नगर हवेली	36.78	13.84	156	181.97	0	0	0
32.	दमन और दीव	10.00	10.00	0	0.00	0	0	4.94
33.	दिल्ली	5.00	5.00	1	0.00	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	4.89	4.89	0	0.00	0	0	0
35.	पुदुचेरी	11.58	5.00	78	87.92	77	68.53	9.30
	कुल (संघ राज्यक्षेत्र)	100.64	49.32	253	269.89	77	68.53	14.50
	कुल योग	136418.30	101541.12	118954	461328.33	91264	360385.98	95031.50

आंकड़े सितंबर, 2012 तक जैसाकि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है।

विवरण-II

पीएमजीएसवाई के तहत 2009 से 2012 तक (सितम्बर, 2012 तक) रिलीज और व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	रिलीज				व्यय			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (सित. 2012 तक)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (सित. 2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	872.46	667.15	607.48	0.00	886.37	473.94	291.75	121.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	282.51	369.87	213.27	70.79	247.61	348.85	173.37	124.92
3.	असम	1179.00	1900.67	1682.84	0.00	1412.91	1300.79	1312.18	336.62
4.	बिहार	1692.88	3366.43	3336.32	640.02	1874.51	2694.91	2847.08	1015.45
5.	छत्तीसगढ़	510.12	678.58	801.51	0.00	805.06	304.16	244.35	104.39
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	193.80	322.43	66.59	75.74	190.46	243.84	150.55	7.25
8.	हरियाणा	255.49	157.75	60.00	0.00	277.16	108.03	60.80	20.89
9.	हिमाचल प्रदेश	124.96	199.30	305.30	0.00	220.10	142.67	119.17	34.82
10.	जम्मू और कश्मीर	369.61	366.09	757.10	0.00	359.42	297.40	508.43	206.02
11.	झारखंड	417.74	838.81	843.08	0.00	457.79	538.44	323.23	148.15
12.	कर्नाटक	764.87	917.68	0.00	14.60	883.97	634.80	256.62	17.21
13.	केरल	100.11	144.27	200.00	0.00	113.77	146.14	58.07	29.22
14.	मध्य प्रदेश	2111.21	1966.12	1138.05	0.00	2234.83	1409.49	894.17	251.68
15.	महाराष्ट्र	944.18	1237.55	791.01	0.00	994.60	1012.48	546.05	56.15
16.	मणिपुर	149.16	144.98	175.53	50.00	145.13	122.34	166.52	29.72
17.	मेघालय	0.00	64.27	37.00	50.00	20.38	36.39	27.68	6.74
18.	मिजोरम	44.58	95.59	93.63	45.32	66.86	82.24	85.47	20.23
19.	नागालैंड	65.02	25.13	10.00	67.02	71.61	29.67	12.26	25.89
20.	ओडिशा	1594.35	2467.36	1964.95	0.00	1895.25	1924.25	1235.78	441.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब	348.42	194.43	164.61	0.00	322.64	155.34	61.49	65.86
22.	राजस्थान	583.41	886.22	667.76	0.00	795.03	686.39	247.63	155.87
23.	सिक्किम	70.00	76.77	80.00	25.96	80.17	85.53	13.93	5.45
24.	तमिलनाडु	520.00	469.54	160.00	0.00	560.20	304.81	211.36	13.25
25.	त्रिपुरा	152.50	257.91	206.39	111.58	253.74	237.51	230.22	49.91
26.	उत्तर प्रदेश	2837.62	1308.83	203.77	0.00	2914.96	868.54	194.84	34.67
27.	उत्तराखंड	164.95	237.96	295.32	0.00	172.57	191.74	255.48	16.82
28.	पश्चिम बंगाल	375.00	819.68	823.90	0.00	575.82	530.29	417.93	194.05
	कुल योग	**16723.93**	**20181.37**	**15685.39**	**1151.03**	**18832.92**	**14910.98**	**10946.41**	**3533.98**
संघ राज्यक्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	**16723.93**	**20181.37**	**15685.39**	**1151.03**	**18832.92**	**14910.98**	**10946.41**	**3533.98**

विवरण-III

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2009 से 2012 (सितम्बर, 2012) तक निर्मित सड़क की लंबाई

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2009-10 के दौरान पूरी की गई लंबाई	वर्ष 2010-11 के दौरान पूरी की गई लंबाई	वर्ष 2011-12 के दौरान पूरी की गई लंबाई	वर्ष 2012-13 के दौरान पूरी की गई लंबाई
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3092.00	2121.48	932.14	424.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	622.55	366.87	419.21	89.46

1	2	3	4	5	6
3.	असम	2095.88	2057.11	2131.43	513.06
4.	बिहार	2843.27	2515.13	7539.82	3067.07
5.	छत्तीसगढ़	4020.44	1570.66	1053.69	302.34
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1511.02	605.97	431.44	76.15
8.	हरियाणा	785.35	389.25	188.31	46.37
9.	हिमाचल प्रदेश	1505.61	661.82	761.09	41.47
10.	जम्मू और कश्मीर	661.54	474.00	999.62	1029.34
11.	झारखंड	1530.90	1599.25	1123.03	709.10
12.	कर्नाटक	3019.75	1848.93	1858.64	226.03
13.	केरल	264.10	245.87	214.14	40.36
14.	मध्य प्रदेश	10398.01	9163.26	2926.66	850.95
15.	महाराष्ट्र	3111.50	3718.27	2592.46	315.92
16.	मणिपुर	879.68	487.42	374.61	73.45
17.	मेघालय	97.92	83.31	44.67	8.30
18.	मिजोरम	202.71	252.13	130.90	28.26
19.	नागालैंड	273.66	86.00	24.89	10.00
20.	ओडिशा	3838.43	4941.90	3167.06	918.50
21.	पंजाब	710.00	622.72	71.76	89.07
22.	राजस्थान	4350.11	3019.47	450.78	79.26
23.	सिक्किम	98.82	85.72	74.98	18.36
24.	तमिलनाडु	1940.49	2229.01	814.10	44.18
25.	त्रिपुरा	519.93	432.11	352.17	49.48
26.	उत्तर प्रदेश	9526.81	3593.79	522.53	129.99
27.	उत्तराखंड	764.49	551.88	639.58	224.12
28.	पश्चिम बंगाल	1452.04	1385.20	1154.79	479.59
	कुल योग	**60116.99**	**45108.53**	**30994.50**	**9884.51**

1	2	3	4	5	6
संघ राज्यक्षेत्र					
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
30.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	
31.	दमन और दीव	–	–	–	–
32.	दिल्ली	–	–	–	–
33.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
34.	पुदुचेरी	–	–	–	–
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)				
	कुल योग	**60116.99**	**45108.53**	**30994.50**	**9884.51**

विवरण-IV

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बसावटें

क्र.सं.	राज्य	पात्र बसावटें	सितंबर, 2012 तक स्वीकृत बसावटें	सितंबर, 2012 तक जोड़ी गई बसावटें
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1864	1564	1365
2.	अरुणाचल प्रदेश	802	350	297
3.	असम	10869	8647	6780
4.	बिहार (आरडब्ल्यूडी और एनईए)	20772	20892	9337
5.	छत्तीसगढ़	10518	8539	6208
6.	गोवा	20	20	2
7.	गुजरात	2985	3024	2493
8.	हरियाणा	1	1	1
9.	हिमाचल प्रदेश	3699	2408	1896
10.	जम्मू और कश्मीर	2724	1864	1086
11.	झारखंड	9144	6637	3588

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	269	269	269
13.	केरल	435	435	363
14.	मध्य प्रदेश	20767	13330	11068
15.	महाराष्ट्र	1755	1369	1172
16.	मणिपुर	1004	448	247
17.	मेघालय	756	215	156
18.	मिजोरम	245	162	133
19.	नागालैंड	113	91	92
20.	ओडिशा	20445	11413	6814
21.	पंजाब	418	425	406
22.	राजस्थान	16600	11926	10441
23.	सिक्किम	318	296	178
24.	तमिलनाडु	2203	1942	1934
25.	त्रिपुरा	1731	1773	1436
26.	उत्तर प्रदेश	13954	11906	11136
27.	उत्तराखंड	2435	1025	651
28.	पश्चिम बंगाल	12003	10904	8212
	कुल योग	**158849**	**121875**	**87761**

एमएसडीपी का कार्यान्वयन

219. श्री खगेन दास:
श्री भक्त चरण दास:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एमएसडीपी के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित, जारी तथा व्यय की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार क्या व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(घ) देश में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु किए जाने वाले विकास कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए 3780 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से दिनांक 31.3.2012 तक 3733.90 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा 2935.93 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं। चालू वर्ष (2012-13) में भी यह कार्यक्रम जारी है।

680.94 करोड़ रुपये मूल्य वाली जिला योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा अब तक 280.93 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान आबंटित, निर्मुक्त एवं उपयोग की गई राशियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

(ग) कार्यक्रम के राज्य-वार वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(घ) इस कार्यक्रम का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और लोगों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारने हेतु आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना एवं अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले अभिज्ञात क्षेत्रों में असंतुलन को कम करना है। किये जाने वाले विकासपरक कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ-सफाई, पक्का मकान, पेयजल की बेहतर बुनियादी सुविधा से संबंधित होंगे, ये आय सृजक अवसरों के सृजन, सड़कों के जोड़ने, आईसीडीएस केन्द्रों, कौशल विकास और विपणन सुविधाओं के लिए लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के अतिरिक्त होंगे।

विवरण-I

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	11वीं योजना के दौरान आबंटन	पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्तियां			चालू वर्ष की निर्मुक्तियां	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपयोग
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर प्रदेश	101570.0	29436.3	21106.29	16027.59	7736.43	48668.60
2.	पश्चिम बंगाल	68610.00	23539.1	23105.55	10208.23	13538.98	48150.96
3.	हरियाणा	4920.00	460.45	1186.17	1140.04	0	2735.94
4.	असम	70350.00	15192.1	9611.71	17859.10	444.87	16207.16
5.	मणिपुर	13910.00	6004.25	371.25	2655.72	0 .	9165.32
6.	बिहार	52320.00	10503.9	12250.15	16152.29	1845.01	23887.60
7.	मेघालय	3050.00	1086.82	1519.83	441.00	0	1519.84
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1500.00	1.04	15.94	51.27	541.28	0.00
9.	झारखंड	18140.00	4429.83	5533.46	3981.41	275.90	8699.65
10.	ओडिशा	3130.00	1041.24	1517.24	3.73	730.84	2123.89
11.	केरल	1500.00	76.5	641.63	744.81	412.07	707.74
12.	कर्नाटक	3990.00	580.18	2129.39	1089.58	35.70	2634.35
13.	महाराष्ट्र	6000.00	2227.11	2953.59	490.99	0	2752.22
14.	मिजोरम	4590.00	403.04	1456.78	865.09	315.69	1199.31

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	जम्मू और कश्मीर	1500.00	599.58	0	750.03	0	593.79
16.	उत्तराखंड	5950.00	811.85	2229.65	194.34	192.59	609.30
17.	मध्य प्रदेश	1500.00	645.6	752.7	0	0	909.35
18.	दिल्ली	2210.0	155	48.75	895.98	0	42.75
19.	सिक्किम	1500.00	0	568.879	526.98	191.26	419.18
20.	अरुणाचल प्रदेश	11800.00	0	4319.499	3912.65	1759.43	3826.03
	योग	**378040.0**	**97193.95**	**91318.46**	**77990.82**	**28020.05**	**174852.98**

विवरण-II

अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम-11वीं योजना के लिए अनुमोदन

30.09.2012 को समाप्त अवधि के लिए वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं	राज्य		सभी जिला योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत यूनिटों की संख्या													
			इंदिरा आवास योजना	कुल स्वास्थ्य	आंगनवाड़ी केन्द्र	हैंड पंप/पेयजल आपूर्ति	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	स्कूल भवन	शिक्षण सहायता	प्रयोगशाला उपकरण	आईटी-आई भवन	पोली-टेक्नीक	उच्च स्कूल में शौचालय और पेयजल	सौर लालटेन/ सौर प्रकाश	छात्रावास	विविध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	उत्तर प्रदेश	लक्ष्य	84480	870	9336	12510	667	61	0	2	32	19	1578	0	12	0
		उपलब्धि	58352	501	5101	5679	23	3	0	0	0	0	38	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	12003	176	1688	767	429	44	0	0	12	11	38	0	4	0
2.	पश्चिम बंगाल	लक्ष्य	37532	743	7007	6529	6401	41	40	60	7	3	66	5000	39	0
		उपलब्धि	27315	458	4682	6205	4163	11	40	34	0	0	0	1875	0	0
		कार्य प्रगति पर	9589	254	1300	95	1763	17	0	26	0	0	0	3125	37	0
3.	असम	लक्ष्य	89836	133	2077	11195	3557	0	16	50	14	1	294	9905	38	0
		उपलब्धि	25422	12	273	3107	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	5887	4	105	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	लक्ष्य	35657	249	4835	2733	2410	138	0	53	3	2	279	14285	42	3
		उपलब्धि	8186	42	702	466	475	46	0	15	0	0	155	2117	5	0
		कार्य प्रगति पर	12414	66	1621	528	409	14	0	18	0	0	30	60	17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	मणिपुर	लक्ष्य	5940	152	75	679	0	375	0	0	1	0	0	0	42	1
		उपलब्धि	5842	70	0	416	0	113	0	0	0	0	0	0	2	0
		कार्य प्रगति पर	0	78	75	215	0	258	0	0	1	0	0	0	0	0
6.	हरियाणा	लक्ष्य	2000	6	142	0	183	8	0	0	1	0	0	0	0	0
		उपलब्धि	1911	0	71	0	63	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	झारखंड	लक्ष्य	9215	237	1335	1	32	0	0	1	8	2	0	1124	8	0
		उपलब्धि	7007	32	878	0	0	0	0	0	0	0	0	732	0	0
		कार्य प्रगति पर	2325	96	336	0	3	0	0	0	1	0	0	392	1	0
8.	उत्तराखंड	लक्ष्य	0	24	455	914	69	2	0	0	1	2	17	0	0	0
		उपलब्धि	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	महाराष्ट्र	लक्ष्य	11670	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
		उपलब्धि	3267	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	3482	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	लक्ष्य	4400	28	366	0	50	0	0	0	0	0	0	0	26	0
		उपलब्धि	2039	20	181	0	38	0	0	0	0	0	0	0	6	0
		कार्य प्रगति पर	1536	1	153	0	10	0	0	0	0	0	0	0	20	0
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	लक्ष्य	0	0	35	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
		उपलब्धि	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	ओडिशा	लक्ष्य	5740	15	151	0	11	0	0	0	2	0	64	0	0	0
		उपलब्धि	4392	1	133	0	11	0	0	0	0	0	12	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	1348	14	18	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0
13.	मेघालय	लक्ष्य	5000	0	81	1301	54	1	0	0	0	0	0	0	5	0
		उपलब्धि	2250	0	48	998	18	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		कार्य प्रगति पर	585	0	33	105	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	केरल	लक्ष्य	0	10	0	3	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		उपलब्धि	0	8	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	2	0	3	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15.	मिजोरम	लक्ष्य	2758	35	224	24	54	17	0	0	2	0	0	0	9	0
		उपलब्धि	1302	9	71	0	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	152	5	75	0	12	4	0	0	0	0	0	0	5	0
16.	जम्मू और कश्मीर	लक्ष्य	0	0	40	82	15	0	0	0	1	1	0	0	0	0
		उपलब्धि	0	0	2	21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	35	61	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	दिल्ली	लक्ष्य	0	5	0	1	80	2	0	0	1	0	17	0	0	0
		उपलब्धि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	0	0	0	1	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	लक्ष्य	1000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		उपलब्धि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	750	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
19.	सिक्किम	लक्ष्य	250	1	56	4	22	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		उपलब्धि	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कार्य प्रगति पर	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	अरुणाचल प्रदेश	लक्ष्य	5828	33	557	0	240	51	4	0	0	0	2	0	105	0
		उपलब्धि	2139	5	67	0	60	36	4	0	0	0	0	0	6	0
		कार्य प्रगति पर	1134	2	47	0	74	0	0	0	0	0	0	0	6	0
	योग	**लक्ष्य**	**301306**	**2541**	**27598**	**35976**	**13883**	**705**	**85**	**166**	**73**	**31**	**2317**	**30314**	**336**	4
		उपलब्धि	**149424**	**1158**	**12363**	**16892**	**5200**	**228**	**41**	**49**			**215**	**4724**	**22**	
		कार्य प्रगति पर	**51455**	**704**	**6082**	**1775**	**2968**	**338**		**41**	**14**	**12**	**120**	**3577**	**93**	

विवरण-III

अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम-11वीं योजना के लिए अनुमोदन (2012-2013) (30.09.2012) वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं	राज्य		सभी जिला योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत यूनिटों की संख्या													
			इंदिरा आवास योजना	कुल स्वास्थ्य	आंगनवाड़ी केन्द्र	हैंड पंप/पेयजल आपूर्ति	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	स्कूल भवन	शिक्षण सहायता	प्रयोगशाला उपकरण	आईटीआई भवन	पोली-टेक्नीक	उच्च स्कूल में शौचालय और पेयजल	सौर लालटेन/सौर प्रकाश	छात्रावास	विविध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	उत्तर प्रदेश	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
2.	पश्चिम बंगाल	लक्ष्य			106	3909	206				6	6	30		50	
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
3.	असम	लक्ष्य				901	9								2	
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
4.	बिहार	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
5.	मणिपुर	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
6.	हरियाणा	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
7.	झारखंड	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	उत्तराखंड	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
9.	महाराष्ट्र	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
10.	कर्नाटक	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
12.	ओडिशा	लक्ष्य	3000				30									
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
13.	मेघालय	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
14.	केरल	लक्ष्य		1												
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
15.	मिजोरम	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
16.	जम्मू और कश्मीर	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.	दिल्ली	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
18.	मध्य प्रदेश	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
19.	सिक्किम	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
20.	अरुणाचल प्रदेश	लक्ष्य														
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														
	योग	**लक्ष्य**	3000	1	106	4810	245	0	0	0	6	6	30	0	52	0
		उपलब्धि														
		कार्य प्रगति पर														

[हिन्दी]

एनटीपीसी द्वारा राज्यों को रॉयल्टी

220. **श्री बलीराम जाधवः** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड उन राज्यों को रॉयल्टी प्रदान करती है जहां विद्युत परियोजनाएं पहले से ही स्थापित हैं; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित एनटीपीसी द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को प्रदान की गई रॉयल्टी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) एनटीपीसी लिमिटेड उन राज्यों को रॉयल्टी का भुगतान नहीं करती है जहां पर इसकी विद्युत परियोजनाएं स्थित होती हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए फ्लेक्सी फंड

221. **श्री ए. गणेशमूर्तिः** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु फ्लेक्सी फंड रखने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इस कोष का सृजन किस प्रयोजन के लिए किया गया है;

(घ) क्या इस कोष में केन्द्र सरकार तथा राज्यों के मध्य 70:30 प्रतिशत का अंश होगा; और

(ङ) यदि हां, तो इसका संचालन कब तक शुरू होगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने ग्रामीण विकास

कार्यक्रमों के लिए फ्लेक्सी फंड हेतु आबंटन की मात्रा तथा ब्यौरे सहित 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों तथा स्टेशनों में खानपान

222. **श्री राम किशुन:**
श्री एस. सेम्मलई:
श्रीमती प्रिया दत्त:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान बासी/खराब भोजन परोसने तथा खान-पान सेवा में अन्य कमियों के बारे में जोन-वार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) क्या नई खान-पान नीति के कार्यान्वयन के बावजूद रेलगाड़ियों तथा स्टेशनों में खाद्य तथा सेवाओं की गुणवत्ता में मामूली सुधार ही हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उन ठेकेदारों के नाम सहित, जिनके ठेके इसके परिणामस्वरूप समाप्त कर दिए, रेलवे द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा सभी रेलगाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर खाद्य-पदार्थों/भोजन मदों तथा अन्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) और (ग) पिछले एक वर्ष के दौरान बासी/घटिया गुणवत्ता वाले भोजन परोसने तथा खान-पान सेवाओं में अन्य कमियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों और उन पर की-गई-कार्रवाई का जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं। खान-पान सुविधाओं में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है। नई खान-पान नीति, 2010 के लागू होने के बाद शिकायतों की संख्या में कमी आई है।

(घ) एक नई खान-पान नीति 2010, शुरू की गई है, जिसमें सभी समावेशी दृष्टिकोण हैं ताकि सामाजिक उत्तरदायित्व आधार पर निचले तबकों के यात्रियों से अपेक्षाकृत धनाढ्य यात्रियों के लिए खान-पान सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस नीति में किफायती मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले और स्वास्थ्यकर भोजन की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। स्टैंडर्ड भोजन, नाश्ता, चाय/कॉफी आदि जैसी भोजन की मदों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा एकसमान दर-सूची अधिसूचित की गई है। जनता मील और कम लागत वाले किफायती क्षेत्रीय भोजन की बिक्री के लिए जन-आहार आऊटलेट खोले गए हैं। समिति द्वारा सुझाई गई एकसमान मेन्यू और व्यंजन सूची की दर को लागू करने के लिए ज़ोनल रेलों को सलाह दी गई है। बहुत वरिष्ठ अधिकारियों सहित रेलवे कर्मियों की तैनाती करके जोनल रेलों द्वारा संस्थागत तंत्र के जरिए पर्यवेक्षण एवं निगरानी को सुदृढ़ बनाया गया है जो खाने की गुणवत्ता और स्वास्थ्यप्रदता की जांच करते हैं तथा नियमित, औचक एवं आवधिक निरीक्षणों के जरिए समयबद्ध आधार पर निवारक कार्रवाई करते हैं।

विवरण

(क) और (ग) नवंबर 2011 से अक्तूबर 2012 के दौरान की-गई-कार्रवाई सहित खान-पान सेवाओं से संबंधित शिकायतों का ज़ोनल रेलवे-वार ब्यौरा

ज़ोनल रेलवे	खान-पान सेवाओं से संबंधित शिकायतें	नवंबर 2011 से अक्तूबर 2012 के दौरान शिकायतों की संख्या	जुर्माना लगाया गया	चेतावनी दी गई	टर्मिनेशन	उपयुक्त सलाह दे दी गई	सिद्ध नहीं हुए	डी एंड एआर कार्रवाई	अन्य कोई	लंबित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मध्य	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	39	5	8	0	16	1	0	0	9	39
	अन्य	177	22	26	0	84	9	0	0	36	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पूर्व मध्य	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	49	4	0	0	41	0	0	0	4	49
	अन्य	42	15	2	3*	13	0	0	2	7	42
पूर्व तट	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	31	21	7	0	1	0	0	2	0	31
	अन्य	60	33	14	0	6	0	0	7	0	60
पूर्व	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	33	11	3	0	19	0	0	0	0	33
	अन्य	27	12	6	0	9	0	0	0	0	27
उत्तर मध्य	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	6	4	0	0	0	1	0	1	0	6
	अन्य	20	11	0	0	0	1	1	7	0	20
पूर्वोत्तर	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य	15	7	2	0	0	2	0	4	0	15
पूर्वोत्तर सीमा	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	6	2	0	0	0	0	0	3	1	6
	अन्य	26	12	8	0	0	0	0	3	3	26
उत्तर	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	432	133	223	0	49	3	0	3	21	432
	अन्य	267	97	102	0	39	11	1	3	14	267
उत्तर पश्चिम	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	अन्य	26	11	0	0	0	5	0	9	1	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
दक्षिण मध्य	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	10	6	1	0	0	0	1	0	2	10
	अन्य	34	22	2	0	3	2	0	5	0	34
दक्षिण पूर्व मध्य	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	4	3	0	0	1	0	0	0	0	4
	अन्य	17	1	3	0	2	0	0	11	0	17
दक्षिण पूर्व	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	89	39	15	0	10	4	7	8	6	89
	अन्य	106	24	24	0	7	25	0	22	4	106
दक्षिण	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	56	21	12	0	13	0	0	3	7	56
	अन्य	56	15	4	0	18	2	0	1	16	56
दक्षिण पश्चिम	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	21	3	15	0	3	0	0	0	0	21
	अन्य	36	15	13	0	8	0	0	0	0	36
पश्चिम मध्य	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	13	3	2	0	8	0	0	0	0	13
	अन्य	45	19	11	0	10	5	0	0	0	45
पश्चिम	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	68	11	24	0	16	2	0	15	0	68
	अन्य	80	20	20	0	12	2	0	26	0	80
भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	792	228	220	0	172	51	41	76	4	792
	अन्य	768	79	204	0	154	157	45	121	8	768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल जोड़	बासी/घटिया गुणवत्ता वाला भोजन	1651	494	530	0	349	63	49	112	54	1651
	अन्य	1802	415	441	3	365	221	47	221	89	1802
	कुल	3453	909	971	3	714	284	96	333	143	3453

*पूर्व मध्य रेलवे के मुगलसराय मंडल के अधीन गया रेलवे स्टेशन पर मैसर्स पी.आर. कुमार के दो खान-पान/वेंडिंग स्टॉल और मैसर्स बी. नेचुरल फूड (प्रा.) लिमिटेड की एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन को टर्मिनेट कर दिया गया है।

[अनुवाद]

उर्वरक राजसहायता जारी करने में संशोधन

223. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री प्रदीप माझी:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक राजसहायता जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन करने और देश में उर्वरकों और सचल उर्वरक निगरानी प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने नए उपबंधों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न पणधारकों के साथ परामर्श किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में नई प्रक्रिया तथा प्रणाली से किसानों के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी हां। सरकार ने उर्वरक राजसहायता जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है और एम-उर्वरक निगरानी प्रणाली (एम-एफएमएस) शुरू की है। राजसहायता के चरणबद्ध प्रत्यक्ष अंतरण की यह आईसीटी युक्त परियोजना इस समय एम-एफएमएस चरण-I समेकन स्तर पर है जहां सभी खुदरा विक्रेता उर्वरकों की प्राप्ति की सूचना दे रहे हैं। लगभग 1.93 लाख डीलर एम-एफएमएस में पंजीकृत हैं। दिनांक 1 नवंबर, 2012 से उर्वरक राजसहायता का एक भाग (5-15%) कंपनियों को उर्वरक की प्राप्ति की खुदरा रसीद के आधार पर ही जारी किया जा रहा है। इससे किसानों को अंतिम बिक्री बिन्दु पर उर्वरकों की उपलब्धता की सूचना सुनिश्चित होगी।

विभाग परियोजना के अगले चरण (चरण-IIIक) पर भी कार्य कर रहा है, जिसमें उर्वरक खरीददार की पहचान आधार संख्या और किसान क्रेडिट कार्ड अथवा कोर बैंकिंग खाता के जरिये की जाएगी। खुदरा विक्रेता से अलग-अलग किसानों को उर्वरक की ब्रिक्री के बारे में एम-एफएमएस प्रणाली में सूचना देने की अपेक्षा है और वे इसका ब्यौरा एकत्र करेंगे जिसके लिए प्रणाली में रिपोर्ट करने हेतु एक ब्रिक्री बिन्दु (पीओएस) यंत्र अथवा इंटरनेट का प्रयोग किया जाएगा।

इसके अलावा, एम-एफएमएस प्रणाली में उर्वरकों की प्राप्ति की रसीद हेतु खुदरा विक्रेता को प्रोत्साहित करने के लिए उर्वरकों के डीलर मार्जिन में 50 रुपये प्रति मी. टन (2.50 रुपए प्रति 50 कि.ग्रा. बैग) वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसे उर्वरकों के सभी ग्रेडों की एमआरपी 50 रुपए प्रति मी. टन (2.50 रुपए प्रति 50 कि.ग्रा. बैग) की वृद्धि करके फलीभूत किया जा रहा है। इसका भुगतान केवल उन खुदरा विक्रेताओं को किया जाएगा जो एम-एफएमएस में उर्वरकों की प्राप्ति की रसीद देंगे।

विभाग ने किसानों को की गयी बिक्री की सूचना उपलब्धता के अगले चरण के लिए प्रारम्भिक योजना के कार्यान्वयन हेतु

10 राज्यों के 11 जिलों की पहचान भी की है जिनमें (I) नवांशहर, पंजाब (II) पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश (III) तुमकुर, कर्नाटक (IV) मैसूर, कर्नाटक (V) सोनीपत, हरियाणा (VI) विलासपुर, हिमाचल प्रदेश (VII) वर्धा, महाराष्ट्र (VIII) ढलाई, त्रिपुरा (IX) होशंगाबाद, मध्य प्रदेश (X) अजमेर, राजस्थान, और (XI) मदुरै, तमिलनाडु शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी हां, नए प्रावधान तैयार करने से पहले अंतर-मंत्रालयी परामर्श किए गए थे और उर्वरक उद्योग तथा राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया था।

(च) ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया से किसानों को अंतिम बिक्री बिन्दु पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। किसानों द्वारा mfms.nic.in पर नजदीकी खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्राप्त स्टाक को देखा जा सकता है।

एमएसएमई में निवेशक

224. **श्री गजानन ध. बाबर:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए लक्षित विकास दर क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार लक्षित विकास दर अर्जित करने के लिए निवेशकों को छूट प्रोत्साहन प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए क्या योजना बनाई गई तथा सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएमएमई) के कार्यकलाप की प्रकृति में काफी विविधता है और ये अर्थव्यवस्था के गैर-कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एमएसएमई के लिए लक्षित विकास दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के बराबर होने की संभावना है क्योंकि ये उद्यम देश की अर्थव्यवस्था और उद्योग को प्रभावित करने वाले बड़े आर्थिक कारकों पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में देश में विनिर्माण का हिस्सा वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की कल्पना की गई है।

(ख) से (घ) सरकार ने देश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और संवर्धन को सुकर बनाने के लिए अनेक नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं तैयार की हैं। केंद्रीय बजट 2012-13 में आवासीय संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर से छूट दी गई है, यदि बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग नए प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए किया जाता है। केवल 9 विनिर्दिष्ट क्षेत्र में वेंचर कैपिटल फंड के निवेश पर सीमा समाप्त कर दी गई है। सार्वजनिक खादी नीति के कार्यान्वयन के जरिए एक और महत्वपूर्ण प्रोत्साहन सूक्ष्मय और लघु उद्यम आदेश, 2012 है। अन्य प्रमुख योजनाओं में क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, कलस्टर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम तथा कार्य निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम शामिल हैं जिनसे इस क्षेत्र के विकास में मदद मिलती है।

विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास

225. **श्री प्रदीप मांझी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास (आरएंडडी) तथा नवोन्मेषी कार्य की प्रगति अभी तक बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत संबंधी अनुसंधान योजना तथा आरएंडडी के लिए राष्ट्रीय संदर्शी योजना के माध्यम से आरएंडडी को प्रोत्साहित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में इन योजनाओं के अंतर्गत नई प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करने के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में आरएंडडी सम्मेलन, 2012 का आयोजन किया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सम्मेलन के क्या परिणाम निकले और उक्त सम्मेलन द्वारा विद्युत क्षेत्र किस सीमा तक लाभान्वित हुआ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरएसओपी और एनपीपी के अंतर्ग अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक रही है। 12वीं योजना के अंतर्गत आरएंडडी प्रस्ताव आमंत्रित करते समय प्रेस विज्ञापन के लिए काफी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त की गई है। प्रस्तावों के स्क्रीनिंग की प्रारंभिक प्रक्रिया चल रही है।

(ख) 11वीं योजना में आरएसओपी मंजूर परियोजनाओं में से, 28 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 28 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। आरएसओपी के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन परिषद सदस्यों के फैकल्टी सदस्यों द्वारा किया जा रहा है और इन्हं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुम्बई, चेन्नई, कानपुर, गुवाहाटी आदि से वरिष्ठ फैकल्टियों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थन दिया जाता है। इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर तथा नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों तथा फैक्ल्टी सदस्यों ने आरएसओपी स्कीम के अंतर्गत सीपीआरआई के साथ कार्य करने में काफी रूचि दर्शायी है। इस स्कीम से भारत में कई इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी लाभ पहुंचा है। यूटिलिटियों की ओर से तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी), पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी) कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल), केरल विद्युत बोर्ड (केईबी) तथा अन्य की ओर से भागीदारी है। इसके अतिरिक्त, आरएसओपी स्कीम ने आईआईटी, दिल्ली द्वारा मूल्यांकित किए जा रहे नए उत्पाद को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के नवप्रवर्तकों को मदद दी है। आईआईटीडी से तकनीकी रिपोर्ट ने उपस्कर का व्यापक अध्ययन किया है और विद्युत के उत्पादन हेतु दक्षता को सुधारने के लिए उपाय भी सुझाए हैं। इसी प्रकार टीएनईबी ने वितरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और वितरण ट्रांसफार्मरों में कुछ धारणाओं की व्यवहार्यता के लिए अध्ययन किया गया था। उन्होंने ऑनलाइन की स्थिति निगरानी, ट्रांसफार्मर ऑयल के अध्ययन तथा सब-स्टेशन बैटरी पर अध्ययन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। स्कीम ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कई नई परियोजनाओं को समर्थन भी दिया है और एनआईटी सूरतकल; कर्नाटक ने स्थानीय ग्रिड में सौर/पवन एकीकरण में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

आरएंडडी, एनपीपी के अंतर्गत 11 परियोजनाएं शुरू की गई थीं। इन 11 परियोजनाओं में से, 4 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं। स्टेटिक मुआवजे (एसटीएटीसीओएम) पर दो परियोजनाएं, भिलाई स्टील संयंत्र पर एक और आईटी पार्क, तिरूवनंतपुरम पर एक क्षेत्रीय विचार चल रहा है। उच्च तापमान सुपर कंडक्टीविटी (एचटीएस) आधारित ट्रांसफार्मर पर परियोजना पहली बार शुरू की गई थी और देसी डिजाइन, विकास एवं प्रदर्शन के आधार पर सफलतापूर्वक पूरी की गई थी। क्षेत्रीय विचारण की योजना बनाई जा रही है।

इस प्रकार से तीन देसी तकनीकें विकसित की गई हैं और उन्होंने भारतीय उद्योग को लाभ पहुंचाया है।

(ग) और (घ) काफी अधिक विख्यात आरएसओपी और एनपीपी स्कीमों के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में आरएंडडी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसे जारी रखने के लिए एमएफसी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। एनपीपी परियोजनाओं को दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पूर किए गए आरएसओपी और चालू आरएंडडी परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-II और संलग्न विवरण-III में सूचीबद्ध है। ये तालिकाएं इन संस्थानों/संगठनों को दिए गए वितरण का ब्यौरा दर्शाती हैं।

(ङ) और (च) आरएंडडी सम्मेलन (कनक्लेव), 2012 का आयोजन आरएसओपी और एनपीपी स्कीमों के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के आरएंडडी प्रयासों को दर्शाने के लिए 19 और 20 अक्तूबर को किया गया था। इसमें विशेषज्ञों, पीसएसयू के अधिकारियों, उत्पादकों, यूटिलिटियों और बेसिक वर्ग द्वारा उचित रूप से भाग लिया गया था। आरएंडडी वित्तपोषण, जनशक्ति मांगों, प्रशिक्षण, सफल आरएंडडी के लिए नेटवर्किंग तथा सहयोग सहित बहुत से मामलों पर चर्चा की गई थी। सामान्य जागरुकता प्राप्त की गई थी और भारतीय विद्युत क्षेत्र के आरएंडडी में अवसरों और चुनौतियों के बारे में संदेश दिया गया था। विशेषज्ञों द्वारा एक सुदृढ़ उद्योग यूटिलिटि-शैक्षिक वर्ग-अनुसंधान संस्थान के सहयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया था। विद्युत क्षेत्र आरएंडडी के प्रत्येक क्षेत्र अर्थात्-उत्पादन, पारेषण, वितरण, वितरित उत्पादन, पर्यावरण एवं अन्य प्रयोग के लिए अपेक्षित आरएंडडी की व्यापक समीक्षा प्रस्तुत की गई थी तथा इस पर चर्चा की गई थी। बेहतर आरएंडडी निवेश प्राप्त करने और इन मुख्य क्षेत्रों में नवीनता को प्रोत्साहित करने के लिए स्वतंत्र रूप से ब्रेनस्टॉर्म करने और सड़क मानचित्र तैयार करने के लिए व्यक्तिगत ''सेमीनार'' आयोजित करने की योजना बनाई गई थी।

विवरण-I

एनपीपी के अंतर्गत आरएंडडी परियोजनाओं की सूची-तालिका-1

मुख्य क्षेत्र	क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक तथा कार्यान्वयन करने वाला संगठन	परियोजना कुल परिव्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4
हाइड्रो	1.	हाइड्रो टरबाइन घटकों के लिए फिजिकल वेयर डिपोजिशन द्वारा सिल्ट क्षरण प्रतिरोधी नैनो-कम्पोसिट कोस्टिंग का विकास आईआईटी-रूड़की	कुल परिव्यय: 163.013 लाख रुपए विद्युत मंत्रालय के द्वारा
	2.	उच्च हाइड्रोस्टेटिक दबाव के अंतर्गत जल अधिभारित जोन में सुरंग खोदना एनएचपीसी, फरीदाबाद	कुल परिव्यय: 109.03 लाख रुपये
	3.	हाइड्रो जेनरेटरों के टरबाइनों के लिए गाद इरोजन विरोधी सामग्री का विकास, डॉ. एन. परीदा एनएमएल, जमशेदपुर-0657-23455289	एनएचपीसी 100.00 रुपये एसजेवीएनएल 50.00 रुपये विद्युत मंत्रालय 149.79 रुपये कुल 299.79
वितरण	4.	प्रक्रिया उद्योग के लिए डीबीआर आधारित वोल्टेज स्रोत स्टेबिलाइजर का विकास-सीडीएसी वरिष्ठ निदेशक, सी-डेक श्री ए.के. उन्नी कृष्णन एसोसिएट निदेशक 0471-2723333	कुल परिव्यय: 81.90 लाख रुपए (विद्युत मंत्रालय के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग
	5.	एचटीएस फाल्ट करंट लिमिटर क्राम्टन ग्रीव्स, मुंबई का प्रारूप एवं विकास, मुंबई डॉ. जे.जे. पटेल, उपाध्यक्ष श्री संदीप कुलकर्णी, तकनीक प्रबंधक	कुल परिव्यय: 306.39 लाख रुपए (विद्युत मंत्रालय का 50 प्रतिशत सहयोग यानि 153 लाख रुपये)
	6.	कस्टम पावर डिवाइसेस (स्टेटकाम) के लिए तकनीक विकसित करने का राष्ट्रीय प्रयास श्री ए.के. उन्नी कृष्णन 0471-2723333	सीडीएसी: 125.0 लाख रुपये विद्युत मंत्रालय: 125.0 लाख रुपये
	7.	सुपर कंडक्टिंग ट्रांसफार्मर का विकास श्री ए.के. कुमथेकर, ईएमसीओ, मुंबई	विद्युत मंत्रालय 100.0 रुपये ईएमसीओ 100.0 रुपये
	8.	कस्टम पावर डिवाइसेस (स्टेटकाम) के लिए तकनीक विकसित करने का राष्ट्रीय प्रयास डॉ. उमाकांत चौधरी, महाप्रबंधक (आरएंडडी); भेल, हैदराबाद	भेल 192.5 रुपये विद्युत मंत्रालय 192.5 रुपये
पारेषण	9.	ट्रांसफार्मर ईंधन की गुणवत्ता में सुधारों के माध्यम से पावर और कंवर्टर ट्रांसफार्मरों की विश्वनीयता, सुरक्षा तथा दीर्घावधि निष्पादन में सुधार-सीपीआरआई	कुल परिव्यय: 90.0 लाख (विद्युत मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग)

1	2	3	4
	10.	132 केवी प्रणाली में उपयोग के लिए 132 केवी ऑपटिकल वर्तमान ट्रांसफार्मर के प्रोटोटाइप का विकास करना परियोजना कार्यान्वयन संगठन-ईआरडीए	पावरग्रिड 19 लाख
	11.	पवन विद्युत के व्यापक प्रवेश वाली विद्युत प्रणाली के स्थायित्व एवं विश्वसनीयता पर अध्ययन-सीपीआरआई परियोजना लीडर: श्रीमती के.एस. मीरा जेडी (पीएसडी) 080-23604465 (तीन वर्ष)	कुल परिव्यय: 174.484 लाख (विद्युत मंत्रालय के द्वारा 102.0 लाख रुपये का सहयोग)

विवरण-II

आरएसओपी परियोजना पूर्ण

1.	पीसीबी स्टेक पर प्रदत इलेक्ट्रॉनिक पैकेजों की कन्वेक्टिव कूलिंग का सीएफडी और व्यवहारिक अध्ययन	आईआईएससी, बंगलौर	11.52
2.	क्षेत्रीय (ढांचागत एवं थर्मल) विश्लेषण हेतु विशेषज्ञ प्रणाली और तीव्रगति वाले स्टीम टरबाइन रोटर शिंक किट असेम्बली का ईष्टतम प्रारूप का विकास	बीआईटी, बंगलौर	7.58
3.	ट्रांसफार्मर बुशिंग की आनलाइन स्थिति निगरानी पर अध्ययन	टीएनईबी	10.00
4.	ट्रांसफार्मर ईंधन में फरानिक मिश्रण पर अध्ययन	टीएनईबी	27.00
5.	एस/एस बैटरी की असफलता के कारण और विकसित होती स्थिति निगरानी तकनीक पर अध्ययन	टीएनईबी	6.00
6.	एन्टोडोट तकनीक/इनहीबिटरों आदि के प्रयोग द्वारा भूमिगत मैट के प्रभावी जीवन को निर्धारित करना	पीएसईबी	10.95
7.	परंपरागत ब्रुशलोज के समान संस्थापित की जाने वाली प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की व्यवहार्यता एवं निष्पादन को निर्धारित करना ताकि ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाया जा सके।	पीएसईबी	10.00
8.	तापीय रूप से पुराने ट्रांसफार्मर ईंधन के प्रयोग के लिए फ्लोरेसेंट तकनीक का प्रयोग करते हुए ट्रांसफार्मर सिगनेचर यूएचएफ सेंसर तथा कुछ नए विचारों की स्थिति निगरानी	आईआईटी, मद्रास	25.00
9.	विद्युत क्षेत्र विशेषज्ञों के अखिल भारतीय कंप्यूटरीकृत डाटाबेस का सृजन	सीपीआरआई	19.37
10.	वैद्युतिक रूप से घूमने वाली मशीनों में प्रयोग के लिए शाफ्टिंग स्टील रोटेटिंग बेन्डिंग फैटींग जीवन विशेषताएं	इरेडा	20.00
11.	एसी डालेक्ट्रिक तथा क्षमता जांच द्वारा आफलाइन द्वारा कर्नाटक ग्रिड में विद्युत ट्रांसफार्मर की स्थिति निगरानी	केपीटीसीएल	25.00

12.	5 केवीए, उचरण, 4वी इंवर्टर रेल के डिब्बों के लिए प्रारूप एवं विकार	एमवीआईटी, बंगलौर	8.00
13.	सक्रिय/ऊर्जा सक्रिय फिल्टरों का प्रयोग करते हुए विद्युत गुणवत्ता सुधार	बीएचयू, बनारस	29.33
14.	वितरण ट्रांसफार्मर ईंधन में पुन:दावा ईंधन तथा विद्युत ट्रांसफार्मर में पुन:दावा ईंधन के निष्पादन पर अध्ययन।	टीएनईबी	3.00
15.	ट्रांसफार्मर ईंधन में फूगनिक मिश्रण पर अध्ययन।	टीएनईबी	27.00
16.	11केवी/433 केवी नेटवर्क-1 चरण में मिजट ट्रांसफार्मरों पर व्यवहार्य अध्ययन।	टीएनईबी	2.50
17.	ऊर्जा नियंत्रण केन्द्रों के प्रबंधन हेतु उपयुक्त एगलीरिंग का विकास।	दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनीरिंग, बंगलोर	9.50
18.	विद्युत उत्पादन हेतु नए उपस्कर का निष्पादन मूल्यांकन।	आईआईटी, दिल्ली	0.85
19.	पीसीवी स्टेक पर बढ़ाए गए इलेक्ट्रॉनिक पैकेजों की कन्वेक्टिव कूलिंग का सीएफडी और व्यवहारिक अध्ययन।	आईआईएससी, बंगलौर	11.52
20.	सक्रिय/अर्ध-सक्रिय फिल्टरों का प्रयोग करते हुए विद्युत गुणवत्ता सुधार।	बीएचयू, बनारस	29.33
21.	वितरण ट्रांसफार्मर ईंधन में पुनर्दवा ईंधन तथा विद्युत ट्रांसफार्मर में पुनर्दवा ईंधन के निष्पादन पर अध्ययन।	टीएनईबी	3.00
22.	कुल मीटरिंग समाधान।	मै. सेंचूरी कंट्रोल्स	35.00
23.	क्षेत्रीय (ढ़ांचागत एवं थर्मल) विश्लेषण के लिए विशेषज्ञ प्रणाली तथा उच्च गति वाले स्टीम टरबाइन रोटर शिल्ट फिट असेम्बली का विकास।	आईआईटी, बंगलौर	7.58
24.	ट्रांसफार्मर बुशिंग की आनलाइन स्थिति निगरानी पर अध्ययन।	टीएनईबी	10.00
25.	ट्रांसफार्मर ईंधन में फूरानिक मिश्रण पर अध्ययन।	टीएनईबी	27.00
26.	एस/एस बैटरी की असफलता तथा स्थिति निगरानी तकनीक के विकसित होने के कारण पर अध्ययन	टीएनईबी	6.00
27.	परंपरागत बुशन रिले क अनुरूप संस्थापित की जाने वाली प्रोटोटाइप इलेक्ट्रानिक उपस्कर की व्यवहार्यता एवं निष्पादन को निर्धारित करना ताकि ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय बनाया जा सके।	पीएसईबी	10.00
28.	सिल्ट क्षरण के कारण जल विद्युत पावर स्टेशनों के पानी में रहने वाले पुर्जो की आयु बढ़ाना। (***परियोजना अवधि बढ़ाई गई थी)	एसजेवीएनएल, शिमला	36.40
29.	ट्रांसफार्मर सिगनेचर यूएचएफ सेंसर्स की स्थिति की मानीटरिंग तथा थर्मली एण्ड ट्रांसफार्मर ऑयल की विशेषता निर्धारित करने के लिए फ्लारेसेंट टेकनिक प्रयोग करने हेतु नोवल आइडियाज।	आईआईटी, मद्रास	25.00

विवरण-III

11वीं योजना के दौरान आरएसओपी के अधीन चालू एवं पूर्ण की गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	संगठन	परिव्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	निष्पादन विश्लेषण तथा उत्पन्न होती हुई विद्युत प्रणाली में पवन विद्युत उत्पादन का व्यवसाय।	आईआईटी, कानपुर	21.60
2.	एकीकृत विद्युत प्रवाह नियंत्रक वाले एसी/डीसी नेटवर्क का स्थायीकरण	बनारस हिंदु विश्वविद्यालय-आईटी, बनारस	19.53
3.	विद्युत वितरण प्रणाली में सेवा विश्वसनीयता को सुधारने के लिए स्विचों के सैक्शनीकरण का ईष्टतम स्थापन तथा वितरित उत्पादन संसाधनों का ईष्टतम संस्थापन।	आईआईटी, रूड़की	32.10
4.	आनलाइन आंशिक निर्वहन माप तथा ऑफलाइन टन डेल्टा माप का प्रयोग करते हुए विद्युत स्टेशनों में उत्पादकों की स्थिति निगरानी।	टीएनईबी	38.00
5.	उप समकालिक रिसोनेंस का विश्लेषण तथा रामागुंडम के लिए नियंत्रकों का प्रारूप-कदया टीसी/एससी	एसआरएससीएम, चेन्नई	12.50
6.	अधथ्क मिट्टी वाले विरोध क्षेत्रों में पृथ्वी प्रणाली में नकद के रूप में केरल के स्थानीय रूप से उपलब्ध क्ले के निष्पादन का मूल्यांकन	केएसईबी	20.00
7.	लचीले एसी-पारेषण प्रणालियों के लिए एफपीजीए आधारित एजेपॉटिव डिस्टेंस रिले का प्रारूप एवं विकास।	इंस्टीट्यूट आफ टेक एडुकेशन एंड रेस. एसओए विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	20.00
8.	विद्युत प्रणालियों की निरंतरता तथा स्थायित्व के सुधार हेतु व्यापक क्षेत्र माप एवं नियंत्रण।	आईआईटी, कानुपर	25.00
9.	एएमआर के साथ जोन ऊर्जा उपभोग के अनुमान के लिए दूर, दराज की ऊर्जा मीटरिंग प्रणाली का विकास	एप्लाइड फिजिक्स विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय	23.30
10.	गेटको ग्रिड के चयनित स्थलों में प्रदूषण मूल्यांकन।	ईआरडीए	15.80
11.	विद्युंत स्टेशनों में मेटलिक एवं प्रवर्तित कंक्रीट ढ़ांचों का सर्वेक्षण।	ईआरडीए	25.00
12.	विद्युत इलेक्ट्रानिक उपस्करों का उपयोग करते हुए वर्तमान विद्युत प्रणालियों में विद्युत गुणवत्ता समस्याओं तथा प्रति उपायों का अध्ययन।	एनआईटी, राऊकेला	20.20

1	2	3	4
13.	लघु जल और वायु विद्युत जेनरेटर के लिए डीएसपी आधारित नियंत्रक का प्रारूप एवं विकास।	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी रूड़की-247667	25.00
14.	हाइब्रिड वायु, डीजल, सौर विद्युत प्रणाली के प्रभावी नियंत्रण का आवेदन।	एनआईटी, हजरतबल, श्रीनगर-190006, कश्मीर	25.00
15.	माइक्रोग्रिड (चरण-I और II) में बहु-वितरित उत्पादन स्रोतों के प्रचालन एवं नियंत्रण संबंधी जांच।	इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग विभाग, एनआईटीके सुरतकल, मंगलौर-575025	25.00
16	बहु-सेंसर प्रणाली द्वारा क्राइओजेनिक ईस्यूलेशन अवसंरचना में आंशिक निर्वहन कार्य पर डायगनोस्टिक अध्ययन।	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास, चेन्नई-600036	46.00
17.	स्मार्ट पावरग्रिड में ऊर्जा भंडारण और फ्रीक्वेंसी विनियमन के लिए ग्राफीन आधारित सुपर कपेसिटरों का विकास।	सेंटर फार मेटेरियल्स फोर इलैक्ट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी, त्रिसूर-680771, केरल	25.00
18.	ईएमआई शील्डिंग आवेदन के लिए उच्च निष्पादन वाले पालीकार्बोने/ एवीएस नैनो मिश्रण का विकास।	टेरी, बंगलौर	28.00
19.	उच्च वोल्टेज इंस्यूलेटरों के लिए ग्लास फाइबर पुर्नप्रवर्तित पालीमर नैनो मिश्रण राड का विकास।	डॉ. एन.एम. रेनूकप्पा, जेसी कॉलेज आफ इंजीनियरिंग, मैसूर	45.00
20.	अगले उत्पादन और सैल के लिए नैनो अवसंरचनात्मक सामग्री मिश्रण का विकास।	डॉ. मिताली साहा, डॉ. एस.के. दास, एनआईटी, अगरतला	25.00
21.	वितरित उत्पादन प्रणाली (फ्लाई व्हील ऊर्जा भंडारण प्रणाली) में उपयोग हेतु उच्च तापमान वाली सुपर कंडक्टिंग ऊर्जा भंडारण तकनीक।	सिदागंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तूमकूर	9.50
22.	वितरित उतपादन के लिए द्वीपसमूह सुरक्षा रिले विरोधी का प्रारूप एवं विकास।	प्रो. एम.आर. समंतारे, आईआईटी, भुवनेश्वर	22.70
23.	भार माडल को शामिल करते हुए वितरण नेटवर्क का संशोधित प्रचालन।	प्रो. एस.पी. सिंह, डॉ. डी. सिंह, बीएचयू आईटी, बनारस	30.60

1	2	3	4
24.	25 केडब्ल्यूई प्रेशरीकृत परिचालित जलीय बेड यूनिट का प्रारूप	प्रो. पी. महंता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटीजी	35.00
25.	सीबीआईपी द्वारा 1961 से शुरू किए गए आरएसओपी प्रायोजित विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत किए गए परिणामों तथा लाभों, अनुसंधानों का दस्तावेजीकरण।	सीबीआईपी, नई दिल्ली	5.00
26.	देश में विद्युत क्षेत्र विशेषज्ञों के डाटा बैंक का सृजन और आसान पहुंच तथा खोज के लिए नया साफ्टवेयर पैकेज तैयार करना।	सीबीआईपी, नई दिल्ली	6.00
27.	भूमिगत जल के आंशिक प्रयोग के लिए नाइट्रॉनिक स्टील के मेटालाजिकल पहलुओं का अध्ययन।	डॉ. अशोक शर्मा, मैटालूर्ज मैट इंजीनियरिंग विभाग, एमएनआईटी, जयपुर	28.80

विजन 2020

226. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विजन 2020 दस्तावेज के संबंध में अभी तक अर्जित प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त विजन के अंतर्गत परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस हेतु आबंटित/अभी तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त विजन में शामिल परियोजनाओं तथा रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): (क) से (घ) दिसंबर, 2009 में संसद में प्रस्तुत किए गए भारतीय रेलवे के लिए विजन-2020 में उच्चतर विकास रणनीति की परिकल्पना की गई थी जिसमें आगामी 10 वर्षों में क्षमता निर्माण/संवर्धन में, नेटवर्क विस्तारण या अपग्रेड करने में लगभग 14,00,000 करोड़ रुपए के सकल निवेश के भारी निवेष की आवश्यकता होगी। पिछले तीन वर्षों में नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण के निष्पादन के लिए आबंटित धनराशि नीचे दिए अनुसार है:–

		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
नई लाइनें	कि.मी.	258	709	727
	आबंटित धन (करोड़ रुपये में)	2921	3757	7118

1	2	3	4	5
दोहरीकरण	कि.मी.	448	769	752
	आबंटित धन (करोड़ रुपये में)	1906	1817	5408
आमान परिवर्तन	कि.मी.	1516	837	856
	आबंटित धन (करोड़ रुपये में)	2054	1625	2723
विद्युतीकरण	कि.मी.	1117	975	1165
	आबंटित धन (करोड़ रुपये में)	744	601	978

विजन-2020 में रेलवे की क्षमता निर्माण/वृद्धि और आधुनिकीरण में सरकार द्वारा उच्च स्तर के अग्रिम निवेश की आवश्यकता को स्पष्ट दर्शाया गया है। प्रगति का मूल्यांकन संसाधनों की समग्र उपलब्धता/कमी में किया जाएगा।

(ङ) विजन प्रलेख में नई लाइन, आमान परिवर्तन तथा दोहरीकरण की 286 चालू परियोजनाओं के अलावा 50 स्टेशनों को विश्व-स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करना शामिल है।

[हिन्दी]

कंपनी लॉ का उल्लंघन

227. श्री कपिल मुनि करवारिया:
श्री राम सुन्दर दास:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन कंपनियों का संज्ञान लिया है जिन्होंने कंपनी लॉ के उपबंधों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने मामलों में जांच की गई और कितने मामलों में कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही की गई?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) (क) से (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 एक विस्तृत विधान है जिसके अधीन कंपनियों को बड़ी मात्रा में प्रकटीकरण करना पड़ता है और अधिनियम में उपलब्ध बहुत-सी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। ऐसे मामलों में अधिनियम के तकनीकी उल्लंघनों का पता लगाने के लिए देश भर में कंपनियों की फाइलिंग की संवीक्षा कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा नियमित रूप से की जाती है और गैर-अनुपालन के लिए कार्रवाई मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर अतिरिक्त शुल्क एवं समझौता शुल्क एकत्र करके की जाती है। अधिक गंभीर मामलों में पूछताछ/निरीक्षण/जांच की जाती है और उल्लंघनों के मामलों में अभियोग चलाया जाता है। पिछले तीन वर्षों (2009-2012) के दौरान इस प्रकार के अभियोगों के परिणामस्वरूप 8186 दोषसिद्धियां हुई हैं।

[अनुवाद]

बंद/रुग्ण उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार

228. श्री अबदुल रहमान:: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बंद/रुग्ण उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार करने के लिए विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बंद/रुग्ण उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार करने में रुचि दर्शाने वाली विदेशी कंपनियों को ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक बंद/रुग्ण उर्वरक इकाई की जमीन का अनुमानित वर्तमान मूल्य सहित प्रत्येक बंद/रुग्ण उर्वरक इकाई में पड़ी मशीनों और उपकरणों के अनुमानित स्क्रैप मूल्य क्या है;

(ङ) क्या सरकार कई वर्षों से खाली पड़ी उक्त भूमि और मशीनों को लाभकारी उपयोग करने का विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इन इकाइयों में मजदूरों/कर्मचारियों का उपयोग करने के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन इकाइयों द्वारा उन्हें वार्षिक रूप से कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की सभी आठ बंद यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है, जिसमें से तीन इकाइयों का पुनरुद्धार नामांकन आधार पर किया जाना है। शेष पांच इकाइयों का पुनरुद्धार बोली प्रक्रिया से किया जाएगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फर्में भी भाग ले सकती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एफसीआईएल और एचएफसीएल की बंद इकाइयों में पड़ी मशीनों और उपकरणों के कबाड़ का मूल्यांकन तथा भूमि का मूल्यांकन मैसर्स प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल), जो उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र ण्द्यम है, द्वारा किया गया है, तथा मूल्यांकन को सरकारी पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवण में दिया गया है।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के नामरूप-I संयंत्र का अनुमानित मूल्य, जो बंद पड़ी है, का अनुमान 20.75 करोड़ रुपए लगाया गया है। इस रिक्त भूमि में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है। इस अमोनिया-I संयंत्र का अनुमानित मूल्य, जो प्रचालन में नहीं है, को अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता मैसर्स कोहली एसोसिएटस, नई दिल्ली द्वारा 11.70 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (फैक्ट) कोचीन प्रभाग में बंद अमोनिया-यूरिया संयंत्र की मशीनों और उपकरणों के कबाड़ का मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा 26.29 करोड़ रुपए मूल्यांकन किया गया है, तथापि बोर्ड ने यह महसूस किया था कि ईआइएल द्वारा मूल्यांकित मूल्य कम था और इसलिए मूल्यांकन को स्वीकार नहीं किया गया था।

(ङ) और (च) जी हां, सरकार द्वारा किसी अन्य अनुमेय औद्योगिक गतिविधि से अलग एचएफसीएल और एफसीआईएल की प्रत्येक बंद इकाई में न्यूनतम 1.27 मिलियन टन प्रति वर्ष यूरिया संयंत्र की स्थापना करके बेकार पड़ी भूमि और परिसंपत्तियों का लाभप्रद उपयोग करने पर विचार करती है।

(छ) और (ज) वर्ष 2002 में सरकार के निर्णय के अनुसार एचएफसीएल और एफसीआईएल की सभी उर्वरक इकाइयों को बंद किया गया था तथा बहुसंख्यक कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त किया गया था तथा शेष बचे बहुत कम कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जा रहा है।

विवरण

एफसीआईएल और एचएफसीएल की बंद इकाइयों के संबंध में भूमि के मूल्य के साथ प्रयुक्त और अप्रयुक्त मदों का अनुमानित मूल्य

(करोड़ रुपए में)

इकाई का नाम	भूमि का मूल्य	प्रयुक्त और अनुप्रयुक्त वस्तुओं का मूल्य	योग
1	2	3	4
सिंदरी, एफसीआईएल	1534.14	261.95	1796.09
रामागुंडम, एफसीआईएल	278.23	133.13	411.36

1	2	3	4
तलचर, एफसीआईएल	143.21	130.52	273.73
गोरखपुर, एफसीआईएल	1018.64	83.27	1101.91
कोरबा, एफसीआईएल	456.09	41.28	497.37
बरौनी, एचएफसीएल	180.15	67.24	247.39
दुर्गापुर, एचएफसीएल	629.65	76.62	706.27
हल्दिया, एचएफसीएल	455.68	92.39	548.07

पानी की कमी

229. **श्री ए.के.एस. विजयन:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रमुख महानगरों में पानी की अत्यधिक कमी का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) अंतर-राज्यीय नदियों पर विवादों के समाधान तथा उनके संदूषण पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि जल की अत्यधिक कमी के संबंध में किसी बड़े महानगर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) शहरी विकास मंत्रालय, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम, संसाधनों के लैप्स न होने वाले केन्द्रीय पूल और सैटेलाइट शहरों में शहरी अवसरंचना विकास स्कीम जैसी स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों/महानगरों में जल आपूर्ति करने में राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है।

(ग) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के बीच जल की हिस्सेदारी संबंधित मतभेदों का बातचीत से सौहार्दपूर्वक समाधान का प्रयास करती है। जिन जल विवादों का समाधान नहीं हो पाता, उन्हें न्यायनिर्णयन हेतु अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों को भेज दिया जाता है। नदी जल में संदूषण में कमी लाने हेतु राज्य सरकारें उपयुक्त उपाय करती हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

230. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**
श्री एस. अलागिरी:
श्री ए.के.एस. विजयन:

क्या **भारी उद्योग ओर लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर सरकारी उद्यम (पीएसई) विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय के अंतर्गत उन पीएसई तथा प्रशासनिक एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में सीएसआर के अंतर्गत किसी भी धनराशि का उपयोग नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा पीएसई द्वारा उक्त धनराशि के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या ये दिशा-निर्देश पीएसई के साथ-साथ निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र पर भी लागू होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर लोक उद्यम विभाग द्वारा अप्रैल, 2010 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा परियोजनाएं/ गतिविधियां यथासंभव उसी क्षेत्र में चलाई जाएं

जहां कम्पनी अपना वाणिज्यिक कार्य करती है। जहां यह संभव अथवा प्रयोज्य न हो, कंपनी नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं हेतु देश में किसी भी स्थान का चुनाव कर सकती है। नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु बजट को निदेशक मंडल संकल्प के माध्यम से अनिवार्य रूप से निवल लाभ (पूर्व वर्ष) के प्रतिशत के रूप में निम्न पद्धति से आबंटित किया जाना चाहिए:

	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का प्रकार निवल लाभ (गत वर्ष)	वित्त वर्ष में नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु व्यय सीमा (लाभ का %)
(i)	रुपये 100 करोड़ से कम	3%-5%
(ii)	रुपये 100 करोड़ से 500 करोड़ तक	2%-3% (न्यूनतम रुपये 3 करोड़ के अध्यधीन)
(iii)	रुपये 500 करोड़ और ऊपर	0.5%-2%

घाटा उठाने वाली कंपनियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे सीएसआर गतिविधियों के लिए विशेष फंडिंग निर्धारित करे। लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को जारी सीएसआर दिशा-निर्देशों में गतिविधियों के संभव क्षेत्रों की एक निर्देशात्मक सूची दी गई है। इस विषय पर विस्तृत निदशा-निर्देश सार्वजनिक रूप से लोग उद्यम विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत प्रयुक्त न की गई निधियों के संबंध में सूचना केन्द्रीयकृत रूप में नहीं रखी जाती है। यह सूचना केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा रखी जाती है। संबंधित मंत्रालय/विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा सीएसआर दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करते हैं। सीएसआर बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किया जाना होता है और इसके प्रयोग न किए जाने के मामले में यह फंड समाप्त नहीं होता है और सीएसआर फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो कि फिर एकत्र हो जाएगा। तथापि, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को ऊपर दर्शाए गए अनुसार निर्धारित स्लैबों के भीतर अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए निधियों का अधिक से अधिक आबंटन और उपयोग करने की सलाह दी गई है। सीएसआर के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन को पहले से निर्धारित समझौता ज्ञापन प्रणाली के जरिए मॉनीटर किया जाता है। इस विभाग द्वारा जारी समझौता ज्ञापन दिशा-निर्देशों में, गैर-वित्तीय पैरामीटरों में से 5 अंक सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश केवल केन्द्रीय सरकारी उद्यमों पर ही लागू होते हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निजी कॉर्पोरेट सैक्टर के लिए सीएसआर पर अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.25 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर प्रतिवेदन रखा जाएगा, श्रीमती संतोष चौधरी।

अपराह्न 12.0$^1/_2$ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

164वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर): मैं संविधान (एक सौ अठारहवां संशोधन) विधेयक, 2012 पर गृहकार्य संबंधी स्थायी समिति का 164वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय डॉ. बलीराम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 12.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर नियम रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची रख दें।

केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाये जाने और उनकी नियुक्ति को भी नियमित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.) : देश में वर्ष 2004 से संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं की साक्षात्कार को ऊपर लाने के लिए चलाई गई है। यह विद्यालय जिन क्षेत्रों में चल रहा है उन क्षेत्रों के लोग इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। जिस लक्ष्य पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्याालय को प्रारंभ किया गया था, उसमें सफलता भी मिल रही है, पर शिक्षण कार्य में लगे अध्यापकों की सुध कोई नहीं ले रहा है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के योजनाकारों ने शिक्षकों को मानदेय पर रखने की व्यवस्था बनाई थी जो चल भी रही है पर मानदेय स्वरूप जो वेतन वर्तमान में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के शिक्षकों को दिया जा रहा है, वह मंहगाई के इस दौर में पर्याप्त नहीं है।

वर्ष 2007 में मानदेय में मामूली वृद्धि की गई थी, पर आज के इस महंगाई के दौर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। कम मानदेय के कारण भरण-पोषण की समस्या के चलते कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग विभिन्न माध्यमों के जरिए होती रही है।

मेरी मांग है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के अध्यापकों का मानदेय बढ़ाया जाए या फिर देश में अध्यापकों की भारी कमी को देखते हुए उनकी नियमित नियुक्ति की जाए क्योंकि वर्षों से अध्ययन कार्य में लगे ऐसे अध्यापक शिक्षण कार्य में अच्छे पारंगत हो चुके हैं। इससे उनकी आर्थिक हालत सुधरेगी और अध्यापकों की कमी दूर होगी।

[अनुवाद]

(दो) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के लिये यथाप्रस्तावित विभिन्न संयंत्रों की बजाय एक बड़ा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): सरकार विदर्भ क्षेत्र में लगभग 86,470 मेगावाट क्षमता के 132 ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए कार्रवाई कर रही है। इससे पहले से मौजूद पानी की अत्यंत कमी की समस्या और गंभीर हो जाएगी क्योंकि इस क्षेत्र में केवल 30% सिंचाई क्षमता का ही विकास हो पाया है। इस क्षेत्र के किसान सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण पहले से ही रेशान हैं, ऐसे समय में राज्य सरकार इन विद्युत संयंत्रों के लिए जल आपूर्ति का आबंटन कर रही है।

कोयला आधारित 132 विद्युत संयंत्र स्थापित करने से विदर्भ देश का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र हो जाएगा। कोयला आधारित विद्युत संयंत्र वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं और उनसे बड़ी मात्रा में राख, जहरीली धातुएं जैसे पारा, रेडियो-एक्टिविटी, सल्फर डाईऑक्साइड और कार्बन-डाईऑक्साइड निकलते हैं। पंजाब के भटिंडा जिले में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले खतरनाक मैले के कारण इस क्षेत्र के विभिन्न गांवों के पेयजल में यूरेनियम की मात्रा के कारण कैंसर होने की जानकारी मिली है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जिसकी पहले से ही जांच की जा रही है।

ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) ने कोयले की राख के निपटारे के लिए प्रति मेगावाट अधिष्ठापित ताप क्षमता के लिए लगभग 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता निर्धारित की है। 86,470 मेगावाट क्षमता के 132 ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कुल मिलाकर लगभग 90,000 एकड़ उपजाऊ जमीन, प्रतिदिन 3600 मिलियन घन लीटर पानी की जरूरत होगी और प्रतिदिन 18,00,000 टन कोयला जलेगा और प्रतिदिन 7,20,000 टन रात्रि निकलेगी। इन संयंत्रों का प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर भयंकर संचयी प्रभाव पड़ेगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह किसी परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देने से पहले एक ही क्षेत्र में बड़ी संख्या में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले संचयी प्रभाव का आकलन कराये।

मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह एक विशेष क्षेत्र में बड़े ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने संबंधी संपूर्ण नीति की समीक्षा कर विदर्भ क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से अव्यवहार्य अनेक तापीय विद्युत संयंत्र लगाने की इस गंभीर समस्या के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण रखे।

(तीन) केरल में फर्टिलाइजर्स केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) से संबंधित मुद्दों का निपटान किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन (चान्नाकुड़ी): दि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) केरल में सबसे बड़ी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र की इकाई है तथा यह मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है।

फैक्ट नापथा आधारित उर्वरक उत्पादन इकाई है जिसकी उत्पादन लागत बहुत अधिक है और इसके बिक्री मूल्य पर सरकारी नियंत्रण है तथा कार्यशील पूंजी हेतु इस इकाई के सामने बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं। इस संकट को दूर करने तथा इसके अध्ययन हेतु सरकार को एक अभिकरण (मै. डिनोलाइट) की नियुक्ति करनी पड़ी थी। उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस अभिकरण ने सरकार को वर्ष 2012 में, एलएनजी आपूर्ति तक एक बारगी वित्तीय सहायता के रूप में 450 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का सुझाव दिया था, फैक्ट को एलएनजी मिलने तक नापथा को उसके मूल्य के अनुपात में मुआवजा दिया जाना चाहिए जैसाकि अन्य उर्वरक कंपनियों के मामले में होता है। फैक्ट को इस वर्ष 200 से 300 करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है। फैक्ट हेतु एलएमजी का मूल्य निर्धारित है और वह अन्य क्षेत्रों के सरकारी क्षेत्रों में एलएनजी के मूल्य से चार गुणा अधिक है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए ताकि समान रूप से मूल्य निर्धारण किया जा सके।

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार रुग्ण इकाइयों और घाटे में चल रही केंद्रीय सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की जानी है जिसमें फैक्ट भी सम्मिलित है।

कृपया, फैक्ट की निम्नलिखित परियोजनाओं का अनुमोदन करें:

(क) फैक्ट में 150 टीपीडी यूरिया संयंत्र—उद्योग मंडल प्रभाग

(ख) फैक्ट में 2000 टीपीडी सलफ्यूरिक एसिड संयंत्र—कोचीन प्रभाग

(ग) फैक्ट में 3500 टीपीडी अमोनिया और यूरिया संयंत्र—कोचीन प्रभाग

(घ) उद्योग मंडलम प्रभाग में एक कंटेनर फ्रीट स्टेशन

मैं सरकार से फैक्ट में, स्थायी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए, तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि वहां इस आवश्यकता का सुचारू रूप से कार्य हो सके।

मैं सरकार से इस मामले की जांच करने तथा केरल में फैक्ट को बचाने का आग्रह करता हूं।

(चार) कर्नाटक में बांदीपुर जंगल, गुंडलूपेट टाउन लिमिट और नंजनगुड से मैसूर तक होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 के खंड के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-212 कोजीकोड से आरंभ होता है और उत्तनकबली जन्शन (कोलेगल) ता. चामराजनगर जिला, कर्नाटक में समाप्त होता है। कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 की कुल लंबाई 150 कि.मी. है। इस राजमार्ग को पीपीपी के माध्यम से उन्नयनित किए जाने की अनुमानित लागत 443.87 करोड़ रुपये का मामला केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास लंबित है। अधिसूचना के अनुसार 125.52 कि.मी. का राजमार्ग जो बांदीपुर के वन, गुडलूपेट शहर की सीमा (चामराजनगर जिला) से होकर नंजनगुड (मैसूर जिले) तक जाता है, दो लेनों का होगा और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर से 10 मीटर तक होगी। मैसूर और नंजनगुड को जोड़ने वाला राजमार्ग जोकि खराब स्थिति में है उसे 15 मीटर की चौड़ाईयुक्त चार लेनों वाले राजमार्ग में विकसित किया जाए। काबिनी नदी पर नंजनगुड में परियोजना के उन्नमन के भाग के रूप में एक पुल का निर्माण किया जाए। इस संबंध में वित्तीय अनुमोदन हेतु एक अनुमान सौंपा गया था और पुन: 2011 में एक संशोधित अनुमोदन सौंपा गया था।

एनएच 212 के इस भाग में वाहनों की भारी आवाजाही से रोजाना होने वाली दुर्घटनाओं और जनता की सड़क सुधारने की मांग के मद्देनजर, मैं माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अध्यक्षपीठ के माध्यम से एनएच 212 पर अत्यधिक

परिवहन और जनपरिवहन वाहनों की सुचारू आवाजाही को सुकर करने के लिए वित्तीय सहायता देकर उक्त परियोजना का उन्नयन करने के लिए तत्काल कदम उठाने काअनुरोध करता हूं।

(पांच) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र में संतरों का उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि विदर्भ जिसे संतरे की भूमि कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षो से महाराष्ट्र में संतरा उत्पादन में लगातार कमी आ रही है जबकि देश के अन्य राज्यों में संतरा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। पिछले सीजन में देश का संतरा उत्पादन 10 मैट्रिक टन प्रति हैक्टेयर था जबकि महाराष्ट्र में यह 3.9 मैट्रिक टन था। महाराष्ट्र में 1 लाख 28 हजार हैक्टेयर पर संतरों का उत्पादन होता है। मुख्यत: यह अमरावती, नागपुर और वर्धा जिले में है । लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने जो आंकड़े प्रकाशित किए हैं जिसमें संतरा उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पर है जिसने प्रति हेक्टेयर 21 मैट्रिक टन संतरे का उत्पादन किया। महाराष्ट्र को चौथा स्थान मिला जहां संतरे का उत्पादन 3.9 मैट्रिक टन प्रति हैक्टेयर था।

महाराष्ट्र में संतरा उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु यह लक्ष्य साध्य नहीं हो सका, इसके कई कारण हैं जिसमें सिंचाई की कमी, अच्छे पौधों की कमी, फूड प्रोसेसिंग उद्योग का न होना और पुराने बागों को लेकर किसानों की उदासीनता। मेरा सरकार से निवेदन है कि विदर्भ के संतरा खेती को बचाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है जिसमें किसनों को आर्थिक और तकनीकी मदद, पुराने बागों के सुधार के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना और फूड प्रोसेसिंग उद्योग को स्थापित करना प्रमुख बातें हैं।

(छह) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने, पिछड़े वर्गों के लिए विद्यमान सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिये अतिरिक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि सदन को भली-भांति ज्ञात है कि अन्य पिछड़ा वर्ग हमारी जनसंख्या का 50 प्रतिशत से ज्यादा है दूसरी तरफ, यह भी स्पष्ट है, कि अन्य पिछड़ा वर्ग सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में और दूसरे अवसरों, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 27% आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में अभी भी पीछे है। हाल ही में, अगस्त 2012 में, एक संसदीय समिति ने यह समझते हुए कि अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के दूसरे तबकों से अभी भी पीछे है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (रा.पि.व.आ.) को शक्तियां प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की है। पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधिक दर्जा देने और उसके सशक्तिकरण के उपायों के संबंध में अपने प्रतिवेदन में यह नोट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (रा.अ.जा.आ.) अ.पि.व. के लिए अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। संसदीय समिति यह भी सिफारिश है कि अनुच्छेद 338(10) को विलोप कर दिया जाना चाहिए और इस कार्य के लिए एक नए अनुच्छेद 338 (ख) को अंत:स्थापित करना चाहिए। संवैधानिक संशोधन में मौजूदा रा.पि.व.आ. अधिनियम के अंतर्गत रा.पि.वा.आ. को वर्तमान शक्तियों की शामिल किया जाना चाहिए। सभी स्तर पर अ.वि.व. को न्याय प्रदान करने और रा.पि. व.आ. को सांविधिक दर्जा देने एवं रा.अ.जा.आ. तथा रा.अ.जजा.आ. की तरह उसे समान शक्तियां प्रदान करने और रा.पि.व.आ. को अपने दायित्वों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए भारतीय संविधान और रा.पि.व.आ. अधिनियम में संशोधन की सख्त आवश्यकता है। जैसा कि अ.पि.व. आजादी के समय से शिक्षा प्राप्त करने में पीछे हैं, उनका सरकारी नौकरियों में और सामान्यत: दफ़्तर वाले कार्यों में काफी कम प्रतिनिधित्व है। समाज में दूसरे समुदायों के साथ आने के लिए नये उपायों को अपनाकर अपने कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं की वे अ.पि.व. को शिक्षा स्तर से रोजगार स्तर तक न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दें ताकि वे अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सके और पूरे देश में इसका फल अ.पि.व. को प्राप्त हो सके।

(सात) महाराष्ट्र के दादर से अमृतसर तक चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 11057/11058 के उद्गम और समाप्त होने वाले स्टेशन को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): रेल संख्या 1105/11058 दादर स्टेशन से अमृतसर जा रही थी। हाल ही में, इस रेलगाड़ी

को दादर के स्थान पर कुरला, मुंबई एलटीटी मोड़ दिया गया है। इस रेलगाड़ी के लगभग सभी यात्री महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वीवीआईपी मंत्री, सरकारी अधिकारी, व्यवसायी और दैनिक विक्रेता हैं। दिन का कार्य पूरा करने के बाद सभी लोगों को रेल पकड़ने के लिए दादर स्टेशन अत्यंत सुविधाजनक है। इस समय दादर या मुंबई सीएसटी पर इस स्टेशन पर रुकने वाली और कोई अन्य रेलगाड़ी नहीं है।

अत:, जनता, मजदूरों, विक्रेताओं और वीवीआईपी द्वारा भारी मांग है कि इस रेल को दादर से या मुंबई सीएसटी से चलाया जाना चाहिए ताकि यह सभी लोगों के लिए सुविधाजनक हो। जैसा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण रेल है। इस क्षेत्र के लोग/यात्री काफी गुस्से में हैं और यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे धरने पर बैठने की मांग कर रहे हैं।

इसलिए, मैं रेलवे से अनुरोध करता हूं कि वे जनता के हित में इस रेल को दादर अथवा मुंबई सीएसटी से पुन: आरंभ करें।

(आठ) राजस्थान के जालौर जिले में सांचोर के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): जालौर जिले में नर्मदा नहर का मीठा पानी देने की एफ.आर. प्रोजेक्ट योजना ने प्रशासन की उदासीनता के चलते दम तोड़ दिया है।

राज्य सरकार और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण प्रोजेक्ट को शुरू करते समय सांचोर के रणोदर तैतरोल जहां पर प्रोजेक्ट का निर्माण होना था, उस जमीन का सैम्पल नहीं लिया गया और पाइपलाइन बिछाने सहित अन्य कार्यों में 262 करोड़ रूपये खर्च कर दिए लेकिन अब प्रोजेक्ट की जमीन पर कुछ मीटर की खुदाई में लवण पानी निकलने से कई महीनों से प्रोजेक्ट का निर्माण बंद है। पहले किसान की जमीन न देने के कारण और अब जमीन से लवणीय पानी निकलने से निर्माण कार्य बंद हो गया है।

नर्मदा नहर के एफ.आर. प्रोजेक्ट का निर्माण 310 करोड़ की लागत से होना था जिससे जिला मुख्यालय सहित 281 गांव व तीन ढाणियो को पानी देने की योजना थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कंपनी पर पैनल्टी लगाने की बजाय 262 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। दूसरी तरफ जिले भर के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और फ्लोराइड पानी पीने को मजबूर हैं।

(नौ) देश में सिविल सेवकों की तुलना में अर्द्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों के निमित्त पेंशन योजना एवं अन्य वित्तीय नियमावली में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): अर्द्ध-सैनिक बल देश के सभी रक्षा अभियानों में रक्षा की प्रथम रेखा हैं और राष्ट्र रक्षा में सेना के समान ही अर्द्ध-सैनिक बलों की भूमिका है, लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात् मिलने वाले आर्थिक लाभांशों जैसी मांगों को यह कह कर ठुकरा दिया जाता है कि पैरामिलिट्री फोर्स सी.सी.एस. पेंशन नियमों से संचालित है, इसलिए दोनों सेवाएं एक समान नहीं हो सकती। अर्द्ध-सैनिक बल भारत संघ से सशस्त्र बल है, इनकी सेवाएं और सिविल सर्विस कर्मचारियों की भूमिका में दिन-रात का अंतर है फिर दोनों सेवाएं एक जैसे नियमों से संचालित कैसे हो सकती है। अर्द्ध-सैनिक बलों के लगभग 10 लाख एवं 7 लाख सेवानिवृत्त कार्मिक सरकार के इस व्यवहार से काफी असंतुष्ट है, वे अलग सेवा नियम रक्षा कार्मिकों की भांति लागू किए जाने, सेवा के दौरान प्राणों की आहूति देने वाले कार्मिकों को शहीदों का दर्जा दिए जाने, एक रैंक एक पैंशन का आर्थिक लाभांश, प्रत्येक जिले में सी.एस.डी. कैंटीन की स्थापना, बी.एस.एफ. सेवानिवृत्त नियम 19 के तहत सेवानिवृत्त हुए सभी कार्मिकों को पेंशन दिए जाने आदि की मांग काफी समय से करते आ रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि अर्द्ध-सैनिक बालों की महत्वपूर्ण मांगों को अविलंब स्वीकार कर इन्हें राहत प्रदान की जाए।

(दस) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी क्षेत्र में विद्युत की समुचित आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति बहुत अनियमित एवं 4 घंटे रहने से कृषकों को खेतों में पानी एवं मड़ाई से बहुत दिक्कतें होती हैं। किशुनपुर पम्प नहर के पम्प भी नहीं चल पाने से नहरों में पानी उचित स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिससे सिंचाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, सूखे की स्थिति है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को समुचित बिल आपूर्ति देकर 8 घंटे रात्रि एवं 8 घंटे दिन में आपूर्ति सुनिश्चित करे।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पहाड़पुर और अन्य पिछड़े क्षेत्रों को विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): उत्तर प्रदेश राज्य का मिसरिख संसदीय क्षेत्र एक अनुसूचित जाति बाहुल्य पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं। मिसरिख व इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पासी समाज की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पहाड़पुर ब्लॉक भरावन, तहसील संडीला, जनपद हरदोई में पासी समाज के महान व्यक्ति, जो मदारी पासी के नाम से विख्यात हैं, की समाधि

है। ये आजादी एका आंदोलन के दौरान एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं और आजादी के एका आंदोलन में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। यह अनुसूचित जाति के पासी समाज के लिए ही नहीं बल्कि दलित वर्ग के सभी समुदायों के लिए एक अति गर्व की बात है।

अनुसूचित जाति के इस महान स्वतंत्रता सेनानी के समाधि स्थल पहाड़पुर व इसके निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास किए जाने के साथ-साथ पासी समाज का भी विकास किए जाने की आज के समय की आवश्यकता है। ऐसा करने से न केवल इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होगा, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के एका आंदोलन के प्रसिद्ध मदारी पासी के व्यक्तित्व को लोग आचरण में लाकर समाज व देश को प्रगति की राह पर लाने का प्रयास करेंगे।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह पासी समाज के मदारी पासी के समाधि स्थल, पहाड़पुर व उनके निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास कर उसकी याद में पासी समाज के कल्याण हेतु एक कारगर योजना केंद्रीय स्तर पर तैयार करके उसे शीघ्र क्रियान्वित किए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं।

(बारह) पश्चिम बंगाल के तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुवेन्दु अधिकारी (तामलुक): मेरे विचार में अगले दशक तक दोहरे अंकों में सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए,भारत की संभार तंत्र अवसंरचना में अत्यधिक सुधार करना होगा जिसमें रेल, सड़क, जलमार्ग, हवाई नेटवर्क, इत्यादि शामिल हैं। सही अर्थों में देश की विकसित संभार तंत्र अवसंरचना राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार है। बिना संभार तंत्र के कोई भी विपणन या निर्माण कार्य अथवा परियोजना का कार्यान्वयन सफल नहीं हो सकता। किसी भी कंपनी के लिए व्यवसाय, भू-क्षेत्र और भार मूल्य औसत पर निर्भर करते हुए उसकी कुल ब्रिक्री का लगभग 10% से 35% संभार तंत्र मूल्य होता है। वास्तव में कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति और उसके अस्तित्व के लिए संभार तंत्र आवश्यक है।

संभार तंत्र के सतत विकास के लिए विवेकपूर्ण दूरगामी कार्य योजना, गहन जानकारी और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए, संभार तंत्र प्रबंधन के अध्ययन पर जोर दिया जाना चाहिए। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे संसदीय क्षेत्र, तामलुक में इस विषय के अध्ययन के लिए कोई अवसर उपलब्ध नहीं है। चूंकि संसदीय क्षेत्र में इस तरह की कोई भी संस्था नहीं है, इसलिये लाखों विद्यार्थी इस उभरते हुए क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं जिसमें निकट भविष्य में रोजगार के अवसर प्रदान करने की काफी संभावना है।

इसलिए, भारत सरकार के माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि पश्चिम बंगाल के पूरबा में दिवीपुर जिले में मेरे संसदीय क्षेत्र, तामलुक में संभार तंत्र प्रबंधन की पढ़ाई के लिए एक संस्थान खोलने पर विचार किया जाए।

(तेरह) भारतीय नागरिकों के वीज़ा आवेदनों की त्वरित प्रोसेसिंग के लिए अमृतसर में पाकिस्तान के महावाणिज्यिक दूतावास और लाहौर में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय की स्थापना करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फरीदकोट): अमृतसर और लाहौर में क्रमश: पाकिस्तान के महावाणिज्यिक दूतावास (कांसुलेट जनरल) और भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय स्थापित करना अति आवश्यक है। वर्तमान परिदृश्य में, जब भारत और पाकिस्तान वीज़ा के संबंध में उदारीकृत नीति अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब यह कदम व्यापार को बढ़ावा देने और लोगों में संबंध मजबूत बनाने में सहायक होगा। इस कदम से लोगों को सुविधा होगी क्योंकि उन्हें इस कार्य के लिए दिल्ली की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। दूसरे, पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक काफी कठिनाइयों और असुविधा का सामना करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के प्राधिकारी वीज़ा आवेदनों की प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 2 महीने का समय लेते हैं। केंद्र सरकार को पाकिस्तान की सरकार से इस अवधि को कम करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। इसी तरह, पाकिस्तान कै व्यापारीगण जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के आमंत्रण पर भारत आने के इच्छुक हैं, उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। पंजाब के माननीय उपमुख्यमंत्री ने यह मुद्दा माननीय गृह मंत्री के समक्ष भी रखा है।

मैं आशा करती हूं कि केंद्र सरकार इस मसले पर तुरंत कार्यवाही करेगी।

(चौदह) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर मुरूमपल्ली चेक-पोस्ट, कोडरू पेलीसमुद्रम गोरेन्टला और सोमंदापल्ली में उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. कृष्टप्प (हिन्दुपुर): मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय के संज्ञान में निम्न तथ्य लाना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-44 कर्नाटक की सीमा से होकर गुजरता है। यह चार लेन वाला

राष्ट्रीय राजमार्ग है। तथापि, मुरूमपल्ली चेक-पोस्ट, काडुरु, पलिय से मुद्रम-गोरेंटला और सोमेंदपल्ली के निकट गोलयक्कर है पर वहां कई सड़कें मिलती हैं जिससे यातायात की गति धीमी होती है और हर दिन कई दुर्घटनाएं होती हैं।

इसलिए में अनुरोध करता हूं कि इन जगहों पर यथाशीघ्र, फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है ताकि यातायात बाधित न हो और दुर्घटनाए न घटें।

(पंद्रह) तमिलनाडु में तिरूचिरापल्ली एयरपोर्ट के विस्तार हेतु 164.68 एकड़ रक्षा-भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

श्री पी. कुमार (तिरूचिरापल्ली): मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तिरूचिरापल्ली तमिलनाडु का चौथा सबसे बड़ा शहर है। इसकी जनसंख्या 10,27,000 है। तंजावुर, पुड्डुकोट्टाई, करुर, पेरमबलूर, अरियलूर, नागार्पाट्टनम और तिरुवरुर जिलों के लोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए तिरुचिरापल्ली विमानपत्तन पर निर्भर करते हैं। तिरूचिरापल्ली विमानपत्तन 1936 से सबसे पुराने सीमा-शुल्क विमानपत्तनों में से एक है। वर्ष 2011 में ही 11 लाख से ज्यादा लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्त का इस्तेमाल किया।

भारत सरकार ने हाल की अधिसूचना के माध्यम से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन हेतु तिरूचिरापल्ली विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानपत्तन के तौर पर उन्नत किया। त्रिची विमानपत्तन के विस्तार हेतु 510 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।

जिला प्रशासन ने 164.68 एकड़ रक्षा भूमि के अधिग्रहण के लिए सरकार के सचिव, सार्वजनिक (सैन्य) विभाग से संपर्क किया है। उसने दिनांक 12.12.2011 के अंर्ध-शासकीय पत्र सं. 40358/सेना/2011-1-I के माध्यम से सेना की भूमि के अधिग्रहण हेतु सहमति के लिए रक्षा सम्पदा अधिकारी, चेन्नई से भी सिफारिश की है। यह मामला रक्षा विभाग के पास अभी भी लंबित पड़ा है। माननीय रक्षा मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाए।

(सोलह) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को रसोई गैस के कम से कम 12 सिलेंडर की आपूर्ति किए जाने तथा गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को राजसहायता प्राप्त दरों पर मूल रूप से प्रस्तावित संख्या में रसोई गैस के सिलेंडर दिए जाने को बनाए रखे जाने की आवश्यकता।

श्री जोस के. माणि (कोट्टयम): केन्द्र ने एलपीजी सहित आवश्यक वस्तुओं पर राजसहायात में कटौती समेत समग्र आर्थिक सुधारों के भाग के तौर पर कड़े कदम उठाए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु राजसहायता प्राप्त एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की प्रस्तावित सीमा उनकी वास्तविक आवश्यकताओं से बहुत कम है। दुर्लभ और महंगी होती बिजली सहित वैकल्पिक ईंधन अपनाने में गरीबों की कठिनाइयों पर विचार करते हुए सरकार को ईडब्ल्यूएस उपभोक्ताओं हेतु प्रति वर्ष सिलेंडरों की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 12 करने पर विचार करना चाहिए। गैर-राजसहायता प्राप्त एपीएल उपभोक्ताओं हेतु एलपीजी बाजार के युक्त होने के साथ ही बहुत सी निजी कंपनियों के पूर्ण लागत मूल्य पर एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी बाजार में प्रवेश किया है।

ईडब्ल्यूएस उपभोक्ताओं हेतु एलपीजी सीमा बढ़ाने के कारण बढ़ी राजसहायाता के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार एपीएल उपभोक्ताओं को रियायती दर पर एलपीजी की पात्रता पर मूल रूप से प्रस्तावित सीमा को बरकरार रखने पर विचार कर सकती है।

अपराह्न 12.03 बजे

कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 2012*

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री श्रीप्रकाश जायसवाल की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है कि:

"कि कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रतीक पाटील: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

...*(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I खंड-3, दिनांक 22.11.2012 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, संसद के मानसून सत्र में और शीतकालीन सत्र के बीच में एक ऐसी घटना घटी है ...*(व्यवधान)* जिसने संसद की घोर अवमानना की है।.. .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: विपक्ष की नेता जो कुछ कह रही हैं केवल उसे ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अपराह्न 12.04 बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, मैं संसद की घोर अवमानना का एक प्रकरण आपके ध्यान में लाना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)* मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के दौरान जिस प्रकार चल रहा है। ...*(व्यवधान)* मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि 7 दिसम्बर, 2011 को आपकी अपनी अनुमति से तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने इस सदन में एक वक्तव्य दिया था जो वक्तव्य खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष्य विदेशी पूंजी के निवेश को लंबित रखने के बारे में था। ...*(व्यवधान)* मैं पढ़ कर सुनाना चाहती हूं:

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): ''अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं छोटा-सा वक्तव्य देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मल्टीब्रान्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने का फैसला तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि विभिन्न हितधारकों में विचार-विमर्श के माध्यम से सर्वसम्मति नहीं बन जाती। मैंने आज सुबह सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इससे पहले भी मैं एक बैठक में, उनसे चर्चा कर चुका हूं कि इस गतिरोध को किस प्रकार दूर किया जाए, जिसके कारण संसद की कार्यवाही ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है....''

''...मुझे खुशी है कि सभी नेता इस सूत्र पर सहमत हैं, परन्तु वे कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं...*(व्यवधान)* मैं आपकी अनुमति से यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि हितधारकों में राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री तथा राजनीतिक दल शामिल हैं, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्रियों की भागीदारी के बिना इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता...*(व्यवधान)* *''

[हिन्दी]

मैडम, आप ध्यान दें। उन्होंने कहा था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सदन में व्यवस्था बनाये रखिये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, उन्होंने आगे यही भी कहा:

''इसलिए, सभी हितधारकों के बीच विचार-विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से सहमति हो जाने के पश्चात् सरकार इस बारे में निर्णय लेगी...*(व्यवधान)* इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करती हूं कि सभा शीतकालीन सत्र की समाप्ति से पूर्व चूंकि केवल 10 दिन ही रह गये हैं अपना सामान्य कार्य कर ले, धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया...*(व्यवधान)''*

[हिन्दी]

मैडम इसके बाद मैं खड़ी हुई थीं और मैंने आपकी अनुमति से कहा था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सदन में व्यवस्था बनाये रखिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अब रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: मुझे अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिला है। कृपया, सदन में व्यवस्था बनाये रखिये ताकि मैं 50 संसद सदस्यों को मिल सकूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सदन में व्यवस्था बनाये रखनी होगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: कृपया, वापस जाकर बैठ जाइये। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** पीठासीन हुईं]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले आप नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा कराइये। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: जरा एक मिनट मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में बताना है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.30½ बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री शैलेन्द्र कुमार और कुंवर रेवती रमन सिंह से खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने तथ्य मांगें हैं। यह मामला मेरे विचाराधीन है।

श्री दारा सिंह चौहान ने भी उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के बारे में स्थगन प्रस्ताव संबंधी एक सूचना पटल पर रखी है।

मामला काफी महत्वपूर्ण होने के बावजूद आज की सभा के कार्य में व्यवधान करने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, हमारी सूचना का क्या हुआ।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.31 बजे

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे नियम 198 के अधीन श्री सुदीप बंधोपाध्याय से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मिली है।

प्रस्ताव का पाठ निम्नवत् है:

"यह कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में विश्वास का अभाव अभिव्यक्त करती हैं"

श्री सुदीप बंधोपाध्याय, कृपया सभा की अनुमति प्राप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैडम, पहले आपने कहा था कि इस विषय पर आप मुझे बोलने देंगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं आपको इस पर बोलने दूंगी। मै। आपको बाद में मौका दूंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, मैं निम्न प्रस्ताव को प्रस्तुत करने हेतु सभा से अनुमति चालता हूं:

"यह कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव अभिव्यक्त करती है"

इसके अतिरिकत, मल्टीब्रैंड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का सरकार का निर्णय लाखों छोटे व्यापारियों के लिए घातक होने जा रहा है और यह निर्णय सरकार की लोक-विरोधी नीतियों को प्रतिबिम्बित करता है।

अध्यक्ष महोदया: आपको केवल एक पंक्ति पढ़नी है।

मैं उन सदस्यों से अपने स्थान पर खड़ा होने को कहती हूं जो इस प्रस्ताव को अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं।

कुछ सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया, यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुझे सभा को सूचित करना है कि सदस्य को सभा की अनुमति नहीं मिली क्योंकि 50 से कम सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, हमने जो नोटिस दिया था, उसका क्या हुआ?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी तो पढ़कर सुनाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हमने अभी सुनाया है कि उसे मना कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदया, आज उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: नेता प्रतिपक्ष बोल रही हैं, इसलिए आप उन्हें पहले बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, सदन में थोड़ी सी शांति हो जाये।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नोटिस दिया गया है।...*(व्यवधान)* आप हमें दो मिनट बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप उन्हें बाद में बोलने का मौका दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: मैडम, पूरे उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। वहां पर बलात्कार हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से, सरकार द्वारा की गयी संसद की घोर अवमानना का विषय इस सदन में रखना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.35 बजे

इस समय डॉ. बलीराम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, संसद के मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के बीच में एक प्रकरण ऐसा घटा है, जिसमें

संसद की घोर अवमानना हुई है। मैं अपको याद दिलाना चाहती हूं कि 7 दिसंबर, 2011 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने आपकी अनुमति से इस सदन में एक वक्तव्य दिया था। अभी पहले वह वक्तव्य मैंने यहां पढ़कर सुनाया। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.36 बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया: नेता विपक्ष जो कुछ कहेंगे उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उस वक्तव्य के बाद मैंने भी इस पर रिस्पांड करते हुए कहा था कि इस सरकार ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी जो कहा रही हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: जनभावनाओं के आगे झुकना सरकार की हार नहीं होती, बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। तमाम राजनैतिक दलों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद और उन सभी लोगों से बात करने के बाद, जिनके हित इस निर्णय से प्रभावित हो रहे थे, आम सहमति बनाने के बाद सरकार यह निर्णय करेगी और तब तक इस निर्णय को लम्बित रखा गया है। मैं प्रणब दा के प्रति धन्यवाद अर्पित करती हूं जिन्होंने इस पूरे मसले को अपने हाथ में लिया और आल-पार्टी मीटिंग की। प्रधानमंत्री जी की अनुमति से यह निर्णय हुआ है, मैं उनके प्रति भी देश की तरफ से आभार प्रकट करती हूं कि जनभावनाओं के सामने सरकार झुकी। यह एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक जीत का कदम है।

मगर मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जो वक्तव्य तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने यहां रखा, जिसके लिए मैंने समूचे विपक्ष की तरफ से ही नहीं, समूचे देश की तरफ से सरकार के प्रति आभार प्रकट किया, आश्वासन की धज्जियां उड़ाते हुए, यहां दिए हुए वक्तव्य की परवाह न करते हुए, सरकार ने खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति देने की घोषणा कर दी। इसलिए मैं आपसे संरक्षण चाहती हूं, पूरा विपक्ष और आल-पार्टीज के नेता आपका संरक्षण चाहते हैं कि सर्वसम्मति बनाना तो दूर, आम सहमति बनाने का प्रयास भी इस सरकार ने नहीं किया, कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कोई बात नहीं की और यह निर्णय हो गया। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमें इस सदन में अपनी बात कहने का मौका दिया जाए और अपनी राय मतदान के माध्यम से प्रकट करने का मौका दिया जाए। नियम 184 के तहत एफडीआई इन रिटेल पर चर्चा की अनुमति आप हमें प्रदान करें ताकि जो काम सरकार ने नहीं किया, वह काम इस सदन के माध्यम से हम बता सकें कि पूरे देश का जन-मानस खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश के लिए क्या चाहता है। यह मेरा आपसे अनुरोध है और विपक्ष के सारे लोग यह मांग कर रहे हैं कि रूल 184 में एफडीआई पर चर्चा कराइए। यही मेरा आपसे अनुरोध है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 02.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.39 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 02.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 02.01 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 02.01½ बजे

इस समय डॉ. बलीराम, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

उपाध्यक्ष महोदयः सभा 23 नवंबर, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 02.02 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार 23 नवंबर, 2012/2 अग्रहायण, 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थागित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1
	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	
2.	डॉ. रत्ना डे.	2
	श्री यशवीर सिंह	
3.	श्री अर्जुन चरण सेठी	3
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	4
5.	श्री सी. राजेन्द्रन	5
	श्री एम.बी. राजेश	
6.	श्री सुरेश अंगड़ी	6
	श्री एम. आनंदन	
7.	श्री वीरेन्द्र कुमार	7
8.	श्री बिभु प्रसाद तराई	8
	श्री हंसराज गं. अहीर	
9.	श्री मंगनी लाल मंडल	9
	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	
10.	श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय	10
	श्रीमती सीमा उपाध्याय	
11.	श्री शिवराम गौडा	11
12.	श्री महेश जोशी	12
13.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	13
	श्रीमती मेनका गांधी	
14.	श्री रूद्रमाधव राय,	14
15.	श्री वैजयंत पांडा	15
	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	
16.	श्री मानिक टैगोर	16
	श्री हर्ष वर्धन	
17.	श्री मनोहर तिरकी	17
	श्री पी.आर. नटराजन	
18.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	18
	श्री सुरेश कलमाडी	
19.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	19
	श्री दिनेश चन्द्र यादव	
20.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	20
	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	82
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	28, 182, 229, 230
3.	श्री बसुदेव आचार्य	114
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	55, 127, 128, 135, 190
5.	श्री आनंदराव अडसुल	55, 127, 128, 135, 181
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	152
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	122, 145
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	121, 157
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	39, 122
10.	श्री एम. आनंदन	172, 179
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	93, 125, 186, 188
12.	श्री सुरेश अंगड़ी	179
13.	श्री घनश्याम अनुरागी	111, 137
14.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	120
15.	श्री कीर्ति आजाद	31
16.	श्री गजानन ध. बाबर	46, 55, 127, 128, 224
17.	श्री कामेश्वर बैठा	76, 134, 214
18.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	114
19.	श्री ताराचन्द भगोरा	94, 202
20.	श्री संजय भोई	58, 129, 186, 196
21.	श्री हेमानंद बिसवाल	63

1	2	3
22.	श्री सी. शिवासामी	20, 124, 141, 187
23.	श्री हरीश चौधरी	68
24.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	51, 53, 122, 175
25.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	97, 108, 122, 184
26.	श्री भूदेव चौधरी	16, 192
27.	श्रीमती श्रुति चौधरी	37, 53, 65, 120, 223
28.	श्री भक्त चरण दास	89, 219
29.	श्री खगेन दास	80, 219
30.	श्री राम सुन्दर दास	113, 227
31.	श्री गुरुदास दासगुप्त	198
32.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	91, 120, 226
33.	श्री के.डी. देशमुख	99
34.	श्रीमती रमा देवी	30, 95, 100
35.	श्री के.पी. धनपालन	6, 79, 218
36.	श्री आर. ध्रुवनारायण	9, 143
37.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	122, 124
38.	श्री चार्ल्स डिएस	47, 116
39.	डॉ. रामचन्द्र डोम	120
40.	श्री निशिकांत दुबे	77, 135, 212, 215, 216
41.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	84, 110
42.	श्रीमती प्रिया दत्त	222
43.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	58, 129, 186, 196
44.	श्रीमती मेनका गांधी	204
45.	श्री ए. गणेशमूर्ति	55, 85, 221

1	2	3
46.	श्री एल. राजगोपाल	69, 132, 206
47.	श्री शिवराम गौडा	169
48.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	141
49.	शेख सैदुल हक	102, 120
50.	श्री महेश्वर हजारी	188, 191
51.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	216
52.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	21, 133, 156
53.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	95, 138, 209
54.	श्री बलीराम जाधव	84, 220
55.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	230
56.	श्री बद्रीराम जाखड़	14, 120, 149, 184
57.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1
58.	श्री नवीन जिन्दल	49, 173
59.	श्री महेश जोशी	183
60.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	124, 186
61.	श्री प्रहलाद जोशी	44
62.	श्री सुरेश कलमाडी	194
63.	श्री पी. करुणाकरन	61, 200
64.	श्री कपिल मुनि करवारिया	23, 227
65.	श्री नलिन कुमार कटील	56, 84, 130
66.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	122
67.	श्री चंद्रकांत खैरे	4, 98, 139, 198
68.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2, 130, 198, 212
69.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	40, 82, 84, 119

1	2	3
70.	श्री विश्व मोहन कुमार	56, 130
71.	श्री अजय कुमार	92
72.	श्री पी. कुमार	50, 120, 174
73.	श्री यशवंत लागुरी	25, 121
74.	श्री पी. लिंगम	78, 135, 186, 198, 217
75.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	12, 146
76.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	122
77.	श्री नरहरि महतो	108, 118, 155
78.	श्री प्रदीप माझी	65, 87, 88, 223, 225
79.	श्री मंगनी लाल मंडल	182
80.	श्री जोस के. मणि	67, 202
81.	श्री दत्ता मेघे	98, 122
82.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	121, 162
83.	श्री सोमेन मित्रा	122, 188
84.	श्री विलास मुत्तेमवार	66, 131, 205
85.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	73, 145, 166
86.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	82, 125
87.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	57, 193
88.	श्री नारनभाई कछाड़िया	41, 122, 124
89.	कुमारी मौसम नूर	52, 176
90.	श्री शीश राम ओला	109
91.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	32, 135
92.	श्री पी. आर. नटराजन	165, 212
93.	श्री वैजयंत पांडा	123, 184, 188
94.	श्री प्रबोध पांडा	62, 120
95.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	167
96.	श्री जयराम पांगी	25
97.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	58, 129, 186, 196
98.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	104
99.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	10, 144, 212, 218
100.	श्री किसनभाई वी. पटेल	65, 87, 88, 223, 225
101.	श्री संजय दिना पाटील	119
102.	श्री ए.टी. नाना पाटील	43, 122, 168
103.	श्री सी.आर. पाटिल	42, 119, 218
104.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	134, 138
105.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	58, 129, 186, 196
106.	श्रीमती कमला देवी पटले	27, 161
107.	श्री पोन्नम प्रभाकर	96, 107, 143, 182
108.	श्री नित्यानंद प्रधान	101, 120, 202
109.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	212
110.	श्री प्रेमदास	56, 103, 188
111.	श्री पन्ना लाल पुनिया	8, 212, 216, 222
112.	श्री एम.के. राघवन	59
113.	श्री अब्दुल रहमान	96, 195, 202, 228
114.	श्री सी. राजेन्द्रन	142
115.	श्री एम.बी. राजेश	212, 218

1	2	3
116.	श्री रामकिशुन	86, 122, 222
117.	श्री कादिर राणा	38
118.	श्री निलेश नारायण राणे	5
119.	श्री रायापति सांबासिवा रावम	7, 96, 120, 140, 225
120.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	75, 213
121.	श्री रामसिंह राठवा	26, 135, 160
122.	डॉ. रत्ना डे	178
123.	श्री अशोक कुमार रावत	73, 210
124.	श्री रुद्रमाधव राय	104, 151
125.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	60, 199
126.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	9, 65, 123
127.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	133
128.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	108, 118, 155
129.	प्रो. सौगत राय	35, 47, 163
130.	श्री एस. अलागिरी	119, 230
131.	श्री एस. सेम्मलई	74, 198, 211, 222
132.	श्री एस. पक्कीरप्पा	13, 53, 147, 182, 222
133.	श्री एस.आर. जेयदुरई	29, 195
134.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	150
135.	श्रीमती सुशीला सरोज	15, 153, 188
136.	श्री हमदुल्लाह सईद	45, 170
137.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	112
138.	श्री एम.आई. शानवास	64, 203
139.	श्री जगदीश शर्मा	66, 131, 205

1	2	3
140.	श्री नीरज शेखर	125, 126, 188, 189
141.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	24, 96, 128, 143, 158
142.	श्री राजू शेट्टी	34
143.	श्री एंटो एंटोनी	117, 191, 205
144.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	36, 164, 188
145.	डॉ. भोला सिंह	135
146.	श्री भूपेन्द्र सिंह	25, 159, 198, 212
147.	श्री दुष्यंत सिंह	54, 188
148.	श्री गणेश सिंह	48, 201
149.	श्री इज्यराज सिंह	72, 209
150.	श्री जगदानंद सिंह	81
151.	श्री महाबली सिंह	90
152.	श्री मुरारी लाल सिंह	65
153.	श्री राधा मोहन सिंह	83, 119
154.	श्री रतन सिंह	22, 198
155.	श्री सुशील कुमार सिंह	71, 182, 202, 208
156.	श्री उदय सिंह	132
157.	श्री यशवीर सिंह	125, 126, 188, 189
158.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	93, 124, 125, 189
159.	राजकुमारी रत्ना सिंह	136
160.	डॉ. संजय सिंह	30, 68, 72, 100, 136
161.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	96, 128, 143, 182

1	2	3
162.	श्री ई.जी. सुगावनम	81, 19
163.	श्री के. सुगुमार	11, 120, 202
164.	श्रीमती सुप्रिया सुले	82, 125
165.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	34, 47, 122, 171, 188
166.	श्री मानिक टैगोर	185, 211
167.	श्री बिभू प्रसाद तराई	120, 181
168.	श्री जगदीश ठाकोर	6, 103
169.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	3, 138, 202
170.	श्री आर. थामराईसेलवन	17, 154, 227
171.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	65
172.	श्री पी.टी. थॉमस	53, 79, 187
173.	श्री मनोहर तिरकी	118, 155
174.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	105, 135
175.	श्री लक्ष्मण टुडु	33
176.	श्री शिवकुमार उदासी	106, 199

1	2	3
177.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	15, 16, 153, 191
178.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	119, 148
179.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	70, 133, 182, 207
180.	श्री सज्जन वर्मा	137
181.	श्रीमती ऊषा वर्मा	15, 16, 153, 188, 191
182.	श्री वीरेन्द्र कुमार	119, 180
183.	श्री पी. विश्वनाथन	115
184.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	18, 197, 218
185.	श्री धर्मेन्द्र यादव	127, 128, 135, 181, 190
186.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	188, 189
187.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	119
188.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	177
189.	श्री मधु गौड यास्खी	55, 127, 128, 135, 181

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	10
कॉर्पोरेट कार्य	:	
पेयजल और स्वच्छता	:	13
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	6
विधि और न्याय	:	20
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	4
अल्पसंख्यक कार्य	:	15
विद्युत	:	7, 8, 9, 14
रेल	:	3, 5, 16, 18
ग्रामीण विकास	:	1, 12
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	19
जल संसाधन	:	2, 11, 17.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	1, 12, 24, 32, 35, 38, 43, 49, 54, 63, 67, 69, 78, 80, 93, 97, 112, 113, 116, 119, 132, 135, 140, 147, 158, 175, 180, 188, 203, 204, 223, 228
कॉर्पोरेट कार्य	:	117, 126, 196, 227
पेयजल और स्वच्छता	:	18, 30, 53, 89, 92, 122, 167, 176, 179
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	3, 27, 66, 85, 105, 124, 129, 131, 143, 174, 230
विधि और न्याय	:	75, 104, 114, 142, 191
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	31, 36, 37, 64, 106, 110, 161, 169, 208, 224
अल्पसंख्यक कार्य	:	15, 21, 39, 45, 86, 95, 102, 164, 171, 219
विद्युत	:	11, 13, 19, 20, 23, 29, 47, 59, 70, 71, 73, 82, 94, 133, 141, 150, 154, 162, 163, 178, 182, 186, 187, 197, 199, 202, 207, 210, 211, 217, 220, 225

रेल	:	2, 5, 9, 16, 25, 33, 44, 48, 50, 58, 61, 74, 79, 81, 87, 90, 91, 107, 11, 120, 121, 127, 130, 134, 138, 145, 153, 160, 165, 166, 168, 172, 173, 181, 184, 185, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 215, 216, 222, 226
ग्रामीण विकास	:	8, 28, 34, 40, 51, 52, 55, 56, 57, 65, 77, 83, 88, 100, 101, 125, 136, 144, 146, 149, 152, 159, 183, 205, 206, 209, 212, 218, 221
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	46, 156, 177
जल संसाधन	:	4, 6, 7, 10, 14, 17, 22, 26, 41, 42, 60, 62, 68, 72, 76, 84, 96, 98, 99, 103, 108, 109, 115, 118, 123, 128, 137, 139, 148, 151, 155, 157, 170, 198, 213, 214, 229.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/29/1/2012 (एन.)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोसिएट प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।